षोडश माला, खंड 31, अंक 22

शुक्रवार, 23 मार्च, 2018

02 चैत्र, 1940 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौदहवां सत्र

(सोलहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Section
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 75
Dated 28 अप्रैल 2021

(खण्ड 31 में अंक 21 से 29 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : एक सौ पंद्रह रुपये

सम्पादक मण्डल

स्नेहलता श्रीवास्तव
महासचिव
लोक सभा

अनीता बी. पंडा
संयुक्त सचिव

अजीत सिंह यादव
निदेशक

महावीर सिंह
संयुक्त निदेशक

भूषण कुमार
सम्पादक

© 2018 लोक सभा सचिवालय

हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिन्दी अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि इस सामग्री का केवल निजी, गैर वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अन्तर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

विषय सूची

षोडश माला, खंड 31, चौदहवां सत्र, 2018/1940 (शक)

अंक 22, शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक)

विषय — **पृष्ठ**

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि 1

प्रश्न का मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 401 2-10

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 402 से 420 11-84

अतारांकित प्रश्न संख्या 4601 से 4830 84-754

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

संसदीय वेतन समिति की नियुक्ति 755

सभा पटल पर रखे गए पत्र .... 756 और 769

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री परषोत्तम रूपाला 761-762

(दो) (क) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

श्री राम कृपाल यादव 762

सभा का कार्य 763

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं 770

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

बैठक का रद्द किया जाना 771

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 773-774

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका 774-784

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 785-786

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका 785-786

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रहलाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

श्री कलराज मिश्र

महासचिव

श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव

लोक सभा

शुक्रवार, 23 मार्च, 2018/02 चैत्र, 1940 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11.00 बजे समवेत हुई।

[**माननीय अध्यक्ष** *पीठासीन हुईं*]

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: खड़गे जी, आप कृपया मुझे एक मिनट दें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

अध्यक्ष द्वारा उल्लेख

स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों को श्रद्धांजलि

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, 23 मार्च, 1931 को सर्वश्री भगत सिंह, शिवराम हरि राजगुरु और सुखदेव थापर हमारे देश को विदेशी शासन के बंधनों से मुक्त कराने के लिए शहीद हुए थे। इन अमर शहीदों की वीरता, शौर्य और देशभक्ति हम सबके लिए सदा प्रेरणा का स्रोत रहेगी।

इस अवसर पर हम शहीद भगत सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद सुखदेव और उन सभी शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि देते हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राण न्यौछावर किए। अब यह सभा हमारे स्वतन्त्रता सेनानियों की स्मृति में सम्मानस्वरूप कुछ देर मौन रहेगी।

[अनुवाद]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

(तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे)

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.03 बजे

(इस समय श्रीमती वी. सत्यबामा, श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

पूर्वाह्न 11.03½ बजे

प्रश्न का मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न सं. 401, माननीय सदस्य, श्री मुरली मोहन।

...(व्यवधान)

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना

*401. **श्री एम. मुरली मोहन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के द्वितीय और तीसरे चरण में एम्स जैसे अस्पतालों की स्थापना में कितनी प्रगति हुई है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश के मंगलागिरि में एम्स के लिए अनुमानित और जारी की जाने वाली राशि कितनी है?

[हिंदी]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में सामान्य तौर पर किफायती स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केन्द्रों की उपलब्धता में असंतुलनों को दूर करना तथा विशेष रूप से अल्प सेवित राज्यों में गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा शिक्षा के लिए सुविधा केन्द्रों का विस्तार करना है। केन्द्रीय क्षेत्र की योजना, पी.एम.एस.एस.वाई. के दो घटक हैं:-

(i) एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना, और

(ii) राज्य सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों का उन्नयन किए जा रहे एम्स और सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सूची संलग्न अनुबंध में दी गई है।

(ख) पी.एम.एस.एस.वाई. के दूसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2009 में रायबरेली में एम्स की स्वीकृति दी गई। तथापि, राज्य सरकार द्वारा जुलाई, 2013 में सहमति व्यक्त की गई 148 एकड़ भूमि में से केवल 97 एकड़ भूमि ही सौंपी गई है। भूमि सौंपने में विलंब के कारण लक्षित समय-सीमा के अनुसार परियोजना शुरू नहीं की जा सकी। तथापि, एम्स, रायबरेली में आवास और अस्थायी ओ.पी.डी. का निर्माण लगभग पूरा हो गया है। जुलाई, 2018 से ओ.पी.डी. का संचालन शुरू होने की संभावना है। अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए निविदा का मूल्यांकन किया जा रहा है। एम्स, रायबरेली की स्थापना के लिए स्वीकृत किए गए 823 करोड़ रु. की राशि में से कुल 204.52 करोड़ रु. जारी किए गए हैं। पी.एम.एस.एस.वाई. के तीसरे चरण में किसी नए एम्स की मंजूरी नहीं दी गई थी।

(ग) मंत्रिमंडल ने पी.एम.एस.एस.वाई. के चौथे चरण के तहत 7 अक्तूबर, 2015 को 1618 करोड़ रु. की कुल लागत के साथ आंध्र प्रदेश के मंगलागिरी में एम्स को स्थापना की स्वीकृति दी है। अभी तक कार्यान्वयन एजेंसी को 104.51 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है।

अनुबंध

क्र.सं.	राज्य	नए एम्स	राज्य सरकार के कॉलेजों/अस्पतालों का उन्नयन				
			चरण-I	चरण-II	चरण-III	चरण-IV	चरण-V (क)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	एम्स मंगलागिरी (चरण-IV)	एसवीआईएमएस, तिरुपति		एसएमसी, विजयवाड़ा जीएमसी, अनंतपुर		
2.	असम	एम्स गुवाहाटी (चरण-V)			जीएमसी, गुवाहाटी एएमसी, डिब्रूगढ़		
3.	बिहार	एम्स पटना(चरण-I) एम्स घोषित (चरण-V)			एसएमसी, मुजफ्फरपुर जीएमसी, दरभंगा	पीएमसीएच, पटना जीएमसी, भागलपुर जीएमसी, गया	
4.	छत्तीसगढ़	एम्स, रायपुर (चरण-I)				जीएमसी, बिलासपुर, जीएमसी जगदलपुर	
5.	गोवा				जीएमसी, पणजी		
6.	गुजरात	एम्स, गुजरात (चरण-VI)	बीजेएमसी, अहमदाबाद		जीएमसी, राजकोट	जीएमसी, सूरत जीएमसी, भावनगर	
7.	हरियाणा			पीडीएसआईएमएस, रोहतक			
8.	हिमाचल प्रदेश	एम्स कोठिपुरा (चरण-V)		जीएमसी टांडा	आईजी जीएमसी, शिमला		
9.	जम्मू और कश्मीर	एम्स, सांबा, जम्मू (चरण-V) एम्स, अवंतीपोरा, कश्मीर (चरण-V)	जीएमसी, जम्मू जीएमसी, कश्मीर				
10.	झारखंड	एमस, देवघर (चरण-VI)	आरआईएमएस, रांची		पीएमसी, धनबाद		

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक		वीएमसी, बैंगलोर		वीएमसी, बेल्लारी केआईएमएस, हुबली		
12.	केरल		एमसी, तिरुवनंतपुरम		एमसी, कोझिकोड टीडीएमसी, अलाप्पुझा		एमसीटीआईएम एसटी
13.	मध्य प्रदेश	एम्स, भोपाल (चरण-I)			जीएमसी, रीवा एनएससीवी, एमसी, जबलपुर जीआरएमसी, ग्वालियर	जीएमसी, इंदौर	
14.	महाराष्ट्र	एम्स, नागपुर (चरण-IV)	अनुदान, एमसी+ जेजे अस्पताल	जीएमसी, नागपुर	जीएमसी, औरंगाबाद जीएमसी, लातूर जीएमसी, अकोला एसवी, जीएमसी, यवतमाल		
15.	उड़ीसा (उड़ीसा)	एम्स, भुवनेश्वर (चरण-I)			एमकेसीजी एमसी, बेहरामपुर वीएसएस एमसी, बरला	जीएमसी, कटक	
16.	पंजाब	एम्स, भटिंडा (चरण-V)		जीएमसी, अमृतसर	जीएमसी, पटियाला		
17.	राजस्थान	एम्स, जोधपुर (चरण-I)			एसपी एमसी, बीकानेर आरएनटी एमसी, उदयपुर जीएमसी, कोटा	जीएमसी, जयपुर	
18.	तमिलनाडु	एम्स घोषित (चरण-V)	जीएमसी, सलेम	सीएमसी, मदुरै	टीएमसी, तंजावुर तृणमूल, तिरुनेलवेली		
19.	तेलंगाना		एनआईएमएस, हैदराबाद		आरजी आईएमएस, अदिलाबाद केएमसी, वारंगल		

20.	त्रिपुरा				एएमसी, अगरतला		
21.	उत्तर प्रदेश	एम्स, रायबरेली (चरण-II) एम्स गोरखपुर (चरण-IV)	एसजीपीजीआई एमएस, लखनऊ आईएमएस, वाराणसी	जेएनएमसी, एएमयू, अलीगढ़	जीएमसी, झांसी जीएमसी, गोरखपुर एमएलएन एमसी, इलाहाबाद एलएलआर एमसी, मेरठ	जीएमसी, आगरा जीएमसी, कानपुर	आईएमएस, बीएचयू
22.	उत्तराखंड	एम्स, ऋषिकेश (चरण-I)					
23.	पश्चिम बंगाल	एम्स, कल्याणी (चरण-IV)	केएमसी, कोलकाता		बीएस एमसी, बांकुरा जीएमसी, मालदा एनबीएमसी, दार्जिलिंग		
24.	दिल्ली					यूसीएमएस-जीटीबी अस्पताल	
		20 एम्स	13	06	39	13	2

*****कुल 20 एम्स और 73 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया जा रहा है।*

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

बाघ संरक्षण क्षेत्र

*402. **श्री नारणभाई काछड़िया:**

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आश्वस्त संरक्षण/बाघ मानक (सी.ए./टी.एस.) द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार 11 देशों में 112 बाघ संरक्षण क्षेत्रों के कम से कम एक तिहाई क्षेत्र में बाघों के समाप्त हो जाने का गंभीर संकट मंडरा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त सर्वेक्षण में उल्लिखित क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है तथा बाघों के समाप्त होने/बाघों को खोने के खतरे का उल्लिखित कारण क्या है;

(ग) बाघों के संरक्षण से संबंधित भारत के संबंध में अपने सर्वेक्षण में सी.ए./टी.एस. द्वारा क्या आकलन किया गया है;

(घ) अब तक क्रियान्वित की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान बाघों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि उपलब्ध कराई गई/खर्च की गई है; और

(ङ) देश में बाघ संरक्षण के संबंध में वैश्विक मानकों को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) जी, हां। उक्त सर्वेक्षण से पता चला है कि 35 प्रतिशत स्थानों पर बाघों की संख्या में भारी कमी होने अथवा उनके समाप्त होने का खतरा है।

(ख) आश्वस्त संरक्षण/बाघ मानक (सी.ए./टी.एस.) सर्वेक्षण के अनुसार, प्रबंधन का आकलन करने के लिए प्रतिशत औसत स्कोर को क्षेत्रीय तौर पर पूर्वी एशिया (चीन और रूस), दक्षिणी एशिया (बांग्ला देश, भूटान, नेपाल और भारत) और दक्षिण पूर्व एशिया (कम्बोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और थाइलैंड) के रूप में प्रस्तुत किया गया है। 75 प्रतिशत और इससे अधिक के स्कोर को एकदम सुदृढ़ प्रबंधन माना गया है। सर्वेक्षण किये गये 112 स्थलों में से केवल 39 स्थलों का स्कोर 75 प्रतिशत से कम है और इनमें से 20 स्थल दक्षिण-पूर्व एशिया में हैं। बाघों को होने वाले खतरों के कारण निम्नवत् हैं:

i. स्टॉफ के कार्यकलापों की सहायता के लिए पर्याप्त प्रबंधन अवसंरचना का अभाव।

ii. स्थलों की प्रभावी गश्त के लिए अपर्याप्त स्टॉफ।

iii. प्रबंधन योजना का अभाव।

iv. मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने की व्यवस्था का अभाव।

v. बाघों तथा उनके शिकार जानवरों के पर्यावासों के सक्रिय प्रबंधन की व्यवस्था का अभाव जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघों की निगरानी भी शामिल है।

vi. सर्वेक्षण के सामाजिक पहलुओं के पर्याप्त निराकरण का अभाव।

(ग) भारत के संदर्भ में, निम्नलिखित टिप्पणियां की गयी हैं।

i. भारत में सर्वेक्षण किए गए सभी स्थलों पर प्रबंधन योजनाएं हैं।

ii. 50 में से 49 बाघ रिजर्वों का स्कोर 82 प्रतिशत-100 प्रतिशत के बीच है।

iii. बाघ रिजर्वों के बाहर के वनों (जहां बाघ संरक्षण विशिष्ट प्रबंधन बहुत ही कम चुस्त है) का स्कोर 57 प्रतिशत से 88 प्रतिशत के बीच है।

iv. भारतीय बाघ रिजर्व प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एम.ई.ई.टी.आर.) को संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन प्रभावकारिता (पी.ए.एम.ई.) के अनतर्गत बाघ संरक्षण क्षेत्रों हेतु एक विशेष रूप से अभिकल्पित साधन के रूप में रेखांकित किया गया है।

v. बाघ रिजर्वों के एक नेटवर्क के माध्यम से बाघों को सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराने की आवश्यकता के आधार पर भारत में बाघों की पुन:प्राप्ति के संगठित प्रयास किए जाने के अतिरिक्त, बाघ परियोजना को अनेक दशकों से बाघ संरक्षण क्षेत्रों के प्रभावी प्रबंधन में एक निवेश के रूप में रेखांकित किया गया है।

vi. भारत में सर्वेक्षण किए गए 72 स्थलों में से केवल 17 स्थल 75 प्रतिशत बेंचमार्क से कम पाए गए। इनमें इंद्रावती नामक केवल एक बाघ रिजर्व शामिल है, जहां वामपंथी अतिवाद के कारण प्रतिदिन का प्रबंधन प्रभावित होता है।

vii. 7 स्थलों, मुख्य रूप से वन प्रभागों का स्कोर 51 प्रतिशत-61 प्रतिशत के बीच : 5 स्थलों का स्कोर 61 प्रतिशत-70 प्रतिशत के बीच और 4 स्थानों का स्कोर 71 प्रतिशत-74 प्रतिशत के बीच था।

(घ) सी.ए./टी.एस. आकलन का वित्तपोषण भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार द्वारा बाघ परियोजना नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान बाघ बहुल राज्यों को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (19.03.2018 के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	184.141	0.00000	173.48600	232.49
2.	अरुणाचल प्रदेश	658.4260	429.53900	597.28900	641.9432
3.	असम	1509.389	1425.41300	1510.92100	1973.627
4.	बिहार	317.096	223.55051	487.83800	552.273
5.	छत्तीसगढ़	609.827	398.94500	626.56700	1315.076
6.	झारखंड	199.08	47.98470	323.76200	338.62
7.	कर्नाटक	1565.7726	1378.19440	3203.61440	2263.846
8.	केरल	517.5351	396.60100	780.23100	636.412
9.	मध्य प्रदेश	4335.1182	1421.00700	12885.59790	7827.641
10.	महाराष्ट्र	3425.5241	3923.07890	8229.71800	6419.165
11.	मिजोरम	232.1896	187.98450	301.54800	215.316
12.	ओडिशा	707.3885	544.80052	917.16700	1604.427
13.	राजस्थान	627.192	1257.80800	381.30200	773.09
14.	तमिलनाडु	864.316	1950.17128	949.86900	2551.058
15.	तेलंगाना	-	214.81920	239.25900	294.04
16.	उत्तराखंड	391.19	683.98538	1023.40300	1166.444
17.	उत्तर प्रदेश	760.9283	624.54630	1057.04500	820.024
18.	पश्चिम बंगाल	596.8825	376.50781	536.14070	570.74
	कुल	17502.000	15484.9365	34224.7580	30196.2322

(ङ) भारत सरकार द्वारा बाघों और अन्य वन्यजीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से अनेक बड़ी पहलें की गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारत सरकार द्वारा बाघों और अन्य वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण के माध्यम से उठाए गए मुख्य कदम

वैधानिक कदम

1. वर्ष 2006 में वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में संशोधन करके, धारा 38 IV ख के अंतर्गत राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और धारा 38 IV ग के अंतर्गत बाघ एवं अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए समर्थकारी प्रावधान किए गए।

2. बाघ रिजर्वों के कोर क्षेत्र में किए गए अपराध अथवा बाघ रिजर्वों में शिकार संबंधी अपराध या बाघ रिजर्वों की सीमा में परिवर्तन संबंधी अपराध इत्यादि के मामले में दिए जाने वाले दंड को बढ़ाना।

3. बाघ परियोजना के लिए और बाघ रिजर्वों में पर्यटन हेतु वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38ण 1 (ग) के अंतर्गत दिनांक 15 अक्तूबर, 2012 को व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए गए।

प्रशासनिक कदम

4. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण (एन.टी.सी.ए.) 4 सितंबर, 2006 से गठित किया गया है, जिसके द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, बाघ रिजर्व प्रबंधन के मानदण्डों का निर्धारण, रिजर्व विशिष्ट बाघ संरक्षण योजना का निर्माण, संसद में वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण, मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन और बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान की स्थापना सुनिश्चित की गई है।

5. वन्य जीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु दिनांक 6 जून, 2007 से बहुविध बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन किया गया है।

6. संचार तथा बेतार सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के अतिरिक्त, स्थानीय जनता, पूर्व सैनिकों, होमगार्डों को शामिल करके गठित अवैध शिकार रोधी दस्तों की तैनाती हेतु बाघ रिजर्व राज्यों के प्रस्तावों के अनुसार उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करके मानसून के दौरान गश्त के लिए बनाई जाने वाली विशेष कार्यनीति सहित अवैध शिकार को रोकने की गतिविधियों का सुदृढ़ीकरण।

7. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा बाघ रिजर्वों के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है और ये स्थल हैं: रातापानी (मध्य प्रदेश), सुनाबेदा (ओडिशा) और गुरू घासीदास (छत्तीसगढ़)। राज्य सरकारों को निम्नलिखित क्षेत्रों को बाघ रिजर्व घोषित करने के लिए प्रस्ताव भेजने की सलाह दी गई है: (i) सुहेलवा (उत्तर प्रदेश), (ii) महादेई वन्यजीव अभयारण्य (गोवा), (iii) श्रीविलीपुथुर ग्रिज्लड जाईन्ट रिक्वरल/मेगामलई वन्यजीव अभयारण्य/वरुशानाडु घाटी (तमिलनाडु), (iv) दिबंग वन्यजीव अभयारणय (अरुणाचल प्रदेश) और (v) कोवरी-एमएम हिल्स (कर्नाटक) और (vi) नंधौर वन्यजीव अभयारण्य (उत्तराखंड)।

8. राजाजी राष्ट्रीय उद्यान (उत्तराखंड), ओरंग राष्ट्रीय उद्यान (असम) और कामलांग वन्यजीव अभयारण्य (अरुणाचल प्रदेश) को 48वां, 49वां और 50वां बाघ रिजर्व घोषित/अधिसूचित किया गया है। इसके अतिरिक्त, हाल ही में अधिसूचित बाघ रिजर्वों में शामिल हैं: कवल (तेलंगाना), सत्यमंगलम (तमिलनाडु), मुकंद्रा हिल्स (राजस्थान), नवेगांव-नागजीरा (महाराष्ट्र), अमराबाद (पूर्व समय में नागार्जुनासागर सिरीसैलम टाइगर रिजर्व का एक भाग) (तेलंगाना), पीलीभीत (उत्तर प्रदेश) और बोर (महाराष्ट्र)।

9. बाघ संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशरील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्स्थापना या पुनर्वास पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु . प्रति परिवार) देना, पारंपरिक शिकार कार्य में लगे हुए समुदायों के

पुनर्वास अथवा पुनर्स्थापन, बाघ रिजर्वों के बाहर वनों में आजीविका और वन्यजीव सरोकारों को मुख्यधारा में लाना और पर्यावास विखंडन को रोकने के लिए बहाली कार्यनीति के जरिए कॉरीडोर संरक्षा को बढ़ावा देना शामिल हैं।

10. बाघों (सह-परभक्षियों, शिकार होने वाले जानवरों और पर्यावास स्थिति का मूल्यांकन करने सहित) के आकलन के लिए एक वैज्ञानिक कार्य प्रणाली बनाकर उसे मुख्य धारा में लाया गया है। इस आकलन तथा मूल्यांकन के परिणाम, भविष्य की बाघ संरक्षण कार्यनीति के लिए निर्देशचिह्न हैं।

11. वर्ष 2006 में यथा संशोधित वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 38 फ के अंतर्गत, 18 बाघ राज्यों द्वारा देश में सभी 50 बाघ रिजर्वों के कोर/संवेदनशील बाघ पर्यावास (40145.30 वर्ग किलोमीटर) और बफर/परिधीय क्षेत्र (31362.45 वर्ग किलोमीटर) अधिसूचित किए गए हैं।

12. एक वन महानिरीक्षक के अधीन नागपुर, बेंगलुरू और गुवाहाटी में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के क्षेत्रीय कार्यालय काम कर रहे हैं।

वित्तीय कदम

13. वन्य जीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकारों की क्षमता और अवसंरचना में अभिवृद्धि हेतु राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् "बाघ परियोजना" और "वन्य जीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

14. भारत का चीन के साथ बाघ संरक्षण संबंधी प्रोटोकॉल होने के अलावा वन्य जीव और संरक्षण में सीमा पारीय अवैध व्यापार को रोकने के लिए नेपाल के साथ भी एक समझौता ज्ञापन विद्यमान है।

15. सुंदरवन के रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए बांग्लादेश के साथ सितंबर, 2011 में एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

16. रूसी परिसंघ के साथ सहयोग हेतु बाघ और तेंदुआ संरक्षण संबंधी एक उप-दल का गठन किया गया है।

17. भारत, बाघ संरक्षण से संबंधित अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के निराकरण हेतु बाघ रेंज देशों के वैश्विक बाघ फोरम का संस्थापक सदस्य है।

18. साइट्स (सी.आई.टी.ई.एस.) के पक्षकारों के सम्मेलन की चौदहवीं बैठक, जो हेग में 3 से 15 जून, 2007 के दौरान आयोजित हुई थी, में भारत ने चीन, नेपाल और रूसी परिसंघ के साथ एक संकल्प प्रस्तुत किया था, जिसमें केवल जंगली बाघों के संरक्षण के लिए ऐसी बंधक संख्या को समर्थन स्तर तक सीमित करने के लिए वाणिज्यिक पैमाने पर बाघों के प्रजनन प्रक्रिया के संबंध में पक्षकारों को दिशा-निर्देश दिए हैं। इस संकल्प को किंचित संशोधनों के साथ निर्णय के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। इसके अलावा, भारत ने हस्तक्षेप करते हुए चीन से अपील की कि बाघ फार्मिंग को चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाए और एशियाई बाघों के अंगों और उनके व्युत्पन्नों के भंडार को समाप्त किया जाए। बाघों के शरीर के अंगों के व्यापार पर लगी रोक को जारी रखे जाने के महत्व पर बल दिया गया।

19. दिनांक 23 से 27 जुलाई, 2012 के दौरान जेनेवा में आयोजित वन्य प्राणिजात एवं वनस्पतिजात की संकटापन्न प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधी कन्वेंशन (सी.आई.टी.ई.एस.) की स्थाई समिति की 62वीं बैठक में भारत द्वारा किए गए जोरदार हस्तक्षेप के आधार पर सी.आई.टी.ई.एस. सचिवालय के पक्षकारों को 14.69 निर्णय के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 3 सितंबर, 2012 की अधिसूचना संख्या 2012/054 जारी की है और 25 सितंबर, 2012 तक सचिवालय को रिपोर्ट (बाघों आदि की कैप्टिव ब्रीडिंग ऑपरेशन को रोकने पर हुई प्रगति) प्रस्तुत करने के निदेश दिए हैं।

20. तृतीय एशिय मंत्रालयी सम्मेलन (3 ए.एम.सी.) नई दिल्ली में 12-14 अप्रैल, 2016 को आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के इस कथन की "बाघों का संरक्षण विकल्प नहीं है, अपितु यह एक अनिवार्यता है" से प्रेरित हो कर वर्ष

2022 तक जंगलों में बाघों और उनके पर्यावासों का संरक्षण सुनिश्चित करने के ठोस परिणाम प्राप्त करने के लिए बाघ वाले देशों के सरकारी प्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि:

- वैश्विक बाघ बहाली कार्यक्रम (जी.टी.आर.पी.)/ राष्ट्रीय बाघ बहाली कार्यक्रम (एन.टी.आर.पी.) और ऊपर उल्लिखित घोषणाओं से सहमत कार्रवाईयों के कार्यान्वयन में तेजी लाएंगे, प्राथमिकता और विभेदीकरण वाली कार्ययोजनाओं की समीक्षा करेंगे तथा उन्हें अद्यतन करेंगे और पारस्परिक और सुव्यवस्थित रिपोर्टिंग और मूल्यांकन के माध्यम से प्रगति पर नजर रखेंगे।

- बाघ संरक्षण के सरोकारों को मुख्य धारा में लाने के लिए विकास कार्यनीतियों के पुनर्भिविन्यास द्वारा पारस्परिक संपूरक रीति से विकास और बाघ संरक्षण को साथ-साथ लेकर चलेंगे, जैसे कि भूदृश्य स्तर पर अवसंरचना में बाघ और वन्यजीव सुरक्षोपाय एकीकरण, व्यापारी समूहों के सा‍ि ा सहभागिता विकसित करना तथा स्थानीय पक्षों के साथ मजबूत अनुबंध।

- टी.आर.सी. सरकारों के अतिरिक्त, अंतरराष्ट्रीय संगठनों, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय वित्तीय संस्थानों, संघों, सिविल सोसाइटी संगठनों, निजी क्षेत्र और जलवायु निधियों से निधियन और तकनीकी सहायता का इस्तेमाल करेंगे।

- बाघ पर्यावासों को पारिप्रणाली सेवाएं प्रदान करने, आर्थिक विकास तथा जलवायु परिवर्तन का निराकरण करने में सहायता प्रदान करने वाले इंजन के रूप में प्रचार करने के द्वारा इनके महत्व को मान्यता देंगे ओर इनका संवर्धन करेंगे।

- बाघों को पुन: छोड़े जाने तथा उनके पर्यावासों और शिकार के पुनर्वासित करने संबंधी सफल कार्यक्रमों का उपयोग करते हुए कम बाघ घनत्व वाले क्षेत्रों में बाघों की संख्या की पुनर्बहाली करेंगे तथा ऐसे क्षेत्रों का पुनरुद्‌भव करेंगे, ज़हां पर ये बिल्कुल खत्म हो चुके हैं।

- वन्यजीव अपराध को कम करने, बाघ उत्पादों की मांग का निराकरण करने तथा औपचारिक और अनौपचारिक सीमापारीय समन्वय में वृद्धि करने हेतु सरकार के उच्चतम स्तरों पर सहयोग को सुदृढ़ करेंगे।

- सभी पक्षों के लिए ज्ञान साझा करने तथा क्षमता निर्माण में संवर्धन करेंगे और स्मार्ट उपकरणों, निगरानी प्रोटोकॉल्स और सूचना प्रणालियों सहित प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाएंगे।

अन्य विविध कदम

21. **विशेष बाघ संरक्षण बल (एस.टी.टी.एफ.) का गठन**: बाघ परियोजना की जारी केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 13 प्रारंभिक रूप से चयनित बाघ रिजर्वो में 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कर्नाटक (बांदीपुर), महाराष्ट्र (पेंच और तदोबा-अंधारी) और ओडिशा (सिमिलीपाल) राज्यों में विशेष बाघ सुरक्षा बल (एस.टी.पी.एफ.) कार्यरत किए गए हैं। नवेगांव-नागजीरा, मेलघाट (महाराष्ट्र), कावल ओर अमराबाद (पूर्व समय में नागार्जुनसागर सिलीसेलम टाइगर रिजर्व का भाग) बाघ रिजर्व (तेलंगाना) में उक्त बल के सृजन हेतु सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया है।

22. ट्रैफिक-इंडिया के सहयोग से ऑनलाइन टाइगर क्राइम डाटाबेस शुरू किया गया है और रिजर्व विशिष्ट सुरक्षा योजना तैयार करने के लिए सामान्य (जेनेरिक) दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।

23. बाघ संरक्षण पहलों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु निधि प्रवाह से जुड़े बाघ वाले राज्यों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) का कार्यान्वयन करना।

24. प्रभावी क्षेत्रीय गश्त और मॉनीटरिंग हेतु 'मानीटरिंग सिस्टम फार टाइगर्स' इन्टेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलोजिकल स्टेट् (M-STrIPES) शुरू करने के अलावा, अवसंरचना के आधुनिकीकरण और क्षेत्र सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं।

25. अखिल भारतीय बाघ आकलन में गैर-सरकारी विशेषज्ञों की बिना लागत की भागीदारी के लिए कदम उठाए गए।

26. प्रोत्साहन देने के अलावा, फील्ड अधिकारियों की क्षमता बढ़ाकर फील्ड डिलीवरी में सुधार के लिए पहल की गई।

27. सरिस्का और पन्ना बाघ रिजर्वों, जहां से बाघ स्थानीय रूप से विलुप्त हो गए हैं; के पुनर्निर्माण के सक्रिय प्रबंधन के भाग के रूप में उनमें नए बाघों और बाघिनों को लाने का कार्य किया गया है। सरिस्का में वन्य बाघों को सफलतापूर्वक लाया जाना एक अद्वितीय और विश्व में अपने प्रकार का पहला कार्य है। लाई गई बाघिनें प्रजनन कर रही हैं। पन्ना (म.प्र.) में भी बाघ लाए जाने का प्रयास बहुत सफल रहा है।

28. बाघों और उनके शिकार जानवरों की कम संख्या वाले बाघ रिजर्वों में सक्रिय प्रबंधन के द्वारा शिकार आधार और बाघों की संख्या की स्व-स्थाने वृद्धि के लिए विशेष निर्देशिकाएं जारी की गई हैं।

29. **अखिल भारतीय बाघ, सहभक्षी और शिकार आकलन, 2014:-** राष्ट्र स्तरीय बाघ स्थिति आकलन का तीसरा चरण वर्ष 2014 में पूरा हुआ जिसके अनुसार 2010 के पिछले राष्ट्र स्तरीय अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1706 (निम्नतर और उच्चतर सीमाएं क्रमश: 1520-1909), और वर्ष 2006 के अनुमान के अनुसार इनकी संख्या अनुमानत: 1411 (बाघों की निम्नतर और उच्चतर सीमा क्रमश: 1165 और 1657) थी जिसकी तुलना में वर्ष 2014 में इनकी संख्या (क्रमश: 1945 की निम्नतर और 2491 की उच्चतर सीमा के साथ) 2226 होने का अनुमान है। यह संख्या वृद्धि का रूझान दर्शाती है। इस समय, बाघ परियोजना (18 राज्यों के 50 बाघ रिजर्वों में फैले देश के भौगोलिक क्षेत्र के 2.21 प्रतिशत में) के माध्यम से प्रजतियों के संरक्षण का अपना लंबा इतिहास होने के कारण, विश्व के 12 बाघ क्षेत्र वाले देशों में से बाघों की संख्या और उनके स्रोत क्षेत्रों का 70 प्रतिशत भारत के पास है।

30. **प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एम.ई.ई.)**: जनवरी, 2015 में बाघ रिजर्वों के प्रबंधन प्रभावकारिता मूल्यांकन (एम.ई.ई.) संबंधी रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें 43 बाघ रिजर्वों के लिए 2013-14 में संशोधित किए गए मानदंड पर आधारित स्वतंत्र मूल्यांकन का तृतीय चरण शामिल था। 43 बाघ रिजर्वों में से 17 को 'बहुत अच्छा', 16 को 'अच्छा', 10 को 'साधारण' रेटिंग दी गई थी।

31. समस्याग्रस्त क्षेत्रों में मानव-बाघ संघर्ष को कम करने के लिए विशेष सहायता उपलब्ध कराना।

मानक प्रचालन क्रिया विधि (एस.ओ.पी.)

32. बाघ परियोजना/राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण की परामर्शिकाओं के आधार पर बाघों की मौतों से संबंधित 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है जसमें वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, राज्य के अधिकारियों और विशेषज्ञों से प्राप्त वर्तमान चुनौतियों से निपटने में अनुकूल सूचनाएं दी गई हैं।

33. मानव-बस्तियों में आवारा बाघों से निपटने के लिए 'मानक प्रचालन क्रिया विधि' जारी की गई हैं।

34. बाघ/तेंदुए के शवों/शरीर के अंगों के निस्तारण हेतु, मानक प्रचालन क्रियाविधि जारी की गई है।

35. जंगल में अनाथ/परित्यक्त बाघ शावकों और बूढ़े/जख्मी बाघों के कल्याण हेतु मानक प्रचालन क्रिया विधि जारी की गई है।

36. पशुधन पर बाघ हमलों से निपटने के लिए एक 'मानक प्रचालन क्रियाविधि' जारी की गई है।

37. एन.टी.सी.ए. द्वारा उन बाघ रिजर्वों के मध्य अन्तरराज्य समन्वय के लिए एक 'मानक प्रचालन प्रक्रिया' जारी की गई, जिनकी सीमा उनसे मिलती है।

38. लैंडस्केप स्तर पर स्रोत क्षेत्रों से बाघों के पुनर्वास के सक्रिय प्रबंधन हेतु एक मानक प्रचालन क्रिया विधि जारी की गई है।

39. अन्तरराज्य बाघ रिजर्वों के लिए अन्तरराज्य समन्वय हेतु एक 'मानक प्रचालन प्रक्रिया' जारी की गई।

40. चरण-IV बाघ रिजर्व स्तर शुरू करना, कैमरा ट्रैप्स का प्रयोग कर बाघों की निरंतर मॉनीटरिंग करना और अलग-अलग बाघों के फोटो कैप्चर संबंधी आंकड़े तैयार करना।

41. अलग-अलग बाघ की कैमरा ट्रैप फोटो आईडी की राष्ट्रीय रिपोजिटरी बनाना।

42. मुख्य क्षेत्रों से ग्राम पुनर्वास हेतु-काम्पा निधियों के प्रयोग को सैद्धांतिक अनुमोदन।

43. सक्रिय प्रबंधन के अंतर्गत जंगली/आवारा बाघों/बाघिनों को राज्यों में उच्च घनत्व वाले रिजर्वों से निम्न घनत्व वाले रिजर्वों में स्थानांतरित करने की अनुमति दी गई है।

44. आवारा बाघों से निपटने के लिए क्षेत्र अधिकारियों के क्षमता निर्माण हेतु क्षेत्रीय स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई हैं।

नवीनतम कदम

45. कार्बेट बाघ रिजर्व (उत्तराखंड) में ई-निगरानी परियोजना पूरी होने पर काजीरंगा टाइगर रिजर्व (असम) में और रातापानी वन्यजीव अभयारण्य (मध्य प्रदेश) के आस-पास 24x7 ई-निगरानी हेतु (100 प्रतिशत) केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

46. भारतीय वन प्रबंधन संस्थान के सहयोग से छह बाघ आरक्षित क्षेत्रों का आर्थिक मूल्यांकन किया गया है। इसी प्रकार का मूल्यांकन 10 और बाघ रिजर्वों में किया जा रहा है।

47. भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोग से पन्ना बाघ रिजर्व (मध्य प्रदेश) में मानव-रहित हवाई वाहन द्वारा निगरानी का प्रायोगिक परीक्षण किया गया और अब इसे 13 अन्य बाघ-रिजर्वों में भी विस्तारित किया जा रहा है।

48. भारतीय वन सर्वेक्षण के सहयोग से शिवालिक गांगेय मैदानी भू-परिदृश्यों के बाघ रिजर्वों में और उनके आस-पास की स्थिति, सघनता एवं बनावरण में परिवर्तन का आकलन किया गया।

49. काजीरंगा टाइगर रिजर्व में गैंडों की सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के उपाय सुझाने के लिए एक गैंडा कार्य बल सृजित किया गया।

50. काजीरंगा बाघ रिजर्व में गैंडा सुरक्षा बल के सृजन के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन दिया गया।

51. काजीरंगा बाघ रिजर्व में वन गार्डों के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम का समर्थन करना।

52. काजीरंगा बाघ रिजर्व के आस-पास सक्रिय स्थानीय भागीदारी के साथ गैंडा संरक्षण के लिए जन सहयोग प्राप्त करने के लिए स्वैच्छिक समूह 'फ्रैंडस फॉर राइनो' को प्रोत्साहित करना।

53. तराई आर्क भू-दृश्य में बाघ स्थिति के आकलन पर नेपाल और बंगलादेश के साथ एक संयुक्त रिपोर्ट प्रकाशित की गई।

54. बाघ रिजर्वों में ऑन-लाइन बाघ/वन्यजीव अपराध ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग सिस्टम की दिशा में राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण और वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो के साथ सहयोग की पहले की गई।

55. अन्तरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर सभी बाघ रिजर्वों में कार्यान्वयन हेतु एन.टी.सी.ए. के सुरक्षा आडिट ढांचे को कार्यान्वित करने के लिए वैध बनाया गया है।

56. बाघ रिजर्वों के बाहर बाघ वाले क्षेत्रों की यथास्थिति का आकलन करने के लिए सी.ए./टी.एस. (संरक्षण सुनिश्चय/बाघ मानक) ढांचा को प्रयोग में लाया जा रहा है जिससे ऐसे क्षेत्रों में प्रबंधन हस्तक्षेपों में कमियों का पता लगाने में सहायता मिलती है ताकि उपयुक्त नीतियों के माध्यम से कमियों का समाधान किया जा सके।

[अनुवाद]

स्वतंत्र निदेशकों के कार्य

*403. **डॉ. कंभमपति हरिबाबू:** क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के बोर्डों में सरकार द्वारा नियुक्त स्वतंत्र निदेशक कंपनियों के अच्छे और खराब कार्यों के लिए ज्यादा जिम्मेदार हैं;

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियुक्त स्वतंत्र निदेशकों की भूमिका और जिम्मेदारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों की जांच के लिए कोई तंत्र मौजूद है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत पांच वर्षों के दौरान कार्यों में लापरवाही बरतने के लिए कितने स्वतंत्र निदेशकों को सरकारी उपक्रम-वार दंडित किया गया है?

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) स्वतंत्र निदेशकों (आई.डी.) की भूमिका और दायित्व कंपनी अधिनियम (अधिनियम) की अनुसूची-IV के साथ पठित धारा 149, 177, 178 और 135 में निर्धारित किए गए हैं और इनका उद्देश्य कंपनियों में कॉरपोरेट शासन मानकों में सुधार करना है। स्वतंत्र निदेशकों के कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ बोर्ड और इसकी समितियों के निर्णय लेने की प्रक्रिया में स्वतंत्र फैसला और मूल्य संवर्धन; बोर्ड या प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करना; अल्प शेयरधारकों आदि सहित सभी हितबद्धों के हितों की रक्षा करना आदि शामिल हैं। किसी कंपनी के निदेशक-बोर्ड के निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं और सभी निदेशक कंपनी की कार्य-प्रणाली के संबंध में लिए गए निर्णयों के लिए उत्तरदायी होते हैं।

(ii) चूंकि स्वतंत्र निदेशक कंपनियों की प्रतिदिन की कार्य प्रणाली में शामिल नहीं होते हैं, इसलिए अधिनियम की धारा 149(12) में प्रावधान है कि कोई स्वतंत्र निदेशक किसी कंपनी द्वारा किए गए ऐसे कार्यों के लिए ही उत्तरदायी ठहराया जाएगा जो कार्य बोर्ड कार्रवाई के माध्यम से से उसके संज्ञान में किए गए, और उसकी सहमति या मिली भगत से किए गए या जहां उसके सावधानी से कार्य नहीं किया हो।

(iii) अधिनियम की धारा 134(3)(4) के प्रावधानों के अनुसरण में, सूचीबद्ध और अपेक्षाकृत बड़ी असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियों के लिए अपनी बोर्ड की रिपोर्ट में वह रीति दर्शाते हुए एक विवरण प्रकट करना अपेक्षित है जिससे बोर्ड द्वारा अपनी स्वयं की और उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्य-निष्पादन का औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन किया गया है। सरकारी कंपनियों के मामले में, ये प्रावधान केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग, जो कंपनी का प्रशासनिक प्रभारी है, या राज्य सरकार की अपनी स्वयं की कार्यपद्धति, जैसा कि मामला हो, द्वारा निदेशकों का मूल्यांकन किए जाने के मामले में लागू नहीं होते हैं।

(iv) लोक उद्यम विभाग, भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा यह बताया गया है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) के किसी भी स्वतंत्र निदेशक को कंपनी अधिनियम के तहत कर्तव्यों की उपेक्षा करने के लिए दंडित नहीं किया गया है।

[हिंदी]

राज्यों को वित्तीय सहायता

*404. **श्री विष्णु दयाल राम**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आम लोगों को सुविधाएं एवं सहायता उपलब्ध कराने के लिए बनी विभिनन कल्याण योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता का पूर्ण लाभ अपेक्षित लाभार्थियों तक नहीं पहुंच पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या सरकार ने संबंधित विभागों के अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा ब्याज पर राज्यों को दी गई राशि के उपयोग की निगरानी के लिए कोई व्यवस्था की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) देश के आम लोगों को सुविधाएं और सहायता प्रदान करने के लिए बनी विभिन्न कल्याण स्कीमों के तहत संघ सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता के लाभ अभीष्ट लाभार्थियों तक पहुंच रहे हैं। केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों और केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार बजट प्रक्रिया के माध्यम से किए गए आबंटन के अनुसार, राज्यों को वित्त आयोग अंतरण, केन्द्र प्रायोजित स्कीमों, केन्द्रीय क्षेत्र की सकीमों और अन्य सहायता अनुदानों के तहत धनराशि प्रदान करती है।

संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा विभिन्न कल्याण स्कीमों के तहत राज्यों को धनराशि का आबंटन, स्कीमों के अनुमोदित दिशानिर्देशों के आधार पर किया जाता है। राज्यों को जारी की गई धनराशि, सामान्य वित्तीय नियमों और सकल बजट सहायता के अंदर केन्द्र सरकार के पास धनराशि की उपलब्धता के अनुसार शासित की जाती है। वित्त मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय स्तर पर मंत्रालय/विभाग-वार ब्यौरा नहीं रखा जाता। इसके अतिरिक्त, अभीष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त सार्वजनिक धनराशि के प्रत्येक खर्च की स्वतंत्र लेखापरीक्षा की उपयुक्त व्यवस्था विद्यमान है। इसके अलावा, महालेखानियंत्रक द्वारा राज्य व्यय की लेखापरीक्षा की जाती है और लेखापरीक्षा रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

इसके साथ-साथ, लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली में भारत सरकार की सभी कल्याण स्कीमों के तहत जारी की गई धनराशि पर नजर रखने और कार्यक्रम कार्यान्वयन के सभी स्तरों पर कोषागार और बैंक इंटरफेस के माध्यम से व्यय की तत्क्षण रिपोर्टिंग के लिए एक ऑनलाइन वित्तीय प्रबंधन सूचना और निर्णय सहायता प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

विवरण

प्रमुख योजनाओं पर परिव्यय

(रु. करोड़ में)

		2016-2017 वास्तविक	2017-2018 बजट अनुमान	2017-2018 संशोधित अनुमान	2018-2019 बजट अनुमान
1	2	3	4	5	6
(क)	**अति महत्वपूर्ण स्कीमें**				
1.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	8854	9500	8745	9975
2.	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम	48215	48000	55000	55000
3.	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु अंब्रेला स्कीम	4863	5114	5114	5183
4.	अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु अंब्रेला स्कीम	3319	3490	3512	3808
5.	अल्पसंख्यकों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम	2790	4072	4075	4580
6.	अन्य कमजोर समूहों के विकास हेतु अंब्रेला कार्यक्रम	1507	1580	1630	2287
(ख)	**महत्वपूर्ण स्कीमें**				
7.	हरित क्रांति	10105	13741	11185	13909
8.	श्वेत क्रांति	1309	1634	1633	2220
9.	नीली क्रांति	388	401	302	643
10.	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	5134	7377	7392	9429
11.	प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना	17923	19000	16900	19000
12.	प्रधानमंत्री आवास योजना	20952	29043	29043	27505
13.	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन	5980	6050	7050	7000
14.	स्वच्छ भारत अभियान	12619	16248	19248	17843
15.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	22870	27131	31292	30634
16.	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन	27616	29556	29556	32613

1	2	3	4	5	6
17.	विद्यालयों में मध्याह्न भोजन का राष्ट्रीय कार्यक्रम	9475	10000	10000	10500
18.	अंब्रेला एकीकृत बाल विकास सेवाएं	15893	20755	19963	23088
19.	महिला संरक्षण और सशक्तीकरण मिशन	793	1089	988	1366
20.	राष्ट्रीय आजीविका मिशन-आजीविका	3486	4849	4699	6060
21.	रोजगार और कौशल विकास	1817	4089	2905	5071
22.	पर्यावरण वानिकी और वन्य जीवन	795	962	975	1019
23.	शहरी पुनरूद्धार मिशन: अमृत अटल पुनरूद्धार और शहरी परिवर्तन स्मार्ट सिटी मिशन	9277	9000	8999	12169
24.	पुलिस बलों का आधुनिकीकरण	2230	2022	2577	3157
25.	न्यायपालिका हेतु अवसंरचना सुविधाएं	542	629	629	630
26.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	1015	1100	1100	771
27.	श्यामा प्रसाद मुर्खी रूरबन मिशन	599	1000	600	1200
28.	राष्ट्रीय स्वच्छता बीमा योजना	1380	1000	471	2000
	प्रमुख केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें				
29.	फसल बीमा योजना	11052	9000	10698	13000
30.	किसानों को अल्पावधिक ऋण हेतु ब्याज आर्थिक सहायता	13397	15000	14750	15000
31.	फसल विज्ञान	1348	387	400	800
32.	कृषि विश्वविद्यालय और संस्थान	661	663	658	685
33.	क्षेत्रीय संयोजकता स्कीम	-	-	200	1014
34.	ब्याज समानीकरण स्कीम (वाणिज्य मंत्रालय)	1000	1100	2000	2500
35.	राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरीडोर विकास तथा कार्यान्वयन न्यास (एनआईसीडीआईटी)	500	1032	797	1097
36.	एक्जिबिशन कम कन्वेन्शन सेंटर, द्वारका	-	-	500	700
37.	पूर्वोत्तर औद्योगिक तथा निदेश संवर्धन नीति (एनईआईपीपी)	170	600	783	528
38.	पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा हिमालय क्षेत्र में स्थित राज्यों के औद्योगिक यूनिटों को केंद्रीय तथा समेकित जीएसटी की वापसी	-	-	1440	1500
39.	सेवा प्रदाताओं को दूरसंचार अवसंरचना के सृजन तथा संवर्धन के लिए प्रतिपूर्ति भारतनेट	7226	11636	7000	10000

1	2	3	4	5	6
40.	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क	3210	3000	3755	4500
41.	मूल्य स्थिरीकरण निधि	6900	3500	3500	1500
42.	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आईटी हार्डवेयर विनिर्माण का संवर्धन (एमएसआईपीएस, ईडीएफ़ तथा विनिर्माण-समूह)	50	745	485	864
43.	डिजिटल भुगतान को संवर्धन	-	-	25	596
44.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेन्स एजेंसी (मुद्रा बैंक) को इक्विटी पूंजी	900	-	-	600
45.	प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना	-	-	-	1313
46.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना	1953	3975	3175	3825
47.	राष्ट्रीय एड्स और एसटीडी नियंत्रण कार्यक्रम	1749	2000	2163	2100
48.	सीमा अवसंरचना तथा प्रबंधन	1614	2600	2040	1750
49.	पुलिस अवसंरचना	2904	4447	4490	4750
50.	सूक्ष्म परियोजनाएं तथा एमआरटीएस	15327	18000	18000	15000
51.	राष्ट्रीय पूंजी क्षेत्र परिवहन निगम	-	-	-	659
52.	उच्च शिक्षा वित्त पोषण एजेंसी (एचईएफए)	-	250	250	2750
53.	कर्मचारी पेंशन योजना, 1195	4025	4771	5111	4900
54.	अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं को शिक्षा	-	687	661	860
55.	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतियोगिता कार्यक्रम (एनएमसीपी)	319	506	461	1006
56.	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1113	1024	1195	1801
57.	ऋण सहायता कार्यक्रम	716	3002	2802	700
58.	पवन विद्युत-ग्रिड इंटरऐक्टिव नवीकरणीय विद्युत	489	400	750	750
59.	सौर विद्युत-ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणी विद्युत	1992	2661	1117	2045
60.	हरित ऊर्जा कॉरिडोर ग्रिड इंटरेक्टिव नवीकरणीय विद्युत	200	500	500	600
61.	सौर विद्युत ऑफ ग्रिड/संवितरित और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय विद्युत	549	700	985	849
62.	क्षमता निर्माण-पंचायत सशक्तिकरण अभियान/राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	593	692	638	721
63.	निर्धन परिवारों को एलपीजी कनेक्शन	2500	2500	2252	3200

1	2	3	4	5	6
64.	फूलपुर धमरा हल्दिया पाइपलाइन परियोजना	450	1200	400	1674
65.	राष्ट्रीय भूकंप संबंधी कार्यक्रम	-	-	10	1300
66.	दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना	2966	4814	5400	3800
67.	सहज बिजली हर घर योजना (ग्रामीण) सौभाग्य	-	-	1550	2750
68.	एकीकृत विद्युत विकास योजना	4366	5821	4372	4935
69.	विद्युत क्षेत्र विकास निधि सहित विद्युत प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण	1331	1517	1767	1311
70.	सड़क निर्माण कार्यो सहित भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	51963	64483	60671	70544
71.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थागत और मानद क्षमता निर्माण	932	1073	1008	1109
72.	न्वोन्मेष, प्रौद्योगिकी विकास और तैनाती	550	652	670	720
73.	जैव-प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास	1013	1251	1252	1350
74.	सागरमाला	406	600	480	600
75.	संसद सदस्य, स्थायी क्षेत्र विकास स्कीम (एमपीएलएडी)	3500	3950	3950	3950
76.	संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम	2622	2013	1958	2300
77.	मूल्य समर्थन स्कीम के अंतर्गत कपास निगम द्वारा कपास की खरीद	610	-	303	924
78.	केंद्रीय रेशम बोर्ड	497	565	600	501
79.	राजयों की लेवियों का विप्रेषण	400	1555	1855	2164
80.	विशिष्ट स्थानों के आसपास पर्यटक सर्किटों का एकीकृत विकास (स्वदेश दर्शन) एवं प्रसाद	1069	1060	1050	1250
81.	राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	-	250	723	770
82.	राष्ट्रीय गंगा योजना और घाट निर्माण	1675	2300	2300	2300
83.	खेलो इंडिया	118	350	350	520

स्रोत: केंद्रीय बजट 2018-19

[हिंदी]

औषधीय पौधों का सर्वेक्षण

*405. **श्री रामस्वरूप शर्मा:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कोई सर्वेक्षण कराया है ताकि राज्य में औषधीय पौधों की उपलब्धता का पता लगाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण (बी.एस.आई.), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक संगठन है जो देश में पादप विविधता का सर्वेक्षण करने; राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राज्यीय एवं पारिस्थितिकी स्तर पर इससे संबद्ध पारंपरिक ज्ञान सहित इसका प्रलेखन करने और देश के विभिन्न भागों में इसके संरक्षण के लिए अधिदेशित है। बी.एस.आई. देश के सभी पादप संसाधनों का सर्वेक्षण एवं प्रलेखन कर रहा है जिसमें औषधीय/सुगन्धित पादप तथा जड़ी बूटियां भी शामिल हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि देश में औषधीय जड़ी-बूटियों और औषधीय पादपों की 8000 से ज्यादा प्रजातियां पायी जाती हैं। बी.एस.आई. सूचना के अनुसार औषधीय पादपों की लगभग 1500 प्रजातियां पश्चिमी हिमालय में पाई जाती हैं जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है।

हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के आयुर्वेद विभाग ने भारतीय चिकित्सा पद्धति अनुसंधान संस्थान, जोगिंदर नगर, जिला मंडी के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के विभिन्न ऊंचाई वाले अलग-अलग कृषि-जलवायु क्षेत्रों में औषधीय पादपों का सर्वेक्षण करके माल सूची तैयार की है। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को नियंत्रित करते हुए प्रत्येक कृषि-जलवायु क्षेत्र में औषधीय पादपों की दर्ज की गई प्रजातियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों को नियंत्रित करते हुए प्रत्येक कृषि जलवायु क्षेत्र में दर्ज की गई औषधीय पादप प्रजातियों की संख्या

क्रम संख्या	क्षेत्र का नाम	जिले	उपलब्ध प्रजातियों की संख्या
1.	पर्वत श्रृंखला, नीची पहाड़ियों एवं उष्ण कटिबंधीय उपक्षेत्र (700 मीटर एमएसएल से नीचे)	ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, कांगड़ा, सोलन एवं मंडी के भाग	158
2.	मध्यम पहाड़ियों-आर्द्र उपक्षेत्र (लगभग 700 से 1800 मीटर एमएसएल के बीच)	कांगड़ा जिले की पालमपुर एवं कांगड़ा तहसील, शिमला जिले की रामपुर तहसील, मंडी, सोलन, कुल्लू, चम्बा और सिरमौर के भाग	48
3.	उच्च पहाड़ियों शीतोष्ण नम क्षेत्र (लगभग 1800 से 2500 मीटर एमएसएल के बीच)	शिमला जिला (रामपुर एवं सुन्नी तहसील के भागों के अलावा) कुल्लू, सोलन, चम्बा, मंडी, कांगड़ा एवं सिरमौर के भाग	58
4.	शीतोष्ण शुष्क क्षेत्र की उच्च पहाड़ियां (2500 मीटर एमएसएल से ऊपर)	कुल्लू, कांगड़ा, शिमला जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्र एवं किन्नौर एवं लाहौल स्पिथी के सब-अलपाईन से अलपाईन श्रृंखला	21

[अनुवाद]

टीकों का उत्पादन

*406. **कुमारी शोभा कारन्दलाजे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का टीकों की अबाधित आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा टीकों का उत्पादन बढाने के लिए कदम उठाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में आवश्यक टीके की आवश्यकता का 90 प्रतिशत से अधिक की आपूर्ति निजी क्षेत्र द्वारा की जाती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रमों द्वारा भी इनका उत्पादन किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश का सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम मुख्यत: निजी क्षेत्र पर आश्रित है और वर्ष 2014-15 और 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का हिस्सा बहुत ही कम या शून्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) निजी टीका विनिर्माण यूनिटों पर निर्भरता को कम करने के लिए सावजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सुविधाओं के उन्नयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री जगत प्रकाश नड्डा): (क) से (घ) जी, हां। भारत सरकार ने वार्षिक संस्थापित क्षमता बढ़ाने के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की निम्नलिखित टीका विनिर्माण इकाइयों की परियोजनाओं के उन्नयन को अनुमोदित किया है:-

क्र.सं.	संस्थान का नाम	उत्पादित किए जाने वाले टीके
(i)	केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान, कसौली	डिफ्थेरिया पर्टुसिस टेटनस (डीपीटी)
		डिफ्थेरिया टेटनस (डीसी)
		टेटनस टॉक्सॉयड (टीटी)
(ii)	बीसीजी वीएल, गिन्डी	बैसीलस कॉल्मेट ग्वेरिन (बीसीजी)
(iii)	भारतीय पाश्चर संस्थान, कुन्नूर	डिफ्थेरिया पर्टुसिस टेटनस (डीपीटी)
		डिफ्थेरिया टेटनस (डीटी)
		टेटनस टॉक्सॉयड (टीटी)

सी.आर.आई., कसौली के उन्नयन के बाद कार्य कना पहले से ही शुरू कर दिया है। बी.सी.जी. वी.एल. गिन्डी ने भी बी.सी.जी. टीके के कंसिस्टेंसी बैचों को उत्पादित किया है तथा इनकी गुणवत्ता जांच केन्द्रीय औषध प्रयोगशाला, कसौली में की जा रही है। जांच पोटोकॉल पूरा करने के बाद, बी.सी.जी. वी.एल. गिन्डी अगस्त, 2018 से प्रति माह बी.सी.जी. टीके की 45-50 लाख खुराकों की आपूर्ति करेगा। भारतीय पाश्चर संस्थान की उन्नयन परियोजना करीब-करीब पूरी हो चुकी है तथा ट्रायल बैचों का उत्पादन अगस्त, 2018 से शुरू हो जाएगा।

सरकार पी.एस.यू. द्वारा उत्पादित किए जाने वाले टीकों हेतु केवल निजी क्षेत्र पर ही निर्भर नहीं है। तथापि, व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) के तहत शेष टीकों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता निजी क्षेत्र द्वारा पूरी की जाती है। प्रतिरक्षण कार्यक्रम में पेंटावेलेंट टीके को शामिल करने से डी.पी.टी. टीके की आवश्यकता में भारी कमी आई है। वर्ष 2014-15 व 2015-16 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र टीका विनिर्माण संस्थानों द्वारा विनिर्मित टीकों के उत्पादन व आपूर्ति की स्थिति निम्न प्रकार से है:-

उत्पाद का नाम	2014-15		2015-16	
	उत्पादन	आपूर्ति	उत्पादन	आपूर्ति
डीपीटी (खुराकें)	64.91 लाख	17.52 लाख	52.86 लाख	66.00 लाख
टीटी (खुराकें)	46.68 लाख	34.50 लाख	76.98 लाख	42.00 लाख

इसके अलावा, सरकार ने 594 करोड़ रु. की लागत से एच.एल.एल. लाइफ केयर लि. की सहयोगी के रूप में 'टीग्रेटेड वैक्सीन कॉम्पलेक्स (आई.वी.सी.) नामक राष्ट्रीय महत्ता की परियोजना की स्थापना के लिए अनुमोदन दिया है। परियोजना की समाप्ति पर, आई.वी.सी. पेंटावेलेंट टीका बी.सी.जी. खसरा, हेपेटाइटिस बी मानव रैबीज व जापानी इंसेफेलाइटिस टीकों का उत्पादन करेगा। नीतिगत निर्णय के अनुसार, पेंटावेलेंट टीके के उत्पादन हेतु आई.वी.सी. को डी.पी.टी. घटकों के थोक उत्पादन की 75 प्रतिशत आपूर्ति सी.आर.आई., कसौली व पी.आई.आई., कुन्नूर करेगा। प्राचलन होने के बाद, इसके लिए अभिज्ञात टीकों की आवश्यकता के प्रमुख भाग की आपूर्ति आई.वी.सी., चेंगलपट्टु करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के टीका विनिर्माण संस्थानों की संपूर्ण क्षमता उपयोग करने के बाद निजी विनिर्माण इकाइयों पर निर्भरता में भारी कमी आएगी।

[हिंदी]

सरकारी अस्पतालों का कार्यकरण

*407. **श्री शरद त्रिपाठी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सकरार ने देश में सरकारी अस्पतालों के कार्यकरण के आकलन के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी के कारण उपचार में रोगियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) भारत सरकार ने देश में सरकारी अस्पतालों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए कोई विशिष्ट सर्वेक्षण नहीं करवाया है। तथापि, अस्पतालों का कामकाज का मूल्यांकन करना एक नियमित सतत् प्रक्रिया है और पर्यवेक्षी प्राधिकारी नियमित रूप से इनके कामकाज की मॉनीटरिंग करते हैं।

(ग) डॉक्टरों की कमी की वजह से अस्पताल के विभिन्न विभागों में रोगी की प्रतीक्षा-सूची के संबंध में रोगियों से मंत्रालय में विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिलती हैं। ऐसी शिकायतों को केन्द्र और राज्य सरकार, दोनों स्तरों पर संबद्ध प्राधिकारियों को भेजा जाता है, ताकि शिकायतों का निपटान किया जा सके।

(घ) केन्द्र सरकार के अस्पतालों और संस्थानों में उपचार के लिए आने वाले रोगियों की संख्या बिस्तरों की संख्या, कार्मिक शक्ति की संख्या और डॉक्टरों एवं अन्य संसाधनों के संदर्भ में उनकी निपटान क्षमता की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। इन अस्पतालों और संस्थानों में व्यापक अवसंरचना और अन्य सेवाओं की उपलब्धता होने के बावजूद अवसंरचना और डॉक्टरों सहित उपलब्ध कार्मिक शक्ति पर दिनों-दिन बढ़ते हुए बोझ की वजह से कतिपय प्रक्रियाओं के लिए प्रतीक्षा अवधि है, जो इन अस्पतालों के विभाग-दर-विभाग भिन्न-भिन्न है। अत: विभिन्न विभाग रोगियों की स्थिति, अपेक्षित उपचार की तात्कालिकता और किसी दिवस विशेष को उपलब्ध बिस्तरों पर विचार करके दाखिले की आवश्यकता वाले रोगियों की अपनी खुद की प्रतीक्षा-सूची बनाते हैं। तथापि, बहिरंग रोगी विभाग (ओ.पी.डी.) में पंजीकृत सभी रोगियों को उस दिवस विशेष को डॉक्टरों द्वारा उपचार प्रदान किया जाता है।

(ङ) रोगियों के प्रभावी शिकायत निपटान के लिए प्रत्येक अस्पताल में एक शिकायत निवारण अधिकारी नामोद्दिष्ट है। इसके अतिरिक्त, रोगी और उनके संबंधियों से शिकायते लेने के लिए अस्पतालों की विशेष जगहों पर अनेक शिकायत पेटिकाएं लगाई गई हैं।

डॉक्टरों के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमानित रिक्तियों के आधार पर प्रतिवर्ष संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के जी.डी.एम.ओ. उप संवर्ग के चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा आयोजित की जाती हैं। केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के विशेषज्ञ संवर्ग के रिक्त पदों को भरने के लिए मांग सूची संघ लोक सेवा आयोग (यू.पी.एस.सी.) को भी भेजी जाती है। यू.पी.एस.सी. की सिफारिश के लंबित रहने तक संबंधित यूनिटों को पद पर अभ्यर्थी द्वारा नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण करने तक जनहित में कामचलाऊ व्यवस्था के रूप में रिक्त पदों पर संविदात्मक नियुक्तियां करने की अनुमति दी जाती है।

चूंकि 'स्वास्थ्य' राज्य का विषय है, अत: लोगों को पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रयास करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। केन्द्र सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आदि जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों के जरिए राज्य सरकार को सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों में मदद करती है।

राज्य सरकारी स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा केन्द्रों में अपेक्षित चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए अपने स्वयं के उपाय करती है और कार्यविधि कार्यान्वित करती है।

वन अपराधों पर नियंत्रण/रोक

*408. **श्री उदय प्रताप सिंह**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में वन अपराधों पर नियंत्रण/बचाव से संबंधित मौजूदा कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव है ताकि उन्हें और सख्त बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान घटित वन अपराधों के बारे में आकलन/समीक्षा कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान तथा पर्यावरण मंत्री, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) और (ख) देश में वनों के प्रबंधन तथा वन अपराधों पर नियंत्रण/रोक का दायित्व मुख्य रूप से संबंधित राज्य/संघ राजय क्षेत्र सरकारों का है। देश में वन अपराधों पर नियंत्रण/रोक के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927 और विभिन्न राज्य वन अधिनियमों को लागू किया

जा रहा है। देश में वन अपराधों पर नियंत्रण/रोक के लिए मंत्रालय और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यकतानुसार संबंधित अधिनियमों में संशोधन किए जाते हैं।

(ग) से (ङ) वन अपराधों का आकलन/समीक्षा करने का कार्य तथा दायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है और इस मंत्रालय में इस मामले के संबंध में किन्हीं आंकड़ों/सूचनाओं का रखरखाव नहीं किया जाता है क्योंकि यह विषय राज्यों द्वारा देखा जाता है।

गरीब रोगियों का उपचार

*409. **श्री लखन लाल साहू:**

डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी अस्पतालों में गरीब रोगियों को नि:शुल्क या रियायती दरों पर चिकित्सीय उपचार सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को ऐसे रोगियों को नि:शुल्क/रियायती उपचार सुविधा देने से इन्कार किए जाने के बारे में विभिन्न निजी अस्पतालों के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं ओर यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार के संज्ञान में लाए गए ऐसे मामलों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है तथा उक्त अवधि के दौरान उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि निजी अस्पतालों द्वारा गरीब तथा गंभीर रोगियों को चिकित्सा उपचार सुविधा उपलबध कराई जाए, कोई नया प्रभावी कानून तैयार किया है।लाईहै/लाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते केंद्र सरकार द्वारा ऐसे कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किए जाते हैं। तथापि, जहां तक केंद्र सरकार के अस्पतालों का संबंध है, सभी रोगियों को नि:शुल्क/रियायती उपचार प्रदान किया जाता है।

(ग) से (ङ) उपचार के संबंध में रोगियों से प्राप्त शिकायतों को संबद्ध राज्यों में संबद्ध प्राधिकारियों को समय-समय पर तत्काल भेजा जाता है ताकि शिकायतों का निवारण किया जा सके। मंत्रालय में ऐसी रजिस्ट्री का रख-रखाव नहीं किया जाता है।

तथापि, भारत सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठानों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं और सुविधाओं के न्यूनतम मानदंड निर्धारित करने की दृष्टि से नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन के लिए नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियम) अधिनियम, 2010 पारित किया है। यह अधिनियम फिलहाल 11 राज्यों और दिल्ली को छोड़कर सभी संघ राज्य खेत्रों में ही लागू है और इसका प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के दायरे में आता है। उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत तैयार किए गए नैदानिक प्रतिष्ठान (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के अंतर्गत नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और इन्हें जारी रखने के लिए शर्तों में से एक शर्त (उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में, जहां नैदानिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 लागू है) यह है कि नैदानिक प्रतिष्ठान केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित और जारी मानक उपचारात्मक दिशा-निर्देशों (एस.टी.जी.) का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त नियमों के अनुसार नैदानिक प्रतिष्ठानों (जहां उपर्युक्त अधिनियम लागू है) को उनके द्वारा प्रदान की जा रही प्रत्येक प्रकार की सेवाओं और उपलब्ध सुविधाओं के लिए दरों को अंग्रेजी और स्थानीय भाषा दोनों में किसी स्पष्ट स्थान पर प्रदर्शित किया जाना अपेक्षित है और संबद्ध राज्य सरकारों से समय-समय पर परामर्श करके निर्धारित विविध दरों के भीतर प्रत्येक प्रकार की प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए शुल्क वसूलना अपेक्षित है। अधिनियम के अंतर्गत यथा-उपबंधित राष्ट्रीय नैदानिक प्रतिष्ठान परिषद ने चिकित्सीय प्रक्रियाओं की मानक सूची और चिकित्सीय प्रक्रियाओं की लागत के लिए मानक टेम्प्लेट अनुमोदित किया है तथा इसे उपयुक्त कार्रवाई हेतु राज्यों के साथ साझा किया गया है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के नाते निजी अस्पतालों को अनिवार्य अनुदेश जारी करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए बजट आबंटन

*410. **डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत चार वर्षों के दौरान सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए किए गए बजट आबंटन का ब्यौरा क्या है तथा उस राशि का कितना उपयोग में लाया गया;

(ख) शिशु मृत्यु दर की वर्तमान स्थिति तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में विश्व परिदृश्य की तुलना में स्वास्थ्य क्षेत्र के खराब कार्य-निष्पादन को देखते हुए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) विगत 4 वर्षों के दौरान बजट आबंटन और उपयोग का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग		
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
2013-14	35063.00	29047.09	28618.47
2014-15	36948.00	30342.00	31914.00
2015-16	31050.00	32819.00	33121.41
2016-17	37061.55	38343.33	36493.50

(ख) नवजात मृत्यु दर की राज्य-वार मौजूदा स्थिति और ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। इसके अतिरिक्त भारत के महापंजीयक की रिपोर्ट - नमूना पंजीकृत प्रणाली, 2016 (एस.आर.एस., 2016) के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 34 है।

(ग) बाल मृत्यु दर की रोकथाम के लिए एन.एच.एम. के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप किए जाते हैं। इन कार्यकलापों में जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के अंतर्गत नकद प्रोत्साहन राशि के जरिए संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देना, जननी शिशु सुरक्षा योजना कार्यक्रम (जे.एस.एस.के.) के अंतर्गत पात्रताएं, सम्मानपूर्ण मातृ परिचर्या सुनिश्चित करने हेतु प्रसव कक्षों का पुनर्गठन करने तथा प्रसव कक्ष में गुणवत्तायुक्त मानक नैदानिक प्रोटोकॉल का अनुपालन करने में समर्थ बनाने हेतु उच्च रोगी भार वाले सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लक्ष्य पहल, सभी प्रसव स्थलों पर अनिवार्य नवजात परिचर्या सुनिश्चित करना, रुग्ण और छोटे बच्चों की परिचर्या के लिए विशेष नवजात परिचर्या एककों (एस.एन.सी.यू.), नवजात स्थितिकरण एककों (एन.बी.एस.यू.) और कंगारू मातृ परिचर्या (के.एम.सी.) की स्थापना करना, बच्चों के लालन-पालन में परिपाटियों में उन्नयन हेतु आशाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली गृह आधारित नवजात परिचर्या (एच.बी.एन.सी.), बच्चे के जन्म के पहले छह माह के दौरान तथा जन्म की शुरुआत से ही अनन्य रूप से स्तनपान करवाने को बढ़ावा देने हेतु मां का संपूर्ण उलार कार्यक्रम (मां), संवेदनशील आयु समूहों में रक्ताल्पता की रोकथाम के लिए आयरन और फोलिक एसिड संपूर्ण आहार तथा बच्चों में अतिसार के उपचार के लिए ओ.आर.एस. एवं जिंक के प्रयोग को बढ़ावा देना शामिल है।

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) को क्षय रोग, डिप्थीरिया, काली खांसी, पोलियो, टिटनेस, हेप्पाटाइटिस बी और खसरे जैसे अनेक जीवन घातक रोगों के प्रति बच्चों को वैक्सीनेशन देने हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। पूरे देश में पेंटावेलेंट वैक्सीन शुरू की गई है और "मिशन इंद्रधनुष" शुरू किया गया है ताकि उन बच्चों को पूर्ण रूप से प्रतिरक्षित किया जा सके जिन्हें या तो टीका नहीं लगा है या आंशिक रूप से टीका लगा है; जिन्हें विभिन्न कारणों से नेमी प्रतिरक्षण के दौरान कवर नहीं किया गया है। वर्ष 2020 तक खसरे के उन्मूलन के लक्ष्य के साथ 9 माह से 15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए चुनिंदा राज्यों में खसरा-रूबेला अभियान चलाया जा रहा है।

इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है जिसमें विकारों, रोगों, विकृतियों और विकास मूलक विलंबों के लिए नि:शुल्क शल्य चिकित्सा सहित बच्चों की स्वास्थ्य की जांच की जाती है और शुरुआती कार्यकलाप संबंधी सेवाएं प्रदान की जाती हैं ताकि उत्तरजीविता की गुणवत्ता में उन्नयन लाया जा सके और परिवारों द्वारा जेब से किए जाने वाले व्यय को कम किया जा सके।

विवरण

शिशु मृत्यु दर की स्थिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5
भारत	40	39	37	34
बिहार	42	42	42	38
छत्तीसगढ़	46	43	41	39
हिमाचल प्रदेश	35	32	28	25
जम्मू और कश्मीर	37	34	26	24
झारखंड	37	34	32	29

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	54	52	50	47
ओडिशा	51	49	46	44
राजस्थान	47.	46	43	41
उत्तर प्रदेश	50	48	46	43
उत्तराखंड	32	33	34	38
अरुणाचल प्रदेश	32	30	30	36
असम	54	49	47	44
मणिपुर	10	11	9	11
मेघालय	47	46	42	39
मिजोरम	35	32	32	27
नागालैंड	18	14	12	12
सिक्किम	22	19	18	16
त्रिपुरा	26	21	20	24
आंध्र प्रदेश	39	39	37	34
गोवा	9	10	9	8
गुजरात	36	35	33	30
हरियाणा	41	36	36	33
कर्नाटक	31	29	28	24
केरल	12	12	12	10
महाराष्ट्र	24	22	21	19
पंजाब	26	24	23	21
तमिलनाडु	21	20	19	17
तेलंगाना		35	34	31
पश्चिम बंगाल	31	28	26	25
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	22	20	16
चंडीगढ़	21	23	21	14
दादरा और नगर हवेली	31	26	21	17
दमन और दीव	20	18	18	19
दिल्ली	24	20	18	18
लक्षद्वीप	24	20	20	19
पुडुचेरी	17	14	11	10

[अनुवाद]

भारत अवसंरचना वित्त निगम लिमिटेड

*411. **श्री कलिकेश एन. सिंह देव:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य अवसंरचना में निवेशों सहित प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत अवसंरचना वित्त निगम का अधिकतम उपयोग करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वित्तपोषण के उन तरीकों का ब्यौरा क्या है जिनके माध्यम से सरकार का प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं को वित्तपोषण करने का प्रस्ताव है?

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) और (ख) आई.आई.एफ.सी.एल. की स्थापना, अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए की गई है। व्यवहार्य अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की वित्तपोषण योजना (एस.आई.एफ.टी.आई.) के अनुसार, आई.आई.एफ.सी.एल. समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित अवसंरचना उप-क्षेत्र की केवल सुमेलित मास्टर सूची के अनुसार, इन क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए ऋण दे सकता है। शिक्षण संस्थाएं (शेयर पूंजी) तथा अस्पताल (शेयर पूंजी) जैसी सामाजिक तथा वाणिज्यिक अवसंरचनाओं को इस सूची में शामिल किया गया है। आई.आई.एफ.सी.एल. एस.आई.एफ.टी.आई. के दिशानिर्देशों तथा अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार, वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य परियोजनाओं का वित्तपोषण करता है।

(ग) सरकार के अवसंरचनात्मक परियोजनाओं का वित्तपोषण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से निधियां एकत्र करने हेतु कई कदम उठाए हैं, इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नवोन्मेषी वित्तीय साधन जैसे अवसंरचना ऋण निधि आरंभ करना, अवसंरचना निवेश न्यास/रियल एस्टेट निवेश न्यास, नगरपालिका बाण्ड जारी करने की रूपरेखा निर्धारित करना, बाह्य वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) मानदण्ड में छूट, पूरे अवसंरचना क्षेत्रों में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) को मुख्य धारा में लाना, अवसंरचना उप-क्षेत्र की सुमेलित मास्टर सूची की आवधिक समीक्षा, राष्ट्रीय निवेश तथा अवसंरचना निधि (एन.आई.आई.एफ.) की स्थापना, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ई.पी.एफ.ओ.) के मानदण्ड में छूट/अवसंरचना क्षेत्र के लिए पेंशन निधि, वित्तपोषण प्राप्त करना आदि शामिल हैं।

[हिंदी]

लघु वित्त बैंक

*412. **श्री अरविंद सावंत:**

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु वित्त बैंकों को अपना कार्य शुरू करने की अनुमति दे दी है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त बैंकों को सूक्ष्म वित्तपोषण का दर्जा प्रदान करने के लिए तय नार्म्स/मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या लघु वित्त बैंक, अन्य बैंकों की तुलना में उच्च ब्याज दर देकर ज्यादा बचत जमा को आकर्षित करने के लिए कोई आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) से (घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22(1) के अंतर्गत जिन 10 लघु वित्त बैंकों (एस.एफ.बी.) को बैंकिंग लाइसेंस जारी किए गए हैं, उनमें से 9 बैंकों ने अपना परिचालन आरंभ कर लिया है।

आर.बी.आई. की सूचना के अनुसार, एस.एफ.बी. के दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था भी की गई है कि (i) पात्र प्रवर्तक अपने द्वारा नियंत्रित कंपनी सहित बैंकिंग तथा वित्त क्षेत्र में 10 वर्ष का अनुभव रखने वाले निवासी भारतीय/पेशेवर हो सकते हैं; (ii) एस.एफ.बी. आरंभ में असेवित तथा अल्प सेवित वर्गों को जमा स्वीकार करने तथा उधार देने का मूल बैंकिंग कार्यकलाप करेंगे; (iii) एस.एफ.बी. की न्यूनतम प्रदत्त इक्विटी पूंजी 100 करोड़ रुपये होगी; और (iv) एस.एफ.बी. आरक्षित नकदी निधि अनुपात तथा सांविधिक चल निधि अनुपात सहित मौजूदा वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू सभी विवेकपूर्ण मानदण्डों तथा आर.बी.आई. के विनियमों के अध्यधीन होंगे।

एस.एफ.बी. द्वारा अन्य बैंकों की तुलना में अधिक ब्याज दर का प्रस्ताव करके अधिक जमाराशि आकर्षित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपनाने, इनके ब्यौरे तथा कारण के संबंध में आर.बी.आई. ने यह कहा है कि उन्होंने बचत बैंक खाता के संबंध में ब्याज दरों को अविनियमित कर दिया है और बैंकों को जमाराशि पर ब्याज दर के संबंध में आर.बी.आई. के मास्टर निदेश में निहित शर्तों के अध्यधीन बचत बैंक खातों पर अपनी ब्याज दरें निर्धारित करने की छूट दी गई है। इन मास्टर निदेशों के अनुसार बैंकों को जमाराशि के संबंध में ब्याज दरों पर व्यापक बोर्ड अनुमोदित नीति के अनुसार जमाराशि पर ब्याज का भुगतान करना अपेक्षित है।

[अनुवाद]

रूपे कार्ड

*413. **श्री ओम बिरला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और शहरी श्रेणियों के तहत गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा जारी किए गए रूपे कार्ड की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों द्वारा जारी किए गए और सक्रिय किए गए रूपे कार्डों की संख्या में भारी अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार माइक्रो ए.टी.एम. और प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.) पर रूपे कार्डों को सक्रिय करने या पहले से ही सक्रिय कार्डों को जारी करने के विचार को स्वीकार करने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री तथा कॉर्पोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): (क) भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एन.पी.सी.आई.) द्वारा दी गई सूचना

के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 से 2017-18 (आज की तिथि तक) की समाप्ति तक जारी किए गए रूपे कार्डों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

	वर्ष 2014-15 की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2015-16 की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2016-17 की समाप्ति तक की स्थिति के अनुसार	वर्ष 2017-18 (फरवरी, 2018 तक)
जारी किए गए रूपे कार्डों की संख्या (करोड़ में)	15.23	26.77	36.51	46.37

स्रोत: एन.पी.सी.आई.

एन.पी.सी.आई. ने सूचित किया है कि ग्रामीण/शहरी श्रेणियों के अंतर्गत जारी किए गए रूपे कार्डों से संबंधित विवरण उनके द्वारा नहीं रखा जाता है।

(ख) एन.पी.सी.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सक्रिय रूपे कार्डों की संख्या से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। यह संख्या समय के साथ परिवर्तित होती रहती है।

वित्तीय सेवाएं विभाग ने सभी बैंकों तथा एन.पी.सी.आई. के साथ अपने साप्ताहिक वीडियो कान्फ्रेंस में उनसे समयबद्ध तरीके से शेष रूपे कार्ड को परिचालित करने के लिए कहा है। बैंकों को इस प्रयोजन के लिए व्यवसाय प्रतिनिधियों (बीसी) को तैनात करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, कार्डधारकों को मोबाइल और हैण्ड होल्ड डिवाइस पर अपने कार्ड को सक्रिय करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

(ग) और (घ) सरकार माइक्रो ए.टी.एम. और प्वाइंट आफ सेल (पी.ओ.एस.) डिवाइस पर रूपे कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारकों को प्रोत्साहित कर रही है। जहां तक पहले से सक्रिय कार्ड का संबंध है, एन.पी.सी.आई. के अनुसार सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण सभी डेबिट कार्ड निष्क्रिय अवस्था/स्थिति में भेजे जाते हैं और इन्हें कार्डधारक के द्वारा सक्रिय करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, सुरक्षा चिंताओं को देखते हुए पहले से सक्रिय कार्ड जारी करना उचित नहीं है।

[अनुवाद]

फसल अवशेष प्रबंधन

*414. **श्री अभिषेक सिंह:**

श्रीमती रमा देवी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यावरण हितैषी फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों के उपयोग के लिए किसानों को प्रेरित तथा प्रशिक्षित करने के लिए उपाय किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या फसल अवशेषों को जलाने जैसे फसल अवशेष प्रबंधन के पारंपरिक तरीकों के कारण होने वाले प्रदूषण के नियंत्रण के लिए कोई नीति बनाई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसानों, विशेषकर छोटे जोत वाले किसानों के हितों की बात/विचारों को सुनने के लिए सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए निदेश दिए हैं ताकि फसल अवशेष को जलाना रोका जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा इसके क्या परिणाम रहे?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) से (ग) सरकार द्वारा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए 1151.80 करोड़ रु. के परिव्यय से 'फसल अवशेष के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनी प्रणाली के संवर्धन' के संबंध में केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना के तहत बनाई गई कार्य योजा में पर्यावरण हितैषी फसल अवशेष प्रबंधन विधियों के संबंध में किसानों को प्रेरित तथा प्रशिक्षित करने हेतु सूचना, शिक्षा और संप्रेषण (आई.ई.सी.) कार्यनीति के लिए विभिन्न स्तरों के कार्यकलापों की विस्तृत सूची तैयार की गई है। नवम्बर, 2017 में दिल्ली-एन.सी.आर. में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्यबल (एच.एल.टी.एफ.) का गठन किया गया है। एच.एल.टी.एफ. द्वारा एन.सी.आर. राज्यों में पराली जलाने पर रोक लगाने के संबंध में एक उप-समिति गठित की गई। एच.एल.टी.एफ. की उप-समिति

द्वारा पटियाला और लुधियाना में किसानों के साथ विस्तृत चर्चाएं की गईं।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एन.जी.टी.) द्वारा फसल अवशेष के जलाने पर रोक लगाने हेतु किसानों को मुआवजा देने के लिए ऐसे कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। किंतु, माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्णय के अनुसार, राज्य सरकारों द्वारा कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण (डी.ए.सी. एवं एफ.डब्ल्यू.) विभाग को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है तथा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों को पुआल एकत्र करने वाले यंत्र (स्ट्रॉ बॉलर), बीज बोने के लिए हैपी सीडर आदि जैसे उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने हेतु वित्त वर्ष 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान 206.36 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। पर्यावरण, वन और जलायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राज्यों सरकारों के साथ कई बैठकें आयोजित की गईं और पराली जलाने पर रोक लगाने हेतु सभी आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया गया। वर्ष 2016 और 2017 के दौरान पंजाब में सक्रिय अग्नि घटनाओं (ए.एफ.ई.) के आंकड़ों की तुलना करने पर स्पष्ट होता है कि 27 सितम्बर, 2016 से 15 नवम्बर, 2016 तक ए.एफ.ई. की 78772 घटनाएं हुई थीं, जबकि पिछले वर्ष उसी अवधि के दौरान ए.एफ.ई. की घटनाएं कम होकर 42337 रह गई हैं। इससे जाहिर होता है कि ए.एफ.ई. की घटनाओं में महत्वपूर्ण कमी हुई है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय संचालन समिति ने जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (एन.ए.एफ.सी.सी.) के तहत वित्त पोषण हेतु पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान राज्यों के लिए 'फसल अवशेष प्रबंधन के जरिए ग्रामीण खेत्रों में जलवायु अनुकूल निर्माण' नाम से एक क्षेत्रीय परियोजना के चरण-। को मंजूरी प्रदान की है।

बहिस्राव शोधन संयंत्र

***415. श्री अधीन रंजन चौधरी:**

श्री शिवकुमार उदासि:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या खतरनाक औद्योगिक अपशिष्टों के शोधन के लिए ऐसे संयंत्रों के पास पर्याप्त क्षमता है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ राज्य/संघ राजय क्षेत्र-वार कितनी राशि आवंटित की गई है; और

(ग) जल/वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खतरनाक बहिस्रावों के शोधन के लिए अन्य क्या कम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री, तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपशिष्ट बहिस्रावों के शोधन के लिए साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों (सी.ई.टी.पी.) की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) को नए साझा बहिस्राव सोधन संयंत्रों को स्थापित करने और मौजूदा साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों को उन्नत बनाने में मदद पहुंचाना है। गत 5 वर्षो के दौरान मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और राजस्थान राज्यों में सी.ई.टी.पी. को सहयोग प्रदान किया गया है।

(ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) के अनुसार, देश भर में औद्योगिक बहिस्राव के शोधन के लिए कुल 1474 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एम.एल.डी.) के जलीय भार वाले 193 साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र (सी.ई.टी.पी.) संचालित हैं। सी.ई.टी.पी. की राज्य/संघराज्य क्षेत्रवार सूची संलग्न विवरण-। में दी गई है। इसके अलावा खतरनाक अपशिष्ट के शोधन, भंडारण और निपटान के लिए 18 एकीकृत शोधन, भंडारण और निपटान सुविधा केन्द्र, 10 साझा दाहित्र (इंसिनरेटर) और 14 साझा सुरक्षित कचरा निपटान केन्द्र मौजूद हैं।

सरकार द्वारा औद्योगिक अपशिष्ट के शोधन के लिए केवल सी.ई.टी.पी. को निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं। उपर्युक्त सी.ई.टी.पी. योजना के तहत गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियां का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण-॥ में दिया गया है।

(ग) जल/वायु प्रदूषण को कम करने हेतु खतरनाक बहिस्रावों के शोधन के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं-(i) औद्योगिक क्षेत्रों से बहिस्राव के उत्सर्जन के लिए विनिर्दिष्ट यप से कठोर मानक तैयार करना; (ii) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1 के तहत बहिस्राव उत्सर्जन मानकों तथा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-6 के तहत पर्यावरणीय प्रदूषकों के डत्सर्जन हेतु सामान्य मानकों की अधिसूचना,

जो उन औद्योगिक क्षेत्रों पर लागू होगी जिनके पास विनिर्दिष्ट मानक नहीं हैं; (iii) विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों के लिए चाट्रर तैयार करना, जैसे-गंगा नदी बेसिन में लुगदी और कागज उद्योग में जल पुनर्चक्रण तथा प्रदूषण निवारण हेतु चार्टर और उद्योगों की 17 श्रेणियों के लिए पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कॉरपोरेट उत्तरदायित्व संबंधी चार्टर; (iv) स्वच्छतर प्रौद्योगिकियों को अपनाना; और (v) पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की धारा-5 और जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा-18 (1) (ख) के तहत उद्योगों को निदेश जारी करना जिनमें अपशिष्ट का पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित निपटान करने के निदेश शामिल हैं।

विवरण-I

साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीईटीपी की संख्या
आंध्र प्रदेश	11
गुजरात	30
हरियाणा	14
हिमाचल प्रदेश	1
जम्मू और कश्मीर	1
झारखंड	1
कर्नाटक	9
केरल	5
मध्य प्रदेश	1
महाराष्ट्र	27
दिल्ली-एनसीआर	13
पंजाब	4
राजस्थान	14
तमिलनाडु	49
उत्तर प्रदेश	8
उत्तराखंड	4
पश्चिम बंगाल	1
कुल	193

(स्रोतः सी.पी.सी.बी., 2016)

विवरण-II

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	योजना/कार्यकलाप	राज्य	जारी की गई निधि (करोड़ रुपये)			
			2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	सीईटीपी	आंध्र प्रदेश	-	-	0.20	-
2.	सीईटीपी	गुजरात	8.40	11.06	-	-
3.	सीईटीपी	पंजाब	-	-	1.50	3.50

सी.ई.टी.पी.: साझा बहिस्राव शोधन संयंत्र

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

*416. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस आयोग को कितनी तथा किस स्वरूप की शिकायतें मिलीं तथा इनमें से कितनों पर आयोग द्वारा विचार किया

गया तथा गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कितने मामले हल किए गए;

(ग) क्या अनेक मामले अभी भी आयोग के पास लम्बित पड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने/संरक्षण देने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा बच्चों को दुर्व्यवहार से बचाने में ऐसे अधिकारी किस सीमा तक सफल हुए हैं; और

(ङ) क्या आयोग बच्चो की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बच्चों के अधिकारों को संरक्षित करने में सफल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) राष्ट्रीय बालक अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) बालक अधिकार संरक्षण आयोग (सी.पी.सी.आर.) अधिनियम, 2005 के तहत मार्च, 2007 में गठित किया गया।

(ख) और (ग) प्रभार ग्रहण करने के बाद वर्तमान आयोग ने पाया कि 3000 से अधिक शिकायतें लंबित हैं। सभी पुराने लंबित शिकायतों की समीक्षा के लिए तथा उनके प्रभावी निवारण हेतु नई शिकायतें दर्ज करने के लिए 15 दिसंबर, 2015 को एक विशेष अभियान शुरू किया गया। 15 दिसंबर, 2015 को लंबित 3187 पुरानी शिकायतों तथा 15 दिसंबर, 2015 से 31 दिसंबर, 2017 के दौरान प्राप्त 3892 नई शिकायतों (कुल 7079) में से 5432 शिकायतों का निस्तारण 31.12.2017 तक सजग जांच के बाद किया गया है। इसके अलावा बाल यौन दुरुपयोग से संबंधित शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने की एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में अगस्त, 2016 में पोक्सो ई-बॉक्स शुरू किया गया। शुरुआत से लेकर 16.03.2018 तक इस सुविधा पर कुल 1516 हिट्स प्राप्त हुए हैं। उपयुक्त कार्रवाई हेतु पोक्सो शिकायत के रूप में इन मामलों को प्रोसेस किया गया है।

(घ) एन.सी.पी.सी.आर. को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 तथा यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के कार्यान्वयन की निगरानी करने का कार्य सौंपा गया है। एन.सी.पी.सी.आर. ने जुलाई/अगस्त, 2016 में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एन.सी.पी.सी.आर. को समर्थ बनाने तथा एन.सी.पी.सी.आर. को मासिक रिपोर्ट भेजने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में वरिष्ठ अधिकारियों को नामित करने का अनुरोध किया था।

(ङ) इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श, कार्यशाला एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से पोक्सो अधिनियम, 2012 और जेजे अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के बारे में जागरूकता पैदा करने हेतु आयोग द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए।

बेघर बच्चों का सर्वेक्षण

***417. श्रीमती सजदा अहमद:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूरे देश में बेघर बच्चों के संबंध में कोई सर्वेक्षण/जनगणना कराई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बेघर बच्चों के लिए बजटीय आवंटन कम खर्च हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) पूरे देश में गत तीन वर्षों के दौरान मरने वाले बेघर बच्चों की संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (घ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में बेघर बच्चों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखता। तथापि, केंद्र सरकार ने कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों तथा देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के लिए किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 पुन: तैयार किया है। देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों की श्रेणी में अनाथ/परित्यक्त/उपेक्षित तथा कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चे शामिल हैं। किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 2(14)(ii) के अनुसार, लागू श्रम कानूनों का उल्लंघन करके काम करते पाया गया अथवा भीख मांगता पाया गया अथवा बेघर पाया गया कोई बच्चा अन्य के साथ-साथ 'देखरेख और संरक्षण का जरूरतमंद बच्चों' की श्रेणी में गिना जाता है। इस अधिनियम के

निष्पादन का मूल दायित्व राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का है। तथापि, केंद्र सरकार समेकित बाल विकास सेवा के अंतर्गत समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.), जिसे अब 'बाल संरक्षण सेवा' कहा जाता है, चला रही है और अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में जीवन-यापन करने वाले बच्चों की स्थिति का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार की बाल देखरेख संस्थाओं की स्थापना और रख-रखाव के लिए लागत के बंटवारे के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। इस स्कीम के अंतर्गत पुनर्वास उपाय के रूप में बाल देखरेख संस्थाओं के माध्यम से बच्चों की संस्थागत देखभाल की जाती है। इन बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों को सरकार अथवा सिविल सोसायटी की अन्य स्कीमों और कार्यक्रमों के संकेंद्रण के माध्यम से औपचारिक शिक्षा पद्धति में संस्था के भीतर अथवा बाहर आयु के अनुसार उपयुक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। गैर-संस्थागत देखरेख घटक के अंतर्गत, दत्तक ग्रहण, फोस्टर देखरेख और प्रायोजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के एक सांविधिक संगठन, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ने बेघर बच्चों के बारे में प्रक्रियाओं और उपायों को सरल बनाने की दृष्टि से ऐसे बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए मानक परिचालन कार्यविधि विकसित की है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, देश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000/2005 के तहत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) इन संस्थाओं में रह रहे बच्चों की संख्या और समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (अब बाल संरक्षण सेवा) के तहत सहायता पाने वाली संस्थाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। धारा 41 यह भी अपेक्षा करती है कि देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सी.एन.सी.पी.) या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सी.सी.एल.) को रखने वाले सभी सी.सी.आई. का राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया जाएगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अनाथालयों में बच्चों के शोषण पर तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में 2007 की रिट याचिका संख्या 102 में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 16.03.2018 तक सी.सी.आई. (पंजीकृत अथवा गैर-पंजीकृत) की कुल संख्या 8631 है तथा इन गृहों में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या 261566 है, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

वर्ष 2009-10 से आगे आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत बजटीय आबंटन और वास्तविक व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	आबंटन (रुपये करोड़ में)		वास्तविक व्यय (रुपये करोड़ में)
	ब.प्रा.	सं.प्रा.	
2009-10	ब.प्रा.-60	सं.प्रा.-50	42.63
2010-11	ब.प्रा.-300	सं.प्रा.-100	115.14
2011-12	ब.प्रा.-270	सं.प्रा.-213.40	177.54
2012-13	ब.प्रा.-400	सं.प्रा.-273.20	259.09
2013-14	ब.प्रा.-300	सं.प्रा.-270	265.78
2014-15	ब.प्रा.-400	सं.प्रा.-450	448.43
2015-16	ब.प्रा.-402.23	सं.प्रा.-498.57	497.30
2016-17	ब.प्रा.-400	सं.प्रा.-610.22	575.96
2017-18	ब.प्रा.-648	सं.प्रा.-648	585.86 (19.03.2018 तक)

जेजे अधिनियम की धारा 54 के अनुसार, सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन राज्य और जिला स्तर पर निरीक्षण समितियां गठित करती हैं। इसके अलावा, धारा 54(2) के अनुसार, ऐसी निरीक्षण समितियां अनिवार्य रूप से आबंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का 3 माह में कम से कम एक बार कम से कम 3 सदस्यों वाली टीम के माध्यम से दौरा करेगी, जिसमें कम से कम एक महिला तथा एक चिकित्सा अधिकारी होगा और अपने दौरे के एक सप्ताह के अंदर ऐसे दौरे के निष्कर्षों की रिपोर्ट यथा-स्थिति जिला बाल संरक्षण यूनिट या राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी। धारा 54(3) के अनुसार, निरीक्षण समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला बाल संरक्षण यूनिट अथवा राज्य सरकार द्वारा 1 माह के अंदर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण-I

आज तक की स्थिति के अनुसार आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों की संख्या सहित देश में बाल देखरेख संस्थाओं का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	संस्थागत देखरेख (गृह)		खुले आश्रय गृह		विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी	
		सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73	4439	12	300	14	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	62	0	0	1	3
3.	असम	36	1128	3	75	14	78
4.	बिहार	54	1929	14	216	28	170
5.	छत्तीसगढ़	76	2172	19	127	14	42
6.	गोवा	21	1015	8	200	2	46
7.	गुजरात	54	2166	3	75	14	163
8.	हरियाणा	33	1630	25	1541	7	48
9.	हिमाचल प्रदेश	30	1187	3	44	1	6
10.	जम्मू और कश्मीर	22	1141	0	0	2	20
11.	झारखंड	36	1448	5	125	15	217
12.	कर्नाटक	80	3131	40	1194	28	255
13.	केरल	31	708	4	103	17	95
14.	मध्य प्रदेश	61	2249	6	206	22	213
15.	महाराष्ट्र	77	6155	3	108	17	181
16.	मणिपुर	34	993	12	247	5	35
17.	मेघालय	54	1351	4	181	6	7
18.	मिजोरम	45	1300	0	0	7	51
19.	नागालैंड	41	495	3	37	4	7
20.	ओडिशा	110	7233	13	341	17	217
21.	पंजाब	17	511	1	25	5	107

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	91	2883	23	405	12	40
23.	सिक्किम	18	540	4	52	4	6
24.	तमिलनाडु	193	14055	14	350	15	150
25.	त्रिपुरा	20	500	2	52	6	48
26.	उत्तर प्रदेश	81	2497	22	550	17	170
27.	उत्तराखंड	20	318	2	36	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	66	5890	33	850	33	273
29.	तेलंगाना	56	3014	12	246	22	309
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	367	-	0	-	0
31.	चंडीगढ़	8	326	0	0	4	17
32.	दादरा और नगर हवेली	-	0	-	0	-	0
33.	दमन और दीव	2	100	-	0	-	0
34.	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35.	दिल्ली	28	1479	13	415	3	60
36.	पुदुचेरी	29	1166	2	47	2	13
	कुल	1620	75578	305	8148	336	3182

विवरण-II

अनाथालयों में बालकों के शोषण के संबंध में तमिलनाडु बनाम भारत संघ एवं अन्य की 2007 की रिट याचिका संख्या 102 के संबंध में दिनांक 16.03.2018 तक की स्थिति रिपोर्ट

क्र.सं.	राज्य	पंजीकृत	प्रकियाधीन	अस्थाई पंजीकृत	अपंजीकृत	अन्य	कोर्ट केस	कुल	रिपोर्ट किए गए बच्चों की कुल संख्या	दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	0	0	0	0	0	16	486	07/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या -226 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या -260
2.	आंध्र प्रदेश	824	0	0	49	0	0	873	30681	11/01/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में पंजीकृत बच्चों की संख्या - 30091 • बाल देखरेख संस्थाओं में अपंजीकृत बच्चों की संख्या - 590
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	0	0	0	0	0	7	155	20/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या-87 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या-68
4.	असम	110	47	0	4	0	0	161	3480	21/02/2018	• अनुदान न मिलने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1213 • आईसीपीएस के तहत अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1116 • अनुदान प्राप्त खुले आश्रय गृहों में बच्चो की संख्या: 45

											• अनुदान प्राप्त विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों में बच्चों की संख्या: 103 • सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल/प्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 222 • नए बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के रहने की क्षमता 781
5.	बिहार	79	6	0	0	0	0	85	2259	21/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं के पेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 786 • बाल देखरेख संस्थाओं के विशेषीकृत गृहों बच्चों की संख्या: 16 • बाल देखरेख संस्थाओं के विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी में बच्चों की संख्या: 217 • बाल देखरेख संस्थाओं के बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1039 • बाल देखरेख संस्थाओं के खुले आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 201
6.	चंडीगढ़	10	0	0	0	0	0	10	295	22/02/2018	
7.	छत्तीसगढ़	77	0	8	0	0	0	85	2426	19/02/2018	• 31 जनवरी, 2018 को बच्चों की वास्तविक संख्या
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	26/12/2017	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	26/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता
10.	दिल्ली	65	31	0	0	0	0	96	3177	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 2400 • प्रक्रियाधीन बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 777

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	गोवा	67	12	0	0	0	0	79	3788	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 3234 • अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 554
12.	गुजरात	125	0	0	0	0	0	125	3324	16/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 2035 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1289
13.	हरियाणा	65	3	0	0	0	0	68	2551	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 2384 • अस्थाई पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 20 • विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए बच्चों की संख्या: 52 • समापनाधीन बच्चों की संख्या: 15 • पंजीकरण के लिए मूल्यालय में प्रक्रियाधीन बच्चों की संख्या: 80 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1149 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 1402
14.	हिमाचल प्रदेश	46	0	0	0	0	0	46	1494	20/02/2018	
15.	जम्मू और कश्मीर	58	0	0	0	0	0	58	1798	22/02/2018	

16. झारखंड	114	0	0	0	0	0	114	2856	22/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 1658 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1198
17. कर्नाटक	918	50	282	0	0	0	1250	37014	02/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 21349 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 15665
18. केरल	371	109	0	0	709	0	1189	14577	11/01/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 9934 • संस्तुत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 141 • अस्थाई पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 26 • उन बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या जिनके पंजीकरण किए जाने अपेक्षित हैं: 58 • बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण में नए आवेदनों में बच्चों की संख्या: 162 • 2015-16 में 9 बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 625 • 2016-17 में 8 बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 295 • 2017-18 में बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 1554 (आवेदन प्राप्त, रिपोर्ट नहीं भेजी गई)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• प्रस्तुत किए आवेदनों में बच्चों की संख्या: 269 • लंबित आवेदनों में बच्चों की संख्या: 327 • बाल रेखरेख संस्थाओं में ऐसे बच्चों की संख्या जिनके आवेदन 03.01.2018 को पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए : 9 • बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 375 • 20 बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 680 • जेजे पंजीकरण आवेदन वापिस लेने के लिए बाल देखरेख संस्थाओं के अनुरोध में बच्चों की संख्या: 122
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	07/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता
20.	मध्य प्रदेश	121	0	0	0	0	0	121	2797	11/01/2018	
21.	महाराष्ट्र	749	104	0	0	0	0	853	22946	05/03/2018	
22.	मणिपुर	116	13	0	0	0	0	129	1942	12/03/2018	• आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित बाल गृहों और खुले आश्रय गृहों में बच्चों की कुल संख्या: 1196 • आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित प्रेक्षण गृहों में बच्चों की कुल संख्या: 36 • आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों में बच्चों की संख्या: 45

											• आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित एवं जेजे अधिनियम में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 665
23.	मेघालय#	108	0	0	8	6	0	122	2464	26/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 1337 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 1127
24.	मिजोरम	52	0	0	0	0	0	52	1079	23/01/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 437 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 642
25.	नागालैंड	71	0	0	0	0	0	71	765	14/02/2018	
26.	ओडिशा	308	0	0	3	0	0	311	13398	11/01/2018	
27.	पुदुचेरी	67	1	0	0	0	0	68	1969	13/02/2018	
28.	पंजाब	74	0	0	0	0	0	74	2890	13/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 1665 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 1225
29.	राजस्थान	170	19	0	0	0	0	189	4503	27/02/2018	
30.	सिक्किम	27	0	0	0	0	0	27	612	09/02/2018	
31.	तमिलनाडु	1296	0	0	0	0	4	1300	62023	11/01/2018	
32.	तेलंगाना @	455	6	0	0	48	0	509	16904	23/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 8540

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 8364
33.	त्रिपुरा	39	0	0	0	0	0	39	770	17/02/2018	
34.	उत्तर प्रदेश	231	0	0	0	0	0	231	5140	22/02/2018	• सरकारी प्रेक्षण गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 1737 • सरकारी प्रेक्षण गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 41 • सरकारी बाल गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 393 • सुरक्षित स्थान में बच्चों की कुल संख्या: 10 • सरकारी विशेष गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 5 • सरकारी विशेष गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 244 • सरकारी देखरेख पश्चात् गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 237 • सरकारी देखरेख पश्चात् गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 34 • सरकारी बाल गृहों में बच्चों की कुल संख्या (0-10): 127 • बाल गृहों में लड़कों की संख्या: 710 • बाल गृहों में लड़कियों की संख्या: 716 • बाल गृहों में बच्चों की संख्या (0-10 वर्ष): 380

										• आश्रय गृहों/डॉप-इन आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 72 • खुले आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 434
35.	उत्तराखंड	45	0	0	0	0	0	45	1045	27/01/2018 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 534 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 511
36.	पश्चिम बंगाल	228	0	0	0	0	0	228	9958	19/02/2018 • गृहों की गैर-पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 5085 • गृहों की पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 4873
	कुल	7109	401	290	64	763	4	8631	261566	

●केरल राज्य ने अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है तथापि, उन्होंने बताया है कि अनाथालय नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रणाधीन 1189 अनाथालय चलाए जा रहे हैं।

@तेलंगाना राज्य ने सूचित किया है कि 48 देखरेख संस्थाओं को बंद कर दिया गया है।

मेघालय ने सूचित किया है कि 6 बाल देखरेख संस्थाओं ने अपना पंजीकरण वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी संस्थाएं हॉस्टलों के रूप में कार्य कर रही हैं।

नोट: बाल देखरेख संस्थाओं की कुल संख्या में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल, विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण और खुले आश्रय गृह शामिल है। बच्चों की कुल संख्या में देखरेख और संरक्षण के जरूरत मंद बच्चे तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे शामिल है।

वन क्षेत्र

*418. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट की अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार भारत के वन क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन क्षेत्र में यह वृद्धि मुख्यत: इस कारण हुई है कि सर्वेक्षण में वृक्षारोपण को वन के रूप में रिकॉर्ड किया गया है जिसका पारिस्थितिकी निरंतरता में बहुत कम योगदान होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वन क्षेत्र में वृद्धि के बावजूद ऐसे वन क्षेत्र की कार्बन डॉयोक्साइड को ग्रहण करने की क्षमता में काफी कमी आई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क) जी, हां। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीनस्थ संगठन, भारतीय वन सर्वेक्षण, देहरादून, 2 वर्ष में एक बार देश के वनावरण का आकलन करता है और उसके निष्कर्ष भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आई.एस.एफ.आर.) में प्रकाशित किये जाते हैं। नवीनतम रिपोर्ट अर्थात् आई.एस.एफ.आर. 2017 के अनुसार देश का कुल वनावरण तथा वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग किमी. है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.39 प्रतिशत है। इसमें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 (अद्यतित) के आंकड़ों की तुलना में 8021 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्शाई गई है। आई.एस.एफ.आर. 2015 की तुलना में वनावरण में 6,778 वर्ग किमी. और वृक्षावरण में 1,243 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्शाई गई है।

(ख) आई.एस.एफ.आर. 2017 में प्रयुक्त "वनावरण", की परिभाषा के अनुसार, "स्वामित्व और कानूनी स्थिति का विचार किये बिना एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली ऐसी समस्त भूमि है, जिसमें वृक्ष वितान घनत्व 10 प्रतिशत से अधिक हो। ऐसा भूमि क्षेत्र अनिवार्यत: अभिलिखित वन क्षेत्र नहीं हो सकता है। इसमें फलोद्यान, बांस और खजूर भी शामिल है।" आई.एस.एफ.आर. में ग्रहीत 'वनावरण' की परिभाषा के अनुसार वनभूमि और गैर वनभूमि दोनों पर, जहां चंदोवे का घनत्व 10 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उसे वनावरण के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। आई.एस.एफ.आर. 2017 में दी गई सूचना के अनुसार वनावरण में पाया गया अंतर वनभूमि के भीतर और उससे बाहर, दोनों में हुई वृद्धि के कारण हैं। वनावरण में वृद्धि के अतिरिक्त वितान क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार इस दृष्टि से भी देखे गये हैं कि सघन वन क्षेत्र, पूर्ववर्ती रिपोर्ट की तुलना में, 9525 वर्ग किमी. बढ़ गया है।

(ग) और (घ) नवीनतम आई.एस.एफ.आर. 2017 के अनुसार वन में कार्बन का स्टॉक 7,082 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि आई.एस.एफ.आर.-2015 में सूचित किये गये कार्बन स्टॉक की तुलना में 38 मिलियन टन अधिक है। अत: CO_2 को अवशोषित करने की क्षमता वनावरण में वृद्धि के साथ बढ़ी है।

महिला उद्यमी सूचकांक

*419. **श्री आर. पार्थिपन:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महिला उद्यमी मास्टर कार्ड सूचकांक के अनुसार भारत की रैंकिंग क्या है;

(ख) क्या सूचकांक के अनुसार भारत में उद्यम संबंधी गतिविधियों में नेतृत्व भूमिका ग्रहण करने में अथवा कार्यबल में भागीदारी में महिलाओं को कम अवसर मिलता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश के रैंक में सुधार के लिए सरकार के समक्ष क्या प्रस्ताव/योजना है;

(घ) क्या शिक्षा, तकनीकी जानकारी का अभाव और सांस्कृतिक पक्षपात के साथ ही सख्त व्यापारिक और सरकारी विनियमों के कारण भारत में महिलाओं द्वारा उद्यमी अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता को कम करके आंका जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाए किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ङ) मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है। तथापि विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के माध्यम से महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

राष्ट्रीय महिला कोष (आर.एम.के.): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में आर.एम.के. आजीविका सहायता तथा

आय अर्जन की विभिन्न गतिविधियों के लिए मध्यवर्ती सूक्ष्म वित्त संगठनों (आई.एम.ओ.)/गैर-सरकारी संगठनों (एन.जी.ओ.)/स्वैच्छिक संगठनों (वी.ओ.) के माध्यम से महिला स्वयं सहायता समूहों अथवा व्यक्तिगत महिलाओं (अंतिम लाभार्थियों) को ग्राहक अनुकूल ढंग से रियायती ब्याज दर पर सूक्ष्म ऋण प्रदान करने के लिए शीर्ष सूक्ष्म वित्त संगठन है ताकि उनका आर्थिक-सामाजिक विकास हो सके।

महिला ई-हाट: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने महिला उद्यमियों/एस.एच.जी./एन.जी.ओ. की सहायता के लिए 07 मार्च, 2016 को महिला ई-हाट शुरू किया जो एक अनोखा सीधा ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉम है। महिला ई-हाट महिला उद्यमियों की आकांक्षाओं एवं आवश्यकताओं को पूरा करने की पहल है। इसका उद्देश्य महिला उद्यमियों/एस.एच.जी./एन.जी.ओ. द्वारा निर्मित/विनिर्मित/बेचे गए उत्पादों को प्रदशित करने तथा उनकी सृजन क्षमता को प्रदर्शित करने वाली सेवाओं को भी प्रदशित करने के लिए प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई-विपणन प्लेटफॉर्म प्रदान करना है।

इस साइट के विजिटर की संख्या 22 लाख से अधिक है। 29 राज्यों के महिला उद्यमी/एस.एच.जी./एन.जी.ओ. 3500 से अधिक उत्पाद/सेवाएं प्रदर्शित कर रहे हैं। इस समय 28,000 से अधिक महिला उद्यमी/एस.एच.जी./एन.जी.ओ. हैं तथा 4.38 लाख से अधिक लाभार्थी प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से प्रभावित हो रहे हैं और इसे निरंतर स्तरोन्नत किया जा रहा है। इस पोर्टल पर थोक, रिपीट और अनुकूलित ऑर्डर भी लिए जा सकते हैं। ऑनलाइन विपणन प्लेटफॉर्म वेंडरों के संपर्क नंबर, पता तथा बुनियादी लागत के साथ उनके उत्पादों/सेवाओं को प्रदर्शित करता है।

भारतीय महिला जैविक महोत्सव: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारतीय महिला जैविक महोत्सव का आयोजन करता है जो महिला किसानों एवं उत्पादकों के जैविक उत्पादों का सबसे बड़ा महोत्सव है। भारतीय महिला जैविक महोत्सव अब वार्षिक कार्यक्रम बन गया है तथा अन्यों के अलावा खाद्य पदार्थ, किचन उत्पाद, मसाला, स्वस्थता के लिए शुद्ध फेबरिक निजी देखरेख उत्पाद सहित विविध श्रेणी के जैविक उत्पादों को प्रदर्शित करता है/बिक्री के लिए प्रस्तुत करता है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/महिला उद्यमियों तथा महिला नेतृत्व वाले समूहों को सहायता प्रदान करना एवं प्रोत्साहित करना है जो जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। इस प्रकार इसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ उनके स्थानीय समुदाय की अर्थव्यवस्था की मदद करना, उनके वित्तीय समावेशन के लिए नौकरियां सृजित करना है।

पहली महिलाएं: महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऐसी महिलाओं को बधाई दी जो अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिलाएं थीं। इस कार्यक्रम अपने अनुभव को साझा करने हेतु विविध क्षेत्रों, भौगोलिक स्थानों तथा विभिन्न आयुवर्ग की महिलाओं के लिए तथा यह उनकी असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए सरकार के लिए एक प्लेटफॉर्म है। 'पहली महिलाएं' महिलाओं को प्रोत्साहित एवं सशक्त बनाने की दिशा में सरकार के अथक प्रयासों का प्रतीक है।

नारी शक्ति पुरस्कार: महिलाओं की उपलब्धियों का आभार प्रकट करने के लिए भारत सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए उनकी सेवा को पहचान प्रदान करते हुए प्रख्यात महिलाओं एवं संस्थाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान करती है। यह पुरस्कार महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर एवं साधनहीन महिलाओं को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में महिलाओं एवं संस्थाओं द्वारा किए गए प्रयासों को पहचान प्रदान करता है।

नाबार्ड एस.एस.जी. बैंक सहलग्नता कार्यक्रम: नाबार्ड द्वारा शुरू किया गया एस.एच.जी. बैंक सहलग्नता कार्यक्रम आज सबसे बड़ा समुदाय आधारित सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है। 31 मार्च, 2017 की स्थिति के अनुसार 85.77 लाख एस.एच.जी. को बचत से जोड़ा गया है जिसमें से 85 प्रतिशत केवल महिला एस.एच.जी. हैं। नाबार्ड कार्यक्रम के संवर्धन एवं सहायता के लिए स्वयं द्वारा अनुरक्षित वित्तीय समावेशन निधि से निधियां खर्च करता है।

महिला एस.एच.जी. (डब्ल्यू.एस.एच.जी.) कार्यक्रम: वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने भारत के 150 वामपंथी अतिवाद प्रभावित तथा पिछड़े जिलों में महिला एस.एच.जी. के संवर्धन की योजना को लागू करने के लिए 'महिला स्वयं सहायता समूह विकास निधि' का गठन किया था। यह कार्यक्रम नाबार्ड द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

दीनदयाल अंत्योदय योजना: सरकार ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी.) में संगठित करने के उद्देश्य से मिशन मोड में पूरे देश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डी.ए.वाई.-एन.आर.एल.एम.) चला रही है और आर्थिक गतिविधियां शुरू करने के लिए उनका लगातार पोषण एवं संवर्धन तब तक कर रही है जब तक कि अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार तथा भयावह गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक निश्चित अवधि में वे अपनी आय में अच्छी-खासी वृद्धि नहीं कर लेते हैं। यह कार्यक्रम दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चल रहा है।

उपर्युक्त के आलोक में देखा जा सकता है कि भारत सरकार महिला उद्यमियों के लिए उद्यमिता के पर्याप्त अवसरों का सृजन कर रही है।

बाघ अभयारण्य

*420. **श्री सी. महेंद्रन:**

श्री ए. अरुणमणिदेवन:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अनेक बाघ संरक्षण क्षेत्र वैश्विक मानकों को पूरा नहीं करते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास अपने बाघ अभयारण्यों में बाघों के संरक्षण तथा परिरक्षण के लिए पर्याप्त कार्मिक/स्टॉफ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में बाघ संरक्षण में अवैध शिकार तथा स्थलों पर गश्त लगाने के लिए सीमित स्टॉफ का होना प्रमुख मुद्दा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/की जा रही है; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान बाघ अभयारण्यों में से किसी का विलय/विस्तार करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री (डॉ. हर्ष वर्धन): (क)

(क) प्रश्नावली और विशेषज्ञों की राय पर आधारित प्रयास, 'सुनिश्चित संरक्षण/बाघ मानक (सी.ए./टी.एस.)' "लाइट" सवेक्षण, जिसमें किसी क्षेत्रीय सर्वेक्षण को ध्यान में नहीं रखा जाता है, के अनुसार भारत में बाघ संरक्षण के मामले में, 50 में से 49 बाघ रिजर्वो में वैश्विक मानकों का अनुपालन किया जाता है।

(ख) यद्यपि बाघ आरक्षित क्षेत्रों में अग्रपंक्ति स्टॉफ के स्वीकृत पदों की तुलना में लगभग 29 प्रतिशत रिक्तियां हैं तथापि, संवेदनशील बाघ रिजर्वों में बाघों की सुरक्षा और संरक्षण की अनुपूर्ति विशेष बाघ संरक्षण बल, जो कि वर्तमान में 8 बाघ आरक्षित क्षेत्रों में कार्य कर रहा है, की तैनाती करके की जा रही है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को विभिन्न क्रियाकलापों, जिनमें कमी की पूर्ति के लिए बाघ रिजर्वों में अनधिकृत शिकार रोधी स्टॉफ की तैनाती भी शामिल है, के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना, बाघ परियोजना के अधीन निधीयन सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सी.एस.एस.-पी.टी. के अधीन कुल मिलाकर 4,80,000 श्रम दिवस सृजित किये गये हैं।

(ग) प्रमुखत: देश से बाहर से मांग होने के कारण अनधिकृत शिकार, बाघ संरक्षण के लिए निरंतर बना रहने वाला खतरा है। छ: वर्षों के आंकड़ों के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि 63 प्रतिशत बाघों की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई, जबकि 22 प्रतिशत का अनधिकृत रूप से शिकार किया गया और 15 प्रतिशत बाघ के शरीर के अंगों की जब्ती के थे। यद्यपि, बाघ रिजर्वों में स्टॉफ की स्थिति अपेक्षाकृत रूप से मजबूत है, तथापि, सी.एस.एस.-पी.टी., अनधिकृत शिकार को रोकने, आसूचना सुदृढ़ीकरण के लिए स्टॉफ को नियोजित करने और कानूनी सहयोग हेतु सहायता प्रदान करती है और साथ ही ऐसी सुरक्षा योजना की आवश्यकता पर बल देती है जो विधित: अधिदेशित बाघ संरक्षण योजना के माध्यम से संचालित हो तथा जिसकी जांच, 'सुरक्षा जांच ढांचे' द्वारा हर प्रकार से की जाती है।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

आशा सलाहकार

4601. **श्री डी.एस. राठौड़:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास कुछ आशा सलाहकारों को बिना किसी पूव सूचना के निकालने के बारे में कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो गुजरात सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात सहित पुन:नवीकृत/रद्द की गई संविदाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सार्वजनिक स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण गुजरात सहित सभी राज्यों में परामर्शदाताओं को नियुक्त करने और हटाने का कार्य राज्य सरकारों के अधिकार-क्षेत्र में आता है। यह मंत्रालय किसी आशा परामर्शदाता को बिना नोटिस के हटाए जाने संबंधी ब्यौरा नहीं रखता।

(ख) और (ग) ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

चिकित्सा महाविद्यालयों में रिक्त सीटें

4602. **श्री शिशिर कुमार अधिकारी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि नीट-2017 के परिणामों के पश्चात् विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष की कई सीटें रिक्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों की रिक्त सीटों को नीट-2018 से पूर्व में नीट की परीक्षा उत्तीर्ण करने वालों से भरने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद् (एम.सी.आई.) के द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार अकादमिक वर्ष 2017-18 के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 437 सीटें रिक्त हैं। इसके अलावा, स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अंशदानकर्ता राज्यों के अखिल भारतीय कोटे की 15 प्रतिशत सीटों हेतु तथा संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों और डिम्ड विश्वविद्यालयों, केन्द्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा संस्थाओं की सभी सीटों के लिए एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए एक काउंसिलिंग प्राधिकारी के तौर पर नामित किया गया है। शेष के लिए काउंसिलिंग राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा की जाती है। यदि प्रवेश के लिए अंतिम तारीख के बाद अखिल भारतीय कोटा सीटें (15 प्रतिशत) रिक्त रहती हैं तो उन्हें संबंधित राज्य द्वारा भरी जाने वाली राज्य की कोटा सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(ग) और (घ) चिकित्सा पाठ्यक्रमों में सामान्य काउंसिलिंग के जरिए प्रवेश पाने की प्रक्रिया को सांविधिक समय अनुसूची के अनुरूप पूरा किया जाता है जिसमें यह प्रावधान है कि एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में 31 अगस्त के बाद किसी प्रवेश के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। अतः एन.ई.ई.टी.-2018 से पहले एन.ई.ई.टी. से अर्हता प्राप्त करने वाले से रिक्त पदों को भरने के लिए मंजूरी नहीं है।

फिजियोथेरेपी उपकरण

4603. **श्री सुनील कुमार सिंह**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों हेतु मानक प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है;

(ख) क्या खराब/घटिया/बेकार फिजियोथेरेपी उपकरणों की बिक्री के परीक्षण/रोकने हेतु कोई प्राधिकरण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या विभिन्न फिजियोथेरेपी उपकरणों की सुरक्षा तथा अवसंरचना आवश्यकताओं की जांच हेतु कोई नियंत्रक/विनियामक प्राधिकरण है तथा उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की अर्हता जरूरतों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) इलेक्ट्रोनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एम.ई.आई.टी.वाई.) के तहत इलेक्ट्रोनिक्स क्षेत्रीय जांच प्रयोगशाला (दक्षिण) एस.टी.क्यू.सी. निदेशालय वैद्युत सुरक्षा जांच व वैद्युत-चिकित्सीय उपकरणों के अंशांकन हेतु प्रमाण-पत्र जारी करता है। तथापि, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है।

इसके अलावा, भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) ने "आईएम 13450 (भाग2/खंड 5):2009/आईईसी 60601-2-5:2005 चिकित्सीय वैद्युत उपकरण-भाग 2: सुरक्षा हेतु विशेष आवश्यकता: खंड 5 अल्ट्रासॉनिक फिजियोथेरेपी उपकरण" मानक को प्रकाशित किया है। आज की तारीख में, आईएम 13450 (भाग 2/खंड 5): 009/आईईसी 60601-2-5:2005 के अनुसार कोई लाइसेंस मौजूद नहीं है।

बी.आई.एस. विनिर्माण के सत्यापन और फर्म की क्षमता की जांच करने के बाद तथा संगत भारतीय मानक के प्रति उत्पाद की अनुकूलता सुनिश्चित करने के बाद उत्पाद को प्रयोग करने तथा मानक चिह्न लागू करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

(ख) खराब/घटिया/बेकार फिजियोथेरेपी उपकरणों की बिक्री की जांच/रोकने के लिए दो संगठन हैं। पहला उपभोक्ता मामले विभाग के अंतर्गत आता है जो कि राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से उपभोक्ता की शिकायतों को प्राप्त करता है। दूसरा भारतीय फार्माकोपिया आयोग है जो कि भारत के मैट्रियोविजिलेंस कार्यक्रम के माध्यम से चिकित्सा युक्तियों से संबद्ध प्रतिकूल घटनाओं को प्राप्त करता है।

(ग) चिकित्सा युक्ति नियमावली, 2017 के अनुसार, सभी चिकित्सा युक्तियों हेतु विनियामक प्राधिकरण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत केन्दीय औषध नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) है। सी.डी.एस.सी.ओ. औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 व इसके तहत बनाई गई नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत चिकित्सा युक्तियों की 15 अधिसूचित श्रेणियों की सुरक्षा, प्रभाविकता व गुणवत्ता को विनियमित करता है। तथापि, फिजियोथेरेपी उपकरण औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 3(ख)(iv) के तहत चिकित्सा युक्ति के रूप में अधिसूचित नहीं है।

[हिंदी]

स्टार्ट अप इंडिया के अंतर्गत बैंक ऋण

4604. **श्री विनोद कुमार सोनकर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्ट अप इंडिया योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने स्टार्ट अप इंडिया योजना के अंतर्गत देश भर में बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने हेतु कोई लक्ष्य तय किया है और यदि हां, तो उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने वाले बैंकों का बैंक/राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) बैंकों द्वारा उक्त लक्ष्य कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(घ) क्या सरकार उक्त योजना की समीक्षा कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कौन से बैंक उक्त योजना में रुचि नहीं ले रहे हैं तथा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) स्टार्ट-अप इंडिया योजना की शुरुआत से अब तक की स्थिति संलग्न विवरण पर दी गई है। स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत 7987 स्टार्ट-अप की अभी तक पहचान की गई है।

(ख) और (ग) स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत लाभ किसी भी जाति, समुदाय एवं लिंग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों सहित) से संबंधित उद्यमियों को उपलब्ध है। वर्तमान में, स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत कोई योजना नहीं है जो बैंकों के माध्यम से शासित होती है। अत: इस उद्देश्य हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

(घ) स्टार्ट-अप इंडिया पहल की कार्य योजना के कार्यान्वयन की प्रभावी मॉनिटरिंग के लिए सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति बनाई गई है।

विवरण

स्टार्ट-अप इंडिया पहल के अंतर्गत उपलब्धियां सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग

1. **स्व-प्रमाणन आधारित अनुपालन व्यवस्था**

- 'श्वेत' श्रेणी में 36 उद्योगों की सूची को सी.पी.सी.बी. की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया है। सी.पी.सी.बी. ने 'श्वेत' श्रेणी में शामिल सभी उद्योगों को स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना में सूचीबद्ध 3 पर्यावरण अधिनियमों के तहत सभी लागू स्व-प्रमाणनों से छूट दी है।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एम.एस.डी.ई.) ने स्टार्टअप को अपरेंटिसशिप अधिनियम, 1961 की अपरेंटिसशिप नियमावली, 1992 के साथ स्व-प्रमाणन अनुपालन की अनुमति देने के लिए परामर्शिका जारी की है।
- छ: श्रम कानूनों के तहत स्टार्टअप को स्व-प्रमाणन की अनुमति दी गई है; 26 राज्यों ने श्रम और रोजगार मंत्रालय (एम.ओ.एल.ई.) द्वारा दिनांक 12.01.2016 को जारी परामर्शिका और 6.04.2017 को जारी नई परामर्शिका के अनुपालन की पुष्टि की है।

2. **मोबाइल ऐप एवं पोर्टल की शुरुआत**

- निम्नलिखित तक पहुंच स्थापित करने के लिए स्टार्टअप पोर्टल का विकास किया गया है:
  - स्टार्टअप मान्यता - 14 मार्च, 2018 तक 7987 स्टार्टअप्स को मान्यता प्रदान की गई है।
  - स्टार्टअप्स के लिए विज्ञापन स्थान।
  - जानकारी एवं विकास मॉड्यूल - 1,97,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।
- यह पोर्टल स्टार्टअप इंडिया पहल से संबंधित सभी प्रश्नों के लिए एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध कराने का कार्य करता है।

- प्रयोक्ताओं को त्वरित सेवाएं और जानकारी उपलब्ध कराने के लिए स्टार्टअप इंडिया मोबाइल ऐप का विकास किया गया है।

3. **स्टार्ट अप इंडिया हब**

- स्टार्टअप इंडिया हब द्वारा 84,000 से अधिक पश्नों का समाधान किया गया है।
- इन्क्यूबेशन और निधीयन सहायता के लिए 460 से अधिक स्टार्टअप्स को परामर्श दिया गया है।
- इस हब में फरवरी, 2018 तक 30,000 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं।

4. **कम लागत पर कानूनी सहायता और शीघ्र पेटेंट जांच**

- पेटेंट एवं व्यापार चिह्न के लिए फाइल दायर करने हेतु स्टार्टअप की सहायता के लिए पेटेंट एवं डिजाइन के लिए 423 सहायकों और व्यापार चिह्न आवेदनों के लिए 596 सहायकों का पैनल गठित किया गया है।
- पेटेंट शुल्कों पर 80 प्रतिशत तक की छूट के लिए 768 आवेदन प्राप्त हुए हैं तथा कानूनी सहायता भी प्राप्त की गई है।
- स्टार्टअप्स के लिए पेटेंट फाइलिंग को त्वरित किया गया है और तदनुसार 126 स्टार्टअप्स को सुविधा प्रदान की गई है।
- जनवरी, 2018 तक व्यापार चिह्न 858 स्टार्टअप्स को उपलब्ध कराई गई है।

5. **स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति के मानदंडों में छूट**

- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा अधिप्राप्ति नीति में सूक्ष्म, लघु एवं अन्य उद्यमों के लिए मानदंडों में छूट का प्रावधान किया गया है।
- सभी केंद्रीय मंत्रालय/विभाग/सार्वजनिक उद्यम विभाग/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सभी सावजनिक अधिप्राप्तियों में एम.एस.ई. के संबंध में पूर्व अनुभव और पूर्व कारोबार की शर्त से छूट दे सकते हैं जो गुणवत्ता और तकनीकी विशेषताओं को पूरा करने के अध्यधीन है।
- इसके अतिरिक्त, नियम 173 (i) जी.एफ.आर., 2017 में शामिल किया गया है जो पूर्व कारोबार की शर्तों और स्टार्टअप के लिए पूर्व अनुभव से छूट प्रदान करता है; और
- जी.एफ.आर. 2017 के नियम 170 (I) को 25 जुलाई, 2017 को संशोधित कर दिया गया है, जिसमें डी.आई.पी.पी. से मान्यता प्राप्त सभी स्टार्टअप्स को सार्वजनिक खरीद निविदाओं में बयाना जमा/बोली सुरक्षा जमा करने से छूट प्रदान की गई है।

6. **स्टार्टअप्स के लिए त्वरित निकासी**

- दिवाला और दिवालियापन बोर्ड का गठन किया गया है।
- एम.सी.ए. ने 16.6.2017 को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया से संबंधित दिवाला और दिवालियापन संहित, 2016 की संबंधित धारा 55 से 58 को अधिसूचित किया है और यह भी सूचित किया है कि यह प्रक्रिया डी.आई.पी.पी. द्वारा परिभाषित रूप में स्टार्टअप (साझेदारी फर्म के अलावा) पर लागू होगी। स्टार्टअप के लिए, दिवालियापन रिजोल्यूशन प्रक्रिया को 90 दिनों के भीतर और अन्य संस्थाओं के लिए 180 दिनों के पूरा किया जाएगा।

निधियन सहायता एवं प्रोत्साहन

7. **10,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ निधियों के कोष (एफ.एफ.एस.) के जरिए निधीयन सहायता**

- दो वित्त आयोग कार्यकालों, जो 2025 तक है, में 10,000 करोड़ रुपये की निधि जारी की जाएंगी।
- वित्तीय वर्ष 2016 में सिडबी को 500 करोड़ रुपये जारी किए गए तथा वित्त वर्ष 2017 में 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
- एफ.एफ.एस. के तहत 24 वैकल्पिक निवेश कोष (ए.आई.एफ.) के लिए कुल 1050.7 करोड़ रुपये प्रदान करने की प्रतिबद्धता है जबकि ए.आई.एफ. द्वारा आहरण हेतु 122.86 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
- एफ.एफ.एस. के तहत 109 स्टार्टअप को वित्त-पोषण के लिए 517.92 करोड़ रुपये का उत्प्रेरित निवेश प्राप्त हुआ है।

8. **पूंजीगत लाभों पर कर छूट**

- वित्त अधिनियम, 2016 के अंतर्गत धारा 54 ईई शामिल की गई है जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निधि में निवेश की गई दीर्घकालिक पूंजीगत परिसंपत्ति के

अंतरण के कारण हुए पूंजीगत लाभ (एक वित्त वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक नहीं) पर कर में छूट का प्रावधान किया गया है।

- आवासीय घर अथवा एक आवासीय भूमि के प्लॉट की बिक्री के कारण हुए पूंजीगत लाभ पर कर में छूट यदि निवल प्रतिफल की राशि पात्र स्टार्टअप्स के इक्विटी हिस्से में निवेश की गई है जिसका उपयोग विशिष्ट परिसम्पत्ति की खरीद के लिए होता है, के प्रावधान के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54 जीबी में संशोधन किया गया है।

9. 3 वष के लिए स्टार्टअप्स को कर छूट

- स्टार्टअप्स यदि 1 अप्रैल, 2016 और 31 मार्च, 2019 के बीच शामिल किए गए हैं तो 7 वर्ष के ब्लॉक में 3 वर्ष के लिए आयकर छूट का लाभ लेने के लिए स्टार्टअप्स (कंपनियों और एल.एल.पी.) के लिए प्रावधान किया गया है।
- कर लाभ प्राप्त करने के लिए 87 स्टार्टअप्स को मंजूरी दी गई है।

10. उचित बाजार मूल्य से अधिक निवेश पर कर छूट

- **एजेंल कर हटाना**

  14 जून, 2016 से उचित बाजार मूल्य से अधिक के निवेश पर कर छूट की शुरुआत की गई है।

उद्योग-शिक्षा जगत सहभागिता तथा इन्क्यूबेशन

11. अटल नवप्रयोग मिशन (ए.आई.एम.) की शुरुआत

- टिंकरिंग लैब्स स्थापित करने के लिए 941 विद्यालयों का चयन किया गया है और 374 टिंकरिंग लैब्स हेतु प्रत्येक के लिए 12 लाख रुपये संवितरित किए गए हैं।

12. इन्क्यूबेटर सेटअप के लिए निजी क्षेत्र विशेषज्ञता का दोहन

- नीति आयोग द्वारा छः मौजूदा इन्क्यूबेटरों के लिए 2.5 करोड़ रुपये प्रत्येक को बढ़ा हुआ अनुदान मंजूर किया गया है।
- नीति आयोग द्वारा निधियन सहायता हेतु 13 नए इन्क्यूबेटर अनुमोदित किए गए हैं।

13. राष्ट्रीय संस्थाओं में नवप्रयोग केंद्रों का निर्माण

- 15 स्टार्टअप केंद्रों को संयुक्त रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.एस.टी.) और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एम.एच.आर.डी.) द्वारा स्थापित करने हेतु अनुमोदित किया गया है।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 10 स्टार्टअप केंद्रों को अनुदान की प्रथम किस्त के रूप में 37.50 लाख रुपये (प्रत्येक 10 स्टार्टअप केंद्रों के लिए 3.75 लाख रुपये) की राशि जारी की गई है।
- 11 टी.बी.आई. (प्रौद्योगिकी व्यवसाय इन्क्यूबेटर्स) को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है और 42 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं जिसमें से 17 करोड़ रुपये संवितरित किए जा चुके हैं।

14. आई.आई.टी. मद्रास में रिसर्च पार्क सेट-अप मॉडल के आधार पर 7 नए रिसर्च पार्कों की स्थापना करना

- आई.आई.टी. खड़गपुर में 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है और 74.83 करोड़ रुपये आई.आई.टी. खड़गपुर को जारी कर दिए गए हैं।
- आई.आई.टी. मुंबई में 100 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन है और 34 करोड़ रुपये आई.आई.टी. मुंबई को जारी कर दिए गए हैं।
- आई.आई.टी. गांधीनगर में रिसर्च पार्क को डी.एस.टी. द्वारा 90 करोड़ रुपये की कुल लागत पर मंजूरी दे दी गई है और विभाग ने पहले ही 40 करोड़ रुपये की किश्त संवितरित कर दी है।
- आई.आई.टी. कानपुर, आई.आई.टी. दिल्ली, आई.आई.टी. गुवाहाटी, आई.आई.टी. हैदराबाद और आई.आई.एस.सी. में 5 और रिसर्च पार्कों को 3 वर्ष की अवधि के लिए 375 करोड़ रुपये के बजट के साथ अनुमोदित किया गया है जिसे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहयोग दिया जाएगा।

15. जैव-प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना

- जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.) ने प्रत्येक बायो इन्क्यूबेटर के लिए बायोटेक इक्विटी फंड के तहत 1 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। इस पहल से पहले ही

3 बायो-इन्क्यूबेटर्स को सहायता दी गई है जिनका उपर्युक्त उल्लिखित इक्विटी फंड के प्राप्तकर्ता के रूप में चयन किया गया है।

- 30 बायो-इन्क्यूबेटर्स को मंजूर 185 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है तथा 119 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसका बहुआयामी प्रभाव पड़ा है क्योंकि 290 स्टार्टअप्स ने विभिन्न कार्यक्रमों यथा जैव-प्रौद्योगिकी इग्निशन अनुदान, आई.आई.पी.एम.ई., स्पार्श, ग्रैंड चैलेंजेज, बायोनेस्ट आदि के अंतर्गत इन बायो-इन्क्यूबेटर्स से लाभ प्राप्त किए हैं।
- बेंगलुरु-बोस्टन बायोटेक गेटवे टू इंडिया के संबंध में: 4 उद्यमी शामिल हुए हैं और 1 उद्यमी विचारों का आदान-प्रदान करने और मेंटरशिप के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, अमरीका जा रहा है।

16. छात्रों के लिए नवप्रयोग केंद्रित कार्यक्रमों का शुभारंभ

(क) 5 लाख विद्यालयों से 10 लाख नवप्रयोग केन्द्रों तक सुगम्यता के साथ अभिनव कोर कार्यक्रम

- 4 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन और पुनर्सरचित मानक (राष्ट्रीय आकांक्षा और ज्ञान को बढ़ाते लाखों बुद्धिमान) का अनुमोदन
- जिला और राज्य स्तर पर 1 लाख से अधिक इंस्पायर (प्रेरित अनुसंधान हेतु विज्ञान कार्यों में अभिनव प्रयोग) प्रतिस्पर्धागत पुरस्कार।
- दिल्ली में 6वीं राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और परियोजना प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 588 लोगों का चयन किया गया।
- 4-10 मार्च, 2017 तक राष्ट्रपति भवन में अभिनव प्रयोग के वार्षिक महोत्सव में शीर्ष 60 परियोजनाओं का प्रदर्शन किया गया।

(ख) निधि (नवाचार के विकास और दोहन के लिए राष्ट्रीय पहल) - ग्रैंड चैलेंज कार्यक्रम

- 19 नए टी.बी.आई. की स्थापना
- सीड सपोर्ट सिस्टम (एस.एस.एस.) के लिए 9 टी.बी.आई. को सहायता
- 10 निधि-प्रयास (युवाओं को प्रोत्साहित करना और उन्नत प्रौद्योगिकी उद्यमियों को प्रोत्साहित करना) तथा 10 निधि-ई.आई.आर. (आवास में उद्यमी) स्वीकृत।
- वित्त वर्ष 2017-18 में सी.ओ.ई. के लिए निधि प्राप्त करने के लिए उत्कृष्टता के 6 नए केंद्रों (सी.ओ.ई.) की सिफारिश की गई है।

(ग) उच्चतर अविष्कार योजना (यू.ए.वाई.)

- 2016-18 के लिए 475 करोड़ रुपये 3 वर्ष की अवधि के लिए नियत
- आई.आई.टी. से 6 डोमेन के अंतर्गत अनुसंधान प्रस्तावों के लिए 75 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है।
- स्वीकृति के लिए 92 परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।

17. अन्य प्रोत्साहन:

- स्टार्टअप्स के लिए विदेशी वाणिज्यिक उधार (ई.सी.बी.) दिशानिर्देश: स्टार्टअप्स न्यूनतम तीन वर्ष की औसत परिपक्वता अवधि के लिए, प्रति वित्तीय वर्ष 3 मिलियन अमरीकी डॉलर अथवा समतुल्य तक, रुपये अथवा किसी परिवर्तनीय विदेशी मुद्रा अथवा दोनों में, उधार ले सकते हैं।
- विदेशी उद्यम पूंजी निवेशकों (एफ.वी.सी.आई.) को अब भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के बिना किसी भी क्षेत्र में स्टार्टअप्स में निवेश की अनुमति है।
- सेबी (विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक) विनियमावली, 2014 में संशोधन किया गया है ताकि एफ.पी.आई. को गैर-सूचीबद्ध गैर-परिवर्तनीय डिबेंचरों और प्रतिभूतित ऋण साधनों में निवेश की अनुमति दी जा सके।
- सेबी बोर्ड ने 'एजेंल निधि' के संबंध में सेबी (वैकल्पिक निवेश निधि) विनियमावली, 2012 में पांच मुख्य संशोधनों को अनुमोदित किया है:
    - o एक योजना में एजेंल निवेशकों की संख्या की ऊपरी सीमा को उनचास से बढ़ाकर दो सौ कर दिया गया है।

- o एजेंल निधि को पांच वर्ष के भीतर निगमित स्टार्टअप्स में निवेश की अनुमति दी जाएगी, जो पहले 3 वर्ष थी।
- o एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में न्यूनतम निवेश राशि को 50 लाख से घटाकर 25 लाख कर दिया गया है।
- o एजेंल निधि द्वारा किसी उद्यम पूंजी उपक्रम में निवेश की अवरुद्धता अवधि को तीन वर्ष से घटाकर एक वष कर दिया गया है।
- o एजेंल निधि को अन्य ए.आई.एफ. के अनुरूप विदेशी उद्यम पूंजी उपक्रम में अपनी निवेश योग्य निधि का 25 प्रतिशत तक निवेश करने की अनुमति है।

[अनुवाद]

सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की तस्करी

4605. **श्री राघव लखनपाल**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत दो वर्षों के दौरान सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की घरेलू मांग में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की तस्करी की घटनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तंबाकू उत्पादों की तस्करी को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सिगरेट तथा अन्य तंबाकू उत्पादों की घरेलू खपत संबंधी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, गत दो वर्षों के आयात तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के आंकड़े तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों की घरेलू मांग में वृद्धि नहीं दर्शाते हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की तस्करी की घटनाओं के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

वर्ष	मामलों/घटनाओं की संख्या	जब्त किए गए उत्पादों का मूल्य (लाख रुपये में)
2015-16	2828	15043.78
2016-17	3108	13013.45

(ग) सभी निदेशालयों/क्षेत्रीय कार्यालयों को अधिक सतर्क रहने के लिए तथा सिगरेट तथा तंबाकू उत्पादों की तस्करी के मामलों को विफल बनाने तथा उनका पता लगाने के लिए उचित जांच करने के लिए चौकन्ना कर दिया गया है। तस्कर रोधी कार्य करने वाले अधिकारियों को निगरानी के जरिए तथा कन्टेनर स्केनर्स, बैगेज स्क्रीनिंग प्रणाली तथा अग्रिम यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) की सहायता लेकर अधिक सतर्क रहने के लिए कहा गया है।

चीनी पर आयात शुल्क

4606. **श्री एम. उदयकुमार**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश की चीनी मिलों ने, चीनी पर वर्तमान में लगने वाला आयात शुल्क को 40 प्रतिशत से बढ़ाकर 60 प्रतिशत करने की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने शून्य आयात शुल्क के अंतर्गत पांच लाख टन कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दे दी है जिसमें से 4.77 लाख टन चीनी पहले ही आयात की जा चुकी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरती कीमतों के कारण कच्ची चीनी का आयात 40 प्रतिशत शुल्क के साथ करना संभव हो पाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) अधिसूचना सं. 27/2018-सीमा शुल्क, दिनांक 06.02.2018 के तहत टैरिफ मद 1701 के तहत सभी प्रकार की चीनी [कच्ची चीनी, रिफाइंड या सफेद चीनी, कच्ची चीनी, यदि थोक उपभोक्ता के द्वारा आयातित हो] पर आयात शुल्क को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) शुगर सीजन 2016-17 के दौरान पांच नामित बंदरगाहों के जरिए टैरिफ रेट कोटा (टी.आर.क्यू.) के तहत शून्य आयात शुल्क पर 5 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी के आयात को अनुमति दी गई थी, जिसमें से 4.77 लाख टन चीनी का आयात कर लिया गया है, ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(मात्रा मीट्रिक टन में)

क्रम सं.	बंदरगाह	आवंटित मात्रा	प्राप्त मात्रा
1.	मुंबई	150000	149788

क्रम सं.	बंदरगाह	आवंटित मात्रा	प्राप्त मात्रा
2.	बैंगलोर	92785	92785
3.	विशाखापटनम	12538	10570
4.	चैन्नई	194675	174628
5.	कोलकाता	50000	50000
	कुल	499998	477771

(ग) एवं (घ) उपर्युक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

सी.ए.पी.सी. को जी.एस.टी. में छूट

4607. **श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस कैंटीन (सी.ए.पी.सी.) को माल और सेवाकर के दायरे से बाहर रखने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इससे केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कितना लाभ होने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी हां, ऐसे अनुरोध प्राप्त हुए हैं जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस कैंटीनों (सी.ए.पी.सी.) को आपूर्ति किए जाने वाले सामानों पर माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) से रियायत देने के लिए मांग की गई है लेकिन जी.एस.टी. परिषद ने इसकी सिफारिश नहीं की है।

'डाइट 4 लाइफ' कार्यक्रम

4608. **श्री पी. नागराजन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपने 'डाइट 4 लाइफ' कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा शिशु आहार की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत में शिशु आहार आयातित करने हेतु किसी निर्दिष्ट दिशानिर्देश का पालन किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) 'डाइट 4 लाइफ' कार्यक्रम मेटाबोलिज्म के इनबोर्न एरर (आई.ई.एम.) नामक मेटाबॉलिक विकृतियों हेतु समय से चिकित्सा सहयोग व उपचार का पता लगाने के लिए माता-पिता को प्लेटफार्म प्रदान करने हेतु भारतीय खाद्य सुरक्षा व मानक प्राधिकरण द्वारा एक पहल है।

मेटाबॉलिज्म के इनबोर्न एरर (आई.ई.एम.) व हाइपोएलर्जेनिक स्थितियों हेतु खाद्य संबंधी मानकों की अनुपस्थिति में तथा आई.ई.एम. वाले बच्चों हेतु स्पेशलाइज्ड डाईट्स की भारी कमी को देखते हुए, एफ.एस.एस.ए.आई. ने चिकित्सा समुदाय व माता-पिता सहयोग समूह के अनुरोध पर एक अंतरिम उपाय की अनुमति दी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 02.11.2016 के निदेशों के तहत आई.ई.एम. हेतु स्पेशलाइज्ड डाइट्स के आयात व घरेलू उत्पादन तथा हाइपोएलर्जेनिक स्थिति के लिए यह सुनिश्चित किया गया कि इस क्रिटिकल चिकित्सा आवश्यकता को पूरा किया जा सके। ऐसे उत्पादों हेतु मानकों की विकास की प्रक्रिया में भी तेजी लाई गई है। नवजात शिशुओं के खाद्य पदार्थों सहित सभी आयातित खाद्य पदार्थों को संघटन, लेबल व दावों सहित खाद्यसुरक्षा एवं मानक (आयात) विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

[हिंदी]

जलवायु परिवर्तन का आकलन

4609. **श्रीमती कमला पाटले**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वैश्विक ताप के कारण जलवायु परिवर्तन पर कोई वैज्ञानिक आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण खनन गतिविधियां हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का जलवायु परिवर्तन के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने जलवायु परिवर्तन के मानसून पर पड़ने वाले प्रभाव को जानने के लिए कोई अध्ययन किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन करने के लिए एक वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और उसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010 में "भारत में जलवायु परिवर्तन : एक 4x4 आकलन - 2030 के दशक के लिए एक क्षेत्रीय एवं आंचलिक विश्लेषण" शीर्षक से प्रकाशित किया गया था। इस अध्ययन में भारत के चार जलवायु संवेदी क्षेत्रों - हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, तटीय क्षेत्र और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था के चार मुख्य सेक्टरों नामत: कृषि, जल, वन तथा मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अध्ययन किया गया था। इस अध्ययन में कुछ फसलों की क्षति की दरों सहित कृषि उत्पादन की दरों में परिवर्तन, वनों की संरचना एवं निवल प्राथमिक उत्पादन में परिवर्तन की संभावना जताई गई है। सभी क्षेत्रों में अत्यधिक वृष्टिपात की घटनाओं में वृद्धि की संभावना है। हिमालयी क्षेत्रों में जल उत्पादन में वृद्धि होने का अनुमान है जबकि अन्य तीन क्षेत्रों में जल उत्पादन की मात्रा भिन्न-भिन्न होने का अनुमान है। नए क्षेत्रों में मलेरिया के फैलने का अनुमान लगाया गया है और इस अवधि के दौरान इसका संक्रमण बढ़ने का खतरा है।

(ख) खनन गतिविधियां, जलवायु परिवर्तन का प्रमुख कारण नहीं हैं और खनन गतिविधियों से होने वाली ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन भारतीय अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को वर्ष 2016 में प्रस्तुत की गई भारत की पहली द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार, खनन तथा उत्खनन से होने वाला ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन वर्ष 2010 में 4313.44 जीजी कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य था, जो कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जन का 0.2 प्रतिशत है।

(ग) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अध्ययन तथा कार्रवाई संस्थान का प्रावधान केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम - जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम में मौजूद है। तथापि, विवरण तैयार नहीं किये गये हैं।

(घ) हाल के कुछ अध्ययनों से पिछले 40-50 वर्षों के दौरान वृष्टिपात की बारम्बारता और तीव्रता में वृद्धि होने का पता चला है। तथापि, यह पुष्टि नहीं हो पाई है कि इसका संबंध वैश्विक तापन से है। जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्तर-सरकारी पैनल के और क्षेत्रीय जलवायु मॉडलों का प्रयोग करके किए गए हमारे देश के अपने आकलन से अनुमान लगाया गया है भविष्य में भारत में वृष्टिपात की बारम्बारता और अधिक बढ़ेगी।

(ङ) जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करने के लिए, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) कार्यान्वित की जा रही है जिसमें सौर ऊर्जा, संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता, वहनीय पर्यावास, जल, हिमालयी पारि-प्रणालियों का संपोषण, हरित भारत, वहनीय कृषि और जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इस योजना में, उन्नत भारत के विकास के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित अनुकूलन तथा उपशमन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अनेक कदमों की रूपरेखा दी गई है। 28 राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा तैयार की गई राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजनाएं (एस.ए.पी.सी.सी.), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के अनुरूप हैं।

परती वन भूमि

4610. **श्री हरीशचन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में परती वन भूमि का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का परती वन भूमि का उपयोग करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर वन और वृक्षावरण का आकलन किया जा रहा है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट-2017 इस श्रृंखला में नवीनतम है। भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित नवीनतम "भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017" के अनुसार, देश में कुल वन और वृक्षावरण 8,02,088 वर्ग कि.मी. है जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 24.39 प्रतिशत है।

भारतीय वन सर्वेक्षण ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार, विभिन्न घनत्व वर्गों में वृक्षावरण वर्गीकृत किया है:-

श्रेणी	वर्ग कि.मी. में क्षेत्रफल	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत
अत्यंत घने वन (70% और उससे अधिक वितान घनत्व)	98,158	2.99
मध्यम दर्जे के घने वन (40-70% वितान घनत्व)	3,08,318	9.38
खुले वन (10 से 40% वितान घनत्व)	3,01,797	9.18
कुल वनावरण	7,08,273	21.54
कुल वृक्षावरण	93,815	2.85
कुल वनावरण और वृक्षावरण	8,02,088	24.39

उपर्युक्त के अलावा, 10 प्रतिशत से कम वितानी घनत्व वाली अवक्रमित वन भूमि को झाड़ियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। झाड़ियों के तहत 45,979 वर्ग कि.मी. क्षेत्र होना सूचित किया गया है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 1.40 प्रतिशत है। कम वितानी घनत्व वाले क्षेत्रों में विशेषकर खुले वनों और झाड़ियों में वनावरण की वृद्धि के लिए, विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं और राज्य योजनाओं के तहत वनीकरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

स्वच्छता और जल हेतु सी.एस.आर. निधि

4611. **श्री जी.एम. सिद्देश्वरा:** क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सभी जल आधारित उद्योगों और संयंत्रों को उनके कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) निधि के एक अंश को विशेषकर सफाई और जल के संरक्षण के लिए खर्च करने को अनिवार्य बनाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी के लिए तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत भाग इस अधिनियम की अनुसूची-VII में निर्दिष्ट कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(3) और 135(4) में कंपनियों के बोर्ड को इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए सी.एस.आर. धनराशि के आवंटन के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार पहले से ही दिया गया है।

ट्रांसपोर्टर्स पर कर

4612. **श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारी वाहन ट्रांसपोर्टरों को आयकर नेट के अंतर्गत लाने और इसके लिए एक उपयुक्त बिल लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारी वाहन ट्रांसपोर्टरों का एसोसिएशन इस प्रस्ताव का जोरदार विरोध कर रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भारी वाहन ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं के समाधान हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) वित्त विधेयक, 2018 के खण्ड 16 के अंतर्गत सरकार ने भारी वाहनों के ऐसे मालिकों (जिनके पास 10 वाहन से अधिक वाहन नहीं है) जो आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 44कड के अंतर्गत अनुमानित योजना का विकल्प देते हैं, पर अलग दर से कर लगाए जाने का प्रस्ताव किया है। अधिनियम की धारा 44 कड में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इस आशय का प्रावधान किया जा सके कि भारी माल वाहन के मामले में लाभ और अभिलाभ, प्रत्येक माह अथवा माह का वह हिस्सा जिसके दौरान भारी माल वाहन पिछले वर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, के संबंध में वाहन के सकल भार का अथवा गैर ढुलाई भार, जैसा भी मामला हो के प्रति टन के 1 हजार रुपये अथवा ऐसे वाहन से वास्तविक रूप से अर्जित तथा दावा की गई धनराशि, इनमें से जो भी ज्यादा हो, के बराबर होगा।

इस संशोधन को 1 अप्रैल, 2019 (अर्थात् निर्धारण वर्ष 2019-20 से) से लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) इस प्रस्ताव को वापिस लेने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की जांच-पड़ताल की गई थी और इन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

ऋण चूककर्ताओं पर कार्रवाई

4613. **श्री प्रह्लाद सिंह पटेल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हीरे और आभूषण की एक सूचीबद्ध व्यापार कंपनी का अध्यक्ष 6712 करोड़ रुपयों का भुगतान किए बिना ही भाग गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रिंट मीडिया के अनुसार केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने 2017 में एफ.आई.आर. दर्ज किया है परंतु इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रवर्तन और सी.बी.आई. द्वारा क्या बयान जारी किए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 2018 (दिनांक 28.02.2018 तक) में हीरा और आभूषण का व्यापार करने वाली दो कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया है जिसमें कंपनियों के आरोपी अध्यक्ष विदेश भाग गए हैं जिससे विभिन्न खातों में हानि हुई है। ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

विवरण

वर्ष 2018 (दिनांक 28.02.2018 तक) में हीरा और आभूषण का व्यापार करने वाली दो कंपनियों के विरुद्ध मामला दर्ज मामले, जिनमें कंपनियों के आरोपी अध्यक्ष विदेश भाग गए हैं जिससे हानि हुई है, के विरुद्ध दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	वर्ष	मामला दर्ज करने की तारीख	संलिप्त कंपनी	फरार आरोपी	अंतर्ग्रस्त राशि	स्थिति
1.	2018	31.01.2018	• डायमंड आर यूएस • स्टेलर एक्सपोर्ट्स • स्टेलर डायमंड्स	नीरव मोदी	6,498.19 करोड़ रुपये	जांच की जा रही है
2.	2018	15.02.2018	• गीतांजलि जेम्स लि. • गिलि इंडिया लि. • नक्षत्र ब्रांड लि.	मेहुल चौकरी	7,080.86 करोड़ रुपये	जांच की जा रही है

स्रोतः सी.बी.आई.

[हिंदी]

औद्योगिक क्षेत्र और किसानों का एन.पी.ए.

4614. **श्री भरत सिंह:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस वर्षों में निजी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) का ब्यौरा क्या है;

(ख) किसानों के ऋणों की तुलना में औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित पी.एस.बी. के गैर-निष्पादनकारी आस्तियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आपसी समझौते के अंतर्गत पी.एस.बी. द्वारा कितनी धनराशि वापस ली गई है तथा बैंकों को इससे कितना नुकसान हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) घरेलू परिचालनों पर भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के आंकड़ों के अनुसार पिछले 10 वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों के समग्र सकल एन.पी.ए. (जी.एन.पी.ए.) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संबंध में उद्योग क्षेत्र की तुलना में किसानों से संबंधित एन.पी.ए. का, आर.बी.आई. द्वारा पी.एस.बी. के लिए 'उद्योग' और 'कृषि तथा उससे जुड़ी हुई गतिविधियों' श्रेणियों सहित जी.एन.पी.ए. का श्रेणी-वार प्रदान किया गया विवरण अनुबंध में दिया गया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) पी.एस.बी. द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान पी.एस.बी. ने एकबारगी समझौते, जो कि उधारदाता और उधारकर्ता के बीच में समझौते अथवा विचार-विमर्श से निपटान द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया जाता है, के अंतर्गत 10,899 करोड़ रुपये की राशि वसूल की थी और 9,062 करोड़ रुपये की राशि बट्टे खाते डाली थी।

समझौते अथवा विचार-विमर्श से निपटान द्वारा पारस्परिक समझौते के संबंध में आर.बी.आई. ने वाणिज्यिक बैंकों को परामर्श दिया है कि वे अपने बोर्ड द्वारा जांच की गई ऋण वसूली नीतियां तैयार करें, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुमत त्याग और उस पर विचार करने से पहले ध्यान में रखे जाने वाले कारकों के लिए मानदण्ड निर्धारित किए जाएं।

(घ) बैंकों के एन.पी.ए. को कम करने/नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 को दबावग्रस्त आस्तियों के समयबद्ध समाधान के लिए अधिनियमित किया गया है। इसके अलावा, सरकार ने इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन समाधान प्रक्रिया आरंभ करने के लिए बैंकों को निदेश जारी करने हेतु आर.बी.आई. को प्राधिकार देने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 को पिछले वर्ष संशोधित किया है। इस संशोधनकारी विधान के उपबंधों के अंतर्गत आर.बी.आई. ने इस संहिता के अंतर्गत दिवालियापन प्रक्रिया आरंभ करने के लिए दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 5,000 करोड़ रुपये से अधिक बकाया राशि तथा 60 प्रतिशत या उससे अधिक राशि की अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत 12 खातों को संदर्भित करने के लिए कुछेक बैंकों को निदेश जारी किए हैं। इन निदेशों के अनुसार, बैंकों ने इन खातों के संबंध में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण के समक्ष आवेदन दायर किए हैं। इसके अलावा, संहिता को लागू किए जाने को ध्यान में रखते हुए, आर.बी.आई. ने दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए हाल ही में संशोधित संरचना जारी की है, जिसमें उच्च मूल्य वाले दबावग्रस्त खातों के समबयद्ध समाधान के लिए व्यवस्था, समाधान योजना का पालन 180 दिनों के भीतर न किए जाने के मामले में संहिता के अंतर्गत दिवालियापन आवेदन दायर करने की आवश्यकता के संबंध में उपबंध किए गए हैं।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसे वर्ष 2016 में संशोधित किया गया था। इसके अलावा, वसूली में तीव्रता लाने के लिए छः नए ऋण वसूली अधिकरण स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा, पी.एस.बी. के सुधार एजेंडा के अंतर्गत पी.एस.बी. ने, अन्य बातों के साथ-साथ, कठोरता से वसूली के लिए दबावग्रस्त आस्ति प्रबंधन वर्टिकल्स सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

विवरण

सकल अनुपयोज्य आस्तियां

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक समूह	31.03.2008 की स्थिति के अनुसार	31.03.2009 की स्थिति के अनुसार	31.03.2010 की स्थिति के अनुसार	31.03.2011 की स्थिति के अनुसार	31.03.2012 की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंक	39,600	44,032	57,293	71,080	1,12,489
निजी क्षेत्र के बैंक	12,976	16,888	17,384	17,972	18,315

बैंक समूह	31.03.2013 की स्थिति के अनुसार	31.03.2014 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2017 की स्थिति के अनुसार
सरकारी क्षेत्र के बैंक	1,55,890	2,16,739	2,67,065	5,02,068	6,41,057
निजी क्षेत्र के बैंक	19,986	22,738	31,576	48,380	73,842

स्रोत: आर.बी.आई. (घरेलू परिचालन)

दिनांक 31.3.2017 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों के सकल एन.पी.ए. का श्रेणी-वार विवरण

राशि करोड़ रुपये में

बैंक	उद्योग	कृषि एवं उससे जुड़ी हुई गतिविधियां	सेवाएं	फुटकर ऋण	अन्य गैर-खाद्य ऋण
1	2	3	4	5	6
इलाहाबाद बैंक	15,104	1,320	3,398	698	0
आन्ध्रा बैंक	14,846	1,157	1,208	458	-
बैंक ऑफ बड़ौदा	19,669	5,139	8,142	1,986	-
बैंक ऑफ इंडिया	28,651	3,814	8,775	1,484	0
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	10,248	1,874	4,274	484	309
केनरा बैंक	22,390	2,757	2,871	1,067	2,715
सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	19,667	2,579	3,186	1,820	-
कार्पोरेशन बैंक	12,559	823	2,917	746	-
देना बैंक	9,065	1,671	908	746	230
आईडीबीआई बैंक लि.	30,992	1,696	3,517	447	1,570
इंडियन बैंक	7,249	604	663	478	593
इण्डियन ओवरसीज बैंक	22,785	3,646	3,805	2,285	0
ओरियंटल बैंक ऑफ कामर्स	17,898	1,565	2,882	515	0
पंजाब एंड सिंध बैंक	3,843	612	1,403	440	-
पंजाब नेशनल बैंक	36,504	6,626	8,126	1,864	0
सिंडिकेट बैंक	9,320	2,246	2,486	1,610	-
यूको बैंक	16,030	1,232	2,941	1,451	45
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	20,475	2,635	7,358	451	8

1	2	3	4	5	6
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7,331	1,148	2,045	428	-
विजया बैंक	4,622	545	1,078	137	0
भारतीय स्टेट बैंक एवं तत्कालीन सहयोगी	1,40,835	13,332	12,703	4,201	0
कुल	4,70,084	57,021	84,686	23,795	5,470

स्रोत: आर.बी.आई. (घरेलू परिचालन)

धनराशि की कपटपूर्वक निकासी

4615. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान ग्राहकों के आधार नंबर का प्रयोग कर बैंक खातों से कपटपूर्वक निकाली गई धनराशि की कुल कितनी घटनाएं प्रकाश में आई हैं;

(ख) क्या इन कपटों के लिए जिम्मेवार बैंक कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) रिपोर्ट किए गए ऐसे मामलों का महाराष्ट्र सहित बैंक, धनराशि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा बैंकों में ऐसे कपट का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा सूचित आंकड़ों के अनुसार, कुछ बैंकों में ग्राहकों के आधार नंबर का उपयोग करते हुए बैंक खातों से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से धन के आहरण की घटनाएं हुई हैं। अंतर्ग्रस्त राशि, ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों और उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध की गई कार्रवाई सहित ऐसे मामलों का बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

धन की धोखाधड़ीपूर्ण रूप से निकासी

क्र.सं.	बैंक	मामलों की संख्या	संलिप्त राशि (लाख रुपये में)	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5
1.	इलाहाबाद बैंक	1	0.49	एफआईआर दर्ज की गई है और संलिप्त स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2.	बैंक ऑफ इंडिया	2	137*	दोनों मामलों में व्यवसाय प्रतिनिधियों/स्टाफ द्वारा आधार नंबरों की गलत/धोखाधड़ीपूर्ण मैपिंग की गई थी। बैंक ने आधार नंबरों की मैपिंग, नियंत्रण उपायों को सुदृढ़ बनाकर और भविष्य में ऐसी धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए निरीक्षणों की संख्या बढ़ाकर उचित निगरानी रखने के लिए परिचालनात्मक स्टाफ को सुग्राह्य बनाया है। बैंक ने दोषी स्टाफ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रारंभ की है। इसके अतिरिक्त, बैंक ने ऐसी धोखाधड़ियों की रोकथाम सुनिश्चित करने के लिए अनुवर्ती निरीक्षणों को भी बढ़ाया है।

1	2	3	4	5
3.	सिंडिकेट बैंक	2	2.26	एक मामले में, विस्तृत जांच के उपरांत, आधारकार्ड को गलत जोड़ने के लिए उत्तरदायी स्टाफ सदस्यों को लापरवाही के लिए चेतावनी दी गई थी। अन्य मामले में विस्तृत जांच की गई है और संबंधित स्टाफ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इसके अतिरिक्त, बैंक खातों से धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से निकाली गई राशियों को वसूल कर लिया गया है तथा ग्राहकों को भुगतान कर दिया गया है।
4.	यूको बैंक	1	1.95	दोषी स्टाफ तथा संबंधित व्यवसाय प्रतिनिधि के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, संबंधित व्यवसाय प्रतिनिधि की सेवाएं समाप्त कर दी गई है तथा शाखा के तत्कालीन प्रबंधक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। ऐसी धोखाधड़ियों की रोकथाम के लिए बैंक के स्टाफ जागरूकता को बढ़ाने और सम्यक सावधानी सुनिश्चित करने हेतु अनुदेश जारी किए हैं। बैंक ने हानि हुई राशि के लिए ग्राहकों को मुआवजा दिया है।

*निकटतम लाख में पूर्णांकित

स्रोत: बैंक

[अनुवाद]

काला आजार का उन्मूलन

4616. **श्रीमती के. मरगथम:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या काला आजार मलेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा परजीवी हत्यारा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं;

(ख) क्या सरकार काला आजार (ब्लैक फीवर) के उन्मूलन के लिए घोषित दिसंबर 2017 की समय-सीमा से पीछे रह गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पीछे क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान रिपोर्ट किए गए काला आजार के मामलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार इसके उन्मूलन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कौन-सी कार्यनीति अपनाई गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) लेंसेट-एन इंटरनेशनल मेडिकल जनरल में प्रकाशित ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजिज स्टडी, 2013 के अनुसार विषेरल लेसमनिसायासिस (काला आजार) मृत्यु के लिए दूसरा सबसे बड़ा उपेक्षित उष्ण कटिबंधीय रोग है। इस रिपोर्ट के अनुसार, काला आजार के संबंध में आयु-मानकीकृत मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 0.9 थी। विषेरल लेसमनिसायासिस के कारण मृत्यु मुख्यत: स्वास्थ्य केन्द्र में मामले की रिपोर्टिंग में विलंब करने के कारण होती है।

(ख) सभी महामारी ब्लॉकों में ब्लॉक स्तर पर प्रति 10,000 जनसंख्या पर काला आजार के एक मामले से कम के उन्मूलन लक्ष्य की तुलना में, 2017 तक, 633 महामारी ब्लॉकों में से 559 (88 प्रतिशत) ब्लॉक उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं और शेष 74 ब्लॉकों (बिहार से 49 व झारखंड से 25 ब्लॉक) में निम्नवत् कारणों के कारण उन्मूलन लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका है:-

1. नए फोसी से मामलों की रिपोर्टिंग।
2. लगभग 2 वर्ष की लंबी इनक्यूबेशन अवधि।
3. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में स्थित महामारी ब्लॉक।
4. गरीब और सीमांत समुदाय में स्वदेशी स्वास्थ्य की मांग करने वाला व्यवहार।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान काला आजार के मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के भाग राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एन.वी.बी.डी.सी.पी.) के व्यापक कार्यक्रम तहत कम से कम अवधि के भीतर इस रोग के उन्मूलन के उद्देश्य से सरकार निरंतर प्रयास कर रही है।

विवरण

वर्ष 2015 से भारत में काला आजार की स्थिति

क्र.सं.	प्रभावित राज्य	2015		2016		2017 (पी)		2018 (पी) फरवरी तक	
		सी	डी	सी	डी	सी	डी	सी	डी
1.	बिहार	6517	5	4773	0	4127	0	448	0
2.	झारखंड	1262	0	1185	0	1358	0	98	0
3.	पश्चिम बंगाल	576	0	179	0	156	0	10	0
4.	उत्तर प्रदेश	131	0	107	0	115	0	3	0
5.	उत्तराखंड	3	0	2	0	2	0		
6.	असम	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	सिक्किम	5	0	1	0	0	0		
8.	केरल	4	0	2	0	0	0		
9.	पंजाब*	1	0	0	0	0	0	0	
	कुल	8500	5	6249	0	5758	0	559	0

नोट: सी = मामले, डी = मौतें, * = आयातित, (पी) = अनंतिम

[हिंदी]

अल्कोहल पर जी.एस.टी.

4617. **श्री राम टहल चौधरी:**

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवाकर (जी.एस.टी.) अल्कोहल पर नहीं लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है; और

(ग) विदेशी और भारतीय शराब पर पृथक-पृथक कितना जी.एस.टी. लगाया गया है तथा इस संबंध में निर्धारित मानदंड क्या हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी हां, संविधान का अनुच्छेद 366 का खण्ड 12 क "मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति पर करों को छोड़कर माल अथवा सेवाओं अथवा दोनों की आपूर्ति पर किसी भी कर" को "माल और सेवा कर (जी.एस.टी.)" के रूप में परिभाषित करता है।

अत: मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति माल और सेवा कर के दायरे में नहीं आती है। यह निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि मानव उपभोग के लिए मादक शराब राज्यों के राजस्व का प्रमुख स्रोत है।

इस प्रकार, वर्तमान में, मानव उपभोग के लिए मादक शराब पर राज्यों द्वारा उत्पाद शुल्क, वैट, आदि जैसे करों को लगाया जाता है।

[अनुवाद]

बच्चों के लिये उपयोग हेतु तैयार पोषणयुक्त आहार

4618. **श्री असादुद्दीन ओवैसी:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने बड़े पैमाने पर व्याप्त कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु एक कार्यनीति के रूप में डिब्बा बंद आहार पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने बच्चों के लिये उपयोग हेतु तैयार पोषणयुक्त आहार (आर.यू.टी.एफ.) को बच्चों के लिये उपयुक्त नहीं पाया है और उसने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को यह लिखा है कि बच्चों हेतु आर.यू.टी.एफ. का समर्थन करने हेतु पर्याप्त आधार नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने आर.यू.टी.एफ. में कौन सी कमियां पाई हैं और इस संबंध में राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की प्रतिक्रिया क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) से (ग) सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को एडवाइजरी जारी की है कि गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों के प्रबंधन के लिए सदस्य, नीति आयोग की अध्यक्षता में पोषण पर राष्ट्रीय तकनीकी बोर्ड के परामर्श से व्यक्तिगत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आर.यू.टी.एफ. प्रदान करने का निर्णय लिया जाए।

आयुर्वेदिक औषधालयों में दवाइयों की आपूर्ति

4619. **श्री नलीन कुमार कटील**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में आयुर्वेदिक औषधालय मांग के अनुसार दवाइयों की आपूर्ति एक सप्ताह की अवधि बीतने के पश्चात् भी नहीं कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है;

(ख) क्या सरकार ने मांग के अनुसार दवाइयों की आपूर्ति के संबंध में कोई दिशानिर्देश निर्धारित किया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रोगियों को असुविधा से बचाने के लिये औषधालयों के नियमित निरीक्षणों हेतु सरकार ने कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या रोगियों को दवाइयों की समय पर आपूर्ति के लिये सरकार कोई कड़ा उपाय कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) उन आयुर्वेदिक दवाओं की मांग की आपूर्ति में कुछ विलंब होता है, जिनकी आपूर्ति प्राधिकृत स्थानीय कैमिस्टों के द्वारा की जाती है; क्योंकि दो ए.एल.सी. सी.जी.एच.एस. के साथ करार से बाहर हो गए हैं।

(ख) ए.एल.सी. की नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार इन ए.एल.सी. से मांग की गई इन दवाओं की आपूर्ति अगले कार्य दिवस पर करने की आशा की जाती है, ऐसा न करने की स्थिति में प्रतिदिन 500/- रुपये की शास्ति लगाई जाएगी।

(ग) संबंधित सी.जी.एच.एस. जोन के अतिरिक्त निदेशक द्वारा नियमित निरीक्षण किया जाता है।

(घ) रोगियों को समय पर दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

- नियमित ए.एल.सी. की नियुक्ति के लिए नई निविदा प्रक्रिया के लिए कार्रवाई शुरू की गई है।
- मांग की गई दवाओं की आपूर्ति में विलंब के लिए प्रतिदिन 500/- रुपये की शास्ति लगाने के लिए एक शास्ति खंड है।

शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं का यौन उत्पीड़न

4620. **श्री बदरुद्दीन अजमल**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को शैक्षणिक संस्थानों में महिला स्टाफ के उत्पीड़न और यौन शोषण के बारे में शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने कौन से ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) क्या ऐसे मामले महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत आते हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का इन्हें उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ङ) महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) अधिनियम, 2013 के अनुसार सभी कार्यस्थल, जिनमें उपयुक्त सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रित

अथवा प्रत्यक्ष या अपत्यक्ष रूप से प्रदत्त निधियों द्वारा पूर्णरूप से अथवा अधिकांशत: वित्त पोषित कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापना, संस्था, कार्यालय, शाखा अथवा इकाई अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी कम्पनी या निगम अथवा सहकारी समिति शामिल है, जिसमें 10 से अधिक कर्मी कार्यरत हैं, अधिदेशित है कि वे अपने यहां लैंगिक उत्पीड़न की शिकायतें प्राप्त करने के लिए आंतरिक शिकायत समितियां गठित करें। शैक्षणिक संस्थाएं भी इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

अधिनियम के अनुसार, सभी नियोक्ताओं का दायित्व है कि वे अपने संगठनों में आंतरिक शिकायत समितियां गठित करें। यदि कोई नियोक्ता आंतरिक शिकायत समिति गठित करने में विफल रहता है अथवा इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम का उल्लंघन करता है अथवा उल्लंघन का पग्रास या उल्लंघन के लिए उकसाता है, तो वह अधिकतम 50,000/- रुपये के जुर्माने से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम के अनुसार, आंतरिक शिकायत समितियों को इस प्रकार की शिकायतों का कारगर तरीके से और एक समयबद्ध आधार पर निपटान करने का अधिकार है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उच्च शिक्षा संस्थाओं के परिसरों में सामान्यत: सभी युवाओं और विशेषकर लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने के लिए एक कार्यबल गठित किया था। कार्यबल ने 30 अक्तूबर, 2013 को "सक्षम - परिसरों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जैंडर संचेतना के कार्यक्रमों के लिए उपाय" शीर्षक से अपनी रिपोर्ट विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को प्रस्तुत की।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यबल की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (उच्चतर शिक्षण संस्थाओं में महिला कर्मचारियों और छात्राओं के लैंगिक उत्पीड़न का निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोषण) विनियम, 2015 अधिसूचित कर दिए हैं। इन विनियमों के उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं के दायित्वों, शिकायत निवारण तंत्र, शिकायत करने और जांच आयोजित करने की प्रक्रिया, आंतरिक निवारण दंड और प्रतिपूर्ति, अनुपालन न किए जाने के परिणाम आदि दिए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सभी विश्वविद्यालयों को परामर्शी जारी की है कि वे उच्चतर शैक्षणिक संस्थाओं में आयोग के इन विनियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

जैसा कि केंद्रीय विद्यालय संगठन से सूचित किया है, शैक्षणिक संस्थाओं में महिला कर्मचारियों के उत्पीड़न और यौन शोषण के बारे में 10 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन से महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के मामलों को निपटाने के लिए मुख्यालय स्तर पर तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 'शिकायत निराकरण समितियां' गठित की हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं के माध्यम से जेंडर संचेतना और जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित करता है।

कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट

4621. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पश्चिम घाटों के संरक्षण से संबंधित कस्तूरीरंगन पैनल की रिपोर्ट संबंधी अंतिम अधिसूचना के बारे में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) डॉ. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कार्य-दल (एच.एल.डब्ल्यू.जी.) ने बताया है कि पश्चिमी घाट का क्षेत्रफल 164280 वर्ग कि.मी. है जो छ: राज्यों (i) केरल, (ii) तमिलनाडु, (iii) गोवा, (iv) कर्नाटक, (v) महाराष्ट्र और (vi) गुजरात के 188 तालुकों में 1500 कि.मी. क्षेत्र में फैला है। एच.एल.डब्ल्यू.जी. ने पश्चिमी घाट के कुल भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 37 प्रतिशत भाग को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र (ई.एस.ए.) के रूप में चिह्नित किया है।

इस क्षेत्र में वहनीय विकास को सुगम बनाने के लिए, एच.एल.डब्ल्यू.जी. ने केंद्र सरकार से सिफारिश की थी कि वह एच.एल.डब्ल्यू.जी. द्वारा सीमांकित क्षेत्र को जनहित में पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करे। तद्नुसार, इस मंत्रालय ने दिनांक 10.03.2014 को एक मसौदा अधिसूचना जारी करके पश्चिमी घाट क्षेत्र के छ: राज्यों के 56,825 वर्ग कि.मी. क्षेत्र को पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र घोषित किया था। इसके बाद, पश्चिमी घाट क्षेत्र के पारिस्थितिकी संवेदी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की चिंताओं और आशंकाओं का निराकरण करने के बाद दिनांक 04.09.2015 और 27.02.2017 को मसौदा अधिसूचनाएं प्रकाशित की गई थीं जिन पर राज्य सरकारों सहित सभी संबंधित पक्षों के विचार मांगे गए थे।

राष्ट्रीय दंत चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र

4622. **श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय दंत चिकित्सा अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके प्रस्तावित कृत्य क्या हैं; और

(ग) उक्त केन्द्र कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गर्भवती महिलाओं हेतु अनिवार्य एच.आई.वी./एड्स जांच

4623. **श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:**
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री राजीव सातव:
श्री धनंजय महाडीक:
डॉ. जे. जयवर्धन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में एच.आई.वी. संचरण के मुख्य कारणों में से एक मां से बच्चों को संचरण है;

(ख) यदि हां, तो जांच की गई गर्भवती महिलाओं का ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इनमें से एच.आई.वी./एड्स के साथ संक्रमितों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार ने एच.आई.वी./एड्स जांच अनिवार्य की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में एच.आई.वी./एड्स विषाणु के माता से शिशु संक्रमण के मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या एच.आई.वी./एड्स संक्रमित बच्चों और उपचार पा रहे संक्रमित बच्चों में अंतर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा एम.टी.सी.टी. एच.आई.वी. संक्रमण को रोकने के लिए और देश में ऐसी माताओं और बच्चों के साथ कलंक को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में जनवरी, 2018 तक, देश में बच्चों (0-14 वर्ष) के बीच माता-पिता से बच्चे में एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण के सूचित किए गए मामलों की कुल संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) जी, हां। एच.आई.वी. एड्स संक्रमित बच्चों और उपचार प्राप्त कर रहे बच्चों के बीच लगभग 15.9 प्रतिशत का अन्तर है। इसका कारण है "जांच और उपचार नीति" के कार्यान्वयन से पूर्व एंटीरेट्रोवायरल थैरेपी (ए.आर.टी.) की शुरुआत करने हेतु पात्रता मानदंड। यह कार्यक्रम "मिशन संपर्क" के माध्यम से बच्चों तक पहुंच बनाकर इस अंतर को समाप्त करने का प्रयास कर रहा है।

नाको देश में स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों और समुदाय में कलंक व भेदभाव को कम करने के लिए मल्टीमीडिया अभियान चला रहा है जिसमें आउटडोर मीडिया जैसे होर्डिंग, बस पैनल, सूचना पटल, लोक प्रदर्शन और प्रदर्शनी वैन के द्वारा समर्थित मास मीडिया शामिल है।

विवरण

देश में बच्चों के बीच माता-पिता से बच्चे में एच.आई.वी./एड्स के संक्रमण के सूचित किए गए मामलों की कुल संख्या

वर्ष	माता-पिता से बच्चे में एचआईवी/एड्स के संक्रमण (0-14 वर्ष)
2014-15	8,165
2015-16	9,286
2016-17	8,540
2017-18 (जनवरी तक)	6,637

[हिंदी]

गांवों को दूसरे स्थान पर बसाना

4624. **श्री अर्जुन लाल मीणा:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का राजस्थान में रणथंभौर बाघ रिजर्व से कतिपय गांवों को कहीं अन्य स्थान पर बसाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) भारत सरकार, बाघ परियोजना की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत देश के सभी बाघ रिजर्वों को विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निधियों की उपलब्धता और अन्य निर्धारित औपचारिकताओं के अध्यधीन राज्यों की वार्षिक कार्य-योजना में की गई मांग के आधार पर गांवों को अन्यत्र बसाया जाना शामिल है। बाघ रिजर्वों के कोर/महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास को सुरक्षित बनाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर गांवों को स्थानांतरित किया जाता है, जिसके लिए अन्य निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के अलावा परिवारों की सहमति और उचित प्रतिबद्धता के साथ, उनकी संख्या दर्शाने वाला विस्तृत प्रस्ताव अपेक्षित है।

चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, राजस्थान सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

बी.बी.बी.पी. योजना के अंतर्गत निधियों का उपयोग

4625. **कुमारी सुष्मिता देव:**

श्री सुशील कुमार सिंह:

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य का संज्ञान लिया है कि विगत चार वर्षों में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ (बी.बी.बी.पी.) योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को जारी की गई कुल निधियों में से केवल कुछ ही करोड़ रुपये उपयोग किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस योजना के अंतर्गत निधियों के इतने कम उपयोग के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत निधियों के उपयोग में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) योजना का प्रभावी क्रियान्वयन करने में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की क्या भूमिका है; और

(ङ) क्या सरकार का योजना के राज्य घटक की केन्द्रीय हिस्सेदारी को विद्यमान 60:40 से बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) 09.03.2018 की स्थिति के अनुसार वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए जारी की गई 1337.49 लाख रुपये, 3908.91 लाख रुपये और 290.07 लाख रुपये की राशि के विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 36.89 लाख रुपये, 1078.13 लाख रुपये और 786.41 लाख रुपये का उपयोग किया गया है। पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान जारी की गई निधियों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बी.बी.बी.पी. की दक्षता बनाए रखने के लिए वित्त मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त, 2016 में योजना के वित्त पोषण की संरचना को संशोधित किया गया। इस प्रकार वित्त वर्ष 2016-17 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत मंत्रालय ने उनके जिले में बी.बी.बी.पी. अभियान के कार्यान्वयन के लिए चुनिंदा 161 जिलों के जिला कलेक्टरों/आयुक्तों को सीधे सहायता अनुदान का संवितरण शुरू किया है।

जिलों को निधियां सीधे जारी करने से जिला कलेक्टरों द्वारा बी.बी.बी.पी. योजना के लिए एक समर्पित खाता खोलने की आवश्यकता थी। निधियां प्राप्त करने में जिले को समर्थ बनाने के लिए पी.एफ.एम.एस. के तहत समर्पित बैंक खाता खोलना एवं पंजीकरण कराना चुनौतिपूर्ण कार्य था। निरंतर अनुवर्तन से यह कार्य हो गया है। इस वजह से निधियों की निर्मुक्ति एवं उपयोग अपेक्षाकृत कम है। तथापि वित्तीय लक्ष्य को हासिल करने के लिए मंत्रालय द्वारा सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग किया गया है जैसे कि राज्यों/जिला प्रशासन के साथ वीडियो कांफ्रेंस और रेडियो, टीवी अभियान सहित एक व्यापक 360 डिग्री एप्रोच के साथ मीडिया अभियान, सिनेमा हॉल

के माध्यम से विज्ञापन, अखबारों में विज्ञापन, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का उपयोग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के गीत एवं नाटक प्रभाग के माध्यम से समुदाय की भागीदारी। गीत एवं नाटक प्रभाग के कार्यक्रमों तथा लोक मीडिया की सहायता से तथा मंत्रालय के अधिकारियों के निगरानी दौरों के माध्यम से जिला प्रशासनों को बी.बी.बी.पी. अभियान के लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को हासिल करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तथा निधियों का प्रयोग बढ़ा है।

(घ) और (ङ) 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषण से केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में यह स्कीम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से समन्वित एवं रणनीतिक ढंग से कार्यान्वित की जा रही है। तथापि बुनियादी स्तर पर बी.बी.बी.पी. योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी उनके राज्य/संघ राज्य क्षेत्र तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन में जिला प्रशासन की है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर पर नोडल मंत्रालय के रूप में योजना की देखरेख कर रहा है, इसी तरह राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास/समाज कल्याण विभाग द्वारा योजना के कार्यान्वयन की निगरानी की जा रही है और सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण

गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान बी.बी.बी.पी. के अन्तर्गत जारी निधि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(राशि लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी की गई निधि			
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18*
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	38.55	16.2525	21.66348
2.	आंध्र प्रदेश	36.34	8.45	-	25.71001
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	43.42	-	32.505
4.	असम	36.34	8.45	-	2.77925
5.	बिहार	36.34	8.45	-	20.7132
6.	छत्तीसगढ़	-	44.79	-	36.9142
7.	चंडीगढ़	-	32.50	-	19.525
8.	दादरा और नगर हवेली	-	38.55	-	16.36
9.	दमन और दीव	13.81	20.95	-	11.9
10.	दिल्ली	-	231.27	-	97.85887
11.	गोवा	-	44.79	-	-
12.	गुजरात	-	318.05	-	112.92536
13.	हरियाणा	223	434.91	126.58	408.873
14.	हिमाचल प्रदेश	36.34	49.55	-	89.7198
15.	जम्मू और कश्मीर	28.95	366.54	15.6225	260.24063

1	2	3	4	5	6
16.	झारखंड	-	39.83	-	-
17.	कर्नाटक	-	41.48	-	32.505
18.	केरल	-	44.79	-	-
19.	मध्य प्रदेश	101.35	109.14	22.7497	101.29506
20.	महाराष्ट्र	158.73	370.88	-	295.3895
21.	मणिपुर	18.14	8.72	-	44.9501
22.	मेघालय	-	43.24	16.225	17.12517
23.	मिजोरम	-	44.79	-	32.5
24.	नागालैंड	36.34	8.45	24.0475	23.3
25.	ओडिशा	18.14	26.65	-	31.79516
26.	पुदुचेरी	-	18.15	-	28.1135
27.	पंजाब	250.97	385.26	-	510.99465
28.	राजस्थान	115.43	357.47	36.0887	245.6982
29.	सिक्किम	-	44.79	32.505	42.0875
30.	तमिलनाडु	18.14	23.04	-	30.88
31.	तेलंगाना	-	44.79	-	11.32149
32.	त्रिपुरा	-	44.79	-	-
33.	उत्तर प्रदेश	187.98	429.73	-	569.25
34.	उत्तराखंड	21.15	133.50	-	96.40005
35.	लक्षद्वीप	-	-	-	27.555
	कुल	1337.49	3908.91	290.0709	3298.84818

*9.3.2018 तक

भारतीय मिशनों में योग शिक्षक

4626. **श्री बी. श्रीरामुलु:**

श्रीमती अंजू बाला:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विश्व भर में योग को लोकप्रिय बनाने के लिए ज्यादा योग शिक्षकों और योग पेशेवरों को प्रशिक्षित करने के लिए विदेश में स्थित भारतीय मिशनों में योग शिक्षकों की नियुक्ति की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में बजट आवंटन क्या है;

(ग) क्या सरकार ने विदेश स्थित भारतीय मिशनों में योग शिक्षकों की भर्ती और प्रशिक्षण के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) का चयन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विदेशों में योग के विस्तार के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (घ) जी, हां। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) ने सूचित किया है कि उन्होंने योग, संस्कृत और वेद पढ़ाने के लिए विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों में एवं पदों पर भारतीय संस्कृति के शिक्षकों (टी.आई.सी.) को नियुक्त किया है। 2017-18 में 4.27 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया था। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि आई.सी.सी.आर. भारतीय सांस्कृतिक केंद्रों में योग शिक्षकों की तैनाती करके अपने सांस्कृतिक केंद्रों के माध्यम से 1980 से विदेशों में योग शिक्षण को बढ़ावा दे रही है। कुल 112 टी.आई.सी. तैनात किए गए हैं और उनमें से 50 ने पहले ही अपने संबंधित मिशनों/पदों पर कार्य भार ग्रहण कर लिया है। आई.सी.सी.आर. प्रदर्शन और साक्षात्कार से संबंधित चयन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों को शामिल करता है। आई.सी.सी.आर. ने टी.आई.सी. के रूप में तैनात योग शिक्षकों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया है।

(ङ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग (आई.सी.) की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत आयुष मंत्रालय योग सहित आयुष चिकित्सा पद्धतियों के वैश्विक संवर्धन और लोकप्रियता के लिए विभिन्न उपाय करता है। आयुष मंत्रालय योग प्रदर्शन तथा व्याख्यानों के लिए पर्यटन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय इत्यादि और विदेशों में भारतीय मिशनों द्वारा आयोजित मेलों/कार्यशालाओं में भाग लेने के लिए योग विशेषाज्ञों की प्रतिनियुक्ति करता है। आयुष मंत्रालय प्रमाणिक सूचना के प्रसार के लिए भारतीय मिशनों/ आई.सी.सी.आर. सांस्कृतिक केंद्रों के परिसरों में आयुष सूचा प्रकोष्ठ स्थापित करता है। अभी तक 25 देशों में 28 आयुष सूचना प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। आयुष मंत्रालय योग सहित आयुष के अंतर्राष्ट्रीय प्रचार-प्रसार की व्यापक पहुंच के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/सेमिनारों/रोड शो/व्यापार मेलों इत्यादि का आयोजन/भागीदारी करता है।

आयुष मंत्रालय ने योग विशेषज्ञों के ज्ञान और कौशल की विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने के लिए विकसित योग व्यावसायिकों के स्वैच्छिक प्रमाण के लिए एक स्कीम आरंभ की है। इस स्कीम का उद्देश्य योग व्यावसायिकों की क्षमता के स्तर को प्रमाणित करना है जिससे देश में और देश के बाहर उनकी तैनाती में सहायता मिलेगी।

विश्वविद्यालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आई.सी.सी.आर.) के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के तहत यून्नान मिंजु विश्वविद्यालय, चीन में "भारत-चीन योग कॉलेज" नामक एक योग कॉलेज स्थापित किया गया है। आयुष मंत्रालय ने दो विशेषज्ञों में से एक विशेषज्ञ को नियुक्त किया है।

आयुष मंत्रालय के सहयोग से आई.सी.सी.आर. योग प्रदर्शनों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों आदि सहित विभिन्न कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पदों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन को सुगम बनाता है।

लोगों की वनों पर निर्भरता

4627. **एडवोकेट जोएस जॉर्ज:**

श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनों की सीमाओं पर स्थित गांवों में आधे से ज्यादा परिवारों के पास कोई भूमि नहीं है तथा उनमें से अधिकांश परिवारों की औसत आय आठ हजार रुपये प्रतिमाह से कम है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वन अधिनियम, 1927 उपनिवेश-काल का एक कानून है जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों द्वारा वनों के स्रोतों का उपयोग करने के लिए दंड का प्रावधान है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; क्या सरकार का यह मत है कि वन संबंधी अपराधों की उच्च्व दर वनों पर लोगों की निर्भरता को दर्शाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(ख) जी, नहीं। भारतीय वन अधिनियम, 1927 के प्रावधानों के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ अतिक्रमण और वन संसाधनों की अनधिकृत रूप से चोरी तथा उपयोग जैसी गतिविधियां दंडनीय अपराध है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) वन पर निर्भर लोगों के हितों की सुरक्षा के लिए सरकार ने "पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों का विस्तार) अधिनियम, 1996, "अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006", अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 आदि लागू किए हैं।

हाथियों का संरक्षण

4628. **श्रीमती कोथापल्ली गीता**:

श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पानी की कमी, वन क्षेत्रों में कमी, वन क्षेत्रों में लोगों के आवागमन, तस्करी गतिविधियों, इत्यादि के कारण आंध्र प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र कडप्पा-चित्तूर के निकट सेशाचलम वन क्षेत्र में हाथियों को दिक्कत हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ग) आंध्र प्रदेश में सेशाचलम वन क्षेत्र में भविष्य में हाथियों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आंध्र प्रदेश में सेशाचलम वन क्षेत्र में हाथियों की सुरक्षा के लिए राज्य वन विभाग के साथ-साथ सरकार द्वारा उठाए गए कदम इस प्रकार हैं:

(i) देश में हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं "हाथी परियोजना" के तहत हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

(ii) हाथियों के आवासों को समृद्ध बनाने के लिए जल स्रोतों का निर्माण, फलदार वृक्षों का रोपण, चरागाहों का विस्तार, अग्नि सुरक्षा आदि कार्य किए जा रहे हैं ताकि हाथियों को उनके पर्यावास में ही रखा जा सके।

(iii) मानव-हाथी संघर्ष को कम करने के लिए प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे का तत्काल भुगतान।

(iv) वन विभाग, हाथियों की आवाजाही की जानकारी प्राप्त करने के लिए तथा मानव-हाथी संघर्ष से बचने के लिए स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने तथा मानव जीवन और हाथियों के नुकसान या हानि को रोकने के लिए स्थानीय समुदायों को एनीमल-ट्रैकर्स के रूप में नियुक्त कर रहा है।

पी.एन.बी. धोखाधड़ी में मुखौटा कंपनियों का लिप्त होना

4629. **डॉ. किरीट सोमैया**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) घोटाले में एक सौ से अधिक मुखौटा कंपनियों के लिप्त होने का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त कंपनियों के नाम एवं उनका कुल कारोबार क्या है तथा पी.एन.बी. घोटाले से इन कंपनियों का क्या संबंध है;

(ग) क्या लिए गए ऋण इन मुखौटा कंपनियों को विपथित कर दिए गए हैं तथा यदि हां, तो इन मुखौटा कंपनियों को विपथित राशि की मात्रा कितनी है; और

(घ) क्या प्रवर्तन महानिदेशालय (ईडी) ने इन कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) प्रवर्तन निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार, पी.एन.बी. धोखाधड़ी के मामले में भारत में 120 शेल कंपनियों का विश्लेषण

किया जा रहा है। उसने यह भी बताया है कि मामले की जांच की जा रही है और कंपनियों के नामों के साथ इससे संबंधित ब्यौरे का विवरण साझा करना जनहित में नहीं होगा क्योंकि इससे चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।

प्रवर्तन निदेशालय की सूचना के अनुसार, निदेशालय द्वारा शुरू की गई जांच के अन्य ब्यौरे में आरोपी व्यक्तियों/इकाइयों से संबंधित विभिन्न स्थानों पर इसके द्वारा की गई तलाशियां जिसके परिणामस्वरूप मूल्यवान वस्तुओं को जब्त करना, अचल संपत्तियों को कुर्क करना, म्युचुअल फंडों और बैंक खातों पर रोक लगाना और कंपनियों की संपत्तियों, बैंक खातों, आदि के ब्यौरे की मांग करने के लिए न्यायालय द्वारा 13 देशों को अनुरोध पत्र जारी किया जाना शामिल है।

रक्त आधान के कारण एच.आई.वी.

4630. **श्री जोस के. मणि:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संक्रमित रक्त-आधान के कारण एच.आई.वी. आदि कई रक्त संबंधी संक्रमण से लोगों के संक्रमित होने के मामलों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार रक्त आधान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रक्त के आधान के लिए देशभर में रक्त स्क्रीनिंग सुविधा केन्द्रों पर न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन जांच शुरू करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) देश के सभी रक्त जांच सुविधा केन्द्रों में न्यूक्लिक एसिड एम्पलिफिकेशन जांच को प्रारंभ करने के लिए निकट भविष्य में सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, यह रक्ताधान प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रक्त की पहुंच को बेहतर बनाने के लिए अद्यतन तकनीक को अपनाने के लिए बढ़ावा देती है।

औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा उसके अंतर्गत बनी नियमावली, 1945 के तहत मौजूदा विनियमों के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त रक्त बैंकों द्वारा संग्रहित की जाने वाली सभी रक्त यूनिटों को रोगियों के लिए रक्ताधान हेतु जारी करने से पूर्व, उनकी एच.आई.वी., हिपेटाइटिस बी, हिपेटाइटिस सी, मलेरिया व सिफलिस की जांच करना अनिवार्य है।

यह विचार करते हुए कि वर्तमान में, अनिवार्य सीरोलोजिकल जांचों व उपयुक्त दाता चयन, काउंसलिंग व रिटेन्शन पर अधिक ध्यान देकर रक्ताधान संक्रमित संक्रमणों के लिए न्यूक्लिक एसिड एम्पलिफिकेशन जांच केवल मूलभूत निम्नतम जांच के ऊपर सुरक्षा का एक अतिरिक्त स्तर है; इसलिए फिलहाल देशभर के सभी रक्त जांच सुविधा-केन्द्रों में न्यूक्लिक एसिड एम्पलिफिकेशन जांच को शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

महिलाओं द्वारा आत्महत्या

4631. **श्री के. परसुरमन:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामलों की संख्या विश्व में सबसे अधिक है और यह संख्या वर्ष दर वर्ष बढ़ती जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने विशेष रूप से अवसाद ग्रस्त महिलाओं को परामर्श प्रदान करने के लिए संकट समाधान केन्द्रों की स्थापना की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त समस्याओं मुख्यत: अवसाद, चिंता, लिंग भेदभाव एवं घरेलू हिंसा के समाधान के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) से (ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) के वर्ष 2015 तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013, 2014 और 2015 में कुल 44256, 42521 और 42088 महिलाओं ने आत्महत्या की, जिससे पता चलता है कि यह प्रवृत्ति घट रही है। महिलाओं द्वारा आत्महत्या करने के प्रमुख कारण पारिवारिक समस्याएं, बीमारी तथा विवाह टूट जाना/तय न हो पाना, दहेज विवाद, विवाहेतर संबंध, प्रेम प्रसंग, आदि जैसे विवाह से जुड़े मुद्दे हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण राज्य अपने-अपने कार्यक्रमों

को क्रियान्वित करने के लिए सक्षम हैं। तथापि, भारत सरकार इस मुद्दे को सर्वोच्च महत्व देती है और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एन.एम.एच.पी.) तथा देश के कुछ जिलों में जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डी.एम.एच.सी.) चला रही हैं, जिनमें आत्महत्या निवारण सेवा, कार्यस्थल तनाव प्रबंधन, जीवन कौशल प्रशिक्षण तथा स्कूलों और कॉलेजों में परामर्श जैसे अतिरिक्त घटक शामिल हैं।

राज्यों के लिए निधियों की कटौती

4632. **श्री दिलीप पटेल:**

प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निधियों की कमी के कारण लोगों को आयुष अस्पतालों में आयुष चिकित्सा पद्धति की दवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु राज्यों को जारी की जाने वाली राशि में कटौती की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुष प्रणाली की दवाओं को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक लाभ में वृद्धि करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। आयुष अस्पतालों में लोगों को आयुष चिकित्सा पद्धति का लाभ प्रदान करना राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत आयुष अस्पतालों का उन्नयन करने और 50 बिस्तर तक के समेकित आयुष अस्पताल स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) के माध्यम से अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की पात्र हैं।

(ख) जी, नहीं। मंत्रालय ने इसके बजाय 2016-17 के दौरान 417.12 करोड़ रु. जारी किए थे जो 2015-16 में जारी किए गए 331.01 करोड़ रु. से अधिक हैं। राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत 2015-16 और 2016-17 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार ने एन.ए.एम. के विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से आयुष चिकित्सा पद्धति के संवर्धन हेतु 2018-19 के दौरान राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को 503.530 करोड़ रु. आवंटित किए हैं। एन.ए.एम. के अंतर्गत प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के लिए आबंटित संसाधन पूल की सूचना उन्हें दे दी गई है। तदनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को एन.ए.एम. दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपनी-अपनी राज्य वार्षिक कार्य योजनाएं (एस.ए.ए.पी.) तैयार करनी होती हैं।

विवरण

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के तहत 2015-16 और 2016-17 के दौरान जारी अनुदान सहायता की स्थिति

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	151.777	394.821
2.	आंध्र प्रदेश	1400.383	1125.531
3.	अरुणाचल प्रदेश	527.554	465.450
4.	असम	1410.508	1631.649
5.	बिहार	313.975	1752.914
6.	चंडीगढ़	0.000	509.320
7.	छत्तीसगढ़	858.257	1624.737
8.	दादरा और नगर हवेली	0.000	91.797
9.	दमन और दीव	0.000	113.184
10.	दिल्ली	593.598	0.000
11.	गोवा	118.725	622.597
12.	गुजरात	792.693	1533.046
13.	हरियाणा	579.791	1034.396
14.	हिमाचल प्रदेश	421.480	614.212
15.	जम्मू और कश्मीर	792.150	769.208

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2015-16	2016-17
16.	झारखंड	624.723	48.011
17.	कर्नाटक	1560.253	1241.455
18.	केरल	1273.778	891.204
19.	लक्षद्वीप	189.223	509.729
20.	मध्य प्रदेश	3253.341	2645.333
21.	महाराष्ट्र	1282.734	529.186.
22.	मणिपुर	828.801	1229.987
23.	मिजोरम	405.693	603.754
24.	मेघालय	375.119	802.743
25.	नागालैंड	873.095	521.284
26.	ओडिशा	1865.281	1221.301
27.	पुदुचेरी	144.175	170.000
28.	पंजाब	299.507	1317.811
29.	राजस्थान	2819.606	2225.209
30.	सिक्किम	608.151	874.071
31.	तमिलनाडु	87.700	1980.541
32.	तेलंगाना	1091.463	1330.696
33.	त्रिपुरा	472.354	334.062
34.	उत्तर प्रदेश	4539.270	8466.625
35.	उत्तराखंड	621.238	1187 929
36.	पश्चिम बंगाल	1924.852	1298.056
	योग	33101.248	41711.849

[हिंदी]

एल.आई.सी. में अनियमितताएं

4633. **डॉ. उदित राज**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) प्रबंधन ने उप मण्डल कार्यालय पूर्वी क्षेत्र (कोलकाता) की एल.आई.सी. शाखा में 3.45 करोड़ रु. की कथित धोखाधड़ी/अनियमितताओं में संलिप्त दोषी स्टाफ और अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या एल.आई.सी. ने ग्राहकों को राशि लौटा दी थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल.आई.सी. द्वारा अब तक दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) ने यह सूचित किया है कि 71 कर्मचारियों एवं एजेंटों के विरुद्ध सतर्कता मामला दर्ज किया गया था। एक अधिकारी जो मुख्य अपराधी था, उन्हें सेवा से हटा दिया गया था। 44 अधिकारियों और कर्मचारियों पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में लापरवाही के लिए अलग-अलग प्रकार से दण्ड लगाए गए थे। एल.आई.सी. के 15 कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। कोलकाता उच्च न्यायालय में मुख्य अपराधी के विरुद्ध 3.63 करोड़ रुपये के लिए धन का वाद सीएस 182/2016/दिनांक 28.07.2016 दायर किया गया था।

एल.आई.सी. के विभिन्न खाता को नामे डालकर 3.63 करोड़ रुपये की राशि जुटाई गई थी और इस तरह कोई भी ग्राहक प्रभावित नहीं हुआ था।

चिकित्सा कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता

4634. **श्री राजन विचारे**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा कॉलेजों और जिला सामान्य अस्पताल को शक्ति प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार विद्यमान कॉलेजों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को महाराष्ट्र में किसी नए चिकित्सा कॉलेज हेतु वित्तीय सहायता के लिए महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) महाराष्ट्र राज्य में चिकित्सा कॉलेजों और जिला अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(घ) और (ङ) मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से सबंधित नए कॉलेजों की स्थापना के लिए महाराष्ट्र में गोंडिया नामक एक जिले की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत पहचान की गई है और अनुमोदन किया गया है। इस संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

(i) "स्नातकोत्तर (पीजी) के नए विषय शुरू करने तथा पीजी की सीटों को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के चिकित्सा कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण तथा उन्नयन" के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	चिकित्सा कॉलेज का नाम	कुल लागत	केन्द्र का हिस्सा	पीजी की सृजित की जाने वाली सीटों की संख्या	2015-16 में जारी	2016-17 में जारी	2017-18 में जारी (आज की तारीख तक)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	डॉ. शंकरराव चव्हाण सरकार मेडिकल कॉलेज नांदेड़	44.603	30.1059	62	0	0	13.3809
2.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंकोला	39.97	26.9810	54	0	0	
3.	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर	24.14	16.2920	64	0	0	
4.	डॉ. वी.एम. गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सोलापुर	26.5605	17.9282	69	0	0	7.9682
5.	गवनमेंट मेडिकल कॉलेज, मिराज	18.08	12.1840	39	0	0	
6.	गवनमेंट मेडिकल कॉलेज, औरंगाबाद	15.76	10.6380	86	0	0	
7.	गवनमेंट मेडिकल कॉलेज, यवतमाल	7.92	5.3460	67	0	0	2.376
8.	बीजे मेडिकल कॉलेज और सासन जनरल अस्पताल, पुणे	39.84	26.8920	89	0	0	11.952
9.	गवनमेंट मेडिकल कॉलेज, धुले	47.89	32.3270	62	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	इंदिरा गांधी सरकार मेडिकल कॉलेज, नागपुर	48.55	32.7700	52	0	0	
11.	स्वामी राम तेरथ ग्रामीण मेडिकल कॉलेज, अंबाजोगाई	32.48	21.9240	48	0	0	9.744
	कुल	345.7935	233.3881	692	0	0	45.4211

(ii) पी.एम.एस.एस.वाई. योजना:

महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न कॉलेजों का उन्नयन किया गया है और इस प्रयोजनार्थ निधि जारी की गई जो निम्नानुसार है:

पी.एम.एस.एस.वाई. योजना के अंतर्गत जारी की गई निधि (करोड़ रु. में)

गवनमेंट मेडिकल कॉलेज	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	Total
जीएमसी, मुंबई	0	8.37	0.88	0.75	10
जीएमसी, नागपुर	0	13	20.71	0	33.71
जीएमसी, औरंगाबाद	0	2.25	16.99	43.929	63.169
जीएमसी, लातूर	0	2.23	16.63	40.15	59.01
जीएमसी, अकोला	0	7.475	7.475	0.05	15
एसवीएनजीएमसी, यवतमाल	0	7.436	7.436	67.12	81.992
कुल	0	40.761	70.121	151.999	

विवरण-II

मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

जिला	अनुमोदित लागत	केन्द्र का हिस्सा (60%)	जारी की गई कुल राशि (आज की तारीख तक)
गोंडिया	189.00	113.40	88.00

गोंडिया में स्थित मेडिकल कॉलेज पहले ही कार्य कर रहा है।

[अनुवाद]

शिकारियों के विरुद्ध वन-वार्डनों का सशस्त्रीकरण

4635. **श्री बी. सेनगुट्टुवन:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में समय में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और अन्य वन्य जीव अभयारण्यों यथा ओरांग राष्ट्रीय पार्क और पोबित्रा पार्क आदि में एक सींग वाले गैण्डों के शिकार की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत पांच वर्षों में शिकारियों द्वारा इन अभयारण्यों में कितने गैण्डे मारे गए;

(ग) क्या गैण्डों के मारे जाने के स्थानों के निरीक्षण व प्रयुक्त गोलियों के परीक्षण से पता लगा है कि शिकारी बहुत शिकार हेतु

अत्याधुनिक आग्नेयास्त्रों जैसे ए.के. 56 राइफल, एम-16 और एम-4 कार्बाइनों का उपयोग कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या मंत्रालय का उक्त शिकारियों से निपटने के लिए वन-वार्डनों के शस्त्रों के आधुनिकीकरण के क्रम में उन्हें स्वदेशी मिश्रित राइफल 'घातक' से सुसज्जित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) असम राज्य से प्राप्त सूचना में पिछले पांच वर्षों के दौरान शिकार किए गए गैंडों का ब्यौरा दर्शाया गया है जिससे पता चलता है कि 2016 को छोड़कर राज्य में मारे गए गैंडों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

वर्ष	शिकार किए गए गैंडों की संख्या
2013	41
2014	32
2015	21
2016	22
2017	8

(ग) जी, हां। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बरामद हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) असम वन विभाग ने गैंडों और अन्य वन्यजीवों की सुरक्षा में लगे क्षेत्र स्तर के कर्मचारियों को आधुनिक बनाने के लिए पहले से ही निम्न हथियारों की खरीद कर ली है:

I. एसएलआर-954 सं.

II. आईएनएसएएस-272 सं.

III. घातक-91 सं.

IV. 12 बोर राइफल (पीए गिवर) - 133 सं.

V. 9 एमएम पिस्ट-20 सं.

विवरण

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में बरामद हथियारों और गोला-बारूद का ब्यौरा

वर्ष	हथियार	गोला-बारूद	अन्य
2013	1. 0.303-7 संख्या	70 आरडीएस	-
	2. स्टैंड गन-1 सं.		
	3. साइलेंसर-2 सं.		
2014	1. 0.303-11 सं.	83 आरडीएस	-
	2. राइफल बोर का पता नहीं है - 3 सं.		
	3. एसबीबीएल-2 सं.		
	4. हस्तनिर्मित बंदूक-4 सं.		
	5. साइलेंसर-2 सं.		
2015	1. 0.303 - 16 सं.	कुल गोला-बारूद-220 आरडीएस	-
	2. 315 - 3 नग		
	3. हस्तनिर्मित गन - 2 नंबर		

वर्ष	हथियार	गोला-बारूद	अन्य
	4. .85 एमएम पिस्तौल - 1 सं.		
	5. .22 राइफल-3 नं.		
	6. साइलेंसर-8 सं.		
2016	1. 0.303 राइफल्स - 8 सं.	120 आरडीएस	1. एके-47 राइफल मैगजीन-2 सं.
	2. एके-47-1 सं.		2. 303 राइफल्स मैगजीन-3 सं.
	3. .22 राइफल-1 सं.		3. साइलेंसर-2 सं.
	4. हस्तनिर्मित बंदूक - 2 सं.		4. राइफल्स बोल्ट - 2 सं.
			5. राइफल बट-1 सं.
			6. 303 राइफल-1 की बॉडी बैरल सहित
2017	1. 303 राइफल-1 सं.	1. .303 लाइव गोला-बारूद-32 आरडीएस	-
	2. संशोधित .303 एमके IV राइफल-3 सं.	2. सस्पेक्टिड .22 गोला बारूद-10 आरडी	
	3. स्वचालित एके श्रेणी राइफल -1 सं.	3. .30-60 लाइव गोला-बारूद-10 आरडीएस	
	4. .303 राइफल बोल्ट-2 सं.	4. 5.56 लाइव गोला-बारूद 15 आरडीएस	
		5. .66 लाइव गोला-बारूद-05 आरडीएस	

[हिंदी]

कृषि-ऋणों हेतु संशोधित लक्ष्य

4636. **श्री आर. धुवनारायण:**

श्री हरिनरायन राजभर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अगले वित्तीय वर्ष अर्थात् 2018-19 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) हेतु लक्ष्य को 10 प्रतिशत बढ़ाकर संशोधित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कृषि-ऋण हेतु राजस्थान सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और बैंक-वार कितने प्रस्ताव लंबित पड़े हैं; और

(घ) बैंकों द्वारा किसानों को बाधारहित ऋण प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने वर्ष 2017-18 के 10 लाख करोड़ रुपये के लक्ष्य की तुलना में वर्ष 2018-19 के लिए 11 लाख करोड़ रुपये के कृषि ऋण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने यह सूचित किया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के पास लंबित कृषि ऋण प्रस्तावों के संबंध में सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(घ) किसानों को बाधारहित फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:

- आर.बी.आई. के निदेशानुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) अथवा तुलन-पत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण राशि, जो भी अधिक हो, का 18 प्रतिशत कृषि को उधार देना अपेक्षित है।

- किसानों को 7 प्रतिशत प्रतिवष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण उपलब्ध कराने को ध्यान में रखते हुए कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख रुपये तक के अल्पावधि फसल ऋणों के लिए ब्याज सहायता योजना कार्यान्वित की जाती है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता दी जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का अतिरिक्त पोत्साहन दिया जाता है, जिससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।

- सरकार प्रतिवर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण संवितरण का लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंकों ने निरन्तर इन लक्ष्यों से अधिक की प्राप्ति की गई है।

- सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना लागू की है, जो किसानों को फसल लगाने, कटाई पश्चात् होने वाले व्यय, उत्पाद विपणन ऋण; किसान की पारिवारिक आवश्यकता, फार्म आस्तियों के अनुरक्षण हेतु कार्यशील पूंजी और कृषि से सम्बद्ध कार्यकलाप; और कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए निवेश ऋण आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाता है। के.सी.सी. योजना में ए.टी.एम. समर्थित रूपे डेबिट कार्ड जारी करने की व्यवस्था की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एकबारगी प्रलेखन, सीमा के अंतर्गत अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत अनगिनत आहरण, आदि की सुविधा दी गई है।

- आर.बी.आई. ने बैंकों को 1,00,000/- रुपये तक के कृषि के संबंध में मार्जिन/प्रतिभूति अपेक्षा को समाप्त करने की सूचना दी है। छोटे तथा सीमांत किसानों, बटाईदारों तथा उन जैसे अन्य लोगों के लिए 50,000/- रुपये तक के लघु ऋण के लिए 'अदेय' का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया तथा इसके स्थान पर उधारकर्ता से केवल एक स्व-घोषणा की आवश्यकता होती है।

[अनुवाद]

आई.एफ.एस.सी.

4637. **श्रीमती पूनम महाजन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विशेष आर्थिक जोनों के तत्वावधान में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई.एफ.एस.सी.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस हेतु पहचान किए गए स्थान कौन-से हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के विनियमन और शासन हेतु कोई विधिक ढांचा लागू किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसे वित्तीय केन्द्रों में शाखाएं स्थापित करने हेतु निजी संस्थाओं को किस प्रकार लाभ दिए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जैड.) अधिनियम, 2005 की धारा 18 में किसी विशेष आर्थिक जोन में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र (आई.एफ.एस.सी.) की स्थापना का प्रावधान है। विशेष आर्थिक जोन अधिनियम के तहत प्राप्त अनुमोदन के पश्चात्, गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्त तकनीक नगर (गिफ्ट), गांधीनगर में देश के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है।

(ग) अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में व्यवसाय की स्थापना को सुकर बनाने के उद्देश्य से क्षेत्रक मंत्रालयों/विनियामकों, अर्थात् कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा मार्गनिदेश और विनियमन प्रकाशित किए गए हैं। केंद्रीय बजट 2018-19 में भारत के अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों में सभी वित्तीय सेवाओं को विनियमित करने के लिए एक एकीकृत प्राधिकरण की स्थापना की घोषणा की गई थी।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय केंद्रों में व्यवसाय की स्थापना को सुकर बनाने के उद्देश्य से, केंद्रीय बजट 2016-17 में निम्नलिखित छह लाभों की घोषणा की गई थी:

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित कंपनियों पर डिविडेंड वितरण कर नहीं लगेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में स्थित इकाइयों से नौ प्रतिशत की दर पर न्यूनतम वैकल्पिक कर प्रभारित किया जाएगा।

- आई.एफ.एस.सी. में स्थापित किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर हो रहे इक्विटी शेयरों या किसी व्यवसाय न्यास की यूनिटों या इक्विटी उन्मुख निधियों या यूनिटों की बिक्री का विदेशी मुद्रा में लेन-देन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर नहीं लगेगा। ऐसी दीर्घावधि पूंजी आस्ति के अंतरण से उद्भूत होने वाले लाभों को कर से छूट होगी।
- आई.एफ.एस.सी. में स्थापित किसी मान्यता प्राप्त एसोसिएशन पर हो रहे पण्य व्युत्पन्न की बिक्री के विदेशी मुद्रा में लेन-देन पण्य संव्यवहार पर कर नहीं लगेगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय बजट 2018-19 में, निम्नलिखित लाभों की घोषणा की गइ थी:

- अनिवासियों द्वारा व्युत्पन्नों और कतिपय प्रतिभूतियों के अंतरण को पूंजी लाभ कर से छूट होगी।
- आई.एफ.एस.सी. में कार्यरत गैर-कॉरपोरेट करदाताओं पर कॉरपोरेटों के लिए लागू होने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) के समान 9 प्रतिशत की रियायती दर पर वैकल्पिक न्यूनतम कर (ए.एम.टी.) प्रभारित किया जाएगा।

उपर्युक्त के अलावा, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 और विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के अनुसार प्रचलित वित्तीय रियायतें एस.ई.जेड. के भीतर आई.एफ.एस.सी. के लिए लागू होगी।

[हिंदी]

लघु औद्योगिक इकाइयों को ऋण

4638. **श्रीमती रीती पाठक:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लघु औद्योगिक इकाइयों (एस.एस.आई.) को ऋण प्रदान करने संबंधी दिशा-निर्देश और मानदंड क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एस.एस.आई. द्वारा मांगे गए ऋण की राशि और संस्वीकृत ऋण राशि कितनी है;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश सहित देश में सूखा-प्रभावित क्षेत्रों में एस.एस.आई. के ऋण माफ करने अथवा उन्हें कोई राहत देने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) लघु उद्योग यूनिट (एस.एस.आई.)/सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को ऋण सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एम.एस.एम.ई.डी.) अधिनियम, 2006 के अनुसार वाणिज्यिक आधार पर अलग-अलग बैंकों द्वारा उनकी बोर्ड स्वीकृत पॉलिसी और भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के वर्तमान अनुदेश के अनुसार दिए जाते हैं।

(ख) एस.एस.आई. द्वारा वांछित ऋण की मात्रा से संबंधित आंकड़े केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। पिछले तीन वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सूक्ष्म और लघु (एम.एस.ई.) क्षेत्र को दिए जाने वाले बकाया ऋण का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(राशि करोड़ रुपये में)

2014-15	2015-16	2016-17	दिसम्बर-2017 तक
9,61,174.17	9,96,424.94	10,70,129.48	*11,02,387.86

*अनंतिम

(ग) और (घ) आर.बी.आई. के वर्तमान दिशानिर्देश सूखा सहित प्राकृतिक आपदा की स्थिति में एम.एस.ई. आदि को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.)/जिला परामर्शदात्री समिति (डी.सी.सी.) द्वारा ऋण को पहले से ही उपलब्ध कराते आ रहे हैं।

[अनुवाद]

मौसम बीमा नीति का उल्लंघन

4639. **श्री हरिओम सिंह राठौड़:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने किसी मौसम बीमा नीति उल्लंघन हेतु आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड पर कोई अर्थदण्ड लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) मौसम बीमा पॉलिसी के संदर्भ में भारतीय बीमा विनियामक ओर विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा आई.सी.आई.सी.आई. लोम्बार्ड साधारण बीमा कंपनी लिमिटेड पर कोई दंड नहीं लगाया गया था।

लोक ऋण प्रबंधन प्राधिकरण

4640. **श्री एम. चन्द्राकाशी**: *क्या* **वित्त मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) आज की तिथि के अनुसार, सरकार के ऋण और इस पर देय *आकलित वार्षिक ब्याज-भुगतान की कुल राशि का ब्यौरा क्या है;*

(ख) क्या नीति आयोग से प्रस्ताव के के आधार पर सरकार का एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय का वरीय मॉडल क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

वित्त मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली): *(क)* 31 मार्च, 2017 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार का कुल लोक ऋण, जिसमें लोक लेखा की देनदारियां भी शामिल हैं, 74,36,061.31 करोड़ रुपये था। 31 मार्च, 2018 (संशोधित अनुमान) तक की स्थिति के अनुसार लोक लेखा की देनदारियों सहित लोक ऋण लगभग 82,32,953.56 करोड़ रुपये अनुमानित है। वर्ष 2016-17 के लिए ब्याज का भुगतान 4,80,714 करोड़ रुपये और वर्ष 2017-18 के लिए संशोधित अनुमानों के अनुसार 5,30,843 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) एक स्वतंत्र ऋण प्रबंधन कार्यालय स्थापित करने के लिए सरकार को नीति आयोग से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, 2015-16 का केंद्रीय बजट पेश करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री के भाषण में सरकार ने एक लोक ऋण प्रबंधन एजेंसी स्थापित करने की मंशा जाहिर की थी, जिससे कि एक ही स्थान पर घरेलू तथा विदेशी ऋण आ जाए। सरकार ने यथासमय पी.डी.एम.ए. स्थापित करने से पहले अंतरिम व्यवस्था के रूप में एक लोक ऋण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित की है। स्वतंत्र लोक ऋण प्रबंधन कार्यालय के स्वरूप पर निर्णय लिया जाना है।

सकल घरेलू उत्पाद की स्थिति

4641. **श्री कोडिकुन्नील सुरेश**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद की वर्ष-वार स्थिति क्या है;

(ख) क्या विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर प्रणाली शुरू करने के परिणामस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद की दर में मंदी आई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर प्रणाली विमुद्रीकरण और माल और सेवा कर के प्रभावों का सामना करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सी.एस.ओ.) द्वारा उपलब्ध कराए गए अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, स्थिर (2011-12) बाजार मूल्यों और वर्तमान बाजार मूल्यों पर गत 5 वर्षों का सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) नीचे सारणी में दिया गया है।

चालू और स्थिर बाजार मूल्यों पर जी.डी.पी. (लाख करोड़ रुपये)

	2013-14	2014-15	2015-16*	2016-17$	2017-18#
स्थिर बाजार मूल्यों पर जीडीपी	98.0	105.3	113.9	122.0	130.0
वर्तमान बाजार मूल्यों पर जीडीपी	112.3	124.7	137.6	152.5	167.5

स्रोत: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, *दूसरा संशोधित अनुमान, $: पहला संशोधित अनुमान, #: दूसरा अग्रिम अनुमान;

(ख) जैसाकि उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है, जी.डी.पी. के स्तर में कोई मंदी नहीं आई है।

(ग) आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहित करना हमेशा सरकार की उच्च प्राथमिकता रही है। भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था की विकास दर में वृद्धि हेतु अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देना, परिवहन, विद्युत क्षेत्र एवं अन्य शहरी तथा ग्रामीण अवसंरचना के लिए ठोस उपाय करना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में व्यापक सुधार करना और वस्त्र उद्योग के लिए विशेष पैकेज, सस्ते मकानों को अवसंरचना की श्रेणी में रखकर अवसंरचना विकास को बढ़ावा देना तथा तटीय संयोजकता पर ध्यान

केंद्रित करना शामिल है। राजमार्ग विकास के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई है। सरकार ने बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के एक चरणबद्ध कार्यक्रम को शुरू किया है। इससे सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में उपलब्ध पूंजी में वृद्धि हुई है जिससे बैंक अधिकाधिक ऋण देने के लिए प्रेरित होंगे। शोधन अक्षमता तथा दिवालियापन कानून अधिनियमित किया गया है ताकि शोधन अक्षमता से संबंधित समाधान समयबद्ध रूप से किया जा सके। इस कानून को लागू करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल गठित किया गया है। माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) को लागू करने से व्यापार, व्यवसाय और संबंधित आर्थिक क्रियाकलापों के मार्ग की बाधाओं को दूर करके विकास की गति में तेजी लाने का एक उपयुक्त अवसर उपलब्ध हुआ है। बजट 2018-19 में अर्थव्यवस्था को और अधिक गति प्रदान करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिसमें अन्य के साथ-साथ रेल एवं सड़क क्षेत्र को अधिक आवंटन के जरिए अवसंरचना को अधिक गति देना, 250 करोड़ रुपये के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर घटाकर 25 प्रतिशत कर दी गई जिससे 99 प्रतिशत तक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.), आदि को सहायता प्राप्त होने की आशा है।

गुमशुदा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को सेवा लाभ

4642. **श्री पी. करुणाकरन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गुमशुदा केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को कोई बीमा लाभ, जैसे कि समूह बीमा योजना प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे कर्मचारियों जो सात वर्षों से अधिक से गुमशुदा हैं, के आश्रितों द्वारा लाभ प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) वित्त मंत्रालय द्वारा दिनांक 15.05.1989 के का.ज्ञा. के तहत यथा अधिसूचित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना, 1980 के पैरा 11.4 के अनुसार, यदि इस 'योजना' का कोई सदस्य गुमशुदा है और उसे तलाशा नहीं जा सका है, तो सदस्य के गुमशुदा होने के माह से 7 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् उस व्यक्ति के नामिति/उत्तराधिकारी को बीमा सुरक्षा का भुगतान किया जाएगा बशर्ते दावेदार मृत्यु का एक उचित और निर्विवाद प्रमाण अथवा न्यायालय की डिक्री प्रस्तुत करे कि संबंधित कर्मचारी को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 108 के अनुसार मृत मान लिया जाना चाहिए। तथापि, बचत निधि में संचित धनराशि का नामिति/उत्तराधिकारी को भुगतान, गुमशुदा होने के माह से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें पूरी करने पर किया जाए:

(i) परिवार संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराए और यह रिपोर्ट प्राप्त करे कि पुलिस के सभी प्रयासों के बावजूद कर्मचारी को तलाशा नहीं जा सका है।

(ii) कर्मचारी के नामिति/उत्तराधिकारी से एक क्षतिपूर्ति बंध-पत्र लिया जाना चाहिए कि यदि वह कर्मचारी वापस आ जाता है और कोई दावा करता है, तो सभी भुगतान कर्मचारी को देय भुगतान में समायोजित किए जाएंगे।

अशोध्य ऋण

4643. **श्री वी. एलुमलाई**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बैंकों की 9.5 प्रतिशत अशोध्य ऋण-दर ने भारत को अत्यधिक गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) वाले राष्ट्रों के समूह में डाल दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारत का एन.पी.ए. अनुपात, जिसमें वे पुनर्गठित आस्तियां शामिल नहीं हैं जो एन.पी.ए. से लगभग 2 प्रतिशत अधिक हैं अत्यधिक एन.पी.ए. वाले राष्ट्रों के समूह में उच्चतम अनुपातों में से एक है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या एन.पी.ए. की समस्या की गंभीरता का अंदाजा तंत्र में बेमेल सम्पत्ति के कुल स्तर से ही लगाया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) के डाटाबेस में उपलब्ध कुल सकल ऋणों की तुलना में अनुप्रयोज्य ऋणों के अनुपात पर देश-वार आंकड़ों से यह पाया गया है कि यू.एस.ए., यू.के., चीन और जापान के अनुपात की तुलना में भारत के लिए अनुपात नकारात्मक है।

(ख) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि अन्य देशों में पुनर्संरचित आस्तियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं है। आर.बी.आई. ने इसके अतिरिक्त यह सूचित किया है कि आय की

पहचान तथा विभिन्न अधिकार क्षेत्रों में आस्ति वर्गीकरण मानदंडों में विभेदों के कारण अनुप्रयोज्य आस्ति (एन.पी.ए.) अनुपात की तुलना नहीं की जा सकती है। इसके अलावा, आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि वित्तीय स्थिरता संकेतकों (एफ.एस.आई.) के संबंध में आई.एम.एफ. के आंकड़ों के अनुसार 33 देशों (आंकड़े प्रस्तुत करने वाले देशों में से) का सकल एन.पी.ए. अनुपात भारत के सकल एन.पी.ए. अनुपात से अपेक्षाकृत अधिक है।

(ग) पूर्व में नियमित पुनर्भुगतान नहीं होने के बावजूद, ऋण वर्गीकरण में लचीलापन होने से बैंक दबावग्रस्त खातो को उनकी पुनर्संरचना करके अनुप्रयोज्य आस्तियों के रूप में वर्गीकृत करते रहे हैं। वर्ष 2015 में स्वच्छ एवं पूर्ण प्रावधानीकृत तुलन-पत्रों के लिए एक आस्ति गुणवत्ता समीक्षा की गई थी, जिससे उच्च एन.पी.ए. का पता चला है। वास्तविक पहचान के माध्यम से पी.एस.बी. की एन.पी.ए. राशि मार्च, 2015 में 2,78,466 करोड़ रुपये से बढ़कर जून, 2017 में 7,33,137 करोड़ रुपये हो गई है। इसलिए वर्तमान एन.पी.ए. मुख्यतया पूर्व में दबावग्रस्त खातों की पहचान एन.पी.ए. के रूप में प्रकट नहीं होने के कारण है।

कॉरपोरेट कम्पनियों का कार्यकरण

4644. **प्रो. सौगत राय:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश की कॉरपोरेट कम्पनियों के कार्यकरण की निगरानी/समीक्षा के लिए कोई तंत्र है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड और अन्य सरकारी एजेन्सियों ने हाल ही के पंजाब नेशनल बैंक के घोटाले में संलिप्त कम्पनियों के विरुद्ध कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचित किया है कि सेबी (सूचीयन बाध्यता और प्रकटन अपेक्षा) विनियम, 2015 में अन्य बातों के साथ-साथ, सूचीबद्ध कंपनियों की निगरानी और किसी उल्लंघन के कारण शास्ति का प्रावधान शामिल है, जिसमें मानक प्रचालन क्रियाविधि (एस.ओ.पी.) में विहित किए गए अनुसार जुर्माना लगाना, व्यापार निलंबित करना, प्रवर्तक/प्रवर्तक समूह की नाम विर्दिष्ट प्रतिभूतियों की पूंजी जब्त करना, आदि शामिल हैं। सूचीयन विनियमनों के अंतर्गत, निगरानी की कार्यरीति के तहत चार-चरणों के दृष्टिकोण का अनुसरण किया जाता है: (i) कंपनियों के बोर्ड के स्तर पर अनुपालन की निगरानी, (ii) व्यवसायी कंपनी सचिवों से प्रमाणन जैसी बाह्य पर्यवेक्षी समीक्षा, (iii) स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा अनुपालन की निगरानी और (iv) सेबी द्वारा विनियामक निरीक्षण।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने सूचित किया है कि कॉरपोरेट कंपनियां कंपनी अधिनियम, 2013 और सीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) अधिनियम, 2008 के अधीन प्रशासित होती हैं। उपर्युक्त अधिनियमों के उपबंधों के तहत, एम.सी.ए. उल्लंघनों की गंभीरता पर विचार करते हुए, अपने अधीनस्थ कार्यालयों के जरिए, पूछताछ/निरीक्षण/जांच करने सहित कॉरपोरेट निकायों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करता है।

(ग) और (घ) केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने पी.एन.बी. में अनधिकृत संव्यवहारों से संबंधित मामले दर्ज किए हैं, और कई व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने सूचना दी है कि इसने धनशोधन निवारण अधिनियम (पी.एम.एल.ए.), 2002 के उपबंधों के अधीन श्री नीरव मोदी और श्री मेहुल चोकसी के विरुद्ध गैर-जमानती वारंट (एन.बी.डब्ल्यू.) भी प्राप्त कर लिए हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आयकर विभाग ने निम्नलिखित कार्रवाइयां की हैं:

(क) **नीरव मोदी ग्रुप:** आयकर विभाग ने नीरव मोदी, उनकी पत्नी एमी मोदी और विभिनन संबंधी समूह के नाम की अनेकानेक 32 स्थावर संपत्तियां, इस समूह के 141 बैंक खाते/सावधि जमाएं, इन खातों में संचयी क्रेडिट शेष 145.74 करोड़ रुपये है, अनेकानेक 173 पेटिंग्स और आर्टवर्क की कुर्की की है। इसके अलावा, श्री नीरव मोदी के मामले में आयकर अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक उपबंधों के अधीन अभियोजन कार्यवाहियां शुरू की गई हैं और सक्षम न्यायालय द्वारा समन जारी किए गए हैं।

(ख) **मेहुल चोकसी ग्रुप:** आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम की धारा 281ख के अधीन गीतांजलि ग्रुप से संबंधित सात स्थावर संपत्तियों की मुम्बई में कुर्की की है, समूह की अनुषंगी कंपनी की 1278 करोड़ रुपये के मूल्य की भूमि, भवन और नियत आस्तियां कुर्क की गई हैं और 101.78 करोड़ रुपये के कुल क्रेडिट शेष वाले लगभग 244 बैंक खाते/सावधि जमाएं कुर्क किए गए हैं।

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने भी सूचित किया है कि इसने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) द्वारा जांच किए जाने वाले पंजाब नेशनल बैंक में घोटाले में संलिप्त श्री नीरव मोदी (फायरस्टार डायमंड ग्रुप) और श्री मेहुल चोकरी (गीतांजलि ग्रुप) से संबंधित 107 कंपनियों और 07 एल.एल.पी. के मामलों में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 212(1)(ग) और परिसीमित देयता भागीदारी (एल.एल.पी.) अधिनियम, 2008 की धारा 43(3)(ग)(i) के अधीन 17.2.2018 को जांच के आदेश दिए हैं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने गीतांजलि जेम्स लिमिटेड सहित सभी स्थावर या जंगम संपत्तियों के अन्य संक्रामण, तीसरे पक्षकार के अधिकारों का सृजन करने, किसी अन्य रीति में ग्रहणाधिकार अथवा अंतरण या अन्य संक्रामण करने के विरुद्ध, बैंक खातों पर रोक लगाने, लॉकर सील करने आदि के लिए अवरोध आदेश देने के लिए 23.2.2018 को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एन.सी.एल.टी.), मुम्बई पीठ के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 221, धारा 241, धारा 246 और धारा 339 के अधीन एक याचिका दायर की है।

सेबी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, तारीख 10 मार्च, 2017 के अपने आदेश के अनुसरण में, सेबी नकद और व्युत्पन्न भाग में गीतांजलि जैम्स लिमिटेड के स्क्रिप में कतिपय निकायों द्वारा कारोबार के मामले में जांच कर रहा है। इसके अलावा, सेबी फिलहाल पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) मामले से संबंधित सूचीयन विनियमों के प्रकटनों और अन्य उल्लंघनों संबंधी मुद्दों की भी जांच कर रहा है।

[हिंदी]

नए करेंसी नोट

4645. **श्री राहुल कस्वां**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण के पश्चात् 500 रुपये, 2000 रुपये और 50 रुपये के नए करेंसी नोट जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिचालनाधीन 500 रुपये और 1000 रुपये के पुराने करेंसी नोटों के अनुपात में कितने नए नोट मुद्रित किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उच्च मूल्य के नकद लेन-देन हेतु एक सीमा निर्धारित की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। 8 नवम्बर, 2016 से 28 फरवरी तक की अवधि के दौरान मुद्रणालयों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगभग 16.91 लाख करोड़ रुपये को राशि के विभिन्न मूल्यवर्ग के नोट प्राप्त किए गए थे।

(ग) और (घ) आयकर अधिनियम, 1961 में अधिक मूल्य के नकद लेनदेन के लिए निम्नलिखित प्रारंभिक सीमा का प्रावधान किया गया है:-

i. 2 लाख रुपये अथवा इससे अधिक के नकदी लेनदेन पर प्रतिबंध (आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 धन)।

ii. दिनांक 01.04.2018 से धारा 40क(3) के अंतर्गत किए गए खर्च के संबंध में जहां नकद में भुगतान 10,000 रुपये से अधिक से अधिक हो, तो कोई कटौती नहीं होगी।

iii. दिनांक 01.04.2018 से यदि नकद दान 2000 रुपये से अधिक हो तो धारा 80 (छ) के अंतर्गत किसी कटौती की अनुमति नहीं होगी।

iv. स्थावर संपदा संबंधी लेनदेनों में नकदी के चलन को रोकने के लिए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269 धध की व्याख्या (iv) के अनुसार, अदाता को देय चेक अथवा अदाता को देय बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंक खाते के जरिए इलेक्ट्रानिक क्लीयरिंग प्रणाली के उपयोग को छोड़कर, अचल संपत्ति के अंतरण के लिए 20,000 रुपये या इससे अधिक की अग्रिम स्वरूप की अथवा अन्य किसी भी राशि की प्राप्ति पर निषेध है। अचल संपत्ति के अंतरण के लिए ली गई किसी अग्रिम राशि के भुगतान के संबंध में भी इसी तरह का प्रतिबंध आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 269न के अंतर्गत लागू है।

स्थल प्रबंधन केन्द्र

4646. **श्री विक्रम उसेंडी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों की बेहतर देखभाल और विकास के लिए जन स्वास्थ्य केन्द्रों पर स्तनपान स्थान प्रबंधन केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त केन्द्रों की स्थापना के लिए कितनी निधि आवंटित की गई है और तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किन-किन स्थानों पर उक्त केन्द्रों की स्थापना की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) सरकार ने बच्चों की बेहतर देखभाल और उनके विकास के लिए जून, 2017 में "जन स्वास्थ्य केन्द्रों" में स्तनपान केन्द्रों की स्थापना और प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश" जारी किए हैं।

(ग) और (घ) मौजूदा वित्त वर्ष अर्थात् वित्त वर्ष 2018-19 में वित्तीय दिशा-निर्देशों के अनुसार, ऐसे केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तद्नुसार निधियां प्रस्तावित करनी हैं।

[अनुवाद]

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम

4647. श्रीमती रीता तराई: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) योजना के लिये परिव्यय में अधिक वृद्धि करने का विचार है ताकि राज्यों को देय केन्द्रीय सहायता विगत वर्षों में दायर प्रतिपूर्ति दावों के लिये जारी की जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) के माध्यम से निधि दिये जाने संबंधी कार्यविधियां बनाती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का ए.आई.बी.पी. योजना के तहत पर्याप्त केन्द्रीय सहायता प्रदान करने का भी विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जल संसाधन परियोजनाएं राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों और प्राथमिकता के मद्देनजर स्वयं नियोजित, वित्तपोषित, निष्पादित और अनुरक्षित की जाती हैं। उनके प्रयासों में इजाफा करने के लिए भारत सरकार राज्य सरकारों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (ए.आई.बी.पी.) के जरिए जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन और सतत् विकास को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

वर्ष 2016-17 के दौरान, ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत राज्यों के परामर्श से 77595 करोड़ रुपये की शेष लागत वाली 99 बड़ी/मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को चिह्नित किया गया है जिन्हें दिसंबर, 2019 तक उनके कमांड एरिया डेवलपमेंट और जल प्रबंधन कार्यों सहित चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। अभी तक उपयुक्त निर्माण कार्यों की लागत में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) ए.आई.बी.पी. के अंतर्गत केंद्र और राज्य दोनों के हिस्सों का वित्तपोषण नाबार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। नाबार्ड खुले बाजार से ऋण लेता है और इन 99 परियोजनाओं के निधियन के लिए राज्य सरकार की किसी बाधा को दूर करने के लिए रियायती दर पर राज्य सरकारों को ऋण मुहैया कराता है। 2016-17 और 2017-18 के दौरान अभी तक इन परियोजनाओं को एल.टी.आई.एफ. के तहत निम्नलिखित धनराशि मुहैया कराई गई है:

वर्ष	निधि जारी की गई (केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी)
2016-17	6572.02 करोड़ रुपये
2017-18	6316.12 करोड़ रुपये

(ग) इन प्राथमिकता प्राप्त ए.आई.बी.पी. परियोजनाओं को योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए केंद्रीय सहायता मुहैया कराने में कोई बाधा नहीं है।

(घ) वर्ष 2017-18 के दौरान अभी तक निर्गत सहायता के ब्यौरे निम्नलिखित हैं:-

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	राज्य	एआईबीपी	सीएडीडब्ल्यूएम
1.	आंध्र प्रदेश	11.79	3.64
2.	बिहार	46.32	8.76
3.	छत्तीसगढ़	0.00	9.94
4.	गोवा	0.00	0.00
5.	गुजरात	555.88	414.29
6.	जम्मू और कश्मीर	9.57	0.00
7.	कर्नाटक	222.01	0.00
8.	मध्य प्रदेश	99.13	102.79

क्र.सं.	राज्य	एआईबीपी	सीएडीडब्ल्यूएम
9.	महाराष्ट्र	133.67	19.97
10.	ओडिशा	238.06	39.73
11.	राजस्थान	108.44	2.48
12.	तेलंगाना	13.24	0.00
	कुल	1438.11	601.59

हस्तशिल्पों पर जी.एस.टी.

4648. **श्री जैदेव गल्ला**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत हस्तशिल्पों की कोई परिभाषा नहीं है जिसके परिणामस्वरूप हस्तशिल्प पर जी.एस.टी. लगाने में समस्याएं आ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जी.एस.टी. परिषद (जी.एस.टी.सी.) ने इस समस्या पर चर्चा की है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या जी.एस.टी.सी. द्वारा इस संबंध में एक समिति का गठन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त समिति द्वारा इस संबंध में क्या सिफारिशें की गई हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। हस्तशिल्प की आपूर्ति, जिन पर कर लगता है, करने वाले नैमित्तिक कर दाताओं को पंजीकरण से छूट दिये जाने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए हस्तशिल्प को जी.एस.टी. में परिभाषित नहीं किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। जी.एस.टी. परिषद ने हस्तशिल्प की परिभाषा के विषय में विचार विमर्श किया है।

(घ) जी हां, इस मामले पर जी.एस.टी. ने एक समिति का गठन किया है।

(ङ) इस समिति ने जी.एस.टी. परिषद को सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

निजी क्रेडिट-रेटिंग एजेंसियों का कार्यकरण

4649. **श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय द्वारा कॉरपोरेट जगत को बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण देने के संबंध में क्रेडिट रेटिंग प्रदान करने के निजी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यकरण की निगरानी करने/नजर रखने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त मामले के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी)/भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से संपर्क किया है अथवा संपर्क करने का विचार किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (सी.आर.ए.) को विनियमित करता है और इसने उनके कार्यकलापों के संबंध में विनियमन और परिपत्र/मार्गनिर्देश जारी किए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, ऐसी क्रेडिट रेटिंग से सहबद्ध पक्रियाओं और रीतियों को उच्चतर विश्वसनीयता प्रदान करने तथा हित के टकराव के मुद्दों का समाधान करने के लिए सी.आर.ए. के अभिशासन, जवाबदेही एवं कार्यप्रणाली में अभिवर्धन करने के लिए पारदर्शिता तथा प्रकटन संबंधी विभिन्न मानक विहित किए गए हैं। सी.आर.ए. द्वारा सेबी विनियमनों/परिपत्रों/मार्गनिर्देशों की अनुपालना की जांच सी.आर.ए. के आंतरिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रत्येक छमाही में तथा सेबी द्वारा भी इसके आवधिक निरीक्षण के दौरान की जाती है।

इसके अलावा, सेबी से मान्यताप्राप्त और विनियमित सी.आर.ए. को रेटिंग बैंक ऋणों तथा अन्य बैंक सुविधाओं के विशिष्ट प्रयोजन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा भी प्रमाणित किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक इस संबंध में ऐसी प्रमाणित सी.आर.ए. को समय-समय पर अनुदेश जारी करता है। वर्तमान में, भारत में बैंक, बेसल संरचना के अधीन पूंजी संगणना के लिए मानकीकृत अवधारणा (एसए) के तहत हैं। इस अवधारणा के अधीन, बैंक कॉरपोरेट प्रकटनों (निधि आधारित और गैर-निधि आधारित) के लिए उनकी क्रेडिट जोखिम पूंजी की संगणना के लिए जोखिम भार तय करने हेतु प्रमाणित सी.आर.ए. द्वारा दी गई रेटिंग

का प्रयोग करते हैं। सी.आर.ए. द्वारा ये बैंक ऋण रेटिंग अनुरोध किए जाने पर जारी की जाती है अर्थात् सी.आर.ए. ग्राहक से अनुरोध पाप्त होने पर ग्राहक आधारित रेटिंग देती है। सी.आर.ए. 'अनुरोध-रहित' रेटिंग जारी नहीं करती हैं। कोई उधार लेने वाला बिना किसी रेटिंग के बने रहने का चयन भी कर सकता है और ऐसे मामलों के लिए भारतीय रिजर्व बैंक पूंजी संगणना के लिए उठाए जाने वाले समुचित जोखिम भार विहित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसी उधार लेने वाले खाते के लिए बाह्य क्रेडिट रेटिंग प्राप्त करने के लिए कोई अनिवार्य अपेक्षा विहित नहीं की है।

एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. की सीटें

4650. **श्री एंटो एन्टोनी**: *क्या* **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में राज्य संचालित और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों को आवंटित एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों की संख्या के संबंध में कोई ब्यौरा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ग-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार देश में विभिन्न राज्यों द्वारा संचालित और निजी चिकित्सा महाविद्यालयों में खाली पड़ी एम.बी.बी.एस./ बी.डी.एस. की सीटों की संख्या के संबंध में कोई ब्यौरा रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ग-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) सरकारी और निजी कॉलेजों में स्वीकृत एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ग) और (घ) वर्ष 2017-18 के लिए रिक्त सीटों के बारे में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (एम.सी.आई.) तथा भारतीय दंत चिकित्सा परिषद (डी.सी.आई.) द्वारा प्रदान की गई सूचना का राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. सीटें

क्र.सं.	राज्य	एमबीबीएस		बीडीएस	
		सरकारी सीटें	निजी सीटें	सरकारी सीटें	निजी सीटें
1	2	3	4	5	6
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	100	0	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	1900	280	140	1300
3.	असम	726	0	40	0
4.	बिहार	950	400	40	240
5.	चंडीगढ़	100	0	100	0
6.	छत्तीसगढ़	650	450	100	500
7.	दमन और डीआईयू (यूटी)	0	0	0	100
8.	दिल्ली	900	200	140	0
9.	गोवा	150	0	40	0
10.	गुजरात	2830	1000	400	840
11.	हरियाणा	600	850	60	900

1	2	3	4	5	6
12.	हिमाचल प्रदेश	500	150	60	280
13.	जम्मू और कश्मीर	400	100	100	100
14.	झारखंड	350	0	50	300
15.	कर्नाटक	2650	6195	160	3360
16.	केरल	1350	2800	240	1730
17.	मध्य प्रदेश	800	1800	50	1320
18.	महाराष्ट्र	3050	4220	260	3250
19.	मणिपुर	200	0	100	0
20.	मेघालय	50	0	0	0
21.	ओडिशा	850	500	50	300
22.	पुदुचेरी	150	1050	40	300
23.	पंजाब	500	1050	80	1150
24.	राजस्थान	1450	1200	40	1460
25.	सिक्किम	0	100	0	0
26.	तमिलनाडु	3250	3600	100	2760
27.	तेलंगाना	1100	2650	100	1040
28.	त्रिपुरा	200	0	0	0
29.	उत्तर प्रदेश	2199	4150	190	2400
30.	उत्तराखंड	350	450	0	200
31.	पश्चिम बंगाल	2150	550	250	300
	कुल	30455	36040	2930	24130

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. रिक्त सीटें (2017-18)

क्र.सं.	राज्य	एमबीबीएस	बीडीएस
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0
2.	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	99	102
3.	असम	23	3
4.	बिहार	2	145
5.	चंडीगढ़	0	0

क्र.सं.	राज्य	एमबीबीएस	बीडीएस
6.	छत्तीसगढ़	1	31
7.	दमन और दीव	0	22
8.	दिल्ली	0	40
9.	गोवा	0	0
10.	गुजरात	0	179
11.	हरियाणा	0	163
12.	हिमाचल प्रदेश	0	17
13.	जम्मू और कश्मीर	1	36
14.	झारखंड	2.	350
15.	कर्नाटक	1	657
16.	केरल	1	113
17.	मध्य प्रदेश	64	432
18.	महाराष्ट्र	86	148
19.	मणिपुर	0	8
20.	मेघालय	0	0
21.	ओडिशा	27	59
22.	पुदुचेरी	0	98
23.	पंजाब	0	183
24.	राजस्थान	1	361
25.	सिक्किम	0	0
26.	तमिलनाडु	100	650
27.	त्रिपुरा	0	0
28.	उत्तर प्रदेश	16	646
29.	उत्तराखंड	0	0
30.	पश्चिम बंगाल	13	7
	कुल	437	4450

[हिंदी]

आधार को बीमा पॉलिसियों से जोड़ना

4651. **श्री कौशलेन्द्र कुमार**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कई जीवन बीमा पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसियों को खरीदने के पश्चात् अन्य देशों में स्थानांतरित हो गए हैं और देश में उनके नाम पर जारी किया गया आधार-कार्ड नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त एल.आई.सी. पॉलिसीधारकों को अपनी पॉलिसियां वापस अभ्यर्पित करनी होंगी अथवा इनके संबंध में सरकार द्वारा कुछ अन्य विकल्पों पर कार्य किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) के अनुसार अनिवासी भारतीय पॉलिसीधारकों को उनके पास आधार कार्ड न होने के कारण अपनी पॉलिसियां वापस अभ्यर्पित करने की आवश्यकता नहीं है।

आधार न होने की स्थिति में, अनिवासी भारतीय/भारतीय मूल के व्यक्ति/विदेशी में रहने वाले भारतीय नागरिक धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमावली, 2005 (जो कि समय-समय पर संशोधित किया गया था) में यथाउल्लिखित कोई भी "आधारिक रूप से वैध दस्तावेज" प्रस्तुत कर सकते हैं।

[अनुवाद]

फिजियोथेरैपी परिषद

4652. **श्री ए.टी. नाना पाटील**:

श्री सुनील कुमार सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लोगों के रहन-सहन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए फिजियोथेरैपी को एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या पेशे के रूप में मान्यता देती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में फिजियोथेरैपी पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या एवं प्रैक्टिस के लिए नियंत्रण प्राधिकारी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में फिजियोथेरैपी परिषद के गठन का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है तथा यदि हां, तो इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) उक्त पेशे के विनियमन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। तथापि, मंत्रालय ने फिजियोथैरेपी सहित (8) संबद्ध स्वास्थ्य पेशों के लिए भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ-साथ इनके पाठ्यक्रमों, निर्देशात्मक कैरियर मार्गों, कौशलों और योग्यताओं को मानकीकृत किया है।

फिजियोथेरैपी के पेशे के लिए यथानिर्मित मानकों को मंत्रालय की सरकारी वेबसाइट पर पूर्ण रूप से उपलब्ध कराया गया है।

(ग) मंत्रालय में इस तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। मंत्रालय को फिजियोथैरेपी सहित संबद्ध स्वास्थ्य पेशों के विनियम से संबंधित अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, मंत्रालय ने फिजियोथेरैपी सहित (8) संबद्ध स्वास्थ्य पेशों के लिए भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के साथ-साथ इनके पाठ्यक्रमों, निर्देशात्मक कैरियर मार्गों, कौशलों और योग्यताओं को मानकीकृत किया है।

[हिंदी]

मंडी कर

4653. **श्री श्यामा चरण गुप्त**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वियन के पश्चात्, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में वसूले जा रहे मंडी कर को समाप्त करने के संबंध में कोई कार्रवाई की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) संविधान (एक सौ एकवां संशोधन) अधिनियम, 2016 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सातवीं अनुसूची में सूची-II (राज्य सूची) में प्रविष्टि 52, 54, 55 और 62 के तहत लगाए जा रहे करों को 01 जुलाई, 2017 से माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत लाया गया है। माल और सेवा कर लागू होने से पहले राज्य सरकार द्वारा लगाये जा रहे विनिर्दिष्ट कर को माल और सेवा कर में सम्मिलित करना है या नहीं इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर उपर्युक्त राज्य सूची के अंतर्गत लगाया जा रहा था अथवा नहीं।

विदेशी बैंक

4654. **श्री सदाशिव लोखंडे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में देश में कार्यशील विदेशी बैंकों की संख्या कितनी है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान विदेशी बैंकों और भारतीय बैंकों के लाभ और हानि खातों का तुलनात्मक ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय बैंकों की तुलना में विदेशी बैंक भारी लाभ अर्जित कर रहे हैं और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार भारत में 45 विदेशी बैंक कार्य कर रहे हैं।

(ख) आर.बी.आई. से प्राप्त सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के द्वारा आर.बी.आई. को रिपोर्ट किए गए अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15 से 2016-17 हेतु विदेशी बैंकों का कर पश्चात् संकलित निवल लाभ 36,559 करोड़ रुपये और गैर-विदेशी एस.सी.बी. का 1,38,715 करोड़ रुपये था।

(ग) और (घ) भारतीय बैंकों की तुलना में विदेश बैंक उच्च लाभ प्राप्त कर रहे हैं। यह मुख्यत: सीमापार लेन-देनों में उनके योगदान तथा उससे प्राप्त उच्च शुल्क पर आधारित है।

[अनुवाद]

विदेशी बीमा कंपनियां

4655. **श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बजट, 2018 में घोषित अग्रणी कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी कवर प्रदान करने के लिए

देश में बीमा क्षेत्र में विदेशी बीमा कंपनियों को शामिल करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार इस व्यवसाय में सरकारी और घरेलू बीमा कंपनियों को शामिल करने की योजना बना रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (एन.एच.पी.एस.) के तहत, राज्यों के पास बीमा कंपनियों के माध्यम से या ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से या आंशिक रूप से बीमा कंपनियों के माध्यम से तथा आंशिक रूप से ट्रस्ट/सोसायटी के माध्यम से स्कीम का कार्यान्वयन करने का विकल्प होगा। सरकारी व घरेलू-दोनों बीमा कंपनियों की भागेदारी से संबंधित मानदंड को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाएगा।

तंबाकू उत्पादों पर कर

4656. **श्री बी.वी. नाईक**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तंबाकू पर कुल कितना केंद्रीय कर एकत्र किया गया है;

(ख) क्या तंबाकू पर एकत्र किया गया कर स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र के वित्तपोषण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार का विचार तम्बाकू से एकत्र किए गए करों को स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र के लिए कब तक उपयोग शुरू करने का है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान तम्बाकू उत्पादों पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से वसूला गया राजस्व इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	वसूला गया कर (करोड़ रुपये में)
2014-15	19232
2015-16	21463
2016-17	21719

(ख) तथा (ग) इस समय, तम्बाकू पर वसूले गए कर से तैयार कोष में से स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कुछ भी धन नियत नहीं किया गया है।

[हिंदी]

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का नि:शुल्क जीवन बीमा

4657. **श्री अशोक महादेवराव नेते**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले (बी.पी.एल.) लोगों को नि:शुल्क जीवन बीमा लाभ प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों सहित असंगठित कामगारों को उनकी पात्रता के आधार पर जीवन और अपंगता कवरेज प्रदान करने के लिए आम आदमी बीमा योजना (ए.ए.बी.वाई.) की सामाजिक सुरक्षा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) के साथ जोड़ दिया है। ये जुड़ी योजनाएं योजना के अनुसार अपंगता लाभों के साथ 330/- रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम के भुगतान पर मृत्यु हेतु 2 लाख रुपये की कवरेज तथा 12 रुपये प्रतिवर्ष की प्रीमियम के भुगतान पर 2 लाख रुपये की दुर्घटना मृत्यु कवरेज प्रदान करती हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें 50:50 के अनुपात में वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करती हैं। इन योजनाओं का कार्यान्वयन और इनकी निगरानी भारतीय जीवन बीमा निगम (एल.आई.सी.) और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के भाग के रूप में, 18 से 59 वर्ष की आयु के वे सभी व्यक्ति जिन्होंने 15.08.2014 से 31.01.2015 के मध्य जन-धन खाते खुलवाए, 30,000/- रुपये के नि:शुल्क जीवन बीमा के अंतर्गत कवर किए गए थे। प्रीमियम का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को कवर करने के लिए स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है।

[अनुवाद]

पी.एस.यूज का रणनीतिक विक्रय मूल्यांकन

4658. **श्री सी.एस. पुट्टा राजू:**

श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यूज) का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार बेचना चाहती है;

(ख) सरकार कितने पी.एस.यूज में अपनी हिस्सेदारी कम करने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार पी.एस.यूज की बिक्री के लिए विभिन्न मूल्यांकन पद्धतियों पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनसे पी.एस.यूज को क्या सहायता मिलती है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सरकार ने सहायक कंपनियों, इकाइयों और संयुक्त उद्यमों सहित 24 सी.पी.एस.ई.एस. के सामरिक विनिवेश के लिए 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है। जिन सी.पी.एस.ई.एस., सहायक कंपनियों, इकाइयों और संयुक्त उद्यमों के सामरिक विनिवेश के लिए सरकार ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया है उनकी सूची विवरण में दी गई है।

(ख) समय गंवाए बिना बेहतर बाजार परिस्थितियों का लाभ उठाने के लिए शेयरों को सौदे के लिए तैयार रखने की रणनीति के एक भाग के रूप में सरकार ने अल्पांश हिस्सेदारी की बिक्री के लिए खनिज एवं धातु, तेल एवं ऊर्जा, पूंजीगत संपत्तियों जैसे क्षेत्रों में 29 सी.पी.एस.ई.एस. की (20.03.2018 की स्थिति के अनुसार) तथा कुछ मध्यम आकार एवं छोटे आकार के शेयरों की पहचान की है।

(ग) और (घ) जब किसी सी.पी.एस.ई. की सामरिक बिक्री पर विचार किया जाता है तो बेंचमार्क के रूप में 'आरक्षित मूल्य' निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन आवश्यक है। नीति आयोग ने इक्विटी मूल्यांकन के लिए तीन मुख्य पद्धतियों की सिफारिश की है: (i) डिस्काउंटेड कैश फ्लो (डी.सी.एफ.) पद्धति, (ii) तुलनात्मक मूल्यांकन और (iii) परिसंपत्ति आधारित मूल्यांकन। इसके अलावा, प्रत्येक सौदे के लिए नियुक्त सौदा सलाहकार के कार्य क्षेत्र में यह निर्धारित किया जाता है कि उपर्युक्त पद्धतियों के अलावा तुलन-पत्र पद्धति और बाजार आधारित मूल्यांकन पद्धति के अनुसार भी मूल्यांकन किया जाएगा। सामरिक विनिवेश हेतु मार्गदर्शन नोट में भी यह निर्धारित है कि सौदा सलाहकार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार विभिन्न प्रचलित कार्य पद्धतियों को अपनाकर व्यवसायिक मूल्यांकन का कार्य करे और मूल्यांकन के मुद्दे पर सरकार को सलाह दें।

विवरण

उन सी.पी.एस.ई.एस., सहायक कंपनियों, इकाइयों और संयुक्त उद्यमों की सूची जिनके लिए सरकार ने 'सैद्धांतिक' अनुमोदन प्रदान किया

1. स्कूटर्स इंडिया लि
2. ब्रिज एण्ड रूफ इंडिया लि.
3. प्रोजेक्टस एंड डेवलपमेंट इंडिया लि.
4. पवन हंस लि.
5. भारत पंप्स एंड कम्प्रेशर्स लि.
6. सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लि.
7. हिन्दुस्तान प्रीफेब लि.
8. भारत अर्थ मूवर्स लि.
9. हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि. (सहायक कंपनी)
10. फेरो स्क्रेप निगम लि. (सहायक कंपनी)
11. हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन लि. (सहायक कंपनी)
12. सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
13. एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट
14. सेल की भद्रावती, सेलम और दुर्गापुर इकाइयां
15. एचएससीसी (इंडिया) लि.
16. नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लि.
17. इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लि.
18. एयर इंडिया
19. ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
20. एचएलएल लाइफकेयर लि.

21. इंडियन मेडिसिन एण्ड फार्मास्यूटिकल कॉरपोरेशन लि.
22. कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एण्ड फार्मास्यूटिकल लि.
23. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लि.
24. आईटीडीसी की इकाइयां/संयुक्त उद्यम

सरकारी अस्पतालों में अनियमितताएं

4659. **श्री अनूप मिश्रा**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केंद्रीय सरकारी अस्पतालों के लिए औषधियों और चिकित्सा उपकरणों की खरीद हेतु क्या प्रक्रिया अपनाई जा रही है;

(ख) क्या सरकार ने स्थापित प्रक्रिया और दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर अत्यधिक ऊंची दरों पर विभिन्न केंद्रीय सरकारी अस्पतालों में औषधियों, इंजेक्शनों और कैनुला की खरीद में अनियमितताओं और उनकी घटिया गुणवत्ता की ओर ध्यान दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस कदाचार पर रोक लगाने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जहां तक केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, ये अस्पताल सामान्य वित्तीय नियम (जी.एफ.आर.)-2017 और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार खुली निविदा आमंत्रित करते हुए दवाओं और उपस्करों को खरीद रहे हैं।

(ख) से (ङ) जहां तक केंद्र सरकार के तीन अस्पतालों अर्थात् सफदरजंग अस्पताल, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, इन अस्पतालों में निर्धारित पद्धतियों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए अनियमितताओं और अत्यधिक दरों पर दवाईयों, टीकों और केनुला की अवमानक खरीद के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। तथापि, इन 'अस्तालों द्वारा ऐसे कदाचारों को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित सुरक्षा-उपायों की व्यवस्था की गई है:-

i. प्रापण जी.एफ.आर. के अनुसार किया जा रहा है।

ii. प्राप्त की गई मदों का निरीक्षण संबंधित अस्पताल द्वारा गठित की गई समिति द्वारा किया जा रहा है।

iii. औषधियों की प्रयोगशाला संबंधी रिपोर्ट नियमित आधार पर ली जा रही है।

ताजे पानी की झीलें

4660. **श्री राजेशभाई चुड़ासमा**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ताजे पानी की कितनी झीलें गायब हो गई हैं/सूख गई हैं;

(ख) क्या सरकार ने ताजे पानी की झीलों की सफाई, संरक्षण और सुरक्षा हेतु कोई योजना या विधान बनाया है या बनाए जाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) तेजी से होने वाले शहरीकरण, विकास संबंधी कार्यकलापों और मानवीय दबावों के कारण जलाशयों पर अत्यधिक दबाव है।

(ख) और (ग) वर्तमान में यह मंत्रालय देश में अभिज्ञात की गई झीलों और नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु केन्दीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत की साझेदारी के आधार पर जलीय पारि-प्रणालियों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय योजना (एन.पी.सी.ए.) के नाम से एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के तहत अपशिष्ट जल के अवरोधन, अपवर्तन और शोधन, समुद्र तट की सुरक्षा, झीलों के अग्र भाग का विकास, उसी स्थान पर सफाई अर्थात् गाद हटाना और घासपात की निराई, तूफानी बाढ़ का प्रबंधन, जैव-उपचार, जल ग्रहण क्षेत्र का शोधन, झीलों का सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-घेराबंदी, मत्स्य पालन विकास, अपतृण नियंत्रण, जैवविविधता का संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, सामुदायिक भागीदारी आदि जैसे विभिन्न कार्यकलापों को शामिल किया जाता है। एन.पी.सी.ए. के तहत,

26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 65 झीलों तथा 83 अभिज्ञात नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

साथ ही, इस मंत्रालय द्वारा नमभूमियों के अंदर और उनके आस-पास विभिन्न कार्यकलापों को विनियमित करने हेतु नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किए गए थे। नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 द्वारा इन नियमों को अधिक्रमित किया गया है।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय भी जलाशयों की मरम्मत, जीर्णोद्धार तथा पूर्व स्थिति की बहाली (आर.आर.आर.) के लिए योजना जैसी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत् विकास और कुशल प्रबंधन को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) (हर खेत को पानी) के अंतर्गत जलाशयों की आर.आर.आर. योजना के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 5 हेक्टेयर जल विस्तार क्षेत्र वाले जलाशयों तथा शहरी क्षेत्रों में 2.0 हेक्टेयर से 10 हेक्टेयर तक के जल विस्तार क्षेत्र वाले जलाशयों, जिनमें सिंचाई का घटक भी है, को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तपोषण हेतु शामिल किया गया है।

इसके अलावा, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के तहत 14 राज्य सरकारों को जल संबंधी राज्य विशिष्ट कार्य योजना (एस.एस.ए.पी.-जल) के तहत राज्य का जल बजट तैयार करने में सहयोग प्रदान किया जा रहा है। राज्य जल बजट तैयार करने का उद्देश्य वार्षिक जल उपलब्धता की सीमा के अंदर प्रति वर्ष जल (उपयोग में लाए जाने योग्य) की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु जल का प्रबंधन करना है। राज्य के जल बजट में जल विज्ञान संबंधी चक्र, जिसमें झीलों का जल भी शामिल है, के सभी घटकों-आपूर्ति, मांग और गुणवत्ता के निष्पादन, जल मापन का निदान, संरक्षण, उत्पादकता आदि शामिल हैं।

सी.पी.एस.ई. ट्रेडेड फंड

4661. **श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ववर्ती केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र एक्सचेंज की व्यापार निधियों का नए आरंभ किए गए भारत-22 निधियों में विलय किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दोनों निधियों को आरंभ करने से विनिवेश के माध्यम से मिलने वाली कुल अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निधियों में किन्हीं निजी क्षेत्र की कंपनियां भी शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सी.पी.एस.ईस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ई.टी.एफ.) और भारत 22 ई.टी.एफ. दो अलग-अलग सूचकांक हैं जिनमें विभिन्न कंपनियों के शेयर शामिल हैं। इन दोनों सूचकांकों का विलय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) नवंबर, 2017 में सी.पी.एस.ई. ई.टी.एफ. की नई फंड पेशकश की शुरुआत 18 मार्च, 2014 को की गई थी, उसके बाद सी.पी.एस.ई. ई.टी.एफ. की पहली फंड पेशकश की शुरुआत 17 जनवरी, 2017 को की गई थी और सी.पी.एस.ई. ई.टी.एफ. की दूसरी फंड पेशकश की शुरुआत 14 मार्च, 2017 को की गई थी और भारत सरकार को इन विनिवेशों से क्रमश: 3,000 करोड़ रुपये, 6000 करोड़ रुपये और 2,500 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई। भारत 22 ई.टी.एफ. की नई फंड पेशकश की शुरुआत 14 नवंबर, 2017 को की गई थी और भारत सरकार को इस विनिवेश से 14,500 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त हुई।

(ग) और (घ) भारत 22 ई.टी.एफ. की बास्केट में निजी क्षेत्र की तीन कंपनियां अर्थात् ऐक्सिस बैंक लि., आई.टी.सी. लि. और लारसन एंड टूब्रो लि. शामिल हैं जिनके शेयर एस.यू.यू.टी.आई. के पास धारित हैं।

[हिंदी]

अस्पतालों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता

4662. **श्री रवीन्द्र कुमार राय**:

श्री शेर सिंह गुबाया:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं में सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निजी अस्पतालों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के नाते लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों की बुनियादी जिम्मेवारी है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष कर कमजोर वर्ग के लोगों को वहनीय, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने के लिए उनकी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

भूमंडलीय तापन का खतरा

4663. **श्री बी.एन. चन्द्रप्पा**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि धरती प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के कारण भूमंडलीय तापन के गंभीर खतरे का सामना कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि हानिकारक उत्सर्जन में कमी करने के लिए विश्व स्तर पर ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में आज की तारीख तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त प्रयोजनार्थ कोई निधियां/विशिष्ट निधियां निर्धारित की है और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित निधियों का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) पूर्व औद्योगिक युग से मानवजनित ग्रीन हाऊस गैसों (जी.एच.जी.) के संचयी संग्रहण के साथ-साथ वन जैसे ग्लोबल सिंक आदि का ह्रास होने से वैश्विक तापन की समस्या में वृद्धि हुई है। मानवीय कार्यकलापों के कारण वर्ष 1750 से कार्बन डाइआक्साईड (CO_2)] मीथेन (CH_4), और नाईट्रअस (N_2O) सभी ग्रीन हाउस गैसों के वातावरणीय सांद्रण में वृद्धि हुई है। वर्ष 2011 में इन ग्रीन हाउस गैसों के सांद्रण 391 ppm, 1803 ppb और 324 ppb थे और पूर्व औद्योगिक स्तरों से क्रमश: 40 प्रतिशत, 150 प्रतिशत और 20 प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक चुनौती है और जी.एच.जी. में उत्सर्जनों को कम करने के लिए वैश्विक स्तर पर ठोस प्रयास करने आवश्यक हैं। भारत इसका सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कार्यढांचा कन्वेंशन (यू.एन.एफ.सी.सी.सी.), क्योटो प्रोटोकॉल और यू.एन.एफ.सी.सी.सी. के तहत पेरिस करार के माध्यम से सृजनात्मक रूप से सक्रिय है।

वर्ष 2020 पूर्व की अवधि में भारत ने अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की उत्सर्जन सघनता को वर्ष 2020 तक अपने 2005 के स्तरों से 20-25 प्रतिशत तक कम कराने का अपना स्वैच्छिक लक्ष्य घोषित किया। भारत ने वर्ष 2005 और 2010 के बीच उत्सर्जन सघनता में 12 प्रतिशत कमी प्राप्त की है और वर्ष 2020 तक स्वैच्छिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रत्यनशील है। भारत ने पेरिस करार के तहत वर्ष 2021-2030 के लिए अर्थव्यवस्था-व्यापी उपशमन लक्ष्य हेतु अपने राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित योगदान (एन.डी.सी.), यू.एन.एफ.सी.सी.सी. को प्रस्तुत किए हैं।

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दों का समाधान करने के लिए राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) कार्यान्वित कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, संवर्धित ऊर्जा दक्षता, वहनीय पर्यावास, जल हिमालयी पारिप्रणाली को बनाए रखना, हरित भारत, वहनीय कृषि और जलवायु परिवर्तन के लिए कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में विभिन्न मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। वर्ष 2014-15 से 2016-17 तक एन.ए.पी.सी.सी. के तहत इन मिशनों के लिए कुल 14393.45 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2015-16 के दौरान भारत सरकार ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की अनुकूलन कार्यवाइयों को समर्थन देने के लिए 12वीं पंच वर्षीय योजना की शेष अवधि के लिए 350 करोड़ रुपये के प्रारम्भिक कोष सहित राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन अनुकूलन निधि की स्कीम की शुरुआत की है। यह स्कीम 12वीं योजना अवधि के बाद भी जारी है।

विटामिन डी की कमी

4664. **डॉ. शशि थरूर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विटामिन डी की कमी की व्याप्तता संबंधी कोई आंकड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विभिन्न राज्यों में विटामिन डी की कमी की व्याप्तता संबंधी डाटा बेस सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार ने इस्टैबलिशमेन्ट ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड (फोर्टिफिकेशन ऑफ फूडस) रेगुलेशन 2006 के पश्चात स्वैच्छिक खाद्य पोषकता के लिए कोई रणनीति बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार के समक्ष उक्त के कार्यान्वयन में किस प्रकार की चुनौतियां आ रही हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण का आगामी दौर अर्थात् एन.एफ.एच.एस.-5 (2018-19) विटामिन-डी की कमी से संबंधित डाटा एकत्र करेगा।

(घ) फूड फोर्टिफिकेशन को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने खुले बाजार के साथ-साथ सरकारी सुरक्षा नेट कार्यक्रमों में फूड फोर्टिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए टाटा ट्रस्ट व पोषण के क्षेत्र में कार्य करने वाले अन्य अंतर्राष्ट्रीय एन.जी.ओ. के सहयोग से एक फूड फोर्टिफिकेशन संसाधन केंद्र (एफ.एफ.आर.सी.) की स्थापना की है। एफ.एफ.आर.सी. एक संसाधन हब है जो कि विकास सहभागियों के सहयोग से तकनीकी सहायता व प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए मदद करने हेतु, खाद्य व्यापार ऑपरेटरों (एफ.बी.ओ.) व प्रिमिक्स सप्लायरों के साथ नियमित रूप से संलग्न रहता है। एफ.एफ.आर.सी. का दृष्टिकोण मानदंड के रूप में फूड फोर्टिफिकेशन को अपनाने के लिए खाद्य उद्योग को बढ़ावा देना, आगे बढ़ाना व सुविधा प्रदान करना तथा अनेक उत्पादों के फर्टिफाइड वैरिएंट्स को आरंभ करने का है।

(ङ) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने क्रमश: अपनी एकीकृत बाल विकास स्कीम तथा मिड-डे मील स्कीम के तहत आयरन व आयोडीन वाले डबल फोर्टिफाइड नमक, आयरन वाले गेहूं के आटे, फॉलिक एसिड व विटामिन बी-12, विटामिन ए व डी वाले खाद्य तेल का प्रयोग करने की सलाह पहले ही दे दी है।

फोर्टिफिकेशन को जल्द ही मानदंड बनाने के लिए उद्योग से सहयोग मिल रहा है। तेल उद्योग में, 47 प्रतिशत संगठित बाजार व शीर्ष विनिर्माताओं ने पहले ही अपने तेलों को फोर्टिफाइड कर लिया है। फोर्टिफाइड उत्पादों के साथ आने वाली 28 कंपनियां हैं।

प्रमुख राज्य कॉपरेटिव व प्राइवेट प्लेयर्स अब अपने दूध को फोर्टिफाइड कर रहे हैं। छह प्रमुख डेयरियां अब अपने दूध को फोर्टिफाइड कर रही हैं तथा 2 निजी डेयरियां फोर्टिफाइड उत्पादों को सामने लाई हैं। तथापि, चूंकि मिल्क पाउडर, गाय के दूध के लिए कोई मानक नहीं है इसलिए फिलहाल ये डेयरियां एफ.एस.एस.ए.आई. मानकों के अनुसार केवल सीमित श्रेणी को ही फोर्टिफाइड कर रही हैं।

गेहूं के आटे व चावल के मामले में, असंगठित बाजार की प्रकृति की वजह से कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने उत्पादों को फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिया है। गेहूं के आटे के मामले में 8 कंपनियां जो कि संगठित क्षेत्र में प्रमुख कंपनियां हैं, उन्होंने फोर्टिफाइड उत्पाद निकाले हैं तथा चावल के मामले में ऐसे 2 ब्रांड हैं जो कि खुले बाजार में उतरे हैं।

वर्तमान में ऐसी 10 कंपनियां हैं जिनके खुले बाजार में अपने डबल फोर्टिफाइड नमक (डी.एफ.एस.) हैं।

फोर्टिफाइड फूड को लोकप्रिय बनाने के लिए, ऐसे उत्पादों की पर्याप्त आपूर्ति को उपलब्ध कराने के लिए उद्योग को मांग पैदा करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए पैन इंडिया अभियान की चुनौतियां हैं।

सी.जी.एच.एस. संचार प्रौद्योगिकी का उन्नयन

4665. **श्री रामसिंह राठवा**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी अस्पतालों/सी.जी.एच.एस. औषधालयों में इंटरनेट सेवाओं के बार-बार खराब होने/कमी और पुराने सर्वर/कम्प्यूटरों के कारण लाभार्थियों को होने वाली असुविधा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विशेषकर दिल्ली का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है और सरकारी अस्पतालों/सी.जी.एच.एस. औषधालयों में अद्यतन प्रौद्योगिकी वाले हैवी ड्यूटी सर्वर और कम्प्यूटर कब तक प्रदान किए जाएंगे?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी हां, तकनीकी कारणों के चलते इंटरनेट की कनेक्टिविटी में खराबी के कुछ मामले ध्यान में लाए गए हैं।

(ग) सी.जी.एच.एस. शहरों से जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

(घ) सरकार द्वारा निम्नलिखित सुधारात्मक कार्रवाई की गई:

- सी.जी.एच.एस. के पुराने एन.आई.सी. सर्वरों को बदल दिया गया है।
- डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में वर्ष 2016 में नए हेवी ड्यूटी सर्वर लगा दिए गए हैं।
- पुराने/अप्रचलित मॉडलों को बदलते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी वाले कंप्यूटर और संबंधित यंत्रों का नियमित आधार पर प्रापण किया जा रहा है।

हिमालयी अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना

4666. **श्री दुष्यंत चौटाला**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रशिक्षित पर्यावरण प्रबंधकों और पर्यावरणविदों के निर्माण के उद्देश्य से हिमालयी अनुसंधान अध्येतावृत्ति योजना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन संबंधी मिशन के अन्तर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना भी बनाई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा लगभग कितना वार्षिक आर्थिक आवंटन किए जाने का अनुमान है और प्रतिवर्ष कितने लाभार्थियों को इससे लाभ मिलेगा?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) भारतीय हिमालयी क्षेत्र (आई.एच.आर.) के लिए वैज्ञानिक जनशक्ति सृजन करने के लिए चालू राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन (एन.एम.एच.एस.) के अंतर्गत हिमालयी अध्येतावृत्ति कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2017-18 में 3.75 करोड़ रुपये; वर्ष 2018-19 में 4.70 करोड़ रुपये और 2019-20 में 3.95 करोड़ रुपये के वार्षिक आबंटन सहित प्रत्येक वर्ष में 50 हिमालयन जूनियर रिसर्च फेलोशिप (एच.जे.आर.एफ.) और 25 हिमालयन रिसर्च ऐसोसियेट शिप (एच.आर.ए.) प्रदान करने का पावधान है।

एन.आई.ए. की शाखाएं

4667. **श्री कंवर सिंह तंवर**: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.) की शाखाएं स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन स्थानों की पहचान की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) सरकार वर्तमान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर के विस्तार के रूप में पंचकुला (हरियाणा) में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान स्थापित करने जा रही है। निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर और श्री माता देवी तीर्थ-मंदिर बोर्ड, पंचकुला के बीच 27.4.2017 को पट्टाविलेख निष्पादित किया गया है जिसके द्वारा पंचकुला में प्रस्तावित विस्तार की स्थापना करने के लिए 19.87 एकड़ (159 कनाल) भूमि चिह्नित की गई थी। सरकार वर्तमान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर के विस्तार के रूप में पंचकुला (हरियाणा) में एक राष्ट्रीय आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा

संस्थान स्थापित करने जा रही है। निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान (एन.आई.ए.), जयपुर और श्री माता देवी तीर्थ-मंदिर बोर्ड, पंचकुला के बीच बीच 27.4.2017 को पट्टाविलेख निष्पादित किया गया है जिसके द्वारा पंचकुला में प्रस्तावित विस्तार की स्थापना करने के लिए 19.87 एकड़ (159 कनाल) भूमि चिह्नित की गई थी।

भाई या बहन का दत्तक ग्रहण

4668. **श्री जी. हरि:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दत्तक ग्रहण के दौरान भाई या बहन को सहमति से पृथक किया जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वर्तमान में सी.ए.आर.ए. के दत्तक ग्रहण पूल में 809 से अधिक भाई या बहन के जोड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा उनके दत्तक ग्रहण के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ग) किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जेजे एक्ट) की धारा 39(1) में कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के पुनर्वास और समाज में उन्हें शामिल किए जाने की प्रक्रिया पर्यवेक्षण अथवा प्रायोजन अथवा दत्तक ग्रहण या फोस्टर देखरेख के साथ अथवा उसके बिना अधिमानत: उन्हें परिवार अथवा अभिभावक को सौंपने जैसी परिवार आधारित देखभाल के माध्यम से बच्चे की वैयक्तिक देखरेख योजना के आधार पर शुरू की जाएगी। शर्त यह है कि संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत देखरेख में रखे गए भाइयों के आधार पर शुरू की जाएगी। शर्त यह है कि संस्थागत अथवा गैर-संस्थागत देखरेख में रखे गए भाइयों और बहनों को एक ही स्थान पर रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे, जब तक एक ही स्थान पर उन्हें इकट्ठे रखे जाना उनके हित में न हो। धारा 43(3) में कहा गया है कि भाइयों और बहनों को परिवारों में इकट्ठा रखने के सभी प्रयास किए जाएंगे, जब तक एक ही स्थान पर उन्हें इकट्ठे रखे जाना उनके हित में न हो। इसके अतिरिक्त, दत्तक ग्रहण विनियमावली, 2017 के विनियम 29(1) (एम) में कहा गया है कि प्रत्येक विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि जहां तक संभव हो, भाइयों और बहनों तथा जुड़वां बच्चों को एक ही परिवार में रखा जाए। 16 मार्च, 2018 तक की स्थिति के अनुसार, विशेषीकृत दत्तक ग्रहण अभिकरणों द्वारा केयरिंग्स में दर्ज ब्यौरे के अनुसार, भाइयों और बहनों/जुड़वां बच्चों की कुल संख्या 174 है। किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 बच्चों की पहचान को सार्वजनिक करने पर प्रतिषेध से संबंधित है। अत:, अधिनियम की धारा 54 को दृष्टिगत रखते हुए केयरिंग्स पर दर्ज भाइयों और बहनों/जुड़वां बच्चों का ब्यौरा (पहचान) संलग्न नहीं किया गया है।

घरेलू वस्तुओं का मूल्य

4669. **श्री सुनील कुमार मण्डल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का घरेलू वस्तुओं के मूल्य में कमी करने के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) घरेलू वस्तुओं के मूल्य में कमी लाने के लिए फिलहाल कोई भी योजना लागू करने के संबंध में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा मूल्य स्थिरता को बनाए रखने को उच्च प्राथमिकता दिए जाने के कारण नियमित आधार पर मूल्य स्थिति पर निगरानी रखी जाती है। सरकार ने मुद्रास्फीति और विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ सचिवों की समिति, अंतरमंत्रालयी समिति, मूल्य स्थिरीकरण कोष प्रबंधन समिति के स्तर पर की गई समीक्षा बैठकों सहित उच्चतम स्तर पर मूल्य एवं उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा के लिए नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना तथा अन्य विभागीय स्तर की समीक्षा बैठकें, आयोजित करना, दालों का 20 लाख टन तक परिवर्तनशील बफर स्टॉक बनाए रखना, जब कभी भी आवश्यकता हो कृषि उत्पादों की मूल्य में अस्थिरता पर नियंत्रण के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष के अंतर्गत उचित बाजार हस्तक्षेपी कार्रवाई करना तथा जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों को सुझाव देना तथा कम आपूर्ति वाली वस्तुओं की जमाखोरी एवं कालाबाजारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और कालाबाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जमाखोरी एवं कालाबाजारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का परामर्श दिया गया है।

एन.बी.एफ.सी.

4670. **डॉ. के. गोपाल:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने गैर-बैंकिंग वित्त कम्पनियों (एन.बी.एफ.सी.) से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि उनके एजेंटों द्वारा ऋण वसूली के दौरान उधार लेने वाले लोगों से जबरदस्ती नहीं की जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आर.बी.आई. ने उन्हें यह सूचित किया है कि मानदंडों के उल्लंघन के लिए उनके वरिष्ठ प्रबंधक जिम्मेदार होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये मानदंड एन.बी.एफ.सी. द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में प्रबंधकीय जोखिम और आचार संहिता संबंधी आर.बी.आई. द्वारा जारी निर्देशों का भाग है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों के संदर्भ में गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एन.बी.एफ.सी.) को यह सलाह दी गई है कि अपने एजेन्टों के माध्यम से ऋणों की वसूली के दौरान वे उधारकर्ताओं के विरुद्ध अवपीड़क कार्रवाई न करें तथा यह सुनिश्चित करें कि एन.बी.एफ.सी. के कर्मचारी ग्राहकों के साथ समुचित रूप से व्यवहार करने में प्रशिक्षित हों।

(ख) से (घ) आर.बी.आई. ने यह सूचित किया है कि वसूली संबंधी दिशानिर्देश एन.बी.एफ.सी. के लिए निर्धारित उचित व्यवहार संहिता का एक भाग है। "जोखिम प्रबंधन तथा एन.बी.एफ.सी. द्वारा वित्तीय सेवाओं की आउटसोर्सिंग में आचार संहिता" के संबंध में एन.बी.एफ.सी. को जारी दिशानिर्देशों में, अन्य बातों के साथ, ऋणों की वसूली की आउटसोर्सिंग संबंधी मानदंडों को शामिल किया गया है। इसके अलावा, आर.बी.आई. ने एन.बी.एफ.सी. को यह सलाह दी है कि वसूली एजेन्टों सहित सेवा प्रदाता की कार्रवाई के लिए उनके बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन उत्तरदायी होंगे। इसके अलावा, आर.बी.आई. ने एन.बी.एफ.सी. को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि वसूली एजेन्ट अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सावधानीपूर्वक तथा संवेदनशीलता के साथ करने के लिए समुचित रूप से प्रशिक्षित हैं और यह भी सुनिश्चित करें कि एन.बी.एफ.सी. और उनके एजेन्ट ऋण संग्रह के अपने प्रयासों में किसी व्यक्ति के विरुद्ध मौखिक या शारीरिक धमकी अथवा उत्पीड़न का सहारा नहीं लेते हैं।

वायु प्रदूषण संबंधी अध्ययन

4671. **श्री अनिल शिरोले:**

श्री जॉर्ज बेकर:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम संबंधी अध्ययन कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को अनुदेश दिए हैं/दिशानिर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कुछ विदेशी विश्वविद्यालयों से समझौता किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) वर्तमान में सरकार द्वारा बढ़ते वायु प्रदूषण और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम संबंधी अध्ययन कराने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.) को कोई निदेश नहीं दिए गए हैं। दिल्ली सरकार के माध्यम से आई.आई.टी., कानपुर द्वारा दिल्ली में वायु प्रदूषण और ग्रीन हाऊस गैसों (जी.एच.जी.) से संबंधित एक वृहत्त स्रोत संविभाजन अध्ययन किया गया है। यह अध्ययन वर्ष 2016 में पूरा हो गया था। आई.आई.टी., दिल्ली द्वारा उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु गाजियाबाद शहर के लिए एक अन्य अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) वर्तमान में इस संबंध में विदेशी विश्वविद्यालयों से कोई समझौता नहीं किया गया है।

अनाथ बच्चों को आधार कार्ड

4672. **श्री पी. कुमार:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का अनाथ बच्चों को आधार कार्ड प्रदान करने का विचार है ताकि उन्हें निशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) आधार कार्ड के जरिए अनाथ बच्चों को दी जा रही अन्य सेवाओं का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ग) भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, आधार कार्ड जारी करने का दायित्व भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को सौंपा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में यथा-परिभाषित 'देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों' तथा 'कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों' को सुरक्षा तंत्र उपलब्ध कराने के लिए छत्रक आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत बाल संरक्षण सेवाओं की व्यवस्था कर रहा है। यद्यपि इस स्कीम के अनुसार, किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख और संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016 के अंतर्गत परिकल्पित बच्चों के लिए सुविधाओं के न्यूनतम मानक निर्धारित हैं, तथापि, बच्चों को नकद भुगतान की परिकल्पना नहीं है। मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों से कहा है कि वे सभी बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों का आधार पंजीकरण सुनिश्चित करें। जैसा कि राज्य सरकारों ने विभिन्न मंचों पर बताया है, इस संबंध में उनके द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

पर्यावरण संबंधी कानूनों में परिवर्तन

4673. **एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने पर्यावरण संबंधी कानूनों में परिवर्तन करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की विद्यमान पर्यावरण संबंधी कानूनों में कब तक संशोधन करने की मंशा है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) श्री टी.एस.आर. सुब्रमणियम की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने कई सिफारिशें दी हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ एक नए वृहत्त पर्यावरणीय कानून का अधिनियमन करना; पर्यावरण से संबंधित एक राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की स्थापना; नगरीय ठोस अपशिष्ट के हथालन हेतु नई प्रणालियां और कार्यविधियां; परामर्शदाताओं को पैनल में रखने की प्रणाली; पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रक्रिया को सुग्राही बनाना आदि शामिल है।

(ग) और (घ) उच्च स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों में पर्यावरणीय कानूनों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित नहीं है और विधान में परिवर्तनों हेतु कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

पोक्सो ई-बॉक्स का विस्तार

4674. **श्री पार्थ प्रतिम राय**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव पोक्सो (पी.ओ.सी.एस.ओ.) ई-बॉक्स के माध्यम से साइबर अपराध, तस्वीरों से छेड़छाड़, चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायतें दर्ज करके इसके क्षेत्र का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) और (ख) मंत्रालय ने बाल यौन शोषण की ऑन-लाइन तथा सीधे रिपोर्टिंग के लिए दिनांक 26 अगस्त, 2016 को पॉक्सो ई-बॉक्स की शुरुआत की थी। बच्चों को लक्ष्य बनाकर साइबर अपराध के बढ़ते हुए खतरे को ध्यान में रखते हुए पॉक्सो ई-बॉक्स के कार्य की समीक्षा की गई थी और साइबर बुलीइंग, साइबर स्टॉकिन्ग, इमेजिज की मोर्फिंग तथा चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायतों को दर्ज करने के लिए पॉक्सो ई-बॉक्स का दायरा बढ़ाया गया था।

मुनाफाखोरी संबंधी शिकायत फार्म को सरल बनाना

4675. **श्री राम चरित्र निषाद**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की माल और सेवाकर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के पश्चात मुनाफाखोरी में संलिप्त व्यापारियों के विरुद्ध ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शिकायत के लिए उपलब्ध शिकायत फार्म को सरल बनाने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को 1 जुलाई, 2017 से जी.एस.टी. के कार्यान्वयन के पश्चात् कर की दर में कमी का लाभ प्रदान नहीं करने के कारण ग्राहकों की ओर से व्यापारियों के विरुद्ध अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। सरकार माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के कार्यान्वयन के पश्चात् मुनाफाखोरी में संलिप्त व्यापारियों के विरुद्ध ग्राहकों द्वारा की जाने वाली शिकायत के लिए उपलब्ध शिकायत फार्म को सरल बनाने की योजना बना रही है। प्रस्तावित सरलीकृत फार्म से उपभोक्ताओं द्वारा भरे जाने वाले कई डाटा फील्ड को हटा दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। इस स्थायी समिति को 13.03.2018 तक मुनाफाखोरी के विरोध में 428 आवेदन प्राप्त हुए है जिनमें यह कहा गया है कि कर की दरों में हुई कमी या इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उसी अनुपात में कीमतों में कमी करके उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचाया गया है। उक्त 428 आवेदनों में से स्थायी समिति ने 68 आवेदनों को रक्षोपाय महानिदेशालय के पास अग्रसारित कर दिया है। इस महानिदेशालय ने 10 मामलों में जांच शुरू करने के लिए नोटिस दिए हैं जिनमें 54 आवेदन शामिल हैं। 77 आवेदन अपूर्ण पाये गए; 217 आवेदन मुनाफाखोरी से संबंधित नहीं थे और 66 आवेदनों को संबंधित राज्यस्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी के पास वापस भेज दिया गया है।

[हिंदी]

मूल कोशिका का उपचार

4676. **श्री लक्ष्मी नारायण यादव**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मूल कोशिका उपचार/चिकित्सा जो कैंसर और थैलेसीमिया के उपचार हेतु प्रभावी है का देश में चलन शुरू होना बाकी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त चिकित्सा पद्धति के माध्यम से उपचार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) किन अस्पतालों में मूल कोशिका थेरेपी के माध्यम से उपचार प्रदान किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) भारत में मूल कोशिका उपचार अभी भी अनुसंधान मोड के अधीन है और सरकार विभिन्न आधारभूत नैदानिक पूर्व तथा क्लीनिक अनुसंधानों को सहायता प्रदान कर रही है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) ने वर्ष 2002 में 'मूल कोशिका अनुसंधान के लिए मसौदा दिशानिर्देश/विनियम' जारी किए थे जिन पर जैव प्रौद्योगिकी विभाग में व्यापक स्तर पर कार्य किया गया है जिसके परिणामस्वरूप मूल कोशिका अनुसंधान एवं थेरेपी के लिए दिशानिर्देश (2007) जारी किए गए थे। सभी पणधारकों से प्राप्त सूचना और परामर्श को सम्मिलित करके मसौदा दिशानिर्देश को "नेशनल गाईडलाईंस फॉर स्टेम सेल रिसर्च (एन.जी.एस.सी.आर.)-2013" के तौर पर अंतिम रूप से तैयार किया गया है। यह दस्तावेज इस क्षेत्र में कार्य कर रहे चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को वैज्ञानिक तौर पर उत्तरदायी और शिष्टाचार में संवेदनशील तरीके से अनुसंधान करने के लिए मार्ग दर्शन करता है। वर्ष 2013 के दस्तावेज में हाल ही में किए गए संशोधनों को सम्मिलित करके तथा मौजूदा नियमों और विनियमों के सम्मिश्रण के साथ संशोधन किया गया है। इस दस्तावेज को 11 अक्तूबर, 2017 को जारी किया गया। इन दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने तथा सभी पणधारकों को शिक्षित करने के लिए देश के विभिन्न भागों में संवितरण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। मूल कोशिका अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश-2017 के अनुसार केवल रक्त संबंधी विकारों (रक्त कैंसर और थैलिसिमिया सहित) के लिए बोन मैरो/हेमारोपोइटिक मूल कोशिश प्रत्यायोजन के लिए मूल कोशिका के उपयोग की मंजूरी दी गई है, अन्य सभी शर्तों की अनुपालना केवल मूल कोशिका अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश-2017 के अनुरूप नैदानिक परीक्षणों के कार्यक्षेत्र के अधीन की जानी है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली हेमाटोलॉजी पेइडियाट्रिक ऑनकोलॉजी, मेडिकल ऑनकोलोजी विभाग, इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हास्पीटल (आई.आर.सी.एच.) और स्टेम सेल फैसिलिटी जैसे विभिन्न विभागों के जरिए कैंसर और थैलिसिमिया के रोगियों के लिए मूल कोशिका इलाज की व्यवस्था कर रहा है।

टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई जैसे अन्य अस्पताल भी मूल कोशिश इलाज उपलब्ध करवा रहे हैं।

[अनुवाद]

शहरी विकास प्राधिकरण

4677. **श्री देवुसिंह चौहानः** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या शहरी विकास प्राधिकरण सांविधिक प्राधिकरण है और ये समाज के कल्याण हेतु योजना और विकास कार्य करता है और इनके क्रियाकलापों को व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति का नहीं माना जा सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इन प्राधिकरणों को वर्ष 2002-2003 तक आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10(20-अ) के अन्तर्गत आयकर से पूर्ण छूट प्राप्त थी और इनकी आय को आयकर के दायरे में 1 अप्रैल, 2003 को लाया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने इस महत्वपूर्ण मुद्दे को शहरी विकास प्राधिकरणों को उपनगरों के विकास हेतु वित्तीय रूप से और व्यवहार्य बनाने के लिए मंत्रालय के समक्ष 26 दिसम्बर, 2014 को उठाया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा शहरी विकास प्राधिकरणों को विकास कार्य हेतु व्यवहार्य बनाने हेतु अनुकूल कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) शहरी विकास प्राधिकरणों (यू.डी.ए.) के गठन और उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों को, उनके अपने-अपने गठनकारी अधिनियमों द्वारा अधिशासित किया जाता है। ये संस्थाएं अब आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 2(15) (जिसमें 'धर्मार्थ' शब्द को परिभाषित किया गया है) के दायरे में आने का दावा करती है और वे अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर छूट का दावा करती हैं। विनिर्दिष्ट प्रावधानों की शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जनसामान्य के उपयोग की कतिपय वस्तुओं को बनाने वाली इकाइयां, कर छूट की पात्र नहीं हैं यदि उनके क्रियाकलाप, व्यापार, वाणिज्य अथवा कारोबार आदि की प्रकृति के हैं चाहे ऐसे क्रियाकलापों से प्राप्त आय का प्रयोग/उपयोग अथवा धारण की प्रकृति कैसी भी हो। शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा किए गए कार्य जिनमें भूमि की बिक्री और खरीद, रिहायशी/वाणिज्यिक संपत्तियों को विकसित करने और बेचने, परिसर को पट्टे पर देना/किराए पर देना और होर्डिंग को किराए पर देने के माध्यम से अर्जित राजस्व आदि शामिल हैं, सामान्यतः ऐसी ही प्रकृति के हैं और अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर छूट हेतु पात्र नहीं हैं।

(ख) जी हां, आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए या शहरों, कस्बों और गांव या दोनों के नियोजन के उद्देश्य से कानून के अंतर्गत या उसके तहत भारत में गठित प्राधिकरण को, होने वाली किसी भी आय को धारा 10 (20क) के अंतर्गत 31.3.2003 तक छूट प्रदान की गई थी। 01.04.2003 से इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। इसके पश्चात तब तक ऐसे निकाय, इस अधिनियम की धारा 11 [धारा 2(15) और (12क) के साथ पठित] और धारा 10 (46) के अंतर्गत विहित कर छूट के लिए अहर्क नहीं होते हैं तब तक उनकी आय छूट के लिए अहर्क नहीं होगी।

(ग) और (घ) अपर मुख्य सचिव, गुजरात सरकार से दिनांक 26.10.2015 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह बताया गया था कि शहरी विकास प्राधिकरण (यूं.डी.ए.) को छूट दिए जाने संबंधी मुद्दे को मानवीय वित्त मंत्री गुजरात सरकार द्वारा दिनांक 26.12.2014 को माननीय वित्त मंत्री, भारत सरकार के साथ हुई बैठक में उठाया गया था। इस संबंध में और भी अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। यह बताया गया कि शहरी विकास प्राधिकरण (यू.डी.ए.) की आय को 2002-03 तक, आय कर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 10(20क) के तहत, इसे विलोपित किए जाने से पूर्व, पूर्ण छूट प्राप्त थी और धर्मार्थ उद्देश्यों से संबंधित प्रावधानों में संशोधन करने के कारण इसके कर लगने योग्य बनने से पूर्व, अधिनियम की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकरण करवा कर छूट प्राप्त थी। शहरी विकास प्राधिकरणों को छूट दिए जाने के मामले पर विचार-विमर्श किया गया था और संयत वर्तमान कर व्यवस्था में छूट और कटौतियों को समाप्त करने की सरकार की स्पष्ट नीति को देखते हुए इस मामले को व्यवहार्य नहीं पाया गया।

[हिंदी]

चिकित्सकों द्वारा विदेश यात्राएं

4678. **श्री रामचरण बोहराः**

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि कुछ वरिष्ठ चिकित्सक सरकारी अस्पतालों में, विशेषतः केन्द्र सरकार के अस्पतालों में, सक्षम प्राधिकारी से पूर्व-अनुमति लिए बिना ही विदेश की यात्रा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सूचित किए गए ऐसे मामलों का दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है और इसका क्या परिणाम हुआ है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या सुधारात्मक/निवारणात्मक उपाए किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (घ) केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी.एच.एस.) के कुछ चिकित्सकों द्वारा विदेश यात्रा के छिटपुट मामले सरकार की जानकारी में लाए गए हैं। जैसे ही और जब भी ऐसा कोई मामला सरकार की जानकारी में आता है, तो प्रत्येक मामले के तथ्यों को सुनिश्चित करने के बाद इनकी जांच की जाती है और सरकार के नियमों और पद्धतियों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

इसके अतिरिक्त, निजी कार्यों के लिए या पर्यटकों के रूप में विदेश का दौरा करने की शीघ्र और परेशानी रहित अनुमति प्राप्त करने के लिए सी.एच.एस. चिकित्सकों की सुविधा के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 04 अप्रैल, 2013 और 18 जुलाई, 2013 के कार्यालय ज्ञापनों के तहत अनुदेश जारी किए हैं जनके द्वारा इनमें विनिर्धारित शर्तों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के दौरान विशिष्ट अवधियों तक विदेशी दौरा करने की अनुमति प्रदान करने हेतु संबंधित अस्पतालों के चिकित्सा अधीक्षकों, संस्थानों के प्रमुखों और अपर निदेशकों (सी.जी.एस.एस.) सहित सी.एच.एस. के नियंत्रक कार्यालयों/इकाइयों को शक्तियां प्रत्योयाजित की गई हैं।

[अनुवाद]

अमृत स्टोर और जल औषधि स्टोर

4679. **डॉ. बूरा नरसैय्या गौड**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अमृत स्टोर और जन औषधि स्टोर में क्या भिन्नता है;

(ख) देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने अमृत स्टोर कार्य कर रहे हैं/खोले गए हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में एक भी अमृत स्टोर नहीं खोला गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अमृत स्टोर खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) रोगियों को कैंसर हृदवाहिका रोगों की औषधियां और छूट प्राप्त मूल्य पर इंपॉलन्ट्स व अन्य औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, उपचार हेतु किफायती औषधियां और विश्वसनीय इंपॉलन्ट्स (अमृत) फार्मेसी खोली गई हैं और इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम-एच.एल.एल. लाइफकेयर लि. द्वारा संचालित किया जाता है। इस प्रोडक्ट बॉस्केट में अस्पताल और वैध नुस्खे के साथ आम जनता के लिए अपेक्षित विभिन्न उपचार चरणों को कवर करते हुए जनेरिक औषधि, ब्रांडेड औषधि शामिल हैं।

जन औषधि भंडारों का, फार्मास्यूटिकल विभाग, भारत सरकार के अधीन भारतीय फार्मा पी.एस.यू. ब्यूरो (बी.पी.पी.आई.) द्वारा प्रबंधन किया जाता है।

(ख) से (घ) देश में संचालित/खोले गए अमृत भंडारों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

राज्य सरकारों और केंद्र सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अमृत फार्मेसी के विषय में सूचित किया गया है और मैसर्स एच.एल.एल. लाइफकेयर लि. को राज्य सरकार के बड़े अस्पतालों/संस्थानों/सी.पी.एस.यू. में अमृत फार्मेसी खोले जाने हेतु राज्य सरकार व सी.पी.एस.यू. के अनुरोधों पर विचार करने के निर्देश दिए गए है।

एल.एल.एल. लाइफकेयर लि. की सूचना के अनुसार, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में अमृत फार्मेसी की स्थापना हेतु एच.एल.एल. लाइफकेयर लि. द्वारा प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है।

विवरण

देश में कार्यरत अमृत दीनदयाल फार्मेसियों की सूची

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अस्पताल
1	2	3
1.	दिल्ली	अमृत, एम्स, नई दिल्ली
2.		अमृत, आरएमएल, नई दिल्ली
3.		अमृत, एलएचएमसी, नई दिल्ली
4.		अमृत, सफदरजंग अस्पताल

1	2	3
5.	चण्डीगढ़	अमृत, पीआईजीएमईआर, चण्डीगढ़
6.		अमृत, उन्नत कार्डियक केंद्र, चण्डीगढ़
7.		अमृत, जीएमसीएच-32
8		अमृत, उन्नत नेत्र केंद्र, चण्डीगढ़
9.		अमृत, ऑप्टीकल्स चण्डीगढ़
10.		एडवांस्ड पेडियटिक सेंटर, पीजीआईएमआर, चंडीगढ़
11.	राजस्थान	अमृत, एम्स, जोधपुर
12.		ईएसआईएस वर्ली
13.		ईएसआईएस मुलुंद
14.		ईएसआईएस नागपुर
15.		चंद्रपुर मेडिकल कॉलेज
16.		वसंतराव नाईक मेडिकल कॉलेज, यवतमाल
17.	उत्तराखंड	अमृत, एम्स, ऋषिकेश
18.	मध्य प्रदेश	अमृत, एम्स, भोपाल
19.		एमजीएम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, इंदौर
20.		गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल
21.		नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज
22.		श्याम शाह मेडिकल कॉलेज
23.		बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज
24.	छत्तीसगढ़	अमृत, एम्स, रायपुर
25.		सेल, भिलाई
26.	मेघालय	अमृत, निग्रीम्स, शिलांग
27.		अमृत, सिविल हॉस्पिटल, शिलांग
28.	मणिपुर	अमृत, आरआईएमएस, इम्फाल
29.	असम	अमृत, जीएमसीएच, गुवाहाटी
30.		अमृत, जीएमसी यूनिट 2, गुवाहाटी
31.		अमृत, एएमसीएच, डिब्रूगढ़
32.		अमृत, एफएएएमसीएच, बारपेटा
33.		अमृत, जेएमसीएच, जोरहाट
34.		अमृत, टीएमसीएच, तेजपुर
35.		अमृत, एसएमसीएच, सिलचर
36.		महेन्द मोहन चौधरी अस्पताल
37.		सिविल हॉस्पिटल, बक्सा
38.		सिविल हॉस्पिटल, सोनपुर
39.		सिविल हॉस्पिटल, बोंगईगांव
40.		सिविल हॉस्पिटल, गोलपाड़ा
41.		सिविल हॉस्पिटल, कोकराझार
42.		सिविल हॉस्पिटल, नलबाड़ी
43.		सिविल हॉस्पिटल, मोरीगांव
44.		सिविल हॉस्पिटल, नगांव
45.		तोलाराम बाफना सिविल हॉस्पिटल, अमिनगांव
46.		कनकलता सिविल हॉस्पिटल, तेजपुर
47.		मंगलदायी सिविल हॉस्पिटल, दरांग
48.		उत्तरी लखीमपुर अस्पताल
49.		शिवसागर सिविल हॉस्पिटल
50.		कुशल कोनवाड़ सिविल हॉस्पिटल, गोलाघाट
51.		कैंसर अस्पताल, गुवाहाटी
52.		जिला अस्पताल, उदलागुरि
53.	पुदुचेरी	अमृत, जेपीएमईआर, पुदुचेरी

1	2	3
54.	बिहार	अमृत, आईजीएमएस पटना
55.		एम्स, पटना
56.	उत्तर प्रदेश	अमृत, बीएचयू, वाराणसी
57.		किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
58.		शताब्दी फेज-I किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ
59.	पश्चिम बंगाल	चितरंजन नेशनल कैंसर संस्थान, कोलकाता
60.	पंजाब	अमृत, संगरूर, पीजीआई आउटरीच ओपीडी
61.		गुरु गोबिंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल, फरीदकोट, पंजाब
62.		कैंसर देखभाल अस्पताल, बटिंडा, पंजाब
63.		सिविल हॉस्पिटल, जलाबाबाद, पंजाब
64.	त्रिपुरा	अमृत, आरसीसी अगरतला
65.	हिमाचल प्रदेश	आरसीसी, आईजीएमसी, शिमला
66.	ओडिशा	अमृत, एम्स, भुवनेश्वर
67.	केरल	अमृत, एक्कुलम, तिरुवनंतपुरम
68..		जिला अस्पताल, पेरूरकाड़
69.	हरियाणा	अमृत फार्मेसी - नगर निगम, गुड़गांव
70.	तमिलनाडु	नेवीली लिग्नेट कॉर्पोरेशन, नेवेली
71.	गुजरात	अमृत डीडीपीएमजेएस सिविल हॉस्पिटल, अहमदाबाद
72.		अमृत डीडीपीएमजेएएस, जूनागढ़ जीएमर्स
73.		अमृत डीडीपीएमजेएएस, वीएस अस्पताल अहमदाबाद
74.		अमृत डीडीपीएमजेएएस एलजी हॉस्पिटल, अहमदाबाद
75.		अमृत डीडीपीएमजेएस सिविल हॉस्पिटल, सोला
76.		अमृत डीडीपीएमजेएस जीएमर्स, गांधीनगर
77.		अमृत डीडीपीएमजेएस जीएमर्स हिम्मत नगर
78.		अमृत डीडीपीएमजेएस सिविल हॉस्पिटल सूरत
79.		अमृत डीडीपीएमजेएएस पीडीयू राजकोट
80.		अमृत डीडीपीएमजेएएस जीजी अस्पताल जामनगर
81.		अमृत डीडीपीएमजेएस एसआईटी मेडिकल कॉलेज भावनगर
82.		अमृत डीडीपीएमजेएएस एसएसजी हॉस्पिटल वडोदरा
83.-122		20 जिलों और 20 एसडीएचएस में दीनदयाल औषधालय

महामारियों की रोकथाम

4680. **श्री के.सी. वेणुगोपाल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में विभिन्न महामारियों के प्रकोपों और सूचित की गई मौतों की संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में महामारियों के ऐसे प्रकोप को रोकने हेतु आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश में वायरल के प्रकोप के प्रभावी प्रबंधन हेतु कोई शीघ्र चेतावनी प्रणाली और नयाचार स्थापित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में महामारियों के ऐसे प्रकोप के शीघ्र पता लगाने और उन्हें रोकने हेतु सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने

विषाणु विज्ञान संस्थान/प्रयोगशालाओं को स्थापित और उन्नयन किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में और अधिक विषाणु विज्ञान संस्थान प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) विगत तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान देश में सूचित मौतों और वायरल प्रकोपों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) के तहत राज्यों को निर्गत निधियों का विवरण और राज्यों द्वारा सूचित व्यय संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) भारत सरकार ने रोग प्रकोपों का पता लगाने और अनुक्रिया के उद्देश्य के साथ सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) शुरू किया है। आई.डी.एस.पी. के अंतर्गत जिला स्तर पर वायरल रोगों सहित स्थानिकमारी प्रवण रोगों के संबंध में रोगियों की कुल संख्या संबंधी साप्ताहिक डाटा इकट्ठा किया जाता है। यह डाटा रोगों के रूझानों तथा रोगों की मौसमी प्रवृत्ति के बारे में सूचना देता है। जब कभी भी किसी भी क्षेत्र में रोगों का बढ़ता हुआ रूझान होता है तो इस प्रकोप की जांच की जाती है और इसके निवारण, नियंत्रण/रोकथाम के लिए अनुक्रिया की जाती है।

(घ) और (ङ) वायरल प्रकोपों का शीघ्र पता लगाने के लिए सरकार द्वारा स्थापित वायरल अनुसंधान एक नैदानिक प्रयोगशालाओं (वी.डी.आर.एल.) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सूची संलग्न विवरण-III में दी गई है।

इसके अतिरिक्त प्रकोप पैदा करने वाले कतिपय वायरल रोगों के निदान के लिए आई.डी.एस.पी. का सुदृढ़ीकरण किया गया है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद देश में और अधिक वी.आर.डी.एल. स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव और करार-ज्ञापन आमंत्रित किए गए हैं।

विवरण-I

वर्ष 2015-18 के दौरान 4 फरवरी, 2018 तक आई.डी.एस.पी. के तहत रोगों प्रकोपों व मृत्यु की राज्य-वार संख्या (05वां सप्ताह)

रोग	राज्य	2015		2016		2017		2018		कुल	
		प्रकोपों की संख्या	मृत्यु*	प्रकोपों की संख्या	मृत्यु*	प्रकोपों की संख्या	मृत्यु*	प्रकोपों की संख्या	मृत्यु*	प्रकोपों की संख्या	मृत्यु*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तीव्र अतिसार रोग	आंध्र प्रदेश	25	1	26	3	9	0	3	2	63	6
	अरुणाचल प्रदेश	2	0			3	1			5	1
	असम	13	4	15	8	18	5			46	17
	बिहार	21	12	60	22	35	22			116	56
	चंडीगढ़					2	0	1	0	3	0
	छत्तीसगढ़	22	0	71	29	34	9	1	0	128	38
	दादरा और नगर हवेली			1	0					1	0
	दिल्ली	2	0	3	0					5	0
	गुजरात	30	1	30	0	17	1	2	0	79	2
	हरियाणा	4	2	7	2	1	0			12	4
	हिमाचल प्रदेश	13	0	5	1	12	2			30	3
	जम्मू और कश्मीर	15	1	11	2	16	0			42	3
	झारखंड	4	0	15	2	10	3			29	5
	कर्नाटक	30	1	42	2	27	2	2	0	101	5
	केरल	6	0	7	0	6	0	2	0	21	0
	मध्य प्रदेश	45	5	71	19	22	4			138	28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	महाराष्ट्र	73	3	82	17	32	2	2	0	189	22
	मणिपुर			2	1	1	0			3	1
	मेघालय	2	4	1	0					3	4
	मिजोरम	1	0			1	0			2	0
	नागालैंड			1	0					1	0
	ओडिशा	27	6	69	14	13	3			109	23
	पंजाब	4	1	13	5	6	0	1	0	24	6
	राजस्थान	19	0	34	7	12	5			65	12
	तमिलनाडु	15	1	13	1	21	5	1	0	50	7
	तेलंगाना	3	0	16	4	13	0			32	4
	त्रिपुरा	1	1	1	1	4	1			6	3
	उत्तर प्रदेश	16	4	45	31	26	21			87	56
	उत्तराखंड	2	0	4	0	2	0			8	0
	पश्चिम बंगाल	55	0	64	1	12	1	1	0	132	2
कुल तीव्र अतिसार रोग		450	47	709	172	355	87	16	2	1530	308
तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस)	अरुणाचल प्रदेश	1	0			1	0			2	0
	असम	9	31	13	36	12	22			34	89
	बिहार	1	0	2	2					3	2
	छत्तीसगढ़					3	2			3	2
	गुजरात					2	1			2	1

	झारखंड	3	2			1	1	4	3
	कर्नाटक			1	2			1	2
	मध्य प्रदेश			1	0			1	0
	महाराष्ट्र	3	3	3	1	8	2	14	6
	मणिपुर	1	0	2	0	1	7	4	7
	मेघालय	3	5	1	0	1	1	5	6
	नागालैंड	1	1					1	1
	राजस्थान					1	1	1	1
	त्रिपुरा	1	3					1	3
	उत्तर प्रदेश	2	1	1	2			3	3
तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) टोटल		25	46	24	43	30	37	79	126
तीव्र झिल्लीदार पक्षाघात	दिल्ली	1	0					1	0
तीव्र झिल्लीदार पक्षाघात कुल		1	0					1	0
तीव्र श्वसन संक्रमण	मध्य प्रदेश			1	0			1	0
	उत्तर प्रदेश			1	0			1	0
तीव्र श्वसन संक्रमण कुल				2	0			2	0
तीव्र वायरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ	जम्मू और कश्मीर			1	0			1	0
तीव्र वायरल नेत्रश्लेष्मलाशोथ कुल				1	0			1	0
अलकोहल विषाक्तता	पश्चिम बंगाल	3	12					3	12
अलकोहल विषाक्तता कुल		3	12					3	12
एंथ्रेक्स	आंध्र प्रदेश			1	0	4	0	5	0
	झारखंड	2	3	9	2	5	6	16	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ओडिशा	4	6	20	1	14	3			38	10
	पश्चिम बंगाल	5	3	2	0					7	3
एंथ्रेक्स कुल		11	12	32	3	23	9			66	24
ब्रूसिलोसिस	असम			1	0	1	0			2	0
	केरल			1	0					1	0
	राजस्थान					1	0			1	0
ब्रुसेलोसिस कुल				2	0	2	0			4	0
कास्टर बीज विषाक्तता	तमिलनाडु	1	0							1	0
कास्टर बीज विषाक्तता कुल		1	0							1	0
चंद्रीपुरा वायरल एन्सेफलाइटिस	गुजरात	1	0	2	0	1	1			4	1
चंद्रीपुरा वायरल एन्सेफलाइटिस कुल		1	0	2	0	1	1			4	1
चिकनपोक्स	आंध्र प्रदेश	1	0			1	0			2	0
	अरुणाचल प्रदेश	3	0	5	0					8	0
	असम	5	2	9	0	12	0	1	0	27	2
	बिहार	42	1	121	5	51	3	7	0	221	9
	छत्तीसगढ़	5	0	26	0	9	0			40	0
	दादरा और नगर हवेली	1	0	9	0	1	0			11	0
	दमन और दीव			1	0	1	0			2	0
	गुजरात	1	0	3	0	5	0			9	0
	हरियाणा	2	0	1	0	1	0			4	0
	जम्मू और कश्मीर	8	0	20	0	13	0			41	0

	झारखंड	4	0	16	0	13	0	3	0	36	0
	कर्नाटक	4	0	14	1	29	0	5	0	52	1
	केरल	4	0	6	0	3	0			13	0
	मध्य प्रदेश	10	0	10	0	9	0	2	0	31	0
	महाराष्ट्र	7	0	5	0	10	0	1	0	23	0
	मेघालय	1	0	3	0					4	0
	नागालैंड			1	0	1	0			2	0
	ओडिशा	6	0	18	0	11	0	3	0	38	0
	पुदुचेरी					1	0	1	0	2	0
	पंजाब	8	0	32	0	10	2			50	2
	राजस्थान			4	2	1	0			5	2
	सिक्किम			2	0					2	0
	तमिलनाडु	10	0	10	0	7	0	5	0	32	0
	तेलंगाना			1	0					1	0
	त्रिपुरा	1	0			1	0			2	0
	उत्तर प्रदेश	17	1	66	3	34	2	2	0	119	6
	उत्तराखंड	1	0	2	0	2	0			5	0
	पश्चिम बंगाल	1	0	16	1	2	0			19	1
चिकनपोक्स कुल		142	4	401	12	228	7	30	0	801	23
चिकनपोक्स और कंघी	आंध्र पदेश					1	0			1	0
चिकनपोक्स और गांठ कुल						1	0			1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
चिकनगुनिया	आंध्र प्रदेश					1	0			1	0
	अरुणाचल प्रदेश	1	0							1	0
	असम			2	0					2	0
	गुजरात			3	0	6	0			9	0
	झारखंड					1	0			1	0
	कर्नाटक	23	0	22	0	28	0	4	0	77	0
	मध्य प्रदेश	1	0	2	0	11	0			14	0
	महाराष्ट्र	7	0	14	2	19	0	2	0	42	2
	मेघालय					1	0			1	0
	ओडिशा	1	0							1	0
	राजस्थान	1	0	3	0					4	0
	तमिलनाडु	9	0	1	0	4	0	1	0	15	0
	तेलंगाना	2	0	1	0	1	0			4	0
	उत्तर प्रदेश			1	0					1	0
	पश्चिम बंगाल	1	0	1	0					2	0
चिकनगुनिया कुल		46	0	50	2	72	0	7	0	175	2
हैजा	आंध्र प्रदेश	1	0							1	0
	असम			8	5	1	0			9	5
	चंडीगढ़	4	0	1	0	1	0			6	0
	छत्तीसगढ़			3	2	1	0			4	2
	दादरा और नगर हवेली	2	0	1	0					3	0

			दिल्ली			1	0			1	0
			गुजरात	5	2	14	3	8	0	27	5
			हरियाणा					1	0	1	0
			कर्नाटक	12	3	18	0	3	2	33	5
			केरल			2	3	2	1	4	4
			मध्य प्रदेश	6	2	16	12	2	1	24	15
			महाराष्ट्र	2	0	11	6	3	0	16	6
			ओडिशा			4	6			4	6
			पंजाब	2	4	5	2	9	3	16	9
			राजस्थान	2	0	8	9			10	9
			तेलंगाना	2	1	3	1			5	2
			उत्तर प्रदेश			1	3			1	3
			पश्चिम बंगाल	7	1	18	3			25	4
हैजा कुल				45	13	114	55	31	7	190	75
क्रीमिया-कांगो (सीसीएचएफ)	हेमोरेजिक	स्वर	गुजरात	12	4	12	6	5	3	29	13
			राजस्थान	2	3					2	3
			उत्तर प्रदेश	1	1					1	1
क्रीमिया-कांगो (सीसीएचएफ)	हेमोरेजिक	स्वर		15	8	12	6	5	3	32	17
डेंगू			आंध्र प्रदेश	2	0	2	0	2	0	6	0
			अरुणाचल प्रदेश	6	0	1	0			7	0
			असम	5	0	6	0	6	1	17	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	बिहार	2	0	3	0	2	0			7	0
	चंडीगढ़	1	0	1	0	2	0			4	0
	छत्तीसगढ़	2	0	2	0					4	0
	दादरा और नगर हवेली	2	0							2	0
	दिल्ली	1	2			1	0			2	2
	गोवा	1	0			1	0			2	0
	गुजरात	2	0	1	0	2	0			5	0
	हिमाचल प्रदेश			1	2	3	0			4	2
	जम्मू और कश्मीर	1	0							1	0
	झारखंड	2	0	4	2	6	1			12	3
	कर्नाटक	21	0	23	1	24	0			68	1
	केरल	20	3	30	2	19	6			69	11
	लक्षद्वीप	2	0	1	0					3	0
	मध्य प्रदेश	4	0	7	0	4	0			15	0
	महाराष्ट्र	17	2	35	14	35	22	2	0	89	38
	मणिपुर	1	0	1	0	2	0			4	0
	मेघालय			1	0	1	0			2	0
	मिजोरम			4	0					4	0
	नागालैंड	1	1	1	0	1	0			3	1
	पुदुचेरी			3	3	2	0			5	3
	राजस्थान	5	2	8	1	1	0			14	3

	सिक्किम					1	0			1	0
	तमिलनाडु	32	7	14	4	24	3	1	0	71	14
	तेलंगाना	3	1	6	2	4	0			13	3
	उत्तर प्रदेश	9	3	5	0					14	3
	उत्तराखंड			1	0	1	0			2	0
	पश्चिम बंगाल	10	0	16	4	8	0			34	4
डेंगू कुल		152	21	177	35	152	33	3	0	484	89
डेंगू और चिकनगुनिया	कर्नाटक					7	0			7	0
	महाराष्ट्र					2	1			2	1
	पश्चिम बंगाल					1	0			1	0
डेंगू और चिकनगुनिया कुल						10	1			10	1
डेंगू और लेप्टोस्पिरोसिस	महाराष्ट्र					1	1			1	1
	तमिलनाडु					1	0			1	0
डेंगू और लेप्टोस्पिरोसिस कुल						2	1			2	1
डिफ्थीरिया	असम	2	4	5	2					7	6
	बिहार			2	0	1	1			3	1
	गुजरात			2	2					2	2
	हरियाणा	2	2							2	2
	झारखंड							1	0	1	0
	कर्नाटक			3	1	2	1			5	2
	केरल	1	1	4	3	2	0			7	4
	पंजाब	3	0	4	3					7	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	राजस्थान			1	1	1	0			2	1
	उत्तर प्रदेश			2	4	3	3			5	7
	पश्चिम बंगाल			1	2					1	2
डिफ्थीरिया कुल		8	7	24	18	9	5	1	0	42	30
डाइसेंट्री	आंध्र प्रदेश			1	0					1	0
	असम			2	2	6	0			8	2
	छत्तीसगढ़			1	0					1	0
	गोवा					1	0			1	0
	गुजरात	1	0							1	0
	केरल			1	0	3	1			4	1
	महाराष्ट्र	3	0	2	0					5	0
	मेघालय					2	1			2	1
	ओडिशा			1	0	3	0			4	0
	राजस्थान			1	0					1	0
	पश्चिम बंगाल	1	0	3	0					4	0
डाइसेंट्री कुल		5	0	12	2	15	2			32	4
आंतों का बुखार	आंध्र प्रदेश	2	0							2	0
	अरुणाचल प्रदेश	2	0	3	0	2	0			7	0
	असम	1	0	2	0					3	0
	बिहार	1	0							1	0
	गुजरात					1	0			1	0

	जम्मू और कश्मीर	1	0	1	0	1	0	3	0
	झारखंड			1	0			1	0
	कर्नाटक	4	0	3	0	2	0	9	0
	केरल			2	2	5	0	7	2
	महाराष्ट्र	1	0	1	0			2	0
	नागालैंड					1	0	1	0
	राजस्थान					2	0	2	0
	तमिलनाडु	3	0	1	0	4	0	8	0
	उत्तराखंड	1	0			1	0	2	0
प्रवेशिक बुखार कुल		16	0	14	2	19	0	49	2
महामारी ड्रॉप्सी	गुजरात	1	2					1	2
महामारी ड्रॉप्सी कुल		1	2					1	2
महामारी टाईफस	महाराष्ट्र			1	3			1	3
महामारी टाईफस कुल				1	3			1	3
परिवर्तित सरियम के साथ बुखार	कर्नाटक	1	1					1	1
परिवर्तित सरियम कुल के साथ बुखार		1	1					1	1
आर्थराल्जिया के साथ बुखार	आंध्र प्रदेश					1	0	1	0
आर्थराल्जिया कुल के साथ बुखार						1	0	1	0
चकत्ते के साथ बुखार	आंध्र प्रदेश					1	0	1	0
	अरुणाचल प्रदेश			1	0			1	0
	असम	2	0	1	0			3	0
	बिहार	3	1	16	1	6	0	25	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	छत्तीसगढ़			1	0	3	0			4	0
	गुजरात	2	0	2	0					4	0
	हिमाचल प्रदेश	2	1							2	1
	जम्मू और कश्मीर			1	0					1	0
	झारखंड	3	0	4	0	2	0			9	0
	कर्नाटक			1	0	5	0			6	0
	मध्य प्रदेश	2	0	2	4	1	0			5	4
	महाराष्ट्र	2	0	3	1	4	0			9	1
	मेघालय			1	0	1	0			2	0
	ओडिशा	1	0	3	0	3	0			7	0
	पंजाब			1	0					1	0
	राजस्थान	1	0	2	0	3	0			6	0
	सिक्किम	1	0							1	0
	तमिलनाडु			4	0	1	0			5	0
	उत्तर प्रदेश	4	3	10	1	1	1			15	5
	उत्तराखंड	3	0							3	0
	पश्चिम बंगाल	3	0	5	0					8	0
चकत्ते के साथ बुखार कुल		29	5	58	7	31	1			118	13
फिलीरिसीस	असम					1	0			1	0
फिलीरिसीस कुल						1	0			1	0
विषाक्त भोजन	आंध्र प्रदेश	15	0	20	8	11	0	1	0	47	8

अरुणाचल प्रदेश			1	0					1	0
असम	13	8	19	3	21	2	1	0	54	13
बिहार	15	4	15	5	16	1			46	10
छत्तीसगढ़	6	0	11	2	7	2	1	3	25	7
दिल्ली	1	0							1	0
गुजरात	31	6	24	0	17	0	1	0	73	6
हरियाणा	2	2	1	0					3	2
हिमाचल प्रदेश	3	0	1	0	1	0			5	0
जम्मू और कश्मीर	2	0	3	0	6	1			11	1
झारखंड	7	2	9	0	4	0	1	0	21	2
कर्नाटक	28	1	45	2	27	0			100	3
केरल	23	0	22	1	26	1	2	0	73	2
मध्य प्रदेश	18	3	14	1	10	0			42	4
महाराष्ट्र	17	5	18	7	19	5	2	0	56	17
मणिपुर	1	0	1	1					2	1
मेघालय					1	9			1	9
मिजोरम	3	0	3	0	2	0	1	0	9	0
नागालैंड					1	0			1	0
ओडिशा	14	0	40	1	16	3	1	0	71	4
पुदुचेरी	1	0	1	0	1	0			3	0
पंजाब			3	2	1	1			4	3
राजस्थान	19	5	12	2	10	0	3	0	44	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	सिक्किम	2	0			1	0			3	0
	तमिलनाडु	29	0	38	0	19	0	2	0	88	0
	तेलंगाना	17	0	25	0	9	0	2	0	53	0
	त्रिपुरा	2	0			2	2			4	2
	उत्तर प्रदेश	18	2	22	11	19	3			59	16
	उत्तराखंड	2	1			3	0			5	1
	पश्चिम बंगाल	39	3	47	5	15	0	1	0	102	8
खाद्य विषाक्त कुल		328	42	395	51	265	30	19	3	1007	126
हाथ-पैर और मुंह की बीमारी	जम्मू और कश्मीर			1	0					1	0
	तमिलनाडु	1	0							1	0
हाथ-पैर और मुंह की बीमारी कुल		1	0	1	0					2	0
हेपेटाइटिस बी	जम्मू और कश्मीर							1	2	1	2
हेपेटाइटिस बी कुल								1	2	1	2
हरपीज सिंप्लेक्स एन्सेफलाइटिस	बिहार					1	1			1	1
हरपीज सिंप्लेक्स एन्सेफलाइटिस कुल						1	1			1	1
एचएसवी एनसेफलाइटिस	ओडिशा			1	1					1	1
एचएसवी एनसेफलाइटिस कुल				1	1					1	1
इन्फ्लुएंजा ए एच 1 एन 1	छत्तीसगढ़	1	2							1	2
	गुजरात	1	459							1	459
	जम्मू और कश्मीर	2	0							2	0
	कर्नाटक	1	85							1	85

	केरल	2	67							2	67
	मध्य प्रदेश	1	327							1	327
	महाराष्ट	1	623							1	623
इन्फ्लुएंजा ए एच 1 एन 1 कुल		9	1563							9	1563
इन्फ्लुएंजा ए एच 3 एन 2	कर्नाटक			1	0					1	0
इन्फ्लुएंजा ए एच 3 एन 2 कुल				1	0					1	0
इन्फ्लुएंजा बी	जम्मू और कश्मीर	1	0							1	0
	कर्नाटक			1	0			3	0	4	0
	केरल	1	0			1	0	1	0	3	0
इन्फ्लुएंजा बी कुल		2	0	1	0	1	0	4	0	8	0
पीलिया	असम					1	0			1	0
	छत्तीसगढ़	5	0	1	0					6	0
	दिल्ली	1	0							1	0
	गुजरात	3	1	4	0	1	0			8	1
	हरियाणा	3	0	1	0					4	0
	हिमाचल प्रदेश					1	0			1	0
	जम्मू और कश्मीर			1	0	1	0			2	0
	कर्नाटक	1	0	1	0					2	0
	केरल					2	0			2	0
	मध्य प्रदेश	1	0							1	0
	महाराष्ट्र	1	0	2	0					3	0
	ओडिशा	5	0	4	0					9	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	तमिलनाडु	2	0							2	0
	तेलंगाना					1	0			1	0
	उत्तर प्रदेश			1	0					1	0
	उत्तराखंड			1	0					1	0
	पश्चिम बंगाल			1	0					1	0
पीलिया कुल		22	1	17	0	7	0			46	1
काला अजर	बिहार	1	0			1	0			2	0
	दिल्ली	1	0							1	0
	केरल	1	0	1	0					2	0
काला अजर कुल		3	0	1	0	1	0			5	0
कश्यनूर वन रोग	गोवा	2	2	2	0					4	2
	कर्नाटक	1	0	1	0					2	0
	केरल	1	7							1	7
	महाराष्ट्र			1	0	1	1			2	1
कश्यनूर वन रोग कुल		4	9	4	0	1	1			9	10
लेप्टोस्पाइरोसिस	असम	1	0	1	0					2	0
	कर्नाटक			3	6	1	0			4	6
	केरल			1	0					1	0
	महाराष्ट्र	1	1			1	0			2	1
	पंजाब			1	0					1	0

	राजस्थान	1	0							1	0
	तमिलनाडु	3	0	5	0	3	0			11	0
लेप्टोस्पाइरोसिस कुल		6	1	11	6	5	0			22	7
लेप्टोस्पाइरोसिस और एंट्रीक बुखार	तमिलनाडु					1	0			1	0
लेप्टोस्पाइरोसिस और एंट्रीक बुखार कुल						1	0			1	0
लेप्टोस्पाइरोसिस, डेंगू और स्क्रब ट्यूफस	तमिलनाडु					1	0			1	0
लेप्टोस्पाइरोसिस, डेंगू और स्क्रब ट्यूफस कुल						1	0			1	0
मलेरिया	आंध्र प्रदेश	1	0			1	0			2	0
	अरुणाचल प्रदेश	1	2							1	2
	असम	8	3	3	5	2	0			13	8
	बिहार	3	10	6	0	2	2			11	12
	छत्तीसगढ़	5	0	2	0	3	10			10	10
	गोवा	1	0							1	0
	गुजरात	1	0	1	0					2	0
	हरियाणा	1	2							1	2
	झारखंड	7	10	5	3	2	1			14	14
	कर्नाटक	3	0	2	0	2	0			7	0
	केरल	2	0	1	0	2	0			5	0
	मध्य प्रदेश	22	2	4	0	3	0			29	2
	महाराष्ट्र	17	11	6	4	12	8	1	1	36	24
	मेघालय	2	0							2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	नागालैंड					2	0			2	0
	ओडिशा	1	0							1	0
	राजस्थान			1	0					1	0
	तमिलनाडु	1	0	2	0					3	0
	तेलंगाना	1	1	1	0					2	1
	त्रिपुरा					1	0			1	0
	उत्तर प्रदेश	6	7	4	1	2	3			12	11
	पश्चिम बंगाल	5	1	1	0	1	0			7	1
मलेरिया कुल		88	49	39	13	35	24	1	1	163	87
खसरा	अरुणाचल प्रदेश	1	0	13	0	7	0			21	0
	असम	10	1	11	1	6	0	1	0	28	2
	बिहार	31	8	30	10	19	4	9	0	89	22
	चंडीगढ़	2	0							2	0
	छत्तीसगढ़	3	0			1	0	1	0	5	0
	दादरा और नगर हवेली	8	1	1	0					9	1
	दमन और दीव	1	0							1	0
	दिल्ली	6	1	15	0	1	0	2	0	24	1
	गुजरात	17	0	36	0	24	0	3	0	80	0
	हरियाणा	9	1	6	1	5	0			20	2
	हिमाचल प्रदेश	8	1	2	0	1	0			11	1
	जम्मू और कश्मीर	4	0	2	0	1	0			7	0

	झारखंड	31	3	17	0	18	0	4	0	70	3
	कर्नाटक	5	0	7	0	4	0			16	0
	केरल	8	1	4	1	5	0	1	0	18	2
	मध्य प्रदेश	33	12	25	3	18	1	3	0	79	16
	महाराष्ट्र	6	0	11	0	26	1	2	0	45	1
	मणिपुर	2	0							2	0
	मेघालय	1	1	1	3	3	2			5	6
	मिजोरम	2	0			1	0			3	0
	नागालैंड			1	4	1	3			2	7
	ओडिशा	6	0	8	0	6	0			20	0
	पंजाब	11	0	2	0	2	0			15	0
	राजस्थान	5	3	10	0	11	1	3	2	29	6
	सिक्किम	1	0	1	0					2	0
	तमिलनाडु	7	0	3	0					10	0
	त्रिपुरा	3	0							3	0
	उत्तर प्रदेश	41	7	69	10	66	16	8	0	184	33
	उत्तराखंड	6	0	3	0	1	0			10	0
	पश्चिम बंगाल	11	0	16	0	2	0			29	0
खसरा कुल		279	40	294	33	229	28	37	2	839	103
खसरा और रूबेला	मेघालय					1	0			1	0
	नागालैंड					1	0			1	0
खसरा और रूबेला कुल						2	0			2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मीलियोडॉसिस	असम					1	0			1	0
मीलियोडॉसिस कुल						1	0			1	0
कनपेड का रोग	अरुणाच प्रदेश	1	0	1	0			1	0	3	0
	असम			1	0					1	0
	दादरा और नगर हवेली	4	0	4	0	1	0			9	0
	दमन और दीव	1	0							1	0
	गुजरात	1	0	1	0					2	0
	हरियाणा	2	0							2	0
	जम्मू औरं कश्मीर	2	0			16	0			18	0
	कर्नाटक	4	0	19	0	3	0	1	0	27	0
	केरल	7	0	6	0					13	0
	मध्य प्रदेश	1	0	1	0					2	0
	महाराष्ट्र	1	0	1	0					2	0
	पंजाब	8	0	6	0	5	0	1	0	20	0
	राजस्थान			1	0	1	0			2	0
	तमिलनाडु	2	0	1	0	1	0			4	0
	उत्तर प्रदेश			3	3					3	3
	पश्चिम बंगाल	1	0							1	0
कनेप्ड कुल		35	0	45	3	27	0	3	0	110	3
मशरूम विषाक्तता	अरुणाचल प्रदेश			1	0					1	0
	असम	1	2	2	1	1	0			4	3

	मेघालय	3	8							3	8
मशरूम विषाक्तता कुल		4	10	3	1	1	0			8	11
नवजात टेटनस	मध्य प्रदेश							1	4	1	4
नवजात टेटनस कुल								1	4	1	4
बच्चों में त्वचा रोग	मिजोरम			1	0					1	0
बच्चों में त्वचा रोग कुल				1	0					1	0
काला खांसी	जम्मू और कश्मीर			2	0					2	0
	केरल					1	0			1	0
	उत्तर प्रदेश					3	0			3	0
काला खांसी कुल				2	0	4	0			6	0
प्राथमिक अमिबाइक मेनिनिंगो एन्सेफलाइटिस (पीएएस)	केरल			1	1					1	1
प्राथमिक अमिबाइक मेनिनिंगो एन्सेफलाइटिस (पीएएस) कुल				1	1					1	1
रूबेला	अरुणाचल प्रदेश			1	0					1	0
	असम	1	0			1	0			2	0
	बिहार	1	0							1	0
	छत्तीसगढ़			1	0					1	0
	दादरा और नगर हवेली			1	0					1	0
	दमन और दीव	1	0	1	0					2	0
	दिल्ली			3	0					3	0
	गुजरात	1	0			1	0			2	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	हरियाणा			1	0					1	0
	हिमाचल प्रदेश					1	0			1	0
	झारखंड	3	0	3	0	2	0			8	0
	कर्नाटक	3	0	6	0					9	0
	केरल			2	0					2	0
	मध्य प्रदेश	1	0							1	0
	महाराष्ट्र			3	0	2	0			5	0
	मेघालय			1	0					1	0
	ओडिशा					1	0			1	0
	पंजाब			1	0					1	0
	राजस्थान			5	0					5	0
	पश्चिम बंगाल			12	0	1	0			13	0
रूबेला कुल		11	0	41	0	9	0			61	0
स्क्रब सन्निपात	अरुणाचल प्रदेश	1	0	1	0					2	0
	असम	2	1			3	0			5	1
	गुजरात			1	2					1	2
	महाराष्ट्र	2	1			1	1			3	2
	मणिपुर					1	0			1	0
	मेघालय	1	0							1	0
	मिजोरम			1	0			2	1	3	1
	नागालैंड					1	0			1	0

	पुदुचेरी							2	0	2	0
	राजस्थान	1	4	3	1	1	0			5	5
	सिक्किम					1	2			1	2
	तमिलनाडु	1	0							1	0
	त्रिपुरा					1	0			1	0
स्क्रब टायफस कुल		8	6	6	3	9	3	4	1	27	13
सन्निपात बुखार	कर्नाटक			1	0					1	0
टायफस बुखार कुल				1	0					1	0
वायरल एन्सेफलाइटिस	गुजरात	2	2							2	2
	महाराष्ट्र	1	2							1	2
वायरल एन्सेफलाइटिस कुल		3	4							3	4
मौसमी बुखार	आंध्र प्रदेश	4	0	3	0	2	0			9	0
	अरुणाचल प्रदेश	2	0							2	0
	असम					1	0	1	0	2	0
	गुजरात	1	0	1	0			1	0	3	0
	झारखंड			1	0					1	0
	कर्नाटक	32	0	17	2	19	0			68	2
	केरल	2	0							2	0
	मध्य प्रदेश	5	0	11	0	6	0			22	0
	महाराष्ट्र	22	12	14	9	10	8			46	29
	मणिपुर					1	4			1	4
	मेघालय	1	0							1	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ओडिशा	1	0	1	1					2	1
	पंजाब					1	0			1	0
	राजस्थान	4	0							4	0
	तमिलनाडु	7	0	15	1	13	4	1	0	36	5
	तेलंगाना	2	0	4	2			1	1	7	3
	उत्तर प्रदेश	5	3	7	2	1	0			13	5
	उत्तराखंड	2	0	3	2					5	2
	पश्चिम बंगाल	2	0	3	0					5	0
वायरल बुखार कुल		92	15	80	19	54	16	4	1	230	51
वायरल हेपेटाइटिस	असम			2	0	1	1			3	1
	बिहार					2	1			2	1
	चंडीगढ़							1	0	1	0
	छत्तीसगढ़	1	0	1	0					2	0
	दादरा और नगर हवेली					1	0			1	0
	गोवा	2	0							2	0
	गुजरात	8	0	11	1	10	0			29	1
	हरियाणा	3	0			3	0			6	0
	हिमाचल प्रदेश	1	0	2	3	1	0			4	3
	जम्मू और कश्मीर	7	0	13	0	12	0			32	0
	कर्नाटक	2	0	7	0	1	0			10	0
	केरल	20	0	20	3	15	2			55	5

	महाराष्ट्र	11	1	4	0	5	0	1	0	21	1
	ओडिशा	15	0	17	0	5	0			37	0
	पंजाब	9	1	9	0	8	0			26	1
	राजस्थान	3	0	5	0	1	0			9	0
	तमिलनाडु			3	1	1	0			4	1
	उत्तर प्रदेश	1	0	1	0	1	0			3	0
	उत्तराखंड	3	0	3	0	2	0			8	0
	पश्चिम बंगाल	2	0			1	0			3	0
वायरल हेपेटाइटिस कुल		88	2	98	8	70	4	2	0	258	14
आंत में लीशमैनियासिस	केरल			1	0					1	0
आंत में लीशमैनियासिस कुल				1	0					1	0
जिका वायरल रोग (जेडवीडी)	गुजरात					1	0			1	0
	तमिलनाडु					1	0			1	0
जिका वायरल डिजीज (जेडवीडी) कुल						2	0			2	0
कुल योग		1935	1920	2679	499	1714	301	133	16	6461	2736

नोट: *राज्यों/जिलों द्वारा सूचित मौतें प्रकोप के आरंभिक स्तर की हैं।

विवरण-II

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारत सरकार द्वारा जारी			व्यय		
		2014-15	2015-16	2016-17	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	122.48	112.50	163.00	140.83	186.99	213.31
2.	गुजरात	400.00	325.00	400.00	549.25	626.18	510.73
3.	कर्नाटक	270.50	300.00	490.00	374.59	469.54	460.51
4.	महाराष्ट्र	280.00	225.00	240.00	248.59	234.95	225.79
5.	पंजाब	168.75	325.92	400.00	281.94	376.04	590.88
6.	राजस्थान	325.00	325.00	400.00	328.44	458.54	703.29
7.	तमिलनाडु	325.00	350.00	440.00	401.18	473.76	620.70
8.	उत्तराखंड	45.00	200.00	187.50	172.73	218.06	141.56
9.	पश्चिम बंगाल	250.00	200.00	200.00	182.70	223.01	283.46
10.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.00	5.25	0.00	12.91	24.19	11.08
11.	बिहार	200.00	210.00	172.50	263.63	272.24	230.62
12.	चंडीगढ़	40.00	23.25	40.00	28.33	41.06	44.93
13.	छत्तीसगढ़	60.00	200.00	150.00	134.84	169.94	165.95
14.	दादरा और नगर हवेली	21.00	32.17	17.50	27.80	43.13	51.45
15.	दमन और दीव	6.01	50.00	17.50	24.75	33.70	40.77
16.	दिल्ली	56.25	105.00	75.00	93.87	79.99	78.88
17.	गोवा	45.00	40.00	37.50	43.80	43.91	49.59
18.	हरियाणा	150.00	180.00	150.00	178.65	150.02	164.64
19.	हिमाचल प्रदेश	70.00	70.00	60.00	62.91	62.23	58.25
20.	जम्मू और कश्मीर	127.50	250.00	250.00	128.74	226.95	194.58
21.	झारखंड	112.50	220.00	100.00	120.66	183.45	148.13
22.	केरल	101.25	150.00	200.00	130.14	130.07	148.34

1	2	3	4	5	6	7	8
23.	लक्षद्वीप				2.63	1.09	4.62
24.	मध्य प्रदेश	350.00	300.00	225.00	364.60	396.86	258.64
25.	ओडिशा	350.00	325.00	150.00	297.76	347.27	360.84
26.	पुदुचेरी	70.00	65.00	75.00	61.26	74.92	70.76
27.	उत्तर प्रदेश	300.00	300.00	337.50	479.91	536.60	562.38
28.	तेलंगाना	87.53	125.00	105.00	128.35	160.09	196.20
29.	अरुणाचल प्रदेश	152.24	220.00	203.00	129.57	273.96	227.66
30.	असम	206.25	404.00	341.00	305.12	379.40	396.55
31.	मणिपुर	96.25	75.00	75.00	87.95	94.40	67.27
32.	मेघालय	45.00	100.00	52.50	39.60	76.95	83.49
33.	मिजोरम	97.50	100.00	67.50	80.23	96.05	99.35
34.	नागालैंड	120.00	150.00	105.00	108.38	189.68	229.90
35.	सिक्किम	50.00	40.00	37.50	48.92	46.65	46.35
36.	त्रिपुरा	50.00	40.00	37.50	44.81	39.78	46.32
	कुल योग	5160.01	6143.09	6002.00	6110.37	7441.65	7787.77

विवरण-III

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वित्त पोषित वीआरडीएल की सूची
1.	आंध प्रदेश	1.	श्री वेंकटेश्वर इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईसिस, तिरुपति, आंध्र प्रदेश
		2.	सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज, विजयवाड़ा
		3.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर
		4.	राजीव गांधी चिकित्सा विज्ञान संस्थान, कडप्पा
		5.	रंगराया मेडिकल कॉलेज, काकीनाडा
2.	असम	6.	क्षेत्रीय मेडिकल रिसर्च सेंटर, डिब्रूगढ़
		7.	गौहटी मेडिकल कॉलेज, गुवाहाटी
		8.	सिलचर मेडिकल कॉलेज, सिलचर
		9.	जोरहाट मेडिकल कॉलेज, जोरहाट

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वित्त पोषित वीआरडीएल की सूची
		10.	तेजपुर मेडिकल कॉलेज, तेजपुर
		11.	फखरुद्दीन मेडिकल कॉलेज, बारपेटा
3.	बिहार	12.	पटना मेडिकल कॉलेज, पटना
		13.	दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा
		14.	एस के मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर
4.	चंडीगढ़	15.	पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़
		16.	सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, चंडीगढ़
5.	छत्तीसगढ़	17.	स्वर्गीय श्री बलराम कश्यप मेमोरियल सरकार मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर
		18.	अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर, छत्तीसगढ़
6.	गुजरात	19.	बीजे मेडिकल कॉलेज, अहमदाबाद
		20.	एमपी शाह मेडिकल कॉलेज, जामनगर
7.	हरियाणा	21.	पीजीआईएमएस, रोहतक
		22.	बीपीएस सरकारी महिला मेडिकल कॉलेज, सोनीपत
8.	हिमाचल प्रदेश	23.	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला
		24.	डॉ. राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज, टांडा
9.	जम्मू और कश्मीर	25.	शेर-ए-कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसिस, श्रीनगर
		26.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, जम्मू
		27.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर
10.	झारखंड	28.	राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईसिस, रांची
		29.	एमजीएम मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर
11.	कर्नाटक	30.	बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, बैंगलोर
		31.	मैसूर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैसूर
		32.	विजयनगर इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साइंस, बेल्लारी
		33.	हसन इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसिस, हसन
		34.	शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसिस
		35.	गुलबर्ग इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईंसिस, गुलबर्गा
12.	केरल	36.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वित्त पोषित वीआरडीएल की सूची
		37.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम
		38.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, त्रिशूर
13.	मध्य प्रदेश	39.	एम्स, भोपाल
		40.	एमजीएम मेडिकल कॉलेज, इंदौर
		41.	गज राजा मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर
		42.	एस.एस. मेडिकल कॉलेज, रीवा
14.	महाराष्ट्र	43.	इंदिरा गांधी सरकारी मेडिकल कॉलेज, नागपुर
		44.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, मिराज, सांगली
15.	मणिपुर	45.	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल
		46.	जेएनआईएमएस, इंफाल
16.	मेघालय	47.	निग्रीम्स, शिलांग
17.	ओडिशा	48.	आरएमआरसी, भुवनेश्वर
		49.	एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक
18.	पुदुचेरी	50.	जिपमेर, पुदुचेरी
		51.	इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुदुचेरी
19.	पंजाब	52.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर
		53.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, पटियाला
20.	राजस्थान	54.	एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर
		55.	डॉ. एस.एन. मेडिकल कॉलेज, जयपुर
		56.	आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर
		57.	एसपी मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, बीकानेर, राजस्थान
		58.	झालावार मेडिकल कॉलेज, झालावार, राजस्थान
		59.	एम्स, जोधपुर
21.	तमिलनाडु	60.	मदुरै मेडिकल कॉलेज, मदुरै
		61.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, तेनी
		62.	सरकारी मोहन कुमारमंगलम मेडिकल कॉलेज, सलेम
		63.	तिरुनेलवेली मेडिकल कॉलेज, तिरुनेलवेली

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		वित्त पोषित वीआरडीएल की सूची
		64.	कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज, कोयंबटूर
		65.	किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रीवेन्टिव मेडिसिन एंड रिसर्च, चेन्नई, तमिलनाडु
		66.	मद्रास मेडिकल कॉलेज, चेन्नई, तमिलनाडु
22.	त्रिपुरा	67.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अगरतला
23.	तेलंगाना	68.	उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद
		69.	काकतिया मेडिकल कॉलेज, निजामपुरा, वारंगल
		70.	गांधी मेडिकल कॉलेज, सिकंदराबाद
24.	उत्तर प्रदेश	71.	किंग जॉर्ज मेडिकल युनिवर्सिटी, लखनऊ
		72.	जे एन मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़
		73.	यूपीयूएमएस, (पूर्व में यूपीआरआईएमएस) सैफई
		74.	मेडिकल साइंसेज संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बनारस
25.	उत्तराखण्ड	75.	सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी
26.	पश्चिम बंगाल	76.	एनआईसीईडी वायरस यूनिट, कोलकाता
		77.	आईपीजीएमईआर, कोलकाता
		78.	मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मुर्शिदाबाद, ब्रह्मपुर, पश्चिम बंगाल
		79.	मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, मिदनापुर
		80.	उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज, दार्जिलिंग

[हिंदी]

पी.एस.यू. के लाभ और घाटे

4681. **श्री आलोक संजर**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लाभ-हानि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या अधिकतर बैंक घाटे में चल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या बैंकों के कार्य में अनियमितताओं के कारण पात्र लोग ऋण का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) विगत तीन वित्तीय वर्षों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) के लाभ तथा हानि का बैंक-वार तथा वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। पी.एस.बी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, हानि का प्राथमिक कारण अनुप्रयोज्य आस्तियों के चलते खातों पर किया गया उच्चतर प्रावधानीकरण है।

(ग) और (घ) पी.एस.बी. से प्राप्त इनपुट के अनुसार, पी.एस.बी. द्वारा ऋण प्रस्तावों की ऋण पात्रता तथा अर्थक्षमता के अध्यधीन रहते हुए, अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार पात्र

उधारकर्त्ताओं को आवश्यकता आधारित वित्तपोषण प्रदान किया जा रहा है।

विवरण

पी.एस.बी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार शुद्ध लाभ (नकारात्मक आंकड़े हानि दर्शाते हैं)

(राशि करोड़ रुपये में)

बैंक	2014-15	2015 -16	2016-17	2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक)
इलाहाबाद बैंक	621	-743	-314	-1164.75
आंध्रा बैंक	638	540	174	-876.71
बैंक ऑफ बड़ौदा	3,398	-5,396	1,383	670.53
बैंक ऑफ इंडिया	2,564	-6,089	-1,558	-2074.44
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	451	101	-1,373	670.53
केनरा बैंक	6,950	-2,813	1,122	637.53
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	606	-1,418	-2,439	-2991.39
कॉर्पोरेशन बैंक	584	-506	561	-2216
देना बैंक	265	-935	-864	-697.73
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	873	-3,665	-5,158	2664
इंडियन बैंक	1,005	711	1,406	1127.01
इंडियन ओवरसीज बैंक	-454	-2,897	-3,417	-2693
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	497	156	-1,094	-4221.52
पंजाब एंड सिंध बैंक	121	336	201	-219.18
पंजाब नैशनल बैंक	3,062	-3,974	1,325	1134
यूको बैंक	1,138	-2,799	-1,851	-2302
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	1,782	1,352	555	-2664
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	256	-282	220	-1193.82
सिंडिकेट बैंक	4,936	-1,643	359	-1027.72
भारतीय स्टेट बैंक	15,970	11,589	-1,383	1171
विजया बैंक	447	382	750	439.7

एन.पी.ए. से निपटने में लोक अदालतों और अधिकरणों की भूमिका

4682. **श्री राकेश सिंह**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों (एन.पी.ए.) में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लोक अदालतों और अधिकरणों जैसी संस्थाओं, जिन्हें एन.पी.ए. की वसूली हेतु कार्य सौंपा गया था, वह समस्या से निपटने में सफल नहीं रहे हैं और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार चूककर्ताओं के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने हेतु एक रणनीति पर काम कर रही है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) वैश्विक परिचालन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) की समग्र सकल अनर्जक आस्तियां (जी.एन.पी.ए.) 2,79,016 करोड़ रुपये थी और दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, यह बढ़कर 7,77,280 करोड़ रुपये हो गई। राज्य-वार जी.एन.पी.ए. के आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ख) वसूली के निपटान में लोक अदालत और ऋण वसूली अधिकरण (डी.आर.टी.) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार, वित्ती वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा लोक अदालतों के जरिए वसूली गई कुल राशि 8,075 करोड़ रुपये है और डी.आर.टी. द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार उनके द्वारा 54,991 मामलों का निपटान किया गया है।

(ग) आर.बी.आई. द्वारा जारी किए गए अनुदेश के अनुसार, बैंकों अथवा वित्तीय संस्थाओं के द्वारा इरादतन चूककर्ताओं को कोई अतिरिक्त सुविधा स्वीकृत नहीं की जाती है, उनकी इकाई को नया उपक्रम आरंभ करने से पांच वर्ष तक वंचित किया जाता है तथा जब कभी अपेक्षित हो, उधारदाता उनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.01.2018 की स्थिति के अनुसार, इरादतन चूककर्ताओं के विरुद्ध 2,170 एफ.आई.आर. दर्ज की गई हैं, उनसे वसूली के लिए 8,513 वाद दायर किए गए हैं और इरादतन चूककर्ताओं के 7,005 मामलों के संबंध में वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई आरंभ की गई है।

इरादतन चूककर्ताओं तथा इरादतन चूककर्ता प्रवर्तक/निदेशक वाली कंपनियों को निधियां एकत्र करने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने से वंचित करने के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड विनियमों को संशोधित किया गया है। इरादतन चूककर्ताओं को दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में भाग लेने से वंचित करने के लिए दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता को संशोधित किया गया है।

राज्यों को ऋण

4683. **श्री कीर्ति आजाद**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों का आज की तिथि तक विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिए गए ऋणों के प्रयोजनों सहित ऋण राशि जिस प्रयोजन हेतु उपयोग की गई, उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) बकाया ऋणों के संबंध में राज्यों से प्राप्त अनुरोधों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) राज्य सरकारें अपने वित्तीय घाटे का वित्तपोषण करने के लिए विभिन्न स्रोतों से ऋण लेती हैं। निधियों का उपयोग राज्यों की विधान सभाओं द्वारा अनुमोदित राज्यों के बजट के अनुसार किया जाता है, जिसमें राज्यों द्वारा लिए गए ऋण भी शामिल हैं। राज्य/केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा ऋण के उपयोग का ब्यौरा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है। बहरहाल, विदेशी एजेंसियों से प्राप्त ऋण राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों में विदेशी सहायताप्राप्त परियोजनाओं के वित्तपोषण हेतु केंद्रीय लेखाओं के माध्यम से राज्यों को दिए जाते हैं।

(ख) और (ग) बकाया ऋणों की माफी/पुनर्सरचना के लिए राज्यों से प्राप्त अनुरोधों पर चौदहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के दायरे में विचार किया जात है। इस संबंध में चौदहवें वित्त आयोग ने कोई सिफारिश नहीं की है। अत: हाल ही में बकाया ऋणों की माफी/पुनर्सरचना से संबंधित असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पंजाब राज्य से प्राप्त अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

आयुष संस्थान

4684. **श्री जगदम्बिका पाल:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुष औषधि पद्धति के अन्तर्गत पंजीकृत चिकित्सकों की राज्य/संघ राजयक्षेत्र-वार और विधा-वार संख्या क्या है;

(ख) देश में विभिन्न स्तरों पर आयुष में चिकित्सा शिक्षा देने वाले संस्थानों/अस्पतालों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विधा-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रकार का देश में आयुष संस्थानों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, अनुसंधान केन्द्रों को खोलने/उनका उन्नयन करने का कोई विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और विधा-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रकार को इस संबंध में विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में प्रस्ताव पाप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान निर्धारित आवंटित और उपयोग की गई निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में आयुष औषधि पद्धति के अन्तर्गत शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य प्रयास किए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) 01.01.2017 की स्थिति के अनुसार देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत पंजीकृत चिकित्सासभ्यासियों की संख्या 773668 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विषय-वार संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पूरे देश में विभिन्न स्तरों पर आयुष चिकित्सा शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाओं/अस्पतालों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विषय-वार संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। आयुष अस्पताल और आयुष संस्थानों/महाविद्यालयों को खोलना/उन्नयन करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्राधिकार में आता है। तथापि, राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उन राज्यों में 50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष अस्पताल का उन्नयन, नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना जहां यह सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध नहीं हैं तथा स्नातकपूर्व और स्नातकोत्तर आयुष कॉलेजों के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान है। 50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष अस्पताल का उन्नयन, नए आयुष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर आयुष कॉलेजों के उन्नयन के लिए प्राप्त हुए और अनुमोदित किए गए प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति संलग्न विवरण-III में दी गई है।

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान 50 बिस्तरों तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना, आयुष अस्पताल के उन्नयन, नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा स्नातकपूर्व/स्नातकोत्तर आयुष कॉलेजों के उन्नयन सहित राष्ट्रीय आयुष मिशन के विभिन्न क्रियाकलापों के लिए चिह्नित आबंटित और प्रयुक्त निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण विवरण-IV में दिया गया है।

(च) सतत् चिकित्सा शिक्षा (सी.एम.ई.) की केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अधीन आयुष अध्यापकों के लिए 6 दिवसीय विषय/विशेषज्ञता विशेष सी.एम.ई. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, सी.एम.ई. के पात्र सिद्धहस्त व्यक्तियों के लिए आयुष में 6 दिवसीय प्रशिक्षकों हेतु प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) और देश में विश्वविद्यालय विभागों, राष्ट्रीय स्तर के विख्यात संस्थानों और योग/प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम संचालित करने वाले डिग्री कॉलेजों के योग/प्राकृतिक चिकित्सा अध्यापकों के लिए 6 दिवसीय सी.एम.ई. प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रावधान है।

विवरण-I

1.1.2017 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आयुष पंजीकृत चिकित्साभ्यासी (चिकित्सक)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	15921	702	0	123	5247	21993
2.	अरुणाचल प्रदेश	44	2	0	0	293	339
3.	असम	1002	0	0	0	1160	2162
4.	बिहार	96841	7123	0	0	31992	135956
5.	छत्तीसगढ़	3430	148	0	102	1824	5504
6.	दिल्ली	3421	2011	0	0	4827	10259
7.	गोवा	636	0	0	0	671	1307
8.	गुजरात	26311	321	0	0	21455	48087
9.	हरियाणा	8351	268	0	0	5605	14224
10.	हिमाचल प्रदेश	4975	0	0	0	1233	6208
11.	जम्मू और कश्मीर	2937	2498	0	0	388	5823
12.	झारखंड	147	30	0	0	285	462
13.	कर्नाटक	33869	1948	4	745	9102	45668
14.	केरल	24076	108	1657	147	13156	39144
15.	मध्य प्रदेश	46486	1685	0	15	16711	64897
16.	महाराष्ट्र	76465	6833	0	0	64538	147836
17.	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
18.	मेघालय	0	0	0	0	334	334
19.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
20.	नागालैंड	0	0	0	0	2084	2084
21.	ओडिशा	4846	25	0	0	9645	14516
22.	पंजाब	11135	211	0	0	4411	15757
23.	राजस्थान	9762	983	0	8	7810	18563

1	2	3	4	5	6	7	8
24.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
25.	तमिलनाडु	4357	1182	6844	788	5075	18246
26.	तेलंगाना	10937	4764	0	314	4809	20824
27.	त्रिपुरा	0	0	0	0	331	331
28.	उत्तर प्रदेश	36626	13423	0	0	33425	83474
29.	उत्तराखंड	2806	129	0	0	726	3661
30.	पश्चिम बंगाल	3503	5172	0	0	37178	45853
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0
32.	चंडीगढ़	0	0	0	0	156	156
33.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
34.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
35.	लक्षद्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
36.	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
	कुल	428884	49566	8503	2242	284471	773668

स्रोत: राज्य बोर्ड/परिषदें

विवरण-II

1.4.2017 को भारत में स्नातक-पूर्व स्नातकोत्तर/आयुष कॉलेजों/संस्थानों की राज्य-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आयुर्वेद	यूनानी	सिद्ध	प्राकृतिक चिकित्सा	होम्योपैथी	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	2	1		2	5	10
2.	अरुणाचल प्रदेश					1	1
3.	असम	1				3	4
4.	बिहार	8	5			15	28
5.	छत्तीसगढ़	5	1		1	3	10
6.	दिल्ली	2	2			2	6
7.	गोवा	1				1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	गुजरात	19			2	19	40
9.	हरियाणा	11				1	12
10.	हिमाचल प्रदेश	3				1	4
11.	जम्मू और कश्मीर	1	2				3
12.	झारखंड	1				4	5
13.	कर्नाटक	66	4		5	11	86
14.	केरल	18	1	1		5	25
15.	मध्य प्रदेश	19	4		2	23	48
16.	महाराष्ट्र	71	6			49	126
17.	मेघालय	1					1
18.	ओडिशा	6				6	12
19.	पंजाब	16	1			4	21
20.	राजस्थान	12	3		3	8	26
21.	तमिलनाडु	6	1	8	5	12	32
22.	तेलंगाना	6	2		1	4	13
23.	उत्तर प्रदेश	48	14		3	9	74
24.	उत्तराखंड	10	1		1	2	14
25.	पश्चिम बंगाल	3	1			12	16
26.	चंडीगढ़	1				1	2
27.	पुदुचेरी	1	0				1
	अखिल भारतीय	338	49	9	25	201	622

स्रोत: आयुष इन इंडिया-2017

1.4.2017 को केवल स्नातकोत्तर चिकित्सा कॉलेजों का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की कुल संख्या
(i) आयुर्वेद		
1.	दिल्ली	1
2.	गुजरात	1

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कॉलेजों की कुल संख्या
3.	पश्चिम बंगाल	1
	कुल	3
(ii) **यूनानी**		
1.	जम्मू और कश्मीर	1
2.	कर्नाटक	1
3.	तेलंगाना	1
	कुल	3
(iii) **सिद्ध**		
1.	तमिलनाडु	1
	कुल	1
(iv) **होम्योपैथी**		
1.	महाराष्ट्र	1
2.	उत्तर प्रदेश	1
	कुल	2
	कुल योग	9

स्रोतः आयुष इन इंडिया-2017

विवरण-III

2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1	1	1	1	1	1	1	1
2.	आंध्र प्रदेश	4	4	1	1	-	-	12	12
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	1	1
4.	असम	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	3	3	-	-	5	5	2	2
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	दमन व दीव	-	-	1	1	4	2	-	-
10.	दिल्ली	4	0	4	4	-	-	-	-
11.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	गुजरात	33	33	-	-	40	40	35	35
13.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	31	31	32	32	18	18
15.	जम्मू और कश्मीर	2	2	2	2	4	4	4	4
16.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	कर्नाटक	65	65	65	65	130	130	80	80
18.	केरल	100	100	13	13	21	21	111	111
19.	लक्षद्वीप	1	1	1	1	-	-	-	-
20.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-	32	32
21.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	-	-
22.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	ओडिशा	-	-	1	1	9	9	9	9
27.	पुदुचेरी	-	-	1	1	1	1	1	1
28.	पंजाब	5	5	5	5	6	6	6	6
29.	राजस्थान	139	139	-	-	135	135	160	148
30.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-	7	7
32.	तेलंगाना	1	1	3	3	5	5	7	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	त्रिपुरा	-	-	2	2	2	2	3	3
34.	उत्तर प्रदेश	-	-	-	-	2	2	-	-
35.	उत्तराखंड	8	8	8	8	8	0	17	17
36.	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-	-	-
	कुल	366	362	139	139	405	395	506	494

2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन 50 बिस्तरों तक वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	1	1	-	-	1	1	-	-
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	असम	-	-	-	-	2	2	-	-
5.	बिहार	-	-	1	1	-	-	-	-
6.	चंडीगढ़	-	-	1	1	-	-	-	-
7.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	दादरा और नगर हवेली	-	-	1	1	-	-	-	-
9.	दमन व दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	दिल्ली	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	गोवा	-	-	2	2	-	-	-	-
12.	गुजरात	-	-	-	-	1	1	2	1
13.	हरियाणा	-	-	1	1	-	-	-	-
14.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	1	1	1	1
15.	जम्मू और कश्मीर	-	-	-	-	-	-	2	2
16.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	कर्नाटक	-	-	-	-	2	2	-	-
18.	केरल	-	-	-	-	-	-	1	1
19.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	1	1	-	-
20.	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	2	1	3	3
21.	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-	6	4
22.	मणिपुर	-	-	-	-	3	3	1	1
23.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	मेघालय	-	-	-	-	1	1	-	-
25.	नागालैंड	-	-	1	1	-	-	2	2
26.	ओडिशा	-	-	-	-	1	1	1	1
27.	पुदुचेरी	-	-	1	1	-	-	1	-
28.	पंजाब	-	-	-	-	2	2	-	-
29.	राजस्थान	-	-	-	-	5	4	-	-
30.	सिक्किम	-	-	1	1	-	-	-	-
31.	तमिलनाडु	-	-	-	-	2	2	-	-
32.	तेलंगाना	-	-	-	-	1	1	2	2
33.	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-	4	2
34.	उत्तर प्रदेश	-	-	5	5	2	1	10	10
35.	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-	1	1
36.	पश्चिम बंगाल	1	1	-	-	1	1	-	-
	कुल	2	2	14	14	28	25	37	31

2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन के अधीन आयुष शैक्षणिक संस्थाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या तथा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18	
		प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां	प्रस्तावित इकाइयां	अनुमोदित इकाइयां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	2	2	1	1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	असम	4	4	4	4	3	3	3	3
4.	बिहार	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	2	2	1	1	-	-	-	-
6.	दिल्ली	4	4	-	-	-	-	-	-
7.	गोवा	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	गुजरात	1	1	1	1	1	1	-	-
9.	हरियाणा	1	1	1	1	1	1	1	1
10.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	जम्मू और कश्मीर	-	-	2	2	2	2	2	2
12.	झारखंड	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	कर्नाटक	-	-	1	1	1	1	2	2
14.	केरल	2	2	1	1	4	4	3	3
15.	मध्य प्रदेश	8	8	8	8	7	7	3	3
16.	महाराष्ट्र	1	1	1	1	-	-	2	2
17.	मणिपुर	-	-	-	-	-	-	-	-
18.	मेघालय	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	नागालैंड	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	ओडिशा	5	5	5	5	7	7	5	5
22.	पंजाब	-	-	1	1	1	1	-	-
23.	राजस्थान	1	1	-	-	-	-	1	1
24.	सिक्किम	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	तमिलनाडु	-	-	-	-	8	8	1	1
26.	तेलंगाना	1	1	2	2	3	3	3	3
27.	त्रिपुरा	1	1	1	1	1	1	1	1
28.	उत्तर प्रदेश	-	-	7	7	3	3	8	8
29.	उत्तराखंड	-	-	2	2	1	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	पश्चिम बंगाल	4	4	1	1	3	3	7	7
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	चंडीगढ़	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	दादरा और नगर हवेली	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	दमन और दीव	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	लक्षद्वीप	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	पुदुचेरी	-	-	1	1	1	1	-	-
	कुल	37	37	41	41	47	47	42	42

विवरण-IV

वर्ष 2014-15 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के तहत चिह्नि/आबंटित और प्रयुक्त उपयोग की निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित/आबंटित सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)	वर्ष 2014-15 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	309.925	309.925
2.	अरुणाचल प्रदेश	101.135	100.718
3.	असम	668.979	0
4.	बिहार	-	0
5.	छत्तीसगढ़	281.413	132.927
6.	गुजरात	332.393	332.392
7.	हरियाणा	213.589	0
8.	हिमाचल प्रदेश	-	0
9.	जम्मू और कश्मीर	226.268	0
10.	झारखंड	-	-
11.	कर्नाटक	359.116	359.116
12.	केरल	254.670	115.657
13.	मध्य प्रदेश	644.938	578.898
14.	मणिपुर	134.647	0
15.	मेघालय	226.813	182.288
16.	मिजोरम	116.270	112.853
17.	महाराष्ट्र	534.670	0
18.	नागालैंड	115.613	115.613
19.	ओडिशा	471.723	0
20.	पंजाब	316.000	233.867
21.	राजस्थान	638.065	451.506
22.	त्रिपुरा	238.115	24.131
23.	तेलंगाना	330.000	0
24.	तमिलनाडु	-	0

1	2	3	4
25.	उत्तराखंड	284.000	276.289
26.	उत्तर प्रदेश	-	0
27.	पश्चिम बंगाल	471.230	0
28.	सिक्किम	66.428	66.428
29.	दिल्ली	132.707	0
30.	गोवा	-	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	0
32.	दादरा और नगर हवेली	-	0
33.	दमन और दीव	-	0
34.	लक्षद्वीप	-	0
35.	पुदुचेरी	60.000	0
36.	चंडीगढ़	-	0
	कुल	7,528.707	3392.610

वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के तहत चिह्नि/आबंटित और प्रयुक्त उपयोग की निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2015-16 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित/आबंटित सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)	वर्ष 2015-16 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,400.38	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	527.55	397.558
3.	असम	1,410.51	0
4.	बिहार	313.98	0
5.	छत्तीसगढ़	858.26	659.525
6.	गुजरात	792.69	252.528.
7.	हरियाणा	579.79	0
8.	हिमाचल प्रदेश	421.48	0
9.	जम्मू और कश्मीर	792.150	0
10.	झारखंड	624.723	0
11.	कर्नाटक	1,560.25	789.52
12.	केरल	1,273.78	359.078
13.	मध्य प्रदेश	3,253.34	2391.593
14.	मणिपुर	375.12	0
15.	मेघालय	828.80	112.432
16.	मिजोरम	405.69	170.888
17.	महाराष्ट्र	1,282.73	39.146
18.	नागालैंड	873.10	873.095
19.	ओडिशा	1,865.28	0
20.	पंजाब	299.51	0
21.	राजस्थान	2,819.61	1072.756
22.	त्रिपुरा	472.35	240.756
23.	तेलंगाना	1,091.46	524.475
24.	तमिलनाडु	87.70	0
25.	उत्तराखंड	621.24	121.744
26.	उत्तर प्रदेश	4,539.27	126.550
27.	पश्चिम बंगाल	1.924.85	0
28.	सिक्किम	608.13	43.62
29.	दिल्ली	593.60	0

1	2	3	4
30.	गोवा	118.73	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	151.78	80.30
32.	दादरा और नगर हवेली		0
33.	दमन और दीव		0
34.	लक्षद्वीप	189.22	60.722
35.	पुदुचेरी	144.18	62.28
36.	चंडीगढ़		0
	कुल	33,101.248	8378.566

वर्ष 2016-17 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के तहत चिह्नि/आबंटित और प्रयुक्त उपयोग की निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2016-17 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित/आबंटित सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)	वर्ष 2016-17 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,125.531	0
2.	अरुणाचल प्रदेश	465.450	75.501
3.	असम	1,631.649	0
4.	बिहार	1.752.914	0
5.	छत्तीसगढ़	1,624.737	38.604
6.	गुजरात	1,533.046	656.86
7.	हरियाणा	1,034.396	0
8.	हिमाचल प्रदेश	614.212	0
9.	जम्मू और कश्मीर	769.208	0
10.	झारखंड	48.011	0
11.	कर्नाटक	1,241.455	834.132
12.	केरल	891.204	0
13.	मध्य प्रदेश	2,645.333	1605.911
14.	मणिपुर	1,229.987	6.579
15.	मेघालय	802.743	0
16.	मिजोरम	603.754	0
17.	महाराष्ट्र	529.186	0
18.	नागालैंड	521.284	0
19.	ओडिशा	1.221.301	0
20.	पंजाब	1,317.811	0
21.	राजस्थान	2.225.209	251.70
22.	त्रिपुरा	334.062	0
23.	तेलंगाना	1,330.696	0
24.	तमिलनाडु	1,980.541	0
25.	उत्तराखंड	1,187.929	0
26.	उत्तर प्रदेश	8,466.625	64.91
27.	पश्चिम बंगाल	1,298.056	0
28.	सिक्किम	874.071	0
29.	दिल्ली	-	0
30.	गोवा	622.597	0
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	394.821	34.86
32.	दादरा और नगर हवेली	91.797	0

1	2	3	4
33.	दमन और दीव	113.184	0
34.	लक्षद्वीप	509.729	0
35.	पुदुचेरी	170.000	0
36.	चंडीगढ़	509.320	0
	कुल	41711.849	3569.057

वर्ष 2017-18 के दौरान राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) के तहत चिह्नि/आबंटित और प्रयुक्त उपयोग की निधि की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	वर्ष 2017-18 के दौरान केंद्रीय सरकार द्वारा चिह्नित/आबंटित सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)	वर्ष 2017-18 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा यथासूचित प्रयुक्त सहायतानुदान (केंद्रीय अंश)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	1,176.012	
2.	अरुणाचल प्रदेश	545.706	
3.	असम	2,390.692	उपयोगिता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सूचित नहीं की गई
4.	बिहार	-	
5.	छत्तीसगढ़	1,226.755	
6.	गुजरात	1,274.394	
7.	हरियाणा	848.442	
8.	हिमाचल प्रदेश	718.927	
9.	जम्मू और कश्मीर	992.584	
10.	झारखंड	-	
11.	कर्नाटक	2,059.866	
12.	केरल	2,096.234	
13.	मध्य प्रदेश	3,059.684	
14.	मणिपुर	1,339.356	
15.	मेघालय	738.254	
16.	मिजोरम	693.478	
17.	महाराष्ट्र	1,784.285	
18.	नागालैंड	1,516.916	
19.	ओडिशा	1,561.020	
20.	पंजाब	1,348.662	
21.	राजस्थान	6,893.256	
22.	त्रिपुरा	1,195.541	
23.	तेलंगाना	1,055.111	
24.	तमिलनाडु	2,789.072	
25.	उत्तराखंड	1,986.097	
26.	उत्तर प्रदेश	6,280.230	
27.	पश्चिम बंगाल	1,654.645	
28.	सिक्किम	180.087	
29.	दिल्ली	-	
30.	गोवा	262.468	
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	302.330	
32.	दादरा और नगर हवेली	143.403	
33.	दमन और दीव	-	
34.	लक्षद्वीप	63.747	
35.	पुदुचेरी	200.004	
36.	चंडीगढ़	490.520	
	कुल	48867.778	

विद्युत संयंत्रों द्वारा उत्सर्जन

4685. **डॉ. पी. वेणुगोपाल:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्युत संयंत्रों को उत्सर्जन में कटौती हेतु उपयुक्त तंत्र और प्रौद्योगिकी स्थापित करने हेतु दिसंबर, 2017 की समय-सीमा दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्युत संयंत्र द्वारा क्या कार्रवाई की गई और अनुपालन किया गया;

(ग) क्या अधिसूचना में दिए गए मानकों के अनुपालन के बिना नवीन संयंत्रों को लगाने की अनुमति नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अधिसूचना का अनुपालन नहीं करने वाले विद्युत संयंत्र के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सल्फर डाईआक्साईड (SO_2), ऑक्साईड ऑफ नाइट्रोजन (NO_x) और विविक्त कण (PM) आदि के संदर्भ में दिनांक 07.12.2015 की का.आ. 3305 (अ) द्वारा ताप विद्युत संयंत्रों (टी.पी.पी.) के लिए नए उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए हैं जो 07.12.2017 से प्रभावी हुए हैं।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने विद्युत मंत्रालय द्वारा नए मानदंडों को पूरा करने के लिए तकनीकी चुनौतियों और समय की आवश्यकता के संबंध में उल्लिखित की गई बाध्यताओं को ध्यान में रखते हुए फ्ल्यु गैस डिसल्फराईजेशन (एफ.जी.डी.), इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसिपिटेटर (ई.एस.पी.) की संस्थापना के लिए समयबद्ध रीति से चरणबद्ध योजना के अनुरूप और दिसम्बर, 2018 से दिसम्बर, 2022 तक समय-सीमा में NO_x उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए दिनांक 07.12.2015 की अधिसूचना में निर्धारित किए गए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी ताप विद्युत संयंत्रों को निदेश देने के लिए 07.12.2017 को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निदेश दिया।

(ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नए विद्युत संयंत्रों को पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अंतर्गत पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि सभी संयंत्र नए उत्सर्जनों और जल उपभोग संबंधी मानदंडों का अनुपालन करेंगे।

(घ) विद्युत मंत्रालय द्वारा सुझाई गई समय सीमा के अनुसार नए उत्सर्जन मानकों के क्रियान्वयन की निगरानी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रत्येक छः महीनों में की जाएगी। वे संयंत्र, जो पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी किए गए निदेशों में सुझाई गई तारीख तक उत्सर्जन मानदंडों का अनुपालन करने में विफल रहते हैं, को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

[हिंदी]

मस्तिष्क आघात के रोगी

4686. **श्रीमती जयश्रीबेन पटेल:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मस्तिष्क के आघात की घटनाओं में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने मस्तिष्क आघात से पीड़ित रोगियों हेतु विशेष उपाय/उपचार के प्रावधान किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मस्तिष्काघात से सूचित की गई मौतों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (घ) देश में मस्तिष्क के आघात की घटनाओं और इसके चलते होने वाली मृत्यु के संबंध में कोई टाईम ट्रेंड आंकड़ा नहीं है।

तथापि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के द्वारा प्रकाशित "इंडिया : हैल्थ ऑफ नेशन्ज स्टेट्स-द इंडिया स्टेट लेवल डिजिज बर्डन इनिशिएटिव" के संबंध में एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रति एक लाख जनसंख्या पर आघात की घटनाओं का आंकड़ा वर्ष, 1990 में 65.91 तथा वर्ष 2016 में 89.34 था। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में आघात के कारण होने वाली मृत्यु की अनुमानित दर वर्ष 2016 में प्रति 1,00,000 जनसंख्या पर 53 थी।

अस्वास्थ्यकर भोजन, शारीरिक कार्यकलापों में कमी, शराब का हानिकारक इस्तेमाल, अधिक वजन, मोटापा, तंबाकू का सेवन आदि आघात सहित गैर संक्रामक रोगों के जोखिम पूर्ण घटक हैं।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य का विषय है, केंद्र सरकार स्वास्थ्य देखभाल में सुधार करने के लिए किए गए राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करती है।

सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कैंसर, मधुमेह, हृदवाहिका संबंधी रोग तथा आघात की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) का कार्यान्वयन कर रही है। यह एन.पी.सी.डी.सी.एस. आघात सहित एन.सी.डी. के उचित प्रबंधन के लिए व्यवहार और जीवनचर्या में परिवर्तन के लिए जागरूकता पैदा करने, उच्च स्तर के जोखिम पूर्ण घटकों वाले लोगों की जांच और शीघ्र डायग्नोसिस तथा उनका इलाज तथा उन्हें उच्चतर सुविधा केंद्रों में (यदि अपेक्षा हो तो) रेफर करने पर फोकस करता है।

मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के अंतर्गत प्रथम पंक्ति कार्यकर्ताओं तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की सेवाओं का उपयोग करके भारत सरकार ने शीघ्र डाग्नोसिस के लिए मधुमेह और हाइपरटेंशन सहित सामान्य एन.सी.डी., जो आघात का जैविक जोखिम पूर्ण घटक है, के लिए जनसंख्या आधारित जांच शुरू की है।

प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) के अंतर्गत 6 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (एम्स) की स्थापना की गई है और अभिज्ञान चिकित्सा कॉलेजों का उन्नयन किया गया है जिसका उद्देश्य आघात सहित एन.सी.डी. के लिए तृतीयक देखभाल सुविधाओं में सुधार करना है।

छोटे व्यापारियों हेतु ऋण सीमा

4687. **श्रीमती रंजनबेन भट्ट**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार छोटे व्यापारियों हेतु ऋण सीमा को दोगुना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) छोटे व्यापारियों के लिए ऋण सीमा बैंकों द्वारा अपनी बोर्ड अनुमोदित नीति तथा भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

सरकार तथा आर.बी.आई. ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.एम.ई.) को झंझट रहित ऋण के प्रावधान को सुकर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों (एम.एस.ई.) को ऋण प्रदान करने में वर्ष दर वर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि प्राप्त करने का परामर्श देना, एम.एस.ई. अग्रिमों का 60 प्रतिशत सूक्ष्म उद्यम खातों को आबंटित करना, सूक्ष्म उद्यम खातों की संख्या में 100 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि प्राप्त करना, मांग में अनपेक्षित/मौसमी वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कार्यशील पूंजी सीमा बढ़ाना, एक क्लस्टर को अपनाना, प्रत्येक जिले में कम से कम एक विशेषीकृत एम.एस.एम.ई. शाखा का परिचालन करना, इत्यादि शामिल है। एम.एस.ई. इकाइयों की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं की गणना को 5 करोड़ रुपये तक की उधार सीमा वाली इकाइयों के अनुमानित वार्षिक टर्नओवर का न्यूनतम 20 प्रतिशत बनाने के लिए इसे सरलीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को वित्तीय सहायता

4688. **कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का पैटर्न क्या है;

(ख) केन्द्रीय योजनाओं के अंतर्गत दी गई सहायता सहित, सहायता के पैटर्न में किए गए परिवर्तन के क्या कारण हैं;

(ग) क्या बुंदेलखंड सहित देश में आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु सरकार द्वारा कोई पहल की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) वर्ष 2014-15 तक, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष कार्यक्रम के तहत देश के सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों/जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए वित्तीय सहायता

दी जाती थी। केन्द्र की ओर से राज्यों को धनराशि मुख्यत: विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की/केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के तहत जारी की जाती है।

(ख) केन्द्रीय करों और शुल्कों के विभाज्य पूल में राज्यों का हिस्सा 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 42 प्रतिशत करते हुए अब तक की सर्वाधिक वृद्धि करने की 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद, अन्य राज्य योजना स्कीमों के साथ-साथ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष सहित अनेक स्कीमें वृहत अंतरण में मिला दी गई हैं।

मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिशों के आधार पर, मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद केन्द्र और राज्यों के बीच केन्द्र प्रायोजित स्कीमों की वित्तपोषण पद्धति संशोधित की गई है। इसका औचित्य यह है कि क्षेत्र विशिष्ट हस्तक्षेपों के माध्यम से बेहतर परिणामों के साथ संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित हो और लक्षित समूहों तक लाभों की व्यापक पहुंच भी सुनिश्चित हो।

(ग) और (घ) विद्यमान स्कीमों में केन्द्रित दृष्टिकोण और समाभिरूपता/सहक्रिया के माध्यम से 115 पिछड़े जिलों का उन्नयन किया जा रहा है। सभी केन्द्र प्रायोजित स्कीमों/केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों में संबंधित स्कीम के दिशानिर्देशों के अंदर धनराशि के आबंटन के लिए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों को महत्व दिया जाता है।

[हिंदी]

कच्चे तेल पर कर/उपकर

4689. **श्री राम कुमार शर्मा**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कच्चे तेल पर कर/उपकर के माध्यम से राजस्व अर्जित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके माध्यम से दिसंबर, 2017 तक अर्जित किए गए राजस्व की कुल राशि कितनी है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त निधि से पेट्रोलियम क्षेत्र के विकास और विस्तार हेतु खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) कच्चे पेट्रोलियम तेल, जिनका उत्पादन अपने देश में हुआ हो, पर तेल उद्योग विकास उपकर लगाया जाता है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वित्तीय वर्ष में दिसंबर तक इस उपकर से संकलित राजस्व इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अप्रैल से दिसंबर)
कच्चे तेल पर उपकरण से संग्रहण	14655	14311	12618	8343

(घ) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के माध्यम से पेट्रोलियम क्षेत्र पर सरकार द्वारा किया गया खर्च इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय*	60310.18	31286.74	30231.29

* उपर्युक्त खर्च में एल.पी.जी./केरोसिन सब्सिडी, आदि पर किया गया खर्च भी शामिल है।

सरकारी कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन

4690. **श्री रामदास सी. तडस**:

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए एक विधेयक लाने का विचार कर रही है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उक्त प्रयोजनार्थ कोई सलाहकार बोर्ड गठित करने का विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त सलाहकार बोर्ड का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सोने पर आयात शुल्क

4691. **श्रीमती एम. वसन्ती**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार व्यापार की वास्तविक आवश्यकता को बिना प्रभावित किए मुक्त व्यापार करारों के परिणामस्वरूप उत्पन्न मनमाने अवसरों को रोकने की दृष्टि से सोने का आयात शुल्क की समीक्षा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) इस समय ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

औषधियों हेतु मानक

4692. **श्री केसिनेनी श्रीनिवास**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि भारत की बहुत सी कम्पनियों को युनाइटेड स्टेट्स फूड एण्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यू.एस.एफ.डी.ए.) से टिप्पणियां, चेतावनी पत्र और चेतावनियां मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो इन टिप्पणियों में क्या प्रमुख कारणों पर प्रकाश डाला गया है;

(ग) ऐसी कंपनियों की निगरानी हेतु मौजूदा तन्त्र क्या है;

(घ) क्या यू.एस.एफ.डी.ए. और केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संस्थानों में भेषज और औषधि के परीक्षण के मानकों में बहुत अधिक असमानताएं हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इनमें समानता लाने हेतु देश में भेषज और औषधि विनिर्माण के उच्चतर मानक प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, यह नोट किया जाए कि यू.एस.एफ.डी.ए. सहित किसी विदेशी विनियामक एजेंसी से प्राप्त चेतावनी पत्रों/आयात चेतावनियों को सीधे कंपनियों के पास भेजा जाता है।

(ग) से (ङ) औषधियों के निर्यात के लिए भारतीय भेषज कंपनियों द्वारा आयातक देश के विनियामक प्रावधानों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है। औषधियों के मानक जिनका अनुपालन किया जाना होता है, तत्संबंधी भेषज कोष में विनिर्धारित किए गए हैं। इन मानकों का समय-समय पर निरंतर रूप से उन्नयन किया जाता है।

सरकार ने विहित किए गए गुणवत्ता मानदंडों के गैर अनुपालन के साथ-साथ औषधियों के विनिर्माण, आपूर्ति और विक्रय के मामले में कठोर अभियोजन/शास्तियों के लिए सख्त प्रवर्तन व्यवस्था स्थापित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं/कर रही है:

1. नकली एवं मिलावटी दवाइयों के विनिर्माण हेतु सख्त दंड का प्रावधान करने के लिए औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 को संशोधित किया गया था। कुछ अपराधों को संज्ञेय व गैर-जमानती भी बनाया गया है। और विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

2. शीघ्र निस्तारण हेतु औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अपराधों के अभियोजन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया था। अब तक 22 राज्य नामित विशेष न्यायालयों की स्थापना कर चुके हैं।

3. देश में नकली दवाइयों के चलन की पहचान करने में सतर्क सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा व्हिसल ब्लोअर स्कीम की घोषणा की गई हैं।

4. औषध एवं प्रसाधन सामग्री (संशोधन) अधिनियम, 2008 के तहत बढ़ाए गए दंडों के परिप्रेक्ष्य में नकली घोषित या अवमानक गुणवत्ता वाली औषधियों के नमूनों पर कार्रवाई करने के लिए एक समान कार्यान्वयन हेतु राज्य औषध नियंत्रकों को दिशानिर्देश अग्रेषित किए गए थे।

5. निरीक्षणालय कर्मचारियों को देश में चल रही औषधियों की गुणवत्ता की निगरानी के लिए सतर्कता रखने तथा जांच व विश्लेषण हेतु औषधियों के नमूने लेने का निदेश दिया गया है।

6. केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) में स्वीकृत पदों की संख्या (वर्ष, 2008 में) 111 से बढ़ाकर (वर्ष 2017 में) 510 कर दी गयी है।

7. सी.डी.एस.सी.ओ. के अधीन केंद्रीय औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं की परीक्षण क्षमताओं को सतत् रूप से बढ़ाया जा रहा है ताकि देश में औषधियों नमूनों के परीक्षण में तेजी लाई जा सके।

अनाथालयों की स्थापना

4693. **श्री चन्द्र प्रकाश जोशी:**

श्री रामदास सी. तडस:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सम्पूर्ण देश में महिलाओं और बच्चों हेतु अनाथालयों की स्थापना हेतु गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितना अनुदान प्रदान किया गया है; और

(ग) राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश में खोले गए/कार्यरत ऐसे अनाथालयों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) और (ख) जी, हां। केंद्र सरकार किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 (जेजे अधिनियम) के कार्यान्वयन के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (अब बाल संरक्षण सेवा) के तहत राज्य सरकारों के माध्यम से गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान प्रदान करती है। जेजे अधिनियम की धारा 2 (14) के अनुसार जिस बच्चे के माता-पिता नहीं हैं तथा उसकी देखभाल करने का कोई इच्छुक नहीं है अथवा जिसके माता-पिता ने उसे परित्यक्त या या अभ्यर्पित कर दिया है वह देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चे के रूप में शामिल है। और जेजे अधिनियम की धारा 2(57) के अनुसार "विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी" (एस.ए.ए.) दत्तकग्रहण के प्रयोजनार्थ रखने हेतु समिति के आदेश द्वारा वहां अनाथ, परित्यक्त एवं अभ्यर्पित बच्चों को रखने के लिए राज्य सरकारों द्वारा धारा 65 के तहत मान्यता प्राप्त तथा राज्य सरकार द्वारा या किसी स्वैच्छिक या गैर-सरकारी संगठन द्वारा स्थापित संस्था है। इसके अलावा दत्तकग्रहण विनियम, 2017 के विनियम 58 के अनुसार सभी बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) जो एस.ए.ए. के रूप में मान्यता प्राप्त हैं, की जिले में सी.सी.आई. के साथ सहलग्नता होगी। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि केंद्र सरकार देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों जिसमें अनाथ/परित्यक्त/अभ्यर्पित बच्चे शामिल हैं, के समग्र विकास हेतु सुरक्षित एवं निरापद परिवेश सृजित करने के उद्देश्य से अधिनियम के निष्पादन के लिए हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (अब बाल संरक्षण सेवा) नामक एक योजना चला रही है। बाल संरक्षण सेवा के तहत स्वयं अथवा स्वैच्छिक संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर बाल देखरेख संस्थाएं स्थापित करने और प्रबंधित करने के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार गृह योजना चला रहा है जिसका उद्देश्य दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की शिकार महिलाओं को सहायता प्रदान करना है जिनको पुनर्वास के लिए संस्थानिक सहायता की आवश्यकता है ताकि वे अपना जीवन गरिमा के साथ जी सकें। इस योजना में कठिन परिस्थितियों की शिकार महिलाओं जिसमें विधवाएं, निराश्रित महिलाएं तथा बुजुर्ग महिलाएं शामिल हैं, के लिए आश्रय, भोजन, कपड़ा तथा आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की परिकल्पना है।

तत्कालीन आई.सी.पी.एस. अर्थात् बाल संरक्षण सेवा के तहत पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I (क) में दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वाधार/स्वाधार गृह योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I (ख) में दिया गया है।

(ग) राजस्थान एवं महाराष्ट्र सहित, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार आज तक की स्थिति के अनुसार देश में जेजे अधिनियम के तहत पंजीकृत एस.ए.ए. जिनको आई.सी.पी.एस. के तहत सहायता प्राप्त की जा रही है, की संख्या संलग्न विवरण-II (क) में दिया गया है।

इस समय क्रियाशील स्वाधार गृहों का राजस्थान एवं महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-II (ख) में दिया गया है।

विवरण-I (क)

वित्त वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 और वर्तमान वर्ष के दौरान आई.सी.पी.एस. के तहत राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को जारी किए गए निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	301.62	238.58	110.74	1469.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	130.68	571.68	52.29	643.71
3.	असम	1010.36	597.90	413.64	2932.68
4.	बिहार	204.75	2687.89	2787.92	541.56
5.	छत्तीसगढ़	821.24	3955.55	527.77	2650.97
6.	गोवा	100.00	235.25	36.83	728.53
7.	गुजरात	1925.75	2328.90	769.95	590.11
8.	हरियाणा	1526.72	496.44	0.00	315.11
9.	हिमाचल प्रदेश	835.71	604.04	2345.48	1835.01
10.	जम्मू और कश्मीर	0	113.35	43.12	624.24
11.	झारखंड	36.03	369.88	840.11	1714.57
12.	कर्नाटक	3689.87	1845.24	3720.80	3272.45
13.	केरल	1354.35	944.39	260.50	1849.45
14.	मध्य प्रदेश	1889.69	1116.03	2503.88	3262.77
15.	महाराष्ट्र	762.32	3138.75	2272.33	383.99
16.	मणिपुर	138.48	3082.18	241.34	1536.33
17.	मेघालय	2003.83	1469.55	2060.33	1846.60
18.	मिजोरम	1919.02	2079.44	1949.55	1917.51
19.	नागालैंड	957.41	2257.65	1350.37	1457.45
20.	ओडिशा	2544.82	3309.07	1089.22	1655.96
21.	पंजाब	507.12	820.81	581.67	143.24
22.	राजस्थान	3395.82	3258.92	0.00	4752.30
23.	सिक्किम	390.24	562.00	601.18	662.76
24.	तमिलनाडु	3067.10	825.04	13039.37	2013.12

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
25.	तेलंगाना	2087.59	354.88	195.64	894.82
26.	त्रिपुरा	1227.34	710.63	676.04	446.81
27.	उत्तर प्रदेश	1798.90	2884.18	3207.19	1830.67
28.	उत्तराखंड	83.48	66.88	15.54	907.57
29.	पश्चिम बंगाल	2574.04	508.67	6763.87	5073.56
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145.90	36.03	36.88	31.66
31.	चंडीगढ़	21.98	357.82	245.44	103.01
32.	दादरा और नगर हवेली	68.61	58.66	177.59	24.82
33.	दमन और दीव	80.61	82.82	126.42	21.89
34.	दिल्ली	606.22	1363.40	978.64	354.33
35.	लक्षद्वीप	0	0.00	0.00	-
36.	पुदुचेरी	1168.57	559.60	826.33	114.35
	कुल	39376.17	43892.10	50847.97	48603.79

विवरण-I (ख)

पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान स्वधार/स्वाधार गृह योजना के तहत जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
1.	आंध्र प्रदेश	93.78	48.21	124.47	156.61
2.	असम	128.91	43.47	237.56	197.03
3.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	4.4	9.01
4.	अरुणाचल प्रदेश	0.	0	6.54	8.11
5.	बिहार	0	0	69.79	86.54
6.	चंडीगढ़	0	0	7.27	9.01
7.	छत्तीसगढ़	7.00	5.26	17.44	16.22
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
10.	दिल्ली	0	0	14	18.02
11.	गुजरात	19.20	7.58	40.5	37.86
12.	गोवा	0	0	4.36	5.40
13.	हरियाणा	0	0	4.36	9.77
14.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0
15.	झारखंड	28.58	6.46	24.41	18.32
16.	जम्मू और कश्मीर	5.99	17.74	40	32.45
17.	कर्नाटक	268.04	67.94	461.95	560.73
18.	केरल	20.79	0	52.36	43.27
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	76.12	50.77	95.91	89.99
21.	महाराष्ट्र	279.06	35.89	576.88	438.36
22.	मिजोरम	2.51	2.48	16.72	16.22
23.	मणिपुर	106.63	47.76	284.07	189.83
24.	मेघालय	0	0	0	8.72
25.	नागालैंड	0	0	6.54	8.11
26.	ओडिशा	104.86	269.16	723.85	521.43
27.	पंजाब	0	0	10.52	10.81
28.	पुदुचेरी	0	0	7.27	9.01
29.	राजस्थान	23.35	9.13	68.4	102.98
30.	सिक्किम	0	0	6.54	8.11
31.	तमिलनाडु	38.53	12.48	247.22	280.07
32.	तेलंगाना	74.85	63.24	134.61	177.88
33.	त्रिपुरा	0	0	26.17	32.45
34.	उत्तर प्रदेश	247.03	1490.89	383.43	595.34
35.	उत्तराखंड	60.91	3.63	69.93	92.33
36.	पश्चिम बंगाल	74.18	154.48	18.37	449.91

क्र.सं.	राज्यों का नाम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
37.	एसएसएच के लिए सीएसडब्ल्यूबी	1195.06	2521.25	1519.46	0
	वृंदावन, यूपी में स्वाधार समूह गृह के निर्माण के लिए सीएसडब्ल्यूबी	-	-	3073	1037.00
	कुल	2855.38	4857.82	8378.3	5276.9

विवरण-II (क)

आज तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान एवं महाराष्ट्र सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा देश में जेजे अधिनियम के तहत पंजीकृत एस.ए.ए. जिनको आई.सी.पी.एस. के तहत सहायता प्रदान की जा रही है, की संख्या

क्र.सं.	राज्य	विशिष्ट दत्तकग्रहण एजेंसी (एस.ए.ए.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	14
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	14
4.	बिहार	28
5.	छत्तीसगढ़	14
6.	गोवा	2
7.	गुजरात	14
8.	हरियाणा	7
9.	हिमाचल प्रदेश	1
10.	जम्मू और कश्मीर	2
11.	झारखंड	15
12.	कर्नाटक	28
13.	केरल	17
14.	मध्य प्रदेश	22
15.	महाराष्ट्र	17
16.	मणिपुर	5
17.	मेघालय	6
18.	मिजोरम	7
19.	नागालैंड	4
20.	ओडिशा	17
21.	पंजाब	5
22.	राजस्थान	12
23.	सिक्किम	4
24.	तमिलनाडु	15
25.	त्रिपुरा	6
26.	उत्तर प्रदेश	17
27.	उत्तराखंड	0
28.	पश्चिम बंगाल	22
29.	तेलंगाना	11
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-
31.	चंडीगढ़	4
32.	दादरा और नगर हवेली	-
33.	दमन और दीव	-
34.	लक्षद्वीप	-
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	3
36.	पुदुचेरी	2
	कुल	336

विवरण-II (ख)

इस समय क्रियाशील स्वाधार गृहों की संख्या का राजस्थान एवं महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वाधार गृह की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	26
2.	अरुणाचल प्रदेश	1
3.	असम	24
4.	बिहार	16
5.	पंजाब	2
6.	चंडीगढ़	1
7.	छत्तीसगढ़	3
8.	दिल्ली	2
9.	गोवा	1
10.	गुजरात	7
11.	हरियाणा	1
12.	जम्मू और कश्मीर	4
13.	झारखंड	3
14.	कर्नाटक	45
15.	केरल	8
16.	मध्य प्रदेश	6
17.	महाराष्ट्र	76
18.	मणिपुर	23
19.	मिजोरम	2
20.	मेघालय	2
21.	नागालैंड	1
22.	ओडिशा	72
23.	पुदुचेरी	1
24.	राजस्थान	14
25.	सिक्किम	1
26.	तमिलनाडु	40
27.	तेलंगाना	24
28.	त्रिपुरा	4
29.	उत्तर प्रदेश	76
30.	उत्तराखंड	9
31.	पश्चिम बंगाल	48
32.	संघ शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1
	कुल	544

बीमा राशि का भुगतान न करना

4694. **श्री विनोद लखमाशी चावड़ा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन बीमा कंपनियों को दंडित करने हेतु कोई नियम बनाया है जो ग्राहकों द्वारा उनके चिकित्सा उपचार हेतु वास्तविक बीमित राशि से कम राशि का भुगतान कर रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों में दावों के निपटान की निगरानी करने हेतु, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (इरडाई) द्वारा इरडाई (स्वास्थ्य बीमा) विनियम, 2016 अधिसूचित किया गया है, जो, अन्य बातों के साथ-साथ, दावों के निपटान हेतु अनेक नियम विनिर्दिष्ट करता है तथा पॉलिसीधारकों के हित की संरक्षा के लिए कतिपय उपायों को निर्धारित करता है। इसके अतिरिक्त, कोई भी बीमाकर्ता यदि बीमा अधिनियम, 1938 के अंतर्गत बनाए गए विनियमों तथा दिशानिर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, तो उसे अधिनियम की धारा 102 के उपबंधों के तहत दण्डित किया जाएगा।

(ख) वित्तीय वर्ष 2015-16 से ऐसे तीन मामले थे, जिनमें इरडाई ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी दावों से अधिक कटौती पर ध्यान देते हुए बीमा कंपनियों के विरुद्ध विनियामकीय कार्रवाई की थी। विवरण संलग्न है।

विवरण

बीमा कंपनियों के विरुद्ध आई.आर.डी.ए.आई. द्वारा की गई विनियामक कार्रवाई का ब्यौरा

आदेश तिथि	अनुज्ञा प्राप्त इकाई	टिप्पणी	निदेशों का विवरण
दिनांक 30.07.2015 के आदेश का चार्ज 38	एल एंड टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कमरे के किराये की पात्रता के अनुपात में अस्पताल में अन्य उपचार व्यय की कटौती।	5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है तथा बीमाकर्ता को दण्डात्मक ब्याज सहित आधिक्य कटौती को लौटाने के निदेश दिए गए हैं। अनुपालन: बीमाकर्ता ने बताया है कि उसने 350 स्वास्थ्य दावों को चिह्नित किया है तथा दण्डात्मक ब्याज सहित 34,30,718 रुपये की राशि लौटाई गई है।
दिनांक 16.05.2016 के आदेश का चार्ज 3 दिनांक 28.06.2016 के आदेश का चार्ज 2	विडाल थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	सह-भुगतान (को.-पे) हेतु गलत ढंग से कटौती की गई।	ऐसे सभी मामलों की पुन: जांच करने तथा अधिक वसूली गई राशि को लौटाने के निदेश दिए गए। अनुपालन: बीमाकर्ता ने बताया है कि उसने 11 मामलों में 3,72,000 रुपये लौटाए हैं, जहां सह-भुगतान (को.-पे) गलत ढंग से वसूला गया है।
दिनांक 20.07.2016 के आदेश का चार्ज 5, 6 और 7	भारती एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	कमरे के किराये की पात्रता के अनुपात में सहयोगी प्रभारों तथा अन्य चिकित्सीय शुल्कों तथा संबंधित प्रभारों से गलत ढंग से कटौती।	5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया तथा बीमाकर्ता को यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि किसी भी दावे के उत्पाद की विशेषताओं तथा शर्तें, जो प्राधिकरण के एफ एंड यू प्रक्रिया के तहत फाइल किया गया तथा अनुमोदित नहीं है, के आधार पर निपटान नहीं किया जाए। अनुपालन: बीमाकर्ता ने निदेश को मान लिया तथा 5 लाख रुपये का जुर्माना जमा कर दिया है।

वित्तीय धोखाधड़ी

4695. **श्री कमल नाथ:**

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंकों से 8 नवम्बर, 2016 से विमुद्रीकरण के कार्यान्वयन के पश्चात् सूचित किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों के ब्यौरे और परिमाण को पेश करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो बैंकों द्वारा सूचित किए गए वित्तीय धोखाधड़ी के मामलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब वित्तीय क्षेत्रों में धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए कानूनों में बदलाव का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस खतरे को रोकने हेतु और विधिक ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने किस स्तर तक सशक्त बनाया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक धोखाधड़ी के मामलों (जहां पर अंतर्ग्रस्त राशि 1 लाख रुपये से अधिक है) की सूचना आर.बी.आई. को देते हैं और उन्होंने वित्तीय वर्ष (एफ.वाई.) 2015-16 में धोखाधड़ी के 4,693 मामलों, वित्तीय वर्ष 2016-17 में 5,073 मामलों और वित्तीय वर्ष 2017-18 (दिसम्बर, 2017 तक) में 4,197 मामलों की सूचना दी है।

(ग) से (ङ) आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहकर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोकने के उद्देश्य से सरकार ने संसद में भगौड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 पेश किया है। यह विधेयक भगौड़ा आर्थिक अपराधी व्यक्ति की परिसम्पत्ति को जब्त करने, ऐसे अपराधी व्यक्ति की परिसम्पत्तियों की कुर्की करने और अपराधी व्यक्ति के किसी सिविल दावे के बचाव की हकदारी को समाप्त करने का प्रावधान करता है।

सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) से 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि वाले सभी खातों, यदि उन्हें एन.पी.ए. के रूप में वर्गीकृत किया गया है, की संभावित धोखाधड़ी के दृष्टिकोण से जांच करने और यदि कोई खाता एन.पी.ए. के रूप में परिवर्तित हो जाता है तो उधारकर्ता के संबंध में केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो से रिपोर्ट मांगने के लिए कहा है।

[हिंदी]

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रणाली

4696. **प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में डेरी क्षेत्र में दूध की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु कोई ग्राहक शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन लोगों की पहचान की है जो मिलावटी दूध बेचने में लिप्त हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी हां, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने नागरिकों को उनकी सुविधा के अनुसार निम्नलिखित इंटरफेसों के माध्यम से दूध की गुणवत्ता संबंधी चिंताओं सहित अपनी खाद्य चिंताओं को व्यक्त की सुविधा प्रदान की है: (i) एफ.एस.एस.ए.आई. ई-मेल, (ii) वेब पोर्टल-फूड सेफ्टी कनेक्ट, (iii) एफ.एस.एस.ए.आई. मोबाइल एप्प, (iv) एस.एम.एस./ट्विटर/फेसबुक, (v) वट्सएप्प, (vi) टॉल-फ्री 24x7 हेल्पलाइन, (vii) स्नेएल मेल/वॉक-इन, (viii) सीपीग्राम और (ix) इनग्राम (राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन)।

(ग) और (घ) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 और इसके तहत बने नियमों और विनियमों का कार्यान्वयन और प्रवर्तन प्राथमिक रूप से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों पर निर्भर है। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके तहत बने नियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मानकों का अनुपालन देखने के लिए तत्संबंधी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के खाद्य सुरक्षा विभागों के अधिकारियों द्वारा दूध और दुग्ध उत्पादों सहित खाद्य उत्पादों के नियमित रूप से यादृच्छिक नमूने लेकर इनका परीक्षण किया जा रहा है। जहां खाद्य पदार्थों के नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाते हैं वहां खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अध्याय-IX के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, एकत्र किए गए, जांचे गए, विहित मानकों व मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए दूध के नमूनों और वर्ष 2016-17 के दौरान अधिनियम के दंडात्मक उपबंधों के तहत की गई काईवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:

प्राप्त किए गए दूध के कुल नमूनों की संख्या	विश्लेषित नमूनों की संख्या	मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए नमूनों की संख्या	शुरू किए गए मुकदमों की संख्या	अपराध सिद्धि/ शास्ति के मामलों की संख्या
9130	7717	2307	2104	540/976

[अनुवाद]

रेस्टोरेंटों तथा भोजनालयों हेतु विनियमन

4697. **श्री बलका सुमन**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने रेस्टोरेन्ट और भोजनालयों के लिए

लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियोजित करना अधिदेशित करते हुए विनियमन जारी किए हैं;

(ख) क्या एफ.एस.एस.ए.आई. ने ऑनलाइन खाद्य पदार्थ विक्रय करने वाली कंपनियों के लिए अलग से लाइसेन्स प्राप्त करना और उनका लाइसेन्स या एफ.एस.एस.ए.आई. पंजीकरण प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2018 प्रवृत्ति कर दिए हैं। इस विनियम में खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति और पंजीकरण) विनियम, 2011 के अनुबंध-3 में विहित लाइसेंस की शर्तों को संशोधित किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रेस्तरां अथवा ईटरी को कम से कम एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रशिक्षित सुरक्षा पर्यवेक्षक अथवा एक तकनीकी व्यक्ति को नियोजित करना अनिवार्य किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यापार की अनुज्ञप्ति और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2018 में व्यवस्था है कि "ई-कॉमर्स खाद्य प्रचालक (एफ.डी.ओ.) संबंधित पंजीकरण अथवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी से पंजीकरण और लाइसेंस प्राप्त करेंगे परन्तु खाद्य व्यवसाय प्रचालकों की निर्देशिका/सूची/खाद्य उत्पादों की सूची प्रदान करने वाले ई-कॉमर्स निकायों को इस अधिनियम और इसके तहत नियमों और विनियमों के अंतर्गत लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा, बशर्ते कि ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत न आते हों। किन्तु ऐसी ई-कामर्स संस्थाओं को जो एफ.डी.यू./खाद्य उत्पादों की सूची/निर्देशिका उपलब्ध करवाते हैं और साथ ही अपनी वेबसाइट पर आदेश/लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. लाइसेंस लेना अपेक्षित होगा।

इसमें आगे यह भी व्यवस्था है कि विक्रेता/ब्रांड स्वामी/विनिर्माता जो ई-कॉमर्स प्लेटफार्म पर हैं उन्हें एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा प्रदान किए गए एफ.बी.ओ. स्वच्छता ग्रेडिंग और एफ.एस.एस. अधिनियम तथा विनियमों के अधीन धारित लाइसेंस/पंजीकरण को प्रदर्शित करना अपेक्षित होगा।

[हिंदी]

आवारा पशुओं का सर्वेक्षण

4698. **प्रो. साधु सिंह**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गाय, भैंस और कुत्तों इत्यादि सहित आवारा पशुओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण आयोजित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे आवारा पशुओं के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गाय, भैंस और कुत्तों आदि सहित आवारा पशुओं के संबंध में कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया है। पशु पालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में 19वीं मवेशी गणना, 2012 में यथा प्रकाशित आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों की संख्या के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) यह मंत्रालय आवारा पशुओं की सुरक्षा के लिए भारतीय जीव-जंतु कल्याण बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.आई.) के माध्यम से मान्यता प्राप्त जीव-जंतु कल्याण संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

विवरण

19वीं मवेशी गणना-2012

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेशों के नाम	आवारा मवेशी			आवारा कुत्ते		
		ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कुल	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3624	71	3695	7083	1084	8167

1	2	3	4	5	6	7	8
2.	आंध्र प्रदेश	28539	13979	42518	1050356	187632	1237988
3.	अरुणाचल प्रदेश	77	0	77	464	0	464
4.	असम	20746	2167	22913	505762	10737	516499
5.	बिहार	249733	12616	262349	987500	50220	1037720
6.	चंडीगढ़	535	1443	1978	1225	6703	7928
7.	छत्तीसगढ़	125249	12873	138122	293929	49693	343622
8.	दादरा और नगर हवेली	317	712	1029	746	1427	2173
9.	दमन और दीव	376	169	545	872	262	1134
10.	गोवा	5882	1301	7183	13598	2727	16325
11.	गुजरात	237963	54499	292462	650915	195178	846093
12.	हरियाणा	84554	32655	117209	363476	58998	422474
13.	हिमाचल प्रदेश	30736	1424	32160	62623	2597	65220
14.	जम्मू और कश्मीर	4451	3914	8365	214105	56472	270577
15.	झारखंड	20010	6032	26042	310222	28395	338617
16.	कर्नाटक	41986	22772	64758	661413	214668	876081
17.	केरल	3963	718	4681	233483	35511	268994
18.	लक्षद्वीप	280	0	280	0	0	0
19.	मध्य प्रदेश	379846	58064	437910	1082745	125794	1208539
20.	महाराष्ट्र	99074	55413	154487	866720	349373	1216093
21.	मणिपुर	42	0	42	23	0	23
22.	मेघालय	2410	0	2410	5062	288	5350
23.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0
24.	नागालैंड	0	0	0	7	0	7
25.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	10461	1702	12163	30311	30161	60472
26.	ओडिशा	1120137	18914	1139051	684796	177724	8625
27.	पुदुचेरी	9	86	95	7867	9809	17676
28.	पंजाब	81728	19263	100991	256178	49304	305482

1	2	3	4	5	6	7	8
29.	राजस्थान	840674	105376	946050	1041265	109750	1151015
30.	सिक्किम	0	0	0	7245	1458	8703
31.	तमिलनाडु	38897	28359	67256	455553	192245	647798
32.	त्रिपुरा	3743	403	4146	8612	1583	10195
33.	उत्तर प्रदेश	495846	513590	1009436	3881081	298164	4179245
34.	उत्तराखंड	9953	3551	13504	34733	13252	47985
35.	पश्चिम बंगाल	364654	9206	373860	908210	248960	1157170
	कुल	4306495	981272	5287767	14628180	2510169	17138349

[अनुवाद]

राजकोषीय परिषद का गठन

4699. **श्री पिनाकी मिश्रा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीर्ष अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है/सिफारिश की है कि वित्त बजट की विश्वसनीयता में तय किए गए लक्ष्यों का पालन कर और अधिक यथार्थपरक अनुमान कर सुधार किया जाना चाहिए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन्होंने बजट आकलनों और राजकोषीय लक्ष्यों का मूल्यांकन करने के लिए राजकोषीय परिषद का गठन करने का सुझाव दिया है जो न केवल उनके मंत्रालय के प्रति बल्कि विधायी निकाय के प्रति भी जवाबदेह होगी;

(ग) यदि हां, तो क्या उनके मंत्रालय का इन सिफारिशों के आधार पर राजकोषीय परिषद का गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन सुझावों/सिफारिशों के कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा गठित की गई एफ.आर.बी.एम. समिति ने भविष्य के लिए एफ.आर.बी.एम. की कार्य-योजना के संबंध में व्यापक समीक्षा की है तथा अपनी सिफारिशें की हैं। इसमें एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों के संबंध में केंद्र सरकार के राजकोषीय निष्पादन तथा अनुपालन की स्थिति का स्वतंत्र आकलन करने तथा जिन मामलों में सलाह की आवश्यकता हो उनमें नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए एक राजकोषीय परिषद गठित करने की सिफारिश की थी।

(ग) और (घ) राजकोषीय परिषद गठित करने के संबंध में समिति की सिफारिशें स्वीकार नहीं की गईं। तथापि, सरकार ने 1 फरवरी, 2018 को पेश किए गए वित्त मंत्री के बजट भाषण 2018-19 के पैरा 142 में की गई घोषणा में यह उल्लेख किया है कि इसके द्वारा ऋण नियम को स्वीकार करने तथा प्रमुख प्रचालनात्मक लक्ष्य के रूप में राजकोषीय घाटा लक्ष्य को प्रयोग में लाने के संबंध में समिति द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। एफ.आर.बी.एम. अधिनियम, 2003 में अपेक्षित संशोधन वित्त विधेयक, 2018 में शामिल किए गए हैं।

[हिंदी]

जलवायु परिवर्तन संबंधी अनुसंधान

4700. **श्री हरि मांझी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का उत्तरी ध्रुव में जलवायु परिवर्तन के संबंध में कोई अनुसंधान करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अनुसंधानों पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है;

(घ) क्या इस संबंध में सहयोग हेतु किसी अन्य देश के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर अनुसंधान केन्द्र (एन.सी.ए.ओ.आर.), जो कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्थान है, वर्ष 2008 से नाइ-अलेसुन्ड, स्वालबार्ड (उत्तरी ध्रुव से लगभग 1234 किमी. के आस-पास) में एक अनुसंधान बेस का प्रचालन कर रहा है जहां जलवायु परिवर्तन में संबंधित विभिन्न अनुसंधान कार्यकलाप किए जाते हैं।

भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक तौर पर जलवायु चक्रों में विविधताओं द्वारा उत्पन्न हुए आर्कटिक में परिवर्तन और भारतीय मानसून की तीव्रता को नियंत्रित करने में आर्कटिक जलवायु की भूमिका से संबंधित मुद्दों का निराकरण किया जाता है। भारत ने वातावरण, क्रायोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर को शामिल करते हुए प्रमुख वैज्ञानिक कार्यक्रम आरम्भ किए हैं। इस संबंध में, भारतीय शोधनकर्ताओं ने आर्कटिक में एयरोसोल विशेषताओं, ब्लैक कार्बन और अवक्षेपण का मापन आरम्भ किया है। आर्कटिक क्रायोस्फेयर में जलवायु संगत प्राकृतिक और मानवजनित यौगिकों और प्रक्रियाओं को अभिज्ञात और परिमाणित करने के अलावा, आर्कटिक हिमनदों के द्रव्यमान संतुलन को समझने के लिए अध्ययन शुरू किए गए हैं।

अध्ययनों से पता चलता है कि आर्कटिक की कांग्सफजोर्डन प्रणाली, कतिपय जल क्षेत्रों के संवर्धित तापन और नवीकरण के साथ क्रमिक रूपांतरण से गुजर रही है। फजोर्ड प्रणाली में किए गए अवलोकनों ने भारतीय आर्कटिक वैधशाला (IndARC) और भारत के प्रथम उप-सतही बंधन को ध्रुव जल-क्षेत्र में रणनीतिक ढंग से रखने संबंधी सूचना प्राप्त की है। भारतीय आर्कटिक वैधशाला (IndARC), आर्कटिक प्रक्रियाओं और भारतीय मानसून के बीच टेलीकनेक्शन को समझने के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध करा रहा है।

(ग) भारतीय आर्कटिक कार्यक्रम का (2017-2020) अवधि के लिए बजट आकलन 45 करोड़ रुपये है।

(घ) और (ङ) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने स्वायत्त संस्थान, एन.सी.ए.ओ.आर. के माध्यम से आर्कटिक में वैज्ञानिक और संभार-तंत्र सहयोग के लिए नार्वेगियान पोलर इंस्टिट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संतुलित आहार

4701. **श्री लक्ष्मण गिलुवा**:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगभग 10 प्रतिशत जनसंख्या संतुलित आहार से वंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा देश के लोगों को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए किए गए प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन के पश्चात् भी 10 प्रतिशत जनसंख्या के वंचित होने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड की रिपोर्ट 2012 के अनुसार, अनाज और बाजरा ग्रामीण भारतीय आबादी के भोजन के प्रमुख भाग हैं। सामान्य रूप से, ग्रामीण आबादी अपर्याप्त आहार पर आधारित होती है क्योंकि जड़ों और कंदों को छोड़कर सभी खाद्य समूहों के कम ग्रहण के रूप में भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार के सेवन (आर.डी.आई.) से कम है।

संतुलित आहार से वंचित देश की आबादी की प्रतिशतता संबंधी कोई विशेष डेटा नहीं है।

(ग) से (ङ)

- कमजोर आयु वर्ग जैसे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, किशारों, गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को संतुलित आहार प्रदान करने के लिए, सरकार ने अंब्रेला आई.सी.डी.एस. योजना की आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत पूरक पोषण कार्यक्रम (एस.एन.पी.) के माध्यम से पूरक पोषण के प्रावधान किए हैं।

  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II के तहत इस योजना के अंतर्गत बच्चों और गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए दैनिक पोषण पात्रता का विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	श्रेणी	भोजन का प्रकार	कैलोरी (केसीएएल)	प्रोटीन (ग्राम)
1.	बच्चे (6 माह से 3 साल की आयु तक)	घर ले जाने हेतु राशन	500	12-15
2.	बच्चे (3 साल से 6 साल की आयु तक)	सुबह की नमकीन और पकाया हुआ गर्म भोजन	500	12-15
3.	बच्चे (6 माह से 6 साल की आयु तक) जो कुपोषित हैं	घर ले जाने हेतु राशन	800	20-25
4.	गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताएं	घर ले जाने हेतु राशन	600	18-20

- भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्धारित भारतीयों के लिए अनुशंसित आहार भत्ते और राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के आधार पर आबादी द्वारा औसत आहार सेवन के बीच अंतर को पाटने के लिए आंगनवाड़ी सेवा योजना के अंतर्गत अनुपूरक पोषण प्रदान किया जाता है। तदनुसार, इस अंतर को पाटने के लिए इस कार्यक्रम के तहत पोषण मानदंड तैयार किए जाते हैं।
- जनसंख्या स्तर पर संतुलित आहार की अपर्याप्त उपभोग का कारण उपलब्धता की कमी के साथ ही संतुलित आहार के महत्व के बारे में जानकारी की कमी है।
- सरकार पौष्टिक और संतुलित आहार के उपभोग के महत्व के बारे में समुदाय की जागरूकता बढ़ाने के लिए मासिक ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस आयोजित कर रही है।

[अनुवाद]

सौर सेल पर आयात शुल्क

4702. **श्री प्रताप सिम्हा:**

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

श्री पी.सी. मोहन:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सौर सेल और सूर्य के प्रकाश के सीधे विद्युत में बदलने वाले इलेक्ट्रिक उपकरण चीन, मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान से आयात किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय सौर विनिर्माण संघ (आई.एस.एम.ए.) ने सुरक्षोपाय महानिदेशक (डी.जी.एस.) के समक्ष, यह कारण बताते हुए कि घरेलू विनिर्माण उत्पादन सुविधा सुस्त है और उसको भारी हानि हो रही है, सौर सेल के आयात पर अनन्तिम सुरक्षोपाय आयात ड्यूटी लगाने के लिए आवेदन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने घरेलू विनिर्माताओं की सुरक्षा के मद्देनजर सौर सेल के बढ़ते हुए आयात पर सुरक्षोपाय ड्यूटी लगाना तय करने के लिए जांच शुरू की है और सौर सेल के आयात पर सुरक्षोपाय ड्यूटी लगाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस आयात ड्यूटी को अंतिम उपयोगकर्ता से वसूलने की संभावना है जिसके परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा परियोजना की लागत बढ़ सकती है; और

(ङ) सौर सेल के घरेलू विनिर्माताओं के नुकसान को टालने और आयातित सौर सेल पर सुरक्षोपाय ड्यूटी लगाने के परिणामस्वरूप सौर ऊर्जा की यूनिट की लागत कम करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। भारत में सोलर सेल्स के होने वाले कुल आयात के 90 प्रतिशत से अधिक भाग का आयात सीन मलेशिया, सिंगापुर और ताइवान से होता है।

(ख) और (ग) जी, हां। रक्षोपाय महानिदेशालय ने 19.12.2017 को एक नोटिस जारी करके रक्षोपाय संबंधी जांच शुरू कर दी है। दिनांक 05.01.2018 के प्राथमिक निष्कर्षों को स्टैंडिंग बोर्ड ऑन सेफगार्ड्स को सौंप दिया गया है, जिसमें सोलर सेल्स, चाहे ये मोड्यूल्स या पैनल में लगे हों या नहीं, के आयात पर 200 दिन की अवधि के लिए अनंतिम रक्षोपाय शुल्क लगाने की सिफारिश की है।

(घ) और (ङ) चूंकि, रक्षोपाय महानिदेशालय के द्वारा अनंतिम रक्षोपाय शुल्क के बारे में दी गयी सिफारिशों में "चीन और मलेशिया को छोड़कर बाकी विकासशील देशों" को छूट दी गयी है, अतः अभी

भी वियतनाम और थाईलैंड जैसे कुछ देश ऐसे हैं जहां से आयात किया जा सकता है। अतः इन देशों से सोलर सेल्स और माड्यूल्स के आयात पर रक्षोपाय शुल्क का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका विनिश्चय नहीं किया जा सकता है और निश्चयपूर्वक यह भी नहीं कहा जा सकता है कि सोलर सेल्स और माड्यूल्स पर रक्षोपाय शुल्क लगाने से सौर ऊर्जा परियोजनाओं की लागत में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

[हिंदी]

झीलों और तालाबों की मरम्मत

4703. **श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** *यह बताने की कृपा करेंगे कि:*

(क) क्या झीलों और तालाबों जैसे अधिकतर छोटे जलाशय अकार्यशील हो गए या सरकार की अनदेखी के कारण उन पर अतिक्रमण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कितने पुराने तालाबों और झीलों की मरम्मत की गई और उन्हें उपयोग के योग्य बनाया गया; और

(घ) आज की तारीख के अनुसार उपयोग के योग्य बनाए गए तालाबों और झीलों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) तीव्र शहरीकरण, विकासात्मक कार्यकलापों और मानवजनित दबावों के कारण जल निकायों पर अवश्य भार पड़ता है।

यह मंत्रालय, केन्द्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच लागत सहभाजन आधार पर देश में अभिज्ञात झीलों और नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वर्तमान में राष्ट्रीय जलीय पारि-प्रणाली संरक्षण योजना (एन.पी.सी.ए.) नामक एक स्कीम क्रियान्वित कर रहा है। इस स्कीम में विभिन्न कार्यकलाप शामिल हैं जैसे कि अपशिष्ट जल का अवरोधन, विपथन और शोधन, तटरेखा संरक्षण, झील तटाग्र विकास, स्वःस्थाने सफाई अर्थात् गाद हटाना और अपतृण हटाना, तूफान जल प्रबंधन, जैव-उपचार, आवाह क्षेत्र शोधन, झील सौंदर्यीकरण, सर्वेक्षण और सीमांकन, जैव-बाड़ लगाना, मत्स्य क्षेत्र विकास, अपतृण नियंत्रण, जैव-विविधता संरक्षण, शिक्षा और जागरूकता सृजन, समुदाय भागीदारी आदि। एन.पी.सी.ए. के अंतर्गत, 26 राज्यों और 2 संघ राज्य क्षेत्रों में 65 झीलों और 83 अभिज्ञात नमभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

इसके अलावा, इस मंत्रालय ने नमभूमियों के अंदर और उनके आस-पास के क्षेत्रों में विभिन्न कार्यकलापों को विनियमित करने के लिए नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2010 अधिसूचित किए थे। इन नियमों को नमभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 द्वारा अधिक्रमित किया गया है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, नमभूमियों के भीतर निषिद्ध कार्यकलापों की सूची निर्धारित की गई है जैसे कि किसी भी प्रकार के अतिक्रमण सहित गैर-नमभूमि उपयोगों के लिए रूपांतरण आदि।

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (एम.ओ.डब्ल्यू.आर., आर.डी. एण्ड जी.आर.) भी जल निकायों आदि की मरम्मत, नवीकरण और पुनर्स्थापना (आर.आर.आर.) हेतु स्कीम जैसी विभिन्न स्कीमों और कार्यक्रमों के माध्यम से जल संसाधनों के सतत् विकास और दक्ष प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है। राज्य इस आशय से एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करते हैं कि जल निकाय पर जल निकाय स्कीम के आर.आर.आर. के अंतर्गत विचार करने से पूर्व जल निकाय, अतिक्रमण से मुक्त हैं।

(ग) और (घ) XIIवीं योजना से 1701 जल निकायों को जल निकाय स्कीम के आर.आर.आर. के अंतर्गत शामिल किया गया है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इनमें से 581 जल निकायों को मार्च, 2017 तक नवीकृत कर लिया गया है। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

विवरण

जल निकाय स्कीम के आर.आर.आर. के अंतर्गत XIIवीं योजना से शामिल किए गए जल निकायों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य	XIIवीं योजना से शामिल किए गए जल निकायों की संख्या	मार्च, 2017* तक नवीकृत जल निकायों की संख्या
1	2	3
मध्य प्रदेश	125	82

1	2	3
मणिपुर	4	0
मेघालय	9	0
ओडिशा	863	370
राजस्थान	68	24
तमिलनाडु	154	105
तेलंगाना	399	0
उत्तर प्रदेश	74	0
उत्तराखंड	5	0
कुल	1701	581

*राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार

[अनुवाद]

बच्चों का यौन शोषण

4704. **श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बच्चों विशेषत: बालकों के यौन शोषण के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बालकों के सर्वाधिक यौन शोषण के मामले कार्यस्थलों पर होते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2014, 2015 और 2016 में भारतीय दंड संहिता की अन्य धारा के साथ पठित यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम, 2012 के अंतर्गत कुल क्रमश: 34,414, 34,425 और 36,321 पीड़ित (पुरुष और महिलाएं) दर्ज किए गए, जो कि 2014 की तुलना में 2015 में 0.03 प्रतिशत और 2015 की तुलना में 2016 में 5.5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ इस संबंध में बढ़ते हुए रुख को दर्शाता है। वर्ष 2014, 2015 और 2016 में भारतीय दंड संहिता की अन्य धारा के साथ पठित पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत क्रमश: कुल 296, 630 और 467 पीड़ित पुरुष दर्ज किए गए, जो वर्ष 2014 की तुलना में 2015 में 112.8 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2015 की तुलना में वर्ष 2016 में 25.9 प्रतिशत की कमी के साथ मिले-जुले रुख को दर्शाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते। तथापि, सरकार समय-समय पर प्रिंट और इलैक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यमों के जरिए देश में बाल शोषण के खिलाफ नियमित रूप से जन-जागरूकता पैदा करती रही है और अलग-अलग संबंधित पक्षों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय परामर्श बैठकें/सम्मेलन आयोजित किए गए हैं।

असाध्य किडनी रोग

4705. **श्री राम मोहन नायडू किंजरापु**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में असाहाय किडनी रोग (सीकेडी) गंभीर चिंता का विषय बन गया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने मामले दर्ज हुए तथा कितनी मौतें हुई हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक स्थायी अनुसंधान केन्द्र और एक सुपर स्पेशियलटी अस्पताल स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार का ऐसे रोगियों के उपचार हेतु कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) सरकार को अनेक अध्ययनों में इंगीत आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों विशेषकर श्रीकाकुलम जिले में चिरकालिक गुर्दा रोगों के भार की जानकारी है। आंध्र प्रदेश सरकार के प्राप्त सूचना के अनुसार विगत 3 वर्षों के दौरान सूचित मामले और मृत्यु निम्नवत् है:

विवरण	एक्यूट रेनल फेल्योर			क्रोनिक रेनल फेल्योर		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017
मामले	2622	3380	12918	4297	3592	26674
मृत्यु	78	90	238	37	77	351

(ख) एक केंद्रीय दल ने सीकेडी के भार का पता लगाने के लिए वर्ष 2016 में आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले का दौरा किया, तथापि, दल को एक भी इटिओलॉजी कारण नहीं मिला।

भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश सरकार ने आई.सी.एम.आर. के सहयोग से आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले में अज्ञात एटिओलॉजी के चिरकालिक गुर्दा रोग के कारण के मूल्यांकन व निष्कर्षो के लिए महाचुनौती योजना का शुभारंभ किया है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों को नि:शुल्क डायलिसिस सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत सहायता प्रदान की जा रही है। ऐसी सहायता राज्यों से उनकी वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्राप्त प्रस्तावों पर आधारित होती है। वर्ष 2017-18 के दौरान इस कार्यक्रम के तहत आंध्र प्रदेश सरकार के लिए 1129.92 लाख रुपये की राशि अनुमोदित की गई है।

अन्य सामान्य एन.सी.डी. जैसे कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग आदि सहित सीकेडी हेतु कई सामान्य जोखिम कारक हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिका रोग व आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत चिर कालिक गुर्दा रोग हेतु कार्यकलाप शामिल किए गए हैं।

आंध्र प्रदेश से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में निम्नलिखित उपाय किए गए:

(i) श्रीकाकुलम जिले में 3 अस्पतालों और प्रकाशम जिले के 5 अस्पतालों में डायलेसिस केन्द्र उपलब्ध हैं।

(ii) सीकेडी की शीघ्र पहचान और प्रबंधन के लिए श्रीकाकुलम जिले के उड्डनम क्षेत्र में 15 विशेष मोबाइल चिकित्सा क्लीनिक कार्यशील हैं।

(iii) एन.टी.आर. सुजलासरवंति कार्यक्रम के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित पेयजल प्रदान किया जाता है।

(iv) आधार लिंकेज के माध्यम से गुर्दा विफल रोगियों की आई.टी. सहायता व ट्रेकिंग स्थापित की गई है और बिना किसी खामी के कार्यशील है।

(v) रोगियों की यात्रा को कम करने और यथा-समय अनुवर्ती कार्रवाई व डॉक्टरों के परामर्श द्वारा रोग की प्रगति के लिए टेलिफोनिक/वेब आधारित प्रणालियां प्रयोग की जाती है।

(ग) आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य सरकार ने श्री काकुलम में प्रतिबद्ध गुर्दा रोग अनुसंधान संस्थान की स्थापना मंजूर की है।

(घ) प्रमुख जीवन घातक रोग जैसे कैंसर, गुर्दा समस्या, यकृत समस्या आदि से पीड़ित गरीबी रेखा से नीचे के लोगों (बी.पी.एल.) को सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय उपचार प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) और स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (एच.एम.डी.जी.) योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य ने चिरकालिक गुर्दा रोग (सीकेडी) चरण-III, IV व V से प्रभावित रोगियों और सरकारी अस्पताल में डायलेसिस ले रहे लोगों के लिए 2500/- रु. प्रतिमाह की पेंशन मंजूर की है।

[हिंदी]

वन्य जीव अभयारण्य के चारों तरफ बफर जोन

4706. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वन्य जीव अभ्यायारण्य/राष्ट्रीय पार्कों के कोर जोन के आसपास रहने वाले नागरिकों वाले क्षेत्र में बफर जोन की सीमा तय कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बफर जोन में रहने वाले नागरिकों को किसी अन्य स्थान पर पुनर्वासित करने तथा प्रभावित नागरिकों को मुआवजा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कोई नीति बनाई गई है;

(घ) क्या सरकार द्वारा इस संबंध में निधि प्रदान करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या उक्त पार्कों में रहने वाले लोगों को भूमि के बदले भूमि आवंटित करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की दिनांक 17 मार्च, 2005 को हुई इसकी तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों तरफ पारि-संवेदी जोन की घोषणा करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उप-नियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) और खण्ड (xiv) के साथ पठित उप-धारा (1) के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों तरफ पारि-संवेदी जोन को अधिसूचित करता आ रहा है। पारि-संवेदी जोन में वे वन क्षेत्र और राजस्व भूमि सम्मिलित होती है जो राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के अंदर समृद्ध जैव-विविधता के संरक्षण में बफर जोन के रूप में कार्य करती है।

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के चारों तरफ पारि-संवेदी जोन में लोगों को पुनर्वासित करने हेतु कोई नीति नहीं है।

(घ) और (ङ) उपरोक्त (ग) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विमुद्रीकरण की घोषणा के पूर्व पी.एन.बी. में जमा धनराशि

4707. **श्री मुथमसेटी श्रीनिवास राव (अवंती)**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसा आरोप है कि हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) घोटाले के एक आरोपी ने विमुद्रीकरण की घोषणा से कुछ घंटे पूर्व पी.एन.बी. की एक शाखा में 90 करोड़ रु. जमा कराए थे; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) पंजाब नेशनल बैंक (पी.एन.बी.) ने यह सूचित किया है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 13 के उपबंधों के अंतर्गत बैंक उन परिस्थितियों, जिनमें ग्राहकों की सूचना को प्रकट करना कानून अथवा प्रचालनों या प्रयोगों के अनुरूप बैंकरों में प्रचलित न हों या बैंकों के लिए उक्त सूचना को प्रकट करना आवश्यक अथवा उपयुक्त न हो, अपने ग्राहकों की कोई सूचना प्रकट नहीं करेगा। पी.एन.बी. ने यह भी कहा है कि उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए यह प्रतीत होता है कि ग्राहकों की सूचना उपलब्ध नहीं करायी जा सकती।

तथापि, जहां तक उक्त आरोप का संबंध है पी.एन.बी. ने यह कहा है कि उन्होंने दोनों आरोपी समूह के सभी खातों की जांच कर ली है और यह पाया गया कि विमुद्रीकरण की घोषणा की तारीख (अर्थात् 08.11.2016) को इन समूह के खातों में एक लाख रुपये से अनधिक नकद राशि जमा की गई थी।

चिकित्सकों की रिक्तियां

4708. **श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी**: क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जोन में विभिन्न आयुष अस्पतालों में चिकित्सकों तथा सहायक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जोन के विभिन्न आयुष अस्पतालों में चिकित्सकों तथा सहायक कर्मचारियों की रिक्तियों को भरने के लिए मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

[हिंदी]

योग विश्वविद्यालय

4709. **श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश भर में योग विश्वविद्यालय खोलने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजस्थान में कितने योग विश्वविद्यालय जिला-वार स्थापित करने का विचार है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) वर्तमान में योग विश्वविद्यालय खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

बैंकों में सुरक्षा उपाय

4710. **श्री टी. राधाकृष्णन:**

श्री एस.आर. विजय कुमार:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री नारणभाई काछड़िया:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री गजानन कीर्तिकर:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्राहकों को लॉकर सेवाएं देने में बैंकों की भूमिका का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बैंकों और बैंक लॉकरों में सुरक्षा की स्थिति नाजुक है और बैंकों में तैनात सुरक्षा कर्मियों को चोरी की दशा में बैंक की सुरक्ष करने हेतु अत्याधुनिक हथियार नहीं दिए गए हैं और लॉकरों में सी.सी.टी.वी. कैमरों की व्यवस्था भी नहीं की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किये जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंक (पी.एस.बी.) बैंक लॉकरों की चोरी अथवा उन्हें लूटे जाने अथवा उनके साथ छेड़छाड़ किये जाने की स्थिति में जिम्मेदारी नहीं लेते हैं हालांकि बैंक ग्राहकों से वार्षिक लॉकर शुल्क के रूप में भारी राशि वसूलते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को निर्देश जारी किए हैं कि बैंक लॉकरों में रखे कीमती सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ग्राहकों की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) बैंक लॉकर उपलब्ध कराने में ग्राहक, जो पट्टाधारी है, के संबंध में बैंकों की भूमिका पट्टेदार की है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने यह सूचित किया है कि बैंकों में सेफ डिपॉजिट लॉकर सुरक्षित हैं। लॉकर यूनिटों को सुरक्षित कक्ष (स्ट्रांग रूम) में अथवा भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा, बैंक की ऐसी सभी शाखाएं, जो अपराध की दृष्टि से अरक्षित हों, में कार्यावधि के दौरान बैंकों की आस्तियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बैंक के सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों को कानूनी रूप से अनुमत हथियार उपलब्ध कराए जाते हैं।

आर.बी.आई. के दिशानिर्देशों में बैंकों से यह अपेक्षा की गई है कि वे ग्राहक को लॉकर आबंटित करते समय सम्यक तत्परता, समुचित सावधानी बरतें तथा ग्राहकों को उपलब्ध कराए गए लॉकरों की सुरक्षा के लिए आवश्यक निगरानी रखें, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट/लॉकर के लिए प्रवृत्त प्रणाली की समीक्षा करे तथा सुअभिलेखित सुरक्षा प्रक्रिया को लागू करे तथा समुचित रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों को रखे।

पी.एस.बी. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उन्हें उपलब्ध कराए गए स्ट्रांग रूम तथा लॉकर की सुरक्षा के लिए वे समुचित सावधानी तथा निगरानी रखते हैं, परंतु उन्हें लॉकर में रखे गए सामान की जानकारी नहीं होती है। तथापि, बैंक तथा ग्राहक के बीच का समझौता पट्टेदार और पट्टाधारी के बीच के स्वरूप का है, दायित्व का प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर है और बैंक को ग्राहक की प्रतिपूर्ति तभी करनी है, जब सामान की क्षति के लिए उसे उत्तरदायी पाया जाता है।

प्रयोक्ता अनुकूल जी.एस.टी.एन.

4711. **श्री भोला सिंह:**

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के लिए सूचना तकनीक (आई.टी.) सेवा प्रदान करने वाली माल और सेवा कर नेटवर्क (जी.एस.टी.एन.) ने करदाताओं से उनके अनुभव तथा कठिनाइयों के संबंध में विचार मांगे है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ग) क्या प्राप्त प्रतिक्रियाओं का आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या परिणाम रहे हैं; और

(घ) प्रणाली को सुधारने तथा इसे प्रयोक्ता अनुकूल बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी, हां। अक्तूबर, 2017 और नवंबर, 2017 महीनों के दौरान जी.एस.टी.एन. द्वारा समग्र करदाताओं की संतुष्टि पर एक सर्वेक्षण किया गया था। सर्वेक्षण के लिए करदाताओं को जी.एस.टी. पोर्टल पर उनकी हाल ही गतिविधियों के आधार पर यादृच्छिक तरीके से चुना गया था। यह सर्वेक्षण राज्य-वार नहीं किया गया था। सर्वेक्षण/प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर सुझावों/चिंताओं की पहचान की गई थी। इस संबंध में जी.एस.टी.एन. द्वारा की गई कार्रवाई/उपाय संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उपर्युक्त उपायों ने प्रणाली में सुधार किया है और इसे प्रयोक्ता अनुकूल बनाया है। इसके अलावा करदाताओं के लिए जी.एस.टी. प्रणाली को और अधिक सरल बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. विवरणी और अन्य प्रपत्रों में संपादन करने की सुविधा उपलब्ध है।

ii. विवरणी तैयार करने हेतु ऑफलाइन टूल और अन्य कार्यक्षमताएं उपलब्ध कराई गई हैं।

iii. विभिन्न कार्यक्षमताओं के लिए प्रयोक्ता मैनुअल, विडियो ट्यूटोरियल और सामान्य प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं जिनका उपयोग करदाता कर सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार के लगभग 60,000 कर अधिकारियों/कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे करदाता की सहायता कर सकें और उनके प्रश्नों/शिकायतों का समाधान कर सकें और उन्हें विभिन्न कार्यक्षमताओं पर प्रशिक्षित कर सकें।

विवरण

प्राप्त सुझावों/चिंताओं पर जी.एस.टी.एन. द्वारा की गई कार्रवाई

क्र.सं.	सुझाव/चिंताएं	जीएसटीएन द्वारा की गई कार्रवाई/उपाय
(i)	जीएसटी पोर्टल पर अनुपालन हेतु इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रियाओं के सामान्य तालमेल में अंतर थे (विशेष तकनीकी मामले जैसे डिजीटल हस्ताक्षर संबंधी समस्याएं आदि)	जीएसटीएन द्वारा नियमित आधार पर वीडियो ट्यूटोरियल्स और वेबीनर्स का आयोजन किया जा रहा है। पोर्टल पर सहायता में भी वृद्धि की गई है और बेहतर तालमेल के लिए पाठ आलेखों में भाषा की निरंतर निगरानी की जा रही है और जैसा मामला हो संशोधन किया जा रहा है।
(ii)	हेल्पडेस्क समस्याओं के प्रति प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है।	जीएसटीएन द्वारा सभी हेल्पडेस्क एजेंटों के लिए नियमित रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाती है। आवधिक पुनश्चर्या का भी आयोजन किया जा रहा है।
(iii)	विवरणी में गलतियों को ठीक नहीं किया जा सकता।	पूर्वावलोक सुविधा, ऑफ लाइन टूल गलतियों से बचने में करदाताओं की सहायता करते हैं। जीएसटीआर-3बी के लिए रीसेट कार्यक्षमता को अक्तूबर, 2017 में और तत्पश्चात जीएसटीआर-4 (संयोजन करदाता विवरणी) शुरू किया गया था। जीएसटीआर-1 के लिए डेटा में संशोधन तालिका के माध्यम से अगले माह के जीएसटीआर-1 में संशोधन किया जा सकता है।

क्र.सं.	सुझाव/चिंताएं	जीएसटीएन द्वारा की गई कार्रवाई/उपाय
		कारोबार, कर और आईटीसी के जीएसटीआर-3बी मूल्यों को अगले माह के जीएसटीआर-3बी में समायोजित किया जा सकता है।
(iv)	साइट निष्पादन धीमा है और उसमें अनेक समस्याएं हैं।	अनेक संवर्द्धन किए गए हैं जिससे संपूर्ण साइट निष्पादन में सुधार हुआ है। 20 फरवरी, 2018 को जीएसटी पोर्टल पर 6.9 लाख भुगतान लेनदेन सहित 17.97 लाख विवरणियां जमा की गई। इतने भार के बावजूद, सर्वर का उपयोग 30 प्रतिशत से कम था। लोग इन प्रयोक्ताओं की संख्या बढ़ाने के लिए सॉफ्टवेयर को और अधिक अनुकूल बनाया गया है और अब 1,50,000 करदाता एक समय में पोर्टल पर लेनदेन और कार्य कर सकते हैं।
(v)	प्रासंगिक मदद उपलब्ध नहीं है। त्रुटियां सामान्य हैं और सहज ज्ञानयुक्त नहीं हैं।	जीएसटी प्रणाली में सभी जीएसटी संबंधित लेनदेन जैसे पंजीकरण, भुगतान, विवरणी आदि में प्रासंगिक मदद शुरू की गई है। हालांकि यह एक निरंतर प्रक्रिया है।
(vi)	हेल्पडेस्क तक पहुंचना अत्यंत कठिन है। बड़े मामलों पर प्रतिक्रिया देने में अधिक समय लेता है।	एजेंटों की संख्या को 520 तक बढ़ा दिया गया है और जीएसटीएन ने एक समर्पित शिकायत निवारण पोर्टल की भी शुरुआत की है जो करदाता को अपनी समस्या केंद्रित रूप में बताने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इससे सामान्य ई-मेल में कमी आयी है जिनमें समस्या के अपूर्ण रूप से और अस्पष्ट रूप से व्याख्या करने की प्रवृत्ति होती है। जब करदाता शिकायत निवारण पोर्टल पर समस्या बताता है उसके साथ ही स्क्रीन पर सांकेतिक मदद पाठ भी प्रदर्शित होता है।

[हिंदी]

अस्पतालों में चिकित्सीय उपकरणों की दशा

4712. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में बड़ी संख्या में चिकित्सीय उपकरण कार्य करने की दशा में नहीं होते है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त केन्द्रों में इन उपकरणों के समुचित रखरखाव तथा प्रचालन सुनिश्चित करने हेतु कोई निगरानी तंत्र गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सीय उपकरणों की खरीद हेतु सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों को कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है और इसमें से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी राशि का उपयोग हुआ है; और

(च) सरकार द्वारा सरकारी स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सीय उपकरणों के रखरखाव में सुधार हेतु क्या कदम उठाए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) सभी चिकित्सा उपस्करों की कार्यात्मक स्थिति सहित इनवेंट्री का पता लगाने के लिए विस्तृत कार्रवाई की गई थी। मार्च, 2017 में सभी राज्यों में 13 प्रतिशत से 34 प्रतिशत तक की रेंज में उपस्कर खराब पाए गए थे।

जिन राज्यों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया है उनके चिकित्सा उपस्करों के अनुरक्षण समय का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा वास्तविक आधार पर राज्यों के डैशबोर्ड पर उपलब्ध है। 15 राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के डैशबोर्ड के वेब-लिंक संलग्न विवरण में दिए हैं। महाराष्ट्र और पंजाब का अपना सॉफ्टवेयर है जिनका लिंक उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) इसमें चिकित्सा प्रबंधन और अनुरक्षण कार्यक्रम (बी.एम.एम.पी.) के लिए आदर्श आर.एफ.पी. सहित व्यापक दिशा-निर्देश बनाए गए हैं। इन्हें सभी राज्यों को प्रसारित किया गया है ताकि वे स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा उपस्करों की कार्यात्मकता और

अनुरक्षण के लिए उपयुक्त तंत्र स्थापित कर सकें। राज्य डैशबोर्ड के माध्यम से उपस्करों की कार्यात्मक स्थिति की वास्तविक आधार पर निगरानी की जाती है।

दिशा-निर्देश *http://nhsrcindia.org/sites/default/files/practice_file/Biomedical% 20*

Equipment% 20Revised%20@2810-02-2015%29%282%29.pdf लिंक पर उपलब्ध हैं।

(ङ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा उपस्करों की खरीद के लिए अनुमोदित राशि तथा उपयोग का ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिया गया है।

(च) चिकित्सा उपस्कर अनुरक्षण और प्रबंधन कार्यक्रम संबंधी व्यापक दिशा-निर्देश विकसित किए गए हैं। कार्यक्रम दिशा-निर्देश सभी जिला अस्पतालों में 95%, सामुदायिक केंद्रों में 90% और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में 80% अपटाईम सुनिश्चित करते हैं। कभी भी खराबी के पंजीकरण की तारीख और समय से एकल ब्रेकडाऊन सात दिन से अधिक नहीं होता है। इससे चिकित्सा उपस्करों का समय से अंशांकन और एहतियाती अनुरक्षण तथा आवधिक प्रयोगता प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाता है।

17 राज्यों ने कार्यक्रम कार्यान्वित कर दिया है। 13 राज्यों ने एन.एच.एम. दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवा प्रदाता को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और 4 राज्यों में सेवा प्रदानगी का इन-हाऊस मॉडल अपनाया गया है।

विवरण

चिकित्सा उपस्कर प्रबंधन और अनुरक्षण कार्यक्रम के डैशबोर्ड का ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य	डैशबोर्ड वेब लिंक
1.	आंध्र प्रदेश	http://www.htms-tbs.com:8081/HTMSlap_dashboard.jsp
2.	अरुणाचल प्रदेश	http://52.66.183.163:81/dashboard/manage_dashboard.html
3.	झारखंड	http://52.66.183.163:85/dashboard/manage_dashboard.html
4.	केरल	http://www.kmscl-bemp.com/
5.	महाराष्ट्र	www.mahabiomed.com (username: nhsrc pss: nhsrc)
6.	मिजोरम	http://52.66.183.163:84/dashboard/manage_dashboard html
7.	नागालैंड	http://182.156.208,43:85/faber_nagaland (username: admin password: admin)
8.	राजस्थान	http:/le-aushadhi.rajasthan.gov.in/EMMS/startup/loginAction (username: SIMC EMMS password: snoim@2016)
9.	सिक्किम	sk.macshell.com (username: admin password: 123)
10.	त्रिपुरा	http://52.66.183.163:82/dashboard/manage_dashboard.html
11.	पुदुचेरी	http://182.156.208.43:85/faber_pondy (username: admin password: 12345)
12.	तेलंगाना	http://182.156.208.43:85/faber_telangana (username: admin password: 12345)
13.	मेघालय	http://www.htms-tbs.com:8081/HTMS/ml_dashboard.jsp
14.	असम	http://www.htms-tbs.com:8081/HTMS/as_dashboard.jsp
15.	हिमाचल प्रदेश	Mass.macshell.com (username: admin password: 123)

एन.एच.एम. के तहत वित्त वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान उपस्करों की खरीद के लिए एस.पी.आई.पी. स्वीकृति बनाम व्यय दर्शाते हुए विवरण

लाख रु. में

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	2014-15		2015-16		2016-17	
		एसपीआईपी स्वीकृति	व्यय	एसपीआईपी स्वीकृति	व्यय	एसपीआईपी स्वीकृति	व्यय
1	2	3	4	5	5	7	8
क.	**उच्च फोकस राज्य**						
1.	बिहार	2,699.07	2,044.65	8,458.61	1,337.62	5,126.76	2,429.00
2.	छत्तीसगढ़	833.31	202.88	602.18	147.16	3,376.39	861.17
3.	हिमाचल प्रदेश	315.35	162.92	1,558.72	155.22	344.62	151.67
4.	जम्मू और कश्मीर	569.95	348.55	855.29	991.57	2,328.33	1.607.22
5.	झारखंड	818.57	207.10	2,273.68	341.45	1,403.61	247.23
6.	मध्य प्रदेश	2,981.46	596.69	3,314.62	2,962.09	9,458.99	2,881.32
7.	ओडिशा	2,551.53	905.57	1,922.62	951.79	1,432.26	622.38
8.	राजस्थान	1,918.66	3,718.58	7,626.49	2,749.47	5,374.53	4,265.75
9.	उत्तर प्रदेश	3,586.61	992.15	16,219.12	6,949.93	8,399.29	5,770.16
10.	उत्तराखंड	303.70	275.82	388.15	253.09	305.76	479.14
	उप योग	16,578.21	9,454.90	43,219.48	16,839.38	37,550.54	19,315.05
ख.	**पूर्वोत्तर राज्य**						
11.	अरुणाचल प्रदेश	101.24	59.85	291.92	28.26	337.44	491.54
12.	असम	1,256.05	4,298.30	6,615.40	1,736.36	6,432.59	1,794.75
13.	मणिपुर	153.32	118.39	141.23	237.67	809.08	55.33
14.	मेघालय	390.84	19.70	603.63	344.06	128.58	283.13
15.	मिजोरम	73.43	56.85	446.23	48.64	1,100.06	217.61
16.	नागालैंड	52.94	82.13	143.97	117.57	427.81	291.99
17.	सिक्किम	68.24	88.70	595.25	80.54	109.12	171.01
18.	त्रिपुरा	114.57	11.48	427.50	117.60	342.07	86.11
	उप योग	2,210.63	4,735.40	9,265.12	2,710.70	9,686.74	3,391.46

1	2	3	4	5	5	7	8
ग.	**गैर-उच्च फोकस राज्य**						
19.	आंध्र प्रदेश	978.81	1,383.93	4,456.68	2,421.85	3,889.52	3,363.39
20.	गोवा	64.80	38.33	268.90	30.39	163.46	49.71
21.	गुजरात	1,122.21	339.32	3,552.33	2,882.20	2,108.82	1,845.49
22.	हरियाणा	847.89	739.45	1,749.47	1,195.04	1,183.90	113.28
23.	कर्नाटक	706.05	292.39	1,555.97	161.93	3,229.06	1,580.90
24.	केरल	568.75	96.58	1,608.44	993.88	2,268.20	2,269.29
25.	महाराष्ट्र	3,198.00	2,174.82	13,293.18	4,416.28	15,954.04	2,810.43
26.	पंजाब	302.65	551.34	870.25	1,495.06	1,711.07	1,792.98
27.	तमिलनाडु	1,940.26	14,848.85	8,312.42	5,970.58	6,271.59	9,916.05
28.	तेलंगाना	833.71	-	5,970.28	263.86	1,380.07	2,040.68
29.	पश्चिम बंगाल	2,588.15	876.62	6,079.35	2,459.50	9,068.09	7,269.36
	उप योग	13,151.28	21,341.62	47,717.27	22,290.58	47,227.82	33,051.57
घ.	**छोटे राज्य/संघ शासित प्रदेश**						
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	56.22	1.75	81.63	0.83	32.40	0.42
31.	चंडीगढ़	12.79	0.16	24.71	3.88	24.65	3.18
32.	दादरा और नगर हवेली	21.52	106.58	47.91	65.78	40.05	42.64
33.	दमन और दीव	19.53	3.60	19.52	2.72	17.82	0.82
34.	दिल्ली	249.55	24.99	1,045.48	118.45	1,017.00	36.46
35.	लक्षद्वीप	10.01	-	9.79	1.29	8.91	0.95
36.	पुदुचेरी	91.33	5.29	216.14	69.05	267.83	47.20
	उप योग	460.95	142.37	1,445.18	262.00	1,408.66	131.67
	सकल योग	32,401.07	35,674.29	1,01,647.05	42,102.66	95,873.77	55,889.75

टिप्पणी:

1. एस.पी.आई.पी. से तात्पर्य है राज्य कार्यक्रम योजना
2. व्यय में केंद्रीय विभिन्न की तुलना में व्यय, राज्य अंश तथा वर्ष के शुरुआत में खर्च न हुआ शेष शामिल है।
3. उपर्युक्त आंकड़े राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा रिपोर्ट किए गए एफ.एम.आर. के अनुसार है।
4. उपर्युक्त आंकड़ों एन.एच.एम. के सभी कार्यक्रमों के आंकड़े शामिल हैं।

चिकित्सा अनुसंधान

4713. **श्री धर्मेन्द्र यादव:**

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री आनंदराव अडसुल:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत मेडिसिन के अनुसंधान और विकास में काफी पिछड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत को विशेष रूप से क्लीनिकल परीक्षणों और नैदानिक परीक्षण और विनियामक आवश्यकताओं के क्षेत्र में वैश्विक स्तर तक पहुंचने के लिए पुनर्योजी चिकित्सा और पुनर्निर्माण शल्य चिकित्सा में अनुसंधान की गति में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है और कोई उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ङ) इस संबंध में अब तक किस हद तक उद्देश्य और लक्ष्य प्राप्त किए कर लिए गए है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद देशभर में अपने 26 अनुसंधान संस्थानों और अन्य अनुसंधान संस्थानों के बाह्य वित्तपोषण, सरकारी कॉलेजों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से चिकित्सा के अनुसंधान और विकास में सक्रिय रूप से लगी है।

जैव-प्रौद्योगिकी विभाग स्टेम सेल और पुनरुत्पादक चिकित्सा के क्षेत्र में नैदानिक परीक्षणों सहित कई अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की सहायता कर रहा है।

इस प्रयोजनार्थ जैव-प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा धनराशि का आवंटन लगभग 15-20 करोड़ रु. प्रति वर्ष है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश की वित्तीय स्थिति

4714. **श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश वित्तीय घाटे वाला राज्य है और शेष रह गए राज्य के लाभ के लिए जरूरी परियोजनाओं को पूरा करने या शुरू करने की स्थिति में नहीं है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को परियोजनाओं पर किए गए व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करने के लिए कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार ने आन्ध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के कार्यक्षेत्र के तहत संसाधनों, घाटे के बजट आदि मुद्दों के समाधान के लिए राज्य को "विशेष सहायता" के रूप में वर्ष 2014-15 के लिए 4118 करोड़ रुपये के अभिज्ञात संसाधन अंतर के लिए 3980 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त, 14वें वित्त आयोग द्वारा अपनी अधिनिर्णय अवधि (2015-20) के लिए यथा-संस्तुत 22,212 करोड़ रुपये के अंतरण पश्चात् राजस्व घाटा अनुदान के मुकाबले में आन्ध्र प्रदेश राज्य को अब तक 15,969 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जा चुका है।

(ख) जी, हां। केन्द्र सरकार ने केन्द्र प्रायोजित विभिन्न योजनाओं पर वर्ष-वार व्यय की सूचना मांगी है।

औषधीय पौधों से उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट संबंधी दिशा-निर्देश

4715. **श्रीमती रक्षाताई खाडसे:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जैविक उपज, जड़ी-बूटियों और औषधीय पौधों के निष्कर्षण से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट और इसके निपटान के संबंध में कोई कदम उठाए हैं अथवा दिशानिर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या विनिर्माता निष्कर्षण करते समय रासायनिक विलायक युक्त ऐसे अपशिष्ट का बेहद अधिक मात्रा में भूमि के नीचे पाटन कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार भारत सरकार ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 को अधिसूचित किया है। तथापि, जैविक उपज, जड़ी-बूटियों और औषधीय पादपों के निष्कर्षण से उत्पन्न होने वाले ठोस अपशिष्ट के निपटान को इन नियमों में शामिल नहीं किया गया है। अत: आयुष मंत्रालय के पास इस विषय पर कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है।

[हिंदी]

कॉरपोरेट क्षेत्र पर जी.एस.टी. का प्रभाव

4716. **श्री भैरों प्रसाद मिश्र**: क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के आरंभ के बार से अब तक कॉरपोरेट क्षेत्र की प्रतिक्रिया का ब्यौरा क्या है; और

(ख) कॉरपोरेट क्षेत्र जी.एस.टी. द्वारा किस प्रकार प्रभावित होता है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) जी.एस.टी. की शुरुआत एक सरलीकृत कर व्यवस्था के साथ भारत को एक समान राष्ट्रीय बाजार में बदलने का एक ऐतिहासिक कदम था। जी.एस.टी. दिनांक 01 जुलाई, 2017 से लागू किया गया था और औद्योगिक एवं कॉरपोरेट जगत द्वारा इसका स्वागत किया गया। सी.आई.आई., फिक्की और एसोचैम जैसे उद्योग संघों द्वारा प्रतिनिधित्व वाले कॉरपोरेट क्षेत्र ने भारत में जी.एस.टी. की शुरुआत पर सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

(i) जुलाई, 2017 से फरवरी, 2018 (जी.एस.टी. के बाद) की अवधि के दौरान पंजीकृत कंपनियों की कुल संख्या 68,299 है। पूर्ववर्ती वर्ष की इसी अवधि अर्थात् जुलाई, 2016 से फरवरी, 2017 के दौरान पंजीकृत कंपनियों की संख्या 63,106 थी। इस प्रकार, कंपनियों के पंजीकरण की संख्या में वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति जी.एस.टी. के बाद भी जारी है।

(ii) औद्योगिक उत्पाद सूचकांक (आई.आई.पी.) चुनी गई उत्पादन इकाइयों के मासिक उत्पाद आंकड़ों पर आधारित एक औद्योगिक गतिविधियों का एक प्रमुख सूचकांक है। आई.आई.पी. की औसत वृद्धि दर जुलाई, 2016 से जनवरी, 2017 के 3.9 प्रतिशत की तुलना में जुलाई, 2017 से जनवरी, 2018 के दौरान 5 प्रतिशत थी। जी.एस.टी. की शुरुआत के बाद औद्योगिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़े दर्शाते हैं कि कॉरपोरेटों के लिए वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि 2017-18 की दूसरी और तीसरी तिमाही में क्रमश: 7.2 प्रतिशत और 11.3 प्रतिशत रही। वर्ष 2016-17 की दूसरी और तीसरी तिमाही के लिए संबंधित आंकड़े क्रमश: 1.9 प्रतिशत और 2.8 प्रतिशत रहे। इस प्रकार, कॉरपोरेटों के लिए बिक्री में वृद्धि भी जी.एस.टी. अवधि के बाद अभी तक महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी देखी गई है।

(iv) इसके अतिरिक्त, जी.डी.पी. की समग्र वृद्धि दर भी वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही में 6.5 प्रतिशत से बढ़कर तीसरी तिमाही में 7.2 प्रतिशत हुई है। वर्ष 2016-17 के लिए ये आंकड़े क्रमश: 7.6 प्रतिशत और 6.8 प्रतिशत थे।

(ख) जी.एस.टी. की शुरुआत स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा कर सुधार था। जी.एस.टी. की शुरुआत ने अलग-अलग करों को कम किया है और इस प्रकार व्यापार करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए एक अपेक्षाकृत सरल कर व्यवस्था तैयार की है। कई करों के प्रतिकूल प्रभावों को दूर करते हुए, जी.एस.टी. द्वारा वस्तुओं की कीमत में कमी होने की आशा है। इससे हमारे व्यवसाय घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होंगे जो अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण और समग्र विकास के साथ-साथ कॉरपोरेट क्षेत्र को प्रोत्साहित करेंगे।

[अनुवाद]

अल्पकालिक सर्टिफिकेट कोर्स

4717. **श्री हरि ओम पाण्डेय**:

श्री संतोष कुमार:

डॉ. रत्ना डे (नाग):

श्री मनोज तिवारी:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का योग शिक्षकों के लिए कोई अल्पकालिक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इससे योग के लाभों के प्रसार में किस प्रकार मदद मिलने की संभावना है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) से (ग) आयुष मंत्रालय के अधीन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (एम.डी.एन.आई.वाई.) वर्तमान में 4 माह की अल्पावधि वाले योग सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों अर्थात् विशेष हित समूहों के स्वास्थ्य हेतु योग विज्ञान प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है।

विशेष हित समूह के विशेषज्ञ प्रशिक्षकों के लिए यह 4 महीने का एक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम है।

(घ) यह पाठ्यक्रम स्वास्थ्यवर्धन तथा स्वास्थ्य के लिए योग प्रशिक्षण देने हेतु विशेषज्ञ प्रशिक्षक तैयार करने के लिए बनाया और विकसित किया गया है।

[हिंदी]

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रस्ताव

4718. **श्री मानशंकर निनामा**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान राज्य सरकार से गत तीन वर्षों के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्राप्त हुए विकास कार्य और सड़क निर्माण से संबंधित प्रस्तावों का परियोजना और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) अनुमोदन के लिए लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और ऐसे लंबितता के क्या कारण हैं; और

(घ) लंबित परियोजनाओं/प्रस्तावों को कब तक अनुमोदन दिए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) राजस्थान राज्य से विकास कार्य और सड़क निर्माण से संबंधित प्राप्त हुए प्रस्तावों की स्थिति और गत तीन वर्षों (2015, 2016 और 2017) के दौरान इनकी स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2015-2017) के दौरान वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राजस्थान राज्य सरकार से प्राप्त हुए विकास कार्य और सड़क निर्माण से संबंधित प्रस्तावों का ब्यौरा

क्र.सं.	क्षेत्र	वर्ष	अनुमोदित			मंत्रालय के पास लंबित	राज्य सरकार के पास लंबित
		प्राप्त कुल प्रस्ताव	2015	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	रक्षा	1	0	1	0	0	0
2.	पेयजल	10	0	2	4	1	3
3.	सिंचाई	1	0	1	0	0	0
4.	खनन	1	1	0	0	0	0
5.	अन्य	6	1	1	1	1	2

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	रेलवे	3	1	1	1	0	0
7.	पुनर्वास	1	0	0	0	1	0
8.	सड़क	45	19	3	14	3	6
9.	पारेषण लाइन	15	2	4	9	0	0
	कुल योग	83	24	13 66	29	6	11

[अनुवाद]

जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम

4719. **श्री पी. के. बिजू:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान परिषद (सी.सी.आर.ए.एस.) द्वारा जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम (टी.एच.सी.आर.पी.) आरंभ करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा, लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और टी.एच.सी.आर.पी. के अंतर्गत अब तक कितनी उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) उक्त परियोजना के अंतर्गत कितने आदिवासियों को शामिल किए जाने की संभावना है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) केंद्रीय आयुर्वेदीक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने अपने अधीनस्थ 15 संस्थानों के माध्यम से 14 राज्यों में जनजातीय स्वास्थ्य परिचर्या अनुसंधान कार्यक्रम (टी.एच.सी.आर.पी.) आरंभ किया है।

(ख) टी.एच.सी.आर.पी. के लक्ष्य और उद्देश्य निम्नानुसार हैं:-

- जनजातीय लोगों की रहन-सहन दशाओं का अध्यनन करना।
- स्वास्थ्य आंकड़ों संबंधी सूचना का संग्रहण करना।
- क्षेत्र के लोगों की आहार संबंधी आदतों, प्रचलित रोगों की प्रकृति एवं बारंबारता, आम औषधीय पादपों के उपयोग का अध्ययन करना।
- जनजातीय लोगों के घर तक चिकित्सा सहायता प्रदान करना।
- स्वास्थ्यकर आदतों, आहार संबंधी अभ्यास सहित पथ्यापथ्य की आयुर्वेदीय संकल्पना के बारे में ज्ञान का प्रचार करना।
- रहन-सहन का स्वस्थ उपाय एवं स्वच्छ पर्यावरण (स्वच्छता) अपनाते हुए रोगों का निवारण करना।
- क्षेत्र में प्रचलित स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं/लोक चिकित्साओं/पारंपरिक अभ्यासों का संग्रहण करना।

(ग) और (घ) वर्ष 2017-18 के लिए निर्धारित लक्ष्य और अब तक की उपलब्धियों का विवरण निम्नानुसार है:-

लक्ष्य (2017-18)	उपलब्धियां
जनसांख्यिकीय अध्ययनों के लिए कवर की जाने वाली जनसंख्या-100000	100316 जनसंख्या कवर की गई।
स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं (एलएचटी)/लोक दावों का प्रलेखन - 150	159 एलएचटी/लोक दावे प्रलेखित किए गए।

कुपोषण उपचार केंद्र

4720. श्रीमती पी. के. श्रीमथि टीचर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कुपोषण उपचार केंद्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो केरल के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश में कार्यरत ऐसे केंद्रों का राज्य-वार/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या केरल के जनजातीय क्षेत्रों सहित देश से कुपोषण और भूख के उन्मूलन के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) सरकार ने पूरे देश में "पोषण पुनर्वास केंद्र (एन.आर.सी.)" नामक कुपोषण उपचार केंद्र स्थापित किया है जो चिकित्सा जटिलता वाले एस.ए.एम. बच्चों के उपचार के लिए सुविधा आधारित संरचनाएं हैं।

(ख) देश में स्थापित किए गए एन.आर.सी. की कुल संख्या 1151 है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है। केरल राज्य में पलक्काड जिले के अट्टापडी ब्लॉक के आदिवासी क्षेत्रों में तीन एन.आर.सी. (एक 12 बिस्तरों के साथ, एक 8 बिस्तरों के साथ और एक 6 बिस्तरों के साथ) काम कर रहे हैं।

(ग) हाल ही में 2017-18 से शुरू करते हुए अगले तीन वर्षों के दौरान समयबद्ध ढंग से केरल के आदिवासी क्षेत्रों सहित देश में बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के पोषण के संकेतकों में सुधार के लिए सरकार द्वारा पोषण मिशन शुरू किया गया है। इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य इस प्रकार हैं:

i. बच्चों (0-6 वर्ष) में ठिगनेपन को रोकना और प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कटौती करना।

ii. बच्चों (0-6 वर्ष) में अल्पवजन के प्रचलन को रोकना और प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की कटौती करना।

iii. छोटे बच्चों (6-59 माह) में रक्ताल्पता के प्रचलन को रोकना और प्रतिवर्ष 3 प्रतिशत की कटौती करना।

iv. किशोरियों एवं महिलाओं (15-49 वर्ष) में रक्ताल्पता में 3 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती करना।

v. जन्म के समय कम वजन वाले शिशुओं में 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष की कटौती करना।

इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 मानव जीवन चक्र के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का सुनिश्चय करता है।

विवरण

एन.आर.सी. की राज्य-वार स्थिति : 2016-17

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित एनआरसी
1.	बिहार	38
2.	छत्तीसगढ़	74
3.	हिमाचल प्रदेश	5
4.	जम्मू और कश्मीर	4
5.	झारखंड	87
6.	मध्य प्रदेश	315
7.	ओडिशा	54
8.	राजस्थान	147
9.	उत्तर प्रदेश	74
10.	उत्तराखंड	2
11.	अरुणाचल प्रदेश	1
12.	असम	19
13.	मणिपुर	-
14.	मेघालय	5
15.	त्रिपुरा	-
16.	आंध्र प्रदेश	18
17.	तेलंगाना	12
18.	गुजरात	139
19.	हरियाणा	11
20.	कर्नाटक	32
21.	केरल	26
22.	महाराष्ट्र	35

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्थापित एनआरसी
23.	तमिलनाडु	2
24.	पश्चिम बंगाल	41
25.	चंडीगढ़	1
26.	दादरा और नगर हवेली	1
27.	दिल्ली	8
	भारत	1,151

[हिंदी]

खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में कर्मचारियों की कमी

4721. **श्री हरिनरायन राजभर:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्मचारियों की कमी तथा अपर्याप्त अवसंरचना के कारण उत्तर प्रदेश सहित देश में स्थित खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में बाजार में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के परीक्षण में समस्या आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उत्तर प्रदेश सहित देशभर में खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में स्वीकृत तथा वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कितनी है तथा रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में कितनी प्रयोगशालाएं कार्यशील हैं और इन प्रयोगशालाओं के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ख) वर्तमान में 213 प्राथमिक खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं, दोनों राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाएं और निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें से 161 राष्ट्रीय परीक्षण और केलिब्रेशन प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा 18 अपीलीय खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं जो एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इस प्रकार देश में कुल मिलाकर पर्याप्त गुणवत्तापूर्ण परीक्षण अवसंरचना उपलब्ध हैं, फिर भी कुछ राज्य/सार्वजनिक प्रयोगशालाओं के संबंध में वर्ष 2013-14 के दौरान भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा संचालित आधारभूत सर्वेक्षण में पाया गया कि खाद्य परीक्षण के लिए परीक्षण अवसंरचना और प्रशिक्षित विज्ञान संबंधी तथा तकनीकी जनशक्ति की उपलब्धता के रूप में इन दोनों प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने की जरूरत थी।

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के अंतर्गत 62 राज्य/ सार्वजनिक क्षेत्र की खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं। चूंकि इनका वित्त पोषण और अनुरक्षण राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा किया जाता है, इसलिए द्वारा स्वीकृत तथा वर्तमान कर्मचारियों की संख्या और ऐसे राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र की प्रयोगशालाओं में रिक्तियों को भरने के लिए संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा उठाए जा रहे कदमों के बारे में जानकारी का रख-रखाव एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा नहीं किया जाता है।

(घ) वर्तमान में देश में 10 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं सहित एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त 161 खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं, जिन्हें खाद्य उत्पादों के प्रारंभिक परीक्षण के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, देश में अपीलीय प्रयोजन के लिए 18 रेफरल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं हैं। एफ.एस.एस. अधिनियम, 2006 की धारा 98 में उल्लिखित अस्थाई प्रावधानों के तहत खाद्य पदार्थ प्रयोगशालाओं को पूर्ववर्ती खाद्य मिश्रण रिजाईम निवारण से राज्य सरकारों के अंतर्गत एफ.एस.एस.ए.आई. के कार्य क्षेत्र में लाया गया। इन 62 कार्यरत राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं में से 10 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं एन.ए.बी.एल. द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित किया गया है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) द्वारा मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के प्रावधान सहित देश में खाद्य परीक्षण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना चलाई गई है जिसमें वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक 481.95 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है। इस योजना में अन्य बातों के साथ-साथ राज्य सरकारों की तैयारी के आधार पर 45 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन की संकल्पना की गई है। अभी तक 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल 23 राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को उन्नयन के लिए शामिल किया गया है तथा 70.85 करोड़ रु. का अनुदान मंजूर/जारी किया गया है।

[अनुवाद]

टीके के रूप में लिया जाने वाला गर्भनिरोधक

4722. **श्री प्रह्लाद जोशी**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के लिये टीके के रूप में लिये जा सकने वाले गर्भनिरोधक के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उस कार्यक्रम का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है जो आरंभ किया जा रहा है; और

(ग) यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं कि इन टीकों को सुरक्षित ढंग से लगाया जाये?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, हां।

(ख) 'अंतरा कार्यक्रम' के अन्तर्गत टीके के रूप में दिए जाने वाले गर्भनिरोधक 'मिथाईल प्रोजेस्ट्रोन (एम.पी.ए.)' को शुरू किया गया है। इसका विवरण संलग्न है।

(ग) सरकार ने ऐसे विस्तृत तकनीकी दिशा-निर्देश विकसित किए हैं जिनका व्यापक स्तर पर प्रसार किया गया है।

सभी राज्यों से मास्टर प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर प्रशिक्षित किया जा रहा है। राज्यों ने भी जिला स्तर पर प्रशिक्षणों का आयोजन किया है जिसमें गुणवत्ता संबंधी मानकों पर पर्याप्त ध्यान देने के साथ-साथ तकनीकी सूचना तथा सुरक्षा संबंधी सावधानी सम्मिलित है।

विवरण

अंतरा कार्यक्रम का कार्यान्वयन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के नाम	प्रशिक्षण	वस्तु	कार्यान्वयन
		हां/नहीं	हां/नहीं	हां/नहीं
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	हां	हां	हां
2.	आंध्र प्रदेश	हां	हां	हां
3.	अरुणाचल प्रदेश	हां	हां	हां
4.	असम	हां	हां	हां
5.	बिहार	हां	हां	हां
6.	चंडीगढ़	हां	हां	हां
7.	छत्तीसगढ़	हां	हां	हां
8.	दादरा और नगर हवेली	हां	हां	हां
9.	दमन और दीव	हां	हां	हां
10.	दिल्ली	हां	हां	हां
11.	गोवा	हां	हां	हां
12.	गुजरात	हां	हां	हां
13.	हरियाणा	हां	हां	हां
14.	हिमाचल प्रदेश	हां	हां	हां
15.	जम्मू और कश्मीर	हां	हां	हां
16.	झारखंड	हां	हां	हां
17.	कर्नाटक	हां	हां	हां
18.	केरल	हां	हां	हां
19.	लक्षद्वीप	हां	हां	हां
20.	मध्य प्रदेश	हां	हां	हां
21.	महाराष्ट्र	हां	हां	हां
22.	मणिपुर	हां	हां	हां
23.	मेघालय	हां	हां	हां
24.	मिजोरम	हां	हां	हां
25.	नागालैंड	हां	हां	हां
26.	ओडिशा	हां	हां	हां
27.	पुदुचेरी	हां	हां	हां
28.	पंजाब	हां	हां	हां
29.	राजस्थान	हां	हां	हां

1	2	3	4	5
30.	सिक्किम	हां	हां	हां
31.	तमिलनाडु	हां	हां	हां
32.	तेलंगाना	हां	हां	हां
33.	त्रिपुरा	हां	हां	हां
34.	उत्तर प्रदेश	हां	हां	हां
35.	उत्तराखंड	हां	हां	हां
36.	पश्चिम बंगाल	हां	हां	हां

आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत काले धन के संबंध में एस.आई.टी.

4723. **श्री रवीन्द्र कुमार जेना:**

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्रीय सूचना आयोग ने अक्तूबर, 2017 में एक निर्णय दिया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आर.टी.आई. ऐक्ट) के अंतर्गत सरकार द्वारा काले धन के संबंध में गठित विशेष जांच (एस.आई.टी.) एक लोक प्राधिकारी है;

(ख) यदि हां, तो आर.टी.आई. अधिनियम के अंतर्गत एस.आई.टी. के द्वारा जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों की नियुक्ति हेतु की गई कार्यवाही की स्थिति क्या है;

(ग) क्या एस.आई.टी. ने आर.टी.आई. अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत जिन सूचनाओं का स्वत: प्रकटन किए जाने की आवश्यकता है, उनका संकलन किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सूचना किसी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती है; और

(ङ) यदि नहीं, तो स्वत: प्रकटन की सांविधिक आवश्यकता का अनुपालन नहीं किए जाने के क्या कारण है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ङ) जी, हां। केंद्रीय सूचना आयोग ने दिनांक 10.10.2017 के अपने आदेश द्वारा विशेष जांच दल (एस.आई.टी.) के लिए एक केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सी.पी.आई.ओ.) की नियुक्ति करने का निदेश दिया है। केंद्रीय सूचना आयोग (सी.आई.सी.) के आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केंद्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा, यह भी बताया जाता है कि रिट याचिका (सिविल) संख्या 2009 की 176 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2014 की अधिसूचना के माध्यम से पारित दिनांक 04.07.2011 के आदेश के अनुसरण में विशेष जांच दल का गठन किया गया है। उक्त अधिसूचना में विशेष जांच दल के विचारार्थ विषय निहित हैं और यह सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है।

लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण

4724. **श्री पी.आर. सुन्दरम:**

श्री सी. गोपालकृष्णन:

श्री नलीन कुमार कटील:

श्री डी.के. सुरेश:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में तेंदुआ सहित लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण की बढ़ती समस्याओं पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो देश में तेंदुओं की कुल अनुमानित संख्या सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय वन्यजीव संरक्षण सोसायटी द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार देश में वर्ष 2018 में अनेक तेंदुओं की मौत हुई थी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने तेंदुआ सहित सभी वन्य जीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) देश में लुप्तप्राय प्रजातियों का संरक्षण करना अवश्य ही कतिपय चुनौतियों से भरा होता है। इन चुनौतियों का सामना करने के विचार से, सरकार ने वन्यजीवों और उनके पर्यावासों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु अभयारण्यों, राष्ट्रीय उद्यानों, संरक्षण रिजर्व, समुदाय रिजर्व और बाघ रिजर्व के सृजन सहित अनेक उपाय किए हैं। वन्यजीवों और उनके पर्यावासों का प्रबंधन करना, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का अधिदेश होता है।

संबंधित राज्यों द्वारा बाघ और हाथी को छोड़कर, तेंदुओं सहित वन्य पशुओं की गणना, राज्य-स्तर पर की जाती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तेंदुए की संख्या से संबंधित सूचना इस मंत्रालय में समेकित नहीं की जाती है।

(ग) तेंदुओं सहित वन्य पशुओं की मौत के मामले, इस मंत्रालय के संज्ञान में आए हैं। वन्यजीवों का प्रबंधन और संरक्षण करना, प्राथमिक तौर पर संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का उत्तरदायित्व होता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में तेंदुओं सहित वन्य पशुओं की मौत से संबंधित सूचना इस मंत्रालय में समेकित नहीं की जाती है।

तेंदुओं सहित पशुओं की मौत के लिए बीमारियों, आपसी-लड़ाई, प्राकृतिक मौत, अवैध-शिकार आदि जैसे विभिन्न कारकों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।

(घ) और (ङ) तेंदुओं सहित वन्य पशुओं के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इस अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

ii. राज्यों में कानून प्रवर्तन प्राधिकरण, वन्य पशुओं के अवैध शिकार को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखते हैं।

iii. वन्य पशुओं के अवैध व्यापार और पशुओं से बने उत्पादों के गैर कानूनी व्यापार के बारे में आसूचना एकत्रित करने और वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन के संबंध में अंतर-राज्य और सीमा-पारीय समन्वयन सुनिश्चित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्र संरचना को सुदृढ़ करने और गश्त को बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

v. वन्य पशुओं और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात् राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और समुदाय रिजर्व सृजित किए गए हैं।

vi. तेंदुओं सहित वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावास में सुधार करने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

जन धन योजना

4725. **श्री जॉर्ज बेकर:**

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:

श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

श्री राजन विचारे:

श्री अनिल शिरोले:

श्री अर्जुनलाल मीणा:

डॉ. बूरा नरसैय्या गौड:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रधान मंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) देश भर में योजना शुरू होने से लेकर अब तक इसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने खाते खोला जाना लक्षित किया गया और कितने खाते खोले गए;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत 'आधार' के साथ बैंक को जोड़ने के बाद किसी एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक खाते खोलने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बैंकों द्वारा पी.एम.जे.डी.वाई. के अंतर्गत खोले गए लगभग 8 लाख ऐसे एक से अधिक खातों को बंद करने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या विभिन्न कल्याण योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों को निधि के अंतरण हेतु पी.एम.जे.डी.वाई. खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना वाले खातों की तरह और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण वाले खातों को जन धन खातों की तरह उपयोग किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) प्रधानमंत्री जन-धन योजना (पी.एम.जे.डी.वाई.) के बुनियादी स्तम्भ हैं:

(i) उचित दूरी के भीतर शाखाओं अथवा व्यवसाय प्रतिनिधियों के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच बनाना; (ii) ओवरड्राफ्ट सुविधा सहित मूलभूत बैंकिंग खाते और इनबिल्ट व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के साथ रूपे डेबिट कार्ड; (iii) वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम; (iv) ओवरड्राफ्ट खातों में चूक को कवर करने के लिए क्रेडिट गारंटी निधि बनाना; (v) जीवन और व्यक्तिगत दुर्घटना जोखिम हेतु सभी इच्छुक और पात्र व्यक्तियों के लिए सूक्ष्म बीमा और (vi) वृद्धावस्था में गारंटीशुदा पेंशन सुनिश्चित करने के लिए सभी इच्छुक और पात्र व्यक्तियों हेतु गैर-संस्थागत क्षेत्र पेंशन योजनाएं।

पी.एम.जे.डी.वाई. की वर्तमान स्थिति निम्न प्रकार है:-

(i) सभी ग्रामीण और अर्द्धशहरी क्षेत्र 1,000 से 1,500 परिवारों के 1.59 लाख उप-सेवा क्षेत्र (एस.एस.ए.) में बांटे गए हैं, जिसमें से 0.33 लाख एस.एस.ए. बैंक शाखा द्वारा कवर किए गए हैं और 1.26 लाख एस.एस.ए. अंतर-परिचालनीय बैंक मित्रों द्वारा कवर किए गए हैं।

(ii) दिनांक 14.03.2018 की स्थिति के अनुसार, 31.34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं, 23.62 करोड़ रूपे कार्ड जारी किए गए हैं, 70.15 लाख खाताधारकों के लिए ओवरड्राफ्ट स्वीकृत किए गए हैं और 2589 जन-धन रुपे कार्डधारकों हेतु दुर्घटना बीमा दावों का भुगतान किया गया है।

(iii) भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्तीय साक्षरता केंद्रों (एफ.एल.सी.) द्वारा वर्ष 2017-18 की दूसरी तिमाही के दौरान 12,282 विशेष कैम्प और 17,464 लक्ष्य विशेष कैम्प और ग्रामीण बैंक शाखाओं द्वारा 58,489 कैम्प आयोजित किए गए हैं।

(iv) सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्त एजेंसी लिमिटेड (मुद्रा) ओवरड्राफ्ट सहित सूक्ष्म क्रेडिट हेतु क्रेडिट गारंटी उपलब्ध कराती है।

(v) दिनांक 13.03.2018 को, दुर्घटना बीमा को कवर करते हुए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) हेतु 13.46 करोड़ नामांकन किए गए और जीवन बीमा को कवर करते हुए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) हेतु 5.32 करोड़ नामांकन किए गए हैं।

(vi) अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 92.04 लाख नामांकन किए गए हैं।

(ख) पी.एम.जे.डी.वाई. का प्रारंभिक अनुमानित लक्ष्य कवर न किए गए 6 करोड़ ग्रामीण परिवारों को और कवर न किए गए 1.5 करोड़ शहरी परिवारों को कम से कम एक जन-धन खाते के साथ कवर करना था। तदनन्तर, देश में कवर न की गई समस्त वयस्क जनसंख्या को कवर करने का लक्ष्य रखा जा रहा है। दिनांक 14.03.2018 की स्थिति के अनुसार, ग्रामीण/अर्द्धशहरी क्षेत्रों में 18.45 करोड़ और शहरी/मैट्रो क्षेत्रों में 12.89 करोड़ सहित कुल 31.34 करोड़ जन-धन खाते खोले गए हैं। इनमें से 23.27 करोड़ जन-धन खातों को आधार के साथ जोड़ा जा चुका है। आधार से जोड़े गए जन-धन खातों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति अनुबंध में है।

(ग) और (घ) आर.बी.आई. के दिनांक 10.08.2012 के दिशानिर्देशानुसार जन-धन खातों सहित किसी भी मूल बचत बैंक जमा (बी.एस.बी.डी.) खाताधारक को उसी बैंक में कोई भी अन्य बचत खाता रखने की अनुमति नहीं है और बैंक में वर्तमान बचत बैंक जमा खाता, यदि कोई हो तो, को बी.एस.बी.डी. खाता खोलने के 30 दिन के भीतर बंद कराना होगा। बैंकों का आर.बी.आई. दिशानिर्देशों का अनुपालन करना इनकी अपनी कोर बैंकिंग सॉल्यूशन (सी.एस.बी.) प्रणाली में उपलब्ध सूचना के आधार पर होता है। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

(ङ) पी.एम.जे.डी.वाई. दिशानिर्देश में सरकार से लाभार्थियों के जन-धन खाते तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी.बी.टी.) की अवधारणा है। डी.बी.टी. को लाभार्थियों के जन-धन खाते के अलावा अन्य खातों में भी प्रेषित किया जा सकता है।

विवरण

दिनांक 14.03.2018 की स्थिति के अनुसार आधार से जोड़े गए जन-धन खातों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य का नाम	कुल खाते	जोड़े गए आधार कार्ड
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	53791	43785
2.	आंध्र प्रदेश	9030704	8335741

1	2	3	4
3.	अरुणाचल प्रदेश	251809	103564
4.	असम	12737299	251860
5.	बिहार	33732899	23893425
6.	चंडीगढ़	246782	203556
7.	छत्तीसगढ़	13027850	10048193
8.	दादरा और नगर हवेली	92495	76629
9.	दमन और दीव	41908	36814
10.	दिल्ली	4035392	3411968
11.	गोवा	146617	112510
12.	गुजरात	11912407	9230112
13.	हरियाणा	6483937	5559500
14.	हिमाचल प्रदेश	987964	864262
15.	जम्मू और कश्मीर	1947778	888513
16.	झारखंड	11168808	10024755
17.	कर्नाटक	11690121	9221774
18.	केरल	3560904	2806365
19.	लक्षद्वीप	5205	4469
20.	मध्य प्रदेश	27239425	21284515
21.	महाराष्ट्र	22105494	18724235
22.	मणिपुर	791278	512642
23.	मेघालय	416131	14768
24.	मिजोरम	267223	177764
25.	नागालैंड	218052	127688
26.	ओडिशा	12387562	8885741
27.	पुदुचेरी	145080	114364
28.	पंजाब	6076120	5139762
29.	राजस्थान	24265986	18455838
30.	सिक्किम	89066	75480
31.	तमिलनाडु	8927150	6525757
32.	तेलंगाना	8979292	7769765
33.	त्रिपुरा	827026	751549
34.	उत्तर प्रदेश	47412151	34706795
35.	उत्तराखंड	2193899	1576663
36.	पश्चिम बंगाल	29952184	22794048
	कुल	313447789	232755169

खुदरा और बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि

4726. श्री आर. पी. मरुदराजा: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की खुदरा और बड़ी जमा राशियों पर ब्याज दरों में वृद्धि की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ब्याज दर में वृद्धि बड़ी जमाराशियों पर प्वाइंट बेसिस पर आधारित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) ने खुदरा और बड़ी जमाराशियों पर किसी ब्याज दर की घोषणा की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) ने सूचित किया है कि जमाओं पर ब्याज दरों को नियंत्रणमुक्त कर दिया गया है और 3 मार्च, 2016 के डी.बी.आर., डी.आई.आर. सं. 84/13.03.00/2015-16 के माध्यम से जारी "आर.बी.आई. (जमाओं पर ब्याज दर) निर्देश, 2016" नामक आर.बी.आई. के मुख्य निर्देश में शामिल अनुदेशों के अधीन बैंक अपने संबंधित बोर्डों के अनुमोदन से जमाओं पर ब्याज दरों को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र है।

(ग) और (घ) जी, हां। भारतीय स्टेट बैंक ने 28 फरवरी, 2018 से खुदरा सावधि जमा राशियों (1 करोड़ रुपये से कम वाली जमा राशियों) और बड़ी सावधि जमा राशियों (1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये तक की जमा राशियों और 10 करोड़ रुपये और इससे अधिक

वाली जमा राशियों) पर ब्याज दरों को बढ़ा दिया है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

भारतीय स्टेट बैंक की खुदरा सावधि जमा राशि पर ब्याज दरें (1 करोड़ रुपये से कम वाली जमा राशियों)

(आंकड़े % में)

अवधि	जनता के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार जनता के लिए संशोधित दरें	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए संशोधित दरें
7 दिन से 45 दिन तक	5.25	5.75	5.75	6.25
46 दिन से 179 दिन तक	6.25	6.25	6.75	6.75
180 दिन से 210 दिन तक	6.25	6.35	6.75	6.85
211 दिन 1 वर्ष से कम	6.25	6.40	6.75	6.90
1 वर्ष	6.25	6.40	6.75	6.90
1 वर्ष से अधिक 455 दिन तक	6.25	6.40	6.75	6.90
456 दिन 2 वर्ष से कम	6.25	6.40	6.75	6.90
2 वर्ष 3 वर्ष से कम	6.00	6.50	6.50	7.00
3 वर्ष 5 वर्ष से कम	6.00	6.50	6.50	7.00
5 वर्ष और 10 वर्ष तक	6.00	6.50	6.50	7.00

भारतीय स्टेट बैंक की बड़ी सावधि जमा राशि पर ब्याज दरें (1 करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये वाली जमा राशि)

अवधि	जनता के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार जनता के लिए संशोधित दरें	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए संशोधित दरें
1	2	3	4	5
7 दिन से 45 दिन तक	5.25	5.75	5.75	6.25
46 दिन से 179 दिन तक	6.25	6.70	6.75	7.20
180 दिन से 210 दिन तक	6.25	6.70	6.75	7.20
211 दिन < 1 वर्ष	6.25	6.75	6.75	7.25
1 वर्ष से < 455 दिन तक	6.25	6.75	6.75	7.25
456 दिन से < 2 वर्ष	6.25	6.75	6.75	7.25

1	2	3	4	5
2 वर्ष से < 3 वर्ष	6.00	6.75	6.50	7.25
3 वर्ष < 5 वर्ष	6.00	6.65	6.50	7.15
5 वर्ष और 10 वर्ष तक	6.00	6.25	6.50	6.75

भारतीय स्टेट बैंक की बड़ी सावधि जमा राशियों पर ब्याज दरें (10 करोड़ रुपये से अधिक वाली जमा राशि)

अवधि	जनता के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार जनता के लिए संशोधित दरें	वरिष्ठ नागरिकों के लिए पिछली दरें	दिनांक 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए संशोधित दरें
7 दिन से 45 दिन तक	5.25	5.75	5.75	6.25
46 दिन से 179 दिन तक	6.25	6.70	6.75	7.20
180 दिन से 210 दिन तक	6.25	6.70	6.75	7.20
211 दिन < 1 वर्ष	6.25	6.75	6.75	7.25
1 वर्ष से < 455 दिन तक	6.25	6.75	6.75	7.25
456 दिन से < 2 वर्ष	6.25	6.75	6.75	7.25
2 वर्ष से < 3 वर्ष	6.00	6.75	6.50	7.25
3 वर्ष < 5 वर्ष	6.00	6.65	6.50	7.15
5 वर्ष और 10 वर्ष तक	6.00	6.25	6.50	6.75

स्रोत: एस.बी.आई.

पंद्रहवां वित्त आयोग

4727. **श्री तेज प्रताप सिंह यादव:**

श्री बी. श्रीरामुलु:

श्रीमती अंजू बाला:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंद्रहवें वित्त आयोग (15वां एफ.सी.) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो विचारार्थ विषय, संरचना, रिपोर्ट प्रस्तुत करने और प्रायोजित बैठकों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने चौदहवें वित्त आयोग की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कार्यान्वित नहीं की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या 15वें वित्त आयोग को जी.एस.टी. व्यवस्था में राजस्व हिस्सेदारी, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के वित्त पोषण हेतु मानदंड, अंतर-सरकारी अंतरणों आदि जैसी अनेक चुनौतियों से निपटना है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क), (ख), (ङ) और (च) सरकार ने श्री एन.के. सिंह की अध्यक्षता में पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन किया है। राजस्व में हिस्सेदारी, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख आदि सहित इसकी संरचना, विचारार्थ विषय को

27 नवंबर, 2017 के भारत के राजपत्र, असाधारण खंड-II भाग-3, उप-खंड (ii) का.आ. 3755 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया है। आयोग की, अब तक दस आंतरिक बैठकें आयोजित की गई हैं।

(ग) और (घ) चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट, आयोग की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ 24 फरवरी, 2015 को संसद में रखी गई थी। केंद्रीय करों और शुल्कों में हिस्सेदारी एवं सहायता अनुदान से संबंधित भारत के संविधान के अनुच्छेद 270 और 275 (1) के तहत 14वें वित्त आयोग की सभी सिफारिशों का क्रियान्वयन वित्त वर्ष 2015-16 से किया गया था।

कॉरपोरेट सेक्टर का विकास

4728. **श्री निशिकान्त दुबे:**

श्री राजेश पाण्डेय:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर द्वारा किए गए विकास का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार कॉरपोरेट सेक्टर में व्यापार करने में सुगमता हासिल करने में सफल रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा विगत तीन वर्षों में देश में किए गए रोजगार सृजन का ब्यौरा क्या है; और

(घ) देश में कॉरपोरेट सेक्टर के विकास हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के लिए सक्रिय कंपनियों की संख्या के संबंध में भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र में वृद्धि नीचे दी गई है:

दिनांक 31 मार्च के अनुसार	संख्या
2015	10,22,011
2016	10,88,780
2017	11,69,303

(ख) जी, हां। विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट (डी.बी.आर.) में डिस्टेंस टू फ्रंटियर के आधार पर देशों को रैंक दिया जाता है जो कि 10 विनिर्दिष्ट सूचकांकों के आधार पर भारत और वैश्विक सर्वोत्तम व्यवहारों के बीच के अंतर को नापने के लिए एक विशुद्ध स्कोर है। भारत का विशुद्ध स्कोर डी.बी.आर. 2016 के 53.93 से बढ़कर डी.बी.आर. 2017 में 55.27 और बाद में डी.बी.आर. 2018 में 60.76 हो गया, इस तरह वर्ष 2016 की 142वीं रैंक से बढ़कर वर्ष 2018 में 100वीं रैंक हो गई। यह पहली बार हुआ है कि भारत ने लगातार तीन वर्ष तक अपने विशुद्ध स्कोर में सुधार किया है। इसके अतिरिक्त, भारत का डिस्टेंस टू फ्रंटियर (डी.टी.एफ.) स्कोर वर्ष 2017 की तुलना में वर्ष 2018 में सभी 10 सूचकांकों में बढ़ा है जो यह दर्शाता है कि भारत सर्वोत्तम व्यवहारों की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

(ग) भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र के कारण रोजगार पर पड़े प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(घ) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने कॉरपोरेट क्षेत्र में उन्नति को बढ़ावा देने और देश में व्यापार करने में आसानी के लिए कई उपाय किए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) "नाम उपलब्धता" और "निगमन" ई-प्ररूप की प्रक्रिया को तीव्र, समयबद्ध और पारदर्शी ढंग से करने के लिए केन्द्रीय पंजीकरण केन्द्र (सी.आर.सी.) की स्थापना करना, (ii) एक ई-प्ररूप में पांच सेवाएं अर्थात् नाम उपलब्धता, डी.आई.एन. का आबंटन, किसी कंपनी का निगमन और कंपनी को स्थायी खाता संख्या (पैन) और कर कटौती तथा संग्रहण खाता संख्या (पैन) आबंटित करने के लिए कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगमित करने के लिए एक नया समेकित निगमन सरलीकृत प्रोफार्मा (स्पाइस), ई-प्ररूप की शुरुआत करना, (iii) कंपनी का नाम आरक्षित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए दिनांक 26.01.2018 को रिजर्व यूनिक नेम (आर.यू.एन.) नामक एक नई वेब-सेवा सुविधा प्रारंभ करना, (iv) 10 लाख रुपये के समान या कम की प्राधिकृत पूंजी वाली कंपनियों और अधिकतम 20 सदस्यों के साथ गारंटी द्वारा सीमित कंपनियों के निगमन में स्पाइस, ई-एम.ओ.ए. (संगम ज्ञापन) और ई-ए.ओ.ए. (संगम अनुच्छेद) दायर करने हेतु शुल्क के भुगतान की अपेक्षा न होना, (v) कंपनियों के लिए सांझी मुहर को वैकल्पिक बनाना, (vi) न्यूनतम समादत्त पूंजी और व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाणपत्र प्राप्त करने की अपेक्षा समाप्त करना, और (vii) 1 करोड़ रुपये तक की कुल आस्तियों वाली स्टार्ट-अप, लघु और असूचीबद्ध कंपनियों को फास्ट ट्रैक कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के लिए आवेदन करने हेतु कॉरपोरेट ऋणियों के रूप में अधिसूचित करना शामिल है।

[हिंदी]

फसल-ऋण का पुनर्गठन

4729. **श्री कपिल मोरेश्वर पाटील**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों/सहकारी बैंकों/नाबार्ड ने किसानों को दिये जाने वाले फसल ऋण के पुनर्गठन करने हेतु कोई नीति/दिशा-निर्देश बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो बैंक और राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत तीन वर्षों के दौरान इन ऋणों पर लागू की गई ब्याज दरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अल्पावधि फसल ऋणों पर सरकार द्वारा राजसहायता दी जाती है/दिये जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जरूरतमंद किसानों को समयबद्ध तरीके से फसल ऋण प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) किसानों को 7 प्रतिशत प्रति वर्ष की कम ब्याज दर पर कृषि ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग (डी.ए.सी. एंड एफ.डब्ल्यू.), भारत सरकार द्वारा 3.00 लाख तक के अल्पावधि फसल ऋण के लिए एक ब्याज सहायता योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना में बैंकों को अपने संसाधनों का उपयोग करने पर 2 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा, ऋण का तत्परता से पुनर्भुगतान करने पर किसानों को 3 प्रतिशत का प्रोत्साहन दिया जाता है इससे ब्याज की प्रभावी दर कम होकर 4 प्रतिशत हो जाती है।

इसके अतिरिक्त, प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित उधारदात्री संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले राहत उपायों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने निदेश जारी किए हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, मौजूदा फसल ऋण तथा सावधि ऋण को पुनर्संरचित/पुनर्निर्धारित करने, नया ऋण प्रदान करने, प्रतिभूति तथा मार्जिन के संबंध में लचीला मानदंड, अधिस्थगन, आदि शामिल हैं। इन निदेशों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि संबंधित जिला प्राधिकारियों द्वारा आपदा की घोषणा किए जाते ही ये बिना किसी हस्तक्षेप के स्वत: लागू हो जाते हैं। इस प्रकार, बहुमूल्य समय की बचत होती है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संरचना के अनुरूप बैंकों द्वारा राहत उपायों को आरंभ करने संबंधी बेंचमार्क को कम करके 33 प्रतिशत फसल हानि कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में बैंकों द्वारा राहत उपायों के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

उपर्युक्त ब्याज सहायता योजना के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत देने हेतु प्रथम वर्ष में बैंकों के लिए पुनर्संरचित ऋण राशि पर 2 प्रतिशत की ब्याज सहायता उपलब्ध है। ऐसे पुनर्संरचित ऋण पर दूसरे वर्ष के आगे आर.बी.आई. द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार सामान्य ब्याज दर लगेगी।

(घ) किसानों को झंझट रहित फसल ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा निम्नलिखित मुख्य पहलें की गई हैं:-

- आर.बी.आई. के निदेशों के अनुसार, घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को कृषि क्षेत्र के लिए समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सी.ई.ओ.बी.ई.) जो भी अधिक हो, को 18 प्रतिशत प्रदान करना आवश्यक है।
- सरकार प्रत्येक वर्ष बैंकिंग क्षेत्र के लिए कृषि ऋण आबंटन लक्ष्य निर्धारित करती है और बैंकों ने लगातार इन लक्ष्यों को पार किया है।
- सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) योजना की शुरुआत की गई है, जो किसानों की फसलों की उगाई, फसलोत्तर व्यय, उत्पाद विपणन ऋण, किसानों के परिवारों की उपभोग आवश्यकताएं, कृषि से संबंधित गतिविधियों तथा फार्म आस्तियों के अनुरक्षण हेतु कार्यशील पूंजी तथा कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए निवेश ऋण आवश्यकताओं के लिए अल्पावधि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ बनाती है। के.सी.सी. योजना के अनुसार, के.सी.सी. सीमा के अल्पावधिक घटक का ऋण संवितरण नकद ऋण की परिक्रामी सुविधा स्वरूप का है, जिसमें क्रेडिट तथा डेबिट की संख्या की कोई पाबंदी नहीं है। के.सी.सी. योजना को इसके एकबारगी प्रलेखीकरण सीमा में अंतर्निहित लागत वृद्धि, सीमा के अंतर्गत

अनगिनत आहरण, आदि सुविधाओं के साथ-साथ ए.टी.एम. समर्थित रूपे-डेबिट कार्ड से परिवर्तित किया गया है।

- आर.बी.आई. ने 10,00,000/- रुपये तक के कृषि ऋण की मार्जिन/प्रतिभूति आवश्यकताओं को माफ करने के लिए कहा है। छोटे और सीमांत किसानों, बंटाईदारों और इसी प्रकार लोगों को 50,000 रुपये तक के छोटे ऋण के लिए 'अदेव प्रमाणपत्र' की आवश्यकता में भी छूट दी गई है और इसके लिए केवल उधारकर्ता से स्व-घोषणा अपेक्षित है।

[अनुवाद]

दवाओं एवं अन्य उपभोग की वस्तुओं की ज्यादा कीमत वसूल किया जाना

4730. **श्री सी.एन. जयदेवन:**

श्री राहुल शेवाले:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने पाया है कि दिल्ली में चार निजी अस्पताल मरीजों से दवा एवं अन्य उपभोग की वस्तुओं की ज्यादा कीमत वसूल रहे थे जिन्हें मरीज अस्पताल के अंदर स्थित फार्मेसियों से खरीदने को विवश होते हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त रिपोर्ट के आधार पर उक्त अस्पतालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) जी, हां। कुछ अस्पतालों द्वारा रोगियों को निर्धारित मूल्य से अधिक तथा बढ़े हुए बिल संबंधी शिकायतों तथा मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल मूल्य-निर्धारण प्राधिकरण (एन.पी.पी.ए.) ने औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डी.पी.सी.ओ., 2013) के प्रावधानों के तहत इन अस्पतालों से बिलिंग का ब्यौरा देने के लिए कहा था। अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत डाटा के आधार पर, एन.पी.पी.ए. ने पाया कि रोगियों के उपचार में प्रयुक्त कुछेक सूचीबद्ध दवाओं, गैर-सूचीबद्ध दवाओं, उपभोज्यों तथा उपकरणों के रोगियों से बिल द्वारा औषधियों हेतु ली जाने वाली धनराशियों तथा औषधियों के प्रापण मूल्यों के बीच काफी अंतर है। डी.पी.सी.ओ., 2013 के प्रावधानों के अनुसार, सूचीबद्ध प्रतिपादनों का अधिकतम मूल्य तथा नई दवाओं का रिटेल मूल्य निकालते समय, रिटेलर के लिए सोलह प्रतिशत की अतिरिक्त धनराशि रखी जाती है एन.पी.पी.ए. की रिपोर्ट के अनुसार, सूचीबद्ध दवाओं, गैर-सूचीबद्ध दवाओं, उपभोज्यों तथा गैर-सूचीबद्ध चिकित्सा उपकरणों के संबंध में इन अस्पतालों के लिए उपलब्ध अधिकतम धनराशि (अस्पतालों द्वारा प्रतिपादनों हेतु बिल की धनराशि तथा उनके प्रापण मूल्य के बीच प्रतिशतता में व्याप्त अंतर) क्रमश: 357 प्रतिशत, 1192 प्रतिशत, 1737 प्रतिशत तथा 1271 प्रतिशत है।

इन अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर तैयार अध्ययन रिपोर्ट एन.पी.पी.ए. की वेबसाइट के "बाह्ट इज न्यू" लिंक (*www.nppaindia.nic.in*) में उपलब्ध है।

चूंकि स्वास्थ्य राज्य संबंधी विषय है, अत: यह संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार का दायित्व है कि वे अपने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में लागू उपयुक्त संवैधानिक प्रावधानों के तहत निजी अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई करें।

[हिंदी]

ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार

4731. **श्री गोपाल शेट्टी**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र राज्य सरकार से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार की सीमाओं के परिमेयकरण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है तथा इसे अंतिम रूप प्रदान किए जाने में विलंब के क्या कारण हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार (मलढोक पक्षी अभयारण्य) की सीमाओं के परिमेयकरण के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से दिनांक 04 जून, 2014 को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति ने दिनांक 04 नवम्बर, 2015 को हुई

अपनी 36वीं बैठक में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी विहार (मलढोक पक्षी अभयारण्य) की सीमाओं के परिमेयकरण की सिफारिश की थी। सीमाओं के परिमेयकरण के बाद इस पक्षी अभयारण्य का कुल क्षेत्र 366.26 वर्ग किमी. हो गया है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति द्वारा दिनांक 13 नवम्बर, 2015 को सम्प्रेषित सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार उत्तरदायी है।

[अनुवाद]

लेखापरीक्षकों द्वारा बैंक घोटालों की सूचना न दिया जाना

4732. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उन बैंकों की लेखापरीक्षा की जांच की है जहां घोटाले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा लेखापरीक्षकों द्वारा घोटालों का पता नहीं लगाने के क्या कारण हैं;

(ग) उक्त दर्ज घोटालों के प्रकाश में क्या सरकार का विचार कर्मचारियों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने उक्त घोटालों के पीछे किसी आपराधिक षड्यंत्र के होने के संबंध में कोई जांच की है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि सांविधिक लेखापरीक्षा के मामले में बैंक अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर अपने लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक मुख्यत: लेखापरीक्षक रिपोर्ट (लॉग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट) के माध्यम से आर.बी.आई. को कमियों की सूचना देते हैं। जहां तक समवर्ती लेखापरीक्षा का संबंध है, आर.बी.आई. ने दिशानिर्देश जारी किए हैं, जिनके अनुसार, बैंकों के बोर्डों की लेखापरीक्षा समितियां बैंक के स्तर पर प्रणाली की समीक्षा करती हैं। जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा के माध्यम से बैंक स्वयं लेखापरीक्षा करते हैं।

आर.बी.आई. ने अन्य बातों के साथ-साथ, धोखाधड़ियों की घटना को कम करने के लिए बैंकों में की जा रही विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षाओं की भूमिका एवं प्रभावकारिता की जांच हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

(ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) को संवेदनशील पदों की पहचान करनी चाहिए और ऐसे पदों के संबंध में आवर्तन (रोटेशन) की नीति का पालन करना चाहिए।

सरकार ने पी.एस.बी. को सूचित किया है कि स्थानांतरण एवं तैनाती हेतु उनका अपना उद्देश्य, सुनिर्धारित नियमावली होनी चाहिए, जिसका पालन दृढ़ता से किया जाना चाहिए। सरकार ने आगे सूचित किया है कि सभी निर्णय मामले के तथ्यों एवं वस्तुनिष्ठता को ध्यान में रखकर लिये जाने चाहिए और किसी असंगत कारणों से ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। इनमें परिवर्तन का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(घ) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, बैंकों से संबंधित कई एफ.आई.आर., जिनमें भारतीय दंड संहिता (जिसमें आपराधिक षड्यंत्र के लिए दंड का प्रावधान है) की धारा 120ख सहित, कानून के विभिन्न उपबंधों के तहत किए गए अपराध शामिल हैं, दायर की गयी हैं। इनकी जांच की जा रही है।

दीर्घकालिक पूंजी लाभ

4733. **श्री प्रसून बनर्जी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर (एल.टी.सी.जी.टी.) एवं सिक्योरिटी ट्रांसजैक्शन टैक्स (एस.टी.टी.) पर केलकर समिति की मुख्य सिफारिशें क्या रही हैं;

(ख) क्या इक्विटी के लेन-देन पर एल.टी.सी.जी.टी./एस.टी.टी. लगाया जाना दोहरा कर लगाने जैसा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस कदम के पीछे क्या तर्क है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) महोदया, प्रत्यक्ष करों संबंधी कार्य दल (जिसकी अध्यक्षता डॉ. विजय एल केलकर ने की थी) ने 2002 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, उपायों के पैकेज के हिस्से के रूप में सूचीबद्ध इक्विटी पर दीर्घवधि पूंजी लाभ पर कर के उन्मूलन, कॉरपोरेट कर दर को उच्च समान्त व्यक्तिक आयकर की 30 प्रतिशत की दर के अनुरूप बनाने, सभी कर प्रोत्साहनों को बिना किसी प्रकार का सहारा दिए तत्काल रूप से समाप्त करने और लाभांश पर कर को समाप्त करने की सिफारिश की थी। तथापि, वर्ष 2002 की केलकर रिपोर्ट में प्रतिभूति लेन-देन कर को शुरू किए जाने के संबंध में कोई सिफारिश नहीं की गई थी।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

निर्भया निधि

4734. डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री प्रताप सिम्हा:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल में देश के आठ प्रमुख शहरों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए निर्भया निधि के अंतर्गत 2,900 करोड़ रुपये मूल्य की परियोजनाओं को मंजूरी दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी शहर-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए लागत हिस्सेदारी का पैटर्न क्या है;

(ख) क्या निर्भया निधि के अंतर्गत वर्ष 2018-19 के लिए 500 करोड़ रुपयों की भी मंजूरी दी गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कौन सा केंद्रीय निगरानी तंत्र अपनाया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और इस मामले के बारे में नागरिकों को संवेदनशील बनाने हेतु अन्य किन पहलों पर विचार किया जा रहा है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) सरकार ने देश के 8 प्रमुख नगरों को महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित बनाने के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत 2919.55 करोड़ रुपये मूल्य की सुरक्षित शहर परियोजनाओं का हाल ही में मूल्यांकन किया है। शहर-वार ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र.सं.	शहर	मूल्यांकित राशि (रुपये करोड़ों में)
1.	दिल्ली	663.67
2.	मुम्बई	252.00
3.	चेन्नई	425.06
4.	अहमदाबाद	253.00
5.	कोलकाता	181.32
6.	बैंगलुरू	667.00
7.	हैदराबाद	282.50
8.	लखनऊ	195.00

सभी प्रस्तावों के संबंध में निधियन केंद्र और राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में होगा। दिल्ली के प्रस्ताव का शत-प्रतिशत निधियन किया जाएगा।

(ख) वर्ष 2018-19 के लिए निर्भया कोष हेतु 500.00 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ग) निर्भया कोष के अंतर्गत प्राप्त स्कीमों/प्रस्तावों के मूल्यांकन के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नोडल प्राधिकरण हैं। निर्भया कोष के अंतर्गत मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों से प्राप्त स्कीमों/प्रस्तावों के मूल्यांकन और संस्तुति के लिए सचिव, महिला एवं बाल विकास (नोडल मंत्रालय) की अध्यक्षता में एक अधिकार-प्राप्त समिति, जो अंतर-मंत्रालयी समिति है, गठित की गई है। निर्भया कोष के अंतर्गत गठित अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा पहले से मूल्यांकित स्कीमों/परियोजनाओं के क्रियान्वयन की समय-समय पर समीक्षा और मॉनीटरिंग की जाती है।

(घ) संचेतना सहित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए निर्भया कोष के अंतर्गत सरकार द्वारा मूल्यांकित अन्य परियोजनाएं हैं: आपातकालीन प्रत्युत्तर सहायता प्रणाली तथा महिलाओं और बच्चों के साथ साइबर अपराध की रोकथाम, गृह मंत्रालय: सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए अभय परियोजना, आंध्र प्रदेश सरकार; महिलाओं की सुरक्षा में सहायता के लिए कारों और बसों में खतरे के बटन पर आधारित सुरक्षा उपाय का विकास और क्षेत्र परीक्षण, इलैक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/आई.आई.टी. दिल्ली; समेकित आपात प्रत्युत्तर प्रबंधन प्रणाली, रेल मंत्रालय; सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश सरकार; चिराली परियोजना, महिला सशक्तीकरण निदेशालय, राजस्थान;

हरियाणा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मिजोरम में महिला पुलिस वॉलेंटियर तथा महिला हैल्पलाइन का सर्वसुलभीकरण आदि।

[हिंदी]

बैंकों द्वारा बुजुर्गों तथा नि:शक्त व्यक्तियों को प्रदान की गई विशेष सुविधाएं

4735. **श्री पंकज चौधरी:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक ने बुजुर्गों तथा नि:शक्त व्यक्तियों को विशेष सुविधाएं प्रदान करने हेतु बैंकों को अनुदेश जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बैंक ऐसे ग्राहकों को इन सुविधाओं को प्रदान कराने हेतु प्रभावी उपाय करेगा तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिदेश का पालन करने तथा इस जानकारी को बैंक की शाखा के पटल पर प्रदर्शित करने हेतु अनुदेश जारी कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी, हां। भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने बैंकों को दिनांक 09.11.2017 को निदेश जारी किए हैं। सभी बैंकों ने वरिष्ठ नागरिकों एवं अलग-अलग प्रकार के विकलांग लोगों अर्थात् वरिष्ठ नागरिकों, अलग-अलग प्रकार के विकलांग लोगों के लिए समर्पित काउन्टर/वरिष्ठ नागरिकों को तरजीह, जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने की सुविधा, चेक बुक की सुविधा, खातों की स्थिति का स्वचालित परिवर्तन, दृष्टिबाधित ग्राहकों के लिए अतिरिक्त सुविधाएं, फार्म 15जी/एच को भरने तथा घर-घर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बिना किसी समस्या के बैंकिंग सुविधाओं को सरल बनाने हेतु निम्नलिखित विशिष्ट प्रावधानों के लिए एक उचित तंत्र लागू किया है। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने के लिए बैंकों द्वारा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) और (ङ) वित्तीय सेवाएं विभाग ने दिनांक 22.12.2017 को सभी बैंकों को आर.बी.आई. के अनुदेशों को अक्षरश: कार्यान्वित करने तथा उनके बारे में अपनी बैंक शाखाओं एवं बैंकों की वेबसाइट में सम्यक विज्ञापन देने की सलाह दी है।

[अनुवाद]

संपरीक्षकों के लिए निर्देश

4736. **श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे:** क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कंपनियों में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए संपरीक्षकों को आदेश दिया है कि वे कंपनियों से संबंधित धोखाधड़ी, आंरिक नियंत्रण तथा बकाया राशियों में किसी भी त्रुटि को उजागर करें और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा देश में समग्र कॉरपोरेट शासन मानकों को मजबूत बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) जी, हां। सरकार ने कंपनी (लेखा परीक्षा रिपोर्ट) आदेश, 2015 जारी किए हैं जिसमें संबंधित कंपनियों के लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में देखे गए/रिपोर्ट किए गए कपट, आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, संपत्ति सूची का भौतिक सत्यापन और वित्तीय संस्थानों या बैंकों को देय का पुन: भुगतान सहित विभिन्न मामलों पर विवरण शामिल करना अपेक्षित है। इस विषय में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट *http://www.mca.gov.in* पर उपलब्ध कंपनी (लेखापरीक्षक रिपोर्ट) आदेश, 2015 के पैरा 3 के उप-पैरा 3(ii)(क), (vi), (ix) और (xii) विशेष रूप से संगत है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया है, में विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनका लक्ष्य भारत में कंपनियों के कॉरपोरेट शासन को सुदृढ़ करना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड और उसकी समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के उत्तरदायित्व में वृद्धि भी हुई है, हितधारकों को अधिक प्रकटीकरण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम और वृहत निवेशक सुरक्षा स्तर। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2015 में भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) को भी अधिसूचित किया गया है और आशा है कि इससे बेहतर कॉरपोरेट शासन में सहयोग मिलेगा।

राज्यों को विशेष दर्जा दिये जाने का प्रावधान

4737. **श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान:**

श्री बी. विनोद कुमार:

श्री कौशलेन्द्र कुमार:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओडिशा सहित कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्रदान करने हेतु पंद्रहवां वित्त आयोग (15वां एफ.सी.) किसी नई कार्य विधि पर विचार कर रहा है और यदि हां, तो उसके मानदंड जैसे तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं;

(ख) 15वें वित्त आयोग ने अब तक कितनी बैठकें की हैं और अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) विशेष दर्जे की मांग करने वाले राज्यों के क्या नाम हैं और ओडिशा और बिहार सहित उनकी मागों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) आज की तारीख के अनुसार विशेष श्रेणी के राज्यों के यप में घोषित राज्यों के नाम क्या हैं और उन राज्यों की मांग के अनुसार उन्हें विशेष दर्जे का राज्य घोषित न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या 15वां वित्त आयोग की राज्यों के अंतरण-उपरांत राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) 37.11.2015 को गठित पंद्रहवें वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें 1.4.2020 से 31.3.2025 तक की अवधि के लिए विचारार्थ विषयों के आधार पर देने का अधिदेश प्राप्त है। आयोग ने अभी तक 10 आंतरिक बैठकें आयोजित की हैं।

(ग) विगत हाल ही में केंद्रीय सरकार को विशिष्ट श्रेणी का दर्जा देने के लिए ओडिशा, राजस्थान, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(घ) चौदहवें वित्त आयोग ने विशेष और सामान्य श्रेणी के राज्यों में कोई अंतर नहीं किया है और आज की तारीख में विशेष श्रेणी राज्य अस्तित्व में नहीं है। अत: कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी राज्यों का दर्जा दिए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ङ) पंद्रहवें वित्त आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ राजस्व घाटे संबंधी अनुदानों के प्रावधानों की जांच करने के लिए भी अधिदेश प्राप्त हैं।

एन.एच.एम. के अंतर्गत मजदूरी

4738. **श्री थांगसो बाइटे:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए राज्य एवं संघ राजय क्षेत्रों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) का कार्यान्वयन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा एन.एच.एम. के अंतर्गत विभिन्न वर्ग के जिन कर्मचारियों की सेवाएं ली जा रही हैं उनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एच.एम. में लगे कर्मचारियों को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दर पर मजदूरी प्रदान की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र देश में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को कार्यान्वित कर रहे हैं।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सम्पूर्ण संसाधन संबंधी सीमाओं के अंतर्गत उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में, उनसे प्राप्त हुए प्रस्तावों के आधार पर संविदा आधार पर स्वास्थ्य मानव संसाधन संबंधी सेवाएं उपलब्ध करवाने सहित उनकी स्वास्थ्य प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एन.एच.एम. के अंतर्गत कार्यरत स्टाफों की विभिन्न श्रेणियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ग) और (घ) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य के विषय हैं। एन.एच.एम. के अंतर्गत संविदा पर कार्य करने वाले कार्मिकों और स्वास्थ्य कार्मिकों का पारिश्रमिक/मजदूरी सहित सभी प्रशासनिक और कार्मिक संबंधी मामले राज्य सरकार में निहित हैं।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तैनात (संविदात्मक) मानव संसाधन

(सितंबर, 2017 के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जीडीएमओ	परा चिकित्सा कर्मी (फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला तकनीशियन और अन्य*)	एएनएम	विशेषज्ञ	स्टाफ नर्से	आयुष डॉक्टर	आयुष परा चिकित्सा कर्मी	कार्यक्रम प्रबंधन स्टाफ	जन स्वास्थ्य प्रबंधन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	बिहार	124	1299	6867	280	655	2830	0	1497	0	13552
2.	छत्तीसगढ़	57	492	1587	25	753	569	268	1019	0	4770
3.	हिमाचल प्रदेश	6	259	167	4	130	303	0	118	0	987
4.	जम्मू और कश्मीर	515	1442	2896	41	885	873	364	325	0	7341
5.	झारखण्ड	42	555	4913	44	541	181	10	418	15	6719
6.	मध्य प्रदेश	850	1641	5483	64	2131	1158	134	642	0	12103
7.	ओडिशा	119	947	1579	0	2052	2316	2	967	37	8019
8.	राजस्थान	95	779	750	11	1389	1896	400	1297	105	6722
9.	उत्तर प्रदेश	684	3425	7304	153	4182	4214	572	1997	0	22531
10.	उत्तराखण्ड	5	312	323	6	360	380	140	231	0	1757
11.	अरुणाचल प्रदेश	58	144	422	11	498	56	0	319	0	1508
12.	असम	970	2432	5368	256	3638	657	0	1085	0	14406

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	मणिपुर	29	285	517	0	267	173	74	145	0	1490
14.	मेघालय	21	202	489	5	230	227	0	405	0	1579
15.	मिजोरम	44	242	447	26	315	58	0	161	3	1296
16.	नागालैंड	65	62	333	7	300	60	0	151	0	978
17.	सिक्किम	47	85	92	5	90	14	5	41	0	379
18.	त्रिपुरा	1	149	10	4	28	154	33	135	0	514
19.	आंध्र प्रदेश	116	997	6241	114	1758	131	131	56	0	9544
20.	गोवा	11	107	95	6	68	54	27	25	0	393
21.	गुजरात	198	1448	1966	88	1421	2330	0	2041	0	9492
22.	हरियाणा	189	801	3963	46	1695	623	176	344	0	7837
23.	कर्नाटक	297	1841	1621	124	4992	1524	301	522	0	11222
24.	केरल	545	1151	686	37	919	736	15	302	0	4391
25.	महाराष्ट्र	356	3393	6737	1876	5679	2529	88	509	0	21167
26.	पंजाब	92	318	1836	57	1395	534	266	189	0	4687
27.	तमिलनाडु	3288	3913	1491	458	10074	475	475	888	0	21062
28.	तेलंगाना	558	2860	5709	139	1593	584	247	60	79	11829
29.	पश्चिम बंगाल	564	3072	8729	38	301	1738	0	480	23	14945
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	19	26	81	4	29	28	13	16	0	216
31.	चण्डीगढ़	70	115	180	47	124	33	8	21	0	598
32.	दादरा और नगर हवेली	12	42	55	22	54	12	0	12	1	210

33.	दमन और दीव	9	23	21	14	47	7	4	12	0	137
34.	दिल्ली	299	438	715	20	182	0	0	73	0	1727
35.	लक्षद्वीप	2	103	34	0	0	27	7	0	0	173
36.	पुदुचेरी	27	127	93	19	68	47	63	25	0	469
	कुल	10384	35527	79800	4051	48843	27531	3823	16528	263	226750

नोट*:- अन्य में रेडियोग्राफर, आहारविद्, नेत्र चिकित्सा सहायक, डेंटल सहायक, कोल्ड चेन एवं वैक्सीन लॉजिस्टिक सहायक, ओटी तकनीशियन, पुनर्वास कर्मी, काउंसलर शामिल हैं।

स्रोत: सितंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार एन.एच.एम.-एम.आई.एस. से प्राप्त रिपोर्ट।

टेली-मेडिसिन प्रणाली

4739. **श्री दिनेश त्रिवेदी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'डिजिटल इण्डिया' के मिशन के साथ तादात्मय में टेली-मेडिसिन के उपयोगिता का कोई आंकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने भारत में अपनाए जाने हेतु टेली-मेडिसिन में श्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में टेली-मेडिसिन को बढ़ावा देने हेतु अब तक किया गया सरकारी निवेश कितना है; और

(घ) देश में टेली-मेडिसिन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अब तक मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (घ) डिजिटल इंडिया मिशन के रूप में, भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा कॉलेज नेटवर्क का प्रयोग किया है, जबकि 50 मेडिकल कॉलेजों को टेली-शिक्षा, टेली-परामर्श तथा ई-लर्निंग हेतु सहयोग प्रदान किया गया है। दूरस्थ क्षेत्रों में तीर्थयात्रियों को सहायता प्रदान कराने हेतु कुछ तीर्थस्थानों में भी टेली-मेडिसिन प्रक्रिया को आरंभ किया गया है।

टेलीमेडिसिन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निगमन हेतु समय-समय पर उत्कृष्ट अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियों का अध्ययन किया गया है। राज्यों को अंतर-प्रचालनात्मकता सुनिश्चित करने हेतु खुले मानकों तथा ई.एच.आर. मानकों पर आधारित सॉफ्टवेयर के प्रयोग करने की सलाह दी गई है।

देश में टेली-मेडिसिन के प्रयोग को प्रोत्साहित करने हेतु मंत्रालय द्वारा निम्न पहले आरंभ की गई हैं:

1. राष्ट्रीय टेली-मेडिसिन नेटवर्क (एन.टी.एन.), राष्ट्रीय मेडिकल कॉलेज नेटवर्क (एन.एम.सी.एन.), सैटकॉम आधारित टेली-मेडिसिन केन्द्र, टेली-रेडियोलॉजी, मोबाइल आधारित आउटरीच कार्यक्रम तथा एम-स्वास्थ्य पहलों को प्राथमिकता।
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पी.आई.पी.) के तहत राज्यों से प्राप्त अनुरोध तथा प्रस्ताव के आधार पर 7 राज्यों को सहायता दी गई है।
3. टेलीमेडिसिन प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने हेतु दूरस्थ क्षेत्रों में रोगियों की जांच करने के लिए एक राष्ट्रीय संसाधन केन्द्र तथा 7 क्षेत्रीय संसाधन केन्द्रों का चयन किया गया है।
4. कैंसर की शीघ्र पहचान, जांच तथा निवारण हेतु टेली-ऑकोलॉजी पहल भी आरंभ की गई है।

उपरोक्त कार्यक्रमों के माध्यम से अब तक मंत्रालय ने टेलीमेडिसिन को सहयोग प्रदान करने हेतु लगभग 227 करोड़ रु. की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

[हिंदी]

एलोपैथिक दवाएं लिखने का अधिकार

4740. **श्री शेर सिंह गुबाया:**

श्री रवीन्द्र कुमार राय:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयुष डॉक्टरों को एलोपैथिक दवाएं लिखने का अधिकार प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इससे आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं हेतु परिकल्पित मिशन प्रभावित नहीं होगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) आयुष चिकित्सकों को एलोपैथिक औषधियों के नुस्खे लिखने का अधिकार देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

न्यूनतम वैकल्पिक कर

4741. **श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:**

श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उद्योग को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर को कम करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय व्यापार संघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने भी इस कटौती हेतु सिफारिश की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) महोदया, न्यूनतम वैकल्पिक कर (एम.ए.टी.) को कम करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) और (घ) जी, हां। बजटीय प्रक्रिया 2018 के दौरान भारतीय व्यापार संघ और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बरर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री से कम्पनियों संबंधी एम.ए.टी. को कम करने के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन अभ्यावेदनों की संघ बजट, 2018 की प्रक्रिया के दौरान जांच-पड़ताल की गई थी और इन्हें स्वीकार्य नहीं पाया गया।

विद्यालयों में जंक फूड की बिक्री

4742. **श्री हरीश मीना**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विद्यालयों में जंक फूड की बिक्री पर रोक लगाने का विचार है और यदि हां, तो इसके लिए प्रस्तावित समय-सीमा क्या है और यदि हां, तो इसका क्या कारण है;

(ख) क्या विद्यालयों में पोषण संबंधी शिक्षा प्रदान किये जाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित समयावधि क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का रेस्तरांओं और खाद्य पदार्थ बिक्री केंद्रों (फूड आउटलेटों) के खाद्य पदार्थों के पोषण संबंधी घटकों की जानकारी मुहैया कराया जाना अनिवार्य बनाए जाने का विचार है और यदि हां, तो उसके लिये निर्धारित समयावधि क्या है और यदि नहीं, तो इसका क्या कारण है;

(घ) क्या सरकार का बच्चों को लक्षित करके बनाए गए अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के विज्ञापन दिये जाने को विनियमित करने का विचार है; और

(ड) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिशुओं के लिये बनाए गए उत्पाद हेतु अनुचित पोषण संबंधी दावों की जांच करने हेतु सरकार ने क्या उपाय किए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और विनियमों में जंक फूड की कोई परिभाषा परिभाषित नहीं की गई है। ति ा ापि, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने 12.10.2015 को भारत में स्कूलों बच्चों को स्वास्थ्यकर, पौष्टिक, सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के दिशानिर्देश नामक प्रारुप दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो 'उदय फाउंडेशन फोर कोंजेनिटल डिफेक्ट्स एंड रेयर ब्लड बनाम भारत सरकार एवं अन्य' नामक 2010 की रिट याचिका (सी) सं. 8568 के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के विनिर्देशों के अनुसरा विशेषज्ञ समूह/ केन्द्रीय परामर्शदात्री समिति द्वारा तैयार किए गए हैं, जिनमें स्कूलों में अत्यधिक आम उच्च वसा एवं नमक (एच.एफ.एस.एस.) वाली खाद्य सामग्री प्रतिबंधित/सीमांकित है।

खाद्य पदार्थों में उच्च वसा, शर्करा एवं नमक तथा संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों को समाप्त करने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. ने एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया है, जिसमें प्रसिद्ध चिकित्सा अनुसंधान एवं शैक्षिक संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले औषधि, पोषण एवं आहार-विज्ञान के क्षेत्र के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल हैं। विशेषज्ञ समूह द्वारा दी गई रिपोर्ट एफ.एस.एस.ए.आई. की वेबसाइट अर्थात् www.fssai.gov.in पर अपलोड की गई है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साझा की गई है। अत्यधिक वसा, शर्करा एवं नमक वाले खाद्य पदार्थों का उपभोग कम करने के लिए प्रमाण-आधारित कार्यनीतियों के कार्यान्वयन हेतु सभी नोडल एजेंसियों से संबंधित सिफारिशों का एक व्यापक सेट उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने 06 मार्च, 2017 को एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है।

(ख) सुरक्षित, पौष्टिक एवं स्वस्थ्य भोजन के महत्व पर बच्चों में जागरूकता बढ़ाने के लिए एफ.एस.एस.ए.आई. ने स्कूल में सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन पहल प्रारंभ की है। इस पहल के अंतर्गत बच्चों में स्वस्थ तथा पौष्टिक आहार को बढ़ावा देने के लिए स्कूल के अध्यापकों को स्वास्थ्य एवं आरोग्य समन्वयकर्ता के रूप में प्रशिक्षित किया जा रहा है। एफ.एस.एस.ए.आई. ने 'येलो बुक' नामक एक पुस्तिका भी प्रकाशित की है, जिसमें आयु के अनुसार विषय-सूचियां दी गई हैं, जिन्हें राज्य शिक्षा तंत्र द्वारा उनके पाठ्यक्रम तथा पाठ्येतर गतिविधियों के भाग के रूप में सभी स्कूलों में अपनाया जा सकता है। उसमें अन्य बातों के साथ-साथ अच्छी खाद्य सुरक्षा पद्धतियां, व्यक्तिगत स्वच्छता और सफाई की आदतें,

संतुलित आहार खाने, स्वास्थ्यकर लंच बॉक्स की पैकिंग, पोषण संबंधी कमियों की रोकथाम और स्वस्थ पसंद जैसे विषय शामिल हैं। एफ.एस.एस.ए.आई. ने सुरक्षित एवं पोषक खाद्य प्रतीक चिह्न - मास्टर सेहत एवं मिस सेहत - सुपर हीरोज भी तैयार किए हैं, जो बच्चों में जागरूकता फैलाते हैं।

(ग) जी, हां। एफ.एस.एस.ए.आई. एफ.एस.एस.ए.आई. (लेबलिंग) विनियमावली पर पृथक् प्रारूप अधिसूचना अनुमोदित की हैं, जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:-

"एफ.एस.एस.ए.आई. राज्य/केन्द्रीय लाइसेंस वाले रेस्तरां, कन्फेक्शनर्स, खाद्य सेवा प्रदाताओं, हलवाइयों आदि सहित खाद्य व्यवसाय प्रचालकों (एफ.बी.ओ.) को, उनके द्वारा दी जाने वाली खाद्य मदों की पोषण संबंधी सूचना का रिकॉर्ड रखना होगा, जो उपभोक्ता द्वारा मांग की जाने पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।"

(घ) एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उच्च वसा, शर्करा एवं नमक खाद्य पदार्थों पर गठित विशेषज्ञ समूह ने अन्य के साथ-साथ बच्चों के चैनलों पर या बाल कार्यक्रमों के दौरान उच्च वसा, शर्करा एवं नमक वाले खाद्य पदार्थों के विज्ञापन दिखाने पर रोक लगाने से संबंधित सिफारिश की है। एफ.एस.एस.ए.आई. की राय है कि खाद्य व्यवसाय जगत बच्चों के चैनलों पर उच्च वसा, शर्करा एवं नमक वाले खाद्य पदार्थों के विज्ञापन स्वेच्छा से दिखाना रोक दें। फूड एवं बीवरेज एलायंस ऑफ इंडिया जैसे निकायों ने बच्चों को खाद्य एवं पेय पदार्थ विज्ञापन दिखाने पर स्वेच्छा से रोक लगाने का निर्णय लिया है। नौ बड़े खाद्य व्यवसाय प्रचालक इस अभियान से जुड़ गए हैं और उन्होंने उच्च वसा, शर्करा तथा नमक वाले उत्पाद बच्चों के चैनलों पर विज्ञापित नहीं करने का निर्णय लिया है।

(ङ) एफ.एस.एस.ए.आई. ने विज्ञापनों पर पृथक् प्रारूप विनियमों को अनुमोदित कर दिया है और पूर्व डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों के संबंध में दावों के मामलों को समाप्त होने का दावा किया है। यह, पोषण संबंधी सभी दावों एवं विशिष्ट अपेक्षाओं के सामान्य सिद्धांतों को निर्धारित करता है।

निर्यातकों पर जी.एस.टी. के ई-वे बिल का प्रभाव

4743. **श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी:**

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निर्यातक संघ से शुष्क पत्तनों से समुद्री पत्तनों और विशेष आर्थिक जोन (एस.ई.जेड.) से जोन के भीतर माल की आवाजाही के संबंध में ई-वे बिल के कार्यकरण पर स्पष्टता हेतु कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मामले पर कोई स्पष्टीकरण दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार का मत क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, हां। निर्यातकों के समूहों और कॉरपोरेट बॉडीज से विभिन्न अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें उन्होंने वस्तुओं के आवागमन से संबंधित ई-वे बिल के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। ई-वे बिल के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं:

i. एक एयर पोर्ट से दूसरे एयर पोर्ट तक कस्टम युक्त परिवहन के दौरान निर्यात खेपों को छूट।

ii. एस.ई.जेड./एफ.टी.डब्ल्यू.जेड. (फ्री-ट्रेड वेयरहाउसिंग जोन) से पोर्ट तक और विलोमत: परिवहन।

iii. आयात कार्गो के समान ही निर्यात कार्गो का परिवहन।

(ख) से (घ) जी, हां। अधिसूचना सं. 12/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 07.03.2018 के द्वारा केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियमावली, 2017 (सी.जी.एस.टी. रूल्स) में संशोधन करके इस मुद्दे को स्पष्ट कर दिया गया है। जी.एस.टी. रूल्स के नियम 138 के उप-नियम (14) के उप-वाक्य (ग) और (ज) के अनुसार उस समय ई-वे बिल को तैयार करने की जरूरत नहीं है जब माल का परिवहन निम्न प्रकार से हो रहा हो:

i. किसी कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो काम्प्लेक्स और लैण्ड कस्टम स्टेशन से किसी इनलैण्ड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्राइट स्टेशन तक कस्टम्स क्लियरेंस के लिए।

ii. किसी कस्टम्स बॉण्ड के अंतर्गत किसी इनलैण्ड कंटेनर डिपो या कंटेनर फ्राइट स्टेशन से किसी कस्टम्स पोर्ट, एयरपोर्ट, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और लैण्ड कस्टम स्टेशन तक या एक कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट से दूसरे कस्टम स्टेशन या कस्टम पोर्ट तक।

iii. कस्टम की निगरानी के अंतर्गत या कस्टम सील के अंतर्गत।

[हिंदी]

स्वास्थ्य मापदण्ड

4744. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के नागरिकों हेतु कोई स्वास्थ्य मापदण्ड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गरीब और ग्रामीण लोगों की स्वास्थ्य देखभाल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में आपातकालीन ग्रामीण स्वास्थ्य परिवहन सेवाओं में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 में इस नीति के उद्देश्य के रूप में सभी विकासमूलक नीतियों में निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य परिचर्या अभिविन्यास के जरिए सभी उम्र के व्यक्तियों के लिए आरोग्यता और स्वास्थ्य के उच्चतम संभावित स्तर हासिल करने तथा किसी को भी वित्तीय कठिनाई का सामना किए बगैर उच्च कोटि की स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं तक सार्वभौमिक सुलभता हेतु संकल्पना की गई है। स्वास्थ्य स्थिति और कार्यक्रम संबंधी प्रभाव के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के लक्ष्य संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) जिसे अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत एक उप-मिशन के रूप में शामिल किया गया है, की शुरुआत विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य परिचर्या आवश्यकताओं में सुधार लाने के लिए की गई थी।

(ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपनी स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें इमरजेंसी एम्बुलेंस संबंधी सेवाएं भी शामिल हैं। डायल 108 अधिमानत: एक आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली है, जो मुख्यत: गहन परिचर्या, आघात के रोगियों तथा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को उपचार करने के लिए तैयार की गई है। सितम्बर, 2017 के अनुसार एन.एच.एम. की सहायता से डायल 108 वाली 8755 एम्बुलेंस कार्यात्मक हैं।

विवरण

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य

जीवन-प्रत्याशा और स्वस्थ जीवन

(क) वर्ष 2025 तक जन्म के समय जीवन-प्रत्याशा को 67.5 से बढ़ाकर 70 करना।

(ख) वर्ष 2022 तक विभिन्न श्रेणियों द्वारा रोगभार और इसके रुझानों के उपाय के रूप में अक्षमता समायोजित जीवन वर्ष (वी.ए.एल.वाई.) की नियमित ट्रेकिंग स्थापित करना।

(ग) टी.एफ.आर. में वर्ष 2025 तक राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तर पर 2.1 तक कमी लाना।

आयु और/अथवा कारण जनित मृत्यु दर

(क) पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों में मृत्यु दर को वर्ष 2025 तक 23 से कम लाना और एम.एम.आर. को वर्ष 2020 तक मौजूदा 100 स्तर से कम लाना।

(ख) वर्ष 2019 तक नवजात मृत्यु दर अनुपात को 28 से कम लाना।

(ग) वर्ष 2025 तक नवजात शिशु मृत्यु दर को 16 तक कम करना और मृत जनन दर को "एकल अंक" तक लाना।

रोग व्याप्तता/मामलों में कमी लाना

(क) एच.आई.वी./एड्स के लिए वर्ष 2020 का वैश्विक लक्ष्य हासिल करना, जिसे 90:90:90 के लक्ष्य के रूप में भी जाना जाता है, अर्थात् एच.आई.वी. से ग्रस्त सभी व्यक्तियों के 90 प्रतिशत व्यक्तियों को अपनी एच.आई.वी. स्थिति के संबंध में जानकारी हो, ऐसे 90 प्रतिशत व्यक्ति जिनकी एच.आई.वी. संक्रमण की स्थिति ज्ञात हो गई है, उनको नियमित रूप से एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त हो, और एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी प्राप्त कर रहे सभी व्यक्तियों के 90 प्रतिशत मामले में एच.आई.वी. को रोका जा सके।

(ख) वर्ष 2018 तक कुष्ठ रोग का उन्मूलन करना तथा वर्ष 2017 तक कालाजार का उन्मूलन करना और वर्ष 2017 तक स्थानिकमारी वाले क्षेत्रों में लिम्फेटिक फाइलेरियासिस का उन्मूलन करना।

(ग) नए स्पुटम पॉजिटिव रोगियों में 85 प्रतिशत से कम की रोगमुक्त दर हासिल करना और इसे बनाए रखना तथा

नए रोगों के मामलों को कम करना, ताकि वर्ष 2025 तक उन्मूलन स्थिति हासिल की जा सके।

(घ) दृष्टिहीनता की व्याप्तता को वर्ष 2025 तक 0.25/1000 तक कम करना और रोगभार को मौजूदा स्तर से एक-तिहाई तक कम करना।

(ङ) वर्ष 2025 तक हृदवाहिका रोगों, कैंसर, मधुमेह और चिरकालिक श्वसनी रोगों से होने वाली असामयिक मृत्यु को 25 प्रतिशत तक कम करना।

[अनुवाद]

शहरी भूख एवं कुपोषण संबंधी अध्ययन

4745. **श्री धनंजय महाडीक:**

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री राजीव सातव:

श्री बदरुद्दीन अजमल:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री पी.आर. सुंदरम:

डॉ. जे. जयवर्धन:

श्री सी. गोपालकृष्णन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अल्पविकसित बच्चों के मामले में भारत विश्व में ऊंचे पायदान पर है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 10 शहरों में किये गए शहरी भूख और कुपोषण (एच.यू.एन.जी.ए.एम.ए.) संबंधी अध्ययन के अनुसार भारत में 5 वर्ष तक की आयु के चार शहरी बच्चों में से एक बच्चा अल्पविकसित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अध्ययन के अन्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) अल्पविकसित बच्चों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(घ) विगत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त समस्या से निजात पाने हेतु सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों, आवंटित/जारी और प्रयुक्त धनराशि और हासिल उपलब्धियों का बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) एन.एफ.एच.एस.-4 (2015-16) के अनुसरा भारत में पांच वर्ष से कम आयु के अनुमानित 46.8 मिलियन बच्चे बौने हैं और यह पूरे विश्व में कुल बौने बच्चों का एक-तिहाई है।

(ख) और (ग)

- नन्दी फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी हंगामा सर्वेक्षण, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 22.3 प्रतिशत बच्चे बौने हैं। यह सर्वेक्षण देश के 10 शहरों अर्थात् मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे और जयपुर में ही किया गया था।
- इस अध्ययन के अन्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:
  - o बौनेपन की व्याप्तता चेन्नई में 10 प्रतिशत से लेकर अहमदाबाद में 19.4 प्रतिशत तक तथा गंभीर बौनेपन की व्याप्तता चेन्नई में 4.8 प्रतिशत से दिल्ली में 11.7 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।
  - o वजन कम होने की व्याप्तता चेन्नई में 10.8 प्रतिशत से लेकर सूरत में 19.3 प्रतिशत तक तथा गंभीर वजन कम होने की व्याप्तता चेन्नई में 2.7 प्रतिशत से दिल्ली में 6.7 प्रतिशत तक भिन्न-भिन्न है।
  - o ज्यादा वजन होने की व्याप्तता हैदराबाद में 0.7 प्रतिशत से लेकर चेन्नई में 3.7 प्रतिशत तक तथा गंभीर ज्यादा वजन अथवा मोटापे की व्याप्तता जयपुर और मुंबई में 0.5 प्रतिशत से चेन्नई में 1.8 तक भिन्न-भिन्न है।
  - o सर्वेक्षण, 2014 ने यह भी दर्शाया कि उन बच्चों में कुपोषण की व्याप्तता बहुत ज्यादा थी, जिनकी माताएं या तो कम पढ़ी-लिखी थी अथवा विद्यालय ही नहीं गई थीं।
- तथापि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2015-16 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एन.एफ.एच.एस.)-4 की हालिया रिपोर्ट के अनुसार पांच वर्ष से कम आयु के 38.4 प्रतिशत बच्चे बौने हैं, जो वर्ष 2005-06 में आयोजित एन.एफ.एच.एस.-3 की पूर्ववर्ती रिपोर्ट की तुलना में कमी दर्शाते हैं, जिसमें पांच वर्ष से

कम आयु के 48 प्रतिशत बच्चों के बौने होने की रिपोर्ट थी।

(घ) और (ङ)

- सरकार देश में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित कार्यकलाप के रूप में महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत अनेक योजनाएं और कार्यक्रम आयोजित कर रही है जैसे व्यापक एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनबाड़ी सेवा, किशोरियों के लिए स्कीम तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना।

- हाल ही में पोषण अभियान शुरू किया गया है, जो पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता उन्मुखी योजनाओं/कार्यक्रमों में सहक्रिया और समाभिरूपता लाकर समग्रतावादी पोषण हेतु एक व्यापक योजना है।

- इसके अतिरिक्त, महिला और बाल विकास मंत्रालय का खाद्य और पोषण बोर्ड अपनी 43 फील्ड यूनिटों के साथ भारत में प्रदर्शनियों; श्रव्य, दृश्य और प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों; संतुलित आहार के सेवन को बढ़ावा देने हेतु व्याख्यानों और स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करके कम लागत वाले पोषक व्यंजनों का प्रदर्शन करने के अलावा दैनिक आहार में फलों और सब्जियों को शामिल करने; फील्ड में कार्यरत पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा तृणमूल स्तर पर कार्मिकों के लिए खाद्य संरक्षण में प्रशिक्षण; पोषण संबंधी समारोह के आयोजन इत्यादि के जरिए राज्य सरकार/संस्थानों के सहयोग से पोषण के संबंध में जागरूकता पैदा करने में रत है।

- भारत सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कुपोषण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विभिन्न कार्यकलाप भी कार्यान्वित कर रही है, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की अग्रणी योजना है। ये कार्यकलाप निम्नलिखित हैं:

  o स्वास्थ्य केंद्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक और आशाकर्मियों के जरिए नवजात तथा छोटे बच्चों की आहार संबंधी परिपाटियों (आई.वी.सी.एफ.) को बढ़ावा देना, जिसमें स्तनपान जल्दी शुरू करवाने तथा पहले छह माह में अनन्य रूप से स्तनपान करवाना शामिल है। स्तनपान को बढ़ावा देने और मदद करने के लिए सरकार ने देश में स्तनपान की कवरेज तथा स्तनपान संबंधी उपयुक्त परिपाटियों में सुधार लाने के लिए "मां" मां का संपूर्ण दुलार कार्यक्रम कार्यान्वित किया है। स्तनपान के संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए समुदाय और सुविधाएं केंद्र दोनों का स्तनपान करने संबंधी प्रबंधन के संबंध में स्वास्थ्य कार्मिकों के क्षमता निर्माण और व्यापक आई.ई.सी. अभियान पर जोर दिया गया है।

  o कमजोर आयु-समूहों जैसे गर्भवती महिलाओं, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों और किशोरों में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए सूक्ष्म अनुपूरक आहार कार्यक्रम

    ✓ बच्चों के लिए पांच वर्ष की आयु तक विटामिन ए अनुपूरक आहार।

    ✓ जीवन चक्र दृष्टिकोण के माध्यम से कार्यक्रम पद्धति में बच्चों, किशोरों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं में खून की कमी के अनुपूरक आहार, उपचार के लिए राष्ट्रीय आयरन प्लस पहल। इसमें छह से 59 महीने के बच्चों को अर्द्धसाप्ताहिक आई.एफ.ए. सीरप आहार, 5-10 वर्षों के बच्चों और 10-19 वर्ष के किशोरों को साप्ताहिक आई.एफ.ए. अनुपूरक आहार तथा गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को आई.एफ.ए. टेबलेट देना शामिल है।

    ✓ आयोडाइज्ड नमक के प्रयोग को बढ़ावा देने और राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत परीक्षण के माध्यम से नमक गुणवत्ता आश्वासन की निगरानी।

  o ए.डब्ल्यू.सी. मंच एवं स्कूलों के माध्यम से 1-19 वर्ष की आयु-समूह के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल टेबलेट देने के लिए एक निर्धारित दिवस कार्यनीति के रूप में राष्ट्रीय कृमिनाशी दिवस, जो पोषण संबंधी अच्छे परिणाम देती है और खून की कमी को रोकती है।

  o कम वजन के साथ पैदा होने वाले शिशुओं का पता लगाने के लिए आशाकर्मियों को प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

- o अगम्य जिलों में पहुंचने पर उच्च फोकस सहित पूरे देश में सभी टीके लगे बच्चों की उच्च कवरेज सुनिश्चित करने, वर्ष 2020 तक भारत में 90 प्रतिशत पूर्ण रोग प्रतिरक्षण कवरेज को प्राप्त करने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष कार्यान्वित किया गया है।

- o डायरिया जैसे बाल्यावस्था रोग की रोकथाम बाल्यावस्था कुपोषण को रोकती है। वार्षिक गहन डायरिया नियंत्रण पखवाड़ों का संचालन करके बाल्यावस्था डायरिया को नियंत्रित किया जा रहा है। आई.डी.सी.एफ. के दौरान अग्रणी कार्यकर्ताओं द्वारा बचचों को ओ.आर.एस. एवं जिंक देकर तथा स्वच्छता एवं सफाई पर अंतर-वैयक्तिक काउंसिलिंग द्वारा बाल्यावस्था डायरिया का उपचार किया जाता है।

- o राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) पोषण स्थिति सहित 30 आम स्वास्थ्य स्थितियों के लिए बाल स्वास्थ्य जांच प्रदान करता है और जांचे गए बच्चों को नि:शुल्क रेफरल एवं उपचार सुविधाएं देता है।

- o बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं में पोषण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषणदिवस तथा मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। आहार संबंधी आदतों में बदलाव लाने एवं सामूहिक काउंसिलिंग सत्रों के माध्यम से स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में गांव स्तर पर ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मासिक दिवस के रूप में आयोजित किए जाते हैं।

फसल अवशिष्ट को जलाया जाना

4746. **श्री रत्न लाल कटारिया:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिये किसानों को फसल अवशिष्ट के जलाये जाने से रोकने हेतु उन्हें प्रोत्साहन और अवसंरचनात्मक सहायता प्रदान करने हेतु सरकार ने सभी राज्यों को एक व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फसल अवशिष्ट को हटाने, उसके संग्रहण और भंडारण हेतु प्रत्येक जिले में स्थल अभिज्ञात करने हेतु राज्यों ने कोई ठोस विकास योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या फसल अवशिष्ट की ढुलाई तथा विद्युत संयंत्रों में इसके ईंधन के रूप में इस्तेमाल के संबंध में एक स्पष्ट व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करने हेतु सरकार विभिन्न राज्यों के साथ कोई बैठक कर रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) सरकार ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए यंत्रीकृत कृषि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना का अनुमोदन किया है। यह योजना वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए है जिसका परिव्यय 1151.80 करोड़ रु. है। उपर्युक्त योजना के तहत, कृषि मशीनरी बैंकों या फसल अवशिष्टों के स्व-स्थाने प्रबंधन की मशीनरी के कष्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए किसानों की सहकारी समितियों, एफ.पी.ओ., स्वयं सहायता समूहों, पंजीकृत किसान समितियों/किसान समूहों, निजी उद्यमियों, महिला किसान समूहों या स्वयं सहायता समूहों को परियोजना लागत की 80 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए मशीनरी/उपकरणों की खरीदारी के लिए व्यक्तिगत आधार पर किसानों को भी मशीनरी/उपकरण की लागत की 50 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। एक राष्ट्रीय फसल अवशिष्ट प्रबंधन नीति 2014 भी तैयार की गई है तथा उसे सभी राज्यों को परिचालित किया गया है जिससे कि फसल अवशेषों को जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण को रोकने के लिए किसानों को प्रोत्साहन तथा अवसंरचनात्मक सहायता दी जा सके।

(ङ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सम्पोषित कोल फायर्ड भट्टियों में को-फायरिंग के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए बानोमास के उपयोग के संबंध में सभी राज्यों के विद्युत सचिवों, ताप विद्युत उत्पन्न करने वाले संयंत्रों/यूटिलिटिज (सार्वजनिक/निजी) तथा विद्युत उपस्करण विनिर्माताओं को परामर्शिका जारी की है।

[हिंदी]

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना

4747. श्रीमती भावना गवली (पाटील): क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के उद्देश्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अन्य योजनाओं का और करदाताओं को प्रदान किए जाने वाले लाभों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) जी, महोदया। सरकार ने 17.12.2016 से "प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना संबंधी कराधान तथा निवेश व्यवस्था, 2016(योजना)" की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत घोषणा करने की अंतिम तारीख 31.03.2017 थी जिसे ऐसे मामलों में बाद में बढ़ाकर 10 मई, 2017 कर दिया गया था, जिनमें योजना के तहत कर, अधिभार तथा शास्ति की अदायगी 31 मार्च, 2017 को अथवा उससे पहले की गई थी तथा "प्रधान मंत्री गरीब कल्याण जमा योजना, 2016 (जमा योजना)" के तहत जमा की अनिवार्य राशि की अदायगी 30 अप्रैल, 2017 को अथवा इससे पहले कर दी गई थी।

योजना के तहत, कोई व्यक्ति किसी भी आय के संबंध में, एक विनिर्दिष्ट संस्था के साथ व्यक्ति के खाते में नकद रूप में अथवा जमा धनराशि के रूप में 1 अप्रैल, 2017 को अथवा इससे पूर्व प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के संबंध में आयकर के तहत प्रभार्य किसी आय की घोषणा कर सकता है।

योजना के तहत घोषणाकर्ता को, अघोषित आय के 30 प्रतिशत की दर से कर, के के 33 प्रतिशत की दर से अधिभार तथा इस प्रकार की अघोषित आय पर 10 प्रतिशत की दर से शास्ति अदा करना आवश्यक था। घोषणाकर्ता को इस प्रकार की अघोषित आय की न्यूनतम 25 प्रतिशत की राशि, जमा योजना में जमा करना आवश्यक था। इन जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता है तथा इनकी लॉक-इन अवधि चार वर्ष है।

नोटबंदी के आलोक में सरकार ने एक योजना शुरू की थी ताकि घोषणाकर्ता, अघोषित आय की घोषणा कर सें और शास्ति सहित करों का भुगतान कर सकें और पाक-साफ हो सकें ताकि सरकार को न केवल निर्धनों के संबंध में कल्याणकारी क्रियाकलाप शुरू करने के लिए अतिरिक्त राजस्व मिले अपितु यह भी सुनिश्चित हो सके कि अघोषित आय विधिक रूप से औपचारिक अर्थव्यवस्था में शामिल हो।

जहां तक घोषणाकर्ताओं को दिए जाने वाले लाभों का सरोकार है, घोषणा में यह प्रावधान था कि योजना के अंतर्गत घोषित की गई आय को, आयकर अधिनियम के अंतर्गत किसी भी निर्धारण वर्ष के संबंध में घोषणाकर्ता की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा योजना में यह प्रावधान था कि घोषणा में विहित कोई भी बात, विनिर्दिष्ट अधिनियमों के अलावा किसी भी अधिनियम के अंतर्गत किसी भी कार्यवाही के प्रयोजन से घोषणाकर्ता के विरुद्ध साक्ष्य के रूप में अनुज्ञेय नहीं होगी।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा संवितरित किए गए ऋण और राजसहायता

4748. श्री भीमराव बी. पाटील: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता के लिए सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ऋण और राजसहायता की संवितरित की गई राशि का बैंक-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा पिछले तीन वर्ष के दौरान संवितरित किए गए ऋण और सब्सिडी की राशि का ब्यौरा निम्न प्रकार है:

(राशि लाख रुपये में)

वर्ष	ऋण की राशि	संवितरित सब्सिडी
2015-16	1871366.03	87770.55
2016-17	2027505.43	101013.29
2017-18 (31.12.2017 की स्थिति के अनुसार)	1756909.05	84014.21

स्रोत: 21 पी.एस.बी.

बैंक-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सहायता करने हेतु संवितरित की गई ऋण और सब्सिडी की राशि का बैंक-वार ब्यौरा

क्र.सं.	संगठन का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		ऋण की राशि	संवितरित सब्सिडी	ऋण की राशि	संवितरित सब्सिडी	ऋण की राशि	संवितरित सब्सिडी
1.	इलाहाबाद बैंक	114976.73	362.38	114398.10	389.95	114343.82	405.63
2.	आंध्रा बैंक	3549.54	3868.37	6946.66	7113.89	11105.28	8239.15
3.	बैंक ऑफ बड़ौदा	117184.00	1148.00	144797.00	1054.00	133575.00	1097.00
4.	बैंक ऑफ इंडिया	109801.11	3385.35	100995.15	3186.30	71428.50	1101.13
5.	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	80946.96	0.00	83305.92	0.00	64829.08	0.00
6.	केनरा बैंक	3671.10	17.80	3221.33	17.25	2566.16	3.41
7.	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	193151.00	0.00	187751.00	0.00	140995.00	0.00
8.	कॉर्पोरेशन बैंक	80965.00	235.00	60236.00	1162.00	50452.00	1218.00
9.	देना बैंक	38651.75	393.71	23320.97	215.87	41220.40	159.29
10.	इंडियन बैंक	15379.37	1101.34	21788.27	847.67	20326.37	13.05
11.	इंडियन ओवरसीज बैंक	149318.71	45712.63	162313.79	48925.17	141748.45	42204.35
12.	ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	147673.00	1983.00	141789.00	1298.00	70730.00	631.00
13.	पंजाब नैशनल बैंक	20426.00	1124.00	30697.00	955.00	24067.00	564.00
14.	पंजाब एंड सिंध बैंक	5378.02	466.43	5126.19	510.09	3759.18	460.48
15.	सिंडिकेट बैंक	167369.00	15570.00	179743.00	25892.00	155763.001	23824.00
16.	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	121653.86	436.16	109052.26	384.82	92018.19	0.00
17.	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	50746.00	1444.00	55366.00	737.00	50892.00	468.00
18.	यूको बैंक	5958.58	98.52	11338.62	88.12	9530.49	166.36
19.	विजया बैंक	67803.30	776.86	98758.17	1022.16	58770.13	884.36
20.	भारतीय स्टेट बैंक	245188.00	9345.00	407425.00	6771.00	424597.00	2390.00
21.	आईडीबीआई बैंक	131575.00	302.00	79136.00	443.00	74192.00	185.00
	कुल	1871366.03	87770.55	2027505.43	101013.29	1756909.05	84014.21

उपकर और अधिभार संबंधी अध्ययन

4749. **श्री बी. विनोद कुमार**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पन्द्रहवां वित्त आयोग केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए उपकरों और अधिभार संबंधी कानूनी अध्ययन आरंभ करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पन्द्रहवें वित्त आयोग ने केन्द्र द्वारा संग्रहीत किए गए प्रत्यक्ष कर और जी.एस.टी. में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की हिस्सेदारी के अनुपात के संबंध में सुझाव दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र द्वारा लगाए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पूल में शामिल नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दी गई समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क), (ख) और (घ) पंद्रहवें वित्त आयोग के गठन को दिनांक 27 नवंबर, 2017 को भारत के राजपत्र, असाधारण खंड-II भाग-3, उप-खंड (ii) का.आ. 3755 (अ) द्वारा अधिसूचित किया गया था। राजपत्र अधिसूचना में, करों की निवल प्राप्तियों की केंद्र और राज्यों के बीच वितरण, रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख आदि सहित विचारार्थ विषय शामिल हैं।

(ग) संविधान के अनुसार विशिष्ट प्रयोजनार्थ लगाए गए उपकर और अधिभार विभाज्य पूल में शामिल नहीं किए जाते हैं।

कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना

4750. **श्री राहुल शेवाले**:

श्री भर्तृहरि महताब:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी एवं निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत अपेक्षित लाभ के खर्च की जांच करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. के अंतर्गत अपेक्षित खर्च से बचने के लिए अपनाई गई गुप्त गतिविधियों का सरकार ने किस प्रकार पता लगाया है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान सी.एस.आर. के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों का पालन नहीं करने के लिए कितनी कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की गई है तथा तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त कंपनियों द्वारा अपने लाभों का सी.एस.आर. के अंतर्गत अपेक्षित खर्च सुनिश्चित किए जाने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं तथा इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गई है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) और (ख) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135(3) और (4) में कंपनी के बोर्ड और इसकी सी.एस.आर. समिति को इस अधिनियम की अनुसूची-VII में सूचीबद्ध कार्यकलापों के लिए सी.एस.आर. धनराशि आवंटित करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। सी.एस.आर. से संबंधित अधिनियम के संगत प्रावधान के अनुपालन का उल्लंघन सूचित किये जाने का अधिनियम की धारा 134(8) के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की जाती है।

(ग) केवल वित्तीय वर्ष 2014-15 में ही 221 मामलों में सी.एस.आर. संबंधी उल्लंघन करने के लिए कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किये गये हैं।

(घ) इस मंत्रालय ने सी.एस.आर. प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु कॉरपोरेट को जानकारी देने के लिए पिछले वर्षों में संपूर्ण भारत में कार्यशालाओं का आयोजन किया था। साथ ही इस मंत्रालय ने कंपनियों और व्यवसायिकों द्वारा सी.एस.आर. के प्रभावी कार्यान्वयन में सुविधा की दृष्टि से दिनांक 18.06.2014 और 12.01.2016 को क्रमशः स्पष्टीकरण परिपत्र और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफ.ए.क्यू.) जारी किये हैं।

लिंगानुपात में कमी

4751. **श्री अनुराग सिंह ठाकुर**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में जन्म लिंगानुपात में भारी कमी दर्ज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) और (ख) एस.आर.एस. 2016 पर आधारित नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार आधार वर्ष (2012-2014) और संदर्भ वर्ष (2013-15) के बीच छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हरियाणा सहित नौ राज्यों में जन्म के समय लिंग अनुपात में भारी गिरावट (10 अथवा अधिक अंक) दर्ज की गई है।

तथापि, हिमाचल प्रदेश राज्य से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, राज्य ने केंद्रीय जन्म आंकड़ा पंजीकरण के अनुसार जन्म के समय लिंग अनुपात में पर्याप्त सुधार हुआ है तथा यह अनुपात 2012 में 916 से बढ़कर 2017 में 928 हो गया है।

जन्म के समय लिंग अनुपात असमानताएं लिंग आधारित लिंग चयन भेदभावपूर्ण रवैये की अभिव्यक्ति है, जिससे जन्म से पूर्व ही कन्याओं की हत्या करने को बढ़ावा मिल रहा है। इसके सर्वाधिक प्रमुख कारणों में पुत्र प्राप्ति की अत्यधिक इच्छा होना तथा गैर-कानूनी लिंग चयन हेतु प्रसव-पूर्व नैदानिक प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग है।

(ग) सरकार ने गर्भधारण से पूर्व अथवा गर्भधारण के पश्चात् लिंग चयन को निषेध करने तथा लिंग के निर्धारण हेतु गर्भधारण पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने के लिए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 लागू किया है।

भारत सरकार ने गर्भधारण-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के अधिनियम के अतिरिक्त एक बहु-प्रयोजनीय कार्यनीति को अंगीकार किया है, जिसमें लिंग सुग्राही नीतियों, प्रावधानों और कानून के माध्यम से कन्या शिशु के प्रति एक सकारात्मक माहौल बनाने हेतु जारूकता सृजन तथा समर्थक उपायों के लिए योजनाएं एवं कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण उपाय अनुलग्नक में दिए गए हैं।

इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उठाए गए अन्य राज्य विशिष्ट कार्य निम्नानुसार हैं:

- 2015 से 2017 तक अधिनियम के तहत उल्लंघन के कुल 11 मामले दर्ज किए गए हैं।
- पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. के तहत जिला उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा 2015-16 में 602 निरीक्षण, 2016-17 में 843 निरीक्षण तथा 2017-18 (31.12.2017 तक) में 730 निरीक्षण किए गए हैं।
- राज्य सरकार प्रत्येक जिले में सर्वोत्तम शिशु लिंग अनुपात रखने वाले ब्लॉक को राज्य के बजट से वार्षिक आधार पर 5,00,000 (पांच लाख रुपये मात्र) का प्रोत्साहन दे रही है।

विवरण

शिशु लिंग अनुपात के अंतर को समाप्त करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उठाए गए विभिन्न कदम

- सरकार ने गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 के प्रभावी कार्यान्वयन तेज किया है तथा नियमों के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन किया है।
- भारत सरकार ने, अल्ट्रासाउंड में छः माह के प्रशिक्षण, संशोधित प्रपत्र 'एफ' को सरल बनाने, समुचित प्राधिकारियों के लिए आचार संहिता के लिए नियमों, सरकारी नैदानिक सुविधा केंद्रों को पंजीकरण शुल्क से छूट तथा अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी को अपील करने के तरीके सहित, अधिनियम के तहत नियमों में किए गए अनेक महत्वपूर्ण संशोधनों को अधिसूचित किया है।
- राष्ट्रीय निरीक्षण एवं निगरानी समिति (एन.आई.एम.सी.) द्वारा किए जाने वाले निरीक्षणों को बढ़ा दिया है। 2015-16 के दौरान, पंजाब, पुदुचेरी, त्रिपुरा, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, बिहार, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, उत्तराखंड, कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में 22 एन.आई.एम.सी. निरीक्षण किए गए हैं। 2017 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में 12 एन.आई.एम.सी. निरीक्षण किए गए। 2017-18 के दौरान पंजाब, गुजरात, उत्तराखंड, केरल, आंध्र प्रदेश, मणिपुर, महाराष्ट्र,

झारखंड, ओडिशा, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ राज्यों में 20 एन.आई.एम.ओ. दौरे किए जा चुके हैं।

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/जिला निरीक्षण एवं निगरानी समितियों का गठन किया गया है तथा ये समितियां नियमित रूप से वास्तविक निरीक्षण कर रही हैं। दिसंबर, 2017 तक महाराष्ट्र राज्य द्वारा सर्वाधिक (184354) तथा उसके पश्चात् पंजाब (42993) तथा उत्तर प्रदेश (24565) निरीक्षण किए गए हैं।

- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय समर्पित पी.एन.डी.टी. सैलों का गठन करने, क्षमता निर्माण, निगरानी एवं समर्थकारी अभियानों इत्यादि के लिए कार्यान्वयन तंत्रों को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। पी.एन.डी.टी. सैलों, निगरानी एवं क्षमता निर्माण तथा आई.ई.सी. अभियानों के लिए 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में क्रमश: 23.11 करोड़ रु., 34.71 करोड़ रु. तथा 23.79 करोड़ रु. अनुमोदित किए गए। इसके अलावा, 2017-18 में पी.एन.डी.टी. क्रियाकलापों के लिए कुल 26.14 करोड़ रु. आवंटित किए गए।

- राज्य उपयुक्त प्राधिकारियों तथा राज्य नोडल अधिकारियों के लिए नियमित रूप से राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।

- पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु बेहतर स्पष्टता के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जिला उपयुक्त प्राधिकारियों के लिए व्यापक मानक परिचालन दिशा-निर्देश (एस.ओ.जी.) तैयार किए गए हैं।

- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर कार्यक्रम समीक्षा को तेज किया गया है। 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 के दौरान उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिण-पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कुल 14 क्षेत्रीय समीक्षा कार्यशालाएं आयोजित किए गईं।

- ऑनलाइन प्रपत्र एक मानकीकरण करने तथा डॉक्टरों के खिलाफ अनुचित मामलों पर रोक लगाने हेतु लिपिकीय गलतियों को न्यूनतम करने के लिए 13 जनवरी, 2017 को राष्ट्रीय स्तर की परामर्श्र बैठक का आयोजन किया गया था। 'प्रपत्र एफ' सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए परामर्श के निष्कर्ष के सामान्य न्यूनतम मानकों का उल्लेख करते हुए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्श पत्र भेजा गया है।

- रिट याचिका (सि.) नं. 349/2006 (पंजाब स्वैच्छिक स्वास्थ्य एसोसिएशन बनाम भारत सरकार और अन्य) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर उनकी अनुपालना को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित मंत्रालयों/विभागों को संसूचित कर दिया गया है।

- सरकार ने माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 की रिट याचिका (सि.) 341 में दिनांक 16.11.2016 को आदेश के तहत दिए गए निर्देशों के अनुसार, पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम, 1994 के तहत निषेध गर्भधारण-पूर्व तथा प्रसव-पूर्व लिंग चयन अथवा लिंग निर्धारण से संबंधित इंटरनेट पर दिखाए जाने वाले ई-विज्ञापनों को विनियमित तथा हटाने के लिए एक नोडल एजेंसी भी गठित की है।

- राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी के माध्यम से न्यायपालिका को अनुकूलन एवं संवेदनशील बनाने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा 4 तथा 5 फरवरी, 2017 को भोपाल में दो दिवसीय न्यायपालिका अनुकूलन एवं संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अलावा, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए दो अभिमुखी कार्यक्रमों में पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के संबंध में दो विशेष सत्रों का भी आयोजन किया गया।

- कारणों का पता लगाने, समुचित व्यवहार परिवर्तन संप्रेषण अभियानों की योजना बनाने तथा पी.सी. एंड पी.एन.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करने हेतु निम्न शिशु लिंग अनुपात वाले जिलों/ब्लॉकों/गांवों पर ध्यान देने के लिए राज्यों को सलाह दी गई है।

नकली एवं मियाद समाप्ति वाली दवाएं

4752. **श्रीमती नीलम सोनकर:**

श्री ताम्रध्वज साहू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में सरकारी अस्पतालों में एवं खुले बाजार में बेची जा रही नकली, घटिया, मियाद समाप्ति वाली एवं प्रतिबंधित दवाओं के वितरण से संबंधित मामले प्रकाश में आए है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षो में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान प्रकाश में आएं उक्त मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या क्या है तथा उनमें से कितने मामलों की जांच की गई है एवं इस संबंध में छापे मारे गए हैं तथा संबंधित व्यक्तियों और विनिर्माताओं के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या वर्तमान कानूनी ढांचा एवं कर्मचारी उक्त घटिया एवं मियाद समाप्ति वाली दवाओं के विनिर्माण/वितरण की निगरानी करने एवं रोकने के लिए पर्याप्त है तथा यदि हां; तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में वर्तमान कानूनों/अवसंरचना/श्रम शक्ति एवं निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) देश में औषधियों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) तथा राज्य औषधि विनियामकों द्वारा पूरे देश से बड़ी संख्या में औषधियों के नमूने लिए गए तथा उनकी केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की प्रयोगशालाओं में जांच की गई तथा विश्लेषण किया गया। कुछ मामलों में, जांच किए गए विश्लेषित किए गए नमूने निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। उन औषधियों का विवरण, जो कि निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए थे, केन्द्रीय अथवा संबंधित राज्य विनियामक द्वारा तत्काल ही अधिसूचित कर दिया गया। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान घटिया, नकली/मिलावटी औषधियों के मामलों का ब्यौरा, प्रारंभ किए गए अभियोजनाओं के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। पिछले तीन वर्षो के दौरान वैधता अवधि समाप्त होने वाली औषधियों के मामलों के संबंध में पता लगाए गए आंकड़े संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) मशेल्कर समिति ने 200 बिक्री केन्द्रों पर एक निरीक्षण तथा 50 उत्पादन इकाइयों पर एक निरीक्षक की तैनाती की सिफारिश की है। भारतीय फार्मा उद्योग के आकार तथा बिक्री इकाइयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर लगभग 3200 औषधि निरीक्षकों की आवश्यकता होगी। मेडिकल उत्पादों की गुणवत्ता, सुरक्षा एवं प्रभावोत्पादकता को सुनिश्चित करने की अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु देश में औषधि विनियामक कार्मिकों की वर्तमान संख्या पर्याप्त नहीं है। इसे ध्यान में रखते हुए सरकार ने केन्द्र तथा राज्यों दोनों में औषधि विनियामक ढांचे को सुदृढ़ बनाने हेतु 1750 करोड़ रुपये की लागत से एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना में कार्मिक शक्ति, मौजूदा प्रयोगशाला अवसंरचना का उन्नयन, नई प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का प्रावधान शामिल है।

इसके अलावा, दिनांक 27.10.2017 की राजपत्र अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 1337 (ई) के तहत औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में भी संशोधन किया गया है जिसमें उत्पादन लाइसेंस की मंजूरी दिए जाने से पूर्व उत्पादन करने वाली स्थापना का केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के औषधि निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किए जाने को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा लाइसेंस धारकों के उत्पादन परिसरों का लाइसेंस की शर्तों एवं औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों की अनुपालना का सत्यापन करने हेतु तीन वर्ष में कम से एक बार अथवा जोखिम आधारित एप्रोच के अनुरूप अपेक्षानुसार केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के औषधि निरीक्षकों द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण किया जाएगा।

विवरण-I

अप्रैल, 2014-मार्च, 2015 के दौरान राज्य औषध नियंत्रक द्वारा उठाए गए परीक्षण के नमूनों की संख्या और प्रवर्तन कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	परीक्षण किए गए दवाओं के नमूने की संख्या	घटिया घोषित दवाओं के नमूनों की संख्या	मिलावटी/ घटिया घोषित दवाओं के नमूनों की संख्या	शुरू किए गए घटिया/मिलावटी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण के लिए अभियोजन की संख्या	सुलझाए गए मामलों की संख्या (पहले कॉलम में उल्लेख किया है)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई दवाओं का अनुमानित मूल्य	मारे गए छापों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या पर की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1270	10	4	शून्य	शून्य	शून्य	1010635	505	चेतावनी जारी-6, जारी एसओएस-697, जारी एससीएनएस-198
2.	अरुणाचल प्रदेश	272	7	1 (गलत बांड)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	767	39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार*	682	11	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	398	158
5.	गोवा	473	11	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	11300	499	5	5	शून्य	शून्य	शून्य	5	जांच के तहत
7.	हरियाणा	2150	25	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	8306	101-लाइसेंस रद्द 187-लाइसेंस निलंबित 12-कोर्ट में मामले शुरू किए गए 01-जारी की गई चेतावनी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										118-जांच के अधीन जहां कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 01-प्राथमिकी पंजीकृत
8.	हिमाचल प्रदेश	881	31	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	3478	42	1	अभियोजन की अनुमति प्रदान की गई और उसे फाइल किया जा रहा है	शून्य	शून्य	1,865,950	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	6818	302	-	3	-	-	527095	-	-
11.	केरल	4496	103	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1761	27	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	4406	420	25	01 (2 नमूने, 1 अभियोग आदेश, 01 अभियोजन)	3	13	35006352	33	2 प्राथमिकी दर्ज की गई, 7 अभियोजन 19 जांच के अधीन, अभियोजन .फाइल किया गया है।
14.	मणिपुर	26	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	57	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	103	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	56	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.	ओडिशा	3915	98	1	2013-14 के दौरान 04 नग जब्त किए गए और 2014-15 के दौरान 02 नग जब्त किए गए हैं	शून्य	शून्य	97,240	801 (फरवरी, 2015 तक)	(i) छापा मारने के बाद डीआई द्वारा प्रस्तुत आईआर के विरुद्ध नियम 66 (1) तहत एससीएन जारी किए जा रहं हैं। (ii) डीसी/ एफडीए को सूचना के तहत एनएसक्यू दवाओं की ड्रग रिकॉल हेतु कदम उठाए गए हैं ताकि उनकी तरफ से आगे की कार्रवाई की जाए और केंद्रीय सरकार के दिशा निर्देशों के अनुपालन में यथा गठित राज्य की जांच समिति की सिफारिशों के साथ विनिर्माताओं के विरुद्ध आगे की कार्रवाई को अंतिम रूप देने के लिए जांच रिपोर्ट के साथ उनकी की गई कार्रवाई रिपोर्ट भेजी जा सके। (iii) की गई जब्ती की संख्या: 23
19.	पंजाब	2628	61	8	शून्य	शून्य	शून्य	2218274	2318	प्रक्रिया के तहत कार्रवाई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	2167	97	3	14	1	4	2929097	316	28 और (एक मामलें में दोषी को 7 साल की सजा और 7 लाख रुपये का जुर्माना के लिए दोषी ठहराया आरोपी)
21.	सिक्किम	87	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	9498	387	2	2	शून्य	शून्य	शून्य	बिक्री परिसर के खिलाफ उक्त अवधि के दौरान 240 छापे मारे गए	संबंधित अदालत के समक्ष अभियोजन शुरू करने के लिए 450 मंजूरी आदेश जारी किए गए।
23.	त्रिपुरा	679	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	3	प्रक्रिया के तहत
24.	उत्तर प्रदेश	10440	1384	28	122	0	68	4833868	1089	64 प्राथमिकी दर्ज की गई और 68 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
25.	पश्चिम बंगाल	842	22	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	153	3	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	183000	1	अभियोजन शुरू किया जाएगा।
29.	दिल्ली	29	1	1	शून्य	शून्य	शून्य	19000	1	प्राथमिक शुरू

30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	464	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	343	29	शून्य	2	6	शून्य	140000	17	एफआईआर-04 लाइसेंस रद्द-01 लाइसेंस निलंबित-01
35.	उत्तराखंड	182	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4	डी एंड सी अधिनियम तथा उसके तहत नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर अगले आदेशों के लिए 06 विनिर्माता इकाइयों का विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।
36.	तेलंगाना	3716	35	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	94,20,600 (अप्रैल माह में)	शून्य	शून्य
	कुल	74199	3702	83	152	10	85	58251111	14042	-

विवरण-II

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान राज्य औषध नियंत्रक द्वारा उठाए गए परीक्षण के नमूनों की संख्या और प्रवर्तन कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	परीक्षण किए गए दवाओं के नमूने की संख्या	नकली घोषित दवाओं के नमूनों की संख्या	मिलावटी/ नकली घोषित दवाओं के नमूनों की संख्या	शुरू किए गए नकली/मिलावटी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण के लिए अभियोजन की संख्या	सुलझाए गए मामलों की संख्या (पहले कॉलम में उल्लेख किया है)	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	जब्त की गई दवाओं का अनुमानित मूल्य	मारे गए छापों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या पर की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2711	113	90	शून्य	शून्य	शून्य	1614601	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	231	17	2(1 नकली+ 1 गलत ब्रांड का)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	795	21	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार***	354	3	शून्य	शून्य	शून्य	3	शून्य	33	एफआईआर-03 निलंबित-01 रद्द-11 अभियोजन-15
5.	गोवा	521	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	13425	448	8	42	0	0	0	18	जांच के तहत
7.	हरियाणा	2262	38	3	3	शून्य	1	शून्य	65	औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत लाइसेंस निलंबित/ रद्द/अभियोजन शुरू

8.	हिमाचल प्रदेश	936	24	शून्य	1	शून्य	शून्य	ज्यादातर सरकारी आपूर्ति	1	(क) जांच के तहत (ख) प्राथमिकी दर्ज
9.	जम्मू और कश्मीर	2565	54	1	1	शून्य	शून्य	2704443	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	8086	563	शून्य	1	इस अवधि के दौरान पहले दायर 02 मामले का निर्णय किया गया	शून्य	जब्त किए गए एनएसक्यू दवा का मूल्य 33,66,850 रुपये	शून्य	शून्य
11.	केरल	5220	152	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1,622	24	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	3778	351	31	सभी मामलों में अभियोजन आदेश जारी किए गए हैं	जांच प्रगति पर	1	1,01,58,938/- रुपये	14	-
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय	131	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	98	7 (1 नमूना गलत ब्रांड का है)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	15 लाख रुपये	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	25	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा*	3678	93	1	26	शून्य	1	6415837-नकली दवाएं	845	52 जब्ती
19.	पंजाब	2791	165	37	बाकी मामलों में 3 कार्रवाई चल रही है।	मुकदमा चल रहा है	2	2,51,06,982/- रूपये	416	3 अदातल मामले शुरू किए गए हैं, 18 प्राथमिकी दर्ज की गई है, बाकी मामलों की जांच चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	3297	208	3	26	-	-	2,026.50	-	-
21.	सिक्किम	105	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	9842	478	4	3	शून्य	शून्य	शून्य	बिक्री परिसर के खिलाफ उक्त अवधि के दौरान 555 छापे मारे गए	संबंधित अदालत के समक्ष अभियोजन शुरू करने के लिए 460 स्वीकृति आदेश जारी किए गए हैं (01.04.2015 से पहले मामलों का पता चला)
23.	त्रिपुरा	627	16	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	7326	782	45	119	शून्य	48	85,32,071/- रुपये	1316	प्राथमिक-56, गिरफ्तारी-48, कुल जब्ती-85,32,071/- रुपये
25.	पश्चिम बंगाल	722	24	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पुदुचेरी	84	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	151	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	22,976/- रुपये	4	फर्म के खिलाफ माननीय न्यायालय में दो अभियोजन शुरू किए गए और शेष तीन की जांच चल रही है।

29.	दिल्ली	40	9	5	5	शून्य	3	10 लाख	18**	59 कंपनियों को डी एवं सी नियम, 1945 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए पाया गया। दोषी कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की गई है। 2 मामलों में अवमानक/ नकली लगभग 59 लाख मूल्य के दवाओं को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त किया गया और एक मामले में 10 लाख रुपये मूल्य की दवा (ऑक्सीटोसिन) जब्त की गई।
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव***	7	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़***	33	12	शून्य	1	शून्य	1	20000/- रुपये	2	मामले की जांच चल रही है।
34.	झारखंड	573	29	शून्य	26	शून्य	-	-	52	18 प्राथमिकी
35.	उत्तराखंड	88	17	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36.	तेलंगाना	2462	25	3	2	-	-	661000/- रुपये	309	3-एनएसक्यू, 2-जांच के तहत, 20 जब्त, 7 अभियोजन शुरू की और अन्य पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।
	कुल	74,588		234	289	2	59	55313470.5+ सरकारी आपूर्ति	3648	-

(*) = अप्रैल, 2015 से फरवरी, 2016 तक के डेटा

(**) = दिल्ली पुलिस अधिकारियों के साथ मारे गए 02 छापे शामिल

(***) = 1 अप्रैल, 2015-30 सितम्बर, 2015 की तिथि के अनुसार डाटा

1 अप्रैल, 2015 से 31 मार्च, 2016 के दौरान राज्य औषध नियंत्रक द्वारा उठाए गए परीक्षण के नमूनों की संख्या और प्रवर्तन कार्रवाई

क्र. सं.	राज्य	दवाओं के नमूने की संख्या जिनका परीक्षण किया	दवाओं के नमूनों की संख्या जो मानक गुणवत्ता की नहीं घोषित की गई	दवाओं के नमूनों की संख्या जिनकी नकली/ मिलावटी की घोषणा की	नकली/मिलावटी दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण के लिए मुकदमा चलाने की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या (पहले कॉलम में उल्लेख किया है)	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त दवा की अनुमानित मूल्य	आयोजित छापों की संख्या	मारे गए छापों की संख्या पर की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	2979	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13567403	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	47	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	745	43	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.	बिहार*	397	11	शून्य	शून्य	6	16	26311817	78	47
5.	गोवा	534	17	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	11,071	535	22	2	शून्य	शून्य	शून्य	3	जांच के तहत
7.	हरियाणा	1901	12	1	5	1	शून्य	शून्य	6890	-
8.	हिमाचल प्रदेश	1001	36	5	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	2958	60	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13983937	शून्य	शून्य
10.	कर्नाटक	8217	468	शून्य	2	शून्य	शून्य	21 लाख एनएसक्यू ड्रग्स	-	शून्य
11.	केरल	8934	140	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	1624	15	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	4592	335	33	सभी मामलों में, अभियोजन आदेश जारी किए गए हैं और 4 मामलों में न्यायालय में मुदकमा दायर किया गया है।	शून्य	1	392,235	10	7
14.	मणिपुर*	19	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय*	97	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	79	8	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	4036	113	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	851	शून्य
19.	पंजाब	2750	58	16	12 (शेष मामलों में कार्रवाई चल रही है।)	1	3	17,71,725	1389	एक मुकदमा शुरू किया गया है, शेष मामलों की जांच चल रही है

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	राजस्थान	2545	147	30	3	2	15	1,615,137.47	13	एक निर्माता द्वारा पुनर्जांच अनुरोध वापस लेने के लिए अदालत में प्रक्रिया 12-जांच के तहत
21.	सिक्किम	102	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	9510	392	4	6#	शून्य	शून्य	शून्य	447	370#
23.	त्रिपुरा	1151	10	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	7357	222	3	106	2	54	1,42,35,568	1119	एफआईआर-57, गिरफ्तार व्यक्ति-54, कुल जब्त-रुपये 14235568
25.	पश्चिम बंगाल	683	36	4	6	शून्य	4	शून्य	4	शून्य
26.	पुदुचेरी	3	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	10	शून्य
28.	चंडीगढ़	86	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	278	18	2	5	5	शून्य	15000	35	कुल 289 फर्मों का निरीक्षण किया गया जिनमें से 82 कंपनियां औषध और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करती पाई गई। नियमों के अनुसार भ्रष्टाचारी कंपनियों के खिलाफ

										कार्रवाई शुरू की गई है/की गई है।
30.	दादरा और नगर हवेली	4	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	15	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	468,895	1	मामला जांच में है
34.	झारखंड	148	13	शून्य	6	शून्य	13	2807000	66	निलंबन-34, अभियोजन-35 निलंबन करना-05, एफआईआर-28
35.	उत्तराखंड	217	22	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5	शून्य
36.	तेलंगाना	2619	39	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	76,721	2,780	123	186	17	106	7,72,68,717.5	10,921	-

(*) = डेटा 1 अप्रैल, 2016 से 30 सितंबर, 2016 तक

(#) = आंकड़े 01.04.2016 से पहले पहचाने गए मामलों की संख्या इंगित करते हैं।

राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार समाप्त दवाओं, अवधि समाप्त जब्त की गई दवाओं की मात्रा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या, जब्त की गई दवाओं का अनुमानित मूल्य, अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई, अवधि समाप्त दवाओं के लिए किए गए अभियोजन की संख्या और 2014-15 के दौरान फैसला की संख्या (जैसा पिछले कॉलम में उल्लेख किया गया है)

क्र. सं.	राज्य	अवधि समाप्त दवाओं के मामले	अवधि समाप्त जब्त की गई दवाओं की मात्रा	गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या	जब्त दवाओं का अनुमानित मूल्य (रुपये में)	अपराधियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई	अवधि समाप्त दवाओं के लिए अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (जैसा पिछले कॉलम में उल्लेख किया गया है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1	20 प्रकार की दवाइयां	-	20,000	जांच के अधीन	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार*	1	557 इकाइयां	5	40,000	प्राथमिकी-2	प्रक्रियाधीन	2
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं
9.	जम्मू और कश्मीर	मे. किडनी मेडिकेट सोनावर, श्रीनगर द्वारा 27.01.2014 को बेची गई अवधि समाप्ति तारीख अगस्त, 2013 वाला 1 इंजेक्शन नियोजेस्ट।	नियोजेस्ट के अलावा 15 एम्पोलस या विभिन्न दवाएं	शून्य (सम्मान जारी किए गए और अपराधी स्वयं माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत)	4278	मे. किडनी मेडिकेट सोनावर, श्रीनगर के विरुद्ध अभियोजन शुरू	1	शून्य
10.	कर्नाटक	2	-	-	-	-	2	2
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
14.	मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	उपलब्ध नहीं
15.	मेघालय	शून्य	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता	प्रश्न नहीं उठता
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

18.	ओडिशा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19.	पंजाब	5	मुख्यालय के आंकड़े उपलब्ध नहीं	शून्य	73,264	कार्रवाई प्रक्रियाधीन	1	शून्य
20.	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22.	तमिलनाडु	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	शून्य	10 मामलों में संबंधित अदालत के समक्ष मुकदमे शुरू। सभी 10 मामलों की माननीय अदालत के समक्ष सुनवाई चल रही है।	10	शून्य
23.	त्रिपुरा	10	शून्य	शून्य	0	कार्रवाई शुरू कर दी गई	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश*	1	विभिन्न ब्रांड की 309x10 गोलियां, विभिन्न ब्रांड के 38x10 कैप्सूल, 14x5 मिली एलवीपी और 5x40 कंडोम	1	15000	एफआईआर दर्ज कराई है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया	1	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
28.	चंडीगढ़	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं	कोई नहीं
29.	दिल्ली	2	शून्य	शून्य	शून्य	लाइसेंस निलंबित	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव*	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	शून्य	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	1	5 कार्टन	शून्य	30000	शून्य	शून्य	शून्य
34.	झारखंड	2	1 बॉक्स और 523 गोली	शून्य	शून्य	शून्य	1	शून्य
35.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
36.	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(*) सितंबर, 2014 तक प्राप्त आंकड़े

राज्यों से प्राप्त सूचनानुसार 1.04.2015 से 31.03.2016 के दौरान मियाद खत्म दवाओं, जब्त दवाओं की मात्रा, गिरफ्तारी, जब्त दवाओं का मूल्य, अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, अभियोजन की संख्या तथा निर्णीत मामलों की संख्या दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	राज्य	मियाद खत्म दवाओं के मामले	जब्त दवाओं की मात्रा	गिरफ्तारी की संख्या	जब्त दवाओं का मूल्य (रु. में)	अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई	अभियोजन की संख्या	मामलों की संख्या (पहले के कॉलम अनुसार)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	2	2	-	3500/-	-	1	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

5. गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6. गुजरात	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1	जांचाधीन
7. हरियाणा	3	-	3	लगभग 1,90,000/-	दर्ज प्राथमिकी (अभियोग शुरू)	03 (शुरुआत)	शून्य
8. हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9. जम्मू और कश्मीर	5	15 रोल मियाद खत्म काटन और मियाद खत्म दवाएं	शून्य	5800	अभियोजन शुरू/ लाइसेंस निलंबित	3	शून्य
10. कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11. केरल	2	अलग-अलग मात्रा में 7 मद	शून्य	लगभग 3576.54 रु.	कानूनी कार्रवाई शुरू	2	शून्य
12. मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13. महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14. मणिपुर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15. मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16. मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17. नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18. ओडिशा*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
19. पंजाब	3	5 मद	शून्य	41,69,772/-	3 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित	शून्य	3 दवा विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित
20. राजस्थान	-	-	-	-	-	-	-
21. सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
22. तमिलनाडु	6	अलग-अलग मात्रा में 75 मद	शून्य	रु. 2000000/-	3 मामलों में सम्बद्ध न्यायालय में अभियोग शुरू/तीन मामले न्यायाधीन	3 (01.04.2015 से पहले मामलों का पता चला)	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23.	त्रिपुरा	1	91 मद	शून्य	गणना नहीं की गयी	प्रक्रियाधीन	शून्य	शून्य
24.	उत्तर प्रदेश	2	मियाद खत्म दवा के लगभग 76 बैग	1	5 लाख	प्राथमिकी दर्ज, व्यक्ति गिरफ्तार	शून्य	शून्य
25.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26.	पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28.	चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29.	दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31.	दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32.	लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33.	छत्तीसगढ़	1	1 मद	शून्य	25000	अभियोग शुरू	1	शून्य
34.	झारखंड	5	-	-	लगभग 4000	04 निलंबन	-	-
35.	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	तेलंगाना	330	कई प्रकार की औषधियां जब्त	शून्य	1,17,800/-	329	1	-
	कुल	362	272	4	94944.54	339	15	-

(*) = अप्रैल, 2015 से फरवरी, 2016 तक के आंकड़े

(**) = 1 अप्रैल से 30 सितम्बर, 2015 तक के आंकड़े

अप्रैल, 2016 से 31 मार्च, 2017 के दौरान राज्यों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार एक्सपायर्ड जब्त औषधों की मात्रा, गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या, जब्त की गई औषधों की अनुमानित कीमतें, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ की गई कार्यवाही, मियाद खत्म औषधों के लिए शुरू किए गए अभियोजनों की संख्या तथा निर्गत मामलों की संख्या (जैसा कि पूर्ववर्ती कॉलम में उल्लेख है) को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	समाप्त हो चुके दवाओं के मामले	जब्त समय सीमा समाप्त दवाओं की मात्रा	गिरफ्तार व्यक्ति की संख्या	जब्त दवाओं का अनुमानित मूल्य (रुपये में)	अपराधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई	समाप्त हो चुके दवा के लिए शुरू की गई अभियोजन की संख्या	निर्णीत मामलों की संख्या (जैसा पहले कॉलम में उल्लिखित है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अरुणाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
3.	असम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
4.	बिहार*	4	51	6	819,034	डेटा प्राप्त नहीं हुआ	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	2	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	2	जांच के तहत
7.	हरियाणा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
8.	हिमाचल प्रदेश	1	लघु मात्रा (चिकित्सक के नमूने आदि के लिए एक कैमिस्ट से जब्त दवाओं में से कुछ दवाओं के कुछ स्ट्रिप्स एक्सपायर्ड भी जब्त किए गए थे)	शून्य	रुपये लगभग 1000	औषधों एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत अभियुक्त के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और जांच चल रही है।	शून्य	शून्य
9.	जम्मू और कश्मीर	1	मेगापेन के5 शीश और वालमैसीन के 3 शीश	शून्य	174	अभियोजन की शुरुआत	1	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	कर्नाटक	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11.	केरल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
12.	मध्य प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
13.	महाराष्ट्र	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
14.	मणिपुर*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
15.	मेघालय*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
17.	नागालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
18.	ओडिशा	2	दवाओं के 20 आइटम	शून्य	15,795	(i) माननीय एसडीजेएम, बेरहमपुर (ii) (सी)(सीसी-424/16) मामला 2 (सी) सीसी 423/16 माननीय एसडीजेएम, ब्रह्मपुर के न्यायालय में दर्ज	2	निर्णयाधीन
19.	पंजाब	7	दवाओं की 5904 वस्तुएं	शून्य	1,15,605	6 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं	शून्य	6 केमिस्टों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं
20.	राजस्थान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
21.	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

22. तमिलनाडु	2	दवाओं के 82 आइटम	शून्य	रु. 8147/-	दो मामलों में संबंधित न्यायालय के समक्ष अभियोजन शुरू किया गया। माननीय न्यायालय के सामने सभी 4 मामले मुकदमे में हैं।	4 #	शून्य
23. त्रिपुरा	1	398 बोतलें	शून्य	35,933	लाइसेंस रद्द कर दिए गए	शून्य	शून्य
24. उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25. पश्चिम बंगाल	1	शून्य	2	रुपये 10 लाख	अभियोजन शुरू किया	1	शून्य
26. पुदुचेरी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह*	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28. चंडीगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29. दिल्ली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
30. दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
31. दमन और दीव	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
32. लक्षद्वीप	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
33. छत्तीसगढ़	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

1	2	3	4	5	6	7	8	9
34.	झारखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
35.	उत्तराखंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
36.	तेलंगाना	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल	21		8	1995888		10	

(*) = अप्रैल, 2016 से सितम्बर, 2016 तक डेटा

(#) = निर्दिष्ट करता है कि उल्लिखित अवधि से पहले केस का पता चला।

[अनुवाद]

मिश्रित कर से नियमित कर की ओर स्थानांतरण

4753. **श्रीमती कविता कलवकुंतला:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) के अंतर्गत आज की तिथि तक कुल कितने करदाता पंजीकृत हुए हैं;

(ख) मिश्रित डीलरों के नेटवर्क के रूप में इसमें कुल कितने डीलर पंजीकृत हुए हैं;

(ग) क्या कई मिश्रित डीलर, मिश्रित योजना को छोड़कर, नियमित करदाता बन गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) 19.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार जी.एस.टी. के अंतर्गत कुल 1,05,19,985 करदाता पंजीकृत हैं।

(ख) 19.03.2018 तक की स्थिति के अनुसार जी.एस.टी. के अंतर्गत पंजीकृत कंपोजीशन डीलरों की कुल संख्या 17,98,882 है।

(ग) और (घ) कुल 1,29,492 कंपोजीशन डीलरों ने अपने विकल्प का प्रयोग करते हुए कंपोजीशन स्कीम से बाहर जाने का फैसला किया है। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि कंपोजीशन डीलरों से माल की खरीद करने वाले करदाता इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई.टी.सी.) के हकदार नहीं होते हैं।

स्वाइन फ्लू

4754. **श्री रमेश चन्द्र कौशिक:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष के दौरान देश में स्वाइन फ्लू के मामलों और उक्त रोग से हुई मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त रोग से निपटने के लिए राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की तैयारी तथा संबंधित दवाओं एवं टीकों की पर्याप्त उपलब्धता का जायजा लिया है;

(ग) क्या सरकार देश में स्वाइन फ्लू के परीक्षण के लिए और अधिक सैंपल संग्रह केंद्र खोलने के लिए कोई योजना शुरू करने का विचार रखती है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने जम्मू सहित देश भर में विशेष रूप से स्वाइन फ्लू के लिए सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी को नोट किया है तथा यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए सुधारात्मक कदमों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान देश में स्वाइन फ्लू/मौसमी हैजे (एच1एन1) के मामलों और उनके कारण हुई मौतों की बताई गई संख्या राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) जी, हां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अपने एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम (आई.डी.एस.पी.) के माध्यम से मौसमी हैजे एच1एन1 (स्वाइन फ्लू) की दैनिक आधार पर निगरानी रखता है। राज्यों की तैयारी और औषधियों की उपलब्धता आदि की समीक्षा करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों एवं स्टेकहोल्डर्स के साथ मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित बैठकें आयोजित की जाती हैं। देश में एच1एन1 मामलों की समीक्षा करने के लिए एक संयुक्त निगरानी समूह और एक विशेषज्ञ समूह की भी स्थापना की गई है।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है, इसलिए रोगों की रोकथाम और नियंत्रण करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मरीजों के वर्गीकरण, उपचार प्रोटोकॉल और वेंटीलेटर प्रबंधन के लिए मौसमी हैजे (एच1एन1) पर व्यापक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। हैजा जैसी रुग्णता के लिए निगरानी आई.डी.एस.पी. द्वारा की जाती है, मौसमी हैजे के नमूनों की जांच करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की प्रयोगशालाएं और आई.डी.एस.पी. प्रयोगशालाएं सहायता करती हैं। मौसमी हैजे (एच1एन1) के परीक्षण के लिए राज्य-स्वामित्व वाली और निजी प्रयोगशालाएं भी उपलब्ध हैं। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मौसमी हैजे (एच1एन1) के मामलों के प्रबंधन के लिए अपनी निजी क्षमता का विकास करने के लिए परामर्श दिया गया है। तथापि, राज्यों में संभार तंत्र के संकट के दौरान मंत्रालय राज्यों को संभार तंत्र समर्थन एवं औषधियां प्रदान करता है।

विवरण

मौसमी हैजा (एच1एन1) वर्ष 2015 से 2018 तक के मामलों और मौतों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या (18.03.2018 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2015		2016		2017		2018	
		मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें	मामले	मौतें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	4	0	0	0	2	1	0	0
2.	आंध्र प्रदेश	258	36	12	5	476	14	2	0
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	5	1	0	0
4.	असम	31	4	0	0	199	5	0	0
5.	बिहार	352	6	0	0	26	0	0	0
6.	चंडीगढ़	23	7	6	0	63	6	2	0
7.	छत्तीसगढ़	239	53	6	4	305	64	1	1
8.	दादरा और नगर हवेली	26	6	1	0	15	4	0	0
9.	दमन और दीव	5	1	0	0	6	2	0	0
10.	दिल्ली	4307	12	193	7	2835	12	32	1
11.	गोवा	193	19	6	0	260	12	1	0
12.	गुजरात	7180	517	411	55	7709	431	36	6
13.	हरियाणा	433	58	68	5	252	9	18	2
14.	हिमाचल प्रदेश	123	27	14	5	77	15	1	0
15.	जम्मू और कश्मीर	495	20	2	0	140	26	31	10
16.	झारखंड	16	6	1	1	35	2	1	0
17.	कर्नाटक	3565	94	110	0	3260	15	5	0
18.	केरल	928	76	23	1	1414	76	7	0
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	2445	367	38	12	802	146	5	3
21.	महाराष्ट्र	8583	905	82	26	6144	778	19	5
22.	मणिपुर	5	2	0	0	8	1	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
23.	मेघालय	1	0	0	0	0	0	0	0
24.	मिजोरम	4	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	4	0	0	0	0	0	0	0
26.	ओडिशा	76	13	1	0	414	54	0	0
27.	पुदुचेरी	57	4	1	0	168	9	1	1
28.	पंजाब	300	61	177	64	295	86	24	10
29.	राजस्थान	6858	472	197	43	3619	279	1250	106
30.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	तमिलनाडु	898	29	122	2	3315	17	47	1
32.	तेलंगाना	2956	100	166	12	2165	21	14	0
33.	त्रिपुरा	0	0	0	0	44	0	0	0
34.	उत्तरांचल	105	15	20	5	184	22	1	1
35.	उत्तर प्रदेश	1578	50	122	16	3858	132	12	2
36.	पश्चिम बंगाल	544	30	7	2	716	26	1^	0^
	कुल योग	42592	2990	1786	265	38811	2266	1511	149

^ 04.03.2018 के अनुसार

ए.आई.आई.एम.एस. में उपचार

4755. **श्री सुशील कुमार सिंह:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (ए.आई.आई.एम.एस.) के रेजिडेंट डॉक्टर संघ ने नई दिल्ली में उपचार के लिए आने वाले मरीजों को जनप्रतिनिधियों द्वारा जारी किए जा रहे सिफारिश पत्र के संबंध में हाल ही में आपत्तियां उठाई हैं तथा यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न सरकारी अस्पतालों विशेष रूप से ए.आई.आई.एम.एस. में विभिन्न डॉक्टरों/कर्मचारियों के कार्य निष्पादन तथा उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की है/करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्य करने वाले डॉक्टरों/कर्मचारियों के उपचार के लिए ए.आई.आई.एम.एस. एक अलग खिड़की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) एम्स, नई दिल्ली में विभिन्न डॉक्टरों/स्टाफ के कार्य निष्पादन की समीक्षा करने हेतु वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट/वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (ए.पी.ए.आर.) के लिए एक पूर्णत: स्थापित तंत्र पहले से ही मौजूद है। एम्स, नई दिल्ली तथा अन्य सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं में समय-समय पर बढ़ोत्तरी होती रहती है, जो कि आवश्यकता एवं निधियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(घ) और (ङ) एम्स, नई दिल्ली के कर्मचारी, कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (ई.एच.एस.) नामक स्वास्थ्य योजना के तहत कवर होते हैं। ई.एच.एस. लाभार्थी मरीजों, जिसमें संस्थान के वास्तविक कर्मचारी एवं उनके अधिकृत आश्रित लाभार्थी शामिल हैं, के लिए ई.एच.एस. ओ.पी.डी. क्षेत्र में एक अलग ओ.पी.डी. काउंटर उपलब्ध कराया गया है।

[अनुवाद]

समावेशी विकास का मूल्यांकन करने के लिए जी.डी.पी.

4756. **श्री एम.बी. राजेश:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का समावेशी विकास का मूल्यांकन करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) के अलावा किसी नए मापदंड को अपनाने का विचार है, जैसा कि अन्य देशों में अपनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा समावेशी विकास के संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की वृद्धि आर्थिक विकास का प्रमुख संकेतक है। इसके अतिरिक्त, अर्थव्यवस्था में समावेशिता के स्तर के मूल्यांकन के लिए कुछ दूसरे संकेतक भी प्रयुक्त किए जाते हैं जैसे- गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, मूलभूत सुविधाओं तक पहुंच आदि।

सरकार द्वारा गरीबी उन्मूलन, सामाजिक अवसंरचना और सार्वजनिक रोजगार सृजन स्कीमों के लिए बजटीय आवंटन में वृद्धि करके समावेशी विकास को सबसे अधिक तरजीह दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सामान्य प्रशासन द्वारा जी.डी.पी. के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं का व्यय 2015-16 के 5.8 प्रतिशत से बढ़कर 2017-18 (ब.अ.) में 6.6 प्रतिशत हो गया है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम/योजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार अवसर मुहैया कराए जा सकें। जनसंख्या के स्वास्थ्य और शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सर्व शिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन स्कीम आदि स्कीमें देश में लागू की जा रही हैं।

जी.एस.टी. की समीक्षा

4757. **श्री संजय काका पाटील:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन करने के संबंध में समीक्षा कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार उत्पाद शुल्क, सेवा-कर, मूल्य-संवर्धित कर (वैट) इत्यादि जैसे केन्द्रीय पूल कर पूल के अन्य करों को भी जी.एस.टी. में सम्मिलित करने पर पुनर्विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) जी.एस.टी. की विभिन्न श्रेणियों जैसे 28 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 5 प्रतिशत और 0 प्रतिशत के कार्यान्वयन का ब्यौरा क्या है और सामान्य उपयोग की वस्तुओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर और मूल्यवर्धित कर (वैट) को पहले ही जी.एस.टी. में मिला दिया गया है। हालांकि, कच्चे पेट्रोलियम, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और एविएशन टर्बाइन फ्यूएल की आपूर्ति पर उस तारीख से जी.एस.टी. लगाई जायेगी जिस तारीख को जी.एस.टी. परिषद की सिफारिशों के आधार पर इस निमित्त अधिसूचित किया जाएगा। मानव उपभोग के लिए आपूर्ति किए जाने वाले अल्कोहल युक्त शराब को जी.एस.टी. के दायरे से बाहर रखा गया है।

(घ) वस्तुओं और सेवाओं पर जी.एस.टी. की दरों को कई स्लैब में रखा गया है, जैसे कि, शून्य, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत जो कि मुख्य रूप से जी.एस.टी. के पहले के केन्द्र तथा राज्यों पर लगने वाले अप्रत्यक्ष करों, जिसमें इम्बेडेड टैक्स भी आते हैं, के भार के आधार पर तैयार किया गया है। वस्तुओं और सेवाओं पर लगाये जाने वाले जी.एस.टी. की दरों का ब्यौरा जनता में पहले से ही उपलब्ध है और इसे *www.cbec.gov.in* वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

[अनुवाद]

पैनलबद्ध अस्पतालों को भुगतान में विलंब

4758. **श्री राजीव प्रताप रूडी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार प्रायोजित स्वास्थ्य कार्यक्रमों जैसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों को भुगतान में विलंब हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सी.जी.एच.एस. और आर.एस.बी.वाई. गरीब परिवारों की जेब से व्यय भार को कम करने में प्रभावी रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत चार वर्षों के दौरान बिहार सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सी.जी.एच.एस. और आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत आवंटित कुल निधियां और लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत पैनलबद्ध अस्पतालों को भुगतान में कुछ विलंब हुआ है। सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत अस्पताल के बिलों के निपटान में विलंब होने के निम्नलिखित कारण हैं:

- संसाधनों का अभाव, विशेष रूप से वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में।
- कुछ मामलों में विशेषज्ञों के साथ परामर्श करने की आवश्यकता होना।
- अस्पताल के बिलों की जांच में समय लगना।

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत बीमा कंपनियां पैनलबद्ध अस्पतालों को उनके दावों के अनुसार बकाया एवं देय के रूप में भुगतान करती हैं। इनके विवरण केंद्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं।

(ग) सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत लाभार्थी, जो अधिकांशत: केंद्र सरकारी कर्मचारी और पेंशनर होते हैं, को ओ.पी.डी., औषधियों, अस्पताल में भर्ती होने के लिए किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति आदि सहित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और उन्हें अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ता है। उन्हें अतिरिक्त व्यय केवल तभी वहन करना होता है, जब वे सी.जी.एच.एस. दरों से अधिक लागत वाले विशेष ब्रांड के उपस्करों का विकल्प लेते हैं।

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत 2011-12 से 2016-17 तक 5012.17 करोड़ रु. के दावों का निपटान किया गया है, जिसे आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत अस्पताल में भर्ती होने का लाभ लेने वाले लाभार्थियों के लिए जेब से होने वाले खर्च में कमी के रूप में कहा जा सकता है।

(घ) 13.03.2018 को सी.जी.एच.एस. लाभार्थियों की संख्या 32,53,219 है।

पिछले चार वर्षों में सी.जी.एच.एस. के अंतर्गत आवंटित कुल निधि निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित निधि (करोड़ रु. में)
2013-14	1772.75
2014-15	1734.02
2015-16	1872.29
2016-17	2026.91

आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत राज्यों को कोई निधि आवंटित नहीं की जाती है। राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर निधियां प्रीमियम के केंद्रीय भाग के रूप में जारी की जाती हैं। पिछले चार वर्षों के दौरान आर.एस.बी.वाई. के अंतर्गत बिहार सहित लाभार्थियों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

आर.एस.बी.वाई. योजना: पिछले चार वर्षों की राज्य-वार स्थिति

क्र.सं.	राज्य	आरएसबीवाई के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों की संख्या			
	वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2184	*	*	*

1	2	3	4	5	6
2.	असम	1416919	1421104	1421104	1421104
3.	बिहार	6102774	818531	6899144	7028409
4.	चंडीगढ़	5854	7865	*	*
5.	छत्तीसगढ़	1962689	2141822	3442749	4146227
6.	गुजरात	1900903	1876307	1876628	2691497
7.	हरियाणा	463226	437850	437850	*
8.	हिमाचल प्रदेश	341818	481699	480588	480588
9.	जम्मू और कश्मीर	4988	*	*	*
10.	झारखंड	1923138	1714552	1682894	*
11.	कर्नाटक	29417	6050439	6731881	6206620
12.	केरल	2747029	2018764	2021572	2060802
13.	मध्य प्रदेश	608748	608748	*	*
14.	महाराष्ट्र	234252	*	*	*
15.	मणिपुर	68140	70383	70925	70925
16.	मेघालय	108321	65840	256138	256138
17.	मिजोरम	145842	152983	152983	194886
18.	नागालैंड	151806	128184	*	255314
19.	ओडिशा	4238040	4307538	4462959	4462959
20.	पुदुचेरी	9486	6467	*	*
21.	पंजाब	236764	232352	232352	*
22.	राजस्थान	2511663	2692626	2769097	*
23.	त्रिपुरा	505327	505327	492022	481331
24.	उत्तर प्रदेश	5541225	285435	285229	*
25.	उत्तराखंड	285435	3839765	1464242	285229
26.	पश्चिम बंगाल	5748689	6063390	6150716	6290446
	कुल योग	37294677	35927971	41331073	36332475

*अवधि के दौरान आर.एस.बी.वाई. को कार्यान्वित नहीं करने वाले राज्य।

वन नियमों में परिवर्तन

4759. **श्री रायपति सम्बासिवा राव:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वनाधिकार समूहों में वन संबंधी नियमों में परिवर्तन करने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) विगत चार वर्षों के दौरान वनाधिकार समूहों द्वारा मंत्रालय के समक्ष रखी गई मांगों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इनमें से स्वीकार और अस्वीकार की गई मांगों का ब्यौरा क्या है तथा इन्हें अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उक्त अवधि के दौरान उपयोग की गई प्रतिपूरक वनीकरण निधि का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में वनाधिकार समूह से ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, विभिन्न सिविल सोसाइटी संगठनों से प्राप्त सूचना के आधार पर जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रारूप प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि नियम, 2018 पर टिप्पणियां दी हैं।

(ङ) राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा प्रस्तुत कार्मिक कार्य योजनाओं के संदर्भ में प्रतिपूरक वनीकरण और अन्य संबद्ध कार्यकलापों के लिए 2014-15 से 28.02.2018 तक प्रतिपूरक वनीकरण निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कुल 79,681,145,800.00 रु. की राशि जारी की गई है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना हेतु मापदंडों में ढील देना

4760. **श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में आहरण संबंधी मानकों सहित राष्ट्रीय पेंशन योजना के मापदंडों (एन.पी.एस.) में परिवर्तन किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी हां, हाल ही में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) के अंतर्गत तीन परिवर्तन किए गए हैं। विवरण निम्नानुसार है:

1. **सेवा के दौरान आंशिक आहरण:** एन.पी.एस. के अंतर्गत नामांकित अभिदाताओं की आकस्मिक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) ने आंशिक आहरण के लिए मानदंडों को सरल बनाया है जिसमें एन.पी.एस. के अंतर्गत नामांकित होने के न्यूनतम वर्ष की आवश्यकता को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 10 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाना भी शामिल है। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (प्रथम संशोधन) विनियमन, 2017 के माध्यम से समुचित संशोधन किए गए हैं और उन्हें दिनांक 10.08.2017 को अधिसूचित किया गया है।

2. **एन.पी.एस. के अंतर्गत शामिल होने की तिथि में बढ़ोतरी:** ऐसे व्यक्तियों (एन.पी.एस. के अंतर्गत-सभी नागरिक मॉडल और कॉर्पोरेट क्षेत्र के मॉडल) जो 60 वर्ष और 65 वर्ष की आयु वर्ग के बीच में हैं, को एन.पी.एस. प्रणाली में शामिल करने के उद्देश्य से पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (द्वितीय संशोधन) विनियमन, 2017 के माध्यम से समुचित संशोधन किये गए हैं और उन्हें दिनांक 06.10.2017 को अधिसूचित किया गया है।

3. **अभिदाता की विकलांगता और अक्षमता के मामले में निकासी:** एन.पी.एस. के अंतर्गत कवर किए गए अभिदाता की विकलांगता और अक्षमता के मामले में सरल निकासी एवं आहरण को सुकर बनाने के उद्देश्य से पी.एफ.आर.डी.ए. ने पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत निकासी और आहरण) (तृतीय संशोधन) विनियमन, 2018 में समुचित संशोधन किए गए हैं और उन्हें दिनांक 02.02.2018 को अधिसूचित किया गया है।

वायु प्रदूषण से निपटने के लिए धनराशि

4761. **श्री जितेन्द्र चौधरी**: क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के चिंताजनक स्तर से निपटने के लिए हजारों करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राजधानी में प्रदूषित हवा को फिल्टर करने के लिए किस प्रकार की मशीनों का उपयोग किए जाने की संभावना है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ग) सरकार ने पराली जलाने की पद्धति, जो कि वायु प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है, को नियंत्रित करने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वर्ष 2018-19 से 2019-20 की अवधि के लिए 1151.80 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से फसल अवशेष के खेत में ही प्रबंधन हेतु कृषि मशीनी प्रणाली के संवर्धन के संबंध में केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना को मंजूरी प्रदान की है। ये मशीने प्रदूषित वायु को फिल्टर करने के लिए नहीं है बल्कि फसल अवशेष को जलाने से उत्पन्न वायु प्रदूषण में कमी लाकर वायु प्रदूषण का उपशमन करती है।

दूरसंचार क्षेत्र की गैर निष्पादनकारी आस्तियां

4762. **श्री कल्याण बनर्जी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय बेतार दूरसंचार कंपनियां देश में बैंकों की सर्वाधिक चूक करने वाली कंपनियां हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में शीर्ष 100 सर्वाधिक ऋण देने वाले ऋणी संगठनों का ब्यौरा क्या है और उनका ऋण कितना है;

(ग) ऋण राशि को सीमांत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के योजना प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(घ) बैंकों के एन.पी.ए. कम करने के लिए राष्ट्रीय कंपनी लॉ अधिकरण (एन.सी.एल.टी.) के सुझाव और/या रिपोर्ट प्रस्ताव क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) देश में भारतीय बेतार दूरसंचार कंपनियों के बैंक के शीर्ष चूककर्ता होने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) ने सूचित किया है कि दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के लिए "उद्योग अवसंरचना-संचार" श्रेणी के अंतर्गत घरेलू परिचालनों के लिए सकल अनुप्रयोज्य आस्तियां (जी.एन.पी.ए.) 11,028 करोड़ रुपये थी। (आर.बी.आई.) ने इसके अतिरिक्त यह सूचित किया है कि उक्त राशि इस क्षेत्र के वर्तमान उधारकर्ताओं जैसे कि दूरसंचार (फिक्सड नेटवर्क), दूरसंचार टावर और दूरसंचार एवं टेलीकॉम सेवाओं से संबंधित है।

आर.बी.आई. के आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, एस.सी.बी. के घरेलू परिचालनों के लिए कुल जी.एन.पी.ए. राशि 8,31,141 करोड़ रुपये थी। इस प्रकार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, "उद्योग अवसंरचना-संचार" श्रेणी में घरेलू परिचालनों के लिए एस.सी.बी. का जी.एन.पी.ए. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के कुल जी.एन.पी.ए. का 1.33 प्रतिशत था।

(ख) आर.बी.आई. ने सूचित किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45(ङ) के उपबंधों के अधीन मांगी गई सूचना का प्रकटीकरण नहीं किया जा सकता है। धारा 45(ङ) में यह प्रावधान है कि किसी बैंक द्वारा प्रस्तुत ऋण सूचना को गोपनीय माना जाएगा और इसे प्रकाशित या इसका अन्यथा प्रकटीकरण नहीं किया सकता है।

(ग) आर.बी.आई. की जानकारी के अनुसार, आर.बी.आई. के पास दूरसंचार कंपनियों की ऋण राशि को न्यूनतम करने संबंधी कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

(घ) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण एक निर्णायक प्राधिकरण है और यह सुझाव या प्रस्ताव नहीं दे सकता है।

[हिंदी]

जैव-चिकित्सा अनुसंधान

4763. **श्री अजय निषाद**:

श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किया जा रहा जैव-चिकित्सा अनुसंधान कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सा अनुसंधान केन्द्रों/संस्थानों की राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इससे क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में उक्त अनुसंधान केन्द्रों/संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उन्नयन करने का है और क्या चिकित्सा क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिक को लागू किया जाना प्रस्तावित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रदान या प्रस्तावित सहायता कितनी है; और

(ङ) आई.सी.एम.आर. द्वारा देश में संघ और भागीदारी निर्माण द्वारा गुणवत्ता स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए अपनाए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) जी, हां। आई.सी.एम.आर. देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष और प्रमुख चिकित्सा अनुसंधान संगठन है।

(ख)

1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	-	01
2.	असम	-	01
3.	बिहार	-	01
4.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	-	03
5.	गुजरात	-	01
6.	कर्नाटक	-	02
7.	मध्य प्रदेश	-	02
8.	महाराष्ट्र	-	04
9.	ओडिशा	-	01
10.	पुदुचेरी	-	01
11.	राजस्थान	-	01
12.	तमिलनाडु	-	01
13.	तेलंगाना	-	01
14.	उत्तर प्रदेश	-	02

उक्त संस्थानों की उपलब्धियों का ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) और (घ) अनुसंधान संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।

(ङ) आई.सी.एम.आर. ने अनुसंधान के क्षेत्र में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। "अंशदान तथा सहभागिता संबंधी नीति" के अंतर्गत अपस्केलिंग, विधिमान्यकरण तथा ट्रांसलेशन कार्यकलापों के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र के साथ सहभागिता को बढ़ावा दिया जा रहा है।

विवरण

आई.सी.एम.आर. की उपलब्धियां (संस्थान-वार) आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जे.ए.एल.एम.ए. कुष्ठ रोग तथा अन्य माइक्रोबेक्टेरियल रोग संस्थान (एन.जे.आई.एल.ओ.एम.डी.), आगरा

- **सामान्य रेजिमन के साथ टीबी के उपचार में एम.आई.पी. की जांची-परखी सहायता भूमिका**: यह प्रस्ताव संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम द्वारा स्वीकृति हेतु लंबित है।
- **कुष्ठ रोग में एम.आई.पी. की व्यापक रूप से अनुसंधान की गई इम्यूनोथैराप्यूटिक तथा इम्यूनप्रोफिलेटिक भूमिका**: आई.एम. कोड में एन.एल.ई.पी. द्वारा अब एम.आई.पी. वैक्सीन का कार्य शुरू किया जा रहा है।
- **टाई-टीबी परियोजना**: 5 राज्यों के 17 जिलों में टीबी का पता लगाने के लिए एक चल टीबी नैदानिक वेन वाला एक अनूठा सक्रिय मामले का पता लगाने संबंधी मॉडल शुरू किया गया था।
- राष्ट्रीय स्तर पर विधिक अनुसंधानकर्ताओं को वैज्ञानिक नमूने प्रदान करने के लिए **राष्ट्र स्तरीय माइकोवेक्टेरियल रेफरेंस प्रयोगशाला।**
- कुष्ठ रोग के संचरण पहलुओं के संबंध में मोलिक्यूलर पद्धतियों तथा परंपरागत जानपदिक रोग विज्ञान की मिली-जुली पद्धतियों का प्रयोग करते हुए **कुष्ठ रोग संरचरण को समझने में योगदान दिया।**
- **संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (आर.एन.टी.सी.पी.) तथा राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम (एन.एल.ई.पी.)** के प्रति योगदान।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य संस्थान (एन.आई.ओ.एच.), अहमदाबाद

- **कोयला खानों के मजदूरों की स्वास्थ्य स्थिति**: अध्ययनों में संरक्षी उपकरणों (अर्थात् पी.पी.ई.) का प्रयोग, प्री-प्लेसमेंट तथा आवधिक रूप से चिकित्सा जांच जैसे उपायों का सुझाव दिया गया है।

- **बायोमास जलाने से घर के अंदर होने वाला वायु प्रदूषण तथा स्वास्थ्य जोखिम**: 12 पी.ए.एच. अभिज्ञात किए गए थे, जिनकी मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होने की सूचना है।

- **सतरी और भूमिगत जल से आर्सेनिक विषाक्तता के संबंध में पर्यावरणीय-सह-ज्ञानपदिक रोग विज्ञान अध्ययन।**

- **भारत में अस्फाल्ट से जुड़े श्रमिकों के बीच व्यावसायिक स्वास्थ्य आकलन सर्वेक्षण**: सुझाव दिया गया है कि सड़क पेविंग से संबंध श्रमिकों में प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव विकसित होने का खतरा है।

- **पर्सनल कूलिंग गार्मेंट (पी.सी.जी.) की प्रभावकारिता**: ये उन श्रमिकों की सुरक्षा के लिए विकसित किया गया है, जो उष्ण पर्यावरण में काम करते हैं।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय परंपरागत औषध संस्थान वेलागवी

- **अर्थराइटिस एवं डेंगू के लिए परंपरागत औषधीय पद्धतियों का विधिमान्यकरण**: अर्थराइटिस के परिणामों की आई.पी.आर. पंजीकरण इत्यादि के माध्यम से शीघ्र ट्रांसलेट किए जाने की संभावना है। इसी प्रकार से, डेंगू के लिए एक आयुष प्रतिपादन मूल्यांकन के आधुनिक प्राचलों के साथ नैदानिक मूल्यांकनाधीन है।

- **गंभीर/मरणासन्न रूप से बीमार रोगियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हर्बल औषधियां**: कैंसर सेल लाइंस तथा कैंसर प्रेरित मॉडलों के संबंध में कोकोआ मिश्रण की लाभकारी भूमिका का पता लगाने के लिए अध्ययन किए गए हैं।

- **परंपरागत औषधि पद्धतियों को वैध करने तथा इस क्षेत्र में मानव संसाधन सृजित करने हेतु 'एकीकृत क्लिनिक' सहित 'परंपरागत औषध विद्यालय' स्थापित किया गया।**

- **नैदानिक सेवाएं, रेफरल सेवाएं शुरू करना तथा राज्य स्वास्थ्य को सहायता प्रदान करना**: कर्नाटक राज्य में डिफथेरिया मामलों की संख्या में वृद्धि होने की सूचना है। मृत्यु-दर को कम करने के उपायों के संबंध में आई.सी.एम.आर. द्वारा कर्नाटक सरकार को एक संक्षिप्त कार्यनीति प्रस्तुत की गई है।

- **सिरवार, रायचूर में मॉडल ग्रामीण स्वास्थ्य अनुसंधान इकाई स्थापित की जा रही है**: इस वर्ष किए गए बेसलाइन अध्ययन में अभिज्ञात किया गया गर्भावस्था में होने वाला अवसाद क्षेत्र की प्रमुख समस्या है। इस क्षेत्र में किए गए अध्ययन से पाया गया है कि एनीमिया तथा कुपोषण की समस्या भी अत्यधिक है।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय रोग सूचना विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र, बेंगलूरु

- **"कैंसर समीक्षा" का विकास**: कैंसर के आकलन तथा विश्लेषण के संबंध में एक वेब आधारित साधन।

- असम, 10 राज्यों ने **कैंसर को सूचनीय रोग के रूप में अधिसूचित** किया है।

- **एन.सी.डी.आई.आर. ई-मोर का विकास**: एक इलेक्ट्रॉनिक मृत्यु-दर सॉफ्टवेयर। यह सॉफ्टवेयर विविध अस्पतालों तथा जन स्वास्थ्य प्रणालियों में लगाया जा रहा है।

- **पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर भार (2012-2014) संबंधी रिपोर्ट तैयार की गई है**: इससे पता चला है कि पूर्वोत्तर राज्यों में कैंसर की अधिकतर घटनाएं तंबाकू उपभोग, एल्कोहल, घर के अंदर के वायु प्रदूषण जैसे कारकों के संपर्क में रहने से हो रही है।

- मानव सहभागियों को शामिल करते हुए जैव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य संबंधी राष्ट्रीय आचार दिशा-निर्देश अनुसंधान हेतु बच्चों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय आचार दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.ई.एच.), भोपाल

- विषाक्त गैस के प्रभाव से बचने वाले लगभग 30,000 लोगों की उनकी स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी देना।

- एन.आई.आर.ई.एच. के पुलमोनोलोविस्ट द्वारा कमला नेहरू गैस राहत अस्पताल की श्वसनीय रोग ओ.पी.डी. की सेवाएं। लगभग 2,000 श्वास संबंधी रोग से ग्रस्त लोगों की जांच तथा उपचार के लिए सलाह दी गई है।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय क्षय रोग अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.टी.), चेन्नई

- **फुफ्फुसीय तथा अतिरिक्त फुफ्फुसीय टीबी में फ्लूरोक्वीनोलोंस के प्रयोग से क्षय रोग के उपचार को घटाकर 4 माह का करने के लक्ष्य से नैदानिक प्रयोग:** इसके परिणाम भारत में भावी क्षय रोग थैरेपी निर्धारित करने में काफी सहायक होंगे।
- एच.आई.वी. - टीबी सह-संक्रमण में उपचार की खुराक अनुसूची की नैदानिक परीक्षण जांच से दैनिक रेजिमन अधिक प्रभावी होने का पता चला है।
- **आर.एन.टी.सी.पी. के तहत उपचारित फुफ्फुसीय क्षय रोग में फिर से बीमार होने संबंधी मल्टीसेंट्रिक कोहोर्ट अध्ययन:** पूर्ण हो गए हैं तथा विस्तृत विश्लेषण चल रहा है।
- **रिफागुटिन के फार्माकोकाइनेटिक अध्ययन:** से पता चला है कि सप्ताह में तीन बार 300 एमजी तथा रोज 150 एमजी की खुराक का समान प्रभाव होने के कारण कार्यक्रम में दोनों में से किसी भी एक प्रकार से खुराक लेने का सुझाव दिया गया है।
- दक्षिण भारत से ए.आर.टी. - नेव तथा ए.आर.टी. - प्रभावित एच.आई.वी. - 1 संक्रमित बच्चों में औषध प्रतिरोधक क्षमता परिवर्तनों की व्यापकता तथा रीति का चित्रण।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जानपदिक रोग विज्ञान संस्थान (एन.आई.ई.), चेन्नई:

- वर्ष 2017 में भारत में 6 राज्यों में एच.आई.वी. तथा सिफिलिस का मांग से बच्चे में संचारण खत्म करने हेतु देश में डाटा की जांच।
- ए.एन.सी. और एच.आई.वी. के बीच एच.आई.वी. सेंटिनल निगरानी।
- सेंट्रल जेल, आईजोल, मिजोरम में मामलों का तेजी से पता लगाने के माध्यम से क्षय रोग तथा एच.आई.वी. खोज तथा प्रबंधन का सुदृढ़ीकरण।
- एकीकृत नवजात एवं शिशु रोग प्रबंधन (आई.एम.एन.सी.आई.) कार्यक्रम के मूल्यांकन की प्रक्रिया।
- चेन्नई के अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में रेफरल जन स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग करने ज्वर-रोगियों के बीच लेप्टोस्पायरल संक्रमण की व्यापकता तथा लेप्टोस्पायरल जेनोटाइप्स तथा सेरोवरों का वितरण।
- एकीकृत सड़क यातायात दुर्घटना निगरानी प्रणाली (आई.आर.आई.एस.), चेन्नई, तमिलनाडु।
- एस निमोनिया तथा अन्य वेक्टेरियल आक्रामक बीमारियां।
- तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में चयनित पहाड़ी जनजातियों (पल्लियार तथा मुठुवन) का स्वास्थ्य आवश्यकता आकलन तथा उनमें पाए जाने वाले बीमारियों के बोझ का अनुमान लगाना।
- भारतीय आधार समितियों के लिए एन.आई.ई. - आई.सी.एम.आर. - डब्ल्यू.एच.ओ. आचार पाठ्यक्रम।
- मार्केटिड एंटी-बायबेटिक सिद्धा प्रतिपादनों में लेबलिंग, औषध सूचना तथा ब्रांडिंग की स्थिति, क्रास-सेक्शनल अध्ययन: चेन्नई, तमिलनाडु।
- भारत की जनजातीय आबादी के बीच गैर-संचारी रोगों के कारण मौते तथा मधुमेह, तनाव, पुराने श्वसनीय रोगों, हृदयवाहिका रोग तथा कैंसर के निदानों हेतु स्वास्थ्य प्रणाली तैयारियां।
- मूल्यांकन सर्वेक्षण कवरेज: खसरा रूबेला वेक्सीनेशन अभियान चरण-1 (भारत सी.ई.एस.-एम.आर.वी.सी.- पी1, 2017)
- भारत में डेंगू वायरस संक्रमण की सीरो-व्यापकता का आकलन करने हेतु मल्टी-सेंट्रिक अध्ययन।
- गोरखपुर प्रभाग, उत्तर प्रदेश में बच्चों के बीच स्क्रब टिफस तथा ए.ई.एस. फैलने के जोखिम कारक।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय मलेरिया अनुसंधान संस्थान (एन.आई.एम.आर.), दिल्ली

- विभिन्न इकोटाइप्स में कार्यक्रम में प्रयोग किए जा रहे कीटनाशकों की वेक्टर प्रवणता की निगरानी डी.डी.टी. अधिदेश समिति के इनपुट।
- मलेरिया रोधियों की थैराप्यूटिक प्रभाविता की निगरानी: क्लोरोक्वीन से अटेमिसिमिन सम्मिश्रण आधारित थैरेपी

(ए.सी.टी; एस + एस.पी) से अर्टेमीथेर लुमेफंट्राइन (ए.सी.टी.;ए.एल.) में परिवर्तन।

- आर्टेसुनेट ओरल मोनोथैरेपी पर प्रतिबंध।
- एल.एल.आई.एन. का मूल्यांकन - कार्यक्रम में शुरुआत।
- तीन बॉयोलारविसाइड्स - बेसिल्लस थूरिंगजिएनसिस इजरालेनसिस (बी.टी.आई.), बेकिलस स्फयेरिक्स (बीएस) तथा बी.टी.आई. एक्सूअस सस्पेंशन।
- डीफ्लूरबेनजुरान तथा कीट विकास नियंत्रक (आई.जी.आर.) लारविसाइड्स।
- पिरिमफोज मेथिल (रसायन लारविसाउड)।
- मूल्यांकन के आधार पर कार्यक्रम से रसायन लारविसाड फेनथियोन वापस लिया गया।
- जैविक नियंत्रण एजेंट - लारविवोरोअसफिश।
- विनियामक प्राधिकरण के साथ पंजीकण के परिणामत: एंटी-मलेरियाल्स के नैदानिक परीक्षण चरण-III अल्फा बेटा आर्टीचर, बुलाक्वेन, आर्टेरोलानेपाइपराक्वेन, आर्टेसुनाटेमोडियाक्वेन, आर्टेसुनाटेमेफलोक्वेन, डिहाइड्रोआर्टेमिसिनिन पाइपरक्वेन।
- कार्यक्रम में शुरू किए गए लगातार मलेरिया नैदानिक का मूल्यांकन (पराचेक तथा पराहित)।

भारतीय रोग विज्ञान संस्थान (एन.आई.पी.), नई दिल्ली

- क्लामिडायसिस, लेशमानियासिस तथा क्षय रोग के लिए मोलिक्यूलर डाग्नोस्टिक्स।
- बर्न रोगियों के उपचार हेतु क्लचर्ड एपिथेलियस ग्राफ्ट।
- विससेरल लेशमनियासिस/काला-अजार के लिए वैक्सीन केंडीडेट के रूप में लाइव एट्टेन्यूटिड लेशमानिया परासाइट को यूएस तथा भारतीय पेटेंट (सहयोगी यूस-एफ.डी.ए.) प्रदान किया गया।
- भारतीय मूल के ब्रस्ट कैंसर सेल लाइंस।
- मेथिल आइसोसाइनेट के प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए भोपाल गैस पीड़ितों को आटोप्सिस में रोग विज्ञान अध्ययन।

राष्ट्रीय चिकित्सा सांख्यिकी संस्थान (एन.आई.एन.एस.), नई दिल्ली

- सी.बी.एच.आई. तथा ई.सी.टी.ए. के साथ सहयोग तथा स्वास्थ्य नीति सुधार विकल्प द्वारा बेस का विकास (एच.एस.पी.आर.ओ.डी.) तथा भार में बड़ी संख्या में स्वास्थ्य सुधार संबंधी डाटा एकत्रित करना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर डालना।
- डी.एस.टी. तथा डब्ल्यू.एच.ओ. के सहयोग से, नैदानिक परीक्षण रजिस्ट्री - भारत (सी.टी.आर.आई.) की स्थापना।
- निम्नलिखित के लिए नोडल संस्थान के रूप में एन.आई.एम.एस. की स्थापना की गई।
- भारत में एच.आई.वी. सेंटिनेल निगरानी, मॉडलिंग अनुमान तथा एच.आई.वी./एड्स का अनुमान लगाने संबंधी एन.ए.सी.ओ. का कार्यक्रम।
- आई.डी.एस.पी. - एन.सी.डी. जोखिम कारक सर्वेक्षणों का कार्यान्वयन।
- भारत में एच.आई.वी. महामारी के संबंध में ट्रक चलाने वालों के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग (आई.बी.बी.ए.-एन.एच.) पर एकीकृत व्यवहार एवं जैविक आकलन आयोजित करना।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय पोषण संस्थान (एन.आई.एन.), हैदराबाद

- 9 राज्यों में बी12 कमी संबंधी रूपरेखा बनाई गई।
- 6 राज्यों में पोषण निगरानी प्रणाली स्थापित की गई।
- तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में एन.सी.डी. निगरानी कार्यकलाप किए गए।
- झारखंड, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 14 से अधिक दबाव वाले जिलों में बहु-घटक स्वास्थ्य एवं पोषण निदानों की शुरुआत करना।
- फेटी एसिड के संबंध में एक अध्ययन के परिणामों ने ट्रांस फेट इनटेक को प्रतिबंधित करने, एन.ए.एफ.एल.डी. सहित आहार संबंधी पुरानी बीमारियों की रोकथाम के लिए एन-6 पी.यू.एफ.ए. के इंटेक को संतुलित तथा एन-3 पी.यू.एफ.ए. के इनटेक में वृद्धि करने की वर्तमान सिफारिशों को पुन: लागू किया है।

- चेनकस के साथ कार्यरत आई.सी.डी.एस. तथा स्वास्थ्य प्रचालनों के लिए "स्वास्थ्य एवं पोषण जागरूकता" संबंधी प्रसार कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- भारतीय खाद्यों के निर्धारित पोषक मान।
- नमक की दोहरी फोर्टिफिकेशन विकसित की गई है।
- गर्भावस्था में आयरन फोलेट अनुपुरकों की प्रभावकारिता का अध्ययन।
- प्रोटीन मिथ को खंडित किया गया तथा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण (पी.ई.एम.) में प्रमुख बाधा के रूप में कैलोरी अंतराल को दर्शाया गया।
- भारतीय के लिए संस्तुत आहार भत्ता (आर.डी.ए.) स्थापित किया गया।
- भारतीयों के लिए आहार दिशा-निर्देश बनाए गए हैं।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.टी.एच.), जबलपुर

- मलेरिया विलोपन प्रदर्शन परियोजना (एम.ई.डी.पी.) मंडला जिला, मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। मलेरिया विलोपन प्रदर्शन परियोजना (एम.ई.डी.पी.) का लक्ष्य मलेरिया को खत्म करने का प्रदर्शन करना तथा भारत के अत्यधिक प्रांतीय क्षेत्र में मलेरिया दोबारा फैलने की संभावना की रोकथाम भी व्यवहार्य है।
- जनजातीय जिला कटनी में कोलेरा फैलने संबंधी निरीक्षण किया गया था तथा प्रशमन संबंधी उपयुक्त सुझाव दिए गए थे।
- गंभीर किडनी फेल होने संबंधी रोगों की शुरुआत की सुपेबेडा पंचायत, देवभोग ब्लॉक, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़ का निरीक्षण किया गया था।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय कोलेरा तथा एंटेरिक रोग संस्थान (एन.आई.सी.ई.डी.), कोलकाता

- राष्ट्रीय स्तर पर टी.सी.वी. के कार्यान्वयन की पूर्वापेक्षा के रूप में टाइफाइड ज्वर बोझ का अनुमान लगाने हेतु समुदाय आधारित एंटेरिक ज्वर निगरानी शुरू की गई।
- राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरणों द्वारा शुरू किए गए साक्ष्य आधारित प्रतिक्रिया के नियोजन को सुकर बनाने के लिए एंटेरिक पेथोवेस और उनके सूक्ष्मजीवरोधी प्रतिरोधक क्षमता की रूपरेखा सहित सतत् अस्पताल आधारित डायरहेयिल रोग निगरानी।
- **एक बहु-केंद्रित आर.सी.टी. में पेंटावलेंट रोटावायरस वैक्सीन की प्रभावकारिता** स्थापित करना, जिसने राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम में शुरुआत से सहायता प्रदान की गई है।
- **शिगेलासिस और टाइफाइड के लिए केंडीडेट के टीके का** विकास करना।
- **एंटरोबैक्टीरिया से संबंधित बैक्टीरिया में रोगाणुरोधी प्रतिरोध** की वजह से नवजात शिशु में होने वाले सेपिसस की पहचान करना, प्रतिरोध और प्रतिरोध जीन ट्रांसमिशन तंत्र, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से सेप्सिस के लिए सेटिओनिक रोगाणुरोधी पेप्टाइड-आधारित चिकित्सा का विकास करना।
- स्कूली आयु वर्ग के बच्चों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार और संबंधित राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के संयुक्त कार्यक्रम के तहत मृदा संचारित **समिट हेल्मन्थ (एस.टी.एच.)** संक्रमण के संबंध में **बहु-राज्य सर्वेक्षणों** में सतत् सक्रिय भागीदारी।

आई.सी.एम.आर. - राष्ट्रीय प्रजनन स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान (एन.आई.आर.आर.एच.), मुंबई

- महाराष्ट्र के पालगढ़ जिले के दो जनजातीय ब्लॉकों में बेसलाइन सर्वेक्षण किए गए: हस्तक्षेप के एक स्थायी मॉडल के रूप में बहु-घटक स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा हस्तक्षेप को लागू करके आबादी के संवेदनशील भागों में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना।
- **सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में परिवार नियोजन सेवाओं के साथ एच.आई.वी. को जोड़ने के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं तैयार करना:** परिणाम- पी.एल.एच.आई.वी. द्वारा दो-दो गर्भनिरोधक उपयोग द्वारा के कारण कई अनपेक्षित गर्भधारण रोके गए हैं।
- प्रदर्शन एस्ट्रोजन, महिला हार्मोन, शुक्राणुजनन और पुरुष प्रजनन के विनियमन में शामिल किया जाना है।
- विकसित पी.बी.आई.टी., संक्रामक रोगों (*www.pbit.bicnirrh.res.in* ।) के लिए दवा के लक्ष्य की पहचान के लिए एक ऑनलाइन वेबसर्वर।

- **पी.सी.ओ.एस. के साथ महिलाओं की देखभाल के बहु-विषयी मॉडल की शुरुआत:** आई.वी.एफ. विशेषज्ञ, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, त्वचा विशेषज्ञ, आहार विशेषज्ञ और योग विशेषज्ञ की एक टीम के साथ शुरुआत की गई है। यह एक अनूठा मंच है जिसमें शोध और सेवाएं मिलती हैं और भारत में सरकारी अनुसंधान संस्थान में अपनी तरह का पहला प्रयास है।

आई.सी.एम.आर.-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोहाइमोटोलॉजी (एन.आई.आई.एच.), मुंबई

- **प्राथमिक इम्यूनोडेफिशियन्सी डिसऑर्डर (पी.आई.डी.) के निदान और प्रबंधन के लिए स्थापित उन्नत केंद्र**
- **वॉन बिल्लेब्रांड रोग (वी.डब्ल्यू.डी.) के निदान के लिए देखभाल तंत्र का एक नैनोपैर्टिकल आधारित स्थान** विकसित किया गया: किसी भी आम रक्तस्राव विकार के निदान के लिए कोई व्यावसायिक तीव्र परीक्षण किट उपलब्ध नहीं है।
- **भारतीय जनसंख्या में कमजोर 'डी' प्रकार के लिए मुख्य रूप से एक नोवेल मालिक्यूलर तंत्र की** खोज की गई।
- **प्रोटीन सी जीन की एस.आई.आर.एन.ए. साइलेंसिंग प्रदर्शित की गई ताकि हीमोफिलिया ए के नैदानिक लक्षण प्रारूप में सुधार लाया जा सके।**
- **एम.आई.आर.एन.ए. अभिव्यक्ति का इंटरप्ले प्रदर्शन और सिकल सेल एनीमिया मरीजों में एपीजेनेटिक कारक तथा बाद में हाइड्रोक्स्यूरिया उपचार।**

आई.सी.एम.आर.-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रीवेंशन एंड रिसर्च (एन.आई.सी.पी.आर.), नोएडा

- एक हेंड-हेल्ड डिवाइस को विकसित किया, "मैग्निविजुलाइजर" प्रीकेसंरस सरवाइकल घावों का पता लगाने के लिए डिजीटल छवि कैप्चर विकल्प के साथ।
- **"कैंसर विरुद्ध भारत"** वेबसाइट, एक द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी) वेब पोर्टल विकसित किया गया है जो भारत में मुख्य कैंसरों की जानकारी प्रदान करता है और कैंसर संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देता है।
- **"ओरकेनोम"**, मुंह के कैंसर में जीन अनियमितता की जीनोमिक ट्रांसक्रिप्लोमिक तथा प्रोटिओनिक जानकारी के साथ एक व्यापक डाटाबेस विकसित किया।
- पारंपरिक औषधि की खोज को सुविधाजनक बनाने के लिए प्राकृतिक उत्पाद "प्लांट आधारित कैंसररोधी गतिविधि डेटाबेस" विकसित किया गया। प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेटिव एजेंट कर्ममिन को एच.पी.वी. अणु विरोधी दर्शाया गया है।
- रोग बढ़ाने में शामिल पहली बार "ग्रीवा कैंसर जीन (सी.सी.डी.बी.) के लिए वैश्विक डाटाबेस" विकसित किया गया था।

आई.सी.एम.आर. - राजेंद्र मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ मैडिकल साइंसिस (आर.एम.आर.आई.एम.एस.), पटना

- अंतराल को जानने और उन्मूलन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए काला-अजार कार्यक्रम की गहन समीक्षा की गई।
- वेक्टर नियंत्रण में डी.डी.टी. के विकल्प के रूप में धीमी गति से रिलीज एम्यूलसिफाइड निलंबन (मैलाथियोन) स्थापित किया गया।
- काला-अजार मिल्टेफोसिन, पहली बार और पी.के.डी.एल. के उपचार के लिए मुंह से दी जाने वाली दवा; पेशेमोमिसिन और काला-अजार उपचार के लिए डी.सी.जी.आई. द्वारा पंजीकृत एंफोम्यूले; और कार्यक्रम में मिल्टेफोसिन तथा पेरोमोमिसिन सम्मिश्रण उपचार तथा एंबीएस की एकल खुराक शुरू की गई।
- रेतीली पालन, उत्थान और कॉलोनी रखरखाव के लिए स्थापित इंसेक्टोरयिम और लीशमैनिया परजीवी भंडार और सेरा बैंक।
- रेतीली पालन, उत्थान और कॉलोनी रखरखाव के लिए स्थापित इंसेक्टोरयिम और लीशमैनिया परजीवी भंडार और सेरा बैंक।
- वेक्टर नियंत्रण के लिए डब्ल्यू.एच.ओ.-टी.डी.आर. के अनुरूप आई.आर.एस. के लिए विकसित मॉनिटरिंग और मूल्यांकन उपकरण किट।

आई.सी.एम.आर. वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर (वी.सी.आर.सी.), पुदुचेरी

- एल.एफ. उन्मूलन के लिए ट्रिपल ड्रग प्रशासन पर सुरक्षा अध्ययन।
- एल.एफ. उन्मूलन के लिए एम.डी.ए. के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए जिनोमॉनीटरिंग प्रोटोकॉल।

- देश में नेटवर्किंग के माध्यम से जैड.आई.के.ए.वी. निगरानी।
- गोरखपुर, यूपी में वेक्टर नियंत्रण हस्तक्षेप उपायों के माध्यम से जेई के संचरण के जोखिम को कम करने के लिए कार्यान्वयन अध्ययन।
- दक्षिणी ओडिशा में मलेरिया वैक्टरों के बीच कीटनाशक प्रतिरोध की रूपरेखा।

आई.सी.एम.आर.- नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (एन.आई.वी.), पुणे

- भारत में फरर्स्ट जिका वायरस मामले की रिपोर्टिंग।
- भारत में जिका निगरानी नेटवर्क की स्थापना।
- 30 प्रयोगशालाओं में जिका नैदानिक अभिकर्मकों को प्रशिक्षण और आपूर्ति।
- 03 नए वायरस की खोज।
- बुखार, बीमारी जैसी बीमारी और डेंगू, इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी की निगरानी ने वायरल रोगों के लक्षणों और समुदाय में विभिन्न वायरल बैक्टीरियल बीमारियों के मौसमी बदलाव की घटनाओं की आधार रेखा को जानने में मदद की है।
- मिसल्स डायग्नोस्टिक आई.जी.एम. किट प्रौद्योगिकी एम/ कैडिला, अहमदाबाद को स्थानांतरित की गई है।

आई.सी.एम.आर.-राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान (एन.ए.आर.आई.), पुणे

- मां से बच्चे को ट्रांसमिशन के उन्मूलन के लिए डेटा सत्यापन के माध्यम से राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम (एन.ए.सी.पी.) का समर्थन करता है। तथा भारत सरकार द्वारा 2020 तक उन्मूलन के दस्तावेजों के लिए सिफारिश का प्रावधान करने की योजना बनाई गई।
- अंतरंग साथी हिंसा की रोकथाम के लिए उत्पन्न साक्ष्य के आधार पर मॉड्यूल की तैयारी।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) ने एन.ए.आर.आई. का नैदानिक परीक्षण किट की पूर्व-योग्यता के लिए एक केंद्र के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- स्क्रब टायफस के कारण गैर-एच.आई.वी. क्षेत्र में, तीव्र एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (ए.ई.एस.) के साक्ष्य मिलना, जेई के नियंत्रण को लागू करने के लिए सामुदायिक भागीदारी।

आई.सी.एम.आर.-क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, भुवनेश्वर

- **ओडिशा में मिड-डे मील प्रोग्राम पर अध्ययन**: स्कूल, स्कूल मॉनिटरिंग कमेटी, माता-पिता, क्लस्टर, ब्लॉक के स्तर पर विकसित विभिन्न ई-अध्ययन टूल का पायलट आधार पर परीक्षण किया जाता है। अध्ययन को राज्य के 3 क्षेत्रों में विभिन्न जिलों में लागू करने की योजना है।
- **ओडिशा में फुफ्फुसीय तपेदिक के साथ वयस्कों के उपचार के परिणामों और पोषण संबंधी स्थिति पर खाद्य अनुपूरक प्रभाव पर एक अध्ययन**: उपचार-पूर्व परामर्श के अभाव में क्षेत्रों में पहुंचने में मुश्किल, फॉलो-अप, उच्च डिफॉल्ट दरों की कमी के कारण उद्धृत कारणों में से कुछेक हैं और इसलिए इस क्षेत्र में इलाज दर कम है।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य समुदाय में जैव जोखिम कम करने की जागरूकता बढ़ाना और उच्च जोखिम वाले वायरस रोगजनकों के कारण होने वाला वायरल रक्तस्त्राविक बुखार और श्वसन संक्रमण की निगरानी करने के लिए संवर्धित क्षमताओं हेतु प्रयोगशाला नेटवर्क सृजित करना।
- ओडिशा में एन्थ्रेक्स (कोरापुट, रायगड़ा, मलकानगिरी, सुंदरगढ़) - क्यूटेनियस एंथ्रेक्स उच्च पाया गया, जिसके कारण पुरुष रेस्पोंटेंट द्वारा स्लाटरिगु बचरिंग तथा डिस्क्रिनिंग की गई थी।
- कंधमाल जिले में 5 साल से कम आयु के बच्चों में गैर-लक्षण मलेरिया संक्रमण और ट्रांसमिशन मोड।

आई.सी.एम.आर.-क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, डिब्रूगढ़

- 48 घंटे के भीतर 41 विभिन्न वायरल संक्रमणों के लिए निदान प्रदान करने की क्षमता विकसित की है। पिछले 1 वर्ष में कुल ~ 3000 नमूनों का ~ 9,000 विभिन्न वायरल रोगजनकों के लिए परीक्षण किया गया है।
- **"मलेरिया एपिडेमियोलॉजी डाटाबेस और रिट्रीवल सिस्टम ऑफ नॉर्थ ईस्ट, इंडिया"** बनाया गया और वर्चुअल स्क्रीनिंग

के जरिए मलेरिया, हेपेटाइटिस और हैजा के खिलाफ प्रमुख मालिक्यूलश की पहचान की गई।

- वयस्कों (2012-16) एसए-14-14-2 (जेई) वैक्सीन की एकल खुराक की प्रभावशीलता का मूल्यांकन: प्रभावी।
- प्रमुख रिकेट्सियल संक्रमण के साथ स्थापित किए गए अर्थात् पूर्वोत्तर भारत में महत्वपूर्ण वेक्टर जनित रोग के रूप में स्क्रबटायफस (एस.टी.) के अलावा स्पॉटेड फीवर ग्रुप रिकेटसिया (एस.एफ.जी.आर.) तथा टायफस ग्रुप रिट्सिया (टी.जी.आर.)।
- मलेरिया के सामुदायिक सर्वेक्षण में मलेरिया के सकारात्मक मामलों में 153 सकारात्मक मामलों (पहला सर्वेक्षण) से 7 पॉजिटिव मामलों (5वां सर्वेक्षण) में उल्लेखनीय कमी आई है।
- सिक्किम से एम.टी.बी.सी. के ड्रग संवेदनशीलता परीक्षण एकत्र आइसोलेट्स बहु दवा प्रतिरोध (एम.डी.आर.) टीबी के मामलों की काफी अधिक संख्या पता चली है।
- जी.आई.एस. प्रारूप में 2017 के लिए अमर असम के तीन जिलों में (जैसे डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और शिवसागर) ग्राम स्तर पर जापानी इन्सेफलाइटिस की घटना के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना।
- गर्भवती महिलाओं के बीच 35-37 सप्ताह में ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकी (जी.बी.एस.) उपनिवेश का प्रदर्शन किया तथा साथ ही नवजात शिशु के मामलों से एक आक्रामक पृथक् के रूप में भी जी.बी.एस. की स्थापना की। इसलिए नियमित प्रसवपूर्व स्क्रीनिंग सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्व की हो सकता है।
- आहार नमक प्रतिबंध और रक्तचाप की कमी के लिए एक समुदाय आधारित आई.ई.सी. हस्तक्षेप मॉड्यूल का विकास।
- टीपी 53, बी.आर.सी.ए. 1 और बी.आर.सी.ए. 2 जीनों के प्रमोटर हाइपर मेथिलेशन की एसोसिएशन, भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र से महिलाओं में स्तन कैंसर का खतरा बढ़ गया है।
- त्रिपुरा और नागालैंड में गैस्ट्रिक कैंसर के खतरे के साथ सह-सूजन और एंटी-इंफ्लामेट्री साइटोकिन जीन के संबद्ध की पहचान।

आई.सी.एम.आर.-क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र, पोर्ट ब्लेयर

- डी.ई.सी. प्रचुर नमक के जन वितरण के माध्यम से द्वीप के नेनकोवरी समूह के निकोबारी के बीच फाइलेरिया प्रसार क्षेत्र में पर्याप्त कमी।
- विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों, जैसे ओंजेस, शोमपेन और अंडमानी के बीच संक्रामक और गैर-संक्रामक रोगों के कारण स्वास्थ्य प्रोफाइल और बोझ।

आई.सी.एम.आर. - डेजर्ट मेडिसिन रिसर्च सेंटर (डी.एम.आर.सी.), जोधपुर

- नमक निकालने वाले मजदूरों में उच्च रक्तचाप की रोकथाम के लिए सुरक्षात्मक उपकरणों का प्रचार।
- एच1एन1 वायरस के आणविक लक्षण वर्णन तथा निदान, फिलोजेनेटिक विश्लेषण।
- राजस्थान की जनजातीय आबादी में सिकल सेल रोग की जांच की गई तथा यह रोग पाया गया।
- एडीज एजिप्टी वेक्र में ट्रांसओवरियन ट्रांसमिशन पाया गया।
- राज्य के मलेरिया ओर डेंगू वेक्टर में कीटनाशक प्रतिरोध की रूपरेखा।
- बहु-घटक स्वास्थ्य और पोषण शिक्षा के हस्तक्षेप को लागू करके आबादी के कमजोर वर्ग की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार करना।

[अनुवाद]

घटिया खाद्य पदार्थों की खेपों का आयात

4764. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**

श्री प्रेमदास राई:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने हाल ही में आयात किए जाने वाले खाद्य पदार्थों की खेपों के परीक्षण में मानदंडों को सुकर बनाने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं विशेषत: चीन और बांग्लादेश से आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांच करने हेतु कोई तंत्र नहीं है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने मुख्य बंदरगाहों पर एकल खिड़की निकासी समाधान (एस.डब्ल्यू.आई.एफ.टी.) के तहत भारतीय सीमाशुल्क इलैक्ट्रॉनिक वाणिज्य/इलैक्ट्रॉनिक आंकड़े अंतरण गेटवे (आइस गेट) के साथ आयात निकासी प्रणाली (एफ.आई.सी.एस.) को समेकित किया था। परिरक्षणों की एकरूपता तथा आयात वस्तुओं की निकासी के प्रबंधन हेतु 136 स्थानों पर खाद्य सुरक्षा तथा मानक प्राधिकरण अधिनियम, 2006 के तहत सीमा शुल्क अधिकारियों को प्राधिकृत अधिकारियों के रूप में अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रीय जांच तथा अंशांकन प्रयोगशाला प्रमाणन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) द्वारा मान्यता-प्राप्त 161 प्रयोगशालाओं को आयातित वस्तुओं के खाद्य नमूनों की प्राथमिक जांच हेतु एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा अधिसूचित किया गया है, इनके अतिरिक्त 18 अपीलीय प्रयोगशालाएं भी है। एफ.एस.एस.ए.आई. के परामर्श के अनुसार, सीमाशुल्क ने जोखिम प्रबंधन प्रणाली (आर.एम.एस.) की शुरुआत की है, जिसके तहत आयातित खाद्य वस्तुओं की जांच तथा विश्लेषण सीमित और कम हो गया है। इस प्रकार विभिन्न देशों से आयातित खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की पर्याप्त जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित खाद्य पदार्थ मानवीय उपभोग के लिए सुरक्षित है या नहीं।

राष्ट्रीय पोषण नीति

4765. **श्री विनायक भाऊराव राऊत**:

श्रीमती रंजीत रंजन:

श्री राजेश रंजन:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय पोषण नीति को कुपोषण समाप्त करने और सबके लिए ईष्टतम पोषण प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ प्रारंभ किया गया था यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ख) उक्त नीति पर किया गया/किया जाने वाला व्यय कितना है और विद्यमान निगरानी तंत्र क्या है और सरकारी मशीनरी को कुपोषण रोकने हेतु संवेदित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने उक्त नीति हेतु कोई अंतर-मंत्रालीय समूह गठित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समूह द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं और इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या रिपोर्टों के अनुसार भारत में बाल और मातृत्व कुपोषण 2016 में चीन की तुलना में प्रति व्यक्ति 12 गुना अधिक था और भारत के 10 सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में प्रत्येक चौथे बच्चे का कुपोषण के कारण अवरुद्ध विकास और वृद्धि हो रही है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने कुपोषण रोकने में उक्त नीति की अल्प प्रभावकारिता के कारण इसकी कार्यान्वयन प्रक्रिया की समीक्षा की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे और इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) राष्ट्रीय पोषण नीति (एन.एन.पी.) का निरुपण कुपोषण को कम करने, घरेलू खाद्य सुरक्षा में सुधार करने और उपयुक्त आहारों तथा स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया। राष्ट्रीय पोषण नीति में कृषि, खाद्य उत्पादन, खाद्य आपूर्ति, शिक्षा, सूचना, स्वास्थ्य रेखरेख, सामाजिक न्याय, जनजातीय कल्याण, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, श्रम, महिला एवं बाल विकास, विशेष जरूरतों वाले लोगों तथा मॉनीटरिंग और निगरानी जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई योग्य प्रमुख मुद्दों को अभिनिर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय पोषण नीति के अंतर्गत परिकल्पित मुख्य कार्यनीति कमजोर वर्गों के लिए प्रत्यक्ष पोषण उपायों तथा विकास के विभिन्न नीतिगत उपायों के माध्यम से पोषण की समस्या का समाधान करना है, जिससे सुविधाओं तक पहुंच में सुधार होगा और बेहतर पोषण के लिए माहौल का सृजन होगा।

(ख) राष्ट्रीय पोषण नीति में की गई प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए लोगों के पोषण पर प्रभाव डालने वाले सामाजिक क्षेत्र के कई कार्यक्रम सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं। यह मंत्रालय देश के सम्मुख पोषण संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष लक्षित उपायों के रूप में छत्रक समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत आंगनवाड़ी सेवा, किशोरियों हेतु स्कीम तथा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्रियान्वित कर रहा है। वर्ष 2017-18 में आंगनवाड़ी सेवा, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा किशोरियों हेतु स्कीम के लिए क्रमश: 7822.19 करोड़ रुपये, 2042.6735 करोड़ रुपये और 431.72 करोड़ रुपये निर्मुक्त किए गए। हाल ही में, तीन वर्ष के लिए 9046.17 करोड़ रुपये के बजट आबंटन के साथ राष्ट्रीय पोषण मिशन स्थापित किया गया है। इन सभी स्कीमों में मॉनीटरिंग का अंतर्निहित तंत्र है।

(ग) जैसा कि राष्ट्रीय पोषण नीति में परिकल्पित है, अंतर-मंत्रालयी समन्वय समिति ने कुपोषण के स्तर को कम करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने और लोगों के लिए पोषण का इष्टतम स्तर प्राप्त करने के लिए तदनंतर पोषाहार पर एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना को अंगीकार किया।

(घ) जी, हां। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के सहयोग से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, पब्लिक हैल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया तथा इंस्टीट्यूट फॉर हैल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन द्वारा तैयार 'इंडिया: हैल्थ ऑफ द नेशन्स स्टेट्स' नामक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में बच्चों और माताओं के कुपोषण के कारण रोग भार 2016 में चीन में प्रति व्यक्ति की तुलना में 12 गुना अधिक था।

इसके अतिरिक्त, नंदी फाउंडेशन द्वारा जारी शहरी हंगामा सर्वेक्षण, 2014 की रिपोर्ट के अनुसार, पांच वर्ष से कम आयु के 22.3 प्रतिशत बच्चे रूद्धविकास हैं। हालांकि, यह सर्वेक्षण देश के केवल 10 शहरों, नामत: मुम्बई, दिल्ली, बैंगलुरू, हैदराबाद, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, सूरत, पुणे और जयपुर में आयोजित किया गया था।

(ङ) और (च) कुपोषण के मुद्दे को हल करने के उद्देश्य से बनाई गई सभी स्कीमों में इनके क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए अंतर्निहित मॉनीटरिंग प्रणाली है। इसके अतिरिक्त, नव-स्थापित राष्ट्रीय पोषण मिशन में सामान्य अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर (सी.ए.एस.) के माध्यम से आई.सी.टी.-आधारित वास्तविक समय मॉनीटरिंग प्रणाली है। सॉफ्टवेयर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पूरे सॉफ्टवेयर में सूचना की स्व-गणना को सुगम बनाने के लिए मातृ एवं बाल खोज प्रणाली/प्रजनन बाल स्वास्थ्य पोर्टल के साथ इसके समेकन हेतु एक प्रपत्र भी दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों में उपलब्ध आंकड़ों के अंकीकरण और कम्प्यूटरीकरण के लिए महिला पर्यवेक्षकों और आंगनवाड़ी कार्यत्रियों को टेबलेट और स्मार्ट फोन तथा सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित अन्य उपकरण प्रदान किए गए हैं।

सरकार द्वारा किए गए समन्वित प्रयासों के परिणामस्वरूप देश में कुपोषण के स्तर में कमी आई है, जैसा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4, 2015 की रिपोर्ट के निष्कर्षों से स्पष्ट हुआ है, जिसमें बताया गया है कि पांच वर्ष से कम आयु के 35.7 प्रतिशत बच्चे कम वजनी हैं, 38.4 प्रतिशत बच्चे रूद्धविकास हैं और 58.4 प्रतिशत रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। ये आंकड़े राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 के पिछले स्तरों से कम हैं।

आयुष समितियां

4766. **श्रीमती पूनमबेन माडम:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय को राज्य आयुष समितियों का गठन करने में कितनी सफलता मिली है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जो राज्य आयुष समितियों का गठन करने में असमर्थ रहे हैं और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तुत कर दी है; और

(घ) गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार प्रस्तुत वार्षिक कार्य-योजनाओं पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य आयुष सोसाइटियों के गठन का दायित्व संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। इस संबंध में, राज्यों/

संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार दिल्ली और बिहार के अलावा उन्होंने राज्य आयुष सोसाइटी का गठन कर लिया है। इस संबंध में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार, दिल्ली द्वारा कोई कारण नहीं बताया गया है। बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार में राज्य आयुष सोसाइटी के गठन का निर्णय लिया है। तथापि, बिहार राज्य सरकार ने आज की तारीख तक राज्य आयुष सोसाइटी के पंजीकरण की स्थिति के बारे में सूचित नहीं किया है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत गुजरात राज्य सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों ने विभिन्न क्रियाकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) प्रस्तुत की है। तदनुसार, मंत्रालय ने एन.ए.एम. दिशा निर्देशों के अनुसार पात्र प्रस्तावों को अनुमोदित किया है। गुजरात सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और वर्ष-वार प्रस्तुत तथा अनुमोदित की गई राज्य वार्षिक कार्य-योजनाओं की स्थिति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्र प्रायोजित स्कीम के तहत 2014-15, 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के दौरान गुजरात सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से राज्य वार्षिक कार्य योजना (एस.ए.ए.पी.) के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई

(2014-15)

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2014-15 के लिए केंद्रीय अंशदान का आवंटन	वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य अंशदान सहित प्राप्त प्रस्ताव	वर्ष 2014-15 के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंशदान	2014-15 के दौरान निर्मुक्त अनुदान की आरंभिक किस्त
1	2	3	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	859.854	1146.474	859.856	309.925
2.	अरुणाचल प्रदेश	171.662	190.830	171.248	101.135
3.	असम	1068.941	1187.710	1068.357	668.979
4.	बिहार	2755.399	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	872.845	1163.730	830.67	281.413
6.	गुजरात	956.665	1275.55	909.886	332.393
7.	हरियाणा	640.56	1136.555	612.807	213.589
8.	हिमाचल प्रदेश	273.885	-	-	-
9.	जम्मू और कश्मीर	666.851	740.94	618.46	226.268
10.	झारखंड	981.409	-	-	-
11.	कर्नाटक	1043.578	1456.02	1041.592	359.116
12.	केरल	716.184	955.397	712.548	254.670

1	2	3	3	4	5
13.	मध्य प्रदेश	2070.764	2770.4	1948.918	644.938
14.	मेघालय	247.131	628.06	228.047	134.647
15.	मणिपुर	426.061	527.4	373.218	226.813
16.	मिजोरम	228.263	228.263	190.125	116.270
17.	महाराष्ट्र	1555.779	2662.17	1480.604	534.670
18.	नागालैंड	388.945	234.48	191.728	115.613
19.	ओडिशा	1322.567	2111.65	1322.57	471.723
20.	पंजाब	604.063	1037.777	585.289	316.000
21.	राजस्थान	1862.295	2556.55	1768.789	638.065
22.	त्रिपुरा	390.955	494.535	381.486	238.115
23.	तेलंगाना	690.976	1163.000	690.979	330.000
24.	तमिलनाडु	1038.32	-	-	-
25.	उत्तराखंड	471.683	532.75	437.457	284.000
26.	उत्तर प्रदेश	5085.82	-	-	-
27.	पश्चिम बंगाल	1438.554	1964.94	1371.688	471.230
28.	सिक्किम	152.33	199.76	110.12	66.428
29.	दिल्ली	399.306	682.916	399.305	132.707
30.	गोवा	381.676	-	-	-
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	414.771	275.82	151.94	-
32.	दादरा और नगर हवेली	164.857	-	-	-
33.	दमन और दीव	209.396	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	191.611	255.48	189.398	-
35.	पुदुचेरी	119.544	97.54	72.525	60.000
36.	चंडीगढ़	66.5	-	-	-
	योग	30,930.000	27,676.697	18,719.610	7,528.707

(2015-16)

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2015-16 के लिए केंद्रीय अंशदान का आवंटन	वर्ष 2015-16 के दौरान राज्य अंशदान सहित प्राप्त प्रस्ताव	वर्ष 2015-16 के दौरान एसएएपी 2014-15 के लिए निर्मुक्त अनुदान सहायता	वर्ष 2015-16 के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंशदान	वर्ष 2015-16 के लिए निर्मुक्त अनुदान सहायता	वर्ष 2015-16 के दौरान कुल अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	900.693	1171.121	549.931	890.483	850.452	1,400.383
2.	अरुणाचल प्रदेश	199.982	1828.550	70.113	457.446	457.441	527.554
3.	असम	1270.051	1390.091	399.378	1,011.13	1,011.130	1,410.508
4.	बिहार	2663.677	4613.905	-	2,066.889	313.975	313.975
5.	छत्तीसगढ़	1027.007	2296.710	549.257	786.736	309.000	858.257
6.	गुजरात	1130.817	2501.530	577.493	867.759	215.200	792.693
7.	हरियाणा	713.774	1227.830	399.218	541.192	180.573	579.791
8.	हिमाचल प्रदेश	496.251	521.940	-	425.571	421.480	421.480
9.	जम्मू और कश्मीर	474.049	1059.442	392.192	460.766	399.958	792.150
10.	झारखंड	969.402	1123.668	-	672.734	624.723	624.723
11.	कर्नाटक	923.196	1200.380	682.476	920.798	877.777	1,560.253
12.	केरल	851.184	1106.058	457.878	848.47	815.900	1,273.778
13.	मध्य प्रदेश	2064.515	2681.200	1,303.980	2,005.47	1,949.361	3,253.341
14.	मेघालय	309.635	1841.586	93.400	281.719	281.719	375.119
15.	मणिपुर	486.509	2674.740	146.405	682.399	682.396	828.801
16.	मिजोरम	349.968	2395.760	73.855	331.838	331.838	405.693
17.	महाराष्ट्र	1385.245	1801.157	945.934	865.986	336.800	1,282.734
18.	नागालैंड	483.359	2624.318	76.115	796.98	796.98	873.095
19.	ओडिशा	1262.531	3145.195	850.847	1,084.54	1,014.43	1,865.281
20.	पंजाब	602.763	1498.910	269.289	414.229	30.218	299.507
21.	राजस्थान	1778.285	4785.589	1,130.724	1,751.18	1,688.882	2,819.606

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	त्रिपुरा	294.512	609.631	143.371	328.983	328.983	472.354
23.	तेलंगाना	748.878	1751.713	360.979	746.964	730.484	1,091.463
24.	तमिलनाडु	971.501	1263.55	-	687.273	87.700	87.700
25.	उत्तराखंड	487.251	3678.795	153.457	485.554	467.781	621.238
26.	उत्तर प्रदेश	4843.104	13447.869	-	4,878.44	4,539.27	4,539.270
27.	पश्चिम बंगाल	1216.025	3169.294	900.458	1,152.97	1,024.39	1,924.852
28.	सिक्किम	245.985	1082.800	43.692	564.463	564.459	608.151
29.	दिल्ली	355.506	471.000	266.598	327	327.000	593.598
30.	गोवा	469.849	694.060	-	339.13	118.725	118.725
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	131.069	393.650	151.777	127.816	-	151.777
32.	दादरा और नगर हवेली	255.561	1007.100	-	91.797	-	
33.	दमन और दीव	328.328	143.880	-	54.654	-	
34.	लक्षद्वीप	252.055	270.819	189.223	166.5	-	189.223
35.	पुदुचेरी	135.014	275.551	12.525	131.663	131.650	144.175
36.	चंडीगढ़	622.469	495.730	-	451.69	-	
	योग	31,700.000	72245.122	11,190.565	28,699.213	21,910.683	33,101.248

(2016-17)

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2016-17 के लिए केंद्रीय अंशदान का आवंटन	वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य अंशदान सहित प्राप्त प्रस्ताव	2016-17 के दौरान एसएएपी 2015-16 के लिए निर्मुक्त अनुदान सहायता	वर्ष 2016-17 के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंशदान	वर्ष 2016-17 के लिए निर्मुक्त अनुदान सहायता	2016-17 के दौरान निर्मुक्त कुल अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,013.500	2637.997	40.031	1,085.500	1,085.500	1,125.531
2.	अरुणाचल प्रदेश	354.400	579.521		468.155	465.450	465.450

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	असम	1,380.200	3064.290		1,631.649	1,631.649	1,631.649
4.	बिहार	3,630.200	-	1,752.914	-	-	1,752.914
5.	छत्तीसगढ़	1,143.500	3400.710	477.736	1,156.350	1,147.001	1,624.737
6.	गुजरात	1,153.700	2340.000	652.559	1,084.487	880.487	1,533.046
7.	हरियाणा	643.400	1172.700	360.619	673.776	673.777	1,034.396
8.	हिमाचल प्रदेश	472.500	688.584	4.091	619.420	610.121	614.212
9.	जम्मू और कश्मीर	734.100	801.571	60.808	708.400	708.400	769.208
10.	झारखंड	1,378.200	2172.000	48.011		-	48.011
11.	कर्नाटक	1,223.600	6900.462	43.020	1,216.683	1,198.435	1,241.455
12.	केरल	889.900	1483.167	32.570	858.634	858.634	891.204
13.	मध्य प्रदेश	2,622.600	6051.989	56.114	2,610.768	2,589.219	2,645.333
14.	मेघालय	577.500	4210.809		1,230.000	1,229.987	1,229.987
15.	मणिपुर	435.600	1924.087		823.806	802.743	802.743
16.	मिजोरम	349.000	3393.578		609.635	603.754	603.754
17.	महाराष्ट्र	1,961.500	3269.167	529.186		-	529.186
18.	नागालैंड	421.000	880.023		522.140	521.284	521.284
19.	ओडिशा	1,620.400	2708.482	70.103	1,151.198	1,151.198	1,221.301
20.	पंजाब	788.600	4260.88	384.011	1,735.439	933.800	1,317.811
21.	राजस्थान	2,491.500	12493.90	62.301	5,134.618	2,162.908	2,225.209
22.	त्रिपुरा	429.100	403.186		334.065	334.062	334.062
23.	तेलंगाना	791.400	2291.710	16.480	1,319.758	1,314.216	1,330.696
24.	तमिलनाडु	1,326.000	4701.60	599.573	2,065.956	1,380.968	1,980.541
25.	उत्तराखंड	551.100	3461.634	17.773	1,180.448	1,170.156	1,187.929
26.	उत्तर प्रदेश	6,513.000	16713.00	339.167	8,127.458	8,127.458	8,466.625
27.	पश्चिम बंगाल	1,673.000	2730.380	128.574	1,169.482	1,169.482	1,298.056
28.	सिक्किम	253.200	1921.244		889.373	874.071	874.071
29.	दिल्ली	397.200	-			-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	गोवा	218.300	905.730	220.405	402.192	402.192	622.597
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	356.800	356.800	127.816	267.005	267.005	394.821
32.	दादरा और नगर हवेली	512.600	-	91.797			91.797
33.	दमन और दीव	603.800	115.340	54.654	58.530	58.530	113.184
34.	लक्षद्वीप	508.100	422.460	166.500	343.229	343.229	509.729
35.	पुदुचेरी	202.800	216.515		170.069	170.000	170.000
36.	चंडीगढ़	318.700	1353.120	451.690	57.630	57.630	509.320
	योग	39940.000	100026.636	6788.503	39705.853	34923.346	41711.849

(2017-18)

(राशि लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष 2017-18 के लिए केंद्रीय अंशदान का आवंटन	राज्य अंशदान सहित प्राप्त प्रस्ताव	2017-18 के दौरान एसएएपी 2016-17 के प्रति निर्मुक्त अनुदान सहायता	वर्ष 2017-18 के लिए अनुमोदित केंद्रीय अंशदान	वर्ष 2017-18 के लिए निर्मुक्त अनुदान सहायता	2017-18 के दौरान निर्मुक्त कुल अनुदान सहायता
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	1,118.400	1,864.000	-	1,176.012	1,176.012	1,176.012
2.	अरुणाचल प्रदेश	481.000	855.320	2.701	543.026	543.005	545.706
3.	असम	3,087.400	3,430.532	-	2,390.692	2,390.692	2,390.692
4.	बिहार	3,462.000	-	-	-	-	-
5.	छत्तीसगढ़	937.300	2,199.210	9.349	1,217.406	1,217.406	1,226.755
6.	गुजरात	970.900	2,000.000	204.000	1,070.394	1,070.394	1,274.394
7.	हरियाणा	871.000	1,451.701	-	848.442	848.442	848.442
8.	हिमाचल प्रदेश	596.400	976.070	9.299	709.628	709.628	718.927
9.	जम्मू और कश्मीर	632.700	3,465.368	-	992.584	992.584	992.584
10.	झारखंड	1,235.800	1,759.287	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	कर्नाटक	1,298.400	10,373.962	18.248	2,041.618	2,041.618	2,059.866
12.	केरल	1,415.500	6,983.550		2,096.234	2,096.234	2,096.234
13.	मध्य प्रदेश	2,364.251	6,790.618	21.549	3,038.135	3,038.135	3,059.684
14.	मेघालय	711.000	2,006.990	-	1,339.333	1,339.326	1,339.326
15.	मणिपुर	720.700	1,781.708	21.059	717.199	717.195	738.254
16.	मिजोरम	767.900	1,707.370	5.875	687.612	687.603	693.478
17.	महाराष्ट्र	1,866.400	3,164.543		1,784.285	1,784.285	1,784.285
18.	नागालैंड	823.800	2,259.301	0.855	1,516.068	1,516.061	1,516.916
19.	ओडिशा	1,561.000	2,601.700	-	1,561.020	1,561.020	1,561.020
20.	पंजाब	546.700	899.826	801.642	547.020	547.020	1,348.662
21.	राजस्थान	2,640.300	12,972.354	2,971.704	3,921.552	3,921.552	6,893.256
22.	त्रिपुरा	608.200	7,767.212	-	1,195.542	1,195.541	1,195.541
23.	तेलंगाना	625.100	1,676.519	5.544	1,049.567	1,049.567	1,055.111
24.	तमिलनाडु	1,504.100	5,236.678	684.992	2,104.080	2,104.080	2,789.072
25.	उत्तराखंड	1,024.300	2,304.000	10.293	1,975.804	1,975.804	1,986.097
26.	उत्तर प्रदेश	6,499.300	10,832.200	-	6,280.230	6,280.230	6,280.230
27.	पश्चिम बंगाल	1,829.900	3,040.753	-	1,654.943	1,654.645	1,654.645
28.	सिक्किम	200.000	196.720	15.300	164.790	164.787	180.087
29.	दिल्ली	800.000	-	-			-
30.	गोवा	200.000	443.954	-	262.469	262.468	262.468
31.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	602.700	602.700	-	302.330	302.330	302.330
32.	दादरा और नगर हवेली	381.100	316.820	-	143.403	143.403	143.403
33.	दमन और दीव	338.600	-	-	-	-	-
34.	लक्षद्वीप	244.600	63.747	-	63.747	63.747	63.747
35.	पुदुचेरी	200.000	433.304	0.004	200.000	200.000	200.004
36.	चंडीगढ़	773.000	1,793.720	-	490.520	490.520	490.520
	योग	43939.751	104251.737	4782.414	44085.685	44085.334	48867.748

राजकोषीय घाटा

4767. **श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्षों में राजकोषीय घाटे को कम करने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राशि और जी.डी.पी. के प्रतिशत के संदर्भ में सरकार का राजकोषीय घाटा कितना रहा;

(ग) चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार द्वारा कितना राजकोषीय घाटा बनाए रखने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने वित्त वर्ष 2011-12 के जी.डी.पी. के 5.8 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2016-17 में जी.डी.पी. के 3.5 प्रतिशत तक सफलतापूर्वक कम किया है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के राजकोषीय घाटे का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	राजकोषीय घाटा	
2014-15	5,10,817 करोड़ रुपये	जीडीपी का 4.1 प्रतिशत
2015-16	5,32,783 करोड़ रुपये	जीडीपी का 3.9 प्रतिशत
2016-17	5,35,618 करोड़ रुपये	जीडीपी का 3.5 प्रतिशत

(ग) और (घ) वर्तमान वित्तीय वर्ष (सं.अ. 2017-18) के संशोधित अनुमानों में, राजकोषीय घाटा जी.डी.पी. (5,94,849 करोड़ रुपये) का 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कदम उठाए गए हैं जिनमें व्यय को तर्कसंगत बनाना, और कर, कर-भिन्न और ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों से संसाधन जुटाना शामिल है जैसाकि संशोधित अनुमान 2017-18 में अनुमान लगाया गया था।

किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.)

4768. **डॉ. किरिट पी. सोलंकी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और चालू वर्ष के दौरान किसानों को कुल कितने किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) आवंटित किए गए हैं;

(ख) क्या सभी मौजूदा किसान क्रेडिट कार्ड (के.सी.सी.) इलेक्ट्रॉनिक कार्डों में परिवर्तित किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष और गत वर्ष के दौरान के.सी.सी. के माध्यम से कुल कितनी ऋण राशि वितरित की गई है; और

(घ) क्या उक्त ऋणों ने बैंकों की गैर-निष्पादनकारी आस्तियों में योगदान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यि बैंकों के संबंध में तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों के संबंध में दी गई सूचना के अनुसार, विगत वर्ष अर्थात् 2016-17 तथा वर्तमान वर्ष (2017-18) (31 दिसंबर, 2017 तक) के दौरान जारी किए गए किसान क्रेडिट कार्ड की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

(संख्या लाख में)

वर्ष	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक	सहकारी बैंक	आरआरबी	कुल
2016-17	77.86	15.58	14.60	108.04
2017-18	51.00	10.54	11.81	73.36

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पी.एस.बी.) द्वारा तथा सहकारी बैंकों और आर.आर.बी. के संबंध में नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, दिनांक 28.12.2017 की स्थिति के अनुसार, जारी किए गए परिचालनात्मक के.सी.सी. तथा रूपे के.सी.सी. (आर.के.सी.सी.) का एजेंसी-वार विवरण निम्नानुसार है:-

(संख्या लाख में)

एजेंसी	परिचालनरत/ सक्रिय केसीसीएस की संख्या	आरकेसीसी में परिवर्तित केसीसी की संख्या	% में परिवर्तन
1	2	3	4
पीएसबी	218.03	210.34	96.47
आरआरबी	101.31	99.25	97.97

1	2	3	4
सहकारी बैंक	214.48	161.16	75.14
कुल	533.82	470.75	88.19

(ग) आर.बी.आई. द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संबंध में दी गई सूचना के अनुसार, 2016-17 तथा 2017-18 के दौरान के.सी.सी. के अंतर्गत मंजूर की गई कुल राशि निम्नानुसार है:-

(31 दिसंबर, 2017 तक)

क्रम सं.	वर्ष के अंत की स्थिति के अनुसार स्वीकृत राशि	अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (राशि करोड़ रुपये में)
1.	2016-17	1,58,113.01
2.	2017-18 (31.12.2017 तक)	1,05,564.48

(घ) भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत दो वर्षों के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एस.सी.बी.) के संबंध में कृषि और संबद्ध कार्यकलापों हेतु कुल बकाया सकल अनुप्रयोज्य आस्तियों (जी.एन.पी.ए.) तथा जी.एन.पी.ए. अनुपात का विवरण निम्नानुसार है:

कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप - जीएनपीए (राशि करोड़ रुपये में)		कृषि तथा संबद्ध कार्यकलाप - जीएनपीए अनुपात (प्रतिशत में)	
मार्च 31, 2016	मार्च 31, 2017	मार्च 31, 2016	मार्च 31, 2017
48,845	60,161	4.7	5.4

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

4769. **श्री मलयाद्रि श्रीराम**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संपूर्ण देश के उन सभी राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.) में गिरावट के क्या कारण हैं जो राष्ट्रीय औसत में लगातार ऊपर रहे हैं लेकिन 2012-13 से उन्होंने गिरावट संबंधी रुझान दर्शाना शुरू किया है; और

(ख) देश में सभी राज्यों में अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड संबंधी राज्य आई.आई.एफ.बी. में किए गए सरकारी खर्च का ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार को इसके भुगतान की समय-सीमा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) और (ख) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रकाशित करता है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई सूचना के अनुसार, 28.02.2018 की स्थिति के अनुसार, वर्तमान मूल्यों (आधार वर्ष 2011-12) और वृद्धि दरों पर राज्य-वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुसार संलग्न विवरण में दिए गए हैं। राज्यों के सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2011-12 से 2016-17 तक वृद्धि का रुझान दर्शा रहे हैं। तथापि, गोवा के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में 2011-12 से 2013-14 तक गिरावट आई।

देश के सभी राज्यों में अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड की मद में सरकार के व्यय, राज्य अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड को दी गई धनराशि और केन्द्र सरकार को उसकी अदायगी की अवधि का ब्यौरा इस विभाग में नहीं रखा जाता।

विवरण

28.02.2018 की स्थिति के अनुसार वर्तमान मूल्य पर राज्य-वार सकल राज्य घरेलू उत्पाद

क्र.सं.	राज्य	सकल राज्य घरेलू उत्पाद - वर्तमान मूल्य (रु. करोड़)						(पिछले वर्ष के मुकाबले % वृद्धि)				
		2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	आंध्र प्रदेश	379402	411404	464272	526468	609934	699307	8.43	12.85	13.40	15.85	14.65
2.	अरुणाचल प्रदेश	11063	12547	14581	17960	20433	22150	13.41	16.21	23.18	13.77	8.40
3.	असम	143175	156864	177745	195723	226276	अनुपलब्ध	9.56	13.31	10.11	15.61	अनुपलब्ध
4.	बिहार	247144	282368	317101	342951	381501	438030	14.25	12.30	8.15	11.24	14.82
5.	छत्तीसगढ़	158074	177511	206690	234982	260776	290140	12.30	16.44	13.69	10.98	11.26
6.	गोवा	42367	38120	35921	47814	54275	अनुपलब्ध	-10.02	-5.77	33.11	13.51	अनुपलब्ध
7.	गुजरात	615606	724495	807623	921773	1025188	1158151	17.69	11.47	14.13	11.22	12.97
8.	हरियाणा	297539	347032	400662	437462	485184	547396	16.63	15.45	9.18	10.91	12.82
9.	हिमाचल प्रदेश	72720	82820	94764	103742	112852	125227	13.89	14.42	9.47	8.78	10.97
10.	जम्मू और कश्मीर	78256	87144	95619	98333	119093	अनुपलब्ध	11.36	9.72	2.84	21.11	अनुपलब्ध
11.	झारखंड	150918	174724	188567	218525	231294	253536	15.77	7.92	15.89	5.84	9.62
12.	कर्नाटक	606010	695413	816666	912647	1012804	1132393	14.75	17.44	11.75	10.97	11.81
13.	केरल	364048	412313	465041	512564	557947	617035	13.26	12.79	10.22	8.85	10.59
14.	मध्य प्रदेश	315562	380925	439483	480121	530443	639220	20.71	15.37	9.25	10.48	20.51
15.	महाराष्ट्र	1275948	1454612	1646043	1773744	2001223	2267789	14.00	13.16	7.76	12.82	13.32
16.	मणिपुर	12915	13748	16198	18129	19233	अनुपलब्ध	6.45	17.83	11.92	6.09	अनुपलब्ध
17.	मेघालय	19918	21872	22938	23235	25967	28446	9.81	4.87	1.29	11.76	9.54

18. मिजोरम	7259	8362	10293	13509	15339	अनुपलब्ध	15.20	23.10	31.24	13.55	अनुपलब्ध
19. नागालैंड	12177	14121	16612	18401	19816	अनुपलब्ध	15.97	17.64	10.77	7.69	अनुपलब्ध
20. ओडिशा	230987	261700	296475	314267	330874	377202	13.30	13.29	6.00	5.28	14.00
21. पंजाब	266628	297734	332147	354908	391543	427870	11.67	11.56	6.85	10.32	9.28
22. राजस्थान	434837	493551	551031	615695	683758	759235	13.50	11.65	11.74	11.05	11.04
23. सिक्किम	11165	12338	13862	15407	16954	18852	10.51	12.35	11.14	10.04	11.20
24. तमिलनाडु	751486	855476	969216	1072775	1161963	1298511	13.84	13.30	10.68	8.31	11.75
25. तेलंगाना	359434	401594	451580	505664	567588	646265	11.73	12.45	11.98	12.25	13.86
26. त्रिपुरा	19208	21663	25593	27422	34368	अनुपलब्ध	12.78	18.14	7.15	25.33	अनुपलब्ध
27. उत्तर प्रदेश	724050	822393	940356	1011790	1119862	1232566	13.58	14.34	7.60	10.68	10.06
28. उत्तराखंड	115328	131613	149074	161439	175772	195606	14.12	13.27	8.29	8.88	11.28

[हिंदी]

सी.जी.एच.एस. स्वास्थ्य केन्द्रों में मांगपत्रित दवाइयां

4770. **श्री ओम प्रकाश यादव:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली में सी.जी.एच.एस. स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा इन्डेन्ट की गई दवाइयां दवाइयों का पर्चा लिखे जाने की तिथि के तीन दिनों बाद वितरित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) समयावधि/प्रक्रिया सहित इस संबंध में इन्डेन्ट की गई दवाइयों के वितरण हेतु जारी दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) इंडेंट की गई औषधियों का वितरण आमतौर पर अगले कार्य दिवस को कर दिया जाता है। फिर भी, इस संबंध में विलंब के कुछ मामले सामने आए हैं।

(ख) इंडेंट की हुई औषधियों के वितरण में होने वाले विलंब के निम्नलिखित कारण हैं:-

- जब एक अधिकृत स्थानीय कैमिस्ट (ए.एल.सी.) एक से अधिक सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्र को औषधियों की आपूर्ति करता है तो कुछ आरोग्य केन्द्रों के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार की औषधियों को व्यवस्थित करने में विलंब हो सकता है।
- विशेषज्ञों द्वारा लिखी गई कुछ औषधियां बाजार में सुगमता से उपलब्ध नहीं होतीं तथा समीप के उपलब्ध स्रोत से उन्हें प्राप्त करने में ए.एल.सी. को समय लगता है।
- इंडेंट की हुई औषधियों को प्राप्त करना एवं सामान सूची में उनकी प्रविष्टि करना तथा वितरित करना अपेक्षित है। इस कार्य के लिए सी.जी.एच.एस. आरोग्य केन्द्रों में कार्मिक शक्ति की कमी है।

(ग) स्थानीय कैमिस्टों की नियुक्ति हेतु निबंधन एवं शर्तों के अनुसार, इंडेंट की हुई औषधियों की आपूर्ति अगले कार्य दिवस को की जानी अपेक्षित है, ऐसा न करने पर जुर्माना लगाया जाता है।

इंडेंट की हुई औषधियों को लाभार्थियों द्वारा 14 दिन के भीतर प्राप्त करना अपेक्षित है, जिसके पश्चात् उन्हें सामान सूची में दावा न की गई औषधियों के रूप में शामिल कर दिया जाएगा। दावा न की गई सामान सूची से औषधियों को इनकी आवश्यकता पड़ने पर दूसरे लाभार्थियों को जारी कर दिया जाता है।

सी.एस.एम. के अंतर्गत झारखंड को आबंटित निधियां

4771. **श्री जनक राम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सी.एस.एस.) के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) झारखंड राज्य सरकार को प्राप्त और इसके द्वारा उपयोग की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या झारखंड सरकार ने अप्रयुक्त रही निधियों के संबंध में कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पोत परिवहन मंत्रालय में राज्य (श्री पोन राधाकृष्णन): (क) से (घ) केन्द्र सरकार/वित्त मंत्रालय, केन्द्र प्रायोजित प्रत्येक योजना के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों को बजटगत धनराशि मांग-वार आबंटित करता है और मंत्रालय/विभाग क्रमश: संबंधित राज्यों की समेकित निधि के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्र प्रायोजित योजना का हिस्सा आबंटित करता है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के लिए धनराशि, प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा अलग-अलग योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार उप-योजना-वार जारी की जाती है। वित्त मंत्रालय अलग-अलग योजनाओं की राज्य-वार निगरानी नहीं करता। वर्ष 2016-17 में केन्द्र प्रायोजित योजना के लिए आबंटित धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपये)

	ब.प्रा. 2016-17	स.प्रा. 2016-17	वास्तविक 2016-17
केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	2,31,900	2,45,435	2,41,296

जी.एस.टी. की परिधि का विस्तार

4772. **श्री तारिक अनवर:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बीमा प्रीमियम, क्रेडिट कार्ड बिल और दूरसंचार सेवाओं को नए माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) प्रणाली की परिधि में लाने के लिए कोई नीति बना रही है;

(ख) यदि हां, तो उन क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिन पर सरकार उपभोक्ताओं से जी.एस.टी. के अंतर्गत संग्रहित भारी धनराशि को खर्च करने की योजना बना रही है; और

(ग) क्या किसानों को इस कर प्रणाली से लाभ मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) इन सेवाओं पर जी.एस.टी. एक्ट, नियमों और इनके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं के अनुसार जी.एस.टी. लगायी जाती है। पूर्व जी.एस.टी. कर व्यवस्था में ये सेवाएं सेवा कर के अध्यधीन थीं।

(ख) कर राजस्व, जिसमें जी.एस.टी. से प्राप्त राजस्व भी आता है, जिनका राज्यों को भी अंतरण किया जाता है, को उन विभिन्न बजटीय प्रस्तावों के अनुसार खर्च किया जाता है जिनको संसद के द्वारा अनुमोदन मिला होता है।

(ग) जी, हां। इस कर व्यवस्था से किसानों को भी लाभ होता है, क्योंकि, इन करों का प्रयोग उन विभिन्न कार्यक्रमों में खर्च करने में किया जाता है जो कि कृषि, ग्रामीण विकास से संबंधित होते हैं और इन करों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और कृषि तथा इसके सहायक क्षेत्रों से संबंधित केंद्र क्षेत्रीय योजनाओं में भी खर्च किया जाता है। इन योजनाओं का ब्यौरा *http://www.indiabudget.gov.in* पर उपलब्ध है।

[अनुवाद]

औषधीय पौधों पर अनुसंधान कार्य

4773. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:** क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधीय पौधों, जो विभिन्न असाध्य रोगों का उपचार करने में लाभदायक हैं, के आनुवांशिक संवर्धन संबंधी कोई अनुसंधान कार्य किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने औषधीय पौधों पर अनुसंधान कार्य शुरू करने पर विचार किया है ताकि समुचित औषधियों की अनुपलब्धता से पीड़ित लोगों को लाभ मिल सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) जैव प्रौद्योगिकी विभाग (डी.बी.टी.), भारत सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार डी.बी.टी. ने हाल ही में आर्टिमिसिनिन (मलेरिया रोधी औषध) बायोसिंथेसिस को बढ़ाने के लिए आर्टेमिसिया एन्नुआ प्लांट के क्लोरोप्लास्ट मेटाबोलिक इंजीनियरिंग पर एक परियोजना और विरीडिफ्लोरॉल/ग्लोबुलोल और मेन्था पपीरिता में इसका अधिक उत्पादन जैसी एक अन्य परियोजना बायोसिंथेसिस और उच्च-मूल्य सेसक्विटरपेन (जीव) के जैवसंश्लेषण पर शुरू की है। सैंडलवुड सेल कल्चर सिस्टम में महत्वपूर्ण सांतालोल पाथ वे जीन्स के जीन ट्रांसफर और एक्सप्रेशन सिस्टम अध्ययन पर काम भी शुरू कर दिया गया है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता है।

चिकित्सा लापरवाही

4774. **डॉ. अंशुल वर्मा:**

श्री देवजी एम. पटेल:

श्री चंदूलाल साहू:

श्रीमती संतोष अहलावत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान चिकित्सा लापरवाही के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या कितनी है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) क्या सरकार की योजना नीति, सेवा गुणवत्ता, सेवा आचार, लापरवाही और अनुचित व्यवहार सहित रोगियों के अधिकारों के संरक्षण हेतु गोपनीयता और निजता संबंधी मामलों से संबंधित शिकायतों और विवादों के त्वरित समाधान हेतु किसी विशेष शक्ति प्राप्त चिकित्सा अधिकरण की स्थापना करने की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान पेशेवर कदाचार के दोषी पाए गए डॉक्टरों और अस्पतालों की कुल संख्या कितनी है और सरकार द्वारा इन अस्पतालों और डॉक्टरों के विरुद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) चिकित्सा लापरवाही की शिकायतों के संबंध में सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) भारतीय चिकित्सा परिषद को प्राप्त शिकायतों का विवरण इस प्रकार है:

	2015	2016	2017
कुल प्राप्त शिकायतें	154	164	117
राज्य चिकित्सा परिषद को भेजी गई शिकायतें	83	98	65
निस्तारित शिकायतें	51	24	15
अचार नीति समिति के समक्ष प्रस्तुत शिकायतें	20	42	37

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) और (ङ) एन.सी.आई. ने केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार एवं नीति) विनियम, 2002 को अधिसूचित किया है और चिकित्सा व्यावसायियों के लिए व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और नीति संबंधी मानक निर्धारित किए हैं। एम.सी.आई. अथवा समुचित राज्य चिकित्सा परिषदों को उक्त विनियम के प्रावधानों के उल्लंघन हेतु डॉक्टरों के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सशक्त किया गया है। डॉक्टरों द्वारा आचार-संहिता के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त होते ही, ऐसी शिकायतों को एम.सी.आई. द्वारा उन राज्य चिकित्सा परिषदों को भेज दिया जाता है, जहां डॉक्टर/चिकित्सा व्यावसायिक पंजीकृत होते हैं। एम.सी.आई. एक अपीलीय प्राधिकरण है।

विगत तीन वर्षों के दौरान एम.सी.आई. द्वारा व्यावसायिक कदाचार के दोषी पाए गए डॉक्टरों के खिलाफ की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में है। स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण अस्पतालों के खिलाफ शिकायतों का निस्तारण संबंधित राज्यों द्वारा किया जाना होता है।

इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार ने नैदानिक प्रतिष्ठान (पंजीकरण एवं विनियमन) अधिनियम, 2010 अधिनियमित क्या है तथा नैदानिक प्रतिष्ठान (केन्द्र सरकार) नियमावली, 2012 अधिसूचित किया है। इनमें निजी एवं सरकारी क्षेत्र के नैदानिक प्रतिष्ठानों के पंजीकरण और विनियमन का प्रावधान है। यह अधिनियम वर्तमान में दिल्ली को छोड़कर सभी संघ शासित राज्यों और 10 राज्यों में लागू है। इस अधिनियम का प्रवर्तन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

व्यावसायिक कदाचार के दोषी पाए गए डॉक्टरों के खिलाफ एम.सी.आई. द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण

2015

क्र. सं.	नैतिक समिति की बैठक की तारीख	डॉक्टर का नाम	दी गई सजा की अवधि
1	2	3	4
1.	15-16.01.2015	डॉ. सुख चैन सिंह भुल्लर और डॉ. बी के संजय	5 वर्ष की अवधि के लिए किसी भी मेडिकल कॉलेज में किसी भी शिक्षण पद/प्रशासनिक पद
2.	04-05.11.2015	डॉ. बासुदेव तिवारी	चेतावनी
3.	28.01.2015	डॉ. (श्रीमती) मीनाक्षी चाकी	चेतावनी
4.	28.01.2015	डॉ. मनोज ढ़ींगरा	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित

1	2	3	4
5.	05-06.02.2015	डॉ. गोली वेंकटेश्वर राव	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
6.	19-20.02.2015	डॉ. ए. गोयंकाण्ड, डॉ. अभय त्यागी	चेतावनी
7.	19-20.02.2015	डॉ. एम एल शर्मा	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
8.	19-20.02.2015	डॉ. गौरव बंसल और डॉ. वी के कोहली	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
		डॉ. अलका गोयल और डॉ. रेणु अग्रवाल	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
		डॉ. अनु नायर	चेतावनी
9.	17-18.03.2015	डॉ. जतिंदर शर्मा	चेतावनी
10.	17-18.03.2015	डॉ. प्रवीण राठी	चेतावनी
11.	06-07.04.2015	डॉ. एस बी डबराल	प्रिंसिपल/डीन/प्रशासनिक/इसी प्रकार के किसी भी शिक्षण पद को लेने से स्थायी रूप से निष्कासन
		डॉ. राजेंद्र सिंह	5 (पांच) वर्षों के लिए निष्कासित
12.	06-07.04.2015	डॉ. प्रुफुल्ल कुमार आर्य	चिकित्सा शिक्षक, प्रशासनिक क्षमता या किसी भी समान पदों धारण करने वाले 5 (पांच) वर्षों के लिए निष्कासन
13.	06-07.4.2015	डॉ. एच. बसवानागौड़प्पा	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासन
14.	29 एवं 30 अप्रैल, 2015	डॉ. परवीन डोडामणि	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासन
14.	26-27.05.2015	डॉ. नारायण हरसिंहनी	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासन
15.	16-17.06.2015	डॉ. टी. गुनासागरन, डॉ. बवानीसंकर टी., डॉ. दीप्ति शाह, डॉ. एमपी ससी, डॉ. ए.ए. नागराजप्पा और डॉ. विद्या मोदगांवकर	आकलनकर्त्ताओं के पैनल से स्थायी रूप से निष्कासन
16.	16-17.06.2015	डॉ. के. रवि, डॉ. शिल्पाराव, डॉ. कीर्ति दूबे, डॉ. यामिनी नीलेश त्रिवेदी और डॉ. श्रीकुमार दामोदरन	एमसीआई आकलन के पैनल से स्थायी रूप से निष्कासित
17.	16-17.06.2015	डॉ. अतुल छाबड़ा	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासन
18.	16-17.06.2015	डॉ. बासू देव तिवारी	चेतावनी

1	2	3	4	1
19.	16-17.06.2015	1. डॉ. सुबोध बंजल, चिकित्सा, प्रोफेसर 2. डॉ. महेंद्र तिल्कर, सहायका चिकित्सा प्रोफेसर 3. डॉ. कैलाश भाटिया, प्रोफेसर त्वचा विज्ञान 4. डॉ. मनोज केला, एसोसिएट प्रोफेसर, सर्जरी 5. डॉ. राजीव जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, सर्जरी 6. डॉ. साकेत जाटी, एसोसिएट प्रोफेसर, आर्थोपेडिक		शिक्षण पद से 3 (तीन) वर्ष के लिए निष्कासित
20.	25-26.06.2015	डॉ. नीतू रस्तोगी		1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
21.	10-11.08.2015	1. डॉ. ए.के. भार्गव, प्रोफेसर, पैथोलॉजी 2. डॉ. राकेश लाल, रेडियोलॉजी के एसोसिएट प्रोफेसर 3. डॉ. रमेश एम. वंजानी, प्रोफेसर पैथोलॉजी 4. डॉ. एनके मालपानी, प्रोफेसर जनरल सर्जरी 5. डॉ. शैलजा रतन शुक्ला, डीवीएल प्रोफेसर 6. डॉ. पवन शोरे, प्रोफेसर नेत्र विज्ञान		किसी भी विश्वविद्यालय और/या मेडिकल कॉलेज में इसी प्रकार की प्रकृति के प्रशासनिक/शिक्षण पद के किसी भी पद लेने के लिए उपक्रम से 5 (पांच) वर्ष के लिए निष्कासन
22.	10-11.08.2015	डॉ. एच. रंगप्पा		5 (पांच) वर्षो के लिए निष्कासन
23.	27-28.08.2015	डॉ. रवि प्रकाश अग्रवाल		3 (तीन) वर्षो के लिए निष्कासन
24.	27-28.08.2015	डॉ. नंदीश		3 (तीन) वर्षो के लिए निष्कासन
25.	27-28.08.2015	डॉ. टी के अनीता		3 (तीन) वर्षो के लिए निष्कासन
26.	27-28.08.2015	डॉ. मोहम्मद शाहिद		3 (तीन) वर्षो के लिए निष्कासन
27.	29-30.09.2015	डॉ. अशोक कुमार घोष		1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासन
28.	29-30.09.2015	डॉ. सुजीत सरकार		1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासन
29.	15-16.10.2015	डॉ. एन एस कोठारी 1. डॉ. ए.के. भार्गव, पैथोलॉजी के प्रोफेसर 2. डॉ. राकेशलाल, प्रोफेसर रेडियोलॉजी एसोसिएट		प्रिंसिपल/डीन या इसी तरह की प्रकृति के किसी भी प्रशासनिक पद को लेने के लिए पद के उपक्रम से स्थायी रूप से निष्कासन
		3. डॉ. रमेश एम. वंजानी, पैथोलॉजी के प्रोफेसर 4. डॉ. एनके मालपानी, जनरल सर्जरी प्रोफेसर		प्रशासनिक प्रकृति के किसी पद शिक्षण पद से 5 वर्ष के लिए निष्कासित

1	2	3 4	1
		5. डॉ. शैलजा रतन शुक्ला, डीवीएल प्रोफेसर 6. डॉ. पवन शोरे, प्रोफेसर नेत्र विज्ञान के प्रोफेसर	
30.	4-5.11.2015	डॉ. आशालता शंकर राव जगतप	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के अनुसार
31.	4-5.11.2015	डॉ. कैलाश चंद्र मनचंदा	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के अनुसार
32.	4-5.11.2015	डॉ. श्री राम भारद्वाज	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के अनुसार
33.	4-5.11.2015	डॉ. कंवरदीप रंधावा	180 दिनों के लिए निष्कासित
34.	02-03.12.2015	डीन डॉ. अशोक कुमार धनविजय	प्रिंसिपल/डीन या किसी भी प्रशासनिक पद से 1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
35.	22-23.12.2015	डॉ. अश्वनी परचला	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
36.	22-23.12.2015	डॉ. सदानन्द गोविंद राव कुलकर्णी	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के अनुसार प्रशासनिक प्रकृति/शिक्षण के किसी भी पद पर 5 (पांच) वर्ष के लिए दिनांक 24.05.2017 से निष्कासित
37.	22-23.12.2015	डॉ. सभा शंकर तिवारी	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में
38.	22-23.12.2015	डॉ. रुपेंद्र सिंह	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में
39.	22-23.12.2015	डॉ. अमित पंवार	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में
40.	22-23.12.2015	चिंतपुरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, पठानकोट, पंजाब के डीन/प्रिंसिपल	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में

1	2	3	4
41.	22-23.12.2015	डॉ. मनीष कुमार	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में
42.	22-23.12.2015	डॉ. परेश रूपरेल डॉ. यूबीशाह	प्रशासनिक प्रकृति/शिक्षण के किसी भी पद से 5 (वर्ष) के लिए निष्कासित।
		2016	
1.	05-06.01.2016	डॉ. वी.एस. सोलंकी	अधिक सावधान
		डॉ. मधु चड्ढा	
2.	19-20.01.2016	डॉ. वाईपी भट्टाचार्य डॉ. एस के सिन्हा	भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002 के खंड 8.5 के संदर्भ में
3.	19-20.01.2016	डॉ. के. कोटेश्वराव	स्थायी रूप से निकाले गए
		प्रो. जे सासी कुमार और डॉ. गुरूंधा	चेतावनी
		डॉ. अनिल ग्रोवर	पांच साल
4.	19-20.01.2016	डॉ. आर पी सिंह	6 (छ:) महीनों के लिए निष्कासित
5.	17-18.02.2016	डॉ. अरविंद कुमार	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
6.	17-18.02.2016	डॉ. अशोक कुमार घोष	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
		डॉ. सुजीत सरकार	6 (छ:) महीनों के लिए निष्कासित
7.	17-18.02.2016	डीन डॉ. अनिल अग्रवाल	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
8.	17-18.02.2016	डॉ. शिरीष बी. पाटील	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
9.	17-18.02.2016	डॉ. मिहिर चौधरी	चेतावनी
		डॉ. स्वप्निल थोरट	चेतावनी
10.	17-18.03.2016	डॉ. आलोक मदान	चेतावनी
		डॉ. महेश गुप्ता	चेतावनी
11.	17-18.03.2016	डीन/प्रधानाचार्य	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
12.	18.04.2016	डॉ. तलीशेट्टी भारती	चेतावनी
13.	18.04.2016	डॉ. विजय कुमार शारदा	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
14.	18.04.2016	डॉ. ई. सुधाकर रेड्डी	चेतावनी
15.	18.04.2016	डॉ. अरुणाचलम कुमार	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित

1	2	3	4
16.	18.04.2016	डॉ. एचपी शांता	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
17.	18.04.2016	डॉ. बोलार राम प्रसाद	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
19.	18.04.2016	डॉ. मोहम्मद शुएब	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
20.	18.04.2016	डॉ. स्मिता सिंह बैनर्जी	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
21.	18.04.2016	डॉ. शिल्पा एस नाइक	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
22.	18.04.2016	डॉ. हर्षिदा सुखालागीर गोसाई	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
23.	18.04.2016	डॉ. मुड्डू सुरेंद नेहरू	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
24.	18.04.2016	डॉ. नमाद पंकज रमेश	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
25.	18.04.20146	डॉ. नरेन्द्रु सुनीता	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
26.	18.04.2016	डॉ. रजनीश चन्द्रन	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
27.	18.06.2016	डॉ. भगत हरिदास	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
28.	18.06.2016	डॉ. प्राद्य पी. कुलकर्णी	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
29.	18.06.2016	डॉ. सागर सुनका	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
30.	18.06.2016	डॉ. बी. वेणुगोपाल राव	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
31.	18.06.2016	डॉ. वेदप्रकाश गुप्त	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
32.	18.06.2016	डॉ. विजय कुमार चौधरी	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
33.	18.06.2016	डॉ. बसवराज एम.तिंगिकाई	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
34.	18.06.2016	डॉ. हेमंत कुमार	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
35.	18.06.2016	डॉ. मुथु कुमार आर	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
36.	18.06.2016	डॉ. अभय कुमार	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
37.	18.06.2016	डॉ. इशान हेमंत कुमार शाह	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
38.	18.06.2016	डॉ. रुची गर्ग	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
39.	18.06.2016	डॉ. सोनवन यशद्वीप लीलाधर	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
40.	18.06.2016	डॉ. एम. चित्रा	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
41.	18.06.2016	डॉ. अमित श्रीवास्तव	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
42.	18.06.2016	डॉ. पी. मदनिका	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
43.	18.06.2016	डॉ. सचिन एस शबादी	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
45.	18.06.2016	डॉ. विशाल के. कदली	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित

1	2	3	4
46.	03-04.05.2016	डॉ. एस. स्वरूप रानी	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
47.	03-04.05.2016	चिंतपुरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बंगल, पठानकोट, पंजाब के तत्कालीन डीन के डॉ. एन एस शर्मा	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
48.	03-04.05.2016	डॉ. आर्दमान सिंह	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
49.	03-04.05.2016	चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, बंगल, पाठनकोट, पंजाब के तत्कालीन डीन के डॉ. एन. एस. शर्मा	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
50.	03-04.05.2016	डॉ. खदीप सिंह	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
51.	03-04.05.2016	डॉ. मृणालिनी, मेलमरूवथुर की डीन, आदिपराशक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, मेलमरूवथुर, तमिलनाडु	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
52.	03-04.05.2016	डॉ. दीप्ति बासु, हाय-टेक मेडिकल कॉलेज के तत्कालीन डीन, राउरकेला	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
53.	03-04.05.2016	डॉ. ओम प्रकाश पंडे	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
54.	03-04.05.2016	डॉ. तुषार आर पाटिल	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
55.	03-04.05.2016	डॉ. मृणालिनी, मेलमरूवथुर की डीन, आदिपराशक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च, मेलमरूवथुर, तमिलनाडु	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
56.	03-04.05.2016	डॉ. एम रामाराव	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
57.	03-04.05.2016	डॉ. रमाकांत	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
58.	24-25.05.2016	डॉ. अमित जगताप	चेतावनी
59.	24-25.05.2016	डॉ. निर्मला जैसवाल डॉ. पृथा दत्ता	खंड 8.5 के संदर्भ में भारतीय चिकित्सा परिषद (व्यावसायिक आचरण, शिष्टाचार और आचार) के विनियम, 2002
60.	23-24.06.2016	डॉ. मुक्तांजली आर्य,	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
		डॉ. ए एस सेखों	"
		डॉ. वी. मोहन	"
		डॉ. पी के आर्य	"
61.	23-24.06.2016	डॉ. एन के दास,	1 (एक) महीने के लिए निष्कासित
		डॉ. एसपी चौधरी,	"

1	2	3	4
		डॉ. आरके मिश्रा,	"
		डॉ. जे के प्रसाद	"
		डॉ. पी.के. मूनका	"
62.	2016.06.30	डॉ. नीतू रस्तोगी	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
63.	4-5.08.2016	डॉ. कीर्ति मुंडे	6 (छह) वर्ष के लिए निष्कासित
64.	19-20.08.2016	डॉ. सुरेन्द्र बन्धेरी, तत्कालीन डीन, महेश्वरा मेडिकल कॉलेज, मेडक जिला	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
65.	19-20.08.2016	डॉ. कैलाश चंद्र मनचंद, चिंतपुरी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डीन, पठानकोट, पंजाब	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
66.	7-8.09.2016	डॉ. मनोज कुमार राय	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
67.	5/2016.10.06	डॉ. एच एस सोमशेखर	चेतावनी
		डॉ. बी विजय कुमार	3 (तीन) वर्षों के लिए चेतावनी और निष्कासित
68.	5/2016.10.06	डॉ. एसबी मोंगलो	चेतावनी
69.	5/2016.10.06	डॉ. शरद गुप्ता	5 (पांच) वर्षों के लिए बाध्य
		डीन डॉ. महेंद्र राज वाघरे	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
70.	5/2016.10.06	प्रधान डॉ. एस. बालकृष्णन	1 (एक) वर्ष के लिए डिबार
71.	5/2016.10.06	प्रिंसिपल डॉ. जयप्रकाश	1 (एक) वर्ष के लिए डिबार
72.	5/2016.10.06	डीन डॉ. एच. रंगप्पा	1 (एक) वर्ष के लिए डिबार
73.	2016.11.09	डॉ. गुंजन सिंह	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
		2017	
1.	14.12.2016	डॉ. मनीष कुमार सिंह	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
2.	29/30.11.2016	प्रिंसिपल डॉ. (लेफ्टिनेंट कर्नट) केएसएन राव	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
		और	
		डॉ. गुरुरुश्री आशा	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		डॉ. सी. माधवराव	"
		डॉ. प्रदीप वंदवल्ली	"
		डॉ. पंडुला रेवती	"
		डॉ. डीके चेहुरोलू	"
		डॉ. वाई. नागतालुपुला राव	"

1	2	3	4
3.	29/30.11.2016	डॉ. प्रतिभ डी. अथविया	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
4.	29/30.11.2016	डॉ. पारूल वर्मा	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
5.	29/30.11.2016	डॉ. शिउली	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
6.	29/30.11.2016	डॉ. संजीव कुमार	6 (छह) महीनों के लिए निष्कासित
7.	30.12.2016	डॉ. कौशिक सामजदर	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
8.	09.01.2017	डॉ. भवानी शंकर	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
9.	09.01.2017	तत्कालीन डीन, डॉ. दीप्ति बासु	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		तत्कालीन डीन, डॉ. लक्ष्मी कुमार	
		और	
		डॉ. अमित पानवार	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
10.	24/25.01.2017	तत्कालीन डीन डॉ. यूबी शाह	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
11.	24/25.01.2017	डॉ. उमेश गुप्ता	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
12.	24/25.01.2017	डॉ. दीपक कुमार	चेतावनी
		डॉ. प्रभात सिन्हा	
13.	24/25.01.2017	पूर्व प्रधान डॉ. चंद्रकांत शिरोही	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
14.	24/25.01.2017	शैलेंद्र सिंह	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
15.	06.04.2017	डॉ. (प्रोफेसर) केदार बंधोपाध्याय	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
16.	27/28.04.2017	डॉ. आशीष एन त्रिपाठी	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
17.	27/28.04.2017	डॉ. गौड़ चंद्र नास्कर और डॉ. चांडी चारन रॉय	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		और	
		डॉ. अशोक कुमार बिस्वास और डॉ. आर बसु	चेतावनी
18.	27/28.04.2017	डॉ. जोस चेलन	2 (दो) वर्ष निष्कासित
19.	27/28.04.2017	डॉ. राजीव कुमार अग्रवाल,	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		डॉ. चंद्र प्रकाश सिंह,	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		डॉ. पीके वाशिष्ठ	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		और	
		तत्कालीन डीन डॉ. एमडी त्रिपाठी	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
20.	27/28.04.2017	डॉ. निखिल रहेजा	1 (एक) वर्षों के लिए निष्कासित
21.	27/28.04.2017	डॉ. पूर्णेदु रॉय	1 (एक) वर्षों के लिए निष्कासित

1	2	3	4
22.	27/28.04.2017	तत्कालीन डीन डॉ. राजीव कुमार गुप्ता	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
23.	27/28.04.2017	डॉ. अनिल भरारी, डॉ. उज्जल सरदेसाई, डॉ. वी.वी. पाल, डॉ. अभयपल्लीवाल, डॉ. पालीरास्तोगी, डॉ. हेमंत जैन, डॉ. आशीष पटेल, डॉ. रघुकुलराजदान	3 (तीन) महीनों के लिए निष्कासित
24.	27/28.04.2017	डॉ. मुरारीलाल नागामल सराफ	5 (पांच) वर्षों के लिए निष्कासित
25.	18/19.05.2017	डॉ. यतीश शर्मा	चेतावनी
		डॉ. पवन खुराना	"
26.	06/07.06.2017	तत्कालीन डीन, एसएमबीटी इंस्टिट्यूट ऑफ मैडिकल साईसिस एंड रिसर्च सेंटर	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
		और	
		डॉ. पंकजराव हिम्मत राव पाटिल,	
		डॉ. नुक्ते मुतनानंद रति लाल,	
		डॉ. सावंत ऋतुराज राजेश,	
		डॉ. महाजन प्रतिक्षित मधव,	
		डॉ. अमित रामनाथ काकद,	
		डॉ. सखाराम तुलशीराम धनकुते,	
		डॉ. निकम महेश कुमार प्रभाकरंद	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
		डॉ. खाडोस गोपाल जगन्नाथ	
		डॉ. धराट सुखदेव लिंगाजी	
		डॉ. जयंत आर माहेश्वरी	
27.	06/07.06.2017	तत्कालीन डीन, डॉ. आर गोपीनाथन	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
28.	30 जून और 1 जुलाई, 2017	डॉ. परवीन चौधरी	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
29.	30 जून और 1 जुलाई, 2017	डॉ. सीमा शिवहरे	1 (एक) महीने के लिए निष्कासित
30.	0	0	0
31.	22 सितंबर, 2017	डॉ. जीपीआई सिंह	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित
32.	22 सितंबर, 2017	डॉ. दर्शन एमएस	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
33.	16 अक्तूबर, 2017	डॉ. राजामल भगीरथी एम्मल	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित

1	2	3	4
34.	22 सितंबर, 2017	डॉ. दिनेश चंद्र गुप्ता	1 (एक) वर्ष के लिए निष्कासित
35.	30 अक्तूबर, 2017	डॉ. मीना तनेजा	5 (पांच) वर्षों के लिए निष्कासित
36.	21 सितंबर, 2017	डॉ. सुरेन्द्र भंडारी	3 (तीन) वर्षों के लिए निष्कासित

जीएम सोया बीज का आयात

4775. **श्री सुनील कुमार जाखड़:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आनुवांशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जी.ई.ए.सी.) द्वारा देश में जीवित जीएम सोया बीज के आयात की अनुमति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त अनुमति देने से पहले कोई सुरक्षा संबंधी आकलन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त आयातों को रोकने और उल्लंघनकर्ताओं के दायित्व निर्धारित करने के लिए जी.ई.ए.सी. द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) आनुवंशिक अभियांत्रिकी मूल्यांकन समिति (जी.ई.ए.सी.) ने भारत में जीवित जीएम सोया बीज के आयात की अनुमति नहीं दी है।

(ङ) जी.ई.ए.सी. ने विदेश व्यापार महानिदेशालय से उचित कार्रवाई करने तथा जीएम सोया बीज या इसके उत्पादों को आयात नहीं करने के लिए संबंधित एजेंसियों को उचित निदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

उत्तर-पूर्व में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना

4776. **श्री विनसेंट एच. पाला:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्वी राज्यों में स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों, चिकित्सकों, परिचारिकाओं और अन्य चिकित्सकीय पेशेवरों की संख्या कितनी है;

(ख) गत चार वर्षों के दौरान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल में सुधार लाने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं का विकास करने के लिए कोई उपाय कर रही है और कोई प्रोत्साहन दे रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) पूर्वोत्तर राज्यों में मेडिकल कॉलेजों सहित विभिन्न स्तरों के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यशील स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों का विवरण संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों तथा अन्य मेडिकल प्रोफेशनलों की उपलब्धता संबंधी ब्यौरा संलग्न विवरण-II से VIII में दिया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में केंद्रीय सरकार के तीन स्वास्थ्य संस्थान अर्थात् शिलांग में पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय चिकित्सा और स्वास्थ्य विज्ञान संस्थान, इंफाल में क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान तथा आइजोल में क्षेत्रीय परा-चिकित्सा एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान हैं। इन संस्थानों में मानव संसाधन की स्थिति का ब्यौरा संलग्न विवरण-IX में दिया गया है।

(ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को किए गए आबंटन, जारी निधियों एवं किए गए व्यय का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-X में दिया गया है।

(ग) और (घ) जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय होने के कारण, स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपलब्ध कराने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों की है। फिर भी, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत, राज्यों द्वारा उनकी समग्र संसाधन सीमा के भीतर उनकी एन.एच.एम. कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों के आधार पर सभी नागरिकों को सुगम्य, किफायती तथा गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या

का प्रावधान करने हेतु उनकी समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस सहायता में अन्य बातों के अलावा, नि:शुल्क प्रजनन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं, क्षयरोग, मलेरिया, एच.आई.वी./एड्स जैसी संचारी रोगों के उपचार, नि:शुल्क औषधियों, मेडिकल मोबाइल यूनिट, रेफरल परिवहन, प्रधान मंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम इत्यादि के लिए सहायता शामिल है।

स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के विकास हेतु किए गए विभिन्न उपाय एवं प्रस्तुत किए जा रहे प्रोत्साहन निम्नवत् हैं:-

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, अग्रणी संपर्क योजना के तहत पहलों के संपूरण तथा अनुपूरण की दृष्टि से योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में तृतीयक एवं द्वितीयक स्तर की स्वास्थ्य संबंधी अवसंरचना में सुधार लाना/सुदृढ़ बनाना है।
- एन.एच.एम. के तहत, राज्यों द्वारा बेहतर निष्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहनों/निरूत्साहनों की प्रणाली प्रारंभ की गई है। एन.एच.एम. फ्लैक्सीपूल के तहत कुल आबंटन का 20 प्रतिशत प्रोत्साहनों के लिए रखा गया है।
- नर्सिंग सेवाओं (ए.एन.एम./जी.एन.एम.) के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण के तहत, वित्तीय वर्ष 2013-2014 से 2016-17 के दौरान अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड तथा त्रिपुरा राज्य को 47.654 करोड़ रुपये की निधियां जारी की गई हैं।
- पूर्वोत्तर राज्यों सहित देश में स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं का विकास करने हेतु केंद्र द्वारा प्रायोजित 3 योजनाएं हैं-

(i) मौजूदा जिला/रेफरल अस्पतालों से संबद्ध नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना:- इस योजना में पूर्वोत्तर के पांच राज्यों नामत: अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम तथा नागालैंड को शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-XI में दिया गया है।

(ii) देश में एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार/केंद्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन:- इस योजना के तहत पूर्वोत्तर के एक राज्य नामत: मणिपुर को शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-XII में दिया गया है।

(iii) नए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ करने तथा स्नातकोत्तर सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य सरकार के मेडिकल कॉलेजों का सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन:- नई स्नातकोत्तर सीटें सृजित करने के लिए राज्य/केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने तथा उनके उन्नयन के उद्देश्य से XIवीं योजना अवधि में यह योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पूर्वोत्तर के दो राज्यों नामत: असम एवं त्रिपुरा को शामिल किया गया है। ब्यौरा संलग्न विवरण-XIII में संलग्न है।

विवरण-I

पूर्वोत्तर राज्यों में कार्यशील ग्रामीण स्वास्थ्य अवसंरचनाओं की संख्या (आर.एच.एस. 2017 की स्थिति के अनुसार)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	उप केंद्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	सीएचसी	उप-मंडल अस्पताल	जिला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अरुणाचल प्रदेश	312	143	63	0	18	0
2.	असम	4621	1014	158	14	25	6
3.	मणिपुर	421	85	17	1	7	2
4.	मेघालय	436	109	27	1	12	1
5.	मिजोरम	370	57	9	2	9	0

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	नागालैंड	396	126	21	0	11	0
7.	सिक्किम	147	24	2	0	4	0
8.	त्रिपुरा	987	93	21	11	8	2

*स्रोत: एनई पूर्वोत्तर राज्यों से प्राप्त सूचना।

विवरण-II

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों की उपलब्धता

क्र. सं.	राज्य	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डॉक्टर (आरएचएस 2017 के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	122
2.	असम	1048
3.	मणिपुर	194
4.	मेघालय	112
5.	मिजोरम	56
6.	नागालैंड	122
7.	सिक्किम	30
8.	त्रिपुरा	156

विवरण-III

सी.एच.सी. में कुल विशेषज्ञ

कुल विशेषज्ञ, [सर्जन, ओबी और जीवाई, फिजिशियन और पैडिट्रिशियन]

क्र.सं.	राज्य	आरएचएस 2017 के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	4
2.	असम	139
3.	मणिपुर	3
4.	मेघालय	13
5.	मिजोरम	0
6.	नागालैंड	8
7.	सिक्किम	1
8.	त्रिपुरा	0

विवरण-IV

सामान्य सेवा चिकित्सा अधिकारी (जी.डी.एम.ओ.) - सी.एच.सी. में एलापैथिक

क्र.सं.	राज्य	आरएचएस 2017 के अनुसार
1.	अरुणाचल प्रदेश	119
2.	असम	386
3.	मणिपुर	93
4.	मेघालय	75
5.	मिजोरम	16
6.	नागालैंड	52
7.	सिक्किम	3
8.	त्रिपुरा	84

विवरण-V

पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में प्रयोगशाला तकनीशियन

क्र.सं.	राज्य	संख्या (आरएचएस 2017 के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	123
2.	असम	1202
3.	मणिपुर	70

क्र.सं.	राज्य	संख्या (आरएचएस 2017 के अनुसार)
4.	मेघालय	162
5.	मिजोरम	82
6.	नागालैंड	73
7.	सिक्किम	21
8.	त्रिपुरा	91

विवरण-VI

पी.एच.सी. और सी.एच.सी. में नर्सिंग स्टाफ

क्र.सं.	राज्य	संख्या (आरएचएस 2017 के अनुसार)
1.	अरुणाचल प्रदेश	498
2.	असम	2793
3.	मणिपुर	397
4.	मेघालय	610
5.	मिजोरम	212
6.	नागालैंड	387
7.	सिक्किम	33
8.	त्रिपुरा	597

विवरण-VII

जिला अस्पताल एवं उप-जिला/उप-मंडल अस्पताल में डॉक्टर

क्र.सं.	राज्य	संख्या (आरएचएस 2017 के अनुसार)	
		जिला अस्पताल	उप-जिला/उप-मंडल अस्पताल
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	381	उपलब्ध नहीं
2.	असम	655	127
3.	मणिपुर	221	6
4.	मेघालय	237	9
5.	मिजोरम	223	15
6.	नागालैंड	173	0
7.	सिक्किम	80	0
8.	त्रिपुरा	307	113

एनए-उपलब्ध नहीं

विवरण-VIII

जिला अस्पताल एवं उप-जिला/उप-मंडल अस्पताल में पराचिकित्सा स्टाफ

क्र.सं.	राज्य	संख्या (आरएचएस 2017 के अनुसार)	
		जिला अस्पताल	उप-जिला/उप-मंडल अस्पताल
1.	अरुणाचल प्रदेश	790	उपलब्ध नहीं
2.	असम	1770	294
3.	मणिपुर	293	27
4.	मेघालय	1066	22
5.	मिजोरम	848	32
6.	नागालैंड	449	0
7.	सिक्किम	195	0
8.	त्रिपुरा	1480	511

एनए-उपलब्ध नहीं

विवरण-IX

पूर्वोत्तर राज्यों में तीन केंद्र सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर, नर्स और अन्य चिकित्सा पेशेवरों का विवरण

क्र. सं.	संस्थान का नाम	डॉक्टर	नर्स	अन्य चिकित्सा पेशेवर
1.	क्षेत्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल	329	623	105
2.	पूर्वोत्तर इंदिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान संस्थान, शिलांग	340	424	15
3.	क्षेत्रीय पराचिकित्सा एवं नर्सिंग विज्ञान संस्थान, आइजोल*	-	-	-

* यह एक प्रशिक्षण संस्थान है।

स्रोत: राज्य सरकार

विवरण-X

वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2016-17 के लिए एन.एच.एम. के अंतर्गत राज्य-वार आवंटन, जारी राशि एवं व्यय को दर्शाने वाला विवरण

करोड़ रुपये में

क्र. सं.	राज्य/केंद्रशासित प्रदेश का नाम	2013-14			2014-15			2015-16			2016-17		
		आवंटन	जारी राशि	व्यय	आवंटन	जारी राशि	व्यय	आवंटन	जारी राशि	व्यय	आवंटन	जारी राशि	व्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	85.95	78.60	92.03	185.28	139.41	69.50	160.01	162.65	146.27	166.20	160.35	165.16
2.	असम	1,214.83	1,077.81	956.89	1,114.50	877.13	915.88	973.90	971.35	1,186.01	985.73	1,040.46	1,331.77
3.	मणिपुर	127.75	88.93	74.57	144.97	128.81	86.91	115.16	112.16	105.51	117.10	78.50	78.99
4.	मेघालय	147.45	125.51	71.53	136.83	104.13	70.72	107.62	102.22	133.55	165.94	159.86	145.68
5.	मिजोरम	83.20	77.43	91.89	116.53	103.28	93.29	97.50	94.68	95.57	98.99	80.66	90.45
6.	नागालैंड	116.54	99.73	90.40	135.26	114.92	63.04	108.75	104.85	81.05	106.96	94.88	134.55
7.	सिक्किम	44.02	45.91	44.82	51.09	51.60	41.36	43.54	41.01	50.71	46.62	41.67	50.57
8.	त्रिपुरा	167.91	140.15	101.93	164.24	123.11	130.15	139.07	136.29	118.77	145.53	123.89	141.27
		1,987.64	1,734.08	1,524.06	2,048.71	1,642.40	1,470.84	1,745.55	1,725.22	1,917.45	1,833.06	1,780.26	2,138.44

ध्यान दें:

1. उपरोक्त जारी राशि केन्द्रीय सरकारी अनुदान से संबंधित हैं और इसमें राज्य, राज्य के भाग का योगदान और अनुकंपा अनुदान शामिल नहीं है।
2. व्यय में, वर्ष की प्रारंभ में केन्द्रीय निर्गत राशि के अंतर्गत व्यय और अव्ययित शेष राशि शामिल हैं।

विवरण-XI

वर्तमान जिला/रेफरल अस्पताल से संबद्ध नए चिकित्सा कॉलेजों की स्थापना की योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी निधियां

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	जिले	कुल राशि	केंद्रीय हिस्सा (90%)	2014-15 में जारी की गई राशि	2015-16 में जारी राशि	2016-17 में जारी की गई राशि	2017-18 में जारी राशि (अब तक)	कुल जारी राशि	राज्य-वार कुल राशि
1.	अरुणाचल प्रदेश	1. नाहरलगुन	189.00	170.10	0.00	42.50	10.00	50.00	102.50	102.50
2.	असम	2. धुबरी	189.00	170.10	0.00	10.00	20.00	41.00	71.00	334.97
		3. नागांव	189.00	170.10	0.00	10.00	20.00	41.00	71.00	
		4. उत्तर लखीमपुर	189.00	170.10	0.00	10.00	20.00	41.00	71.00	
		5. दिफू	189.00	170.10	0.00	0.00	83.97	38.00	121.97	
3.	मेघालय	6. पश्चिमी गारोहिल्स (तुरा)	189.00	170.10	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00
4.	मिजोरम	7. फलकुंआ	189.00	170.10	0.00	30.00	21.02	76.00	127.02	127.02
5.	नागालैंड	8. नागा अस्पताल	189.00	170.10	0.00	36.50	14.53	25.00	76.03	76.03

विवरण-XII

देश में एम.बी.बी.एस. सीटों में वृद्धि करने के लिए वर्तमान राज सरकारी/केंद्र सरकारी चिकित्सा कॉलेजों के उन्नयन की योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	चिकित्सा कॉलेज का नाम	बढ़ाई गई सीटें	सीटों की संख्या	अनुमोदित लागत	केंद्र का हिस्सा (90%)	2014-15 में जारी राशि	2015-16 में जारी राशि	2016-17 में जारी राशि	2017-18 में जारी राशि (अब तक)	कुल जारी राशि
1.	मणिपुर	जवाहरलाल आयुर्विज्ञान संस्थान, इंफाल	100 से 150	50	60	54	0	0	0	12	12

विवरण-XIII

नए स्नातकोत्तर विषय प्रारंभ करने और पी.जी. सीटों में वृद्धि करने के लिए राज्य चिकित्सा कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन योजना के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को अब तक जारी की गई निधियां

जारी राशि (करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल
1.	असम	0	17.71	0	0	0	0	0	3	6.9344	27.6444
2.	त्रिपुरा	0	7.29	0	0	0	0	0	6	5	18.29

इमेजिंग प्रौद्योगिकी

4777. **श्री दुष्यंत सिंह**: *क्या* **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में औषध पादपों के स्थानों का पता लगाने के लिए वर्तमान में उपयोग में लाई जा रही पद्धति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने औषध पादपों का आकृति विज्ञान के आधार पर और मानचित्र पर भौगोलिक दृष्टि से पता लगाने के लिए इनकी पहचान के लिए इमेजिंग प्रौद्योगिकी को एक उपकरण के रूप में उपयोग करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) भारत में औषधीय पादपों के स्थानों का पता लगाने के लिए हस्त सर्वेक्षण और सूचीकरण का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। तथापि, वर्तमान में औषधीय पादपों के स्थान का पता लगाने के लिए रिमोट सेंसिंग एंड जियोग्राफिक इनफॉरमेशन सिस्टम (जी.आई.एस.), ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी.पी.एस.) जैसी आधुनिक तकनीकों का पादप विविधता के सर्वेक्षण और सूचीकरण तथा पादप प्रजातियों/आबादियों के स्थान विशेष/पर्यावास के निर्धारण के लिए भी उपयोग किया जाता है।

(ख) और (ग) हाल ही में, एन.एम.पी.बी., आयुष मंत्रालय ने औषधीय पादपों के संरक्षण, विकास और सतत् प्रबंधन पर अपनी केंद्रीय क्षेत्रक स्कीम के अंतर्गत उत्तराखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, देहरादून का "उत्तराखंड के चयनित जिलों में औषधीय और सुगंधित पादपों (एम.ए.पी.) की कुछ प्रजातियों के संरक्षण के लिए उपयुक्त स्थल निर्धारित करने हेतु भू-स्थानिक दृष्टिकोण" शीर्षक से एक परियोजना और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड ऐरोमेटिक प्लांट्स (सी.आई.एम.ए.पी.), लखनऊ का "आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और उड़ीसा राज्यों में खेती किए गए औषधीय और सुगंधित पादपों के भौगोलिक-स्थानिक मानचित्रों का सूचीकरण, अंकीकरण और वेब सक्षमीकरण" शीर्षक से एक अन्य परियोजना का सहयोग किया है।

नर्सिंग शिक्षा प्रणाली

4778. **डॉ. ममताज संघमिता**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर में नर्सिंग शिक्षा प्रणाली एक समान है या इसमें राज्य-वार अंतर है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सभी नर्सिंग विद्यालय/महाविद्यालय भारतीय नर्सिंग परिषद के अंतर्गत आते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सभी नर्सिंग संस्थाओं के लिए भारतीय नर्सिंग परिषद में पंजीकरण कराना अनिवार्य करने का विचार है; और

(घ) क्या सरकार का नवजात शिशु चर्या, शिशु रोग, हड्डी रोग तथा हृदय रोग आदि में विशेषज्ञ नर्सिंग कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कोई विशेषज्ञ नर्सिंग डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) जी, हां। देश में नर्सिंग शिक्षा का एक समान मानक बनाने तथा पाठ्यक्रम के निर्धारण हेतु भारतीय निर्सिंग परिषद, 1947 के तहत भारतीय नर्सिंग परिषद (आई.एन.सी.) को सशक्त बनाया गया है।

(ख) और (ग) आई.एन.सी. अधिनियम, 1947 की धारा 13 के अनुसार, आई.एन.सी. को प्रशिक्षण की उपयुक्तता तथा पर्याप्तता के आधार पर, राज्य नर्सिंग परिषद के मान्यता-प्राप्त संस्थानों की जांच करने का अधिकार है। धारा 14 के तहत, आई.एन.सी. को मान्यता वापस लेने का अधिकार है।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद ने विशिष्ट नर्सिंग पाठ्यक्रमों की अपेक्षित आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पहले से ही निम्नलिखित एक वर्षीय पोस्ट बेसिक डिप्लोमा पाठ्यक्रम बनाया है:-

- कोर्डियो-थेरोसिक नर्सिंग में पोस्ट बेसिक डिप्लोमा
- ऑपरेशन रूम नर्सिंग
- आर्थोपेडिक्स तथा पुनर्वास नर्सिंग
- गहन परिचर्या नर्सिंग
- आपात और आपदा नर्सिंग
- नवजात नर्सिंग

- मानसिक चिकित्सा/मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग
- तंत्रिका विज्ञान नर्सिंग
- आंकोलॉजी नर्सिंग
- 2 वर्षीय नर्स प्रैक्टिशनर गहन परिचर्या स्नातकोत्तर रेजीडेंसी।

कैंसर के मामलों में वृद्धि

4779. **श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कैंसर के मामलो में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कैंसर के सबसे प्रमुख कारक का ब्यौरा क्या है तथा इसके कारण कितने प्रतिशत लोगों को कैंसर हुआ है;

(घ) दिल्ली सहित देश में खराब वायु गुणवत्ता के कारण वर्ष-वार तथा राज्य-वार इसके कितने प्रतिशत मामले प्रकाश में आए हैं; और

(ङ) इस संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) से (ग) भारतीय कैंसर चिकित्सा अनुसंधान परिषद रजिस्ट्री डाटा (2012-2014) के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में रिपोर्ट किए गए कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या नीचे तालिका में दी गई है:

Year	2015	2016	2017
कैंसर के अनुमानित मामलों की संख्या-स्त्री पुरुष दोनों	1388397	1451417	1517426

कैंसर एक बहुकारकीय रोग है, जिसके जोखिम कारकों में अन्य कारणों के साथ-साथ वृद्ध होती जनसंख्या, आराम-परस्त जीवन-शैलियां, तंबाकू उत्पादों का उपभोग, अस्वास्थ्यकर भोजन इत्यादि शामिल हैं।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आई.सी.एम.आर.) तथा राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम 'जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री 2012-2014 की तीन वर्ष की रिपोर्ट' के आधार पर, तंबाकू के उपयोग के संबद्ध स्थलों में होने वाले कैंसर की प्रतिशतता पुरुषों में 43.8 प्रतिशत महिलाओं में 16.0 प्रतिशत पुरुष और महिला दोनों में 30.1 प्रतिशत है।

(घ) और (ङ) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने यह सूचित किया है कि कैंसर के बढ़ते हुए मामलों के लिए वायु गुणवत्ता को उत्तरदायी ठहराए जाने के संबंध में परिषद द्वारा कोई अध्ययन नहीं किया गया है। वायु प्रदूषण के कारण होने वाले कैंसर के मामलों की प्रतिशतता के बारे में केन्द्रीयकृत रूप से आंकड़ों का रखरखाव नहीं किया जाता।

प्रदूषण की रोकथाम एवं उसके नियंत्रण हेतु बहुक्षेत्रीय कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। भारत सरकार ने वायु प्रदूषण एवं स्वास्थ्य के संबंध में संचालन समिति का गठन किया था तथा उसकी रिपोर्ट को संगत पणधारकों के साथ साझा किया गया है। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत जलवायु परिवर्तन पर प्रधान मंत्री की परिषद ने भी स्वास्थ्य के बारे में नए मिशन को अनुमोदित कर दिया है। घर के भीतर होने वाले वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों से संबंध रखने वाली महिलाओं को नि:शुल्क एल.पी.जी. कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने भी योजना प्रारंभ की है।

केन्द्रीय सरकार कैंसर की रोकथाम, उसके नैदानिक एवं उपचार सहित स्वास्थ्य परिचर्या में सुधार लाने हेतु राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों में उन्हें सहायता प्रदान करती है। कैंसर मधुमेह, हृदयवाहिका रोगों तथा अभिघात (एन.पी.सी.डी.सी.एस.) की रोकथाम एवं नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत किया जाता है, का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम हेतु जनजागरूकता का सृजन करना, अवसरवादी जांच करना, शीघ्र पहचान करना तथा उपचार हेतु समुचित स्तर के संस्थान को रेफर करना शामिल करना है। तीन प्रचार के कैंसरों नामत: स्तर गर्भाशय तथा कैंसर पर ध्यान दिया जा रहा है।

सामान्य गैर-संचारी रोगों (मधुमेह, उच्च रक्ताचाप तथा कैंसर अर्थात् मुख, स्तन और गर्भाशय कैंसर) की रोकथाम, नियंत्रण तथा जांच के लिए व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के एक भाग के रूप में एन.एच.एम. के तहत 2017-18 में देश के 150 से अधिक जिलों में जनसंख्या स्तर पर पहल शुरू की गई है।

वायु प्रदूषण सहित विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों द्वारा होने वाले रोगों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों में निम्नलिखित उपाय भी शामिल हैं:

i. सुरक्षित पेयजल का प्रावधान।

ii. वाहनों, उद्योगों तथा विद्युत संयंत्रों तथा वायु प्रदूषण के अन्य स्रोतों से निकलाने वाले धुएं में कमी लाना।

iii. सेनिटरी शौचालयों के माध्यम से मानव मल मूत्र के सुरक्षित निपटान हेतु उपाय करना।

iv. अतिसार संबंधी बीमारियों, टाईफाइड, पेट में कीड़े होने का जन स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली के माध्यम से उपचार।

v. एल.पी.जी., इलेक्ट्रानिक एवं सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों का प्रावधान।

बड़े उधारकर्त्ताओं के पासपोर्ट का ब्यौरा

4780. **श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कथित रूप से धोखाधड़ी करने वाले लोगों को देश छोड़ने से रोकने के मद्देनजर राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों को 50 करोड़ रुपये से अधिक ऋण लेने वाले उधारकर्ताओं के पासपोर्ट का ब्यौरा 45 दिनों के अंदर प्राप्त करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) पासपोर्ट विवरण की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देने में बैंकों को समर्थ बनाने के लिए सरकार ने दिनांक 06.03.2018 के पत्र के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को परामर्श दिया है कि वे 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक की ऋण सुविधा उठाने वाली कंपनियों के प्रमोटरों/निदेशकों और कंपनियों के अन्य प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के पासपोर्ट की प्रमाणित प्रति प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त, परामर्शिका में बताया गया है कि वर्तमान मामलों में, जहां ऋण 50 करोड़ रुपये और इससे अधिक दिए गए हैं, बैंक पासपोर्ट विवरण ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें बताया गया है कि उन मामलों में, जिनसे संबंधित व्यक्ति के पास पासपोर्ट नहीं है, यह घोषणा कि 'उसके पास पासपोर्ट नहीं है', के रूप में प्रमाणपत्र को पासपोर्ट विवरण के बदले पर्याप्त माना जाना चाहिए।

निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा कृषि ऋण का वितरण

4781. **श्री राजू शेट्टी**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी क्षेत्र के बैंक, जिन्होंने हाल ही में लाइसेंस प्राप्त हुआ था, कृषि वितरित कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या निजी क्षेत्र के बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का कुछ प्रतिशत किसानों को कृषि ऋण के रूप में देना अनिवार्य है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा वितरित किए गए कृषि ऋणों की बैंक-वार राशि क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (घ) प्राथमिक प्राप्त क्षेत्र उधार (पी.एस.एल.) के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई.) के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार समायोजित निवल बैंक ऋण (ए.एन.बी.सी.) या तुलनपत्र बाह्य एक्सपोजर के समतुल्य ऋण (सी.ई.ओ.बी.ई.) के 18 प्रतिशत को कृषि क्षेत्र को ऋण प्रदान करने के लक्ष्य के रूप में निर्धारित किया गया है।

आर.बी.आई. द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों के द्वारा (पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष में दिसम्बर, 2017 तक) तथा लघु वित्त बैंकों के द्वारा (चालू वित्त वर्ष में दिसम्बर, 2017 तक) संवितरित कृषि ऋण (खातों की संख्या तथा बकाया राशि) का बैंक-वार ब्यौरा विवरण-I और II में दिया गया है।

आर.बी.आई. द्वारा पी.एस.एल.-लक्ष्य एवं वर्गीकरण के संबंध में दिनांक 07.07.2016 को जारी किए गए मास्टर निदेश के अनुसार, ऐसे अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जिनकी प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण प्रदान करने में कोई कमी हो को नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि (आर.आई.डी.एफ.) नाबार्ड/एन.एच.बी./सिडकी/मुद्रा लि. की अन्य निधियों में रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर यथा निर्धारित, अंशदान के लिए राशि आवंटित करनी होगी। आर.आई.डी.एफ. या अन्य किसी निधि को बैंक अंशदान पर ब्याज दरें, जमाराशि की अवधि इत्यादि आर.बी.आई. द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, आर.बी.आई. दिशानिर्देशों में यह प्रावधान है

कि उपर्युक्त व्यवस्था वर्ष 2019-20 से प्रारंभ हो रही लघु वित्त बैंकों के लिए लागू होगी अर्थात् 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, अपने पी.एस.एल. लक्ष्यों/उप-लक्ष्यों के पूरा न करने वाले बैंकों को आगामी वर्ष में आर.आई.डी.एफ. एवं अन्य निधियों में आर.बी.आई. के निदेशानुसार अंशदान करने की आवश्यकता होगी।

विवरण-I

कृषि (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)

वास्तविक में खातों की संख्या एवं राशि हजार रुपये में

बैंक का नाम	मार्च-15		मार्च-16		मार्च-17	
	बकाया कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)		बकाया कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)		बकाया कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)	
	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3	4	5	6	7
ऐक्सिस बैंक	417630	303288623	633842	355986291	994852	441164590
बंधन बैंक लिमिटेड			3997876	61181240	3572886	77400278
कैथोलिक सीरियन बैंक	113691	8445785	130249	15977297	128554	17294560
सिटी यूनियन बैंक	391016	30098181	352094	33904029	329706	43574881
डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक	20001	15346364	35986	17123582	73203	21159575
धनलक्ष्मी बैंक	93191	15953423	113835	14144981	465486	123969360
फेडरल बैंक	419923	95357415	412867	107041312	2267678	761672242
एचडीएफसी बैंक	1170896	533147766	1916658	652509527	1846275	556854563
आईसीआईसीआई बैंक	1510120	497553188	1681285	545842982	588449	20930161
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड			68853	1282229	1360353	117121988
इंडसइंड बैंक	1044523	79847318	1646334	110218197	346800	66222349
आईएनजी वैश्य बैंक	39764	81342237				
जम्मू और कश्मीर बैंक	375559	74527468	347668	78714142	247036	65827666
कर्नाटक बैंक	301134	59195154	276473	58367393	657925	77378602
करूर वैश्य बैंक	674879	64778095	696884	78675546	830197	228954670
कोटक महिंद्रा बैंक	499877	99198408	861703	206892219	263850	35727198
लक्ष्मी विलास बैंक	284165	24125562	267148	30861463	14006	6563417
नैनीताल बैंक	13214	4642224	13807	5233355	741305	41571692

1	2	3	4	5	6	7
रत्नाकर बैंक	410103	19852821	601926	27523037	416068	81550277
साउथ इंडियन बैंक	286289	62817979	380692	57168029	441948	43309359
तमिलनाडु मर्केटाइल बैंक	356894	21076845	398155	43986729	127460	15027992
येस बैंक	1847164	137289829	3022649	139814723	638064	129167869
कुल	10270033	2227884685	17856984	2642448303	16352101	2972443288

स्रोत: आर.बी.आई.

विवरण-II

कृषि (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)

वास्तविक में खातों की संख्या एवं राशि हजार रुपये में

बैंक का नाम	वर्ष 2017-18, दिसम्बर, 2017 तक	
	बकाया कृषि ऋण (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र कुल)	
	खातों की संख्या	बकाया राशि
1	2	3
एयू लघु वित्त बैंक लिमिटेड	18970	1523998.48
कैपिटल स्मार्ट फाइनेंस बैंक लिमिटेड	5916	6539577.00
इक्यूटास स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	112190	5095554.79
ईएसएएफ स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	975744	12618589.00
फिनकेयर स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	170115	1058053.61
सूर्योदय स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	225963	408486.75
उज्जीवन स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	0	0.00
उत्कर्ष स्माल फाइनेंस बैंक लिमिटेड	847622	14106190.12

1	2	3
स्माल फाइनेंस बैंक	2356520	41350449.75
ऐक्सिस बैंक लिमिटेड	899874	398424038.72
बंधन बैंक लिमिटेड	3584428	34905337.64
कैथोलिक सिरियन बैंक लिमिटेड	145191	17711815.53
सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड	340044	40084312.16
डीसीबी बैंक लिमिटेड	117794	21325442.79
फेडरल बैंक लिमिटेड	552862	132819467.42
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	2544336	896495114.79
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	1919152	582570232.38
आईडीएफसी बैंक लिमिटेड	923814	40344603.15
इंडसइंड बैंक लिमिटेड	1506066	127369078.90
जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड	351715	73467870.61
कर्नाटक बैंक लिमिटेड	232921	65775427.06
करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	700696	79875326.23
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड	646905	234164562.76
लक्ष्मी विलास बैंक लिमिटेड	260563	35312842.56
नैनीताल बैंक लिमिटेड	14132	8415896.82

1	2	3
आरबीएल बैंक लिमिटेड	885014	44392721.51
साउथ इंडियन बैंक लि.	464116	84024042.16
तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड	505285	47979878.00
धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	135201	14118910.21
येस बैंक लिमिटेड	768501	179440599.91
निजी क्षेत्र के बैंक	17498610	3159017521.31

स्रोत: आर.बी.आई.

नि:शुल्क पैथोलॉजी/निदान योजना

4782. डॉ. रत्ना डे (नाग):

श्री हेमन्त तुकाराम गोड़से:

श्री संतोष कुमार:

श्री मनोज तिवारी:

श्री हरि ओम पाण्डेय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव नि:शुल्क पैथोलॉजी/निदान योजना बनाने का है और यदि हां, तो उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए जाने वाले मरीजों हेतु कई आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने हेतु राज्य सरकारों से कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) भारत सरकार ने एन.एच.एम. नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत राज्यों को जन स्वास्थ्य केंद्रों में नि:शुल्क नैदानिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहल संबंधी दिशानिर्देशों एवं मॉडल निविदा प्रलेख विकसित किए गए हैं एवं राज्यों को प्रसारित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश पहल शुरू करने लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने के लिए अभिप्रेत है। विस्तृत दिशानिर्देश एवं मॉडल निविदा प्रलेख निम्नलिखित वैब-लिंक पर उपलब्ध है:

http://nhsrcindia.org/sites/default/files/practice_file/Free%20Dignostics%20Sercice%20Initiative.pdf

यह दिशानिर्देश स्वास्थ्य केंद्र के प्रत्येक स्तर पर निम्नानुसार नि:शुल्क प्रदान की जाने वाली जांच की व्याख्यात्मक सूची देते हैं:-

जन स्वास्थ्य केंद्र	जांच की संख्या
उप केंद्र	7
जन स्वास्थ्य केंद्र	19
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	39
जिला अस्पताल	57

29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन.एच.एम. निधिकरण एवं राज्य बजट के माध्यम से नि:शुल्क नैदानिक पहल कार्यान्वित की है। कार्यान्वयन नीति एवं सुविधा केंद्र में की जाने वाली जांच की संख्या एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न होती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण निम्नानुसार हैं:-

(i) **28 राज्य या तो आंतरिक रूप से या पी.पी.पी. पद्धति के माध्यम से प्रयोगशाला सेवाएं दे रहे हैं:**

आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, असम, बिहार, चंडीगढ़ दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पुदुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल।

(ii) **25 राज्य या तो आंतरिक रूप से या पी.पी.पी. पद्धति के माध्यम से सीटी-स्कैन सेवाएं दे रहे हैं:**

आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दादरा और नगर हवेली, चंडीगढ़, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह।

(iii) **टेलिरेडियोलॉजी (एक्स-रे) (6 राज्य)**:

आंध्र प्रदेश, असम,- ओडिशा, राजस्थान, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल।

[हिंदी]

एन.एस.ई. नियमों का उल्लंघन

4783. **श्री चन्द्रकांत खैरे**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस्सार इस्पात कंपनी के शेयरों की खरीद राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज के नियमों के विरुद्ध/उल्लंघन करके बंद कर दी गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) निवेशकों को हुए हानि का भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारत में प्रतिभूति बाजार के विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह सूचना दी है कि एस्सार कंपनी के शेयरों की खरीद नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के खिलाफ/उल्लंघन करके बंद नहीं की गई थी। तथापि, कंपनी के इक्विटी शेयरों में व्यापार कार्य सेबी (प्रतिभूति असूचीयन) दिशानिर्देश, 2003 के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयरों के स्वैच्छिक असूचीयन के कारण 14 दिसंबर, 2007 से निलंबित कर दिया गया था।

(ग) सेबी (प्रतिभूति असूचीयन) दिशानिर्देश, 2003 के अनुसार, असूचीयन प्रक्रिया में निवेशकों की क्षतिपूर्ति करने वाली बुक बिल्डिंग प्रक्रिया शामिल है और निवेशकों को असूचीयन के बाद भी शेयर देने और बुक बिल्डिंग प्रक्रिया में नियत कीमत पर क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए छह माह का समय दिया गया है।

[अनुवाद]

स्नातकोत्तर चिकित्सा और डी.एन.बी. में अ.पि.व. आरक्षण

4784. **श्री गणेश सिंह**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि विगत शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 2017-18 में स्नातकोत्तर चिकित्सा और डी.एन.बी. की लगभग 8000 सीटों में से केवल 165 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग को आबंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) आरक्षण प्रणाली आरंभ होने से अब तक अ.पि.व. को आबंटित की गई सीटों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह सच है कि तमिलनाडु राज्य में 700 सीटों में से एक भी अ.पि.व. अभ्यर्थी लाभान्वित नहीं हुआ है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या वर्तमान वर्ष अर्थात् 2018-19 में अ.पि.व. और अ.जा./अ.ज.जा. के लिए आरक्षण नीति को अक्षरशः लागू किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ङ) पोस्ट ग्रेज्युएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन्स, 2000 के प्रावधानों के अनुसार योगदानकर्ता राज्यों के अखिल भारत कोटे के सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों पर डिप्लोमा ओर एम.डी./एम.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश, केन्द्र सरकार के मेडिकल एजुकेशन संस्थानों में तथा संसद के अधिनियम के तहत स्थापित विश्वविद्यालयों और मानद विश्वविद्यालयों में सभी पोस्ट ग्रेजुएट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु काउंसलिंग हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय नामित प्राधिकरण है। शेष सभी सीटों पर प्रवेश हेतु काउंसलिंग का कार्य संबद्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे संबंधित आंकड़ों का रखरखाव केन्द्र सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय की सूचनानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा वर्ष 2006 के रिट याचिका (सी) संख्या 138 के संबंध में दिए गए आदेश अनुसार शैक्षिक वर्ष 2007-08 से अखिल भारतीय कोटे में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण है। केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 में शैक्षिक वर्ष 2008-09 से देश के केन्द्रीय संस्थानों में अखिल भारतीय कोटे के तहत अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक राज्य की अपने-अपने यहां मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश की अपनी नीति है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने आगे सूचित किया है कि वर्ष 2012 से आगे अन्य पिछड़ा वर्ग को केन्द्रीय संस्थानों में आवंटित सीटों का आंकड़ा निम्नवत् है:

वर्ष	अन्य पिछड़ा वर्ग सीट की संख्या
2012	41
2013	39

वर्ष	अन्य पिछड़ा वर्ग सीट की संख्या
2014	43
2015	42
2016	76
2017	78

राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एन.बी.ई.) ने सूचित किया है कि वर्ष 2017 में डी.एन.बी. पाठ्यक्रमों में 161 अन्य पिछड़ा वर्ग सीट ऑफर किए गए थे तथा 131 सीट आवंटित की गई थी। इसके अतिरिक्त एन.बी.ई. ने वर्ष 2012 से 2017 तक डी.एन.बी. पाठ्यक्रमों में 550 अन्य पिछड़ा वर्ग सीट आवंटित की थी। एन.बी.ई. ने यह सूचित किया है कि डी.एन.बी. पाठ्यक्रमों के मामलों में यह बोर्ड अपने किसी मान्यताप्राप्त अस्पताल/संस्थान का न ही स्वामी है और न ही उनका नियंत्रण करता है। किसी संस्थान/अस्पताल/मेडिकल कॉलेज विशेष में आरक्षण की स्थिति संबंधी सूचना संबद्ध संस्थान द्वारा उनके यहां अनुरक्षित रोस्टर के आधार पर दी जाती है।

संबद्ध श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण नीति का कार्यान्वयन स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश तथा केन्द्रीय शिक्षण संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम, 2006 के अनुसार किया गया है।

[हिंदी]

निष्क्रिय एवं बंद पड़ी कंपनियां

4785. **श्रीमती रंजीत रंजन:**

श्री राजेश रंजन:

श्री रामसिंह रठवा:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में लगभग 15 लाख सूचीबद्ध कंपनियां हैं परंतु वर्ष 2015 तक केवल 10.7 लाख कंपनियां कार्यशील थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दिसम्बर, 2017 तक सूचीबद्ध कंपनियों की संख्या 15.19 लाख तक पहुंच गई जबकि दिसम्बर, 2014 में यह संख्या 14.39 लाख थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अकार्यशील सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध कोई कदम उठाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) गत दो वर्षों के दौरान कंपनियों के पंजीकरण (आर.ओ.सी.) के अंतर्गत पंजीकृत की गई और बंद कर दी गई कंपनियों की संख्या कितनी है और इनके बंद होने के प्रमुख कारण क्या हैं;

(ङ) गत एक वर्ष के दौरान नई कंपनियों में कितने लोगों को रोजगार मिला और इन कंपनियों के बंद हो जाने के कारण कितने लोग बेरोजगार हुए; और

(च) सरकार द्वारा ऐसी कंपनियां, जो अकार्यशील हैं परंतु सरकार के अभिलेखों में अभी भी बनी हुई हैं, की संख्या का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) जी, नहीं। 31 दिसम्बर, 2015 तक भारत में 15.19 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियां थीं। इनमें से 10.7 लाख कंपनियां सक्रिय थीं जिनमें 7,269 सूचीबद्ध कंपनियां थीं।

(ख) जी, नहीं। दिसम्बर, 2017 तक 17.21 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में से केवल 7,270 सक्रिय सूचीबद्ध कंपनियां थीं जबकि दिसम्बर, 2014 में भारत में 14.39 लाख रजिस्ट्रीकृत कंपनियों में से 7,261 सक्रिय सूचीबद्ध कंपनियां थीं।

(ग) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय (एम.सी.ए.) ने वित्तीय विवरण और वार्षिक विवरणियां दायर न करने के कारण कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं के अधीन 780 सूचीबद्ध कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किए हैं।

(घ) पिछले दो (2) वित्त वर्षों के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.)-वार रजिस्ट्रीकृत और बंद कंपनियों (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के अधीन) की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में ऐसी कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

(च) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है जो कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती 2(दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और

निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.12.2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए। ऐसी 2,26,166 कंपनियों के राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण-I

पिछले दो (2) वित्त वर्षों के दौरान कंपनी रजिस्ट्रार (आर.ओ.सी.)-वार रजिस्ट्रीकृत और बंद कंपनियों की संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	स्थिति कंपनी रजिस्ट्रार का नाम	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
		रजिस्ट्रीकृत कंपनियां	बंद कंपनियां	रजिस्ट्रीकृत कंपनियां	बंद कंपनियां
1	2	3	4	5	6
1.	अहमदाबाद	3,692	1,253	4,645	1,097
2.	अंडमान	-	-	38	-
3.	बैंगलोर	7,554	716	8,905	263
4.	चंडीगढ़	1,344	447	1,496	365
5.	चेन्नई	4,975	1,165	5,433	798
6.	छत्तीसगढ़	420	56	537	84
7.	कोयम्बटूर	1,148	210	1,227	185
8.	कटक	1,247	61	1,523	62
9.	दिल्ली	17,525	4,566	20,274	3,684
10.	एर्नाकुलम	2,202	467	3,067	358
11.	गोवा	236	12	304	149
12.	ग्वालियर	1,544	507	2,172	401
13.	हिमाचल प्रदेश	263	113	340	81
14.	हैदराबाद	7,938	235	8,895	217
15.	जयपुर	2,330	854	2,695	605
16.	जम्मू	273	10	274	37
17.	झारखंड	866	151	1,029	55
18.	कानपुर	7,527	1,062	8,682	242
19.	कोलकाता	4,473	2,089	4,754	2,628
20.	मुम्बई	11,183	2,276	12,345	3,750
21.	पटना	2,394	229	2,711	101

1	2	3	4	5	6
22.	पुदुचेरी	99	20	93	15
23.	पुणे	4,331	730	5,159	786
24.	शिलांग	395	82	572	78
25.	उत्तराखंड	522	37	678	19
	कुल	84,481	17,348	97,848	16,060

विवरण-II

31.12.2017 तक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अधीन कंपनियों के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियों की राज्य/संघ शासित क्षेत्र-वार संख्या निम्नलिखित है:

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	कंपनी के रजिस्टर से हटाई गई कंपनियां
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	76
2.	आंध्र प्रदेश	3,633
3.	अरुणाचल प्रदेश	14
4.	असम	172
5.	बिहार	1,557
6.	चंडीगढ़	1,453
7.	छत्तीसगढ़	906
8.	दादरा और नगर हवेली	46
9.	दमन और दीव	13
10.	दिल्ली	43,925
11.	गोवा	1,744
12.	गुजरात	11,389
13.	हरियाणा	3,882
14.	हिमाचल प्रदेश	754
15.	जम्मू और कश्मीर	1,394
16.	झारखंड	636
17.	कर्नाटक	18,165
18.	केरल	4,059
19.	लक्षद्वीप	3
20.	मध्य प्रदेश	4,702
21.	महाराष्ट्र	59,849
22.	मणिपुर	9
23.	मेघालय	30
24.	मिजोरम	2
25.	नागालैंड	6
26.	ओडिशा	1,824
27.	पुदुचेरी	571
28.	पंजाब	2,928
29.	राजस्थान	5,178
30.	सिक्किम	-
31.	तमिलनाडु	24,723
32.	तेलंगाना	16,817
33.	त्रिपुरा	14
34.	उत्तर प्रदेश	6,822
35.	उत्तराखंड	792
36.	पश्चिम बंगाल	8,078
	कुल	2,26,166

[अनुवाद]

गैंडों का संरक्षण

4786. **डॉ. संजय जायवाल:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में गैंडों की संख्या का पता लगाने हेतु कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गैंडों की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या गैंडों के संरक्षण हेतु प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) गैंडे केवल तीन राज्यों अर्थात् असम, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के जंगलों में ही पाए जाते हैं। गैंडों की संख्या की गणना राज्य स्तर पर संबंधित राज्य सरकारों द्वारा आवधिक रूप से की जाती है। उपर्युक्त तीन राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2015 में गैंडों की अनुमानित संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। चालू वर्ष के दौरान गैंडों की संख्या की गणना नहीं की गई है।

(ग) और (घ) गैंडों और अन्य वन्यजीवों तथा उनके पर्यावासों के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

i. वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में, इसके प्रावधानों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। इस अधिनियम में वन्यजीव अपराध करने में प्रयुक्त किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

ii. गैंडों के संरक्षण के लिए पश्चिम बंगाल के पत्तलाखावा में नया गैंडा पर्यावास बनाया गया है।

iii. गैंडा उन सत्रह संकटापन्न प्रजातियों में से एक है जिन्हें अत्यधिक संकटापन्न प्रजातियों की बहाली के कार्यक्रम के लिए चिह्नित किया गया है। यह कार्यक्रम केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम "वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास" का एक घटक है। इस योजना के तहत, इन प्रजातियों की बहाली तथा संरक्षण के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती है।

iv. तीन राज्यों में अधिकांश गैंडा पर्यावास बाघ रिजर्वों के तहत आते हैं। इन राज्यों में बाघों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए 'बाघ परियोजना' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत उपलब्ध करायी जाने वाली राशि में एक सिंग वाले गैंडों सहित अन्य जानवरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए दी जाने वाली राशि भी शामिल होती है। गैंडों वाले अन्य संरक्षित क्षेत्रों के लिए 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास' नामक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

v. इलेक्ट्रॉनिक आई सर्विलांस सिस्टम और ड्रोन के माध्यम से पार्कों की 24 घंटे निगरानी का प्रबंध किया गया है।

vi. गैंडों वाले स्थानों में और उनके आस पास के क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी के लिए अवैध शिकार रोधी शिविरों की संख्या बढ़ाई गई है।

vii. संदिग्ध अवैध शिकारियों को पकड़ने के लिए वन, पुलिस तथा एस.टी.एफ. द्वारा नियमित रूप से संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं तथा नियमित रूप से संयुक्त गश्त भी लगाई जाती है।

viii. असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार रोधी कार्यकलापों के लिए राज्य सरकार द्वारा आई.एन.एस.ए.एस. राइफल्स तथा एस.एल.आर. जैसे अत्याधुनिक हथियार खरीदे गए हैं।

ix. उद्यान के आस-पास रहने वाले ग्रामीणों से गैंडों के अवैध शिकार को रोकने में सहयोग और सहायता प्राप्त करने के लिए पारिस्थितिकीय विकास समितियों को पंजीकृत किया गया है जिनके माध्यम से गांवों में विकास कार्य किए जा रहे हैं।

विवरण

राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार गैंडों की अनुमानित संख्या

राज्य का नाम	वर्ष	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अनुमानित संख्या
असम	2015	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	2401

राज्य का नाम	वर्ष	संरक्षित क्षेत्र का नाम	अनुमानित संख्या
	2015	मानस राष्ट्रीय उद्यान	30
	2012	ओरांग राष्ट्रीय उद्यान	100
	(2015 के दौरान कोई गणना नहीं की गई)		
	2012	पॉबिटोरा वन्यजीव अभयारण्य	93
	(2015 के दौरान कोई गणना नहीं की गई)		
पश्चिम बंगाल	2015	जालदापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान	204
	2015	गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान	49 + 2 (दार्जिलिंग वन्यजीव मंडल)
उत्तर प्रदेश		दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	34

भारत और जॉर्डन के बीच समझौता-ज्ञापन

4787. **डॉ. जे. जयवर्धन:**

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री धनंजय महाडीक:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश ने जॉर्डन सहित विभिन्न देशों के साथ स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में आपसी सहयोग में वृद्धि करने के संबंध में समझौता-ज्ञापनों (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य तथा उद्देश्य क्या हैं और इन समझौता-ज्ञापनों में आपसी सहयोग हेतु चिह्नित किए गए प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं;

(ग) इन समझौता-ज्ञापनों से देश को क्या लाभ अर्जित होंगे; और

(घ) सेनेगल के साथ किए गए एम.ओ.यू. का ब्यौरा क्या है और उक्त एम.ओ.यू. को कब तक कार्यान्वित किया जाएगा तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य तथा औषधियों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग हेतु जॉर्डन सहित पचपन (55) अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौता-ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं। जिन देशों के साथ समझौता-ज्ञापन/अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

समझौता ज्ञापन/समझौता का उद्देश्य स्वास्थ्य तथा औषधियों के क्षेत्र में व्यापक अंतर-मंत्रालयीन तथा आंतरिक संस्थागत सहयोग की स्थापना करना है जिसका लक्ष्य समानता, पारस्परिक तथा आपसी सहयोग के आधार पर स्वास्थ्य परिचर्या, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान से संबंधित मानवीय, भौतिक तथा अवसंरचनात्मक संसाधनों की गुणवत्ता का उन्नयन करना है। यह समझौता-ज्ञापन स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास तथा संयुक्त पहलों को प्रोत्साहित करेगा। सहयोग के ब्यौरों के अन्य विवरणों तथा समझौता-ज्ञापनों अनुबंधों का कार्यान्वयन देखरेख हेतु आपसी समझौते द्वारा तय उचित समय पर संयुक्त बैठकें की गई।

(घ) स्वास्थ्य तथा औषधियों के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत तथा सेनेगल के बीच एक समझौता-ज्ञापन तैयार किया गया तथा मंत्रिमंडल ने समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर हेतु अनुमोदन प्रदान किया है। सेनेगल से समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर प्रतीक्षित है तथा विदेश मंत्रालय ने उक्त समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया है।

विवरण

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जिन देशों के साथ समझौतों/समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.)/सहयोग ज्ञापन (एम.ओ.सी.)/आशय विवरण (सो.आई.) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, उन देशों की सूची

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि	विषय
1.	अफगानिस्तान	28-08-2005 (करार)	हेल्थकेयर और मेडिकल सांइस
2.	ऑस्ट्रेलिया	10-04-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
3.	ऑस्ट्रिया	17-02-2005 (करार)	स्वास्थ्य
4.	बांग्लादेश	12-02-2013 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान
5.	ब्राजील	05-05-1998 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
6.	ब्रुनेई	02-02-2016 (एमओयू)	स्वास्थ्य
7.	बुल्गारिया	28-11-2011 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
8.	बुरुन्दी	18-09-2012 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
9.	क्यूबा	06-12-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
10.	साइप्रस	08-10-2002 (करार)	सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान
11.	चीन	03-09-1994 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
12.	कोलंबिया	19-01-2010 (करार)	स्वास्थ्य
13.	क्रोएशिया	09-06-2010 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
14.	मिस्र	18-11-2008 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
15.	फिजी आइलैंड्स	10-10-2005 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
16.	जर्मनी	01-06-2017 (जेडीआई)	स्वास्थ्य
17.	ईरान	17-02-2018 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
18.	जापान	01-09-2014 (एमओसी)	स्वास्थ्य देखभाल
19.	जॉर्डन	01-03-2018 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान
20.	हंगरी	18-01-2008 (सहयोग योजना)	सार्वजनिक स्वास्थ्य
21.	भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए)	17-10-2007 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
22.	इंडोनेशिया	11-10-2013 (एमओयू)	स्वास्थ्य
23.	इजराइल	09-09-2003 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
24.	इटली	29-11-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि	विषय
25.	कजाखस्तान	16-04-2011 (करार)	स्वास्थ्य देखभाल
26.	कुवैत	23-04-2012 (एमओयू)	चिकित्सा सहयोग
27.	लातविया	28-02-2012 (करार)	हेल्थकेयर और मेडिकल सांइस
28.	मलावी	03-11-2010 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
29.	मालदीव	02-01-2014 (एमओयू)	स्वास्थ्य
30.	मॉरीशस	12-03-2013 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
31.	मंगोलिया	14-09-2009 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा विज्ञान
32.	मोरक्को	14-12-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य
33.	मोजाम्बिक	22-02-2004 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
34.	म्यांमार	06-09-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
35.	नीदरलैंड	30-01-2014 (एमओयू)	स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य
36.	न्यूजीलैंड	26-10-2016 (व्यवस्था)	खाद्य सुरक्षा
37.	ओमान	11-02-2018 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
38.	फिलिस्तीन	16-05-2017 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
39.	पापुआ न्यू गिनी	29-04-2016 (एमओयू)	हेल्थकेयर और मेडिकल साइंस
40.	फिलीपींस	05-10-2007 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
41.	पोलैंड	24-04-2009 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
42.	कतर	05-06-2016 (एमओयू)	स्वास्थ्य
43.	रूस (एफएसएसएचएसडी और सीडीएससीओ, एमओएचएफडब्ल्यू)	16-12-2011 (एमओयू)	ड्रग गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों
44.	रवांडा	12-11-2010 (एमओयू)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
45.	सऊदी अरब	20-11-2006 (कार्यकारी कार्यक्रम)	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण
46.	सेशेल्स	10-09-2003 (एमओयू)	स्वास्थ्य
47.	स्पेन (डीटीईजीएचएचएस)	31-05-2017 (एमओयू)	प्रत्यारोपण सेवाएं
48.	स्वीडन	24-02-2009 (एमओयू)	स्वास्थ्य देखभाल और सार्वजनिक स्वास्थ्य
49.	तजाकिस्तान	03-09-2012 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
50.	तंजानिया (जांजीबार)	16-12-2002 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा

क्र.सं.	देश का नाम	हस्ताक्षर करने की तिथि	विषय
51.	यूनाइटेड किंगडम	19-05-2013 (एमओयू)	स्वास्थ्य
52.	अमेरिका	25-06-2015 (एमओयू)	कैंसर अनुसंधान, रोकथाम, नियंत्रण और प्रबंधन
53.	वियतनाम	03-09-2016 (एमओयू)	स्वास्थ्य
54.	यमन	09-06-2013 (करार)	स्वास्थ्य और चिकित्सा
55.	अमेरिका-एफडीए	10-02-2014 (एसओआई)	चिकित्सा उत्पाद

कंपनियों की वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में एस.एफ.आई.ओ. की जांच

4788. **श्रीमती अंजू बाला:**

श्री बी. श्रीरामुलु:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मै. फोर्टिस हेल्थकेयर में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच आरंभ करने के लिए गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) को निदेश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मै. फोर्टिस हेल्थकेयर के प्रमोटरों ने करीब एक वर्ष पूर्व बोर्ड की बिना किसी स्वीकृति के, कंपनी से कथित रूप से कम से कम 78 मिलियन अमेरिकी डॉलर ले लिए थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या मै. फोर्टिस हेल्थकेयर भी बाजार विनियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की जांच के घेरे में आ गया है, जिसने विनियमन संबंधी कथित चूकों के संबंध में जांच आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान एस.एफ.आई.ओ. द्वारा जांच किए गए और लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में बढ़ते कॉरपोरेट अपराधों को रोकने के संबंध में अन्य क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) से (ग) मंत्रालय ने फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड के मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और यह कार्य गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय को दिनांक 17.02.2018 के आदेश द्वारा सौंपा है। जांच प्रक्रिया के दौरान सभी मुद्दों पर उनकी पूर्णतया जांच एस.एफ.आई.ओ. द्वारा की जाएगी। वर्तमान में जांच प्रारंभिक अवस्था में है।

(घ) एस.एफ.आई.ओ. को पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कंपनियों की जांच, निपटान और लंबित मामलों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्त वर्ष	कंपनियों की जांच (शेष अग्रनीत)	सौंपी गई जांच	पूरी की गई जांच	लंबित जांच
2014-15	94	71	39	126
2015-16	126	184	60	250
2016-17	250	111	87	274
2017-18 (वर्तमान तारीख के अनुसार)	274	209	118	365*

* (इसमें 17 कंपनियों से संबंधित खारिज/वापस लिए गए और स्थगित मामले शामिल हैं।)

(ङ) सरकार ने कॉरपोरेट कपट को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) कपट को कंपनी अधिनियम, 2013 में महत्वपूर्ण अपराध के रूप में शामिल किया गया है।

(ii) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन कॉरपोरेट शासन के लिए कड़े मानदंड विहित किए गए हैं।

(iii) डाटा विश्लेषण, निगरानी और फॉरेंसिक आदि के माध्यम से कपट का पहले से पता लगाने के लिए सूचना संचार प्रौद्योगिक (आई.सी.टी.) उपकरणों का प्रयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात देखभाल केन्द्र

4789. **श्री सिराजुद्दीन अजमल:**

श्री जोस के. मणि:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात देखभाल सुविधाएं विकसित करने संबंधी क्षमता निर्माण के अंतर्गत अभिघात देखभाल केन्द्रों के रूप में उन्नीत किए गए अस्पतालों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को ऐसे अभिघात देखभाल केन्द्रों की स्थापना करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो असम सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान अभिघात देखभाल केन्द्रों के संबंध में स्वीकृत/लंबित प्रस्तावों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और कितनी धनराशि जारी/उपयोग की गई है;

(घ) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना पीड़ितों को नगद रहित उपचार प्रदान करने के लिए कोई प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों पर अभिघात देखभाल की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान "राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा परिचर्या सुविधा केंद्र (टी.सी.एफ.) विकसित करने हेतु क्षमता निर्माण के लिए सहायता" नाम से एक योजना प्रारंभ की है। "राष्ट्रीय राजमार्गों पर सरकारी अस्पतालों में ट्रॉमा परिचर्या सुविधा केंद्रों के विकास हेतु क्षमता निर्माण" के रूप में इस योजना को 12वीं योजना तक बढ़ा दिया गया था।

इस योजना के तहत, विभिन्न राज्य सरकारों से अनेक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, कुल 7 टी.सी.एफ. अनुमोदित किए गए तथा ट्रॉमा परिचर्या सुविधा केंद्र स्थापित करने हेतु असम राज्य को वित्त पोषित किया गया। टी.सी.एफ. की स्थापना हेतु 11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए असम सहित किसी भी राज्य सरकार का प्रस्ताव विचार के लिए लंबित नहीं है।

विभिन्न स्तरों पर टी.सी.एफ. की स्थापना हेतु 11वीं और 12वीं योजना के दौरान देश में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रमशः 116 तथा 85 अस्पतालों/11वीं तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेडिकल कॉलेज को अनुमोदित किया गया। टी.सी.एफ. की स्थापना हेतु चिह्नित किए गए वित्त पोषित किए गए राज्य सरकार के अस्पतालों/मेडिकल कॉलेजों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण क्रमशः संलग्न विवरण-I, II में दिया गया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान टी.सी.एफ. को जारी की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(घ) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा "नकद रहित उपचार" नामक राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच.) नं. 8 के गुड़गांव-जयपुर मार्ग में (जुलाई, 2013-जून, 2016 के दौरान कार्यान्वित किया गया)। राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 8 के बड़ोदरा मुंबई के मार्ग में (सितंबर, 2014 से 31.03.2016 के दौरान कार्यान्वित किया गया) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग नं. 33 पर रांची-रांरगांव महुलिया के मार्ग में (सितंबर, 2014 से 09.03.2016 के दौरान कार्यान्वित किया गया) प्रत्योगिक परियोजना प्रारंभ की गई थी।

परियोजना में दुर्घटना पीड़ित को दुर्घटना स्थान से अस्पताल ले जाने तथा जहां अपेक्षित हो पहले 48 घंटों में उपचार हेतु एक अस्पताल से अन्य किसी सरकारी अथवा प्राइवेट अस्पताल ले जाना अथवा 30,000/- रुपये, जो भी पहले हो, ताकि "गोल्डन ऑवर" के दौरान दुर्घटना पीड़ितों को शीघ्र एवं समुचित चिकित्सा परिचर्या उपलब्ध कराकर उनके जीवन को बचाया जा सके।

(ङ) कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रम प्रभाव द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

- हितधारकों को प्रभावी कार्यान्वयन सम्बन्धी संचलनात्मक दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं।
- राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों को तकनीकी दृष्टि से समीक्षा की जाती है कार्यक्रम प्रभाग द्वारा तथा तद्नुसार निरीक्षण दौरे किए जाते हैं तथा तकनीकी रिपोर्टों को अनुमोदनार्थ जांच समिति को प्रस्तुत किया जाता है।

- ट्रामा केयर फेसिलिटी के विकास कार्य में हुई भौतिक तथा वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए राज्य प्रतिनिधियों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें की जाती हैं।
- कार्यक्रम प्रभाग द्वारा का नियमित निगरानी दौरा किया जाता है।
- ट्रामा केयर फेसिलिटी में तैनात डॉक्टरों और नर्सों को प्रशिक्षित करने के लिए डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल में एडवांस्ड ट्रामा लाइफ सपोर्ट और बेसिक लाइफ सपोर्ट सम्बन्धी प्रशिक्षण दिया जाता है।
- वर्ष 2007 में दिल्ली स्थित केन्द्र सरकार के 3 अस्पतालों में प्री-हास्पिटल ट्रॉमा टेक्नीशियन का एक प्रमाणपत्र-पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, जो अब भी जारी है।
- आई.ई.सी. क्रियाकलापों के तहत गुड समारिटन/फर्स्ट एड पर मुद्रित सामग्री, श्रवण-दृश्य स्पॉट तथा वृत्त चित्र तैयार किए गए हैं तथा श्रवण-दृश्य सामग्री को सभी राज्यों को वितरित किया गया है।

विवरण-I

राष्ट्रीय राजमार्गों पर आघात देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चयनित 116 आघात देखभाल सुविधा केंद्रों की सूची

क्र.सं.	कॉरिडोर	ट्रामा सेंटर के नाम	स्तर
		तेलंगाना	
1.	एन-एस	राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, आदिलाबाद	द्वितीय
2.		जिला मुख्यालय अस्पताल, निजामाबाद	द्वितीय
3.		एरिया अस्पताल, कामारेड्डी	तृतीय
4.		जिला अस्पताल, महबूबनगर	तृतीय
5.		सरकारी जनरल अस्पताल व मेडिकल कॉलेज, कुरनूल	द्वितीय
6.		सरकारी जनरल अस्पताल व मेडिकल कॉलेज, अनंतपुर	द्वितीय
7.		सामुदायिक अस्पताल, पेनुकोंडा	तृतीय
8.	जी-क्यू	तालुका अस्पताल, तक्काली	तृतीय
9.		जिला अस्पताल, श्रीकाकुलम	द्वितीय
10.		किंग जॉर्ज अस्पताल और आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम	द्वितीय
11.		तालुक अस्पताल, टूनी, पूर्वी गोदावरी	तृतीय
12.		जिला अस्पताल, राजमुंद्री, पूर्वी गोदावरी	द्वितीय
13.		जिला अस्पताल, एलुरु, पश्चिम गोदावरी	तृतीय
14.		मेडिकल कॉलेज, गुंटूर	द्वितीय
15.		जिला अस्पताल, ओंगोल	तृतीय
16.		जिला अस्पताल, नेल्लोर	द्वितीय
17.		तालुक अस्पताल, नयादुपेट्ट	तृतीय
		असम	
18.	ई-डब्ल्यू	मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिल्चर।	द्वितीय
19.		सिविल अस्पताल, हाफलोंग।	तृतीय
20.		सिविल अस्पताल, दिफू।	तृतीय
21.		जिला अस्पताल, नौगांव।	द्वितीय
22.		मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गुवाहाटी।	द्वितीय
23.		जिला अस्पताल, नलबाड़ी।	तृतीय
24.		सिविल अस्पताल, बोंगईगांव।	तृतीय
		बिहार	
25.	ई-डब्ल्यू	सिविल अस्पताल, किशनगंज।	तृतीय
26.		जिला अस्पताल, पूर्णिया।	द्वितीय

क्र.सं.	कॉरिडोर	ट्रामा सेंटर के नाम	स्तर
27.		सिविल अस्पताल, मधेपुरा।	तृतीय
28.		दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल, दरभंगा।	द्वितीय
29.		एसके मेडिकल कॉलेज अस्पताल, मुजफ्फरपुर।	द्वितीय
30.		सिविल अस्पताल, गोपालगंज।	तृतीय
31.		सिविल अस्पताल, झंझारपुर।	तृतीय
32.	जी-क्यू	सदर अस्पताल, सासाराम, रोहतास	तृतीय
33.		एन.एन. मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल, गया	द्वितीय
		गुजरात	
34.	ईडब्ल्यू	सिविल अस्पताल, पालनपुर।	द्वितीय
35.		सिविल अस्पताल, राधनपुर।	तृतीय
36.		एसए अस्पताल, बचाऊ, कच्छ	तृतीय
37.		जनरल अस्पताल, मोरबी।	द्वितीय
38.		पं. दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट।	द्वितीय
39.		सी.एच.सी., जेतपुर।	तृतीय
40.		जनरल अस्पताल, पोरबंदर।	द्वितीय
41.	जी-क्यू	जनरल अस्पताल, वलसाड	द्वितीय
42.		सरकारी मेडिकल कॉलेज, सूरत	द्वितीय
43.		जिला अस्पताल, भरूच	तृतीय
44.		एसएसजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, वडोदरा	द्वितीय
45.		जिला अस्पताल, हिम्मत नगर	तृतीय
		हरियाणा	
46.	एन-एस	जिला अस्पताल, अंबाला	द्वितीय
47.		सिविल अस्पताल, पानीपत	तृतीय

क्र.सं.	कॉरिडोर	ट्रामा सेंटर के नाम	स्तर
48.	जी-क्यू	जिला अस्पताल, रेवाड़ी	तृतीय
		जम्मू-कश्मीर	
49.	एन एस	एमएमएएम जिला अस्पताल, अनंतनाग	तृतीय
50.		ट्रामा अस्पताल, बटोटे, डोडा	तृतीय
51.		सरकारी जिला अस्पताल, उधमपुर	द्वितीय
		झारखंड	
52.	जी-क्यू	पाटलीपुत्र मेडिकल कॉलेज, धनबाद	तृतीय
		कर्नाटक	
53.	जी-क्यू	तुमकुर जिला अस्पताल, तुमकुर	तृतीय
54.		तालुक अस्पताल, सिरा	तृतीय
55.		सिविल अस्पताल, चित्रदुर्ग	द्वितीय
56.		सिविल अस्पताल, देवांगिरी	तृतीय
57.	जी-क्यू	कर्नाटक मेडिकल साइंसेज संस्थान, हुबली, धारवाड़	द्वितीय
58.		जिला अस्पताल, हावेरी	तृतीय
59.		जिला अस्पताल, बेलगाम	तृतीय
60.	एन-एस	मेडिकल कॉलेज, चिकबल्लापुर	तृतीय
		मध्य प्रदेश	
61.	ई-डब्ल्यू	सिविल अस्पताल, शिवपुरी	द्वितीय
62.	एन-एस	जीआर मेडिकल कॉलेज अस्पताल, ग्वालियर	द्वितीय
63.		जिला अस्पताल, सागर	द्वितीय
64.		जिला अस्पताल, नरसिम्हपुर	द्वितीय
65.		इंदिरा गांधी जिला अस्पताल, सिवनी	तृतीय

क्र.सं.	कॉरिडोर	ट्रामा सेंटर के नाम	स्तर
		महाराष्ट्र	
66.	जी-क्यू	सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोल्हापुर	द्वितीय
67.		जिला अस्पताल, सतारा	तृतीय
68.		बीजे मेडिकल कॉलेज, पुणे	द्वितीय
69.		नगर अस्पताल, वाशी	तृतीय
70.		उप जिला अस्पताल दनाऊ, ठाणे	तृतीय
71.	एन-एस	उप जिला अस्पताल, हिंगणघाट, वर्धा	तृतीय
		ओडिशा	
72.	जी-क्यू	जिला अस्पताल, बालासोर	द्वितीय
73.		जिला अस्पताल, भद्रक	तृतीय
74.		एससीबी मेडिकल कॉलेज, कटक	प्रथम
75.		जिला अस्पताल, खुर्दा	तृतीय
76.		एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज, बहरमपुर	द्वितीय
		पंजाब	
77.	एन-एस	उप-जिला अस्पताल, पठानकोट, गुरदासपुर	तृतीय
78.		जिला अस्पताल, जालंधर	द्वितीय
79.		जिला अस्पताल, खन्ना	तृतीय
		राजस्थान	
80.	ई-डब्ल्यू	सरकारी अस्पताल, बारां।	तृतीय
81.		न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोटा।	द्वितीय
82.		एसएस अस्पताल, चित्तौड़गढ़।	तृतीय
83.	जी-क्यू	सिविल अस्पताल, डूंगरपुर, साबरकांठा	तृतीय
84.		आरएनटी मेडिकल कॉलेज, उदयपुर	द्वितीय
85.		जिला अस्पताल, भीलवाड़ा	तृतीय
86.		जेएलएन मेडिकल कॉलेज, अजमेर	द्वितीय
87.		एसएमएस मेडिकल कॉलेज, जयपुर	द्वितीय
88.		तालुक अस्पताल, कोटपुतली, अलवर	तृतीय
89.		सरकारी अस्पताल, सिरोही	तृतीय
		तमिलनाडु	
90.	जी-क्यू	किल्पौक मेडिकल कॉलेज, चेन्नई	द्वितीय
91.		सरकारी मेडिकल कॉलेज और सिविल अस्पताल, वेल्लोर	द्वितीय
92.		तालुक अस्पताल, कृष्णागिरि, धर्मपुरी	तृतीय
93.	एन-एस	सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, करूर	तृतीय
94.		जिला अस्पताल, डिंडीगुल	द्वितीय
95.		गवर्नमेंट राजाजी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज, मदुरै	द्वितीय
96.		जिला मुख्यालय अस्पताल, कोविलपट्टी	तृतीय
97.		सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, तिरुनेलवेली	द्वितीय
98.	एन-एस	कन्याकुमारी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, असरीपल्लम, नागरक्वायल	द्वितीय

क्र.सं.	कॉरिडोर	ट्रामा सेंटर के नाम	स्तर
		उत्तर प्रदेश	
99.	ई-डब्ल्यू	बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर।	द्वितीय
100.		जिला अस्पताल, फैजाबाद।	तृतीय
101.		केजीएम कॉलेज, लखनऊ।	द्वितीय
102.		एलएलआर अस्पताल और जीएसवीएम मैडिकल कॉलेज, कानपुर।	द्वितीय
103.		जिला अस्पताल, जालौन, उरई।	तृतीय
104.		एमएलबी मेडिकल कालेज, झांसी।	द्वितीय
105.		जिला अस्पताल, बस्ती	तृतीय
106.	जी-क्यू	एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा	द्वितीय
107.		श्री बीए जिला अस्पताल, इटावा	तृतीय
108.		जिला अस्पताल, फतेहपुर	तृतीय
109.		एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	द्वितीय
110.	एन-एस	एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	द्वितीय
111.		जिला अस्पताल, मथुरा	तृतीय
112.		जिला अस्पताल, ललितपुर	द्वितीय
		पश्चिम बंगाल	
113.	ई-डब्ल्यू	उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, सिलीगुड़ी	द्वितीय
114.		इस्लामपुर एसडी अस्पताल, उत्तर दिनाजपुर	तृतीय
115.	जी-क्यू	उप मंडल चिकित्सालय, आसनसोल	द्वितीय
116.		बर्दवान मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बर्दवान	द्वितीय
117.		उप-जिला अस्पताल, खड़गपुर	तृतीय

विवरण-II

12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आघात देखभाल कार्यक्रम के अंतर्गत आघात देखभाल सुविधाओं की स्थापना के लिए अनुमोदित अस्पतालों की सूची

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	स्तर
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	डॉ. आरपी हॉस्पिटल, मायाबुंदेर	स्तर-तृतीय
2.	छत्तीसगढ़	बीआर अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल, रायपुर	स्तर-द्वितीय
3.		छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर	स्तर-द्वितीय
4.		सरकारी कोमलदेव जिला अस्पताल, कांकेर	स्तर-तृतीय
5.		जिला अस्पताल, रायगढ़	स्तर-तृतीय
6.		जगदलपुर, बलराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज	स्तर-द्वितीय
7.		जिला अस्पताल, अंबिकापुर	स्तर-तृतीय

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	स्तर
8.	दादरा और नगर हवेली	सीएचसी खानवेल	स्तर-तृतीय
9.	हिमाचल प्रदेश	जिला अस्पताल, चंबा	स्तर-तृतीय
10.		क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर	स्तर-तृतीय
11.		आरपी मेडिकल कॉलेज, टांडा	स्तर-द्वितीय
12.		जोनल अस्पताल मंडी	स्तर-तृतीय
13.		क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर, शिमला	स्तर-तृतीय
14.		आईजीएमसी सरकारी अस्पताल, शिमला	स्तर-I
15.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अल्पपुझा	स्तर-द्वितीय
16.		जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम	स्तर-तृतीय
17.		जिला अस्पताल, कन्नूर	स्तर-तृतीय
18.		जिला अस्पताल, पलक्कड़	स्तर-द्वितीय
19.		सरकारी मेडिकल कॉलेज, कोझिकोड	स्तर-I
20.		सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, तिरुवनंतपुरम	एल-द्वितीय
21.	मणिपुर	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल	स्तर-I
22.		जिला अस्पताल, चुराचांदपुर	स्तर-तृतीय
23.		जिला अस्पताल, सेनापति	स्तर-तृतीय
24.		जिला अस्पताल, बिष्णुपुर	स्तर-तृतीय
25.		जिला अस्पताल, ताऊवाल	स्तर-तृतीय
26.		चंडेल जिला अस्पताल	स्तर-तृतीय
27.	मेघालय	सिविल अस्पताल, तुरा	स्तर-तृतीय
28.		सिविल अस्पताल नोंगपोह	स्तर-तृतीय
29.		सिविल हॉस्पिटल, शिलांग	स्तर-द्वितीय
30.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, ऐजावल	स्तर-द्वितीय
31.		जिला अस्पताल, लॉगल्टलाई	स्तर-तृतीय
32.		जिला अस्पताल, सैहा	स्तर-तृतीय
33.		जिला अस्पताल, लुंगलेई	स्तर-तृतीय

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	स्तर
34.		जिला अस्पताल, कोलासिब	स्तर-तृतीय
35.		जिला अस्पताल चैम्फई	स्तर-तृतीय
36.		जिला अस्पताल, सर्चिप	स्तर-तृतीय
37.	नागालैंड	जिला अस्पताल, टयूएनसांग	स्तर-तृतीय
38.		जिला अस्पताल, किफीरी	स्तर-तृतीय
39.		जिला अस्पताल, मोन	स्तर-तृतीय
40.		नागा अस्पताल, कोहिमा	स्तर-द्वितीय
41.		जिला अस्पताल, दीमापुर	स्तर-तृतीय
42.	ओडिशा	जिला अस्पताल, पुरी	स्तर-तृतीय
43.	उत्तराखंड	जिला अस्पताल, बौरारी, नई टिहरी	स्तर-तृतीय
44.		सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	स्तर-द्वितीय
45.		संयुक्त अस्पताल, रुड़की	स्तर-तृतीय
46.		मेडिकल कॉलेज दून हॉस्पिटल, देहरादून	स्तर-द्वितीय
47.	त्रिपुरा	धर्म नगर, उप-मंडल अस्पताल	स्तर-तृतीय
48.		संतिर्बाजार पीएचसी, मंडल अस्पताल	स्तर-तृतीय
49.		जिला अस्पताल, गोमती	स्तर-तृतीय
50.		अगरतला सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय	स्तर-द्वितीय
51.		जिला अस्पताल, ढलाई	स्तर-तृतीय
52.	सिक्किम	जिला अस्पताल, नमच्छी	स्तर-तृतीय
53.		जिला अस्पताल, सिंगताम	स्तर-तृतीय
54.		जिला अस्पताल, मंगा	स्तर-तृतीय
55.		एसटीएनएम, गंगटोक	स्तर-द्वितीय
56.	आंध्र प्रदेश	सरकारी जनरल अस्पताल, काकीनाड़ा	स्तर-द्वितीय
57.	अरुणाचल प्रदेश	सामान्य अस्पताल, बोमडिला	स्तर-तृतीय
58.		जिला अस्पताल, रोइंग	स्तर-तृतीय
59.		जिला अस्पताल, तेजू	स्तर-तृतीय

क्र.सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	स्तर
60.		जिला अस्पताल, खोनसा	स्तर-तृतीय
61.	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार जिला, अस्पताल	स्तर-तृतीय
62.		मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल	स्तर-द्वितीय
63.		डायमंड हार्बर डिस्ट्रिक्ट	स्तर-तृतीय
64.		रानाघाट सब डिवीजन अस्पताल, नाडिया	स्तर-तृतीय
65.		रायगंज जिला अस्पताल, उत्तर दिनाजपुर	स्तर-तृतीय
66.	झारखंड	जिला अस्पताल कोडरमा	स्तर-तृतीय
67.		सदर अस्पताल, डालतगंज	स्तर-तृतीय
68.		जिला अस्पताल, घूमला	स्तर-3
69.	पुदुचेरी	आईजीआई पीजीएमईआर	स्तर-द्वितीय
70.	पंजाब	जिला अस्पताल फजिलका	स्तर-तृतीय
71.		जिला अस्पताल फिरोजपुर	स्तर-तृतीय
72.	तमिलनाडु	सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल, कल्लाकुरुची	स्तर-तृतीय
73.		सरकारी जिला मुख्यालय अस्पताल कुबकोगम	स्तर-तृतीय
74.		चेंगलपडू सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल	स्तर-।
75.		कोयम्बटूर मेडिकल कॉलेज	स्तर-द्वितीय
76.	जम्मू और कश्मीर	एसएनएम अस्पताल लेह	स्तर-तृतीय
77.		जिला अस्पताल, कुपवाड़ा	स्तर-3
78.	गुजरात	गुरु गोविंद सिंह अस्पताल, जामनगर	स्तर-द्वितीय
79.		जनरल जिला अस्पताल, दाहोद	स्तर-तृतीय
80.		सर तख्तसिंह जनरल अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेज, भावनगर	स्तर-द्वितीय
81.		जिला अस्पताल वेरावल	स्तर-तृतीय
82.	हरियाणा	जनरल अस्पताल, कैथल	स्तर-तृतीय
83.		जनरल अस्पताल, पलवल	स्तर-तृतीय
84.		जनरल अस्पताल, नारनौल	स्तर-तृतीय
85.	गोवा	सरकारी मेडिकल कॉलेज, गोवा	स्तर-।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों के तहत जारी ट्रामा परिचर्या कार्यक्रम निधि

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	अस्पताल का नाम	पिछले तीन वर्षों (2014-15, 2016-17 के दौरान जारी राशि)	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	जिला अस्पताल, ओंगोल	0.80	3.5259
2.		जिला अस्पताल, नेल्लोर	0.76	
3.		तालुक होस, नायादुपेट	1.9659	
4.	अरुणाचल प्रदेश	जनरल अस्पताल, बोमडिला	2.754	11.016
5.		जिला अस्पताल, रोइंग	2.754	
6.		जिला अस्पताल, तेजु	2.754	
7.		जिला अस्पताल, खोनशा	2.754	
8.	छत्तीसगढ़	बीआर अम्बेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल, रायपुर	3.675	17.59
9.		छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान, बिलासपुर	3.675	
10.		सरकारी कोमलदेव जिला अस्पताल, कांकर	1.66	
11.		जिला अस्पताल, रायगढ़	2.040	
12.		बलराम कश्यप मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जगदलपुर	4.50	
13.		जिला अस्पताल, अंबिकापुर	2.04	
14.	दादरा और नगर हवेली	सीएचनी खानवेल	0.8536	0.8536
15.	झारखंड	जिला अस्पताल, कोडरमा	2.040	3.264
16.		सदर अस्पताल, डालतगंज	1.224	
17.	गुजरात	जनरल अस्पताल, मोरबी	0.5050	2.4535
18.		पं. दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल, राजकोट	0.82	
19.		सीएचसी, जेटपुर	0.1785	
20.		जिला अस्पताल, भारुच	0.70	
21.		जिला अस्पताल, हिम्मतनगर	0.25	
22.	हिमाचल प्रदेश	जिला अस्पताल, चंबा	2.754	29.691

1	2	3	4	5
23.		क्षेत्रीय अस्पताल, हमीरपुर	2.754	
24.		आरपी मेडिकल कॉलेज, टांडा	6.075	
25.		जोनल अस्पताल, मंडी	2.754	
26.		क्षेत्रीय अस्पताल रामपुर, शिमला	2.754	
27.		आईजीएमसी सरकार अस्पताल, शिमला, हिमाचल प्रदेश	12.60	
28.	कर्नाटक	तुमकुर जिला अस्पताल	0.7000	5.5745
29.		सिविल अस्पताल, चित्रदुर्ग	0.7600	
30.		सिविल अस्पताल, देवगिरी	0.7000	
31.		कर्नाटक आयुर्विज्ञान संस्थान, हुबली, धारवाड़	0.7600	
32.		जिला अस्पताल, हावेरी	0.7000	
33.		जिला अस्पताल, चिकबलापुर	1.9545	
34.	केरल	सरकारी मेडिकल कॉलेज, अलाप्पुझा	3.675	14.735
35.		जनरल अस्पताल, एर्नाकुलम	1.66	
36.		जिला अस्पताल, कन्नूर	1.66	
37.		जिला अस्पताल, पलक्कड़	2.70	
38.		सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल, कोझिकोड	5.04	
39.	मणिपुर	क्षेत्रीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, इंफाल	11.34	25.722
40.		जिला अस्पताल, चुराचंदपुर	2.754	
41.		जिला अस्पताल, सेनापति	2.754	
42.		जिला अस्पताल, बिशुनपुर	2.754	
43.		थाऊवाल जिला अस्पताल	3.060	
44.		चंडेल जिला अस्पताल	3.060	
45.	मेघालय	सिविल अस्पताल, तुरा	2.754	12.564
46.		सिविल अस्पताल नोंगपोह	3.060	
47.		सिविल अस्पताल शिलांग	6.75	
48.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, ऐजावल	6.075	14.337
49.		जिला अस्पताल, लॉगल्टलाई	2.754	

1	2	3	4	5
50.		जिला अस्पताल, सायहा	2.754	
51.		जिला अस्पताल, लुंगलेई	2.754	
52.	मध्य प्रदेश	जीआर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, ग्वालियर	0.2526	9.0575
53.		डीएच नरसिंहपुर	2.025	
54.		डीएच सागर	4.7563	
55.		डीएच सीओनी	2.0236	
56.	नागालैंड	जिला अस्पताल, ट्यूएनसांग	2.754	17.091
57.		जिला अस्पताल, किफीरी	2.754	
58.		जिला अस्पताल, मोन	2.754	
59.		नागा अस्पताल, कोहिमा	6.075	
60.		जिला अस्पताल, दीमापुर	2.754	
61.	ओडिशा	जिला अस्पताल, बालासोर	5.0	5.0
62.	पंजाब	जिला अस्पताल, फजैलका	1.224	4.114
63.		जिला अस्पताल, फिरोजपुर	1.224	
64.		उप-जिला अस्पताल, पठानकोट	0.9060	
65.		जिला अस्पताल, जालंधर	0.7600	
66.	उत्तराखंड	जिला अस्पताल, बौरारी, नई टिहरी	2.754	18.333
67.		सरकारी मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी	6.075	
68.		संयुक्त अस्पताल रुड़की	2.754	
69.		दून मेडिकल कॉलेज और अस्पताल	6.75	
70.	त्रिपुरा	धर्म नगर, उप-मंडल अस्पताल	2.754	14.337
71.		संतिरबाजार पीएचसी, मंडल अस्पताल	2.754	
72.		जिला अस्पताल, गोमती	2.754	
73.		अगरतला सरकार चिकित्सा महाविद्यालय	6.075	
74.	सिक्किम	जिला अस्पताल, नमच्छी	2.754	13.122
75.		जिला अस्पताल, सिंगाताम	2.754	
76.		जिला अस्पताल, मंगन	2.754	
77.		एसटीएमएस अस्पताल गंगटोक	4.86	

1	2	3	4	5
78.	उत्तर प्रदेश	बीआरडी मेडिकल कॉलेज, गोरखपुर	0.7600	6.5052
79.		एसएन मेडिकल कॉलेज, आगरा	0.7600	
80.		एमएलएन मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद	0.7600	
81.		एलएलआरएम मेडिकल कॉलेज, मेरठ	4.2252	
82.	पश्चिम बंगाल	जिला अस्पताल, अलीपुरद्वार	1.224	18.437
83.		मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज	2.700	
84.		रानाघाट उप-विभागीय अस्पताल, नाडिया	1.224	
85.		डायमंड हर्बर जिला अस्पताल	1.224	
86.		उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, सिलीगुड़ी	5.030	
87.		इस्लामपुर एसडी अस्पताल, उत्तर दिनाजपुर	2.005	
88.		उप-मंडल, आसनसोल	5.030	

उत्सर्जन तीव्रता में कमी

4790. **श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा:**

श्री बी.वी. नाईक:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार संतुष्ट है कि कम हुए उत्सर्जन को मापने हेतु उत्तम सूचक उत्सर्जन तीव्रता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संपूर्ण उत्सर्जन में कमी घटे हुए उत्सर्जन का बेहतर सूचक होगी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उत्सर्जन तीव्रता को मापने हेतु वर्तमान विधि क्या है; और

(ङ) उत्सर्जन तीव्रता को कम करने हेतु जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) के अंतर्गत प्रारंभ किए गए आठ मिशनों के पूर्ण कार्यान्वयन हेतु संभावित समय-सीमा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (घ) उत्सर्जन तीव्रता, ऊर्जा के उपयोग में सुधार तथा सकल घरेलू उत्पाद (जी.डी.पी.) की दृष्टि से उत्सर्जनों में कमी की सूचक है, इसका प्रयोग कई विकासशील देशों द्वारा जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र कार्य ढांचा सम्मेलन (यू.एन.एफ.सी.सी.) के तहत अपने दायित्वों की पूर्ति के भाग के रूप में ग्रीन हाऊस गैसों के उत्सर्जनों के उपशमन में हुई प्रगति के सूचक के रूप में किया जाता है। यू.एन.एफ.सी.सी. के तहत हुए करार के अनुसार, विकसित देशों से अपेक्षा की जाती है कि वे उत्सर्जन में पूर्ण रूप से कमी करेंगे। उत्सर्जन तीव्रता की गणना कुल ग्रीन हाऊस गैस उत्सर्जनों (कार्बनडाई आक्साइड के समतुल्य) को जी.डी.पी. से विभाजित करके की जाती है।

(ङ) राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना (एन.ए.पी.सी.सी.) में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के मुकाबले हेतु ग्रीन हाऊस गैसों के उपशमन हेतु अनुकूलन संबंधित मामलों के निराकरण से जुड़े आठ राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक मिशन अपने कार्यकलापों को चलाने के लिए, संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार संबंधित मंत्रालय के बजट से निधियां प्राप्त करता है। राष्ट्रीय मिशन के तहत किए गए कार्यकलापों और अन्य उपायों के कार्यान्वयन से वर्ष 2005 से 2010 के बीच सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता में लगभग 12 प्रतिशत की कमी आयी है और देश वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता

को 20-25 प्रतिशत कम करने के अपने स्वैच्छिक लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर है।

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व संबंधी उच्चस्तरीय समिति

4791. **श्रीमती मौसम नूर:**

डॉ. उदित राज:

डॉ. मनोज राजोरिया:

श्री जगदम्बिका पाल:

श्री गणेश सिंह:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) के अंतर्गत धनराशि खर्च नहीं करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.)/निजी क्षेत्र की कंपनियों और संस्थाओं का ब्यौरा क्या है तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान उनके द्वारा कितनी धनराशि खर्च किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) ऐसे पी.एस.यू./कंपनियों/संस्थाओं की संख्या कितनी है, जिनके विरुद्ध सरकार द्वारा सी.एस.आर. का अनुपालन नहीं किए जाने के संबंध में कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को सी.एस.आर. के अंतर्गत पी.एस.यू./निजी कंपनियों और संस्थाओं द्वारा धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं तथा यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्रवाई का पी.एस.यू./संस्था/कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने व्यवसायिक कंपनियों हेतु कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) घटक में बेहतर प्रवृत्ति निर्धारित करने के संबंध में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या उक्त समिति को विभिन्न औद्योगिक निकायों और कॉरपोरेट क्षेत्र के प्रतिनिधियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त समिति का एक मध्यस्थ प्रणाली का गठन किए जाने संबंधी सिफारिश देने के लिए कदम उठाने का विचार है, जिससे कॉरपोरेट क्षेत्र द्वारा सी.एस.आर. बाध्यताओं के कार्य-निष्पादन और सामाजिक प्रभाव के अंतर को प्रभावी रूप से भरने में मदद मिलेगी और यदि हां, तो प्रस्तावित कार्य का ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) से (ग) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 135 में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक टर्नओवर, या निवल मूल्य या निवल लाभ वाली प्रत्येक कंपनी द्वारा तत्काल पूर्व तीन वित्तीय वर्षों के दौरान अर्जित औसत निवल लाभ का कम से कम दो प्रतिशत इस अधिनियम की अनुसूची-VII में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) कार्यकलापों पर खर्च करना अनिवार्य है।

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए एम.सी.ए. रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा 30.11.2017 तक की गई फाइलिंग से लिए गए डाटा के अनुसार, ऐसी कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. पर किए गए व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

वित्त वर्ष 2015-16 और 2016-17 के दौरान सी.एस.आर. व्यय

क्र.सं.	कंपनी का प्रकार	वित्त वर्ष 2015-16		वित्त वर्ष 2016-17	
		कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)	कंपनियों की संख्या	सीएसआर व्यय (करोड़ रुपये में)
1	2	3	4	5	6
1.	पीएसयू	265	638.35	81	211.12
	(i) सीएसआर व्यय न करने वाले पीएसयू	121	-	15	-
	(ii) निर्धारित से कम सीएसआर राशि खर्च करने वाले पीएसयू	144	638.35	66	211.12

1	2	3	4	5	6
2.	प्राइवेट क्षेत्र कंपनियां	15,222	3,198.82	3,983	1,402.68
	(i) सीएसआर व्यय न करने वाली प्राइवेट कंपनियां	9,098	-	331	-
	(ii) निर्धारित से कम सीएसआर खर्च करने वाले पीएसयू	6,124	3,198.82	3,652	1,402.68
	कुल	15,487	3,837.17	4,064	1,613.80

वित्त वर्ष 2014-15 के लिए, 221 मामलों में सी.एस.आर. संबंधी उल्लंघन के लिए कंपनियों और उसके चूककर्ता के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, किसी कंपनी के विरुद्ध सी.एस.आर. निधियों का दुरुपयोग किए जाने की पुष्टि होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा उच्च स्तरीय समिति (एच.एल.सी.) की स्थापना की गई है, जिससे कंपनियों द्वारा कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) नीतियों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी हेतु उपाय सुझाए जा सकें और इस समिति ने 22 सितंबर, 2015 को रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट को मंत्रालय की वेबसाइट (*www.mca.gov.in*) पर पब्लिक डोमेन में रख दिया गया है। समिति की मुख्य सिफारिशों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल है:

- तीन वर्षों के पश्चात् अधिनियम के सी.एस.आर. उपबंधों की समीक्षा करना वांछनीय होगा।
- प्रशासनिक ऊपरी लागत की सीमा सी.एस.आर. व्यय का 5 प्रतिशत से बढ़ाकर अधिकतम 10 प्रतिशत कर दी जाए।
- अधिनियम और नियमों के अधीन प्रयोग किए गए पद "निवल लाभ" की परिभाषा को स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है।
- धारा 135(1) या संगत नियम में आवश्यक संशोधन करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 135(1) में 'किसी वित्त वर्ष' के संदर्भ में पुन: जांच।
- बोर्ड और सी.एस.आर. समिति द्वारा अपने स्तर पर उनके सी.एस.आर. का प्रबंधन एवं निगरानी की जाए।
- कंपनियों के सी.एस.आर. व्यय की गुणवत्ता और क्षमता की निगरानी के लिए बाहरी विशेषज्ञ नियुक्त करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए।
- सी.एस.आर. निधियों के अव्ययित शेष को पांच वर्ष के सनसेट क्लॉज के साथ अग्रसारित करने की अनुमति दी जाए, जिसके पश्चात् अव्ययित शेष को अनुसूची-VII में सूचीबद्ध निधियों में से एक में अंतरित कर दिया जाए।
- अधिनियम की अनुसूची-VII में एक बहुप्रयोजनीय उपबंध शामिल किया जा सकता है कि सी.एस.आर. कार्यकलाप वृहत्तर सार्वजनिक हित के लिए और किसी ऐसे कार्यकलाप, जो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो और/या वंचित लोगों की आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देते हुए आम लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ही किया जाएगा।
- कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों के सी.एस.आर. कार्यान्वयन, जिसमें कंपनी की रिपोर्ट के अनुसार खर्च की गई राशि, किए जाने वाले कार्यकलाप, भौगोलिक क्षेत्र भी शामिल है, संबंधी सभी सूचनाएं संकलित कर पब्लिक डोमेन में रखी जाएं।

मंत्रालय ने उच्च स्तरीय समिति की सिफारिश पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्रवाई की है:-

(i) कंपनी विधि समिति (सी.एल.सी.) को उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट भेजी गई थी।

(ii) कुछ सिफारिशों, अर्थात, धारा 135 के प्रयोजन के लिए और अनुसची-VII के संदभ में 'किसी वित्त वर्ष' की परिभाषा, 'निवल लाभ' की परिभाषा को सी.एल.सी. द्वारा सहमति दी गई है और कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2016 में आवश्यक संशोधन किए गए हैं।

(iii) 12 जनवरी, 2016 को मंत्रालय द्वारा स्पष्टीकरण परिपत्र के रूप में प्राय: पूछे गए प्रश्नों का सेट जारी किया गया और उसे पब्लिक डोमेन (*www.mca.nic.in*) में रखा गया।

(iv) कंपनियों द्वारा सी.एस.आर. व्यय संबंधी सूचना एकत्रित और संकलित की गई है।

(v) कंपनियों द्वारा एम.सी.ए. 21 में की गई फाइलिंग को जनता की जानकारी के लिए एम.सी.ए. ने एक नेशनल सी.एस.आर. वेब पोर्टल (*www.csr.gov.in*) शुरू की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन सी.एस.आर. पात्र कंपनी बोर्ड को विभिन्न विकास क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में सी.एस.आर. निधि आबंटित करने का अधिकार है। इस संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा कंपनियों को न तो कोई निदेश जारी किए जाते हैं और न ही कोई सलाह दी जाती है।

(च) जी, नहीं।

चिकित्सा उपकरण जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना

4792. **श्री विद्युत वरण महतो:**

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री गजानन कीर्तिकर:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री टी. राधाकृष्णन:

श्री एस.आर. विजय कुमार:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इस तथ्य पर ध्यान दिया है कि चिकित्सा उपकरण विशेष कर पुराने चिकित्सा इलेक्ट्रानिक उपकरण बिना किसी सुरक्षा के आयात के माध्यम से देश में आ रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत इमेजिंग और एन्डोस्कोपिक उपकरणों को लाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(घ) इसे उक्त अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में कब तक लाने की संभावना है; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में चिकित्सा उपकरण परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करने और उन्हें किफायती मूल्यों पर उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 एवं उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों से अंतर्गत चिकित्सा यंत्रों की 15 अधिसूचित श्रेणियों को विनियमित करता है। तथापि, चिकित्सा उपस्कर को औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 3(ख) (iv) के अंतर्गत चिकित्सा यंत्र के रूप में अधिसूचित नहीं किया जाता है।

(ख) से (घ) औषधि तकनीकी परामर्श बोर्ड (डी.टी.ए.बी.) की 12 फरवरी, 2018 को आयोजित 78वीं बैठक में बोर्ड अल्ट्रासाउंड उपस्करों तथा समतुल्य इमेजिंग उपस्करों को इनके आयात, विनिर्माण, वितरण एवं विक्रय को विनियमित करने के उद्देश्य से चिकित्सा यंत्र के रूप में औषधि एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम, 1940 की धारा 3(ख) (iv) की सीमा में लाने के लिए सहमत हो गया है।

(ङ) चिकित्सा यंत्र नियमावली, 2017 के अनुसार केंद्र सरकार चिकित्सा यंत्रों की जांच एवं मूल्यांकन करने की सुविधा वाली किसी भी प्रयोगशाला को केंद्रीय चिकित्सा यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के रूप में नामित कर सकती है। इस संबंध में सी.डी.एस.सी.ओ. ने राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशाकंन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एन.ए.बी.एल.) प्रत्यायित प्रयोगशालाओं जिनकी इन विट्रो नैदानिक सहित चिकित्सा यंत्रों के परीक्षण एवं मूल्यांकन की क्षमता तथा सामर्थ्य है, से सी.डी.एस.सी.ओ. में पंजीकरण कराने और अपने कार्यों के विवरण की सूचना देने के लिए 1.3.2018 को अनुरोध किया है।

यह उल्लेखनीय है कि चिकित्सा उपस्कर/सामान्य वैज्ञानिक सुविधाओं आदि के लिए परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करने हेतु पहले की निर्यात अवसंरचना विकास योजना के लिए राज्यों को सहायता एवं वर्तमान निर्यात व्यापार अवसंरचना योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2015-16 से निधि अनुमोदित/संवितरित की गई हैं।

मानव-वन्यजीव संघर्ष

4793. **श्री गजानन कीर्तिकर:**

श्री नारणभाई काछड़िया:

श्री एंटो एन्टोनी:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री बी. विनोद कुमार:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री ओम बिरला:

श्री टी. राधाकृष्णन:

श्री एस.आर. विजय कुमार:

श्रीमती कमला पाटले:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और मृत्यु/चोरी/फसलों या संपत्ति की हानि के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने के लिए कदम उठाने हेतु कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाल ही में मानव-वन्यजीव संघर्ष के कारण मृत्यु/स्थायी अपंगता के मुआवजे में वृद्धि की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास गत तीन वर्षों के दौरान मानव वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित कोई ब्यौरा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) मानव-वन्यजीव संघर्ष में कितने लोग मारे गए हैं/स्थायी अपंग हुए हैं और कितनी फसलों की क्षति हुई है तथा उक्त अवधि के दौरान कितने मुआवजे को भुगतान किया गया है; और

(ङ) सरकार द्वारा वन्य जीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय पार्कों की परिधि में स्थित मानव बस्तियों की सुरक्षा हेतु अन्य क्या उपाय किए गए हैं?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) सरकार को मानव-वन्यजीव संघर्ष को कम करने और मृत्यु/चोरी/फसलों या संपत्ति की हानि के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने हेतु कदम उठाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

मंत्रालय ने हाल ही मे दिनांक 9 फरवरी, 2018 के पत्र संख्या 14-2/2011 डब्ल्यूएल-। (पार्ट) द्वारा वन्यजीव विध्वंस से संबंधित अनुग्रह राशि की दरें बढ़ायी हैं।

बढ़ायी गई मुआवजा राशि निम्न प्रकार से है:

क्र. सं.	वन्य पशुओं द्वारा की गई क्षति का स्वरूप	अनुग्रह राहत की राशि
1	2	3
(क)	मृत्यु, या स्थायी रूप से अक्षम होना	5,00,000 रु.
(ख)	गंभीर रूप से घायल	2,00,000 रु.
(ग)	मामूली रूप से घायल	प्रति व्यक्ति 25000 रु. तक उपचार की लागत
(घ)	संपत्ति/फसलों की हानि	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारें उनके द्वारा निर्धारित लागत मापदंडों का अनुपालन कर सकती हैं।

(ग) और (घ) वन्य जीवों का प्रबंधन संबंधित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों का दायित्व है। मानव पशु संघर्ष के शिकार हुए लोगों को दिये जाने वाले मुआवजे, मानव वन्य जीव संघर्षों में मारे गये/स्थायी रूप से अक्षम हुए लोगों की संख्या, फसल को हुई हानि की मात्रा और दिये गये मुआवजे के आंकड़े मंत्रालय द्वारा संकलित नहीं किये जाते हैं।

(ङ) वन्य जीव अभयारण्यों/राष्ट्रीय उद्यानों की परिधि में बसी मानव बस्तियों में सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:

i. फसल युक्त खेतों में वन्य जीवों के प्रवेश को रोकने के लिए भौतिक बाधाओं, जैसे कांटेदार तार की बाड़, सौर ऊर्जा आधारित बाड़, कैक्टस का प्रयोग करते हुए जैव बाड़, चारदीवारी इत्यादि का संनिर्माण।

ii. मंत्रालय ने तदर्थ प्रतिपूर्ति वनीकरण निधि प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) की वित्तीय सहायता से संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में चारे और जल के संवर्धन के लिए राज्यों को सहायता प्रदान करने हेतु एक योजना बनायी है। जिसका लक्ष्य वन्य शाकाहारी जीवों के लिए घास, चारे और जल के लिए प्रावधान करते हुए उन क्षेत्रों में पर्यावास संबंधी सुधार लाना है।

iii. मंत्रालय ने जी.आई.जेड. के साथ सहयोग करके मानव वन्य जीव संघर्ष उपशमन परियोजना भी आरंभ की है।

iv. मंत्रालय ने वन्य पशुओं की संख्या के प्रबंधन हेतु 'उन्मुक्ति-गर्भनिरोधक उपाय' करने के लिए एक परियोजना को स्वीकृति दी है।

v. जन संचार के विभिन्न साधनों द्वारा सूचना के प्रसार सहित मानव-पशु संघर्ष के बारे में आम जनता को सुग्राही बनाने, उनका मार्गदर्शन करने और उन्हें सलाह देने के लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाया जाना।

आई.एम.एस. एक्ट का उल्लंघन

4794. प्रो. ए.एस.आर. नायक:

डॉ. कंभमपति हरिबाबू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कतिपय किस्म के शिशु आहारइन्फेन्टमिल्क सब्सिटयूट, फीडिंग फॉटल्स एंड इन्फेन्टफूड (रेगुलेशन ऑफ प्रोक्शन सप्लाई एवं डिस्ट्रीब्यूशन) एक्ट, 1992 और इसके विनियमों से छूट प्राप्त है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण से भारतीय या किसी विदेशी मूल के कतिपय गैर-सरकारी संगठनों के साथ भागीदारी करके इन्फेन्टमिल्क सब्सिटयूट के संबंध में कोई परियोजना शुरू करने की अनुमति दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को स्वास्थ्य परिचर्या क्षेत्र में कतिपय शिशु आहार बनाने वाली कंपनियों द्वारा आर.एम.एस. एक्ट का उल्लंघन किए जाने के संबंध में शिकायतें मिली हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या यह सच है कि और अधिक उत्पादों को छूट की सूची में शामिल करने वाले एफ.एस.एस.ए.आई. के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या स्वास्थ्य संबंधी ऐसी स्थितियां होती हैं जिनमें स्तनपान कराना निषिद्ध होता है और सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए जारी की गई सलाह का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) विकासाधीन शिशु पोषण आहार के प्रारूप विनियम, "आपके शिशु के लिए मां का दूध श्रेष्ठ है" के लेबलिंग प्रावधान को छोड़कर, विशेष चिकित्सा उद्देश्य के लिए, शिशु आहार के मामले में, जहां रोगों व्यतिक्रम या चिकित्सा स्थितियों के चिकित्सा आधार पर स्तनपान का निषेध होता है, उन मामले में शिशु दूध पूरक, फीडिंग बोटल्स एवं शिशु आहार (उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण विनियमन) अधिनियम, 1992 के अनुरूप रखे गए हैं।

मेटाबोलिज्म के स्वाभाविक दोषों (आई.ई.एम.) एवं हाइपोएलानिक स्थितियों के लिए खाद्य पर मानकों के न होने और आई.ई.एम. ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष चिकित्सा उद्देश्य खाद्य (एफ.एस.एम.पी.) नामक शिशु आहार की कमी को ध्यान में रखते हुए एफ.एस.एस.ए.आई. ने चिकित्सा समुदाय एवं अभिभावक समर्थक समूहों के अनुरोध पर यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन स्थितियों वाले बच्चों के लिए इस महत्वपूर्ण चिकित्सा आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 16(5) के अंतर्गत दिनांक 2.11.2016 के विनिर्देश के माध्यम से निर्धारित एफ.एस.एम.पी. के आयात एवं घरेलू उत्पादन को एक अंतरित उपाय के रूप में अनुमति दी है। ऐसे उत्पादों के लिए मानकों का विकास करने की प्रक्रिया में भी तीव्रता लाई गई है। शिशु आहार सहित सभी आयातित खाद्य पदार्थों को कम्पोजिशन, लेबल एवं दावों की यथोचित जांच सहित खाद्य सुरक्षा तथा मानक (आयात) विनियमावली के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां। शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ आई.एम.एस. अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है कि यह सरकार के विनिर्देश के विरुद्ध है और स्तनपान को हतोत्साहित करता है। इसकी जांच की गई है और "आपके शिशु के लिए मां का दूध श्रेष्ठ है" लेबलिंग प्रावधान को छोड़कर जहां रोगों, व्यतिक्रमों या चिकित्सा स्थितियों के चिकित्सा आधार पर स्तनपान निषेध किया जाता है, उन मामलों में आई.एम.एस. अधिनियम सहित शिशु पोषण आहार पर प्रारूप विनियमों के अंतर्गत एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा विकसित किए जा रहे चिकित्सा उद्देश्य के खाद्य (एफ.एस.एम.पी.) के प्रावधानों के अनुरूप बनाकर कमियों को दूर किया गया है।

(घ) एफ.एस.एस.ए.आई. से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ङ) जी, हां। गेलेक्टोसेमिया जैसी कुछ आई.ई.एम. स्थितियों के मामले में शिशु मां का दूध नहीं पचा सकता। इसलिए चिकित्सा आधार पर स्तनपान को निषेध कराया जाता है।

किडनी के मरीज

4795. **श्री राम प्रसाद सरमा:**

श्री उदय प्रताप सिंह:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

श्रीमती रमा देवी:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में किडनी के बढ़ते मरीजों की संख्या का संज्ञान लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार सहायता निधि के अंतर्गत गरीब मरीजों को दी जाने वाली निधियों की राशि में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने ऐसे क्षेत्रों की पहचान की है जहां किडनी के मरीज संदूषण कारणों/प्राकृतिक कारणों से बढ़े हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) गुर्दे के पुराने रोग के मरीजों की संख्या संबंधी राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक आकलन नहीं कराया गया है। तथापि, कुछ अल्प आबादी आधारित अध्ययनों में इसकी व्याप्तता उत्तर भारत में 0.79 प्रतिशत और दक्षिण भारत में 0.16 प्रतिशत पायी गई थी।

स्वास्थ्य राज्य का विषय है। गुर्दा रोगियों के राज्य/संघ शासित राज्य-वार आंकड़े केन्द्र द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे रोगियों को जिन्हें मुख्य जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, गुर्दा समस्या, यकृत की समस्या आदि है, सरकारी अस्पताल में चिकित्सा उपचार हेतु राष्ट्रीय आरोग्य निधि (आर.ए.एन.) तथा स्वास्थ्य मंत्री विवेकानुदान (एच.एम.डी.जी.) के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(घ) और (ङ) सरकार देश के कुछ हिस्सों में गुर्दा रोगों के कारणों की जांच हेतु समय-समय पर विशेषज्ञ समूह का गठन करती है। इस रिपोर्ट में इस प्रकार की वृद्धि के बहुत सारे कारण सामने आए हैं।

जल संसाधन, नदी विकास तथा गंगा जीर्णोद्धार (आरडी एंड जीआर) मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार विभिन्न राज्यों के पृथक स्थानों पर भू-जल सेलिनिटी, फ्लोराइड, नाइट्रेटस, अर्सेनिया, आयरन तथा भारी धातुओं से दूषित है। दूषित भू-जल से आंशिक रूप से प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के माध्यम से सरकार द्वारा तकनीकी तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

गुर्दा रोग हेतु अन्य मुख्य जोखिम कारक में कैंसर, मधुमेह, हृदयरोग आदि सामान्य गैर-संचारी रोग (एन.सी.डी.) के कारकों के समान हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एच.एन.एम.) के तहत राष्ट्रीय कैंसर, मधुमेह, हृदयवाहिनी रोग तथा आघात कार्यक्रम (डब्ल्यू.पी.सी.डी.सी.ओ.) के तहत चिरकालीन गुर्दा रोग के उपचार संबंधी क्रियाकलाप को भी शामिल किया गया है।

शीघ्र निदान के लिए भारत सरकार द्वारा विद्यमान प्राथमिक परिचर्या प्रणाली के तहत फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य कर्मियों की सेवाओं का उपयोग करते हुए मधुमेह और उच्च उक्तचाप सहित, जो गुर्दे के पुराने रोगों के लिए जैविक जोखिम कारण हैं, आम गैर-संचारी रोगों की जनसंख्या आधारित जांच शुरू की गई है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत निर्धन व्यक्तियों को मुफ्त डायलिसिस सेवाओं के प्रावधान हेतु सहायता दी जा रही है। ऐसी सहायता राज्यों से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर आधारित होता है।

विवरण

विभिन्न रसायन तत्वों द्वारा दूषित भू-जल से प्रभावित जिलों का राज्य-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का नाम	सैलिनिटी (3000 माइक्रो एएचओएस/सीएम से अधिक) (ईसी: इलेक्ट्रोनिक चालकता)	फ्लूराइड (1.5 एमजी/1 से अधिक)	नाइट्रेट (45 एमजी/1 से अधिक)	आर्सेनिक 0.01 एमजी/1 से अधिक	आयरन (1एमजी/1 से अधिक)	भारी धातु: शीशा (0.01 एमजी/ 1 से अधिक)	कैल्सियम (0.003 एमजी/ 1 से अधिक)	क्रोनियम (0.05 एमजी/ 1 से अधिक)
1.	आंध्र प्रदेश	11	11	13	3	7			
2.	अरुणाचल प्रदेश					4			
3.	असम		6		19	18			
4.	बिहार		13	10	23	19			
5.	छत्तीसगढ़		13	12	1	4	1	1	1
6.	दिल्ली	7	7	8	2		3	1	4
7.	गोवा					2			
8.	गुजरात	21	19	21	12	6			
9.	हरियाणा	15	20	19	15	17	17	7	1
10.	हिमाचल प्रदेश			6	1				
11.	जम्मू और कश्मीर		2	4	3	6	3	1	
12.	झारखंड		12	11	1	6	1		
13.	कर्नाटक	29	29	22	2	22			
14.	केरल	4	5	11		15	2		1
15.	मध्य प्रदेश	16	39	50	8	42	16		
16.	महाराष्ट्र	20	17	30		20	19		
17.	मणिपुर				2	1			

18.	मेघालय					3			
19.	नागालैंड					1			
20.	ओडिशा	7	25	28	1	21			1
21.	पंजाब	9	19	20	10	9	6	8	10
22.	राजस्थान	30	33	33	1	33	4		
23.	तमिलनाडु	23	19	27	9	2	3	1	5
24.	तेलंगाना	7	9	10	1	8	2	1	1
25.	त्रिपुरा					4			
26.	उत्तर प्रदेश	9	30	46	29	15	10	2	4
27.	उत्तराखंड			3					
28.	पश्चिम बंगाल	4	7	2	9	15	6	2	2
	संघ राज्य क्षेत्र								
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह					1			
2.	चंडीगढ़								
3.	दादरा और नगर हवेली								
4.	दमन और दीव				1				
5.	पुदुचेरी								
	कुल	212	335	386	153	301	93	24	30
	कुल राज्य/संघ राज्य	15	20	21	21	26	14	9	10
	कुल जिले	212	335	386	153	301	93	24	30

आधार को पैन कार्ड से जोड़ना

4796. **डॉ. मनोज राजोरिया:**

श्री लखन लाल साहू:

डॉ. बंशीलाल महतो:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ जोड़ना अनिवार्य कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्तमान में देश में पैन कार्ड-धारकों की संख्या कितनी है और अब तक कितने पैन कार्ड-धारकों ने आधार के साथ अपना पैन नंबर जोड़ लिया है;

(घ) क्या सरकार ने आधार को पैन के साथ जोड़ने के कार्य को पूर्ण करने हेतु कोई समय-सीमा निर्धारित की है और 31 दिसंबर, 2018 की आधार संख्या के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तिथि को बढ़ाया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह किस प्रकार पैन कार्डधारकों हेतु लाभप्रद होगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क), (ख), (घ) और (ङ) आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 139कक की उप-धारा (2) में यह प्रावधान है कि ऐसे प्रत्येक व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई, 2017 की स्थिति के अनुसार पैन है और वह आधार प्राप्त करने के पात्र हैं, द्वारा केंद्र सरकार द्वारा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख को अथवा इससे पहले अपने आधार संख्या से आयकर विभाग के निर्दिष्ट प्राधिकरण को सूचित करना अपेक्षित है। केंद्र सरकार ने अभी तक ऐसी किसी तिथि को अधिसूचित नहीं किया है।

तथापि, अधिनियम की धारा 139कक की उप-धारा (1) के तहत, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति जोकि आधार संख्या प्राप्त करने का पात्र है, को 1 जुलाई, 2017 से आय की विवरणी में और पैन के आवंटन के आवेदन पत्र में आधार संख्या उद्धृत करना है। तथापि जहां किसी व्यक्ति के पास आधार संख्या नहीं है, तो उसे आधार आवेदन-पत्र की नामांकन आई.डी. का उल्लेख करना होगा।

जबकि किसी करदाता को, 1 जुलाई, 2017 को या बाद में दायर की गई आय-विवरणी में आधार या नामांकन आई.डी. को बताना है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) ने, कुछ करदाताओं द्वारा आयकर विवरणियां भरते समय, पैन के साथ आधार लिंक करने की प्रक्रिया में आई तकनीकी कठिनाइयों पर विचार करते हुए, करदाताओं को कई एक्सटेंशन प्रदान किए हैं ताकि पैन के साथ आधार को जोड़ने की प्रक्रिया पूरी हो सके।

चूंकि पैन, आयकर विभाग (आई.टी.डी.) के पास, किसी करदाता के वित्तीय लेन-देन और पत्राचार को ज्ञात करने का मूल आधार होता है, अत: इसे अनन्य रूप से ज्ञात करने और विद्वैध (डी-डुप्लीकेट) करना अपेक्षित है यह इसके दुरुपयोग और बड़ी कर धोखाधड़ी को रोकने के लिए भी अपेक्षित है। पैन के साथ आधार को जोड़ना, आई.टी.डी. के लिए पैनकार्ड धारकों की अनन्य पहचान करने और पता नहीं लगे डुप्लीकेट पैन को समाप्त करने में सहायक होता है।

(ग) सभी श्रेणियों के व्यक्तियों (अर्थात् व्यष्टि, फर्म, कंपनियों, न्यासों इत्यादि) को जारी पैन की कुल संख्या 12.3.2018 की स्थिति के अनुसार 37,50,02,705 है। व्यष्टि श्रेणी को जारी पैन की कुल संख्या 36,54,52,662 है जिसमें से 16,84,36,386 पैन को आधार के साथ जोड़ा (लिंक) किया गया है।

आधार को बैंक खातों से जोड़ना

4797. **श्री संतोष कुमार:**

श्री अरविंद सावंत:

श्री हरि ओम पाण्डेय:

डॉ. रत्ना डे (नाग):

श्री कृपाल बालाजी तुमाने:

श्री मनोज तिवारी:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने धनशोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण) नियमों के अंतर्गत नियमों का निर्माण करने वाली शक्तियां अभिप्रेरित करके 31 मार्च, 2018 तक वर्तमान बैंक खातों और नए खोले जाने वाले बैंक खातों हेतु आधार को अनिवार्य बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह कार्यप्रणाली नियम बनाने वाली शक्तियों पर प्रश्न खड़ा करती है जिससे प्रत्येक भारतीय नागरिक की मर्यादा प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रावधान से उन वरिष्ठ नागरिकों विशेषकर अति वरिष्ठ नागरिकों की जमापूंजी प्रभावित होगी जिन्हें बायोमैट्रिक प्रमाणन के समय संभावित विफलता का सामना करना पड़ता और जो उनके लिए असहनीय/असंभव अनुपालनीय बोझ होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें वित्तीय, निधि और आजीविका अधिकारों संबंधी संकट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का खाता संख्या से आधार जोड़ने की समय-सीमा 31 मार्च, 2018 तक बढ़ाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में उक्त कदम किस प्रकार वित्तीय समावेशन में वृद्धि करेगा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) केंद्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2017 की अधिसूचना के माध्यम से 31 मार्च, 2018 अथवा ग्राहक द्वारा खाता आधारित संबंध की शुरुआत करने की तिथि से 6 माह, जो भी बाद में हो, को ग्राहक द्वारा रिपोर्टिंग संस्था को अपनी आधार संख्या और स्थायी खाता संख्या अथवा प्रपत्र 60 प्रस्तुत करने की तिथि के रूप में अधिसूचित किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आधार संख्या को बैंक खातों से जोड़ने के संबंध में छूट देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है।

(घ) रिट याचिका (सिविल) संख्या 494/2012 में उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 13.03.2018 को आदेश दिया है कि आधार को नये बैंक खातों से जोड़ने की प्रक्रिया को पूर्ण करने की अंतिम तिथि को 31 मार्च, 2018 से तब तक बढ़ा दिया जाए जब तक मामले पर अंतिम रूप से सुनवाई और निर्णय की घोषणा न हो जाए।

(ङ) 21 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, जिनमें उनके प्रायोजक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंक) शामिल हैं, और 24 निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 10,989.07 लाख प्रचालित चालू बैंक खाते और बचत बैंक खाते (सी.ए.एस.ए.) (छोटे खातों और असम, मेघालय और जम्मू और कश्मीर के राज्यों में खातों को छोड़कर) हैं, जिनमें से 8,865.02 लाख बैंक खातों में आधार को जोड़ा गया है।

आर.बी.एस.के.

4798. **श्री राजीव सातव:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

श्री पी.आर. सुन्दरम:

श्री धनंजय महाडीक:

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

डॉ. जे. जयवर्धन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में नई बाल स्वास्थ्य जांच और आरंभिक अन्त:क्षेप सेवा अर्थात् राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक राज्यों द्वारा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आवंटित/जारी/उपयोग की गई है;

(घ) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केन्द्रों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने आरंभिक अन्त:क्षेप केन्द्र स्थापित किए गए हैं;

(ङ) कार्यक्रम की नियमित निगरानी हेतु सरकार द्वारा क्या तंत्र स्थापित किया गया है ताकि इसकी प्रभावकारिता का पता लगाया जा सके और उक्त कार्यक्रम की उपलब्धियां क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि देशभर के जिला अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र प्रौद्योगिकी और दवाइयों से पूर्ण रूप से सुसज्जित हों ताकि जन्म संबंधी त्रुटियों, कमियों और रोगों का उपचार किया जा सके?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत भारत सरकार 30 चुनी हुई स्वास्थ्य स्थितियों के लिए विशेष रोगों सहित दोषों, कमियों, विकास, विलंब हेतु स्कूली बच्चों सहित 0-18 वर्ष के सभी बच्चों की जांच के लिए 2013 से राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.) कार्यान्वित कर रही है।

बाल स्वास्थ्य जांच सेवाएं प्रत्येक ब्लॉक में तैनात कार्य समर्पित मोबाइल स्वास्थ्य दलों के माध्यम से दी जा रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार में पंजीकृत एवं पहली कक्षा से बारहवीं कक्षा के सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पंजीकृत बच्चों की वर्ष में एक बार जांच की जाती है। ये दल 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों की जांच आंगनबाड़ी केंद्रों में वर्ष में दो बार करते है।

स्वास्थ्य स्थितियों के साथ निर्धारित बच्चों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शल्य चिकित्सा सहित नि:शुल्क उपचार दिया जाता है।

देश में 92 जिला आरंभिक अन्त:क्षेप केन्द्र प्रचालन में है। इनके राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत रिपोर्टों की तिमाही समीक्षा, क्षेत्रगत दरों और राज्य नोडल अधिकारियों के साथ आवधिक बैठकों के माध्यम से कार्यक्रम की नियमित निगरानी की जाती है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अंतर्गत भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उपस्करों जनशक्ति, प्रशिक्षण, औषधियों के लिए उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना पी.आई.पी. में दी गई आवश्यकता के आधार पर उनकी स्वास्थ्य प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए सहायता देती है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय आबंटन एवं किए गए व्यय का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यरत आर.बी.एस.के.-डी.ई.आई.सी.

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	चालू डी.ई.आई.सी. की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	0
2.	छत्तीसगढ़	0
3.	हिमाचल प्रदेश	0
4.	जम्मू और कश्मीर	9
5.	झारखंड	0
6.	मध्य प्रदेश	2
7.	ओडिशा	6
8.	राजस्थान	0
9.	उत्तर प्रदेश	0
10.	उत्तराखंड	1
11.	अरुणाचल प्रदेश	0
12.	असम	0
13.	मणिपुर	0
14.	मेघालय	0
15.	मिजोरम	2
16.	नागालैंड	0
17.	सिक्किम	1
18.	त्रिपुरा	0
19.	आंध्र प्रदेश	13
20.	तेलंगाना	0
21.	गोवा	1
22.	गुजरात	11
23.	हरियाणा	21
24.	कर्नाटक	0
25.	केरल	14
26.	महाराष्ट्र	8
27.	पंजाब	0
28.	तमिलनाडु	0
29.	पश्चिम बंगाल	1
30.	*अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0
31.	चंडीगढ़	1
32.	दादरा और नगर हवेली	1

1	2	3
33.	दमन	0
34.	दिल्ली	0
35.	लक्षद्वीप	0
36.	पुदुचेरी	0
	भारत	92

विवरण-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार वित्तीय आबंटन एवं उपयोग, आर.बी.एस.के.

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15, मार्च, 2015 तक		2015-16, मार्च, 2016 तक		2016-17, मार्च, 2017 तक		2017-18, दिसम्बर, 2017 तक	
		अनुमोदन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)	अनुमोदन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)	अनुमोदन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)	अनुमोदन (लाख रु. में)	उपयोग (लाख रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार	5850.13	9.92	8739.89	5,715.06	9337.41	7133.06	10,527.98	3,862.34
2.	छत्तीसगढ़	3507.36	1641.46	3880.9	2,481.44	5229.10	3202.34	5,605.38	2,050.25
3.	हिमाचल प्रदेश	927.2	543.86	1688.38	442.33	2435.57	1350.75	2,401.82	947.63
4.	जम्मू और कश्मीर	4459.11	1411.83	4656.04	3,857.37	4272.28	3605.88	4,844.56	2,785.58
5.	झारखंड	3500.73	0	2792.19	518.24	1755.88	600.38	3,835.75	471.27
6.	मध्य प्रदेश	8518.67	3925.12	13354.13	8,200.59	14526.32	9042.58	12,764.38	7,977.52
7.	ओडिशा	7248.75	3957.82	8307.39	6,302.50	7651.66	7022.39	8,128.63	4,850.20
8.	राजस्थान	2427.77	9.6	6871.45	547.37	5839.08	3534.44	6,843.08	3,036.73
9.	उत्तर प्रदेश	19793.59	14881.12	24709.61	18,602.70	27454.25	20518.50	26,285.86	12,439.31
10.	उत्तराखंड	3523.09	2088.81	3390.78	2,933.50	3410.24	3022.17	3,188.94	912.58
11.	अरुणाचल प्रदेश	709.5	112.94	750.75	600.03	738.69	395.66	1,037.36	324.88
12.	असम	7764.47	1507.69	6944.39	3,949.67	8059.36	5036.46	7,869.22	3,094.80
13.	मणिपुर	854.99	78.57	1745.97	374.06	1912.27	416.55	947.60	533.80
14.	मेघालय	1092.03	87.53	1110.11	995.85	1168.88	744.78	1,407.82	667.03
15.	मिजोरम	621.97	271.02	924.34	411.42	964.04	382.31	1,086.84	356.51
16.	नागालैंड	458.82	115.34	439.73	119.99	512.63	205.04	583.54	20.45
17.	सिक्किम	151.54	65.15	268.7	103.18	248.39	72.90	263.97	38.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	त्रिपुरा	324.77	55.73	604.66	213.78	660.06	290.54	558.87	363.33
19.	आंध्र प्रदेश	5197.92	423.9	3789.36	810.60	7382.99	395.66	6,804.34	463.29
20.	तेलंगाना	3189.78	0	4184.78	311.35	3356.00	2447.01	5,261.30	1,097.94
21.	गोवा	293.76	116.12	312.69	163.20	272.97	144.87	265.90	126.05
22.	गुजरात	7790.62	2863.75	9072.04	6,542.49	13229.55	12285.10	22,284.63	7,565.65
23.	हरियाणा	3801.79	2028.18	3203.92	2,921.99	2932.25	2215.30	3,423.90	1,900.53
24.	कर्नाटक	6460.84	3308.2	5991.94	4,513.89	6322.47	5306.68	7,982.87	5,321.68
25.	केरल	4195.54	751.79	4097.35	3,367.51	4031.09	4329.13	5,998.97	3,302.03
26.	महाराष्ट्र	15145.68	7157.76	12799.26	9,712.71	16626.38	9406.18	15,902.98	11,317.84
27.	पंजाब	3782.49	591.04	3749.24	3,194.15	3401.51	2786.25	3,426.59	1,599.63
28.	तमिलनाडु	4715.59	0	4389.05	2,418.02	8772.83	8469.27	9,628.06	4,898.79
29.	पश्चिम बंगाल	11346.21	4682.81	11799.49	8,682.96	10653.77	10833.53	10,090.08	6,132.04
30.	*अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	154.05		208.29	45.66	189.84	90.13	172.57	39.05
31.	चंडीगढ़	171.11	121.31	207.63	0.00	163.66	0.00	173.93	83.89
32.	दादरा और नगर हवेली	205.84	0	201.55	120.08	222.03	105.31	155.59	77.83
33.	दमन	102.26	91.3	114.09	39.26	102.83	51.14	117.31	29.08
34.	दिल्ली	19.92	0		0.00	973.04	0.00	2,421.86	0.00
35.	लक्षद्वीप	18.8	0.45	25.4	1.91	26.17	0.48	23.70	0.00
36.	पुदुचेरी	81.58		86.18	55.04	121.06	75.37	109.51	40.76
	भारत	1384.08 करोड़	529 करोड़	1554.12 करोड़	992.7 करोड़	1749.57 करोड़	1255.18 करोड़	1924.26 करोड़	887.28 करोड़

एन.एफ.आर.ए.

4799. श्री एस.आर. विजय कुमार:

प्रो. साधु सिंह:

श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी:

श्री टी. राधाकृष्णन:

डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़:

श्री बलका सुमन:

श्रीमती कविता कलवकुंतला:

कुँवर हरिवंश सिंह:

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

श्रीमती अंजू बाला:

श्री विद्युत वरण महतो:

श्री तेज प्रताप सिंह यादव:

श्री गजानन कीर्तिकर:

श्री नारणभाई काछड़िया:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश से भागने वाले भगोड़े आर्थिक अपराधियों को लक्षित करने और सनधि लेखाकारों (सी.ए.) और ऑडिट फर्मों हेतु विनियम बनाने के लिए राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन.एफ.आर.ए.) की स्थापना करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एन.एफ.आर.ए. के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) भारतीय सनधि लेखाकार संस्थान में कितने मामले लंबित हैं;

(ग) क्या कम्पनी अधिनियम में एन.एफ.आर.ए. का प्रावधान है और यदि हां, तो इसे अब तक अधिसूचित नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या भारत एकमात्र ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था है जहां संपरीक्षा व्यवसाय को अभी भी स्वनियमित माना जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) एन.एफ.आर.ए. के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं और सी.ए. की कमियों का लगाने और उन पर सख्त कार्रवाई करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 132 की उप-धारा (2) के अनुसार राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण (एन.एफ.आर.ए.) द्वारा निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:-

(i) कंपनियों या कंपनी की श्रेणियों या उनके लेखा परीक्षकों, जैसा भी मामला हो, द्वारा पालन किए जाने हेतु लेखांकन और लेखा परीक्षा नीतियां और मानक तैयार करना और कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश करना;

(ii) लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों में विहित रीति अनुसार, अनुपालन की निगरानी और प्रवर्तन करना;

(iii) ऐसे मानकों के अनुपालन की सुनिश्चितता से जुड़े हुए व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता का पर्यवेक्षण करना और सेवा की गुणवत्ता और ऐसे अन्य संबंधित मामले, जैसा कि मानकों में विहित हो, को बेहतर बनाने के लिए अपेक्षित उपाय सुझाना; और

(iv) खंड (i), (ii) और (iii) से संबंधित ऐसे अन्य कार्य करना, जैसे कि विहित किए जाएं।

उक्त धारा की उप-धारा (4) के अनुसार, एन.एफ.आर.ए. के पास किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट सदस्य या किसी फर्म द्वारा किए गए व्यावसायिक या अन्य कदाचार की जांच करने और व्यावसायिक या अन्य कदाचार प्रमाणित होने पर उस सदस्य या फर्म, जैसा भी मामला हो, पर आर्थिक जुर्माना लगाने और प्रैक्टिस से बहिष्कृत करने का अधिकार होगा।

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 12.03.2018 तक 283 मामले आवर्तक प्रक्रिया संबंधी स्तरों पर लंबित हैं, 654 मामले प्रथम दृष्टया मत स्तर पर हैं, 313 मामले अनुशासन बोर्ड और/या अनुशासनिक समिति के समक्ष रखे जाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और ऐसे 397 मामले ऐसे हैं जिनमें प्रतिवादी, अनुशासन बोर्ड और या अनुशासनिक समिति द्वारा प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए हैं।

कंपनी अधिनियम, 2013, जिसे कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 के अधीन संशोधित किया गया था, कि धारा 141 के अनुसार, किसी कंपनी या उसकी नियंत्री कंपनी या उसकी अनुषंगी कंपनी में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से धारा 144 में संदर्भित किसी प्रकार की सेवा करने वाला व्यक्ति किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

वित्त मंत्रालय के अधीन आर्थिक कार्य विभाग ने यह सूचित किया है कि आर्थिक अपराधियों सहित, बड़े अपराधियों द्वारा कानून की पहुंच से बचने के लिए देश से फरार होने के दृष्टांत देखे गए हैं और तद्नुसार सरकार ने 12 मार्च, 2018 को लोक सभा में भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक, 2018 ("विधेयक") रखा है। इस विधेयक से भगोड़ा आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर रह कर भारतीय कानून की प्रक्रिया से बचने से रोका जा सकता है। इस विधेयक में अन्य बातों के साथ-साथ भगोड़ा आर्थिक अपराधियों को भारतीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में उपस्थित करने के विचार से, भगोड़ा आर्थिक अपराधियों के अपराध से प्राप्त आय और संपत्तियों की शोध जब्ती का प्रावधान है।

प्लास्टिक का उपयोग

4800. **श्री फिरोज वरुण गांधी:**

श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया:

श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू:

डॉ. अंशुल वर्मा:

श्री विनसेंट एच पाला:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अवक्रमणीय प्लास्टिक के विनिर्माण और उपयोग हेतु मानदंड निर्धारित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्लास्टिक का बढ़ता विनिर्माण, आयात और अंधाधुंध उपयोग पर्यावरणीय अवक्रमण का प्रमुख कारण है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्लास्टिक के उपयोग से हुए नुकसान के संबंध में कोई अध्ययन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में पैकेटबंद वस्तुओं में गैर-अवक्रमणीय प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग हो रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों में प्लास्टिक अवशिष्ट की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने गैर-अवक्रमणीय प्लास्टिक बैगों के उपयोग या निपटारे पर प्रतिबंध लगाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) सरकार ने अवक्रमणीय प्लास्टिक को परिभाषित करते हुए प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 अधिसूचित किया है। इन नियमों के अनुसार, 50 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग निषिद्ध है। तथापि, अवक्रमणीय प्लास्टिक से बने कैरी बैगों पर मानदण्ड लागू नहीं होता है। इसको अतिरिक्त, अवक्रमणीय प्लास्टिक से बने कैरी बैग अवक्रमणीय प्लास्टिक के लिए विनिर्देशनों शीर्षक वाले भारतीय मानक: आईएस 17088:2008 के अनुरूप होने चाहिए। अवक्रमणीय प्लास्टिक कैरी बैगों के विनिर्माताओं या विक्रेताओं को अवक्रमणीय प्लास्टिक के विपणन या विक्रय से पहले केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से एक प्रमाण-पत्र प्राप्त करना होता है।

(ख) इन नियमों के अनुसार, अपशिष्ट सृजकों के लिए यह अनिवार्य है कि वे प्लास्टिक के न्यूनतम सृजन, प्लास्टिक अपशिष्ट को बिखेरने से रोकने, स्रोत पर पृथक किए गए अपशिष्ट का भंडारण सुनिश्चित करने और स्थानीय निकायों या स्थानीय निकायों द्वारा प्राधिकृत एजेंसियों को पृथक किए गए अपशिष्ट का सौंपा जाना सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएं। इन नियमों में प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन का दायित्व स्थानीय निकायों, ग्राम पंचायतों, अपशिष्ट सृजकों, रिटेलरों और फेरीवालों को दिया गया है। इन नियमों में, अन्य बातों के साथ-साथ उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वे विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के आधार पर अपशिष्ट संग्रह प्रणाली हेतु तौर-तरीकों का निर्धारित करें।

(ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड द्वारा प्रायोजित एक अध्ययन में पाया गया कि भारी धातुएं, क्लोराइट, पैथालेट आदि प्लास्टिक अपशिष्ट से निकलकर आस-पास के वातावरण में चले जाते हैं क्योंकि इनमें सचल रूप में और रिसाव की अवस्था में असीमित रसायन हो सकते हैं।

(घ) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 में खाद्य पदार्थों, औषधों और पेयजल को पैक करने के लिए कैरी बैग, पैकेजिंग सामग्री आदि के प्रयोग के लिए पैकेजिंग मानदण्ड विनिर्दिष्ट किए गए हैं। पैकेजिंग सामग्री के चयन के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की दृष्टि से अलग-अलग मानदण्ड नहीं हैं। इन नियमों में प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि वह अपने नियंत्राधीन ग्रामीण क्षेत्र के अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था, उसका संचालन और समन्वय करे। ग्राम पंचायत के लिए यह जरूरी है कि वह प्लास्टिक अपशिष्ट का पृथक्कीकरण एकत्रण, भंडारण, ढुलाई तथा पुन:चक्रण-योग्य अपशिष्ट प्लास्टिक को पुन:चक्रणकर्ताओं को भेजा जाना तथा सभी पक्षों के मध्य उनके उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना सुनिश्चित करे।

(ङ) इन नियमों के अनुसार, 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक थैलियों का प्रयोग निषिद्ध है हालांकि, कई राज्य सरकारों और स्थानीय निकायों ने प्लास्टिक के बिखराव को रोकने के लिए

प्लास्टिक कैरी बैगों की मोटाई पर ध्यान दिए बिना उनका प्रयोग निषिद्ध कर रखा है।

हरियाली हेतु अच्छा कार्य अभियान

4801. **श्री दीपक अधिकारी (देव):**

श्री भोला सिंह:

श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:

श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हरियाली हेतु अच्छे कार्य नामक अभियान शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) उक्त अभियान के अंतर्गत किन गतिविधियों को शुरू किया जाना है और जमीनी स्तर पर इसके राज्य-वार विशेषकर उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार एजेंसियों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या सरकार इस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु राज्यों से सहयोग कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) पर्यावरणीय मामलों के बारे में नागरिकों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हरियाली हेतु अच्छे कार्य (जी.जी.डी.) नामक एक अभियान शुरू किया है। हरियाली हेतु अच्छे कार्यों में पर्यावरण सुरक्षा और संरक्षण नामत: जैव-विविधता, वन्यजीव, प्रदूषण, नवीकरणीय ऊर्जा, नदियों और झीलों का संरक्षण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है।

(ग) से (ङ) हरियाली हेतु अच्छे कार्य (जी.जी.डी.) अभियान के अन्तर्गत शुरू किए गए क्रियाकलापों में पारि-शिविरों, जो इस समय पूरे देश में 90000 हैं, का कार्यान्वयन शामिल है। इसके अतिरिक्त, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की नोडल एजेंसियों के समन्वय से ये पारि-शिविर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम गतिविधियां भी शुरू करते हैं। "दिल्ली के लिए स्वच्छ वायु अभियान" के भाग के रूप में रेडियो, वीडियो और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जी.जी.डी. का प्रचार किया गया।

[हिंदी]

बाल कल्याण हेतु योजनाएं

4802. **श्री निहाल चन्द:**

श्री सदाशिव लोखंडे:

श्री अजय निषाद:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास अनाथ/बेसहारा/उपेक्षित और कठिन दशा में रहने वाले बच्चों के बारे में आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उनकी सुरक्षा, रोजगार और शिक्षा/उच्चतर शिक्षा सहित उक्त बच्चों के कल्याण हेतु कोई योजना कार्यान्वित की है और यदि हां, तो उक्त योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इसके अन्तर्गत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार और योजना-वार कितनी निधि आबंटित/जारी और उपयोग की गई है;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त योजना की समीक्षा की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण रहे हैं; और

(घ) सरकार द्वारा योजनाओं को और उपयोगी बनाने के लिए उनकी सख्त निगरानी हेतु और क्या उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में अनाथ/निराश्रित/उपेक्षित तथा कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चों की संख्या के बारे में आंकड़े नहीं रखता है। तथापि केंद्र सरकार ने कानून का उल्लंघ्ज्ञन करने वाले बच्चों (सी.सी.एल.) तथा देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सी.एन.सी.पी.) के लिए किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 पुन: अधिनियमित किया है। सी.एन.सी.पी. श्रेणी में अनाथ/निराश्रित/उपेक्षित तथा कठिन परिस्थितियों के शिकार बच्चे शामिल हैं। जेजे अधिनियम के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। तथापि केंद्र सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए तथा अनाथ/निराश्रित/उपेक्षित बच्चों सहित देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों के समग्र विकास हेतु सुरक्षित एवं निरापद परिवेश

का सृजन करने के उद्देश्य से हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (अब बाल संरक्षण सेवा) नामक एक स्कीम चला रही है। इनमें बाल गृहों में नियोजन, यदि उक्त बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई परिवार नहीं है या प्रायोजक सहायता शामिल है यदि बच्चा अपने परिवार के साथ रह रहा है (शिक्षा आदि के लिए वित्तीय सहायता) ताकि सुनिश्चित हो कि उनकी शिक्षा अबाध ढंग से जारी रह सके। आई.सी.पी.एस. के तहत देखरेख पश्चात सेवा के रूप में 18 वर्ष से अधिक तथा 21 वर्ष तक के बच्चों सहित विभिन्न बच्चों के लिए हिस्सेदारी के आधार पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता दी जाती है ताकि स्वतंत्र जीवन के लिए संस्था से पारगमन के दौरान उनकी मदद की जा सके। सेवाओं में आवास की सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार पाने में सहायता, काउंसलिंग तथा स्टाइपेंड आदि शामिल है।

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार आज तक की स्थिति के अनुसार देश में किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000/2015 के तहत पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) तथा इन संस्थाओं में रह रहे बच्चों की संख्या और समेकित बाल संरक्षण योजना (आई.सी.पी.एस.) (अब बाल संरक्षण सेवा) के तहत सहायता पाने वाली संस्थाओं का ब्यौरा विवरण-I के रूप में संलग्न है। धारा 41 यह भी अपेक्षा करती है कि देखरेख एवं संरक्षण के जरूरतमंद बच्चों (सी.एन.सी.पी.) या कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सी.सी.एल.) को रखने वाले सभी सी.सी.आई. का राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के तहत पंजीकरण कराया जाएगा। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में अनाथालयों में बच्चों के शोषण पर तमिलनाडु राज्य बनाम भारत संघ एवं अन्य के संबंध में 2007 की रिट याचिका संख्या 102 में विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने सूचित किया है कि 16.03.2018 तक सी.सी.आई. (पंजीकृत अथवा गैर-पंजीकृत) की कुल संख्या 8631 है तथा इन गृहों में रहने वाले बच्चों की कुल संख्या 261566 है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान (निपसिड) नामक स्वायत्त संस्थाने कक्षा 9 से 12 में पढ़ने वाले अनाथ या निराश्रित बच्चों सहित सी.सी.आई. में रहने वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय बाल निधि (एन.सी.एफ.) के माध्यम से उन्नति योजना शुरू की है। इसके तहत अच्छे निष्पादन वाले बच्चे यह छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति तथा पिछली कक्षा की अंतिम परीक्षा में न्यूनतम 55 प्रतिशत अंक पाने वाले बच्चों पर कक्षा 9 से 12 की प्रत्येक कक्षा के लिए 100 छात्रों की योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाता है। उन्नति योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार बच्चे को अपनी शिक्षा के लिए किसी अन्य स्रोत से नियमित आधार पर कोई सहायता प्राप्त नहीं होनी चाहिए तथा किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में उसका आधार से जुड़ा बचत बैंक खाता होना चाहिए। छात्रवृत्ति की कुल राशि में से 50 प्रतिशत छात्राओं के लिए निर्धारित है।

पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष तथा वर्तमान वष के दौरान आई.सी.पी.एस. (अब बाल संरक्षण सेवा) के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी एवं संस्वीकृत की गई तथा उनके द्वारा प्रयुक्त की गई निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा विवरण-III के रूप में संलग्न है।

(ग) जी, हां। आई.सी.पी.एस. (अब बाल संरक्षण सेवा) के तहत वित्तीय मानदंडों को 01 अप्रैल, 2014 से संशोधित किया गया है। संशोधित योजना की प्रमुख विशेषताओं में गृहों में बच्चों के लिए अनुरक्षण अनुदान में वृद्धि शामिल है जिसे 750 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह किया गया है। इसे 16.11.2017 से और बढ़ाकर 2160 रुपये प्रति बच्चा प्रतिमाह कर दिया गया है।

(घ) जेजे अधिनियम की धारा 54 के अनुसार सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने राज्य एवं जिला के लिए निरीक्षण समिति का गठन किया है। इसके अलावा धारा 54(2) के अनुसार ऐसी निरीक्षण समितियां अनिवार्य रूप से आबंटित क्षेत्र में बच्चों को रखने वाली सभी सुविधाओं का 3 माह में कम से कम एक बार कम से कम 3 सदस्यों वाली टीम के माध्यम से दौरा करेगी, जिसमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए तथा एक चिकित्सा अधिकारी होगा और अपने दौरे के एक सप्ताह के अंदर ऐसे दौरे के निष्कर्षों की रिपोर्ट यथा स्थिति जिला बाल संरक्षण यूनिट या राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत करेगी। और धारा 54(3) के अनुसार निरीक्षण समिति द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने पर जिला बाल संरक्षण यूनिट अथवा राज्य सरकार द्वारा 1 माह के अंदर उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी और राज्य सरकार को अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

विवरण-I

आज तक की स्थिति के अनुसार आई.सी.पी.एस. के अंतर्गत बाल देखरेख संस्थानों में रह रहे बच्चों की संख्या सहित देश में बाल देखरेख संस्थाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य	संस्थागत देखरेख (गृह)		खुले आश्रय गृह		विशेषकीकृत दत्तकग्रण एजेंसी	
		सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी	सहायता प्राप्त की संख्या	लाभार्थी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	73	4439	12	300	14	135
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	62	0	0	1	3
3.	असम	36	1128	3	75	14	78
4.	बिहार	54	1929	14	216	28	170
5.	छत्तीसगढ़	76	2172	19	127	14	42
6.	गोवा	21	1015	8	200	2	46
7.	गुजरात	54	2166	3	75	14	163
8.	हरियाणा	33	1630	25	1541	7	48
9.	हिमाचल प्रदेश	30	1187	3	44	1	6
10.	जम्मू और कश्मीर	22	1141	0	0	2	20
11.	झारखंड	36	1448	5	125	15	217
12.	कर्नाटक	80	3131	40	1194	28	255
13.	केरल	31	708	4	103	17	95
14.	मध्य प्रदेश	61	2249	6	206	22	213
15.	महाराष्ट्र	77	6155	3	108	17	181
16.	मणिपुर	34	993	12	247	5	35
17.	मेघालय	54	1351	4	181	6	7
18.	मिजोरम	45	1300	0	0	7	51
19.	नागालैंड	41	495	3	37	4	7
20.	ओडिशा	110	7233	13	341	17	217
21.	पंजाब	17	511	1	25	5	107

1	2	3	4	5	6	7	8
22.	राजस्थान	91	2883	23	405	12	40
23.	सिक्किम	18	540	4	52	4	6
24.	तमिलनाडु	193	14055	14	350	15	150
25.	त्रिपुरा	20	500	2	52	6	48
26.	उत्तर प्रदेश	81	2497	22	550	17	170
27.	उत्तराखंड	20	318	2	36	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	66	5890	33	850	22	273
29.	तेलंगाना	56	3014	12	246	11	309
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8	367	-	0	-	0
31.	चंडीगढ़	8	326	0	0	4	17
32.	दादरा और नगर हवेली	-	0	-	0	-	0
33.	दमन और दीव	2	100	-	0	-	0
34.	लक्षद्वीप	-	0	-	0	-	0
35.	दिल्ली	28	1479	13	415	3	60
36.	पुदुचेरी	29	1166	2	47	2	13
	कुल	1620	75578	305	8148	336	3182

विवरण-II

अनाथालयों में बालकों के शोषण के संबंध में तमिलनाडु बनाम भारत संघ एवं अन्य की 2007 की रिट याचिका संख्या 102 के संबंध में दिनांक 16.03.2018 तक की स्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	राज्य	पंजीकृत	प्रकियाधीन	अस्थाई पंजीकृत	अपंजीकृत	अन्य	कोर्ट केस	कुल	रिपोर्ट किए गए बच्चों की कुल संख्या	दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	16	0	0	0	0	0	16	486	07/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या -226 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या -260
2.	आंध्र प्रदेश	824	0	0	49	0	0	873	30681	11/01/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में पंजीकृत बच्चों की संख्या - 30091 • बाल देखरेख संस्थाओं में अपंजीकृत बच्चों की संख्या - 590
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	0	0	0	0	0	7	155	20/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या-87 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या-68
4.	असम	110	47	0	4	0	0	161	3480	21/02/2018	• अनुदान न मिलने वाले गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1213 • आईसीपीएस के तहत अनुदान प्राप्त गैर सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• अनुदान प्राप्त खुले आश्रय गृहों में बच्चो की संख्या: 45 • अनुदान प्राप्त विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों में बच्चों की संख्या: 103 • सरकार द्वारा चलाए जा रहे बाल/प्रेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 222 • नए बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों के रहने की क्षमता 781
5.	बिहार	79	6	0	0	0	0	85	2259	21/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं के पेक्षण गृहों में बच्चों की संख्या: 786 • बाल देखरेख संस्थाओं के विशेषीकृत गृहों बच्चों की संख्या: 16 • बाल देखरेख संस्थाओं के विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसी में बच्चों की संख्या: 217 • बाल देखरेख संस्थाओं के बाल गृहों में बच्चों की संख्या: 1039 • बाल देखरेख संस्थाओं के खुले आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 201
6.	चंडीगढ़	10	0	0	0	0	0	10	295	22/02/2018	
7.	छत्तीसगढ़	77	0	8	0	0	0	85	2426	19/02/2018	• 31 जनवरी, 2018 को बच्चों की वास्तविक संख्या
8.	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	26/12/2017	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	26/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता

10.	दिल्ली	65	31	0	0	0	0	96	3177	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 2400 • प्रक्रियाधीन बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 777
11.	गोवा	67	12	0	0	0	0	79	3788	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 3234 • अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 554
12.	गुजरात	125	0	0	0	0	0	125	3324	16/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 2035 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1289
13.	हरियाणा	65	3	0	0	0	0	68	2551	22/02/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 2384 • अस्थाई पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 20 • विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किए बच्चों की संख्या: 52 • समापनाधीन बच्चों की संख्या: 15 • पंजीकरण के लिए मूल्यालय में प्रक्रियाधीन बच्चों की संख्या: 80 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1149 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 1149

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	हिमाचल प्रदेश	46	0	0	0	0	0	46	1494	20/02/2018	
15.	जम्मू और कश्मीर	58	0	0	0	0	0	58	1798	22/02/2018	
16.	झारखंड	114	0	0	0	0	0	114	2856	22/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 1658 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 1198
17.	कर्नाटक	918	50	282	0	0	0	1250	37014	02/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की कुल संख्या: 21349 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की कुल संख्या: 15665
18.	केरल	371	109	0	0	709	0	1189	14577	11/01/2018	• पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 9934 • संस्तुत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 141 • अस्थाई पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 26 • उन बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या जिनके पंजीकरण किए जाने अपेक्षित हैं: 58 • बाल देखरेख संस्थाओं के पंजीकरण में नए आवेदनों में बच्चों की संख्या: 162 • 2015-16 में 9 बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 625

											• 2016-17 में 8 बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 295 • 2017-18 में बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 1554 (आवेदन प्राप्त, रिपोर्ट नहीं भेजी गई) • प्रस्तुत किए आवेदनों में बच्चों की संख्या: 269 • लंबित आवेदनों में बच्चों की संख्या: 327 • बाल रेखरेख संस्थाओं में ऐसे बच्चों की संख्या जिनके आवेदन 03.01.2018 को पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए : 9 • बाल रेखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 375 • 20 बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 680 • जेजे पंजीकरण आवेदन वापिस लेने के लिए बाल देखरेख संस्थाओं के अनुरोध में बच्चों की संख्या: 122
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	07/03/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं की अनुपलब्धता
20.	मध्य प्रदेश	121	0	0	0	0	0	121	2797	11/01/2018	
21.	महाराष्ट्र	749	104	0	0	0	0	853	22946	05/03/2018	
22.	मणिपुर	116	13	0	0	0	0	129	1942	12/03/2018	• आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित बाल गृहों और खुले आश्रय गृहों में बच्चों की कुल संख्या: 1196 • आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित प्रेक्षण गृहों में बच्चों की कुल संख्या: 36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित विशेषीकृत दत्तकग्रहण एजेंसियों में बच्चों की संख्या: 45 • आईसीपीएस के तहत वित्त पोषित और गैर वित्त पोषित एवं जेजे अधिनियम में पंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं में बच्चों की संख्या: 665
23.	मेघालय#	108	0	0	8	6	0	122	2464	26/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 1337 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 1127
24.	मिजोरम	52	0	0	0	0	0	52	1079	23/01/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 437 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 642
25.	नागालैंड	71	0	0	0	0	0	71	765	14/02/2018	
26.	ओडिशा	308	0	0	3	0	0	311	13398	11/01/2018	
27.	पुदुचेरी	67	1	0	0	0	0	68	1969	13/02/2018	
28.	पंजाब	74	0	0	0	0	0	74	2890	13/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 1665 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 1225
29.	राजस्थान	170	19	0	0	0	0	189	4503	27/02/2018	
30.	सिक्किम	27	0	0	0	0	0	27	612	09/02/2018	

31. तमिलनाडु	1296	0	0	0	0	4	1300	62023	11/01/2018	
32. तेलंगाना @	455	6	0	0	48	0	509	16904	23/02/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 8540 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 8364
33. त्रिपुरा	39	0	0	0	0	0	39	770	17/02/2018	
34. उत्तर प्रदेश	231	0	0	0	0	0	231	5140	22/02/2018	• सरकारी प्रेक्षण गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 1737 • सरकारी प्रेक्षण गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 41 • सरकारी बाल गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 393 • सुरक्षित स्थान में बच्चों की कुल संख्या: 10 • सरकारी विशेष गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 5 • सरकारी विशेष गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 244 • सरकारी देखरेख पश्चात् गृहों में लड़कियों की कुल संख्या: 237 • सरकारी देखरेख पश्चात् गृहों में लड़कों की कुल संख्या: 34 • सरकारी बाल गृहों में बच्चों की कुल संख्या (0-10): 127 • बाल गृहों में लड़कों की संख्या: 710 • बाल गृहों में लड़कियों की संख्या: 716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											• बाल गृहों में बच्चों की संख्या (0-10 वर्ष): 380 • आश्रय गृहों/डॉप-इन आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 72 • खुले आश्रय गृहों में बच्चों की संख्या: 434
35.	उत्तराखंड	45	0	0	0	0	0	45	1045	27/01/2018	• बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कों की संख्या: 534 • बाल देखरेख संस्थाओं में लड़कियों की संख्या: 511
36.	पश्चिम बंगाल	228	0	0	0	0	0	228	9958	19/02/2018	• गृहों की गैर-पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 5085 • गृहों की पीएबी सूची में बच्चों की संख्या: 4873
	कुल	7109	401	290	64	763	4	8631	261566		

●केरल राज्य ने अपंजीकृत बाल देखरेख संस्थाओं के बारे में सूचना प्रदान नहीं की है तथापि, उन्होंने बताया है कि अनाथालय नियंत्रण बोर्ड के नियंत्रणाधीन 1189 अनाथालय चलाए जा रहे हैं।

@तेलंगाना राज्य ने सूचित किया है कि 48 देखरेख संस्थाओं को बंद कर दिया गया है।

मेघालय ने सूचित किया है कि 6 बाल देखरेख संस्थाओं ने अपना पंजीकरण वापस ले लिया है, क्योंकि उनकी संस्थाएं हॉस्टलों के रूप में कार्य कर रही हैं।

नोट: बाल देखरेख संस्थाओं की कुल संख्या में बाल गृह, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थल, विशेषीकृत दत्तकग्रहण अभिकरण और खुले आश्रय गृह शामिल है। बच्चों की कुल संख्या में देखरेख और संरक्षण के जरूरत मंद बच्चे तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे शामिल है।

विवरण-III

आज तक की स्थिति के अनुसार वित्तीय वर्ष 2014-15, 2015-16 और 2016-17 तथा वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त निधि एवं उपयोग की गई निधि का ब्यौरा

समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.) के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान एवं उपयोग की गई निधि की स्थिति (रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य का नाम	2014-15		2015-16		2016-17		2017-18
		निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि	उपयोग की गई राशि	निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	301.62	275.24	238.58	500.52	110.74	586.32	1469.88
2.	अरुणाचल प्रदेश	130.68	84.17	571.68	92.02	52.29	179.54	643.71
3.	असम	1010.36	1332.49	597.90	1025.07	413.64	1112.98	2932.68
4.	बिहार	204.75	1721.6	2687.89	1896.52	2787.92	1923.33	541.56
5.	छत्तीसगढ़	821.24	1620.47	3955.55	2086.26	527.77	1683.25	2650.97
6.	गोवा	100	240.11	235.25	39.68	36.83	98.27	728.53
7.	गुजरात	1925.75	1404.29	2328.90	1510.37	769.95	1526.53	590.11
8.	हरियाणा	1526.72	678.15	496.44	350.89	0.00	1224.85	315.11
9.	हिमाचल प्रदेश	835.71	228.25	604.04	1255.12	2345.48	2390.26	1835.01
10.	जम्मू और कश्मीर	0	0	113.35	0.00	43.12	114.71	624.24
11.	झारखंड	36.03	87.32	369.88	387.42	840.11	842.14	1714.57
12.	कर्नाटक	3689.87	3747.81	1845.24	2193.66	3720.80	3709.53	3272.45
13.	केरल	1354.35	1340.3	944.39	660.25	260.50	216.96	1849.45
14.	मध्य प्रदेश	1889.69	2096.53	1116.03	2373.81	2503.88	2535.83	3262.77
15.	महाराष्ट्र	762.32	762.32	3138.75	1975.29	2272.33	1569.37	383.99
16.	मणिपुर	138.48	1986.84	3082.18	1163.81	241.34	709.47	1536.33
17.	मेघालय	2003.83	1975.5	1469.55	1497.88	2060.33	2060.33	1846.60
18.	मिजोरम	1919.02	1919.02	2079.44	2079.44	1949.55	1949.55	1917.51
19.	नागालैंड	957.41	1662.7	2257.65	1473.21	1350.37	1447.50	1457.45
20.	ओडिशा	2544.82	1786.31	3309.07	2669.74	1089.22	2580.78	1655.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21.	पंजाब	507.12	570.61	820.81	515.57	581.67	718.31	143.24
22.	राजस्थान	3395.82	3654.4	3258.92	2929.43	0.00	2267.52	4752.30
23.	सिक्किम	390.24	413.88	562.00	303.74	601.18	365.87	662.76
24.	तमिलनाडु	3067.10	2804.89	825.04	4282.78	13039.37	3648.55	2013.12
25.	तेलंगाना	2087.59	203.53	354.88	93.94	195.64	1823.98	894.82
26.	त्रिपुरा	1227.34	1073.7	710.63	680.20	676.04	415.30	446.81
27.	उत्तर प्रदेश	1798.90	3552.11	2884.18	3293.57	3207.19	3109.82	1830.67
28.	उत्तराखंड	83.48	11.05	66.88	3.89	15.54	187.54	907.57
29.	पश्चिम बंगाल	2574.04	4348.35	508.67	1067.29	6763.87	3522.60	5073.56
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	145.9	0	36.03	36.03	36.88	36.76	31.66
31.	चंडीगढ़	21.98	228.3	357.82	324.15	245.44	278.53	103.01
32.	दादरा और नगर हवेली	68.61	6.71	58.66	5.84	177.59	59.11	24.82
33.	दमन और दीव	80.61	32.73	82.82	57.69	126.42	80.33	21.89
34.	दिल्ली	606.22	838.68	1363.40	931.53	978.64	1024.94	354.33
35.	लक्षद्वीप	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	-
36.	पुदुचेरी	1168.57	676.23	559.60	622.75	826.33	768.69	114.35
	कुल	39376.17	43364.59	43892.10	40379.36	50847.97	46769.35	48603.79

[अनुवाद]

एन.एच.एम. का आकलन

4803. **श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:**

श्री धर्मेन्द्र यादव:

श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर:

श्री दीपक अधिकारी (देव):

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

श्री आनंदराव अडसुल:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) राज्यों के लिए उनकी स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में सुधार करने में सहायक हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान एन.एच.एम. के कार्यों और निष्पादन के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.एच.एम. के स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों के माध्यम से लम्बे समय से विद्यमान असमानता और विकास की कमी को लक्षित करने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तो 12 सेवाओं के पैकेज हेतु निवारक, प्रोत्साहक, पुनर्वास और उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने के लिए एन.एच.एम. के अन्तर्गत स्थापित स्वास्थ्य और वेलनेस केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने अपनी योजनाओं को उचित रूप से कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय निगरानी प्रणाली का विकास किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रावधानों हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) पिछले एक दशक के दौरान राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के परिणामों सहित विविध स्वतंत्र सर्वेक्षण, प्रमुख स्वास्थ्य संकेतकों में निष्पादन में दर्शाए गए अनुसार राज्यों की स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों में उल्लेखनीय सुधार दर्शाते हैं।

(ख) 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए एन.आर.एच.एम. के तहत प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य के लेखा परीक्षा निष्पादन सी.ए.जी. द्वारा किए गए थे तथा निष्कर्ष (वर्ष 2017 की रिपोर्ट संख्या 25) *http://www.cag.gov.in//content/report-no25-2017-performance-audit-union-government-reproductive-and-child-health-under* पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।

सरकार एन.एच.एम. के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए वार्षिक रूप से सामान्य समीक्षा मिशन (सी.आर.एम.) भी चलाती है। विगत 3 वर्षो सहित सी.आर.एम. रिपोर्ट *http://nhm.gov.in/monitoring/common-review-mission.html* पब्लिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

(ग) नीति आयोग द्वारा अभिज्ञात महत्वकांक्षी जिलों को स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों के प्रचालन सहित एन.एच.एम. के तहत सभी प्रमुख स्वास्थ्य हस्तक्षेपों के संबंध में प्राथमिकता दी जा रही है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2017-18 में 4,000 स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के लक्ष्यों की तुलना में, आज की तारीख तक, 4689 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण केंद्रों को अनुमोदन दिया गया है।

(ङ) सरकार ने एन.एच.एम. के कार्यान्वयन की निगरानी करने के लिए वेब आधारित स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (एच.एम.आई.एस.) विकसित की है। वर्तमान में लगभग दो लाख स्वास्थ्य सुविधा केंद्र (देश के सभी जिलों में) एच.एम.आई.एस. वेब पोर्टल पर मासिक आधार पर सुविधा केंद्र वार डाटा तथा वार्षिक आधार पर अवसंरचना डाटा अपलोड कर रही हैं। वर्तमान में डाटा मानक, कस्टमाइज्ड तथा विश्लेषणात्मक रिपोर्टो इत्यादि के रूप में विविध हितधारकों को भी उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य सरकारों से समय-समय पर एच.एम.आई.एस. पर अपलोड किए जा रहे डाटा की सत्यता की जांच करने तथा एच.एम.आई.एस. के माध्यम से जिलों के निष्पादन की निगरानी करने का अनुरोध किया जा रहा है।

(च) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के तहत, केंद्रीय सरकार मातृ स्वास्थ्य, शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम और क्षयरोग, एच.आई.वी./एड्स, मलेरिया, डेंगू और काला अजार, कुष्ठ रोग इत्यादि जैसी कीट जनित और बड़ी बीमारियों के लिए नि:शुल्क सेवाएं प्रदान करने के प्रावधान सहित स्वास्थ्य परिचर्या प्रणालियों के सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान कर रही है। अन्य प्रमुख पहलें जिनके लिए राज्यों को सहायता प्रदान की जा रही है, में जननी शिशु सुरक्षा योजना (जे.एस.एस.के.), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.बी.एस.के.), राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.), एन.एच.एम. नि:शुल्क औषधि एवं नि:शुल्क नैदानिक सेवा पहलों का कार्यान्वयन, पीएम राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, नि:शुल्क रोगी आपातकालीन परिवहन सेवा, चल चिकित्सा इकाइयां तथा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन रूपरेखा शामिल हैं। हालांकि, जन-स्वास्थ्य तथा अस्पताल राज्य संबंधी विषय है, एन.एच.एम. के अंतर्गत यह राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है कि वे अपनी आवश्यकताओं तथा रोग-भार के अनुसार कार्रवाइयों को प्राथमिकता दें।

बालकों के शोषण के संबंध में अध्ययन

4804. **श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी:**

श्री रवीन्द्र कुमार जेना:

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु:

श्री नारामल्ली शिवप्रसाद:

श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अपनी 2007 की रिपोर्ट के साथ-साथ बालकों के शारीरिक, मानसिक और यौन दुराचार संबंधी एक और व्यापक अध्ययन कराया है या कराने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में रिपोर्ट के कब तक जारी होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेंद्र कुमार): (क) से (ग) जी, नहीं। इस मंत्रालय का फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

रक्त बैंक

4805. **श्रीमती प्रतिमा मण्डल:**

श्री निशिकान्त दुबे:

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया:

श्री राजेश पाण्डेय:

श्री विजय कुमार हांसदाक:

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में रक्त की वार्षिक आवश्यकता और संग्रहण कितना है और वर्तमान में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितने सरकारी और निजी रक्त बैंक कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने देश में प्रत्येक जिले में विशेषकर ग्रामीण, सुदूर और सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर रक्त बैंक स्थापित करने हेतु कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रक्त बैंकों विशेषकर अस्पतालों में रक्त की बर्बादी के संबंध में शिकायतें मिली हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में रक्त संग्रहण को सुचारू बनाने और रक्त बैंकों द्वारा संग्रहित रक्त के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा देश में रक्तदाताओं की संख्या बढ़ाने के लिए क्या अन्य उपाय किए जा रहे है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): (क) सरकारी तथा प्राइवेट रक्त बैंकों के विवरण सहित वार्षिक आवश्यकता एवं रक्त एकत्रण का ब्यौरा संलग्न विवरण-I तथा II में दिया गया है।

(ख) देश के 74 जिलों को छोड़कर सभी जिलों में कम से कम एक लाइसेंस धारक रक्त बैंक है। सरकार ने मुख्य रूप से भीतरी ग्रामीण इलाकों में मरीजों को रक्त उपलब्ध कराने के लिए देश के 68 जिलों में रक्त बैंकों की स्थापना हेतु सहायता उपलब्ध कराई है। राज्य/संघ राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई शिकायत सरकार की जानकारी में नहीं आई है। फिर भी, रक्त एकत्रण को सुप्रवाही बनाने के साथ-साथ उसके भंडारण एवं अधिकतम उपयोग के लिए राज्यों के नेटवर्क लाइसेंसधारक रक्त बैंकों में डिजीटल प्लेटफार्म ई-रक्तकोष का गठन किया गया है तथा रक्त एवं रक्त के घटकों के भंडार की उपलब्धता को पब्लिक डोमेन में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई है। रक्त की कमी एवं बहुतायतता से बचने के लिए रक्त बैंकों के बीच रक्त एवं रक्त घटकों के थोक में अंतरण करने की अनुमति दी गई है। कोल्ड चेन में रक्त के एकत्रण एवं परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु पूरे देश में 32 रक्त मोबाइल बसें तथा 250 से अधिक रक्त परिवहन वैन कार्यशील हैं। समुदाय को उसके समीप ही रक्त उपलब्ध कराने के लिए प्रथम रेफरल इकाइयों में रक्त भंडार केन्द्र स्थापित किए गए हैं।

(ङ) सरकार ने विशेष रूप से स्वस्थ युवाओं एवं कार्यबल के बीच स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने हेतु सोशल मीडिया सहित, मल्टीमीडिया एप्रोच का उपयोग करते हुए प्रभावी संप्रेषण कार्यनीति के प्रति संगठित कदम उठाए हैं। 14 जून (विश्व रक्तदान दिवस) तथा 1 अक्तूबर (राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस) को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष 60000 से अधिक स्वैच्छिक रक्तदान कैंपों के आयोजन तथा पांच मिलियन से अधिक रक्तदाताओं को सम्मान के रूप में अल्पाहार का प्रावधान करने में सहायता उपलब्ध कराती है।

अन्य उपायों में रक्तदाताओं तथा दातासंगठनों का सम्मान करना तथा गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से राष्ट्रव्यापी रक्तदान अभियान तथा प्रचार का आयोजन करना शामिल है। प्रत्येक वर्ष चार विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किए जाते हैं ताकि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को नियमित रक्तदाताओं के रूप में नामित कराने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

विवरण-I

भारत में रक्त की तुलना में रक्त एकत्रण की वार्षिक आवश्यकता का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	रक्त की आवश्यकता (डब्ल्यूएचओ 1 प्रतिशत मानक के अनुसार)	भारत में कुल रक्त एकत्रण (2016-17 एसआइएमएस आंकड़े)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	846655	459852
2.	तेलंगाना	351940	395723
3.	अरुणाचल प्रदेश	13826	5355
4.	असम	311693	220000
5.	बिहार	1167257	182242
6.	चंडीगढ़	10547	84955
7.	छत्तीसगढ़	255402	163756
8.	दादरा नगर हवेली	3429	8286
9.	दिल्ली	186869	546990
10.	दमन और दीव	2429	1735
11.	गुजरात	603836	798997
12.	हरियाणा	253531	270860
13.	हिमाचल प्रदेश	71232	38540
14.	जम्मू और कश्मीर	125489	63011
15.	झारखंड	329662	164625
16.	कर्नाटक	611307	960049
17.	केरल	333877	386686
18.	मध्य प्रदेश	725976	454310
19.	महाराष्ट्र	1213621	1460050
20.	मणिपुर	27218	22602
21.	मेघालय	29640	14262
22.	मिजोरम	10910	23593
23.	नागालैंड	19806	10713
24.	ओडिशा	419474	401958
25.	पुदुचेरी	12445	21591
26.	पंजाब	277041	383198
27.	राजस्थान	747916	582255
28.	सिक्किम	6077	5618
29.	तमिलनाडु	778815	885820
30.	त्रिपुरा	36710	28708
31.	उत्तर प्रदेश	2238974	862059
32.	उत्तराखंड	101168	115520
33.	पश्चिम बंगाल	913477	1049619
34.	गोवा	14577	18403
35.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	3799	2204
36.	लक्षद्वीप	644	0
		13057269	11094145

* देश/क्षेत्र की रक्त आवश्यकताओं के बॉल पार्क अनुमान होने के कारण रक्त की आवश्यकता संबंधी जानकारी जनसंख्या के 1 प्रतिशत डब्ल्यू.एच.ओ. मानक पर आधारित है।

विवरण-II

लाइसेंसधारक सरकारी और प्राइवेट रक्त बैंकों का राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार ब्यौरा

क्र. सं.	राज्य का नाम	सरकारी रक्त बैंकों सहित सार्वजनिक	धर्मार्थ न्यास रक्त बैंक सहित प्राइवेट	कुल
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02	01	03
2.	आंध्र प्रदेश	32	118	150
3.	अरुणाचल प्रदेश	09	01	10
4.	असम	38	30	68
5.	बिहार	35	41	76
6.	चंडीगढ़	03	01	04
7.	छत्तीसगढ़	27	40	67
8.	दादरा और नगर हवेली	-	01	01
9.	दमन और दीव	01	01	02
10.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	23	46	69
11.	गोवा	03	04	07
12.	गुजरात	28	117	145
13.	हरियाणा	26	64	90
14.	हिमाचल प्रदेश	19	03	22
15.	जम्मू और कश्मीर	25	04	29
16.	झारखंड	27	22	49
17.	कर्नाटक	40	160	200
18.	केरल	41	127	168
19.	लक्षद्वीप	01	00	01
20.	मध्य प्रदेश	54	90	144
21.	महाराष्ट्र	74	254	328
22.	मणिपुर	04	01	05
23.	मेघालय	05	02	07

1	2	3	4	5
24.	मिजोरम	08	02	10
25.	नागालैंड	05	-	05
26.	ओडिशा	63	20	83
27.	पुदुचेरी	05	12	17
28.	पंजाब	49	57	106
29.	राजस्थान	52	63	115
30.	सिक्किम	02	01	03
31.	तमिलनाडु	98	193	291
32.	तेलंगाना	27	134	161
33.	त्रिपुरा	10	02	12
34.	उत्तर प्रदेश	104	190	294
35.	उत्तराखंड	21	12	33
36.	पश्चिम बंगाल	82	46	128
	कुल	1043	1860	2903

टिप्पणी: आंकड़े सी.डी.एस.सी.ओ. द्वारा जून, 2016 में एकत्र की गई सूचना के अनुसार हैं।

विवरण-III

रक्त बैंकों से रहित जिलों में स्थापित किए गए रक्त बैंकों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	बिना रक्त बैंक वाले जिलों की संख्या	एनएचएम के तहत सहायता प्राप्त स्थापित किए जाने हेतु जिलों की संख्या	रक्त बैंकों रहित जिलों के नाम
1	2	3	4	5
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	2	1	नार्थ और मध्य अंडमान और निकोबार
2.	अरुणाचल प्रदेश	10	7	पश्चिम कैमंग, ईस्ट कैमंग, कराडाडी, करूंग कुमे, सियांग, नामसाई, देबांग वेली, तिरप, लोगिंग
3.	असम	12	5	कामरूप पूर्व, कामरूप दक्षिण, कामरूप ग्रामीण, बाक्सा, उदलगुडी, चिरांग, विश्वनाथ, मंछार और दक्षिणी सलमारा, चराईदेव, होजाई, पश्चिम कार्बो अंगलॉग, मजूली

1	2	3	4	5
4.	बिहार	5	5	अरवाल, अररिया, सुपोल, बांका, शिवहर
5.	छत्तीसगढ़	4	14	बालोद, गरियाबंद, कोंडागांव, बलरामपुर
6.	हिमाचल प्रदेश	1	0	लाहौर स्पिति
7.	जम्मू और कश्मीर	5	3	बांदीपुरा, गंदरबाल, शोपियां, सांबा, रिसायी
8.	झारखंड	6	2	रामगढ़, खूंटी, सराइकेला, जमतार, गोड्डा, बोकारो
9.	मध्य प्रदेश	1	2	अगर माल्वा
10.	महाराष्ट्र	0	1	
11.	मणिपुर	4	2	सेनापति, उखरुल, चंदेल, तेमंगलॉग
12.	मेघालय	6	3	दक्षिण पश्चिम खासी हिल्स, पूर्वी जैंतिया हिल्स, पूर्वी जैंतिया हिल्स, पूर्वी गारो हिल्स, दक्षिण पश्चिमी गारो हिल्स, उत्तरी गारो हिल्स, दक्षिण मारोहिल्स
13.	नागालैंड	3	2	पेरिन, किफिरे, लॉगलेन
14.	सिक्किम	2	1	उत्तरी सिक्किम, पश्चिमी सिक्किम
15.	उत्तर प्रदेश	0	4	
16.	उत्तराखंड	3	3	रूद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत
17.	तेलंगाना	10	13	नागरकुरनूल, जोगूलांबा, मल्काजगिरि, कोमारम भीम, निजामाबाद, रजना सिलसिला, वारंगल रूरल, महबूबावाद, जयाशंकर, यादादरी
	कुल	74	68	

आई.सी.डी.एस. योजना की समीक्षा

4806. **डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:**

डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे:

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:

श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री विनायक भाऊराव राऊत:

श्री धर्मेन्द्र यादव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ग्रामीण, जनजातीय और मलिन बस्तियों में बच्चों का उचित विकास सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल विकास योजना बाल विकास संबंधी एक अतिव्यापक योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह योजना देश में 164.5 मिलियन बच्चों (जनगणना 2011) में से केवल 50 प्रतिशत बच्चों को ही कवर करती है और इस सीमित कवरेज के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों में अनुपूरक पोषक तत्वों की निगरानी और वितरण और पूर्वस्कूली शिक्षा को काफी हद तक अनदेखा किया जाता है और शायद ही इसकी निगरानी की जाती है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या गत पांच वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत आबंटन में कमी आ रही है और जो बदलते मानदंडों से मेल नहीं खाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु इसकी समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम रहे हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) समेकित बाल विकास स्कीम, जो अब आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के नाम से जानी जाती है, के उद्देश्य इस प्रकार हैं: (1) 0-6 वर्ष की आयु समूह के बालकों की पोषण एवं स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, (2) बालकों के उचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव रखना, (3) मृत्यु दर, रूग्णता-दर, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की स्थिति में सुधार लाना, (4) बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीतिगत और कार्यान्वयन में प्रभावी तालमेल बैठाना और (5) उचित पोषण और स्वास्थ्य जांच के माध्यम से बालकों की सामान्य सेहत, पोषण संबंधी जरूरतों की देख-भाल करने के लिए माता की क्षमता को बढ़ाना।

छह आवश्यक सेवाओं का पैकेज अर्थात् (1) पूरक-पोषण, (2) प्रतिरक्षण, (3) स्वास्थ्य-जांच, (4) रेफरल सेवाएं, (5) स्कूल-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और (6) पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा लक्षित लाभार्थियों अर्थात् 06 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों, गर्भवती माताओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रदान की जाती हैं। छह सेवाओं में से तीन यानि प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत जन सेवा अवसंरचना के जरिये प्रदान की जाती हैं। ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

आंगनवाड़ी सेवाओं के तहत 06 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चे, गर्भवती माताएं और स्तनपान कराने वाली माताएं सेवाओं के लिए पात्र हैं।

(ख) स्कीम में आज की तारीख तक 08 करोड़ से अधिक लाभार्थी लाभांवित हो रहे हैं। स्कीम सर्वव्यापी है और सभी के लिए खुली है किंतु यह एक स्व-चयनित स्कीम है। स्कीम के तहत सेवाओं की पहुंच के लिए कोई आर्थिक और अन्य शर्तें नहीं जुड़ी हैं। स्कीम की मॉनीटरिंग सुदृढ़ 05 स्तरीय व्यवस्था तंत्र, जो राष्ट्रीय, राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर उपलब्ध है, के माध्यम से नियमित रूप से की जाती है। इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश 31.03.2011 को जारी किये गए थे जिसमें पदाधिकारियों द्वारा फील्ड विजिट भी सम्मिलित हैं। हाल में, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत की गई है जिसमें आई.सी.टी.-आधारित तत्क्षण (रियल टाइम) मॉनीटरिंग व्यवस्था है।

(ग) जी, नहीं। विगत पांच वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवाएं स्कीम के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय आबंटन में कोई कमी नहीं हुई है। स्कीम के तहत राज्य सरकारों/केंद्र शासित क्षेत्रों को जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण इसके साथ संलग्न है।

(घ) और (ङ) स्कीम की समीक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए दिशा-निर्देशों में अंतर्निहित है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार द्वारा आवधिक रूप से कार्यशालाओं, राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों के साथ बैठकों, के माध्यम से स्कीम की समीक्षा की जाती है। क्रियान्वयन के तौर-तरीकों में देखी गई कमियों पर राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्रों से विचार-विमर्श किया जाता है और समाधान किया जाता है।

विवरण-I

आई.सी.डी.एस. योजना के तहत पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या दिसंबर, 2017 को समाप्ति (08.02.2018 को अपडेट किया गया)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीडीएस परियोजनाओं की सं.		आंगनवाड़ी केंद्रों की सं.		अनुपूरक पोषण के लाभार्थियों						स्कूल पूर्व शिक्षा के लाभार्थी	
		स्वीकृति	परिचलनात्मक	स्वीकृति	परिचलनात्मक	बच्चे (6 माह - 3 वर्ष)	बच्चे (6 माह - 3 वर्ष)	कुल बच्चे (6 माह - 3 वर्ष)	गर्भवती और धात्री माताएं (पी और एलएम)	कुल लाभार्थी बच्चे (बच्चे 6 माह - 6 वर्ष पी और एलएम)	लड़के (3 -6वर्ष)	लड़कियां (3 -6वर्ष)	कुल (3 -6वर्ष)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	257	257	55607	55606	1464065	851021	2315086	610086	2925172	417690	431078	848768
2.	तेलंगाना	149	149	35700	35634	941170	501970	1443140	366345	1809485	249883	252087	501970
3.	अरुणाचल प्रदेश	98	98	6225	6225	92437	96623	189060	24517	213577	48662	47961	96623
4.	असम	231	231	62153	62153	1673917	1888756	3562673	683549	4246222	953976	934780	1888756
5.	बिहार	544	544	115009	91677	2438216	2418559	4856775	1142712	5999487	1299523	1335890	2635413
6.	छत्तीसगढ़	220	220	52474	50448	1159642	854260	2013902	455626	2469528	424630	429630	854260
7.	गोवा	11	11	1262	1258	36820	18648	55468	15716	71184	9510	9630	19140
8.	गुजरात	336	336	53029	53029	1772900	1353811	3126711	782656	3909367	701759	688023	1389782
9.	हरियाणा	148	148	25962	25962	598578	286435	885013	266775	1151788	143430	143005	286435
10.	हिमाचल प्रदेश	78	78	18925	18925	251991	174726	426717	97087	523804	61252	61471	122723
11.	जम्मू और कश्मीर	141	141	31938	29599	321937	409739	731676	133140	864816	234136	204869	439005

12.	झारखंड	224	224	38432	38432	1706563	927553	2634116	758842	3392958	579557	654976	1234533
13.	कर्नाटक	204	204	65911	65911	2347804	1688891	4036695	1055470	5092165	756722	761405	1518127
14.	केरल	258	258	33318	33244	361619	386035	747654	259178	1006832	193994	192041	386035
15.	मध्य प्रदेश	453	453	97135	97132	3364793	2926795	6291588	1402205	7693793	1452147	1452641	2904788
16.	महाराष्ट्र	553	553	110486	109779	2663579	2649382	5312961	1004602	6317563	1292650	1260037	2552687
17.	मणिपुर	43	43	11510	11510	163401	177583	340984	67208	408192	89622	87961	177583
18.	मेघालय	41	41	5896	5896	230433	260275	490708	83752	574460	112182	110747	222929
19.	मिजोरम	27	27	2244	2244	72283	82939	155222	28150	183372	27851	28483	56334
20.	नागालैंड	60	60	3980	3980	177023	143052	320075	46657	366732	72930	70123	143053
21.	ओडिशा	338	338	74154	72587	1871082	2047340	3918422	725129	4643551	1044813	1002527	2047340
22.	पंजाब	155	155	27314	26880	326181	244102	570283	151622	721905	124689	119413	244102
23.	राजस्थान	304	304	62010	61974	1638725	977381	2616106	866794	3482900	477419	490282	967701
24.	सिक्किम	13	13	1308	1308	18000	12500	30500	6000	36500	6285	6215	12500
25.	तमिलनाडु	434	434	54439	54439	1743313	650930	2394243	665067	3059310	320166	312138	632304
26.	त्रिपुरा	56	56	10145	10145	155005	189854	344859	71074	415933	100527	89327	189854
27.	उत्तर प्रदेश	897	897	190145	187997	6998504	3887572	10886076	2931325	13817401	2532307	2328354	4860661
28.	उत्तराखंड	105	105	20067	20067	432460	172660	605120	168284	773404	87441	89810	177251
29.	पश्चिम बंगाल	576	576	119481	115318	3071762	3182625	6254387	1298621	7553008	1591617	1560809	3152426
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	5	5	720	720	7777	2791	10568	2621	13189	1392	1399	2791
31.	चंडीगढ़	3	3	500	500	22072	26441	48513	7896	56409	13610	12831	26441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	दिल्ली	95	95	11150	10897	330451	139007	469458	116198	585656	67911	68712	136623
33.	दादरा और नगर हवेली	2	2	302	302	8888	10475	19363	3523	22886	5185	5290	10475
34.	दमन और दीव	2	2	107	107	2762	2388	5150	1451	6601	1156	1232	2388
35.	लक्षद्वीप	9	9	107	107	2607	843	3450	1148	4598	406	437	843
36.	पुदुचेरी	5	5	855	855	24755	1332	26087	9353	35440	692	640	1332
	अखिल भारत	7075	7075	1400000	1362847	38493515	29645294	68138809	16310379	84449188	15497722	15246254	30743976

राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से राज्य स्तर की समेकित रिपोर्ट और ए.पी.आई.पी. बैठक के लिए प्राप्त जानकारी के आधार पर

विवरण-II

पिछले पांच वर्षों के दौरान आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत बजट आवंटन (बीई और आरई)

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजट आबंटन (बीई)	बजट आबंटन (आरई)
1.	2012-13	15,850.00	15,850.00
2.	2013-14	17,700.00	16,312.00
3.	2014-15	18,195.00	16561.60
4.	2015-16	8335.77	15483.77
5.	2016-17	14,000.00	14560.60

[हिंदी]

आयुष चिकित्सकों हेतु ब्रिज पाठ्यक्रम

4807. **श्री अजय मिश्रा टेनी:**

श्री भरत सिंह:

कुमारी शोभा कारान्दलाजे:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार का विचार देश में चिकित्सकों की कमी से निपटने के लिए आयुष चिकित्सकों को एलोपैथी प्रैक्टिस करने की अनुमति देने हेतु एक ब्रिज पाठ्यक्रम शुरू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ब्रिज पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने वाले चिकित्सकों की योग्यता और वैज्ञानिक सोच का निर्धारण करने हेतु तय मानदंड क्या हैं और आयुष चिकित्सकों हेतु ऐसा एक ब्रिज पाठ्यक्रम कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या यह सच है कि आयुष और आधुनिक पद्धति की दृष्टिकोण और प्रणाली भिन्न है और इनका विलय नहीं किया जा सकता और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार आधुनिक पद्धति के अनुपूरक पहलू के तौर पर आयुष को एकीकृत करने का है क्योंकि आयुर्वेद तीन दोषों वात, पित्त और कफ में सामंजस्य और संतुलन बनाने के सिद्धांत पर आधारित है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की योजना आयुर्वेदिक चिकित्सकों के एक लघु ब्रिज पाठ्यक्रम प्रारंभ करने और आधुनिक चिकित्सा पद्धति में प्रैक्टिस करने हेतु एक आधिकारिक लाइसेंस प्राप्त करने के संबंध में उनकी चिंताओं पर पुनर्विचार करने की है?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) और (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) के अधीन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के साथ मिलकर नर्सों के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य में एक ब्रिज प्रोग्राम बनाया और विकसित किया गया था। बाद में, इग्नू द्वारा नर्सों और आयुर्वेद अभ्यासियों के लिए एक कॉमन ब्रिज प्रोग्राम अनुमोदित किया गया। राज्यों से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार यह ब्रिज कोर्स राज्यों में पहले ही चालू किया जा चुका है।

इस ब्रिज कोर्स के माध्यम से प्राथमिक परिचर्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य दक्षताओं में प्रशिक्षित किए जाने के पश्चात इन आयुर्वेद अभ्यासियों एवं स्टाफ नर्सों को उन स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्तरीय परिचर्या प्रदाताओं के रूप में रखे जाने की परिकल्पना की गई है जिन्हें स्वास्थ्य और स्वस्थता केंद्रों के रूप में सुदृढ़ किया जाना है।

(ग) और (ङ) आयुष और आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के दृष्टिकोण और अभ्यास के तरीके अलग-अलग हैं। तथापि, सार्वजनिक स्वास्थ्य में कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां ये चिकित्सा पद्धतियां एकीकृत ढंग से मिल जुलकर कार्य कर सकती हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी पर राष्ट्रीय नीति-2002 में, आयुष को आयुर्वेद सहित स्वास्थ्य परिचर्या सेवा प्रणाली के साथ समेकित करने की परिकल्पना की गई है। आयुष को मुख्यधारा में लाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एन.एच.एम.) की एक कार्यनीति है जो मौजूदा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में सुधार करते हुए सुलभ, सस्ती और गुणवत्तायुक्त स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराना चाहता है। तदनुसार, केंद्र सरकार ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुर्वेद एकांशों सहित आयुष सुविधाओं की सहस्थापना की कार्यनीति अपनाई है इससे रोगियों को एक ही स्थान पर विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों का विकल्प मिलेगा। आयुष चिकित्सकों/अर्ध चिकित्सकों की नियुक्ति और उनके प्रशिक्षण के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा सहायता दी जाती है

जबकि अवसंरचना, उपकरण/फर्नीचर और औषधियों के लिए सहायता साझा दायित्व के तहत आयुष मंत्रालय द्वारा दी जाती है।

[अनुवाद]

कॉरपोरेट शासन

4808. **श्री भर्तृहरि महताब:**

श्री राहुल शेवाले:

श्री संजय धोत्रे:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट कॉरपोरेट शासन आवश्यकताओं के उल्लंघन के मामले सरकार के संज्ञान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और अब तक ऐसी कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान देश में कॉरपोरेट घोटाले/कांडों के मामलों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं और ऐसे मामलों में नौकरशाही और कॉरपोरेट घरानों के बीच गठजोड़ के पर्दाफाश का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा कॉरपोरेट शासन आवश्यकताओं के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने और खराब कॉरपोरेट शासन के दुष्प्रभावों से अल्पसंख्यक हितधारकों का संरक्षण करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) से (ङ) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन "कॉरपोरेट शासन" पद परिभाषित नहीं है। यद्यपि, कंपनी अधिनियम, 2013 जिसने कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित किया है, में विभिन्न उपबंध शामिल हैं, जिनका लक्ष्य भारत में कंपनियों में कॉरपोरेट शासन को सुदृढ़ करना है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, बोर्ड और उसकी समितियों जैसे लेखा परीक्षा समिति और नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति के उत्तरदायित्व में वृद्धि, हितधारकों को अधिक प्रकटीकरण, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कठोर नियम और वृहत निवेशक सुरक्षा स्तर शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, फरवरी, 2015 में भारतीय लेखांकन मानक (इंडएएस) को भी अधिसूचित किया गया है और आशा है कि इससे बेहतर कॉरपोरेट शासन में सहयोग मिलेगा।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एस.एफ.आई.ओ.) के माध्यम से 575 कंपनियों के मामलों में कथित कपट की जांच के आदेश दिए हैं। इसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

अब तक एस.एफ.आई.ओ. की जांच में कॉरपोरेट कपट करने के उद्देश्य से नौकरशाही और कारपोरेट घरानों के बीच किसी प्रकार का संबंध नहीं पाया गया है।

विवरण

एस.एफ.आई.ओ. को पिछले तीन वर्षों (2014-15, 2015-16 और 2016-17) और वर्तमान वर्ष (2017-18) के दौरान 15.03.2018 तक जांच के लिए सौंपे गए मामले

क्र.सं.	कंपनी का नाम
	वर्ष 2014-15
1.	वर्शिप इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
2.	कल्स रिफाइनरीज लिमिटेड
3.	मंगलम एग्रो प्रोडक्ट्स लिमिटेड
4.	शार्क कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
5.	हाईटेक कम्पयूटेक प्राइवेट लिमिटेड
6.	कोनिशिवा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	भारती प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
8.	हिना डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
9.	सक्षम इंफोकॉम प्राइवेट लिमिटेड
10.	नार्थ इंडिया सिक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड
11.	कृष्णा इंफोमीडिया प्राइवेट लिमिटेड
12.	डीएमसी एजुकेशन लिमिटेड
13.	टी एंड जी एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में सेनटेनरी साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड)
14.	रामेल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
15.	गन लेबरोटरीज प्राइवेट लिमिटेड
16.	रामेल मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
17.	रामेल मीडिया एंड एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
18.	रामेल रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
19.	रामेल सी फुड लिमिटेड
20.	तमन्ना आईटी साल्यूसन्स लिमिटेड
21.	रामेल फार्मा लिमिटेड
22.	रामेल हास्पिटीलिटी प्राइवेट लिमिटेड
23.	रामेल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
24.	रामेल एग्रोटेक लिमिटेड
25.	रामेल होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
26.	रामेल इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
27.	रामेल इंश्योरेंस एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड
28.	सिगनस पब्लिशर्स लिमिटेड
29.	रामेल बायो फर्टीलाइजर प्राइवेट लिमिटेड
30.	सुमन प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड (समापनाधीन)
31.	पर्ल इंडिया पब्लिशिंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड (समापनाधीन)
32.	केटमोस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (समापनाधीन)
33.	राहुल हाई राइज लिमिटेड
34.	सुष्टि आभा फुड एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड
35.	राहुल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट लिमिटेड
36.	राहुल वुड वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
37.	विकेयन प्रोपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड
38.	होटल सी-कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड
39.	राहुल भूमि विकास लिमिटेड
40.	राहुल हाइट्स लिमिटेड
41.	राहुल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
42.	राहुल इनन हास्पिटीलिटी लिमिटेड
43.	आईडियाज रियलकान लिमिटेड
44.	आईडियाज रियल एस्टेट लिमिटेड
45.	आईडियाज हेल्थेकयर लिमिटेड
46.	आईडियाज ब्रोकिंग लिमिटेड
47.	जैनिक्स टेक्नालाजिस प्राइवेट लिमिटेड
48.	एडवेनटस क्रिएसन्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	सबरबन डायग्नोस्टिक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
50.	एएंडए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंस्लटेंट
51.	लाइफ केयर डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
52.	स्वीस फ्राइट (i) प्राइवेट लिमिटेड
53.	दनदोना फाइनेंस लिमिटेड
54.	सीशोर सिक्यूरिटीज लिमिटेड
55.	सीशोर एग्रीकल्चर प्रोमोसन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
56.	सीशोर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
57.	सीशोर फार्मास्यूटीकल्स प्राइवेट लिमिटेड
58.	सीशोर कोरियर एंड कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
59.	सीशोर डायरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
60.	सीशोर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसिज लिमिटेड
61.	सीशोर कंस्लटेंसी एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
62.	फाल्कन कंस्लटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
63.	रॉयस पर्पल होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
64.	सेगियरियन सिस्टमस प्राइवेट लिमिटेड
65.	फ्लोरेंस बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
66.	सौभाग्य डिक्स प्राइवेट लिमिटेड
67.	श्री कृष्णा एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
68.	जतिश एग्रो एंड ऑयल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
69.	सागर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
70.	सीशोर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
71.	सीशोर शिपिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
	वर्ष 2015-16
72.	सारधा हाउसिंग प्रा.लि.
73.	अंबुजात्रिपुरी इंफ्रा (इंडिया) लि.
74.	अंबुजात्रिपुरी बिजनेस प्राइवेट लि.
75.	अर्था तत्व कंस्लटेंसी प्राइवेट लि.
76.	अर्थ तत्व वर्ल्ड वेंचर्स प्रा. लि.
77.	अर्थ तत्व फूड मार्ट प्राइवेट लि.
78.	अर्थ तत्व कैपिटल लिमिटेड
79.	अंबुजात्रिपुरी इंजीनियरिंग प्रा. लि.
80.	ओडिश हेल्थ एंड मैडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट
81.	किंगफिशर एयरलाइंस लिमिटेड
82.	ग्रांड व्यापार प्राइवेट लिमिटेड
83.	अल्ट्रा टाई अप प्राइवेट लिमिटेड
84.	हैप्पी टाइ अप प्राइवेट लिमिटेड
85.	शेफियार इंफ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
86.	बेस्ट टाई अप लिमिटेड
87.	साहू लैंड डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
88.	मैसक्योर प्रुडेंट मल्टीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
89.	लक्ष्य रबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
90.	सन एयर साल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
91.	सबलाइन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
92.	जय संतोषी ट्रेडम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	पीकॉक ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड
94.	महावीर ट्रेडम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	बेस्टोन इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
96.	वीपीसी मैनेजमेंट कंस्लटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
97.	एकोस्टिक ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
98.	दबंग मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
99.	गोल्डमाइन फूड प्रोडक्ट्स लि.
100.	गोल्डमाइन एग्रो लि.
101.	क्लासिक रिसोर्सिंग लि.
102.	गोल्डमाइन इंडस्ट्रीज लि.
103.	गोल्डमाइन हाइट प्रा. लि.
104.	गोल्डमाइन होटल एंड रिसोर्ट प्रा. लि.
105.	गोल्डमाइन एडवाइजरीज इंडिया प्रा. लि.
106.	गोल्डमाइन हेल्थ केयर प्रा. लि.
107.	समृद्ध जीवन फूडस लि.
108.	साई प्रसाद फूड लि.
109.	साई प्रसाद प्रोपर्टीज लि.
110.	साई प्रसाद कारपोरेशन लि.
111.	उत्कर्ष प्लाटर्स एंड मल्टी एग्रो साल्यूशन इंडिया लि.
112.	पीजीएफ लि.
113.	पीएसीएल लि.
114.	एएमबी बिल्डप्रोप प्राइवेट लिमिटेड
115.	अपार माइन्स मैनेजमेंट सर्विसिस प्राइवेट लिमिटेड
116.	गिरीयाशो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
117.	नेट एग्रोफूड्स प्राइवेट लिमिटेड
118.	सनवियू हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
119.	मस्तीफ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
120.	जीवन सुरक्षा ट्रैडिंग एंड फाइनेंशिएल लि.
121.	जीवन सुरक्षा रियल एस्टेट लि.
122.	जीवन सुरक्षा एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज लि.
123.	जीवन सुरक्षा मरकनटाइनल प्रा. लि.

क्र.सं.	कंपनी का नाम
124.	जीवन सुरक्षा एंशोयोरेंस एजेंसी प्रा. लि.
125.	जीवन सुरक्षा एसोशिएट्स मार्टिंग प्रा. लि.
126.	शैलराज होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
127.	रैंक मर्कनटाइल प्राइवेट लिमिटेड
128.	अष्टभुजा डिल ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
129.	पारूल पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
130.	हीलियोस एंड मेथेसन इंफोरमेशन टेक्नालिज लिमिटेड
131.	चक्र इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
132.	चक्रवर्ती एस्टेट्स प्रा. लि.
133.	चक्र एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
134.	चक्र वेल्थ मैनेजमेंट एडवाइजरी लिमिटेड
135.	चक्र होटल एंड लेजर लिमिटेड
136.	चक्रमार्ट रिटेल इंडिया लिमिटेड
137.	जय सदगुरू एडवाइजरी एंड एजेंसी सर्विसिज प्रा. लि.
138.	दिशा प्रोडक्शन्स एंड मीडिया प्रा. लि.
139.	आरजू एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
140.	अबलाज शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
141.	एसेंट शुगर प्राइवेट लिमिटेड
142.	आदर्श शुगर साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
143.	अंडवेंट शुगर प्राइवेट लिमिटेड
144.	एंजल शुगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
145.	एएमबी इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
146.	एएमबी इंफ्रावेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
147.	आर्काइब इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
148.	आशर बिल्डर्स एंड प्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
149.	बबून एग्रीफुड प्राइवेट लिमिटेड
150.	ब्लाशम एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
151.	बीएसएस एसोशिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
152.	केन्यन फाइनेंशिअल सर्विसेज लि.
153.	काप्टर एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
154.	काप्टर रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
155.	सीडर डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
156.	चैंपियन गकंप्यूसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
157.	कोहेसन एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
158.	डेब्बल एग्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
159.	डागर एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
160.	डेज्जल एग्रोसाल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
161.	डेज्जल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
162.	डायनामिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
163.	एल्कन शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
164.	एनचेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
165.	इग्जाल्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
166.	फेम एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
167.	फातिमा बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
168.	फेरस्टी एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
169.	गंगा यमुना माइन्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
170.	ग्लोकल इंडिया एग्रोफड्स एंड बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड
171.	ग्लोकल इंडिया बिल्डसिटी प्राइवेट लिमिटेड
172.	ग्लोकल इंडिया एजुकाम प्राइवेट लिमिटेड
173.	ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
174.	ग्लोकल इंडिया माइनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
175.	ग्लोकल इंडिया नर्सिंग होम्स प्राइवेट लिमिटेड
176.	ग्लोकल इंडिया रियलएस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
177.	ग्लोकल इंडिया रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
178.	ग्लोकल इंडिया सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
179.	ग्लोकल इंडिया ट्रेड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड
180.	ग्रांड पीक कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
181.	ग्रांड पीक फुड्स एंड बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड
182.	ग्रांड पीक गारंटी कोजा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
183.	ग्रांड पीक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
184.	ग्रांड पीक पर्कीनेस्टमेन कंस्ट्रक्सन प्राइवेट लिमिटेड
185.	ग्रांड पीक रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
186.	ग्रोसर एग्रोसाल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
187.	ग्रो फास्ट कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड
188.	ज्ञान क्लास एजुकेशन एंड रिक्रिएसन लि.
189.	हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
190.	इंडिया पैसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
191.	जयपुरिया हास्पिट्ल्स प्राइवेट लिमिटेड
192.	जयपुरिया इलेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
193.	जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज प्राइवेट लिमिटेड
194.	जयपुरिया रिसोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
195.	जयपुरिया ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
196.	जिफ्फी एग्रोफार्म प्राइवेट लिमिटेड
197.	लिमपिड एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड
198.	लोकाकृति डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड
199.	मेस एग्रोसाल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
200.	मजेस्टी इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
201.	मजेस्टी शुगर साल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
202.	माझा माइन्स कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
203.	मेल्लो इंफ्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड
204.	ममता इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
205.	मस्तिफ शुगर साल्यूसन प्राइवेट लिमिटेड
206.	मर्सी एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
207.	मोडरेट हेल्थसाल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
208.	नम्रता मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
209.	ओकरा शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
210.	आक्सरी एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
211.	पार्थ रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
212.	पारीश एग्रीकल्चर प्राइवेट लिमिटेड
213.	पसटाइल इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड
214.	पसटाइल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड
215.	प्राइमेरा फूड्स एंड बेवरेजिस प्राइवेट लिमिटेड
216.	प्राइमोर्स इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
217.	रगनार इंफ्राडेवल्पर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
218.	रेकान शुगर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
219.	रेडस्टोन माइन्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
220.	रिंगा इंफ्राडेवल्पर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
221.	सेफ्टी प्लस पावर लि.
222.	सहारनपुर माइन्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
223.	साइ आश्रण कैमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
224.	सलामी एग्रीसाइंस प्राइवेट लिमिटेड
225.	संपत फाइनेंशिअल प्लानर्स प्राइवेट लिमिटेड
226.	संचित इंफ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
227.	शादीलाल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
228.	शिनडिग एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
229.	शाइनी एग्रीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
230.	सीमनी एग्रोफुड प्राइवेट लिमिटेड
231.	स्लिक आटोस्पेयर प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
232.	साउथलेंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
233.	साउथलैंड रियलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
234.	सुभिक्षा सिक्यूरिटीज एंड कंस्लटेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
235.	सूमाधर फाइनेंशिअल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
236.	साय बाबा फिनवेस्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
237.	यूपी माइन्स मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
238.	वीके हेल्थसाल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
239.	वरींडा गारमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
240.	विटल एग्रोफार्म प्राइवेट लिमिटेड
241.	वीएस रियलप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
242.	वेगन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
243.	मूंफा इंफ्रा डेवलपर्स (एलएलपी)
244.	एमपीएस ग्रीनरी डेवल्पर्स लि.
245.	एमपीएस फुड प्रोडक्टस लि.
246.	एमपीएस रिसोर्ट्स एंड होटल्स लि.
247.	एमपीएस एक्वा मरीन प्रोडक्ट्स लि.
248.	एमपीएस इंडस्ट्रीज एंड एग्रो रिसर्च लि.
249.	एमपीएस आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोड्क्टस प्रा. लि.
250.	एमपीएस रियल एस्टेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि.
251.	एमपीएस रिटेल्स एंड फास्ट फुड प्रा. लि.
252.	सनेयर होटल्स लिमिटेड
253.	जगत एग्रो कमोडिटीज प्रा. लि.
254.	प्रोमोटेक इंफ्राटेक लि.
255.	एबीसी कोट्सपिन प्रा. लि.
	वर्ष 2016-17
256.	सेंचूरी कम्यूनिकेशन लिमिटेड
257.	नारंग्स इंटरनेशनल होटल्स प्रा. लि.
258.	बुश फूड्स ओवरसीज प्रा. लि.
259.	मेत्री स्वर्णसिद्धी प्रा. लि.
260.	भूषण स्टील लिमिटेड
261.	भूषम पावर एंड स्टील लिमिटेड
262.	भूषण कैपिटल्स लि.
263.	ओएसिस स्टील लि.
264.	ओलंपियन फिनवेस्ट प्रा. लि.
265.	पेरागान सिक्यूरिटीज प्रा. लि.
266.	प्रुडेंट ट्रांसपोर्ट कंपनी लि.
267.	विशाल होल्डिंग्स एंड कैपिटल प्रा. लि.
268.	विजन स्टील लि.
269.	आरती आयरन एंड पावर प्रा. लि.
270.	आदर्श इंफ्रो टेक प्रा. लि.
271.	आत्मा राम हाउस इंवेस्टमेंट प्रा. लि.
272.	भूषण एयरवेज सर्विसेज प्रा. लि.
273.	बीएसएन इंटरप्राईजेज प्रा. लि.
274.	डेकोर इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्रा. लि.
275.	सिंघल इंटरप्राइजेज प्रा. लि.
276.	चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन
277.	विनसम डायमंड एंड ज्वैलरी लिमिटेड
278.	फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया (इन लिक्न)
279.	एल्प बीपीओ सर्विसेज लिमिटेड (इन लिक्न)
280.	माइक्रो टेक्नोलोजीज (इंडिया) लिमिटेड (इन लिक्न)
281.	बिरला पावर सोल्यूशन्स लि. (इन लिक्न)
282.	आईएफसीआई लि.
283.	कोस्टल प्रोजेक्ट लिमिटेड
284.	गोल्डमाइन एनिमल हस्बैंड्री प्रा. लि.

क्र.सं.	कंपनी का नाम
285.	नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड
286.	फाइनेंशियल टैक्नोलोजिज (इंडिया) लिमिटेड
287.	नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉर्पोरेशन लि.
288.	बौर्सा इंडिया लि.
289.	ट्रांस-ग्लोबल क्रेडिट एंड फाइनेंस लि.
290.	तक्षशिला एकेडमिया ऑफ इकॉनॉमिक रिसर्च लि.
291.	इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड
292.	आईबीएस फोरेक्स लिमिटेड
293.	रिस्क्राफ्ट कंसल्टिंग लिमिटेड
294.	एटम टैक्नोलोजिज लिमिटेड
295.	टिकरप्लांट लिमिटेड
296.	एफटी नॉलेज मैनेजमेंट कंपनी
297.	इंडियन बुलियन मार्केट एसोसिएशन लिमिटेड
298.	वेस्टर्नघाट एग्रो ग्रोवर्स कंपनी लिमिटेड
299.	फार्मर एग्रीकल्चर इंटीग्रेटेड डवेलपमेंट एलायंस लिमिटेड
300.	ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क लिमिटेड
301.	क्रेडिट मार्केट एसोसिएशन लिमिटेड
302.	फाइनेंशियल टेक्नॉलोजीज कम्युनिकेशंस लिमिटेड
303.	एफटी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
304.	एपियन फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
305.	आस्था मिनमेट (इंडिया) लिमिटेड
306.	एआरके इम्पोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
307.	जुगेरनाट प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
308.	लोइस कांटीनेंटल फूड्स लिमिटेड
309.	लोइस हेल्थ फूड्स लिमिटेड
310.	लोइल ओवरसीज फूड्स लिमिटेड
311.	लोटस रिफाइनरीज प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
312.	मेटकोर एलोयस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड
313.	नामधारी फूड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
314.	एनसीएस सुगर्स लिमिटेड
315.	एनके प्रोटीन्स लिमिटेड
316.	पी.डी. एग्रोप्रोसेसर्स प्राइवेट लिमिटेड
317.	श्री राधे ट्रेडिंग कंपनी
318.	स्पिन-कॉट टेक्सटाइल्स प्राइवेट लिमिटेड
319.	स्वास्तिक ओवरसीज कॉरपोरेशन
320.	टाविशी इंटरप्राइसेस प्राइवेट लिमिटेड
321.	टॉपवर्थ स्टील्स एंड पॉवर प्राइवेट लिमिटेड
322.	विमलादेव एग्रो टेक लिमिटेड
323.	व्हाइट वेदर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
324.	मोहन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
325.	केतन पारेख ग्रुप ऑफ कंपनीज
326.	प्रयाग इंफोटेक हाई-राइज लिमिटेड
327.	प्रयाग इंफोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड (पीआईएनपीएल)
328.	प्रयाग आर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (पीओपीएल)
329.	प्रयाद होटल एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (पीएचआरपीएल)
330.	प्रयाग इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड (पीईपीएल)
331.	प्रयाग इंफ्रा रियलटर्स लिमिटेड (पीआईआरएल)
332.	समुद्र विल्ला प्राइवेट लिमिटेड (एसवीपीएल)
333.	प्रयाग एविएशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (पीएएसपीएल)
334.	जीपी सीमेंट वर्क्स प्रा.लि. (जीपीसीडब्ल्यूपीएल)
335.	प्रयाग फिशरीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (पीएफटीआईपीएल)
336.	प्रयाग फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड (पीएफटीआईपीएल)

क्र.सं.	कंपनी का नाम
337.	माक्स बिस्कुट प्राइवेट लिमिटेड (एमबीपीएल)
338.	इनसेक सिक्योरिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (आईएसएसपीएल)
339.	रॉयल कंसर्ट प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (आरडीपीपीएल)
340.	प्रयाग पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड (पीपीपीएल)
341.	प्रयाग बायो-टेक प्राइवेट लिमिटेड (पीबीपीएल)
342.	प्रयाग डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेटर प्राइवेट लिमिटेड (पीडीआरसीपीएल)
343.	प्रयाग माइक्रो फाइनेंस (पीएमएफ)
344.	फायेद हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड (एफएचपीएल)
345.	सशी कुमार टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड (एसकेटीसीपीएल)
346.	क्लेन कॉमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड (केसीपीएल)
347.	प्रयाग एंड प्रयाग मल्टीकेयर प्राइवेट लिमिटेड (पीपीएमसीपीएल)
348.	अल्ट्रा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
349.	ओकारा एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड एंड अदर ग्रुप आफ कंपनीज
350.	रियल विजन प्राइवेट लिमिटेड
351.	पिक्शन विजन प्राइवेट लिमिटेड
352.	पिक्सन मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
353.	पर्ल स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
354.	महुआ मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
355.	सेंचुरी स्टूडियोज प्राइवेट लिमिटेड
356.	सीसीएल फिल्मका प्राइवेट लिमिटेड
357.	प्रज्ञा विजन प्राइवेट लिमिटेड
358.	रंगोली इंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
359.	विग्नेश्वर गुड्स प्राइवेट लिमिटेड
360.	कार्टेसियन कंप्यूटर्स लिमिटेड
361.	अभ्युदय डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
362.	जाह्नवी एग्रो-फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
363.	मै. पारूल पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
364.	एबलाज इंफो सल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
365.	यूरो इन्कलेव इंडिया लिमिटेड (यूआरओईआईएल)
366.	गेटिट इंफोसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड (आईएनएलआईक्यूएन)
	वर्तमान वर्ष 2017-18, 15.03.2018 तक
367.	विग्नेश्वरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
368.	फाक्सस्ट्रॉट मेगास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड
369.	कैजेन प्लास्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
370.	एक्वारियस बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड
371.	टेक्नोस्फेयर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
372.	विग्नेश्वरा कंट्रैक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
373.	विग्नेश्वरा डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड
374.	वेस्टा बिल्डर्स एंड इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
375.	वी लोक प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
376.	अक्वारियस बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
377.	अक्वारियस प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
378.	विग्लेश्वरा इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड
379.	वीकॉर्प डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
380.	विग्नेश्वरा बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
381.	एसजीईसी इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
382.	एस एंड जे हॉस्पिटालिटी प्राइवेट लिमिटेड
383.	पेट्रोल कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड
384.	क्रिमसन टेक्नोपार्क प्राइवेट लिमिटेड
385.	सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
386.	वेबवर्क ट्रेड लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड
387.	एडीडीएस बुक मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
388.	एज इंफ्रा वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
389.	आरवंस सीसी इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
390.	सेज एफएमसीजी इंडिया लिमिटेड
391.	ग्रीनरी इंटरनेशनल लिमिटेड
392.	ग्रीनरी फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
393.	ग्रीनरी फूड्स एंड न्यूट्रीएंट्स प्राइवेट लिमिटेड
394.	ग्रीनरी अलाइड केमिकल्स लिमिटेड
395.	वारिस फाइनेंस इंटरनेशनल लिमिटेड (वर्तमान में वारिस इंडस्ट्रीज लिमिटेड)
396.	वारिस हेल्थकेयर लिमिटेड
397.	वारिस टेल इंटरनेशनल लिमिटेड
398.	वारिस फाइनेंस एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड
399.	वारिस ट्रेडिंग एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
400.	वारिस फूड्स एंड बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
401.	वारिस हिमघर प्राइवेट लिमिटेड
402.	वारिस टीवी ब्राडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
403.	वारिस माइक्रो फाइनेंस
404.	शाने रेस्टोरेंट्स एंड रिसॉर्ट्स लिमिटेड
405.	इराम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
406.	अगरतला फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड
407.	इराम ज्वैलरी लिमिटेड
408.	विशाल फिनलीज लिमिटेड
409.	वारिस हर्बल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
410.	वारिस रियल इस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
411.	वारिस कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड
412.	हर्ष प्लांटेशन लिमिटेड
413.	लोपाक्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
414.	आदर्शदीप फाइनेंस लिमिटेड
415.	श्री मैनूफैक्चरिंग कं. लिमिटेड
416.	वारसी प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
417.	वेलफेयर बिल्डिंग एंड इस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
418.	एसोटेक लिमिटेड (समापनाधीन)
419.	किंगफिशर ट्रेनिंग एंड सर्विसेस लिमिटेड
420.	डेक्कन चार्टर लिमिटेड
421.	डेक्कन चार्टर प्राइवेट लिमिटेड
422.	डेक्कन होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड
423.	डेक्कन इमर्जिंग बिजनेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
424.	डीमलाइन मैनपावर सल्यूशंसन प्राइवेट लिमिटेड (अब नित्यांक इंफ्रापावर एंड मल्टीवेंचरर्स प्राइवेट लिमिटेड)
425.	नाहर इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेज लिमिटेड
426.	स्टर्लिंग एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड
427.	सीएमआई लिमिटेड
428.	मावरिक होल्डिंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
429.	ग्रेट इस्टर्न एनर्जी कारपोरेशन लिमिटेड
430.	सीड्स एंड ग्रेन्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
431.	सेव यूरोड्राइव इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
432.	लोजिक्स सॉफ्ट-टेल प्राइवेट लिमिटेड
433.	रायलओक स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
434.	एटीएमए ट्यूब प्रोडक्ट्स लिमिटेड
435.	सुजला पाइप्स लिमिटेड
436.	एमजी हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड
437.	कटीरा कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड
438.	प्रजासक्ति प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड
439.	रघुवीर मेटल इंडस्ट्रील लिमिटेड
440.	मिन्डा साई लिमिटेड
441.	गेनेसिस इंटरनेशनल कारपोरेशन लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
442.	मंगलम होम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
443.	अनंत होम्स प्राइवेट लिमिटेड
444.	सूरज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
445.	स्क्रिप्टकॉम बीपीओ सिस्टम्स (प्रा.) लि. (स्क्रिप्टियाकाम बीपीओ सिस्टम एलएलपी में 22.12.2014 को परिवर्तित)
446.	माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड
447.	डी एस कुलकर्णी डेवलपर्स लिमिटेड
448.	रेलिगेयर इंटरप्राइजेज लिमिटेड
449.	फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड
450.	राडाशीर ज्वैलरी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
451.	रीथम हाउस प्राइवेट लिमिटेड
452.	ज्वैलरी सल्यूशंस इंटरनेशन प्राइवेट लिमिटेड
453.	फायरस्टार डायमंडल प्राइवेट लिमिटेड
454.	पैरागान ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड
455.	पंचजन्य डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड
456.	एनडीएम इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
457.	नीशाल इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
458.	नीशाल मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
459.	फिरेशटोन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
460.	ड्रीम ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
461.	केमलोट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
462.	नीशाल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
463.	एएमआई मर्चेंडाजिंग प्राइवेट लिमिटेड
464.	पैरागान मर्चेडइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
465.	देवदत्ता इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
466.	फिरेस्टार इंटरनेशनल लिमिटेड
467.	फिरेस्टार डायमंड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
468.	माक बिजनेस इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
469.	गजाला इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
470.	कैमेलोट इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
471.	बेंटली रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड
472.	कटिंग एज साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
473.	पौन्ड्रा इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
474.	लायलटी सल्यूशंस एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड
475.	सुवाधिनाथ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
476.	सुपासवानाथ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
477.	नेमिनाथ कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
478.	पुनरवासु कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
479.	अनन्तनाथवैलयुवर्स प्राइवेट लिमिटेड
480.	सामकिट वैलयुअर्स प्राइवेट लिमिटेड
481.	संभवनार्थ वैल्युअर्स प्राइवेट लिमिटेड
482.	मूला कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड
483.	आदेश्वर दिया-ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
484.	मूल वैलयूअर्स प्राइवेट लिमिटेड
485.	वाशुपूज्य वैल्युअर्स प्राइवेट लिमिटेड
486.	नीशाल मर्चेंडाजिंग प्राइवेट लिमिटेड
487.	पलासा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
488.	नीरव मोदी प्राइवेट लिमिटेड
489.	सोलर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
490.	बिनानी मेटल्स लिमिटेड
491.	मेनन बियरिंग्स लिमिटेड
492.	गीतांजली जेम्स लिमिटेड
493.	नक्षत्र वर्ल्ड लिमिटेड
494.	शुबालावन्या जेवेल क्राफ्टस प्राइवेट लिमिटेड
495.	हैदराबाद जेम्स सेज लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
496.	लुस्टर इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
497.	गीतांजली गोल्ड एंड प्रीसियस लिमिटेड
498.	नक्षत्र ब्रांड्स लिमिटेड
499.	स्पेक्ट्रम ज्वैलरी लिमिटेड
500.	मस्त ज्वैलरी डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
501.	गीतांजली ज्वैलरी रीटेल लिमिटेड
502.	गीतांजली लाइफस्टाइल लिमिटेड
503.	मोहर ज्वैलस लिमिटेड
504.	पर्थ जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
505.	प्रियंका जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
506.	रोहन डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड
507.	गीतांजली लेजर हाउस प्राइवेट लिमिटेड
508.	गीतांजली इम्पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
509.	इजी डायमंड प्राइवेट लिमिटेड
510.	गीतांजली इंफ्राटेक लिमिटेड
511.	संगामम होम्स प्राइवेट लिमिटेड
512.	ओरंगाबाद सेज लिमिटेड
513.	रायगढ़ जेम्स सेज लिमिटेड
514.	नंदेड सेज लिमिटेड
515.	नाशिक मल्टी सर्विसेज सेज लिमिटेड
516.	कटक लाइफस्टाइल इंडस्ट्रीयल पार्क प्राइवेट लिमिटेड
517.	कोरोनेट जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
518.	लीगेसी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड
519.	बेजल ज्वैलरी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
520.	मोडली जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
521.	गीतांजली रिटेल वेंचर्स लिमिटेड
522.	स्नीकिंग मरकनटाइल प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
523.	नागपुर मल्टी-प्रोडक्ट सेज लिमिटेड
524.	गीतांजली एक्सपोर्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड
525.	मोजार्ट ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
526.	वेस्ट बंगाल सेज लिमिटेड
527.	जॉयस ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
528.	गिली इंडिया लिमिटेड
529.	क्राई ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड
530.	मोबाइलनेक्सट टेलीसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
531.	रोहन मरकनटाइल प्राइवेट लिमिटेड
532.	डिसेंट सिक्यूरिटीज एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
533.	ओदार्य इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
534.	डिसेंट इंवेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड
535.	एन एंड जे फिनस्टोक्स प्राइवेट लिमिटेड
536.	राणे इंवेस्टमेंट लिमिटेड
537.	गजाला इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड
538.	यूरेका फिनस्टोक्स प्राइवेट लिमिटेड
539.	नेवीराज एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
540.	गीतांजली रिलेटर्स प्राइवेट लिमिटेड
541.	डायनामिक इंफ्राजोन प्राइवेट लिमिटेड
542.	इरिलेटीज टेक्नालिज प्राइवेट लिमिटेड
543.	इविदा टेक्नालाजिस प्राइवेट लिमिटेड
544.	जेवलसोक मार्केटप्लेस लिमिटेड
545.	विदर्भ मल्टी प्रोडक्ट्स सेज लिमिटेड
546.	डिजिटल ब्रांड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
547.	ट्रिनिटी एक्सपोजिशन प्राइवेट लिमिटेड
548.	इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
549.	असमी ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	कंपनी का नाम
550.	सनरीशेडल मरकनटाइल प्राइवेट लिमिटेड
551.	एमएमटीसी गीतांजली लिमिटेड
552.	एलजेओडब्ल्यू प्राइवेट लिमिटेड
553.	टीम फ्लोट प्राइवेट लिमिटेड
554.	फाइव एलीमेंट्स एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
555.	कोलकाता एक्सिस माल लिमिटेड
556.	माया रिटेल लिमिटेड
557.	निशल एंटरप्राइसेज एलएलपी
558.	पैरागॉन ज्वैलरी एलएलपी
559.	पैरॉगन मर्चनडाइजिंग एलएलपी
560.	पंचजन्य डायमंड्स एलएलपी
561.	गीतांजली गोल्ड एंड प्रीसियस एलएलपी
562.	गीतांजली रिलेटर्स एलएलपी
563.	मस्त ज्वैलरी डिस्ट्रीब्यूशन एलएलपी
564.	रोटोमेक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
565.	क्राउन एल्बा राइटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
566.	रोटोमेक पोलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड
567.	रोटोमेक एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
568.	आरएफल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
569.	आनंदवेश्वर निर्मान प्राइवेट लिमिटेड
570.	कोठरी फुड्स एंड फ्रेगंसिस प्राइवेट लिमिटेड
571.	रोटोमेक एक्सिम प्राइवेट लिमिटेड
572.	सनराइज ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
573.	मोहन स्टील्स लिमिटेड
574.	रेव मोटी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड
575.	यूनाईटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

माल और सेवा कर संग्रहण

4809. **श्री आर. गोपालकृष्णन:**

डॉ. के. गोपाल:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माल और सेवा कर (जी.एस.टी.) संग्रहण में जनवरी, 2018 के महीने में इसकी शुरुआत से पूर्व के महीने की तुलना में अत्यधिक कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या देश भर में माल और सेवा कर के अंतर्गत भरे गए रिटर्न में एक करोड़ से अधिक व्यापार का लगभग 70 प्रतिशत भरा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या अन्य प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) 1 जुलाई, 2017 से सरकार द्वारा संग्रहीत केन्द्रीय माल और सेवा कर (सी.जी.एस.टी.), राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.), एकीकृत माल और सेवा कर (आई.जी.एस.टी.) और उपकर के माह-वार समेकित आंकड़े निम्नवत् हैं:

(राशि करोड़ रु. में)

माह	संग्रहण
अगस्त, 2017	93,590
सितम्बर, 2017	93,029
अक्तूबर, 2017	95,132
नवम्बर, 2017	85,931
दिसम्बर, 2017	83,716
जनवरी, 2018	88,929

जी.एस.टी. संग्रहण पिछले दो महीनों की तुलना में जनवरी, 2018 माह में बढ़े हैं।

(ग) जनवरी, 2018 माह में दाखिल की गई विवरणियों का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:

करदाताओं की संख्या जिनको विवरणी दाखिल करना अपेक्षित था (समझौता वाले करदाताओं के अलावा)	दाखिल करने की अंतिम तिथि तक दाखिल जीएसटी-आर-3बी	दाखिल करने की अंतिम तिथि तक दाखिल विवरणियों की प्रतिशतता	18 मार्च, 2018 तक दाखिल	18 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार दाखिल करने की प्रतिशतता
83,52,202	53,94,018	64.58%	62,96,048	75.38%

(घ) सरकार अपवंचन को रोकने के साथ-साथ करदाताओं को नई कर व्यवस्था के बारे शिक्षित करने और स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है। उठाए जा रहे कदमों में ई-वे बिल की शुरुआत, कर विवरणी दाखिली करने के उपायों का सरलीकरण, संव्यवहारों के बीजक विवरणों को कैप्चर करने के लिए कदम ताकि उसका मिलान ली गई क्रेडिट के साथ किया जा सके और करदाताओं द्वारा लिए गए परिवर्तन काल क्रेडिट का सत्यापन शामिल है।

दवाओं की गुणवत्ता

4810. **श्री ताम्रध्वज साहू:**

श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी चिकित्सा पद्धतियों के संवर्धन और विकास हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजन हेतु विनिर्दिष्ट और आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयुष दवाइयों से सुरक्षा और उनकी गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए आयुष हेतु एक केंद्रीय ओषधि नियंत्रक कार्यालय स्थापित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान जांच किए गए 330 नमूनों में से 36 नमूने असफल रहे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी चूककर्ता कंपनियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) देश में आयुष दवाइयों से सुरक्षा, गुणवत्ता और मानकीकरण हेतु सरकार द्वारा क्या अन्य उपाय किए जा रहे हैं?

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): (क) देश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने और विकसित करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किए गए कार्यकलापों का विवरण निम्नानुसार है:

(i) राष्ट्रीय आयुष मिशन का कार्यान्वयन जो आयुष सेवाओं तक बेहतर पहुंच, आयुष शैक्षणिक संस्थानों का सुदृढ़ीकरण, आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी (ए.एस.यू. एंड एच.) औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण के प्रवर्तन को सुविधाजनक बनाने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ए.एस.यू. एंड एच. औषधों की कच्ची सामग्री की सतत् उपलब्धता की परिकल्पना करता है।

(ii) आयुष औषधियों के सुरक्षित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए ए.एस.यू. एंड एच. औषधों के गुणवत्ता मानकों का संवर्धन।

(iii) आरोग्य मेलों, सम्मेलनों, प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों, कार्यशालाओं, परिसंवादों का आयोजन और पूरे देश में नागरिकों के बीच जागृति अभियान चलाकर इलैक्ट्रॉनिक मल्टीमीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रचार।

(iv) आयुष चिकित्सा पद्धति में अनुसंधान करने के लिए विभिन्न अनुसंधान संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।

(v) एक निश्चित तिथि को आयुष की प्रत्येक पद्धति अर्थात् आयुर्वेद दिवस, योग दिवस, यूनानी दिवस, सिद्ध दिवस और होम्योपैथी दिवस का आयोजन।

(vi) देश के अलग-अलग भागों में विभिन्न आयुष पद्धतियों के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों की स्थापना।

(ख) आयुष पद्धतियों के संवर्धन और विकास के लिए विभिन्न कार्यकलापों हेतु निधियां केंद्रीय क्षेत्रक एवं केंद्रीय प्रायोजित दोनों

स्कीमों के माध्यम से आबंटित की जाती हैं। इस उद्देश्य के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान आयुष मंत्रालय को किए गए कुल आबंटन का विवरण निम्नानुसार है:

(रु. करोड़ में)

2014-15	2015-16	2016-07	2017-18 (केवल राजस्व/पूंजी अनुभाग)
691	1125	1307.86	1557.80

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुष मिशन की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन विभिन्न राज्यों को आबंटित निधि का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में है।

(ग) जी, हां। सरकार ने आयुष औषधियों की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु विनियामक उपायों को सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन (सी.डी.एस.सी.ओ.) के अधीन आयुष हेतु केंद्रीय औषध नियंत्रक का कार्यालय स्थापित किया है। वित्त मंत्रालय ने उप औषध नियंत्रकों के दो पद, सहायक औषध नियंत्रकों के तीन पद निरीक्षकों के सात पद सृजित करने के लिए प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सी.डी.एस.सी.ओ. में आयुष की उर्ध्वाधर संरचना के सृजन हेतु प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। तद्नुसार, सी.डी.एस.सी.ओ. ने सी.डी.एस.सी.ओ. में आयुष उर्ध्वाधर सृजित करने हेतु एक आदेश दिनांक 05.02.2018 जारी कर दिया है जिसके अंतर्गत इस मंत्रालय के वर्तमान अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार देकर 12 पदों को क्रियाशील कर दिया गया है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षण रिपोर्ट तथा राज्य सरकार द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) सरकार ने देश में आयुष औषधियों के सुरक्षा, गुणवत्ता एवं मानकीकरण के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:-

(i) औषधियों के विनिर्माण के लिए गुणवत्ता मानकों और मानक संचालन प्रक्रियाओं के विकास और संशोधन हेतु भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पी.सी.आईएम. एंड एच.) तथा भेषजसंहिता समितियां गठित की हैं।

(ii) 847 आयुर्वेदिक औषधों और 448 यूनानी औषधों के गुणवत्ता मानक संबंधित भेषजसंहिताओं में विकसित और प्रकाशित किए गए हैं। औषधियों में भारी धातुओं, कीटनाशक अवशेषों, एफ्लाटाक्सिन और माइक्रोबियल लोड की अनुज्ञेय सीमा भी निर्धारित की गई है।

(iii) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के नियम 158ख में सुरक्षा और प्रभावकारिता के प्रमाण के अनुरूप आयुर्वेदिक और यूनानी औषधियों के विनिर्माण के लिए लाइसें जारी करने हेतु विनियामक दिशा निर्देश दिए गए हैं।

(iv) संदर्भित औषध नमूनों के परीक्षण के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 के प्रावधानों के तहत भारतीय चिकित्सा भेषजसंहिता प्रयोगशाला स्थापित की गई है और अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में अधिसूचित है।

(v) आयुर्वेदीय, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक औषधियों के लिए आदर्श विनिर्माण अभ्यास (जी.एम.पी.) के दिशा-निर्देश औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली, 1945 में शामिल किए गए हैं।

(vi) ए.एस.यू. औषधियों को निर्यात करने में रुचि रखने वाले औद्योगिक एकांशों के लिए स्वैच्छिक आधार पर भारतीय गुणवत्ता परिषद द्वारा इन औषधियों के डब्ल्यू.एच.ओ.-जी.एम.पी. प्रमाणन और गुणवत्ता प्रमाणन की प्रणाली विद्यमान है।

(vii) फार्मेसियों, औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रवर्तन तंत्र और औषधों के परीक्षण के सुदृढ़ीकरण सहित इन औषधों के गुणवत्ता नियंत्रण को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान मुहैया कराया जाता है।

(viii) आयुर्वेदिक, सिद्ध और यूनानी औषधों से संबंधित कानूनी प्रावधानों के प्रवर्तन के लिए जब और जैसे आवश्यक हो राज्य सरकारों को निर्देश देने के लिए औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 33त के अंतर्गत केंद्रीय सरकार के पास शक्तियां निहित हैं।

विवरण-I

राष्ट्रीय आयुष मिशन (एन.ए.एम.) की केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के अधीन 2014-15, 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को चिह्नित/आबंटित निधियों का विवरण

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल योग
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.00	151.77	394.82	302.33	848.92
2.	आंध्र प्रदेश	309.92	1400.38	1125.53	1176.01	4011.85
3.	अरुणाचल प्रदेश	101.13	527.55	465.45	545.70	1639.84
4.	असम	668.97	1410.50	1631.64	2390.69	6101.82
5.	बिहार	0.00	313.97	1752.91	0.00	2066.88
6.	चंडीगढ़	0.00	0.00	509.32	490.52	999.84
7.	छत्तीसगढ़	281.41	858.25	1624.73	1226.75	3991.16
8.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	91.79	143.40	235.20
9.	दमन और दीव	0.00	0.00	113.18	0.00	113.18
10.	दिल्ली	132.70	593.59	0.00	0.00	726.30
11.	गोवा	0.00	118.72	622.59	262.46	1003.79
12.	गुजरात	332.39	792.69	1533.04	1274.39	3932.52
13.	हरियाणा	213.58	579.79	1034.39	848.44	2676.21
14.	हिमाचल प्रदेश	0.00	421.48	614.21	718.92	1754.61
15.	जम्मू और कश्मीर	226.26	792.15	769.20	992.58	2780.21
16.	झारखंड	0.00	624.72	48.01	0.00	672.73
17.	कर्नाटक	359.11	1560.25	1241.45	2059.86	5220.69
18.	केरल	254.66	1273.77	891.20	2096.23	4515.88
19.	लक्षद्वीप	0.00	189.22	509.72	63.74	762.69
20.	मध्य प्रदेश	644.94	3253.34	2645.33	3059.68	9603.29
21.	महाराष्ट्र	534.67	1282.73	529.18	1784.28	4130.87
22.	मणिपुर	226.81	828.80	1229.98	1339.32	3624.92
23.	मिजोरम	134.64	405.69	603.75	693.47	1837.57
24.	मेघालय	116.27	375.11	802.74	738.25	2032.38

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	कुल योग
25.	नागालैंड	115.61	873.09	521.28	1516.91	3026.90
26.	ओडिशा	471.72	1865.28	1221.30	1561.02	5119.32
27.	पुदुचेरी	60.00	144.17	170.00	200.00	574.17
28.	पंजाब	316.00	299.50	1317.81	1348.66	3281.98
29.	राजस्थान	638.06	2819.60	2225.20	6893.25	12576.13
30.	सिक्किम	66.42	608.15	874.07	180.08	1728.73
31.	तमिलनाडु	0.00	87.70	1980.54	2789.07	4857.31
32.	तेलंगाना	330.00	1091.46	1330.69	1055.11	3807.27
33.	त्रिपुरा	238.11	472.35	334.06	1195.54	2240.07
34.	उत्तर प्रदेश	0.00	4539.27	8466.62	6280.23	19286.12
35.	उत्तराखंड	284.00	621.23	1187.92	1986.09	4079.26
36.	पश्चिम बंगाल	471.23	1924.85	1298.05	1654.64	5348.78
	कुल	7528.70	33101.24	41711.84	48867.74	131209.55

विवरण-II

पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दोषी कंपनियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पिछले तीन वर्षों एवं चालू वर्ष के दौरान आयोजित परीक्षणों की संख्या	नकली/घटिया/ अपमिश्रित घोषित किए गए औषध	नकली आयुष औषधियों की बिक्री और वितरण के विरुद्ध बुक किए गए मामले	की गई कार्रवाई
1	2	3	4	5	6
1.	छत्तीगढ़	309	19	शून्य	भारत सरकार द्वारा विरचित छान-बीन समिति की सिफारिशों के अनुसार विफल हुए नमूनों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।
2.	गुजरात	913	9	10	
3.	कर्नाटक	3433	76	-	1. औषधियों के विफल बैच को बाजार से वापस ले लिया जाता है। 2. औषधियों के विफल बैच की बिक्री कर्नाटक में प्रतिबंध की गई।

1	2	3	4	5	6
4.	चंडीगढ़	2128	218	-	1. 10 फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द किए गए। 20 फार्मेसियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। 2. 8 फार्मेसियों के लाइसेंस रद्द किए गए।
5.	तमिलनाडु	5574	171	-	
6.	ओडिशा	224		-	
7.	दिल्ली	13573	83	-	
8.	त्रिपुरा	307		-	
9.	उत्तराखंड	513	46	-	
10.	पश्चिम बंगाल	31	10	4	मानदंडों के अनुसार फर्म के विरुद्ध कार्रवाई की गई है
11.	हिमाचल प्रदेश	2696	144	-	
12.	केरल	1749	23	7	ऐसे 06 उत्पादों के लाइसेंस रद्द किए गए।

टिप्पणी:- शेष राज्यों ने शून्य सूचना दी है।

पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई.

4811. **श्री राजेश पाण्डेय:**

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुर्घटना बीमा कवरेज सहित बीमा कवरेज को प्रोत्साहन देने हेतु प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) जैसी योजनाएं प्रारंभ की हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) सरकार द्वारा योजनाओं के कार्यान्वियन में सामना की जा रही चुनौतियों और योजनाओं की की गई समीक्षा का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वियन में आ रही समस्याओं से उबरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या योजना के कार्यान्वियन के पश्चात् संबंधित सूचकांकों में कोई सुधार हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी सूचकांकों के वितरण का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत अब तक हुए नामांकन का ब्यौरा क्या है और देश की जनसंख्या की तुलना में इन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पी.एम.जे.जे.बी.वाई.) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पी.एम.एस.बी.वाई.) का शुभारम्भ 09 मई, 2015 को किया गया था। इन योजनाओं के तहत कवर अवधि प्रत्येक वर्ष के 1 जून से अगले वर्ष के 31 मई तक की है। इन योजनाओं का प्रस्ताव/अभिशासन अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी बैंकों के सहयोग से सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों की बीमा कंपनियों दोनों के माध्यम से किया जाता है।,

पी.एम.जे.जे.बी.वाई. में 18 से 50 वर्ष के आयु समूह के सभी अभिदाता बैंक खाताधारकों को प्रति अभिदाता 330 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम जिसे अभिदाता के बैंक खाते से ऑटो-डेबिट किया जाना है, पर किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करते हुए दो लाख रुपये का नवीकरणीय वार्षिक जीवन कवर का प्रस्ताव किया गया है। उसी प्रकार, पी.एम.एस.बी.वाई. में प्रति अभिदाता 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 18 से 70 वर्ष के आयु वर्ग के सभी अभिदाता करने वाले बैंक खाताधारकों को नवीकरणीय वार्षिक दुर्घटना मृत्यु एवं

विकलांगता बीमा कवर प्रदान करता है। इस योजना में दुर्घटना मृत्यु या पूर्ण स्थायी विकलांगता के लिए 2 लाख रुपये का और स्थायी आंशिक विकलांगता के मामले में एक लाख रुपये का बीमा कवर प्रदान किया गया है।

(ख) और (ग) पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई. आम लोगों, खासकर समाज के गरीब और अल्प सेवित वर्ग को बीमा कवर प्रदान करता है। सरकार के साथ-साथ निजी क्षेत्र के बीमा कंपनियों जैसे भारतीय जीवन बीमा निगम ने आबादी के बड़े वर्गों के बीच जागरूकता प्रदान करने के लिए व्यापक अभियान का आयोजन किया था और इन योजनाओं तक पहुंच के लिए भी सभी प्रयास किए गए थे। अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस योजना से जुड़े फार्मों, नियमों इत्यादि सहित सभी संगत सामग्री/सूचना प्रदान करने वाली एक विशेष वेबसाइट *www.jansuraksha.gov.in* तैयार की गई। इस योजना के तहत दावों के निपटान से संबंधित प्रगति की मॉनीटरिंग सरकार द्वारा नियमित आधार पर की जाती है। इन योजनाओं से संबंधित किसी शिकायत का त्वरित समाधान बैंकों और बीमा कंपनियों के साथ समन्वय करके किया जाता है।

(घ) और (ङ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत हुए नामांकन का ब्यौरा और देश की जनसंख्या की तुलना में इन योजनाओं के अंतर्गत कवर किए गए लाभार्थियों का राज्य/संघ राज्य-वार प्रतिशत

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित राज्यों के नाम	पीएमजेजेबीवाई			पीएमएसबीवाई		
		पीएमजेजेबीवाई नामांकन	निपटाना गए दावों का अनुपात	पात्र लोगों का प्रतिशत	पीएमएसबीवाई नामांकन	निपटाना गए दावों का अनुपात	पात्र लोगों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	13,417	100.00%	6.12%	25,939	उ.न.	9.64%
2.	आंध्र प्रदेश $$	180,40,161	94.35%	5.39%	267,94,786	95.45%	17.70%
3.	अरुणाचल प्रदेश	33,871	94.67%	5.87%	54,557	उ.न.	8.28%
4.	असम	5,84,825	98.01%	3.88%	15,42,341	91.67%	8.24%
5.	बिहार	12,66,498	93.74%	3.65%	44,35,787	95.21%	9.97%
6.	चंडीगढ़	49,270	93.33%	4.66%	1,80,897	91.84%	13.38%
7.	छत्तीसगढ़	11,20,568	96.43%	9.32%	48,78,782	93.16%	32.42%
8.	दादरा और नगर हवेली	18,100	96.88%	5.56%	38,729	100.00%	10.59%
9.	दमन और दीव	13,611	100.00%	7.16%	30,015	उ.न.	13.91%
10.	गोवा	1,13,053	97.77%	6.64%	2,34,179	96.83%	11.00%
11.	गुजरात	21,42,005	92.47%	7.34%	50,85,989	95.77%	13.66%
12.	हरियाणा	8,03,608	94.49%	5.25%	27,16,634	91.49%	13.59%
13.	हिमाचल प्रदेश	2,44,435	96.70%	7.57%	9,70,141	91.89%	22.04%
14.	जम्मू और कश्मीर	2,62,659	98.08%	3.33%	6,06,542	97.73%	8.38%

1	2	3	4	5	6	7	8
15.	झारखंड	4,39,311	96.75%	3.17%	17,33,879	95.30%	10.97%
16.	कर्नाटक	29,02,855	98.50%	8.60%	63,87,312	95.79%	14.82%
17.	केरल	7,59,384	97.89%	5.35%	36,73,381	97.02%	18.02%
18.	लक्षद्वीप	1,147	N/A	2.95%	4,510	उ.न.	9.73%
19.	मध्य प्रदेश	18,22,529	96.59%	5.08%	74,07,563	95.33%	17.42%
20.	महाराष्ट्र	34,49,919	95.82%	6.07%	80,03,951	95.22%	11.39%
21.	मणिपुर	30,031	97.87%	2.75%	87,690	100.00%	6.09%
22.	मेघालय	36,681	89.86%	3.41%	77,784	66.67%	5.98%
23.	मिजोरम	46,453	98.78%	7.47%	72,568	100.00%	9.70%
24.	नागालैंड	19,076	96.36%	3.51%	48,569	उ.न.	7.45%
25.	दिल्ली	8,74,887	94.65%	5.89%	22,21,327	95.47%	11.47%
26.	ओडिशा	9,18,132	96.69%	4.36%	35,93,515	94.77%	13.89%
27.	पुदुचेरी	64,443	96.00%	7.83%	1,93,922	94.87%	17.97%
28.	पंजाब	6,04,813	96.51%	4.28%	32,88,932	94.05%	17.38%
29.	राजस्थान	13,45,160	89.33%	5.07%	47,74,162	94.59%	13.88%
30.	सिक्किम	26,355	100.00%	6.51%	46,679	75.00%	9.32%
31.	तमिलनाडु	23,26,177	97.35%	5.06%	68,65,370	92.97%	11.50%
32.	तेलंगाना	16,78,284	96.21%	6.44%	55,26,435	98.17%	16.35%
33.	त्रिपुरा	99,101	83.62%	4.45%	3,11,420	90.00%	10.85%
34.	उत्तर प्रदेश	31,63,381	93.11%	3.50%	116,66,598	94.76%	10.33%
35.	उत्तराखंड	3,30,352	93.02%	5.12%	12,93,280	95.60%	16.25%
36.	पश्चिम बंगाल	12,51,194	97.18%	2.80%	55,91,359	86.77%	9.74%
37.	अन्य और गैर-सीबीएस नामांकन**	61,08,451			136,27,812		
	कुल योग	530,04,197	95.13%	5.05%	1340,93,336	94.62%	13.20%

** लाभार्थियों को वस्त्र मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास, एम.एस.एम.ई. और पशुपालन विभाग, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग से उनके तत्संबंधित भूतपूर्व बीमा योजनाओं से समन्वित किया गया है। गैर-सी.बी.एस. नामांकन शहरी सहकारी बैंकों, जिन्होंने सी.बी.एस. प्रणाली को नहीं अपनाया था, के अभिदाताओं से संबंधित है।

$$ आंध्र प्रदेश राज्य में ए.ए.बी.वाई. से पी.एम.जे.जे.बी.वाई. और पी.एम.जे.जे.बी.वाई. से समन्वित क्रमश: 1.65 करोड़ और 1.99 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।

खुला बजट सर्वेक्षण

4812. **श्री धर्मवीर:**

श्री मलयाद्रि श्रीराम:

श्री हरीश मीना:

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुला बजट सर्वेक्षण (2017) के अनुसार भारत के बजट पारदर्शिता स्कोर में भारी गिरावट आई है जो कि 100 में से 68 (2012 में) से घटकर 48(2017) रह गया है जो कि दक्षिण एशियाई देशों नेपाल (52) और अफगानिस्तान (49) से भी पीछे है जैसा कि दिल्ली पोस्ट न्यून में प्रकाशित हुआ है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार भारत की बजट पारदर्शिता और खुला बजट सूचकांक स्कोर में सुधार लाने की योजना बना रही है और यदि हां, तो लक्षित स्कोर का ब्यौरा क्या है और इस को प्राप्त करने के लिए प्रस्तावित समय सीमा क्या है; और

(ग) बजटीय पारदर्शिता, निगरानी और विशेष रूप से सार्वजनिक भागीदारी में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है क्योंकि सार्वजनिक भागीदारी में भारत का स्कोर सबसे कम (100 में से 15) रहा?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारत सरकार की बजट तैयार करने की प्रक्रिया अत्यधिक पारदर्शी है। बजट मंत्रालयों/विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के आधार पर तैयार किया जाता है। राज्यों तथा प्रमुख स्टेक होल्डरों से भी राय ली जाती है। 1 फरवरी को बजट पेश किए जाने के बाद बजट से संबंधित सभी दस्तावेज पब्लिक डोमेन (*indiabudget.nic.in*) पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। बजट पर संसद में चर्चा की जाती है, विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों द्वारा उसकी जांच की जाती है तथा उसके पक्ष में संसद में मत देकर उसे पारित किया जाता है। पब्लिक डोमेन में बजट से संबंधित दस्तावेजों के उपलब्ध होने से सार्वजनिक स्तर पर बजट के संबंध में अधिकाधिक चर्चा संभव हो पाती है। इसके संबंध में जांच से संबंधित कार्य भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा किए जाते हैं जिनके रिपोर्टें संसद के पटल पर नियमित रूप से रखी जाती हैं।

[हिंदी]

बालकों की बेहतरी

4813. **श्री संजय हरिभाऊ जाधव:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि मुंबई और दिल्ली जैसे महानगरों में बड़ी संख्या में बच्चे सड़कों पर रहते हैं और यातायात सिग्नलों पर सामान बेचते हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे बच्चों की बेहतरी हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) से (ग) किशोर न्याय (बाल देख-रेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 (जे जे एक्ट) की धारा 2(14) (ii) के अनुसार ऐसे बालक, जो वर्तमान समय में प्रवर्तित श्रम कानूनों के प्रतिकूल कार्य करता पाया जाता है अथवा भीख मांगता पाया जाता है अथवा गली-कूचों में रह रहा है, को अन्य बालकों के साथ "देख-रेख और संरक्षण की जरूरत वाले बालक" के रूप में शामिल किया जाता है। अधिनियम के क्रियान्वयन की प्राथमिक जवाबदेही राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की है। तथापि, केंद्र सरकार समेकित बाल विकास सेवाओं के तहत समेकित बाल संरक्षण स्कीम (आई.सी.पी.एस.), अब बाल संरक्षण सेवाएं, का प्रबंध कर रहा है और राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों को साझा पैटर्न पर अन्य बातों के साथ-साथ कठिन परिस्थितियों में बच्चों का परिस्थितिजन्य विश्लेषण करने, विभिन्न प्रकार की बाल देख-रेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) की स्थापना करने और उनका अनुरक्षण करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। स्कीम के तहत बाल देख-रेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) के माध्यम से पुनर्वास के रूप में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है। इन बाल देख-रेख संस्थाओं (सी.सी.आई.) में या तो संस्था के भीतर अथवा बाहर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के तहत बालकों को आयुवार उचित शिक्षा सरकार अथवा सिविल सोसायटी की अन्य स्कीमों के अभिकरण के माध्यम से प्रदान की जाती है। गैर-संस्थागत देख-रेख घटक के तहत दत्तक-ग्रहण, धात्री देख-रेख और प्रायोजकत्व के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

बैंकों का समेकन

4814. **श्रीमती के. मरगथम:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राज्यों द्वारा चलाए जा रहे बैंकों में समेकन की प्रक्रिया की निगरानी के लिए मंत्रियों का कोई पैनल स्थापित किया है; और

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र के बैंकों के विज्ञापन का निर्णय बढ़ती अर्थव्यवस्था की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और झटके को सहन करने में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मक बैंकों के सृजन में सहायता करेगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970 और 1980 में यह व्यवस्था है कि केंद्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के साथ किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा किसी अन्य वित्तीय संस्थान के समामेलन के लिए योजना तैयार कर सकती है। मजबूत और प्रतिस्पर्धी बैंक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य समेकन को सुलभ बनाने की दृष्टि से, जो बैंक के सुधरे हुए जोखिम प्रोफाइल के साथ वृद्धि के लिए उत्प्रेरक का कार्य करेगा, सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को समामेलित करने के प्रस्ताव के लिए अनुमोदन ढांचे के रूप में मंत्रियों के पैनल वाले वैकल्पिक तंत्र को स्थापित किया है।

जल गुणवत्ता अनुसंधान संबंधी अनुसंधान परियोजनाएं

4815. **श्री आर. पार्थिपन:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूनाइटेड किंगडम और भारत ने हाल ही में वॉटर क्वालिटी रिसच और एनर्जी डिमांड प्रोडक्शन इन वर्ल्ड एनवायरनमेंट पर संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन परियोजनाओं का लक्ष्य नए परस्पर लाभों और अनुसंधान समाधानों को प्रदान करना ही नहीं बल्कि यू.के. और भारत को साझा वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना भी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह स्थानीय समुदायों, नीति-निर्माताओं, विनियामक और व्यापारियों को सूचना और समाधानों से सुसज्जित करने का है जिन्हें स्वच्छ जल पुनरोद्धार नदियों और पुन: बहाल पारिस्थितिकी तंत्र के सुरक्षित प्रावधान की आवश्यकता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम (यू.के.) ने फरवरी, 2018 में 'वॉटर क्वालिटी रिसर्च' और 'एनर्जी डिमांड प्रोडक्शन इन बिल्ट इनवायरनमेंट' पर संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं शुरू हैं। जल गुणवत्ता निगरानी के लिए आप्टिकल सेंसर प्लेटफार्म, निर्गमन संदूषणों का परिणाम और प्रबंधन से संबंधित कार्यक्रम, वर्षा जल संचयन और इसके प्रभावों, वेम्बानाड झील का पुनरुद्धार, गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक का उपचार, स्वच्छ जल प्रणालियों के लिए सेंसर्स एवं शोधन प्रौद्योगिकियों, मार्गों और प्रदूषकों का विकास तथा एंटीमाइक्रोबियल सह्य प्रदूषकों से संबंधित 'जल गुणवत्ता अनुसंधान' के अंतर्गत, 'इन बिल्ट इनवायरनमेंट में एनर्जी डिमांड रिडक्शन' के अंतर्गत जिन 4 परियोजनाओं को सहायता दी जाती है, ये आवासीय भवन ऊर्जा मांग में कमी, शून्य पीक ऊर्जा बिल्डिंग डिजायन, बिल्ट इनवायरनमेंट एनर्जी रिसर्च के लिए एकीकृत शहरी मॉडल और सामुदायिक मापदण्ड पर ऊर्जा मांग में कमी करने से संबंधित हैं। इन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा यू.के. के नेचुरल इनवायरनमेंट रिसर्च काउंसिल (एन.ई.आर.सी.), इंजीनियरिंग और भौतिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (ई.पी.एस.आर.सी.) तथा सामाजिक अनुसंधान परिषद (ई.एस.आर.सी.) के सहयोग से सहायता दी जाएगी।

(ग) से (ङ) इन अनुसंधान परियोजनाओं का उद्देश्य दोनों देशों को परस्पर लाभ और अनुसंधान समाधान प्रदान करना और साथ ही स्वच्छ जल और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में सहभागी वैश्विक सतत् विकास लक्ष्यों का समाधान करना है। जल गुणता अनुसंधान कार्यक्रम विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों के स्रोतों और परिणाम की बेहतर जानकारी प्रदान करना है जिससे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रबंधन की रणनीतियां बनाई जा सकेंगी। इन परियोजनाओं से जल गुणवत्ता मामलों के हक के लिए प्रभावी तकनीकों का विकास और स्वच्छ जल की प्राप्ति, नदियों और अन्य जल निकायों का संरक्षण होगा और जनता तथा पर्यावरण, दोनों को लाभ पहुंचेगा।

अथिरापल्ली पनबिजली परियोजना हेतु पर्यावरण मंजूरी

4816. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:**

प्रो. सौगत राय:

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में पर्यावरण मंजूरी हेतु जल विद्युत परियोजनाओं की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ख) ऐसी परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान करने में विलंब होने के कारण क्या हैं;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने अपने पड़ोसी राज्यों में पनबिजली परियोजनाओं के निर्माण में आपत्ति जताई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल राज्य सरकार ने अथिरापल्ली पनबिजली परियोजनाओं हेतु पर्यावरण मंजूरी मांगी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव पर विचार किया है और इस संबंध में कोई निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) से (ङ) मंत्रालय में पर्यावरण मंजूरी हेतु पांच जल विद्युत परियोजनाएं विचाराधीन हैं। इनमें से, चार जल विद्युत परियोजनाओं पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन मंजूरी चरण-I प्राप्त होने के पश्चात् विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने केरल के त्रिसूर जिले में स्थित अथिरापल्ली जल विद्युत (163 मेगावाट) परियोजना को दिनांक 18.07.2007 में पर्यावरण मंजूरी दी है। इसकी वैधता दिनांक 17.07.2017 को समाप्त हो गई है।

कॉरपोरेट द्वारा गैर-अनुपालना

4817. **श्री के. अशोक कुमार:** क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कॉरपोरेट से यह स्पष्ट किया है कि गैर-अनुपालना बहुत महंगी पड़ेगी और कंपनियों का उपयोग गलत प्रयोजनों हेतु करने के खतरनाक कार्यों को रोकने के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पहले से ही 2.24 लाख कंपनियों को हटा लिया है जो लंबे समय से व्यवसाय नहीं कर रही थीं तथा ऐसी कंपनियों से संबंधित तीन लाख से अधिक निवेशकों को अयोग्य करार दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या वैध व्यवसाय के लिए चीजों का सरलीकरण किया जा रहा है जबकि अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अवरोधों को मजबूत किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) और (ख) सरकार ने उन कंपनियों को गंभीरता से लिया है जिन्होंने कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के प्रावधानों के अनुसार अपनी सांविधिक विवरणियों की फाइलिंग में गैर-अनुपालन किया है। इस अधिनियम की धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है जो कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती 2(दो) वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर, 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31.03.2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए।

इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की गई है। उपर्युक्त 3,09,619 अयोग्य निदेशकों में से 2,10,116 अयोग्य निदेशक नाम काटी गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

(ग) सरकार ने अनुपालन न करने वाली कंपनियों के लिए उनकी लंबित सांविधिक विवरणियों की फाइलिंग को नियमित करने और अनुपालन करने हेतु दिनांक 01.01.2018 से 31.03.2018 तक की अवधि के लिए माफी योजना (सी.ओ.डी.एस.), 2018 की शुरुआत की है।

उच्चतर शैक्षिक संस्थानों में खाद्य सुरक्षा संपरीक्षा

4818. **डॉ. किरीट सोमैया:**

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एफ.एस.एस.ए.आई. ने हाल में उच्चतर शिक्षा में शीर्ष केंद्रीय संस्थानों की खाद्य सुरक्षा लेखा संपरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ज्यादातर संस्थान लेखा संपरीक्षा में असफल रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त लेखापरीक्षा में शामिल एजेंसियों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उच्चतर शिक्षा संस्थानों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किस कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने 11 केंद्रीय उच्च शिक्षा संस्थाओं का मसौदा खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा) विनियमन, 2017 के तहत अनंतिम तौर पर पहचान की गई, लेखा परीक्षा एजेंसियों के माध्यम से तीसरी पार्टी खाद्य सुरक्षा लेखा परीक्षा की है तथा इनमें से दस संस्थाओं के संबंध में लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्राप्त की हैं। खाद्य सुरक्षा एवं मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण) विनियम, 2011 के तहत निर्धारित किए गए खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई संबंधी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए इन लेखा परीक्षाओं का आयोजन नमूना आधार पर किया गया था।

(ग) इन दस में से सात संस्थानों को खाद्य सुरक्षा तथा विभिन्न स्तरों पर स्वच्छता के निर्धारित मानकों के गैर अनुपालन में पाया गया है।

(घ) जो संस्थान तथा एजेंसियां लेखा परीक्षा आयोजित करते हैं उनके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) लेखा परीक्षा की रिपोर्टें प्राप्त होने पर इन संस्थानों को सूचित किया गया कि खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम, 2006 की धारा 31(1) के तहत एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा उनके हॉस्टल/कैंटीन आदि के पास लाइसेंस/पंजीकरण होना चाहिए तथा इन विनियमों के तहत निर्धारित एफ.एस.एस.ए.आई. के मानकों का अनुपालन करना चाहिए। लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा निष्कर्षों के सारांश के उचित कार्रवाई/सुधारों हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए साझा किया गया।

अपने-अपने परिसरों में खाद्य स्वच्छता के स्तर में सुधार लाने के लिए संस्थानों को एफ.एस.एस.ए.आई. के खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण तथा प्रमाणन (एफ.ओ.एस.टी.ए.सी.) कार्यक्रम के तहत एक खाद्य सुरक्षा निरीक्षक के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए एक सदस्य को नामित किया जाना चाहिए। एफ.एस.एस.ए.आई. ने सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को उनके हॉस्टल मैस/कैंटीन आदि के लिए एफ.एस.एस., अधिनियम, 2006 के अनुच्छेद 31(1) के प्रावधानों के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. से लाइसेंस प्राप्ति/पंजीकरण कराने के लिए आवश्यक अनुदेश जारी करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय से यह भी अनुरोध किया गया है कि उच्च शिक्षा संस्थानों के अधिकारियों में से किसी एक ऐसे व्यक्ति को उच्चतर शिक्षा संस्थानों को अनुदेश जारी करने के लिए नामित किया जाए जिसे एफ.एस.एस.ए.आई. द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी के तौर पर अधिसूचित किया जा सकता है।

विवरण

लेखा परीक्षा करने वाले संस्थानों और एजेंसियों का ब्यौरा

क्र.सं.	केंद्रीय संस्थान का नाम	लेखा परीक्षा एजेंसी के नाम और संपर्क विवरण
01.	आईआईएम, अहमदाबाद	डीएनवी जीएल बिजनेस आश्वासन इक्विनॉक्स बिजनेस पार्क, टॉवर 3, 6वां तल मंजिल, बीकेसी के सामने, एलबीएस रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई-400 070, भारत
02.	आईआईएससी, बैंगलौर	ब्यूरो वेरिटास (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड एफ-4, सेक्टर-3, नोएडा-201301
03.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, दिल्ली	इंटरटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-20, ब्लॉक बी 1, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीयल एस्टेट, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044

क्र.सं.	केंद्रीय संस्थान का नाम	लेखा परीक्षा एजेंसी के नाम और संपर्क विवरण
04.	आईआईएम, दिल्ली	यथोपरि
05.	आईआईटी, दिल्ली	यथोपरि
06.	आईआईटी, मुंबई	आईआरसीएलएएसएस सिस्टम्स एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड 52 ए, आदि शंकराचार्य, दूसरी मंजिल, नई विंग, क्षपवई झील के सामने, पवई, मुंबई-400 072
07.	आईआईटी, गुवाहाटी	एमएस सर्टिफिकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 3/23, आर के चटर्जी रोड, कोलकाता-700042
08.	आईआईएसईआर, कोलकाता	यथोपरि
09.	आईआईटी, चेन्नई	एसजीएस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इकोस्पेस, ब्लॉक-3ए, 2 तल, ईस्ट विंग, परिसर आईआईएफ/11, एक्शन एरिया-II, राजारहाट, न्यूटाउन, कोलकाता-700, 156
10.	एम्स, जोधपुर	यथोपरि
11.	आईआईटी, रुड़की	आरआईआर प्रमाणन प्राइवेट लिमिटेड ए-210, यूनिटेक अर्किडिया, दक्षिण सिटी-II, सेक्टर-49, गुड़गांव-122018

ई-बीमा खाते

4819. **श्री जी.एम. सिदेश्वरा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कितने ग्राहकों ने ऐसे ई-बीमा खाते खोले हैं जिनमें बीमा-नियामकों ने इस ई-खाते के द्वारा ग्राहकों को ई-खातों से अपनी मौजूदा बीमा योजनाओं में कतिपय राशि हस्तांतरित करने और नई बीमा-पॉलिसियां खरीदने की अनुमति दी थी;

(ख) क्या सरकार बीमा संबंधी वास्तविक दस्तावेजों के गुम होने के खतरे को कम करने हेतु इस क्षेत्र की नीतियों में संशोधन/समीक्षा करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार की मौजूदा नीतियों के इलेक्ट्रॉनिक-फॉर्मेट तक ग्रामीण पॉलिसी-धारकों की कहां तक पहुंच है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.आई.) के अनुसार, 15 मार्च, 2018 की स्थिति के अनुसार, ई-बीमा खाते खोलने वाले ग्राहकों की संख्या 15,21,907 है। तथापि, ई-बीमा खाते बीमा पॉलिसियों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रह करने के लिए हैं। इन खातों को किसी निधि को रखने के लिए तैयार नहीं किया गया है जिसे नई बीमा पॉलिसियां खरीदने के लिए प्रयोग किया जा सके।

(ख) आई.आर.डी.ए.आई. ने 29 माई, 2015 को 'बीमा रिपोजिटरी पर संशोधित दिशानिर्देश और बीमा पॉलिसियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी करने' संबंधी निदेश जारी किए हैं जो पंजीकृत बीमा रिपोजिटरीज के साथ ई-बीमा खातों को तैयार कराने तथा ऐसी बीमा पॉलिसियों को उनके साथ इलैक्ट्रॉनिक रूप से संग्रह करने को सुकर बनाते हैं। वास्तविक दस्तावेजों को खोने के जोखिम को कम करने के साथ-साथ ऐसी बीमा पॉलिसियों की शीघ्र प्राप्ति को अनुमति प्रदान करने के उद्देश्य से, पॉलिसीधारक बीमा पॉलिसियों को इन ई-बीमा खातों में संग्रहीत कर सकता है। यह बीमा दावों के सरल एवं शीघ्र निपटान को सुकर बनायेगा। प्राधिकरण ने 13 जून, 2016 को आई.आर.डी.ए.आई. (ई-बीमा बीमा पॉलिसियों को जारी करना) विनियमन, 2016 को अधिसूचित भी किया है जो निर्धारित बीमित राशि और प्रीमियम की प्रारम्भिक (थ्रेसहोल्ड) सीमा वाली पॉलिसियों जिनसे ऊपर की सभी बीमा पॉलिसियों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से जारी करना आवश्यक है, के लिए अधिदेशित किया है।

(ग) 5 अक्तूबर, 2015 का आई.आर.डी.ए.आई. (सार्वजनिक सेवा केंद्रों द्वारा बीमा सेवाएं) विनियमन, 2015 बीमाकर्ता को किसी भी बीमा रिपोजिटरी के साथ पॉलिसी दस्तावेजों को गैर-भौतिक रूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करता है और ग्रामीण पॉलिसीधारकों को प्रस्ताव डाटा की साफ्ट कॉपी, दावा डाटा और अन्य कोई सूचना ग्रामीण प्राधिकृत व्यक्ति (आर.ए.पी.) से बीमाकर्ता को और इसके विपरीत क्रम द्वारा भेजने को सरल बनाता है। उपर्युक्त विनियम/दिशानिर्देश ग्रामीण क्षेत्रों में पॉलिसीधारकों को इलैक्ट्रॉनिक रूप से बीमा पॉलिसियों को रखने को सुकर बनाते हैं।

बाघ संरक्षण क्षेत्रों में वैश्विक मानक

4820. **श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघ संरक्षण क्षेत्रों, जो संरक्षण आश्वासित/बाघ मानकों (सी.ए./टी.एस.) भागीदारी का भाग है, का केवल कुछ प्रतिशत ही वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे बाघ रिजर्वो का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संरक्षण आश्वासित/बाघ मानकों (सी.ए./टी.एस.) भागीदारी वाले बाघ रेंजों के साथ प्रमुख संरक्षण संगठनों और देशों ने सौ से अधिक बाघ संरक्षण क्षेत्रों में सर्वेक्षण आयोजित किया था और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बाघ के समक्ष सर्वाधिक खतरा उनका शिकार होने के बावजूद सर्वेक्षण किए गए क्षेत्रों का 85 प्रतिशत क्षेत्र में उस स्थल की प्रभावी तरीके से निगरानी करने हेतु कर्मचारी क्षमता नहीं है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) और (ख) जी, नहीं। देश में 50 बाघ रिजर्वो में से 49 बाघ रिजर्व आश्वासित संरक्षण/बाघ मानकों (सी.ए./टी.एस.) 'लाइट सर्वेक्षण', जो एक प्रश्नावली और विशेषज्ञ अभिमत आधारित प्रयोग है, के अनुसार बाघ संरक्षण में वैश्विक मानकों को पूरा करते हैं जिसमें फील्ड आकलन मायने नहीं रखता है। केवल इन्द्रावती बाघ रिजर्व प्रबंध मानकों को पूरा नहीं करता है क्योंकि इसे वामपंथी उग्रवाद से खतरा है जो इसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन और प्रबंधन में बाधा पहुंचाता है।

(ग) यह सर्वेक्षण 11 देशों में 112 से अधिक शहरों में किया गया था जिसमें 50 बाघ रिजर्वो और बाघ रिजर्वो से बाहर के 22 स्थलों वाले भारत के 72 स्थल शामिल हैं।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। सर्वेक्षण किए गए सभी 112 स्थलों के संबंध में सी.ए./टी.ए. लाइट सर्वेक्षण में एक सामान्य परिणाम प्रस्तुत किया गया है। भारत के संदर्भ में स्टॉफ क्षमता की तुलना में कोई विशिष्ट पर्यवेक्षण नहीं किया गया है। तथापि, राज्यों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि भारत में बाघ रिजर्वों में लगभग 29 प्रतिशत रिक्तियां हैं जिसका हल शिकार-रोधी दस्तों, विशेष बाघ संरक्षण बल (एस.टी.पी.एफ.), पूर्व सैनिकों वाला बाघ संरक्षण बल (टी.पी.एफ.) और आस-पास के गांवों से पहरेदारों के रूप में अतिरिक्त कार्यबल की तैनाती करके की जाती है।

बच्चों की साइबर बुलिंग की ऑनलाइन रिपोर्टिंग

4821. **श्रीमती पूनम महाजन:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों के साइबर बुलिंग की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए बच्चों का यौन शोषण से संरक्षण (पी.ओ.सी.एस.ओ.) ई-बॉक्स के माध्यम से कोई प्रणाली स्थापित की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने साइबर बुलिंग के सूचित किए गए मामलों में तेज और प्रभावी तरीके से अनुवर्ती जांच करने की कोई योजना बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अल्पवयस्क साइबर बुलिंग करने वालों से निपटने के लिए कोई रास्ता खोजा है जिनको परंपरागत अपराधी सजा नहीं दी जा सकती और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार की साइबर बुलिंग की ई-रिपोर्टिंग का विस्तार अन्य कमजोर समूहों जैसे महिलाओं और भिन्न रूप से सशक्त लोगों तक करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्री (श्रीमती मेनका संजय गांधी): (क) राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एन.सी.पी.सी.आर.) ने पोक्सो ई-बॉक्स के जरिए बच्चों की साइबर बुलिंग सहित पोक्सो अधिनियम, 2012 से संबंधित शिकायतों की ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। यह एन.सी.पी.सी.आर. की वैबसाइट पर तथा साथ ही एक मोबाइल एप के जरिए उपलब्ध है।

पोक्सो ई-बॉक्स एक ऑनलाइन तथा शिकायतों के सीधे पंजीकरण की प्रणाली है जहां 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे उनके खिलाफ कोई भी यौन उत्पीड़न तथा साइबर अपराध, जैसे साइबर बुलिंग, साइबर स्टॉकिंग, इमेजिज की मोर्फिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित अपनी शिकायत दायर कर सकते हैं।

(ख) और (ग) संबंधित प्राधिकारियों द्वारा मौजूदा कानूनों के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है। कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों के प्रति कार्रवाई किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(घ) मंत्रालय ने एंटी-ट्रॉलिंग पहल के रूप में महिलाओं और बच्चों द्वारा उत्पीड़न की शिकायतों की ई-रिपोर्टिंग के लिए एक अलग ई-मेल पता पेश किया है।

[हिंदी]

स्वास्थ्य सेवाओं के लिए स्मार्ट कार्ड

4822. **डॉ. बंशीलाल महतो:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने स्मार्ट कार्ड योजना को कार्यान्वित किया है जिसके माध्यम से बी.पी.एल. और ए.पी.एल. वर्ग से संबंधित सभी लोगों के उपचार के लिए 50,000 रुपये प्रदान करने का प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कौन-कौन से राज्य ऐसी योजना कार्यान्वित कर रहे हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार का भी ऐसी योजना कार्यान्वित करने का विचार है जिसके माध्यम से लोग अपना उपचार निजी अस्पतालों में भी प्राप्त कर सकते हैं और बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित कर सकते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) और (ख) छत्तीसगढ़ सरकार अपनी राज्य स्कीम अर्थात् मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एम.एस.बी.वाई.) सहित एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर.एस.बी.वाई.) कार्यान्वित कर रही है। आर.एस.बी.वाई. के तहत, बी.पी.एल. परिवारों तथा असंगठित मजदूरों की 11 अन्य परिभाषित श्रेणियों को शामिल किया गया है। आर.एस.बी.वाई. में जिन परिवारों को नहीं लिया गया है, उन्हें एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत शामिल किया गया है। एम.एस.बी.वाई. में नामांकित लाभार्थी 50,000/- रुपये के स्वास्थ्य बीमा कवर के हकदार हैं। आर.एस.बी.वाई. लाभार्थियों को एम.एस.बी.वाई. के अंतर्गत 20,000/- रुपये अतिरिक्त कवर प्रदान किया गया है। 24 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, नामत: तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, पुदुचेरी, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम अपनी स्वयं की स्कीमें कार्यान्वित कर रहे हैं। इनमें से अधिकतर स्कीम 30,000/- रुपये से लेकर 3 लाख रुपये तक की तृतीयक परिचर्या हेतु बीमा कवर प्रदान करती हैं।

(ग) और (घ) वर्ष 2018-19 के बजट में, सरकार ने द्वितीय तथा तृतीयक परिचर्या हेतु अस्पताल में भर्ती कराने के लिए प्रतिवर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का कवर प्रदान करते हुए लगभग 10 करोड़ निर्धन तथा वांछित परिवारों (लगभग 50 करोड़ लाभार्थी) को शामिल करने के लिए एक प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा स्कीम (एन.एच.पी.एस.) शुरू करने की घोषणा की है। एक बार एन.एच.पी.एस. के शुरू होने के बाद, आर.एस.बी.वाई. को इसी में शामिल कर लिया जाएगा। प्रस्तावित एन.एच.पी.एस. एक अखिल भारतीय स्कीम है तथा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास इसमें शामिल होने का विकल्प है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में संशोधन

4823. **श्रीमती रीती पाठक:** क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अंतर्गत अधिदेशित कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सी.एस.आर.) के तहत कंपनियों के किए कुल व्यय के संबंध में कोई रिपोर्ट तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कंपनी द्वारा उनके आरंभ से राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार किस क्षेत्र में और कौन से वर्ष यह निधि व्यय की गई;

(ग) क्या मंत्रालय को उक्त अधिनियम में संशोधन करने के लिए विभिन्न वर्गों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

बैंकों का विलय

4824. **श्री हरिओम सिंह राठौड़**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक और देना बैंक ने अपने विलय/समेकन के संबंध में अभ्यावेदन देते हुए मंत्रालय से संपर्क किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार ने इस मसले पर अपना सुझाव प्रस्तुत करने के लिए नीति आयोग से कहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस संबंध में पक्ष क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) सिंडिकेट बैंक, केनरा बैंक, विजया बैंक और देना बैंक ने सूचित किया है कि उन्होंने अपने विलय/समेकन के संबंध में वित्त मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है।

(ख) संबंधित विभाग में उपलब्ध रिकॉर्डों के अनुसार, नीति आयोग के साथ इस मामले में कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष

4825. **श्री राजेन्द्र अग्रवाल**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आई.एम.एफ.) ने सरकार को सचेत किया है कि हाल के केंद्रीय बजट में कर संग्रहण अनुमान बहुत महत्वाकांक्षी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) जी, नहीं। आई.एम.एफ. ने बजट अनुमानों को न तो अधिक महत्वाकांक्षी बताया है और न ही उसने सरकार को सावधान किया है। आई.एम.एफ. के संचार विभाग के निदेशक ने 15 फरवरी, 2018 को मीडिया के एक प्रश्न के उत्तर में राजकोषीय घाटे को जी.डी.पी. के 3.3 प्रतिशत तक रखने के बजट लक्ष्य का स्वागत किया है जिसका तात्पर्य भारत में उदीयमान आर्थिक बहाली को सहायता प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए क्रमिक राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के रास्ते पर वापस आना है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था में लेनदेन के मूल्य की अपेक्षा कर-राजस्व में तेजी से वृद्धि होने की आशा करती है जो एक महत्वाकांक्षी उद्देश्य को रेखांकित करता है। भारत सरकार ने इन टिप्पणियों को नोट किया है।

भारतीय रेल वित्त निगम का ग्रीन बॉंड

4826. **श्री सी. महेंद्रन**: क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया आई.एन.एक्स.) ने भारतीय रेल वित्त निगम के ग्रीन बॉंड को ग्लोबल सिक्यूरिटीज मार्केट (जी.एस.एम.) को डेबिट लिस्टिंग प्लेटफार्म में सूचीबद्ध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आई.आर.एफ.सी. का ग्रीन बॉंड पहला ऐसा डेबिट सिक्यूरिटी है जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केन्द्र के एक्सचेंज में सूचीबद्ध होगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके माध्यम से समस्त विश्व के निवेशकों से देश तथा विदेश के जारीकर्ताओं द्वारा किसी भी मुद्रा में धन जुटाने की अनुमति होगी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) से (ग) भारतीय रेल वित्त निगम (आई.आर.एफ.सी.) का ग्रीन बॉंड इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (इंडिया आई.एन.एक्स.) के ग्लोबल सिक्यूरिटीज मार्केट प्लेटफार्म में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय रेल वित्त निगम का ग्रीन बॉंड अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आई.आर.एफ.सी.) स्थित एक्सचेंजों में तारीख 13 जरवरी, 2018 को सूचीबद्ध किए जाने वाली पहली ऋण प्रतिभूति है। 500 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य वाले ग्रीन बांड की कूपन दर 3.835 प्रतिशत है और यह 13 दिसम्बर, 2027 को परिपक्व होगा।

(घ) और (ङ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र) मार्गनिर्देश, 2015 के अनुसार, विदेशी और स्वदेशी

संस्थाएं ऋण प्रतिभूतियां, रुपये में मूल्यवर्गित बांडों सहित, जारी और/या सूचीबद्ध कर सकती हैं, और कतिपय शर्तों के अध्यधीन भारतीय रुपये के अतिरिक्त विदेशी मुद्रा में निधियां जुटा सकती हैं।

[हिंदी]

गैर-आयोडीन युक्त नमक पर प्रतिबंध

4827. **श्री अशोक महादेवराव नेते:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गैर-आयोडीन युक्त नमक की बिक्री पर पाबंदी लगाने हेतु कोई कदम उठाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): (क) से (ग) खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय निषेध और प्रतिबंध) विनियम, 2011 का विनियम 2.3.12 प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए तब तक सामान्य नमक की बिक्री की अनुमति नहीं देता जब तक कि वह आयोडिन युक्त न हो। कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सामान्य नमक की तब तक बिक्री नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए उसका प्रस्ताव अथवा प्रदर्शन नहीं करेगा अथवा बिक्री के लिए उसे अपने परिसरों में नहीं रखेगा जब तक कि वह आयोडिनयुक्त न हो।

परन्तु खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिंग और लेबलिंग) विनियम, 2011 के विनियम 2.4.5 (21 और 42) में यथाविनिर्दिष्ट उचित लेबल घोषणाओं के तहत सामान्य नमक की बिक्री की जा सकती है अथवा बिक्री के लिए उसका प्रदर्शन पशु उपयोग, संरक्षण, औषधियों के निर्माण हेतु बिक्री के लिए उसका भण्डारण किया जा सकता है।

[अनुवाद]

शिकायतें और लंबित मामले

4828. **श्री सी.एस. पुट्टा राजू:**

श्रीमती पूनमबेन माडम:

क्या **कॉरपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जन साधारण द्वारा जमा कराए गए और निकाले गए धन के संबंध में निजी कंपनियों द्वारा नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में प्राप्त शिकायतों की संख्या का ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान जिन कंपनियों के विरुद्ध शिकायतें दर्ज की गई हैं उनका नाम क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान सरकार द्वारा ऐसी शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी परिणाम क्या रहे;

(ग) उक्त शिकायतों में से न्यायालय में दर्ज किए गए मामलों की संख्या का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में कितने मामले न्यायालय में लंबित पड़े हैं और इस संबंध में कितने लोगों को जेल हुई है;

(घ) क्या सरकार ने मंत्रालय से संबंधित लंबित मामलों की संख्या कम करने के लिए किसी तंत्र को स्थापित करने हेतु किसी विशेष टीम का गठन किया है/करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या विभिन्न न्यायालयों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या के संबंध में गंभीर चिंता जताई गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): (क) कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 के अनुसार प्राइवेट कंपनी को केवल अपने निदेशकों और उनके संबंधितों और एक निश्चित सीमा तक अपने सदस्यों से ही जमा स्वीकृत करने की अनुमति है। अत: कंपनी (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 के साथ पठित धारा 76 के अधीन प्राइवेट कंपनी सार्वजनिक जमा स्वीकृत करने के लिए पात्र नहीं है।

तथापि, संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों (आर.ओ.सी.) को कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उपबंधों के अनुसार 24 प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध जमा के निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के संबंध में कई शिकायतें प्राप्त हुई हैं। पिछले तीन वित्त वर्षों में ऐसा करने वाली कंपनियों के नामों का विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) कंपनी अधिनियम, 1956/2013 के उपबंधों के अधीन 4 कंपनियों के विरुद्ध अभियोजन दायर किये गये हैं, जिसमें 15 न्यायाधीन मामले भी शामिल हैं, और अन्य मामलों में, मामले की जांच की जा रही है या यह पूछताछ/निरीक्षण/जांच स्तर पर है। आज की तारीख तक उपरोक्त अपराधों के लिए किसी व्यक्ति को जेल नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। 01.01.2017 तक कंपनी अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन के लिए कंपनी रजिस्ट्रारों (आर.ओ.सी.) द्वारा कंपनियों के विरुद्ध विभिन्न

न्यायालयों में 46,886 अभियोजन दायर किए गए हैं। वर्ष 2016-17 (30.11.2017 तक) के दौरान, 4,775 नए अभियोजन दायर किए गए। अत: कुल 51,661 मामलों में से, 4,703 अभियोजन निपटाए गए हैं और 30.11.2017 तक 46,958 अभियोजन लंबित थे।

विवरण

प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की सूची जिनके विरुद्ध पिछले तीन वर्षों के दौरान शिकायतें प्राप्त हुईं

2014-15

1. अचल ऑटोमोबाइल्स प्रा. लि.
2. कार सोर्स इंडिया प्रा. लि.
3. एस्कैलेशन्स ट्रेवल वेअर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4. केबीसी मल्टीट्रेड प्राइवेट लिमिटेड
5. वरोनिका कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
6. स्टारनेट ब्रीडिंग एंड रिसर्च फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड
7. स्टेवेल इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
8. गायत्री ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
9. मेकहाउस इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड

2015-16

1. कपिल कंसल्टेंसी सर्विस प्रा.लि.
2. कपिल फूड्स स्ट्रक्चर प्रा.लि.
3. कपिल चिट्स (कोस्टा) प्रा.लि.
4. कपिल इंफ्रा एवेन्यूस प्रा.लि.
5. हीरा रिटेल (हैदराबाद प्रा.लि.)
6. न्यू लुक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
7. टुलिप ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
8. प्रिया होम्स स्टडी प्राइवेट लिमिटेड

2016-17

1. विपाची बिल्डर्स डवलेपर्स प्रा. लि.
2. रॉयल ट्विंकल स्टार्स क्लब प्राइवेट लिमिटेड
3. बलमेन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
4. माई रिचार्ज प्राइवेट लिमिटेड
5. पेनट डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड
6. यंग एटिट्यूड प्रोपकोन प्राइवेट लिमिटेड
7. कुलदीप रीअल ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड

नई मुद्रा जारी करने संबंधी नीति

4829. **श्री राजेशभाई चुड़ासमा:** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में नई भारतीय मुद्रा के संवितरण सहित नई भारतीय मुद्रा को जारी करने संबंधी अंगीकृत नीति का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र/तिथि-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या मुद्रा के संवितरण संबंधी निर्णय आपके मंत्रालय द्वारा लिया गया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक, आर.बी.आई. अधिनियम, 1934 की धारा 22 के अनुसार करेंसी का निर्गमकर्ता है। विभिन्न राज्यों में स्थित आर.बी.आई. के क्षेत्रीय कार्यालय अपने संबंधित क्षेत्राधिकार/निर्गम परिमंडल में करेंसी चेस्ट से करेंसी की जरूरत/मांग का पता लगाने की वार्षिक कवायद करते हैं। आर.बी.आई. बैंक नोटों तथा सिक्कों की इन जरूरतों को समेकित करता है तथा वर्ष विशेष के लिए देश की कुल मांग का आकलन करता है। प्रेसों से बैंक नोटों की आपूर्ति, विभिन्न निर्गम परिमंडलों से करेंसी के मांगपत्र/मांग तथा निर्गम परिमंडल में मूल्यवर्ग-वार जरूरत/अवरोधों पर विचार करते हुए, करेंसी चेस्ट तथा बैंक शाखाओं के जरिए जनता को आगे के वितरण के लिए विभिन्न आर.बी.आई. निर्गम परिमंडलों को बैंक नोट आवंटित किए जाते हैं। विभिन्न राज्यों में स्थित आर.बी.आई. कार्यालयों को आपूर्तित बैंक नोट संबंधी आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

नोट आपूर्ति के आंकड़े

(मूल्य करोड़ रुपये में)

क्षेत्रीय कार्यालय	08.11.2016 से 31.03.2017	01.04.2017 से 28.02.2018	कुल आपूर्ति
1	2	3	4
अहमदाबाद	76,147	40,954	117,100

1	2	3	4
बेलापुर	49,979	33,215	83,194
बेंगलुरु	75,614	33,564	109,178
भोपाल	47,687	38,884	86,571
भुवनेश्वर	31,484	21,192	52,676
चंडीगढ़	71,068	32,154	103,222
चेन्नई	78,497	35,437	113,934
गुवाहाटी	34,492	25,029	59,521
हैदराबाद	90,568	54,337	144,905
जयपुर	52,791	23,654	76,445
जम्मू	15,157	8,973	24,130
कानपुर	74,462	25,307	99,769
कोलकाता	61,902	30,121	92,424
लखनऊ	61,691	28,716	90,407
मुंबई	54,985	30,373	85,358
नागपुर	46,972	44,047	87,019
नई दिल्ली	75,176	21,168	96,344
पटना	58,712	39,937	98,649
तिरुवनंतपुरम	41,232	29,845	71,077
कुल योग	10,98,617	5,92,906	16,91,523

नदियों में प्रदूषण

4830. **श्री शिवकुमार उदासि:** क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा देश में प्रदूषित नदियों के रूप में चिह्नित नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन नदियों की सफाई हेतु क्या सरकार अनुदान उपलब्ध कराती है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान इस उद्देश्य हेतु राज्यों को उपलब्ध कराए गए अनुदान का ब्यौरा क्या है?

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): (क) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी.पी.सी.बी.) द्वारा फरवरी, 2015 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, कार्बनिक प्रदूषण के एक मुख्य सूचक, जैव-रसायन ऑक्सीजन डिमांड (बी.ओ.डी.) के आधार पर 275 नदियों के 302 प्रदूषित नदी भागों की पहचान की गई है। प्रदूषित नदियों के भागों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) और (ग) नदियों के प्रदूषण को कम करने के लिए मलजल के एकत्रण, परिवहन और शोधन की उपयुक्त सुविधाएं स्थापित करना राज्य सरकारों, संबंधित स्थानीय निकायों का दायित्व है। यह मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (एन.आर.सी.पी.) के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच लागत में सहभागिता के आधार पर विभिन्न नदियों के अभिज्ञात भागों में प्रदूषण को कम करने में राज्य सरकारों के प्रयासों को सम्पूरित कर रहा है। एन.आर.सी.पी. (गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर जिनका काम 01.08.2014 से जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय देख रहा है) में अब तक 4579.56 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत से देश के 14 राज्यों के 76 शहरों की 32 नदियों के प्रदूषित भागों को शामिल किया है और विभिन्न प्रदूषण उपशमन स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को 2236.98 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा जारी किया गया है। एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत अब तक 2466.43 मिलियन लीटर प्रति दिन (प्रतिदिन मिलियन लीटर) की मलजल शोधन क्षमता सृजित की गई है। गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान राज्य सरकारों को एन.आर.सी.पी. के अंतर्गत जारी निधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

राज्य सरकारें अपने स्वयं के बजट आबंटनों के अतिरिक्त भी विभिन्न शहरों/नगरों में मलजल अवसंरचना के सृजन और मलजल शोधन संयंत्रों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही हैं जो उन्हें संरक्षण और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.), आवास और शहरी विकास मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत दी जाती है।

विवरण-I

राज्य-वार प्रदूषित नदी क्षेत्र

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिज्ञात क्षेत्र	संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	गोदावरी, हुन्द्री, कृष्णा, तुंगभद्रा, पेन्नार, कुन्डु	6
2.	असम	मोरा भराली, बराक, बेकी, भरलू, भोगडोई, बागीनाडी, ब्रह्मपुत्र, बुरहाईडिहिंग, दीपर बिल, धनसीरी, डिगबोई, डिसांग, जिया भराली, झांजी, कलौंग, कपिली, खारसंग, कोहोरा, कुंडली, कुशीयारा, मानस, पगलडिया, पंचनई, रंगा नाडी, सनकोष, सोनई, सुबनसिरी, कथकल	28
3.	बिहार	गंगा, हरबोरा, मानुसमार, राम रेखा, सिरसिया	5
4.	छत्तीसगढ़	हसदेव, केलो, खरून, महानदी, स्योनाथ	5
5.	दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली	दमनगंगा	1
6.	दिल्ली	यमुना	1
7.	गोवा	मनडोवी, अस्सोनोरा, बिचोलिम, चपोरा, खानडेपर, मापुसा, साल, वालवंत	8
8.	गुजरात	माही, नर्मदा, अंबिका, अमलाखादी, अनस, बालेहवार खादी, भदर, दमनगंगा, कावेरी, खारी, किम, कोलक, पानम, भोगावो, धादर, पूर्ना, साबरमती, शेडी, तापी, त्रिवेणी	20
9.	हरियाणा	घग्गर, यमुना	2
10.	हिमाचल प्रदेश	ब्यास, टौंस, सिरसा, स्वान, सुखना, सुकेती खाद, बिनवा, मारकंडा	8
11.	जम्मू और कश्मीर	बनगंगा, बासानतेर, चेनाब, चुन्ट कोल, देवाक, गावकादल, झेलम, लिद्देर, तावी	9
12.	झारखंड	बोकारो, कोयल, दामोदर, जुमार, कारो, संख, सुबर्णरेखा, कोयेल	8
13.	कर्नाटक	अर्कावटी, भ्रदा, भीमा, कावेरी, घाटप्रभा, कबिनी, कगिना, काली, कृष्णा, लक्ष्मणतीर्थ, मालप्रभा, मंजीरा, शिमशा, तुंगभद्रा, तुंग	15
14.	केरल	चितरापुझा, कदमबयार, कल्लई, करमाना, कीचेरी, कूप्पम, मणिमाला, नीलेश्वरम, पेरियार, पुल्लुर, पुझक्कल, थिरूर, उप्पाला	13
15.	मध्य प्रदेश	बंजार, बेतवा, बिचिया, चंबल, चिल्लर, देनवा, गोहाद, गौर, जम्मेर, कालीसोट, खान, कोलार, क्षिप्रा, कुंडा, मलई, नर्मदा, पार्वती, शिवना, तापी, टोन्स, वैनगंगा	21
16.	महाराष्ट्र	वेना, वेनगंगा, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, उल्हास, कुंडालिका, तापी, गिर्ना, पंचगंगा, नीरा, भत्सा, रंगावलि इंद्रायनी, चन्द्रभागा, वशिष्टी, मीठी, कान्हन, कोयना, अम्बा, अमरावती, बिन्दुसारा, धर्ना, घोड, गोमई, हिवारा, कान, मंजारा, मोर, मोरना, मूला, मूला-मूथा, मूथा, पंजारा, पातालगंगा, पावना, पेधी, पेल्हार, पेनगंगा, पूर्णा, सावित्री, सीना, सूर्या, उरमोदी, वेतरना, वेल, वेन्ना, वाघूर, वर्धा	49
17.	मणिपुर	बराक, इम्फाल, इरिल, खुगा, खुजारोक, लोकचाऊ, महा, मणिपुर, नामबुल, सेकमाई, थोबल, वैनगजिंग	12
18.	मेघालय	बुगी, काइनशी, कईरूखला, लूखा, माइन्तडू, नोनबाह, उमखराह, उमशीरपी, उमट्रियू, वाहबलेई	10
19.	नागालैंड	चाथे, धनसिरी, ड्जू	3

क्र.सं.	राज्य का नाम	अभिज्ञात क्षेत्र	संख्या
20.	ओडिशा	वैतरणी, ब्राह्मणी, बुधाबलनागा, दया, कठजोडी, कोयल, कुआखाई, महानदी नागावल्ली, रूशीकुल्या, सेरूया, वंसधारा	12
21.	पंजाब	घग्गर, सतलुज	2
22.	राजस्थान	बनस, चंबल, चप्पी, घग्गर, काली सिंध, पार्वती, जवाई, उजाद	8
23.	सिक्किम	डिकचू, मनी खोला, रनगित, रानीछू, तीस्ता	5
24.	तमिलनाडु	भवानी, कावेरी, पलार, सराबंगा, तंबीरापानी थिरूमनीमुथर, वासीस्टा	7
25.	तेलंगाना	गोदावरी, कृष्णा, मंजीरा, मूसी, नक्कावागू, सबरी, मानेर	7
26.	त्रिपुरा	गुमती, हाओरा	2
27.	उत्तर प्रदेश	बेतवा, घाघरा, गोमती, हिंडन, काली नदी, रामगंगा, राप्ती, रिहंद, साई, सरयू, गंगा, यमुना, कोसी	13
28.	उत्तराखंड	भेला, धेला, सुसवा, गंगा, कोसी	5
29.	पश्चिम बंगाल	बाराकर, चुरनी, दामोदर, द्वारकेश्वर, द्वारका, गंगा, जलांगी, कालजनी, कांसी, कारोला, महानंदा, माथाभंगा, मयूरकाशी, रूपनारायन, सिलाबाती, तीस्ता, विंधाधरी	17
	कुल		302

विवरण-II

एन.आर.पी.सी. के अंतर्गत गत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान विभिन्न नदियों (गंगा और इसकी सहायक नदियों को छोड़कर) के प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकारों को जारी निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	नदी	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (28.02.18 तक)
1.	गुजरात	साबरमती और मिन्डोला	44.00	24.12	71.40	62.00
2.	महाराष्ट्र	मूला मुथा	--	4.99	21.00	30.00
3.	पंजाब	घघ्घर, ब्याज और सतलुज	28.80	17.61	--	50.00
4.	केरल	पाम्बा	--	5.00	--	--
5.	सिक्किम	रांनी छू	--	1.00	5.00	18.01
6.	नागालैंड	दीफू और धानसीरी	--	10.00	--	5.00
7.	ओडिशा	तटीय क्षेत्र (पुरी)	--	--	--	1.99
8.	गोवा	साल	--	--	--	3.00
	कुल		72.80	62.72	97.40	170.00

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: लोक सभा मध्याह्न बारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

मध्याह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई

*(**माननीय अध्यक्ष** पीठासीन हुईं)*

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.0½ बजे

(इस समय प्रो. ए.एस.आर. नाईक और डॉ. के. कामराज और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

संसदीय वेतन समिति की नियुक्ति

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे आज मेरे स्वयं के सचिवालय के बारे में घोषणा करनी है।

सातवें वेतन आयोग ने संविधान के अनुच्छेद 98 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए राज्य सभा और लोक सभा सचिवालयों के बारे में कोई अनुशंसा नहीं की है।

राज्य सभा के सभापति और मैंने आपसी परामर्श के पश्चात् और पुरानी प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए संसद की एक समिति नियुक्त करने का निर्णय लिया है, जिसमें निम्नलिखित होंगे:-

(1) सभापति, प्राक्कलन समिति
(डॉ. मुरली मनोहर जोशी)

(2) सभापति, लोक लेखा समिति
(श्री मल्लिकार्जुन खड़गे)

(3) सभापति, वित्त संबंधी स्थायी समिति
(डॉ. एम. वीरप्पा मोइली)

(4) संसदीय कार्य मंत्री
(श्री अनंत कुमार)

(5) वित्त मंत्री
(श्री अरुण जेटली)

(6) सदस्य, राज्य सभा
(प्रो. राम गोपाल यादव)

...(व्यवधान)

सभापति, प्राक्कलन समिति डॉ. मुरली मनोहर जोशी समिति के सभापति होंगे। समिति का कार्य 7वें वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर भारत सरकार के निर्णय के संदर्भ में राज्य सभा और लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों और सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमान, भत्ते, अवकाश, पेंशन लाभ और अन्य सुविधाओं की संरचना में वांछित समझे जाने वाले परिवर्तनों के बारे में सभापति राज्य सभा और अध्यक्ष लोक सभा को सलाह देना है।

समिति, यथाशीघ्र सभापति, राज्य सभा और अध्यक्ष, लोक सभा को अपनी अनुशंसाएं प्रस्तुत करेगी।"

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद येसो नाईक): मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं:-

(1) (एक) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय आयुर्वेद अकादमी, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8971/16/18]

(3) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, पुणे के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8972/16/18]

(5) (एक) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8973/16/18]

(7) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी, कोलकाता के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8974/16/18]

संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. महेश शर्मा): मैं पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 38क के अंतर्गत पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण (मामलाधीन संपत्ति, पशुओं की देखभाल और रखरखाव) नियम, 2017 जो 23 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 495(अ) में प्रकाशित हुए थे तथा 26 फरवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 185(अ) में प्रकाशित उसके शुद्धि पत्र की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 8975/16/18]

[हिंदी]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) 31 मार्च, 2017 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कार्यकरण के बारे में समेकित प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 8976/16/18]

(2) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 200 (अ) जो 1 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017 - सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 8977/16/18]

(3) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उप-धारा (7) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 220(अ) जो 12 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय पदाभिहित प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों के अनुसरण में चीन

जनवादी गणराज्य से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित "ओ-एसिड" के आयात पर 3 वर्ष की अवधि के लिए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क लगाना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया, *देखिए* संख्या एल.टी. 8978/16/18]

(4) केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) केन्द्रीय माल और सेवा कर (दूसरा संशोधन) नियम, 2018 जो 7 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 204 (अ) में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) सा.का.नि. 205 (अ) जो 7 मार्च, 2018 के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 55 (अ) का निरसन किया गया है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8979/16/18]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार चौबे): महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 93 के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा और मानक (जैविक खाद्य) विनियम, 2017 जो 2 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सीपीबी/03/मानक/एफएसएसएआई/2016 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 8980/16/18]

(2) (एक) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8981/16/18]

[अनुवाद]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(एक) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली के वर्ष 2016-17 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) पापुलेशन रिसर्च सेंटर (इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनोमिक ग्रोथ), दिल्ली के वर्ष 2016-17 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

उपर्युक्त में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8982/16/18]

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी): मैं दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा 241 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(एक) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (शिकायत और परिवाद निपटान प्रक्रिया) विनियम, 2017 जो दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी/21 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/जीएन/आरईजी/22 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए फास्ट ट्रैक दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/23 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए समाधान प्रक्रिया) (संशोधन) विनियम, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/24 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) (चौथा संशोधन) विनियम, 2017 जो 7 फरवरी, 2018 जो 6 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या आईबीबीआई/2017-18/ जीएन/आरईजी/025 में प्रकाशित हुए थे।

(छह) भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (चेयरपर्सन और सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) संशोधन नियम 2018 जो 9 फरवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 153(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गए, *देखिए* संख्या एल.टी. 8983/16/18]

अपराह्न 12.04½ बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) (क) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[हिंदी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2016-17) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ग) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[हिंदी]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): महोदया, मैं श्री नरेन्द्र सिंह तोमर जी की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य सदन के पटल पर रखता हूं:-

पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2017-18) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 34वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.04¾ बजे

(दो) (क) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) **के**

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8984/16/18

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8985/16/18

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8986/16/18

बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

[हिंदी]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2014-15) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 10वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

(ख) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति *

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): महोदया, मैं निम्नलिखित वक्तव्य सभा पटल पर प्रस्तुत करता हूं:-

ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2015-16) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 18वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति।

अपराह्न 12.05 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल): महोदया, आपकी अनुमति से मैं सत्र के शेष भाग के दौरान सरकारी कार्यों की घोषणा करने के लिए खड़ा हुआ हूं:

(1) आज के सरकारी कार्यों की सूची से शेष बची किसी मद पर विचार करना:-

(इसमें (क) भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, (ख) चिट फंड (संशोधन) विधेयक, 2018, (ग) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार करना तथा पारित करना शामिल है)

(2) निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करना और पारित करना:-

(एक) दंत चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2017

(दो) परक्राम्य लिखत (संशोधन) विधेयक, 2017

(तीन) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) संशोधन विधेयक, 2017

(चार) उपभोक्ता संरक्षण विधेयक, 2018

(पांच) नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केन्द्र विधेयक, 2018

(छह) राष्ट्रीय क्रीड़ा विश्वविद्यालय विधेयक, 2017

(सात) महापत्तन प्राधिकरण विधेयक, 2016

(आठ) बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017

(नौ) लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2017

(3) लोक सभा द्वारा यथापारित, राज्य सभा की चयन समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित और राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाए गए रूप में संविधान (123वां संशोधन) विधेयक, 2017 पर विचार करना तथा पारित करना।...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: निवेदन सभा पटल पर रखे जाए।

...(*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री विद्युत वरण महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह के कार्य सूची में शामिल किया जाए:-

1. मेरे संसदीय क्षेत्र जमशेदपुर में टाटा कम्पनी है जो शहर के बिल्कुल बीचों-बीच में स्थित है। यह बड़ी कंपनी होने के कारण प्रतिदिन बड़ी-बड़ी हजारों गाड़ियों का आना-जाना लगा रहता है। इसमें कार्यरत कर्मचारियों की

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8987/16/18

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया देखिए संख्या एल.टी. 8988/16/18

संख्या लगभग 40 से 50 हजार है, जिसके कारण शहर में जगह-जगह पर ट्रैफिक जाम की समस्या लगा रहता है और प्रतिवर्ष औसतन 400 दुर्घटनायें होती हैं, जिसमें 300 लोगों की मौत होती है। पूरे टाटा शहर में एक भी फ्लाईओवर नहीं होने के कारण आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जबकि वहां के लोगों की यह मांग वर्षों पुरानी है।

2. चांडिल, बडाम, पटमदा, वॉधवान वाया झाडग्राम तक लगभग 12 करोड़ रुपये के लागत से रेलवे लाइन निर्माण का सर्वे हो चुका है, लेकिन कार्य शुरू नहीं हो पाया है। इसके साथ-साथ चाकुलिया, बहरागोडा, बुडामारा उडिसा तक का सर्वे 10 वर्ष पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक इस नई रेलवे लाइन का कार्य शुरू नहीं हो पाया है। वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। टाटा से बादाम पहाड़ होते हुए क्योमझर तक डबल लाइन बनाया जाए।

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): माननीय अध्यक्ष जी निम्न लोक महत्व के विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कराने की कृपा करें।

1. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मंदाकिनी नदी का जल स्तर काफी कम हो गय है। कर्वी के आगे बनकट के पास से ही उसमें जल बिल्कुल नहीं रह गया है। जिसके आस-पास के महुवा गांव तक के सैकड़ों गांवों में लोगों व पशुओं के लिए जल संकट खड़ा हो गया है। अस्तु इस सदन में चर्चा कराकर निदान के उपाय किए जाएं।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत बांदा एवं चित्रकूट के जिला अस्पतालों व पी.एस.पी. व ग्रामीण अस्पतालों में डाक्टरों एवं तकनीशियनों के अधिकतर पद खाली पड़े हैं। अस्तु लोगों को चिकित्सा के लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अस्तु सभी पदों की यथाशीघ्र पूर्ति करने हेतु इस विषय को सदन में चर्चा कराकर शीघ्र पदों को भरने हेतु निर्देश देने की कृपा करें।

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:-

1. उत्तर गुजरात के मेहसाणा और पालनपुर रेलवे स्टेशनों से सूरत और मुंबई के लिए समर स्पेशल ट्रेन वीकली का प्रावधान पैसेंजरों के लिए किया जाए।

2. दिव्यांग जनों को बी.एस.एन.एल. कनेक्शन से लाभान्वित करने के लिए रेंट फ्री कनेक्शन के जो प्रावधान हैं, उसका प्रचार-प्रसार व्यापक तौर पर हो ओर सीनियर सिटीजनों को बी.एस.एन.एल. कनेक्शन के तहत सिर्फ 500 रुपये में कनेक्शन मिलता है, उसका भी व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले सप्ताह की लोक सभा की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा की जाए।

1. मेरा संसदीय क्षेत्र शिवहर एक अत्यंत पिछड़ा एवं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां सड़क, दूरसंचार सुविधा एवं परिवहन का अभाव है। सरकार ने नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों में जन-सुविधा के लिए वित्तीय सहायता दी है, जिनमें शिवहर को अभी तक कोई सहायता नहीं दी गई है।

   अनुरोध पूर्वक कहना है कि सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मोतिहारी से सोनवर्षा भाया ढ़ाका-भंडार-खोड़ीपाकड़-अदौरी-बसंतपट्टी-सीतामढ़ी होते हुए एक नया एन.एच. निर्माण कराए जाने का कार्य।

2. मेरे संसदीय क्षेत्रान्तर्गत पूर्वी चम्पारण जिला का फेनहारा प्रखण्ड काफी पिछड़ा हुआ इलाका है। इसके ककरहिया नाला पर पुल का निर्माण हो जाने से फेनहारा एवं पकड़ीदयाल प्रखण्ड के लोगों का आवागमन आसान हो जाएगा। फेनहारा प्रखण्ड में ककरहिया नाला पर नया पुल निर्माण कराए जाने का कार्य।

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत रांची गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास का क्षेत्र बड़ा ही रमणीय और सुन्दरता से भरपूर है। यहां पर स्थानीय लोग और झारखण्ड से और विदेशी पर्यटक हजारों की संख्या में आते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन संबंधी सुविधाएं दिलवाने हेतु गेतलसूद डैम एवं इसके दूसरे भाग रुका डैम के आस-पास क्षेत्रों को केन्द्र स्तर पर पर्यटन स्थल स्थापित करने का कार्य करने हेतु।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में पिछले वर्ष 16 दिसंबर, 2016 को सुबह 03 बजे से 05 बजे के बीच मेरे संसदीय क्षेत्र

रांची के बूटी बस्ती की रहने वाली एवं आर.टी.सी. इंजीनियरिंग कॉलेज की बीटेक छात्रा सुश्री जया भारती के साथ गैंग रेप एवं उसके बाद उसको जला दिया गया था। यह घटना दिल्ली के निर्भया हत्या कांड की याद दिलाती है। इसकी पूरे झारखण्ड में तीव्र भर्त्सना की गई है। पुलिस विभाग एक साल के बाद भी हत्यारों को नहीं पकड़ सकी है। इस गैंग रेप एवं हत्या में पुलिस की नाकामयाबी और उसकी असफल भूमिका एवं प्रभावशाली जांच का कार्य करने हेतु।

धन्यवाद।

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): महोदया, लोक सभा के आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाये:-

1. देश के किसानों की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय होती जा रही है। किसान कर्ज के बोझ में डूबे हुए हैं। क्योंकि उनको फसल से उतनी आमदनी नहीं होती, जितनी उनकी लागत लगती है। जब फसल तैयार होती है, तो रेट आधे हो जाते हैं और लेने वाला कोई नहीं होता। एम.एस.पी. तो सिर्फ कागजी सूचना बनकर रह गई है। शादी-ब्याह, खेती के औजार, ट्रैक्टर आदि खरीद के लिए उन्हें अपने खेतों को गिरवी रखना पड़ता है। अत: सरकार किसानों को विशेष योजना के तहत पूर्ण कर्ज माफ करे और ब्याज-मुक्त ऋण देने का भी प्रावधान करे। साथ ही विशेषकर छोटे और मझोले किसान, जो साहूकारों के कर्ज के बोझ तले दबे हैं, उन्हें भी आर्थिक मदद दिया जाये।

2. पूरे देश में खेती पर आधारित कृषि-श्रमिकों की दशा बहुत ही खराब है। इनकी संख्या देश भर में 55 से 58 प्रतिशत है। वैसे ही हमारी खेती मौसम पर आधारित है, जिससे कृषि-श्रमिकों को बराबर रोजगार नहीं मिलता है। विशेषकर महिला कृषि-श्रमिक की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उनके छोटे-छोटे बच्चे बिलखते रहते हैं। कुछ मदद मनरेगा से हो जाया करता था, परंतु अब तो मनरेगा भी सुचारू रूप से नहीं चलता है। क्योंकि सरकार पूरा फण्ड ही नहीं दे रही है। बिहार जैसे गरीब राज्यों की स्थिति तो और ही खराब है। अत: केन्द्र सरकार कृषि-श्रमिकों को पेंशन के तर्ज पर मासिक-भत्ता देने की योजना बनाकर उनके परिवार के निर्वहन की व्यवस्था करे।

श्री विष्णु दयाल राम (पलामू): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए:

1. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के जिला मुख्यालय डालटनगंज का नाम बदलकर मेदिनीनगर सन् 2004 में ही कर दिया गया है, जबकि रेलवे स्टेशन का नाम अभी तक डालटनगंज ही है। इसे मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र पलामू के अंतर्गत संचार व्यवस्था की स्थिति अत्यंत दयनीय है। पलामू संसदीय क्षेत्र के दोनों जिले यथा पलामू एवं गढ़वा नक्सल प्रभावित जिले हैं, तथापि दूरसंचार की व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है। वहां मोबाइल टावर्स की संख्या अत्यंत कम है, इसे बढ़ाने की कृपा की जाए।

श्री लखन लाल साहू (बिलासपुर): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल किया जाए:

1. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना वर्तमान मे अनुसूचित जाति समुदाय 50 प्रतिशत जनसंख्या वाले गांवों में दी जा रही है। जो इन वर्गों के विकास के लिए बहुत ही लाभकारी और फायदेमंद है। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में इसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) एवं पिछड़े वर्ग बाहुल्य निवास करने वाले गांवों को भी शामिल कर विकसित करने के लिए भी योजना बनाई जाए।

2. कृषि विज्ञान केन्द्र छत्तीसगढ़ राज्य सात कृषि विज्ञान केन्द्र खोलने की मांग राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया है, जिसकी स्वीकृति की अपेक्षा है। मैं अपने गृह जिला मुंगेली सहित छत्तीसगढ़ में सभी सात नए कृषि विज्ञान केन्दों की स्थापना की मांग करता हूं, जिससे किसानों को लाभान्वित किया जाए।

[अनुवाद]

डॉ. कर्ण सिंह यादव (अलवर): निम्नलिखित विषयों को चर्चा हेतु अगले सप्ताह की कार्य सूची में सम्मिलित किया जाए:

(एक) अलवर में नवनिर्मित ई.एस.आई. मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भवन को आरम्भ किए जाने की आवश्यकता।

(दो) राजस्थान के अलवर जिले में चम्बल नदी का पानी लाए जाने की आवश्यकता।

[हिंदी]

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरिडीह): महोदया, अगले सप्ताह की कार्य-सूची में लोक महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने की कृपा की जाए।

1. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की आधार मानकर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अत्यंत निम्न वर्ग के लोगों की सूची तैयार की गई है जिसके अनुसार लोगों की राशन कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एल.पी.जी. गैस कनेक्शन, प्रधानमंत्री आवास, चिकित्सा अनुदान, वृद्धा एवं विधवा पेंशन सहित केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई ा रही कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है।

2. वर्ष 2011 में हुए सामाजिक-आर्थिक-जातिगत जनगणना (सेक) की सूची में कई विसंगतियां भी पाई गयी हैं। जो वास्तव में गरीब एवं निम्न वर्ग से हैं वैसे लोगों का नाम सूची में नहीं जिसके कारण ऐसे लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। साथ ही जनगणना के बीते 7 वर्षों में बी.पी.एल. श्रेणी में कई नए परिवार भी जुड़े हैं उन्हें भी यह लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अपराह्न 12.06 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र - जारी

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): महोदया, मैं श्री अरुण जेटली की ओर से सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत अधिसूचना सं. 32/2018-सी.शु. जो 23 मार्च, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 30 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि एल.सी.डी./एल.ई.डी. टीवी पैनल के खुले सैल (15.6" और अधिक) पर मूल उत्पाद शुल्क (बी.सी.डी.) 10 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जा सके, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन की प्रति सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, *देखिए* संख्या एल.टी. 8983ए/16/18]

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यो, कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.07 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे सर्वश्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी और थोटा नरसिम्हम से मंत्रिपरिषद् में अविश्वास प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं इन सूचनाओं को सभा के समक्ष लाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं। जब तक सभा में शांति नहीं है, मैं उन 50 सदस्यों - जिन्हें अपने समनुष्टि स्थानों पर खड़ा होना है, की गिनती करने की स्थिति में नहीं होऊंगी ताकि मैं यह निर्धारण कर सकूं कि अनुमति प्रदान की जाए या नहीं। अत: मेरा अनुरोध है कि आप सभी अपने स्थानों पर वापस चले जाएं।

...*(व्यवधान)*

[हिंदी]

माननीय अध्यक्ष: अगर नो कान्फिडेंस के लिए आप फेवर भी कर रहे हो, तो आप सब अपनी जगह पर शान्ति से बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं इसे चर्चा के लिए लेना चाहती हूं। यहां तक मेरी दायी ओर बैठे सदस्य गण भी चर्चा के लिए तैयार हैं। यदि आप सब सहमत हैं तो मैं ऐसा कर सकती हूं। आप सभी कृपा कर मेरे साथ सहयोग करें। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि आप अपने-अपने स्थानों पर जाइये। यह इस प्रकार से नहीं हो सकता। क्योंकि

सभा व्यवस्थित नहीं है मैं सूचनाएं सभा के समक्ष नहीं ला सकती। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.08 बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द किया जाना

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मुझे एक घोषणा करनी है। मुझे माननीय सदस्यगण से निवेदन प्राप्त हुए हैं कि 25 मार्च, 2018 को राम नवमी के अवसर अनेक कार्यक्रम आयोजित होने है और माननीय सदस्यगण को उन कार्यक्रमों में हिस्सा लेना है। इसलिए 26 मार्च को अवकाश घोषित किए जाने के बारे में अनेक माननीय सदस्यगण से अनुरोध प्रापत हुए है। मैं उनका अनुरोध स्वीकार करती हूं।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सभा मंगलवार 27 मार्च, 2018 को पूर्वाह्न 11 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 12.09 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 27 मार्च, 2018/6 चैत्र 1940 (शक) के पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्न संख्या
1.	श्री एम. मुरली मोहन	401
2.	श्री नाराणभाई काछड़िया	402
	डॉ. सुनील बलीराम गायकवाड़	
3.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	403
4.	श्री विष्णु दयाल राम	404
5.	श्री रामस्वरूप शर्मा	405
6.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	406
7.	श्री शरद त्रिपाठी	407
8.	श्री उदय प्रताप सिंह	408
9.	श्री लखन लाल साहू	409
	डॉ. बंशीलाल महतो	
10.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	410
11.	श्री कलिकेश एन. सिंह देव	411
12.	श्री अरविंद सावंत	412
	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	
13.	श्री ओम बिरला	413
14.	श्री अभिषेक सिंह	414
	श्रीमती रमा देवी	
15.	श्री अधीन रंजन चौधरी	415
	श्री शिवकुमार उदासि	
16.	श्रीमती सुप्रिया सुले	416
	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	
17.	श्रीमती सजदा अहमद	417
18.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	418
19.	श्री आर. पार्थिपन	419
20.	श्री सी. महेंद्रन	420
	श्री ए. अरुणमणिदेवन	

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1.	डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक	4678
2.	श्री आधलराव पाटील शिवाजीराव	4734, 4765, 4803, 4806
3.	श्री दीपक अधिकारी (देव)	4801, 4803
4.	श्री शिशिर कुमार अधिकारी	4602
5.	श्री आनन्दराव अडसुल	4713, 4734, 4803
6.	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	4825
7.	श्रीमती संतोष अहलावत	4774
8.	श्री बदरुद्दीन अजमल	4620, 4745
9.	श्री शिराजुद्दीन अजमल	4789
10.	श्री एंटो एन्टोनी	4650, 4793
11.	श्री तारिक अनवर	4772
12.	श्री के. अशोक कुमार	4817
13.	श्री कीर्ति आजाद	4683
14.	श्री बी. सेनगुट्टुवन	4635
15.	श्री बी. श्रीरामुलु	4626, 4727, 4788
16.	श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया	4744, 4805
17.	श्री जार्ज बेकर	4671, 4725
18.	श्रीमती अंजू बाला	4727, 4788, 4799, 4626
19.	श्री बलका सुमन	4697, 4799
20.	श्री कल्याण बनर्जी	4762
21.	श्री प्रसून बनर्जी	4733

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
22.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	4734, 4765, 4803, 4806
23.	श्रीमती रंजनबेन भट्ट	4687
24.	श्री पी.के. बिजू	4719
25.	श्री ओम बिरला	4793
26.	श्री राम चरण बोहरा	4678
27.	श्री सी. गोपालकृष्णन	4724, 4745
28.	श्री निहाल चन्द	4802
29.	कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल	4688
30.	श्री एम. चन्द्राकाशी	4640
31.	श्री बी.एन. चन्द्रप्पा	4663
32.	श्री प्रेम सिंह चन्दूमाजरा	4711, 4760, 4801
33.	श्री पंकज चौधरी	4735
34.	श्री जितेन्द्र चौधरी	4761
35.	श्री देवुसिंह चौहान	4677
36.	श्री दुष्यंत चौटाला	4666
37.	श्री हरिश्चंद्र चव्हाण	4701, 4805
38.	श्री विनोद लखमाशी चावड़ा	4694
39.	श्री राम टहल चौधरी	4617
40.	श्री राजेशभाई चुड़ासामा	4660, 4829
41.	कुमारी सुष्मिता देव	4625
42.	श्रीमती रमा देवी	4795
43.	श्री संजय धोत्रे	4730, 4750, 4808
44.	श्री आर. ध्रुवनारायण	4636
45.	श्री दिलीप पटेल	4632
46.	श्री निशिकान्त दुबे	4728, 4805
47.	प्रो. रविन्द्र विश्वनाथ गायकवाड़	4632, 4696

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
48.	श्री सुनील बलीराम गायकवाड़	4710, 4792, 4793, 4799
49.	श्री गजानन कीर्तिकर	4710, 4792, 4793, 4799
50.	श्री जैदेव गल्ला	4648
51.	श्री फिरोज वरूण गांधी	4800
52.	डॉ. हिना विजयकुमार गावीत	4623, 4787, 4798
53.	एडवोकेट जोएस जॉर्ज	4627
54.	श्री शेर सिंह गुबाया	4662, 4740
55.	श्री लक्ष्मण गिलुवा	4701
56.	डॉ. के. गोपाल	4670, 4809
57.	श्री आर. गोपालकृष्णन	4809
58.	डॉ. बूरा नरसैय्या गौड़	4679, 4725
59.	श्री श्यामा चरण गुप्त	4653
60.	श्री विजय कुमार हांसदाक	4795, 4805
61.	श्री जी. हरि	4668
62.	डॉ. कंभमपति हरिबाबू	4794
63.	श्री हरीशचन्द्र *उर्फ* हरीश द्विवेदी	4610
64.	श्री दीपेन्द्र सिंह हुड्डा	4607
65.	श्री संजय हरिभाऊ जाधव	4615, 4813
66.	डॉ. संजय जायसवाल	4786
67.	श्री सुनील जाखड़	4775
68.	श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश	4649
69.	श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया	4709, 4800
70.	श्री सी.एन. जयदेवन	4730
71.	डॉ. जे. जयवर्धन	4623, 4745, 4787, 4798
72.	श्री रवीन्द्र कुमार जेना	4723, 4804

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
73.	श्री चन्द्र प्रकाश जोशी	4690, 4693
74.	श्री प्रह्लाद जोशी	4722
75.	श्री नारणभाई काछड़िया	4710, 4792, 4793, 4799
76.	श्रीमती कविता कलवकुंतला	4753, 4799
77.	कुमारी शोभा कारान्दलाजे	4702, 4807
78.	श्री पी. करुणाकरन	4642
79.	श्री राहुल कस्वां	4645
80.	श्री रत्न लाल कटारिया	4746
81.	श्री नलीन कुमार कटील	4619, 4724
82.	श्री कौशलेन्द्र कुमार	4651, 4737
83.	श्री रमेश चन्द्र कौशिक	4754
84.	श्रीमती रक्षाताई खाडसे	4715
85.	श्री चन्द्रकान्त खैरे	4783
86.	श्री राम मोहन नायडू किंजरापु	4705, 4804
87.	श्री कोडिकुन्नील सुरेश	4641
88.	श्री कोथा प्रभाकर रेड्डी	4612
89.	श्रीमती कोथापल्ली गीता	4628
90.	श्री फग्गन सिंह कुलस्ते	4706
91.	श्री बी. विनोद कुमार	4793, 4737, 4749
92.	श्री संतोष कुमार	4717, 4782, 4797
93.	श्री पी. कुमार	4672
94.	श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया	4760, 4801
95.	श्री पी.के. कुनहलिकुट्टी	4661
96.	श्री सदाशिव लोखंडे	4654, 4802
97.	श्री एम. उदयकुमार	4606
98.	श्रीमती पूनमबेन माडम	4766, 4811, 4818, 4828

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
99.	श्री धनंजय महाडीक	4623, 4745, 4787, 4798
100.	श्रीमती पूनम महाजन	4637, 4821
101.	डॉ. बंशीलाल महतो	4796, 4822
102.	श्री विद्युत वरण महतो	4710, 4792, 4793, 4799
103.	श्री सी. महेन्द्रन	4826
104.	श्री भर्तृहरि महताब	4730, 4750, 4808
105.	श्री मल्लिकार्जुन खड़गे	4704
106.	श्री जोस के. मणि	4630, 4789
107.	श्री हरि मांझी	4700
108.	श्रीमती के. मरगथम	4616, 4814
109.	श्री आर.पी. मरुदराजा	4726
110.	श्री अर्जुन लाल मीणा	4624, 4725
111.	श्री हरीश मीना	4742, 4812
112.	श्री भैरों प्रसाद मिश्र	4716
113.	श्री अनूप मिश्रा	4659
114.	श्री पिनाकी मिश्रा	4699
115.	श्री पी.सी. मोहन	4702
116.	श्रीमती प्रतिमा मंडल	4805
117.	श्री सुनील कुमार मण्डल	4669
118.	श्री एस.पी. मुद्दाहनुमे गौड़ा	4658, 4790
119.	श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन	4621, 4816
120.	डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे	4713, 4734, 4806
121.	श्री पी. नागराजन	4608
122.	प्रो. ए.एस.आर. नायक	4794
123.	श्री बी.वी. नाईक	4656, 4790
124.	श्री केसिनेनी श्रीनिवास	4692

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
125.	श्री कमल नाथ	4695
126.	श्री जे.जे.टी. नट्टर्जी	4820, 4627
127.	श्री अशोक महादेवराव नेते	4657, 4827
128.	श्री मानशंकर निनाम	4718
129.	श्री अजय निषाद	4763, 4802
130.	श्री राम चरित्र निषाद	4675
131.	श्रीमती मौसम नूर	4791
132.	श्री असादुद्दीन ओवैसी	4618
133.	श्रीमती कमला पाटले	4609, 4793
134.	श्री जगदम्बिका पाल	4684, 4745, 4791
135.	श्री विनसेंट एच. पाला	4776, 4800
136.	श्री हरि ओम पाण्डेय	4717, 4782, 4797
137.	श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	4712
138.	श्री राजेश पाण्डेय	4728, 4805, 4811
139.	श्री के. परसुरमन	4631
140.	श्री आर. पार्थिपन	4815
141.	श्री देवजी एम. पटेल	4774
142.	श्रीमती जयश्रीबेन पटेल	4686
143.	श्री प्रहलाद सिंह पटेल	4613
144.	श्रीमती रीती पाठक	4638, 4823
145.	श्री ए.टी. नाना पाटील	4652
146.	श्री भीमराव बी. पाटील	4748
147.	श्रीमती भावना गवली (पाटील)	4747
148.	श्री संजय काका पाटील	4757
149.	श्री कपिल मोरेश्वर पाटील	4729
150.	श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान	4737
151.	श्री नारामल्ली शिवप्रसाद	4804

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
152.	श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन	4732
153.	श्री टी. राधाकृष्णन	4710, 4792, 4793, 4799
154.	श्री राघव लखनपाल	4605
155.	श्री प्रेम दास राई	4764
156.	डॉ. उदित राज	4633, 4791
157.	श्री राजन विचारे	4634, 4725
158.	श्री हरिनरायन राजभर	4636, 4721
159.	श्री एम.बी. राजेश	4756
160.	डॉ. मनोज राजोरिया	4796, 4791
161.	श्री सी.एस. पुट्टा राजू	4658, 4828
162.	श्री जनक राम	4771
163.	श्री राजेश रंजन	4765, 4785
164.	श्रीमती रंजीत रंजन	4765, 4785
165.	श्री मुथमसेट्टी श्रीनिवास राव (अवंती)	4707
166.	श्री रायपति सम्बासिवा राव	4759
167.	श्री डी.एस. राठौड़	4601
168.	श्री हरिओम सिंह राठौर	4639, 4824
169.	श्री रामसिंह राठवा	4665, 4785
170.	डॉ. रत्ना डे (नाग)	4717, 4782, 4797
171.	श्री विनायक भाऊराव राऊत	4713, 4765, 4803, 4806
172.	श्री पार्थ प्रतिम राय	4674
173.	श्री रवीन्द्र कुमार राय	4662, 4740
174.	श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी	4723, 4804
175.	श्री वाई.वी. सुब्बा रेड्डी	4708, 4799
176.	श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी	4780
177.	श्री गुत्था सुकेंद्र रेड्डी	4741, 4743

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
178.	श्री मेकापति राज मोहन रेड्डी	4714
179.	श्री पी. श्रीनिवास रेड्डी	4655
180.	श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी	4741, 4743
181.	श्री जे.सी. दिवाकर रेड्डी	4628
182.	प्रो. सौगत राय	4644, 4816
183.	श्री राजीव प्रताप रूडी	4758
184.	श्री लखन लाल साहू	4796
185.	चंदूलाल साहू	4774
186.	श्री ताम्रध्वज साहू	4752, 4810
187.	डॉ. ममताज संघमिता	4778
188.	श्री आलोक संजर	4681
189.	श्री राम प्रसाद सरमा	4795
190.	श्री राजीव सातव	4623, 4745, 4798
191.	एडवोकेट नरेन्द्र केशव सावईकर	4673
192.	श्री अरविंद सावंत	4797
193.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया	4625, 4695, 4764
194.	श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव	4623, 4798, 4787
195.	श्री राम कुमार शर्मा	4689
196.	श्री राजू शेट्टी	4781
197.	श्री गोपाल शेट्टी	4731
198.	श्री राहुल शेवाले	4730, 4750, 4808
199.	डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे	4713, 4765, 4803, 4806
200.	श्री अनिल शिरोले	4671, 4725
201.	श्री जी.एम. सिद्देश्वरा	4611, 4819
202.	श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल	4773
203.	श्री प्रताप सिम्हा	4702, 4734
204.	श्री गणेश सिंह	4784, 4791
205.	श्री राकेश सिंह	4682
206.	श्री भरत सिंह	4614, 4807
207.	डॉ. भोला सिंह	4711, 4801
208.	श्री दुष्यंत सिंह	4777
209.	कुंवर हरिवंश सिंह	4710, 4792, 4793, 4799
210.	श्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा	4779, 4804
211.	प्रो. साधु सिंह	4698, 4799
212.	श्री सुशील कुमार सिंह	4625, 4755
213.	श्रीमती प्रत्यूषा राजेश्वरी सिंह	4767
214.	श्री सुनील कुमार सिंह	4603, 4652
215.	श्री उदय प्रताप सिंह	4795
216.	डॉ. किरिट पी. सोलंकी	4768
217.	डॉ. किरीट सोमैया	4629, 4818
218.	श्री विनोद कुमार सोनकर	4604
219.	श्रीमती नीलम सोनकर	4752
220.	श्री मलयाद्रि श्रीराम	4812, 4769
221.	श्रीमती सुप्रिया सुले	4623, 4745, 4787, 4798
222.	श्री पी.आर. सुन्दरम	4724, 4745, 4798
223.	श्री डी.के. सुरेश	4724
224.	श्री रामदास सी. तडस	4690, 4693
225.	श्री कंवर सिंह तंवर	4667
226.	श्रीमती रीता तराई	4647
227.	श्रीमती पी.के. श्रीमथि टीचर	4625, 4720, 4803
228.	श्री अजय मिश्रा टेनी	4807
229.	श्री अनुराग सिंह ठाकुर	4751
230.	श्री थांगसो बाइटे	4738

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
231.	डॉ. शशि थरुर	4664
232.	श्री मनोज तिवारी	4717, 4782, 4797
233.	श्री दिनेश त्रिवदी	4739
234.	श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे	4736, 4782
235.	श्री कृपाल बालाजी तुमाने	4797
236.	श्री शिवकुमार उदासि	4830
237.	श्री विक्रम उसेंडी	4646
238.	श्री वी. एलुमलाई	4643
239.	श्रीमती एम. वसन्ती	4691
240.	श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा	4617, 4703, 4725
241.	श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा	4725
242.	श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू	4622, 4799, 4800
243.	डॉ. पी. वेणुगोपाल	4685
244.	श्री के.सी. वेणुगोपाल	4680, 4810, 4763
245.	श्री अंशुल वर्मा	4800, 4774
246.	श्री एस.आर. विजय कुमार	4710, 4792, 4793, 4799
247.	श्री धर्मवीर गांधी	4812
248.	श्री धर्मेन्द्र यादव	4713, 4765, 4803, 4806
249.	श्री ओम प्रकाश यादव	4770
250.	श्री तेज प्रताप सिंह यादव	4727, 4788, 4799, 4624
251.	श्री लक्ष्मी नारायण यादव	4675

दिनांक 23 मार्च, 2018 के वाद विवाद का शुद्धिपत्र

क्रम संख्या	कॉलम	के स्थान पर	पढ़िये
1	193	प्रश्न के शीर्षक में जल औषधि	जन औषधि
2	406	उत्तर में (क) का लोप करें	

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	405
कॉर्पोरेट कार्य	:	403
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	402, 408, 414, 415, 418, 420
वित्त	:	404, 411,412, 413
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	401, 406, 407, 409, 410
महिला और बाल विकास	:	416,417, 419.

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष)	:	4626, 4632, 4667, 4684, 4708, 4709, 4715, 4717, 4719, 4740, 4766, 4773, 4777, 4807, 4810
कॉर्पोरेट कार्य	:	4611, 4716, 4728, 4736, 4750, 4785, 4788, 4791, 4799,4808,4817,4823, 4828
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	:	4609, 4610, 4621, 4624, 4627, 4628, 4635, 4660, 4663, 4666, 4671, 4673, 4685, 4698, 4700, 4703, 4706, 4718, 4724, 4731, 4746, 4759, 4761, 4775, 4786, 4790, 4793, 4800, 4801, 4815,4816, 4820, 4830
वित्त	:	4604, 4605, 4606, 4607, 4612, 4613, 4614, 4615, 4617, 4629, 4633, 4636, 4637, 4638, 4639, 4640, 4641, 4642, 4643, 4644, 4645, 4647, 4648, 4649, 4651, 4653, 4654, 4656, 4657, 4658, 4661, 4669, 4670, 4675, 4677, 4681, 4682, 4683, 4687, 4688, 4689, 4690, 4691, 4694, 4695, 4699, 4702, 4707, 4710, 4711, 4714, 4723, 4725, 4726, 4727, 4729, 4732, 4733, 4735, 4737, 4741, 4743, 4747, 4748, 4749, 4753, 4756, 4757, 4760, 4762, 4767, 4768, 4769, 4771, 4772, 4780, 4781, 4783, 4796, 4797, 4809, 4811, 4812, 4814, 4819, 4824, 4825, 4826, 4829
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	4601, 4602, 4603, 4608, 4616, 4619, 4622, 4623, 4630, 4634, 4646, 4650, 4652, 4655, 4659, 4662, 4664, 4665, 4676, 4678, 4679, 4680, 4686, 4692, 4696, 4697, 4701, 4705, 4712, 4713, 4721, 4722, 4730, 4738, 4739, 4742, 4744, 4745, 4751, 4752, 4754, 475S, 4758, 4763, 4764, 4770, 4774, 4776, 4778, 4779, 4782, 4784, 4787, 4789, 4792, 4794, 4795, 4798,4803, 4805, 4818, 4822, 4827
महिला और बाल विकास	:	4618, 4620, 4625, 4631, 4668, 4672, 4674. 4693, 4704, 4720, 4734, 4765, 4802, 4804, 4806, 4813, 4821

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. 40/XXXI/22/2018

30

© 2018 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सोलहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, दिल्ली-110053 द्वारा मुद्रित।